षोडश माला, खंड 35, अंक 11

शुक्रवार, 28 दिसम्बर 2018

07 पौष, 1940 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सोलहवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 76
Dated 22 2022

(खण्ड 35 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : एक सौ पंद्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव
लोक सभा

अनीता बी. पंडा
संयुक्त सचिव

अजीत सिंह यादव
निदेशक

राजीव शर्मा
अपर निदेशक

मनोज कुमार सिंह
सहायक सम्पादक

राजेन्द्र सिंह
सहायक सम्पादक

© 2018 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 35, सोलहवां सत्र, 2018-19/1940 (शक)

अंक 11, शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018/7 पौष, 1940 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 242	1-14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 243 से 260	14-71
अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990	71-695
सभा पटल पर रखे गए पत्र	695-728
राज्य सभा से संदेश	728
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अधीन, लोक सभा अध्यक्ष के निर्देशों में संशोधन	728-729
विशेषाधिकार समिति	
10वां प्रतिवेदन	729
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
34वें से 37वां प्रतिवेदन	729
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	729
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
45वां प्रतिवेदन	729-730
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
291वें से 294वां प्रतिवेदन	730
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
111वें से 114वां प्रतिवेदन	730-731
नकली मुद्रा के बारे में दिनांक 20.07.2018 के अतारांकित प्रश्न संख्या 571 के उत्तर में शुद्धि करने और विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण	
श्री पोन राधाकृष्णन	731-735
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मागों (2017-18) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 305वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डॉ. हर्षवर्धन	736

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) कॉफी बोर्ड 736-737

(दो) रबड़ बोर्ड 737

(तीन) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 737-738

कार्य मंत्रणा समिति के 58वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 738

कतिपय वस्तुओं पर मूलभूत सीमाशुल्क (बी.सी.डी.) में वृद्धि के बारे में सांविधिक संकल्प 739-747

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018

डॉ. महेश शर्मा 747

जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

श्री राजनाथ सिंह 748, 794-802

सांविधिक संकल्प: जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा के अनुमोदन के संबंध में...*जारी*

डॉ. शशि थरूर 766-768

प्रो. सौगत राय 768-769

श्री भर्तृहरि महताब 769-771

डॉ. पी. वेणुगोपाल 771-772

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले 772-773

डॉ जितेन्द्र सिंह 774-781

श्री मोहम्मद सलीम 781-785

श्री मुलायम सिंह यादव 785-786

श्री अरविंद सावंत 786-788

श्री भगवंत मान 788-789

श्री जय प्रकाश नारायण यादव 789-790

श्री एन. के. प्रेमचंद्रन 790-791

डॉ. फारूख अब्दुल्ला 791-794

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 44वें और 45वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव 802-803

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुर:स्थापित

(एक) अम्ल हमलों का निवारण और अम्ल पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक, 2018

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार 803-804

विषय **कॉलम**

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)

श्री निशिकान्त दुबे 804

(तीन) वैदिक शिक्षा (शैक्षिक संस्थाओं में अनिवार्य शिक्षण) विधेयक, 2018

श्री निशिकान्त दुबे 804-805

(चार) गौ संरक्षण विधेयक, 2018

श्री निशिकान्त दुबे 805

(पांच) अपराधों के साक्षियों और पीड़ितों का अनिवार्य संरक्षण विधेयक, 2018

श्री निशिकान्त दुबे 806

(छह) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 41 का संशोधन)

डॉ संजय जायसवाल 807

(सात) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 358 का संशोधन)

डॉ. संजय जायसवाल 807-808

(आठ) संपर्क-विच्छेद का अधिकार विधेयक, 2018

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले 808

(नौ) क्षयरोग (निवारण और उन्मूलन) विधेयक, 2018

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले 808-809

(दस) लैगिंक संवेदीकरण (प्रशिक्षण एवं शिक्षा) विधेयक, 2018

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले 809

(ग्यारह) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

श्री जगदम्बिका पाल 810

(बारह) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 66क का लोप)

श्री जगदम्बिका पाल 810-811

(तेरह) सशस्त्र बल विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 45 का संशोधन, आदि)

श्री जगदम्बिका पाल 811

(चौदह) आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 46क का अंत:स्थापन)

डॉ. शशि थरूर 811-812

(पंद्रह) साहित्य स्वतंत्रता विधेयक, 2018

डॉ. शशि थरूर 812

(सोलह) खेलकूद (ऑनलाइन गेमिंग तथा कपट निवारण) विधेयक, 2018

डॉ. शशि थरूर 812-813

(सत्रह) महिला लैंगिक, प्रजनन और ऋतुस्राव अधिकार विधेयक, 2018

डॉ. शशि थरूर 813

विषय **कॉलम**

(अठारह) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय (राजभाषाओं का प्रयोग) विधेयक, 2018

श्री गोपाल शेट्टी 814

(उन्नीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 44 का लोप, आदि)

श्री गोपाल शेट्टी 814-815

(बीस) अनन्नास बोर्ड विधेयक, 2018

एडवोकेट जोएस जॉर्ज 815

(इक्कीस) कटहल बोर्ड विधेयक, 2018

एडवोकेट जोएस जॉर्ज 815-816

(बाईस) कृषक (गारंटीकृत आय एवं कल्याण), विधेयक, 2018

एडवोकेट जोएस जॉर्ज 816

(तेइस) मिर्च उत्पादक (कल्याण) विधेयक, 2018

एडवोकेट जोएस जॉर्ज 816-817

(चौबीस) औद्योगिक नियोजन और पर्यावरणीय संरक्षण, 2018

श्री धर्मवीर गांधी 817-818

(पच्चीस) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 171 का संशोधन, आदि)

श्री धर्मवीर गांधी 818

(छब्बीस) भिक्षावृत्ति उत्सादन और भिखारियों का पुनर्वास विधेयक, 2018

श्री शिवाजीराव आधलराव पाटील 818

(सताईस) महिला (कार्यस्थल में आरक्षण) विधेयक, 2018

श्री शिवाजीराव आधलराव पाटील 819

(अठाईस) नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विधेयक, 2018

श्री शिवाजीराव आधलराव पाटील 819-820

(उन्नतीस) मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 207क का अंत:स्थापन)

श्री विनोद कुमार सोनकर 820

(तीस) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (सेवा का नियमितीकरण और कल्याण) विधेयक, 2018

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 820-821

(इकतीस) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 3 का संशोधन, आदि)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 821

(बत्तीस) आशा कार्यकर्ता (सेवा और प्रसुविधाओं का नियमितीकरण) विधेयक, 2018

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 821-822

विषय	कॉलम

(तैंतीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 142 का संशोधन)

श्री भर्तृहरि महताब 822

(चौंतीस) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 35क और 35ख का प्रतिस्थापन)

श्री भर्तृहरि महताब, ... 822-823

(पैंतीस) नियोजन अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2018

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 823

(छत्तीस) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 160 का संशोधन)

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 824

(सैंतीस) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2018
(नए अध्याय तीन क का अंत:स्थापन)

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 824

(अड़तीस) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 7 का संशोधन आदि)

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 824-825

(उन्नचालीस) भू-संपदा (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2018 (धारा 7 का संशोधन, आदि)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी 825

(चालीस) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी 825-826

(इक्तालीस) भारतीय सुखाचार (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 7 का संशोधन, आदि)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी 826

(बयालीस) खेलकूद का अधिकार विधेयक, 2018

डॉ. किरिट पी. सोलंकी 826-827

(तैंतालीस) राष्ट्रगौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 3 के लिये नई धारा का प्रतिस्थान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा 827

(चौवालीस) शैक्षणिक संस्थाओं में भारत की ज्ञान परंपराओं और प्रथाओं का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2018

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा 827-828

(पैंतालीस) संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 (अनुसूची का संशोधन)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा 828

(छियालीस) आधिकारिक सरकारी बैठक और समारोह (मांसाहारी भोजन परोसने का प्रतिषेध) विधेयक, 2018

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा 828-829

(सैंतालीस) छावनी (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अध्याय चार-क का अंत:स्थापन)

श्री चन्द्रकांत खैरे 829

(अड़तालीस) भारत में एक समान नागरिक संहिता विधेयक, 2018

श्री चन्द्रकांत खैरे 829-830

विषय		कॉलम

(उन्नचास) महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर संभाजी नगर करना विधेयक, 2018

श्री चन्द्रकांत खैरे 830

(पचास) व्यथित विधवाएं और एकल महिलाएं (संरक्षण, पुनर्वासन और कल्याण) विधेयक, 2018

श्री गजानन कीर्तिकर 830-831

(इक्यावन) गुमशुदा बालक/बालिका (शीघ्र खोज और पुनर्मिलन) विधेयक, 2018

श्री गजानन कीर्तिकर 831-832

(बावंन) गौ-वध पर पाबंदी विधेयक, 2018

श्री गजानन कीर्तिकर 832-833

(तिरेपन) जनसंख्या स्थिरीकरण विधेयक, 2018

श्री गजानन कीर्तिकर 833

(चौवन) सरल भाषा में विधि का प्रारूपण विधेयक, 2018

श्री राजीव सातव 833-834

(पचपन) महिला (विकास और कल्याण) प्राधिकरण विधेयक, 2018

श्री राजीव सातव 834-835

(छप्पन) कृषि कामगार कल्याण कोष विधेयक, 2018

श्री राजीव सातव 835

(सत्तावन) बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2018

श्री राजीव सातव 836

(अट्ठावान) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (8वी अनुसूची का संशोधन)

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते 836-837

(उनसठ) संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुसूचियों का संशोधन)

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते 837

(साठ) चिकित्सकों, चिकित्सा वृत्तिकों और चिकित्सा संस्थाओं के विरुद्ध हिंसा निवारण विधेयक, 2018

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे 837-838

(इकसठ) महिला (सशक्तिकरण और कल्याण) विधेयक, 2018

श्री भैरों प्रसाद मिश्र 838-839

(बासठ) शहरी क्षेत्र (साम्यापूर्ण विकास और विनियमन) विधेयक, 2018

श्री भैरों प्रसाद मिश्र 839-841

(तिरेसठ) राष्ट्रीय कृषि नीति आयोग विधेयक, 2018

श्री निहाल चंद 842

विषय	कॉलम

(चौंसठ) जल (सुगमता और संरक्षण) विधेयक, 2018

श्री अनुराग सिंह ठाकुर 842-843

(पैंसठ) जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2018

श्री विष्णु दयाल राम, ... 843-844

(छियासठ) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 56 का संशोधन, आदि)

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 844

(सड़सठ) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 135 का संशोधन)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र 844-845

(अड़सठ) न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 2 का संशोधन)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र 845

(उनहत्तर) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (महोबा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2018

श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल 845-846

(सत्तर) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल 846

(इकहत्तर) शैक्षणिक संस्थाओं में भारतीय आध्यात्मिक और मानव सेवा दर्शन शास्त्र की शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2018

श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल 846-847

(बहत्तर) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 309 का संशोधन)

श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल 847

(तिहत्तर) युवाओं में आत्महत्या निवारण विधेयक, 2018

श्री अनुराग सिंह ठाकुर 847-848

(चौहत्तर) एकल उपयोग प्लास्टिक (विनियमन) विधेयक, 2018

श्री अनुराग सिंह ठाकुर 848

(पचहत्तर) जनसंख्या (स्थिरीकरण और आयोजना) विधेयक, 2018

श्री अनुराग सिंह ठाकुर 849

(छिहत्तर) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2018 (नई धारा 28क का अंत:स्थापन)

डॉ. प्रभास कुमार सिंह 849-850

(सतहत्तर) राष्ट्रीय खेलकूद विकास आयोग विधेयक, 2018

श्री निहाल चन्द 850

(अठहत्तर) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 24क का अंत:स्थापन)

डॉ प्रभास कुमार सिंह 850-851

विषय कॉलम

(उनासी) जिम्मेदार अभिभावक विधेयक, 2018

डॉ. संजीव बालियान 851-852

(अस्सी) सौंदर्य प्रसाधनों में माइक्रोबीड्स के प्रयोग पर पांबदी विधेयक, 2018

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी 852

(इक्यासी) आभ्यासिक अपराधी विधियों को शून्य घोषित करना विधेयक, 2018

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी 852-853

(बयासी) प्लास्टिक पैकेजिंग (विनियमन) विधेयक, 2018

श्रीमती मीनाक्षी लेखी 853

(तिरासी) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 31 का अंत:स्थापन)

श्री ओम प्रकाश यादव 853-854

(चौरासी) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 275 क का अंत:स्थापन, आदि)

श्री ओम प्रकाश यादव 854

(पचासी) अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक, 2018

श्री ओम प्रकाश यादव 854-855

(छियासी) अनिवासी भारतीय (मतदान अधिकार और कल्याण) विधेयक, 2018

श्री ओम प्रकाश यादव 855-856

(सतासी) राष्ट्रीय कुपोषण नीति आयोग विधेयक, 2018

श्री निहाल चन्द 856

(अठासी) मानवाधिकार रक्षकों का संरक्षण विधेयक, 2018

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी 856-857

उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

विपरीतलिंग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 857-861

संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री किरेन रिजीजू 861-869

श्री विन्सेंट एच. पाला 869-871

विधेयक वापस लिया गया 871

टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां (विनियमन) विधेयक, 2015

विचार के लिए प्रस्ताव 871

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 871-885

श्री भर्तृहरि महताब 885-890

श्री भैरों प्रसाद मिश्र 890-894

विषय	कॉलम

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल 894

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर (सेवानिवृत) 894-899

विधेयक-वापस लिया गया 900

भारतीय पर्यटन संवर्धन निगम विधेयक, 2015

विचार के लिए प्रस्ताव

श्री निशिकांत दुबे 900

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 901

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 902-912

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 913-914

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 913-916

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

श्री कलराज मिश्र

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा

शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018/7 पौष, 1940 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं)*

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

पूर्वान्ह 11.0½ बजे

इस समय श्रीमती वी. सत्यबामा, श्री गुरजीत सिंह औजला, श्री एम. मुरलीमोहन, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 241, श्री कीर्ति आजाद।

...(व्यवधान)

पूर्वांह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 241 श्री कीर्ति आजाद।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

***241. †श्री कीर्ति आजाद:**
डॉ. भारती बेन डी. श्याल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाली पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) के निष्पादन/प्रभावकारिता का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है तथा उक्त योजना को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या आर.एस.बी.आई. के साक्ष्य से यह पता चलता है कि इससे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों का व्यवहार विकृत हो गया तथा लेन-देन लागत में वृद्धि हो गई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने का विचार है ताकि निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन आयुष प्रैक्टीशनरों की संख्या कितनी है जिन्होंने एन.सी.डी. के संचालन तथा अन्य एलोपैथी कार्यक्रमों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य और वेलनैस केन्द्रों पर अपनी तैनाती के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन संचालित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) के निष्पादन की कारगरता या स्वास्थ्य प्रदाताओं के व्यवहार पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

दिनांक 23.09.2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी.एम.जे.ए.वाई.) के प्रारम्भ के साथ ही, जिन राज्यों में पी.एम.जे.ए.वाई. क्रियान्वित किया जा रहा है, वहां अब आर.एस.बी.वाई. स्वत: ही इसमें शामिल हो गयी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) और अन्य 11 श्रेणियों के असंगठित श्रमिकों के परिवारों को परिवार फ्लोटर आधार पर (प्रति परिवार अधिकतम 5 सदस्य) प्रति वर्ष प्रति परिवार 30,000/- रु. तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया था। दूसरी ओर पी.एम.जे.ए.वाई. के अंतर्गत चिह्नित किए गए लगभग 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को अस्पताल की लागतों को पूरा करने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रु. तक का लाभ कवरेज प्रदान किया जाता है। यह एक पात्रता-आधारित स्कीम है और इसमें सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (एस.ई.सी.सी.) के आंकड़ों के अनुसार अभाव और व्यावसायिक मानदण्डों के आधार पर परिवारों को चिन्हित किया जाता है। आर.एस.बी.वाई.

के सभी मौजूदा लाभार्थियों को भी पी.एम.जे.ए.वाई. के तहत कवर किया गया है।

(ग) 'जन स्वास्थ्य और अस्पताल' राज्य का विषय होने के कारण, उनकी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केन्द्र सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है ताकि शहरी और ग्रामीण, दोनों तरह के क्षेत्रों में जनसंख्या के गरीब और कमजोर वर्गों को विशेष तौर पर अभिगम्य, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की जा सकें। एन.एच.एम. के तहत इस सहायता में मातृत्व स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम और बड़े रोगों जैसे कि क्षय रोग, कुष्ट रोग, मलेरिया, डेंगू और काला अजार आदि जैसे वेक्टरजन्य रोगों के लिए नि:शुल्क सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है। अन्य बडी पहलें जिनके लिए राज्यों को सहायता दी जा रही है, उनमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एम.के.), राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के.), एन.एच.एस. नि:शुल्क दवाएं और नि:शुल्क डायग्नोस्टिक सेवा संबंधी पहलों का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम और राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन शामिल हैं। राज्यों को भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आई.पी.एच.एस.) को पूरा करने के लिए अपने जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को सुदृढ़ करने के लिए भी सहायता दी जाती है।

आयुष्मान भारत के भाग के रूप में, सरकार समुदाय स्तर पर उत्तरोत्तर परिचर्या दृष्टिकोण के साथ निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान के लिए राज्यों को अपने उप केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों के रूप में सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

पी.एम.जे.ए.वाई. के तहत, सभी सरकारी अस्पतालों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और इससे ऊपर के स्तर) को पी.एम.जे.ए.वाई. के तहत पैनलबद्ध माना गया है। निजी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं को परिभाषित मानदण्डों और दिशानिर्देशों के अनुसार पी.एम.जे.ए.वाई. के तहत पैनलबद्ध किया गया है।

(घ) दिनांक 26.12.2018 की स्थिति के अनुसार, 1555 आयुर्वेद चिकित्सकों (आयुष चिकित्सकों) को स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों में तैनाती के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य में सर्टिफिकेट प्रोग्राम (ब्रिज कोर्स) में नामांकित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति आजाद: अध्यक्ष महोदया, मैंने यह अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना जो पहले श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलायी जाती थी, उसमें बी.पी.एल. परिवार एवं असंगठित क्षेत्र से जो लोग आते हैं, ...*(व्यवधान)* वे जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उन्हें यह स्वास्थ्य सेवा लेने में बहुत कठिनाई होती है।...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनको मैं साथ लेकर आया हूं।...*(व्यवधान)* मेरे पास बिहार सरकार के बी.पी.एल. के कागज हैं,...*(व्यवधान)* मेरे क्षेत्र से बी.पी.एल. के लोग यहां आए थे और उनको आयुष्मान योजना के अंतर्गत सुविधा नहीं मिली। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। इस विसंगति को दूर करने के लिए मंत्री जी क्या-क्या कदम उठाएंगे?...*(व्यवधान)*

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैडम, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी,...*(व्यवधान)* वह योजना आयुष्मान भारत में सबज्यूम कर दी गयी है और सबज्यूम करने के कारण जितने भी स्टेट्स में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही थी और जिन स्टेट्स ने आयुष्मान भारत को फॉलो किया है, उसमें वे सारी स्कीम सबज्यूम हो गयी है।...*(व्यवधान)* हमने आर.एस.बी.वाई. योजना से लर्निंग्स लेकर उनमें जो कमियां थीं,...*(व्यवधान)* उनको ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत में इस स्कीम को पेपरलेस, कैशलेश और पोर्टेबल बनाया है।...*(व्यवधान)* इसलिए अब लाभार्थी किसी भी स्टेट्स में, किसी भी बड़े इंस्टिट्यूट में जाकर अपना इलाज करवा सकता है और उसकी डायरेक्ट पेमेंट आयुष्मान भारत की तरफ से उस स्टेट से उस इंस्टिट्यूट को हो जाएगी।...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य जो कागज दिखा रहे थे, वह मुझे दे दें। मैं इसकी जांच करवा लूंगा। लेकिन, अभी तक हमारे पास यह पोर्टेबल और कैशलेश है।...*(व्यवधान)* हमारे पास इस तरह की कोई कम्प्लेंट्स नहीं आयी हैं।...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति आजाद: अध्यक्ष महोदया, यह ऑल इंडिया

इंस्टि्ट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कागज हैं...*(व्यवधान)* और बिहार सरकार के बी.पी.एल.के कागज हैं, जहां पर उनको यह सुविधा नहीं मिली है।...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी को यह कागज अवश्य दे दूंगा। हमारे पास ऐसे अनेक कागज हैं, जिनको मैं माननीय मंत्री जी के पास पहुंचवा दूंगा।...*(व्यवधान)* श्रम मंत्रालय की तरफ से जो राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना के कार्यक्रम चलते थे, उसके अंदर भ्रष्टाचार और घपले के बहुत सरे केसेज आए थे।...*(व्यवधान)* ऐसे ही अनेक केस निजी अस्पतालों में आज भी सुनने को मिल रहे हैं, जहां पर लोगों की शल्य चिकित्सा कर दी जाती है, वह गरीब आदमी जो अंजान है, जिसको जानकारी नही है, उनसे पैसे ऐंठ लिये जाते हैं। क्या आयुष्मान योजना के अंतर्गत सेकेंड ओपिनियन लेने का कोई प्रावधान होगा जिससे गरीब आदमियों को लूटा न जा सके, भ्रष्टाचार न हो एवं घपले न हों।

श्री जगत प्रकाश नड्‌डा: अध्यक्ष महोदया, 'आयुष्मान भारत' का उद्देश्य है - सोसाइटी के गरीब और मार्जिनल सेक्शन्स, जो डिप्राइव्ड हैं उनको वह फेसिलिटी मिले। 'आयुष्मान भारत' के तहत डिजिटल चेक्स एंड बैलेंसेज बहुत डेवलप किए गए हैं।...*(व्यवधान)* उन चेक्स एंड बैलेंसेज के द्वारा किस हॉस्पिटल में कौन-सा आपॅरेशन अधिक हो रहा है, कौन से पेशेन्ट्स अधिक आ रहे हैं, क्या वह जायज है या नाजायज है, इसकी भी हम स्क्रूटनी करते रहते हैं।...*(व्यवधान)* इसलिए ऐसा कहना कि वे पैसे ऐंठ लेंगे, यह संभव नहीं है। ...*(व्यवधान)* हमारी यह कोशिश है और जहां तक डबल ओपिनियन का सवाल है, हमने इसके लिए सेट प्रोसीजर्स बनाए हैं कि किस तरीके से पेशेन्ट को हम प्रोसीजर की तरफ ले जाएंगे।...*(व्यवधान)*

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल: मैडम, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर नड्डा जी का अभिनंदन करना चाहती हूं कि उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ पॉलिसी 'आयुष्मान भारत' को लांच किया।...*(व्यवधान)* इससे हमारे देश के दस करोड़ परिवारों, लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।...*(व्यवधान)* माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में योग दिवस, आयुर्वेद दिवस और नेचुरोपैथी डे जैसे दिन मनाकर, हमारी भारत की संस्कृति, हमारी प्राचीन विरासत और हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को पूरे विश्व के समक्ष उजागर किया है।...*(व्यवधान)* अब पूरा विश्व योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को अपना रहा है।...*(व्यवधान)* अब लोग इससे न केवल तन-मन की स्वस्थता, बल्कि आत्मा की स्वस्थता भी पा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* जो हमारी प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना है, उनमें 1795 डिजीजेज की सूची है, उनमें से कई डिजीज ऐसी हैं, जिनकी चिकित्सा योग और आयुर्वेद में अच्छी तरह से हो रही है। हमारे देशवासी भी अब आयुर्वेद अपनाने लगे हैं।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि हम हॉस्पिटल्स के साथ टाई-अप कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ट्रस्ट्स के हॉस्पिटल्स।...*(व्यवधान)* क्या उसमें हम आयुर्वेद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आयुर्वेद के ट्रस्ट्स के हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटलस के साथ भी टाई-अप कर रहे हैं, जिससे हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का लाभ सभी देशवासियों को मिल सके और वे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से ट्रीटमेंट करा सकें?...*(व्यवधान)* मैं यह जानना चाहती हूं। धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैडम, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है - पी.एम.जे.ए.वाई., जिसमें हम क्योरेटिव केयर देते हैं और जानलेवा बीमारियों, जिनसे जान चली जाए, के मामलों में हम 1350 प्लस इंटरवेंशन्स करते हैं। जहां तक आयुर्वेद का सवाल है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो 'आयुष्मान भारत' का दूसरा पिलर है, उसमें हमने योग, आरोग्य और इस दृष्टि से उसके वेलनेस के लिए प्रावधान रखा है, जिसमें हम उनका सदुपयोग करते हैं और वह हम आगे भी करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी: महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि केन्द्रीय सरकार राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को सभी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।...*(व्यवधान)*

मैं अपने अनुपूरक प्रश्न में माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता में केन्द्रीय सरकार का अंशदान का प्रतिशत क्या है और राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को क्या तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। समग्र देश में कितने अस्पतालों को ये लाभ प्राप्त हैं?

श्री जगत प्रकाश नड्‌डा: महोदया, जहां तक तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता का संबंध है, हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सहायता प्रदान करते हैं। इसका अनुपात 60:40 है; और साथ ही, हिमालयी राज्यों और उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है।

हम प्रसूति, नवजात शिशु स्वास्थ्य देखरेख के लिए सहायता देते हैं; हम तपेदिक उन्मूलन, मलेरिया, डेंगू और अन्य रोगों के उन्मूलन के लिए सहायता देते हैं। हम स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए भी सहायता देते हैं। इसके साथ, नि:शुल्क औषधि और नैदानिक सुविधाएं भी दी जाती है।

इस प्रकार, हम संचरणीय रोगों और अन्य रोगों का भी ध्यान रख रहे हैं।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हम एन.एच.एम. के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ कर रहे हैं। ये सुविधाएं उनको प्रदान की जाती है।

जहां तक नवजात शिशु स्वास्थ्य देखरेख और माता और बाल स्वास्थ्य देखरेख का संबंध है, बहुत ही सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये गर्भाधान के चरण से शिशु जन्म के चरण तक दी जा रही है और शिशुजन्म के पश्चात, टीकाकरण प्रक्रिया के दौरान और संचारणीय रोगों के लिए भी दी जा रही हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी है। इस प्रकार, बहुत सी योजनाएं हैं...*(व्यवधान)*

उन लोगों, जिनके गुर्दे खराब हो चुके हैं, के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजना भी है।...*(व्यवधान)* इस प्रकार उनको दी जाने वाली तकनीक और वित्तीय सहायता की श्रृंखला है। यह 60:40 आधार पर दी जाती है। हिमालयी राज्यों और उत्तर पूर्व राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदया, मोदी केयर योजना की घोषणा स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पर हुई थी और मंत्री जी कह रहे हैं कि करोड़ों लोगो को इस योजना का लाभ मिल रहा है।...*(व्यवधान)* क्या मंत्री जी राज्यवार ब्यौरा दे सकते हैं कि कितने लोगों को फायदा मिला और कितना एमाउंट रिलीज हुआ? क्या यह सच है कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइडर कम्पनियों को पांच प्रतिशत फायदा होता है, लेकिन हमारे देश में इन्हें 17 प्रतिशत फायदा होता है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह योजना मरीजों के लिए है या बीमा कम्पनियों के लिए है? ...*(व्यवधान)*

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य यह प्रश्न अलग से करें और यदि वे इस विषय पर डिस्कशन मांगे, तो मैं अच्छी तरह से उत्तर दे दूंगा। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत योजना को शुरू हुए सौ दिन हुए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

लगभग छह लाख रोगियों/लाभार्थियों ने लाभ लिया है...*(व्यवधान)* लगभग 700 करोड़ रु. के बिल बने हैं और हम उनका भुगतान कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की विशेष टीम मेरे क्षेत्र में भेजी थी। वहां से जो पांच सूचनाएं आई हैं, उनके संदर्भ में मंत्री जी क्या यहां बताएंगे कि क्या निर्णय लिया गया? पहली सूचना थी कि मेट्रो सिटी के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। दूसरी सूचना थी कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले आयुष्मान भारत योजना में पांच लाख रुपए तक बेनिफिट दिया जाए। तीसरी सूचना थी कि अस्पतालों की एम्पैनलमेंट बढ़ाई जाए और चौथी सूचना थी कि जो बिग प्राइवेट अस्पताल हैं, उनका भी इसमें समावेश किया जाए।...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस संबंध में पॉजिटिव विचार करेंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदया, हम हेल्थ स्कीम स्टेबलाइज कर रहे हैं और सुझावों का हमेशा स्वागत है। यह एक चालू योजना है...*(व्यवधान)* हम पाजिटिव डायरेक्शन सोचकर ही आगे बढ़ रहे हैं, ताकि समाज के सीमांत वर्ग, वंचित वर्ग को प्रथम दर्जे के लाभ और रोगियों के लिए एक उच्च कोटि का उपचार मिलें...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री से एक बात समझना चाहूंगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या किसी परिवार के लिए लगभग 5 लाख रु. प्रति वर्ष का आश्वासन दिया गया है और एक परिवार की महिला रोगी के लिए कम से कम 7 लाख रु. प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किसी विशिष्ट कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है। जैसा ओडिशा सरकार ने किया है...*(व्यवधान)*

इससे हमारे समाज के एक अधिक बड़े तबके को

सहायता मिलेगी, जो बहुत हद तक स्वास्थ्य देखरेख से वंचित किया जाता है...*(व्यवधान)*

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदय, हमारे यहां 5 लाख रु. प्रति परिवार प्रति वर्ष की एक योजना है...*(व्यवधान)* .परन्तु, जहां तक महिला बाल देखरेख का संबंध है, एन.एन.एम. राज्यों को उनके उपचार की बहुत से सुविधाएं प्रदान कर रहा है और उसका ध्यान रखा जाएगा...*(व्यवधान)*

बच्चों के लिए छात्रावास

*242. **+श्री आनंदराव अडसुल:**
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यालयों से संबद्ध छात्रावासों सहित बच्चों के लिए छात्रावास उतने ही संवेदनशील हैं जितने कि ये बाल परिचर्या संस्थानों (सी.सी.आई.) और डे केयर सेंटरों जैसी अन्य सुविधाओं पर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बाल छात्रावासों/सी.सी.आई. हेतु दिशा-निर्देशों का अभाव है और यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का छात्रावासों की पर्याप्त सुरक्षा, रहन-सहन के न्यूनतम स्तर और छात्रावासों का आवधिक निरीक्षण सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश बनाने का विचार है और यदि हां, तो इसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और ये दिशा-निर्देश कब तक लागू होने की संभावना है;

(घ) क्या अनेक सी.सी.आई./उक्त छात्रावास किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41 के तहत अधिदेशित पंजीकरण के बिना ही कार्यरत हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने राज्यों एवं सघ राज्य-क्षेत्रों को बच्चों के लिए ऐसे सभी छात्रावासों, सी.सी.आई. एवं संबंधित सुविधाओं का निरीक्षण करने तथा उनका पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा छात्रावासों/सी.सी.आई. में बच्चों की सुरक्षा एवं उनका कल्याण सुनिश्चित करने हेतु अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जे.जे. अधिनियम) अधिनियमित किया है। जे.जे. अधिनियम की धारा 2 (14)(i), (ix) और (x) के अनुसार, अन्यों के अलावा ऐसा बच्चा जिसे किसी गृह या निवास के आबाद स्थान के बगैर और गुजारा के किसी प्रकट साधन के बगैर पाया जाता है, जिसे असुरक्षित पाया जाता है तथा औषधि दुरुपयोग या मानव अवैध व्यापार में शामिल होने की संभावना है और जिसका अनर्थक लाभों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग किए जाने की संभावना है, "देखरेख एवं संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चा" के रूप में शामिल है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 05 मई, 2017 के अपने निर्णय में कहा है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(14) के अंतर्गत "देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे" वाक्यांश की परिभाषा को व्यापक परिभाषा नहीं माना जाना चाहिए। यह परिभाषा केवल निदर्शी है और देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए परिकल्पित लाभ वास्तव में ऐसे सभी बच्चों को प्रदान किए जाने चाहिए, जिन्हें राज्य द्वारा देखरेख और संरक्षण की जरूरत है। जे.जे. अधिनियम की धारा 2(21) के अनुसार, "बाल देखरेख संस्था" का अभिप्राय ऐसी सेवाओं के जरूरतमंद बच्चों को देखरेख एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त बाल गृह, खुले आश्रय, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा स्थल, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी तथा किसी उपयुक्त सुविधा से है। देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 29 और 30 के अनुसार बाल कल्याण समिति को दिए गए अधिकारों और दायित्वों के अंतर्गत मामला-दर-मामला आधार पर बाल कल्याण समिति द्वारा यथा-विहित संस्थागत देखरेख अथवा गैर-संस्थागत देखरेख प्राप्त करने के हकदार हैं। अधिनियम के निष्पादन का मूल दायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है।

(ख) और (ग) जे.जे. अधिनियम के तहत निर्मित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) मॉडल नियमावली, 2016 में सी.सी.आई. की स्थापना एवं निगरानी के लिए विस्तृत दिशानिर्देश उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) 2007 की रिट याचिका (सी.) संख्या 102 में अपने आदेश दिनांक 5 मई, 2017 के माध्यम से भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि 31 दिसम्बर, 2017 तक सभी गेर पंजीकृत सी.सी.आई. का पंजीकरण किया जाए। तदनुसार, मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों से सभी सी.सी.आई. का पंजीकरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है, वे चाहे राज्य सरकार द्वारा संचालित हों अथवा स्वैच्छिक या गेर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित हों। मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी कहा है कि ऐसी सभी संस्थाएं बंद कर दी जाएं, जिन्होंने पंजीकरण कराने से मना कर दिया है। इसके फलस्वरूप, 31.12.2017 तक 7700 से भी अधिक बाल देखरेख संस्थाओं के पंजीकरण की रिपोर्ट मिली है। मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 41 तथा इसके तहत बनाई गई जे.जे. नियमावली के तहत अधिदेश के अनुसार सभी सी.सी.आई. की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए कहा है।

[अनुवाद]

श्री आनंदराव अडसुल: महोदया, बच्चों के संरक्षण और एक सुरक्षित वातावरण में बच्चों को रखने के लिए बनी संस्थाएं ऐसा करने में पूर्णतया विफल रही हैं...*(व्यवधान)* बाल देखरेख संस्थाओं और शेल्टर होम में अवयस्क अप्राप्त बच्चों को शारीरिक और यौन शोषण की अधिकाधिक घटनाएं यह दर्शाती हैं कि राज्य और सिविल सोसाइटी दोनों संरक्षक और प्रहरी की भूमिका निभाने में असफल रहे हैं...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि स्कूल छात्रावासों में भी बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने के लिए प्रस्तावित है...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका संजय गांधी: महोदया, जे.जे. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी भी सुभेद्य बालक को ऐसा बालक माना जाता है जिसे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी इसका उल्लेख किया है...*(व्यवधान)* बच्चे जिन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, की परिभाषा निदर्शी है/संपूर्ण नहीं है। इसलिए स्कूलों में भी उन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होगी, परन्तु जब हम स्कूल/छात्रावासों की बात करते हैं, तो यह सी.सी.आई. अर्थात् बाल देखरेख संस्था के अंतर्गत आता है। यदि हम होस्टलों को सी.सी.आई. से अलग रखें तो हम बहुत परेशानी में पड़ जायेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे कार्यों की व्यापक सूची है जो सी.सी.आई. बच्चों के लिए किए जाने होंगे।...*(व्यवधान)* अब, जहां तक होस्टलों का संबंध है, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसलिए, जब वे बैठक करते हैं तो उन्हें इसके बारे में निर्णय करना होगा। फिलहाल, हम होस्टलों को सी.सी.आई. मान रहे हैं और हमारा कोई विशिष्ट मतभेद नहीं है...*(व्यवधान)* मुद्दा यह है कि प्रत्येक संस्था (बाल होस्टल या सी.सी.आई.)...*(व्यवधान)* में प्रत्येक बालक सुभेद्य है और उसके सुभेद्य होने का कारण यह है कि उसका जीवन कर्मचारीगण और देखभालकर्ता के व्यवहार पर निर्भर करता है।

अब हम प्रत्येक कर्मचारीगण और देखभालकर्ता की पृष्ठभूमि का विश्लेषण कैसे करेंगे? यह केवल स्कूल छात्रावास ही नहीं अपितु सभी सी.सी.आई. के लिए भी है...*(व्यवधान)* एक सरकार के रूप में पहला कार्य को हमने किया है वह यह है कि 70 वर्ष में पहली बार हमने प्रत्येक से रजिस्टर करवाया है। परिणामस्वरूप हमारे यहां पहली बार 8,244 संस्थाएं रजिस्ट्रीकृत हैं। इस प्रकार, अब हमारे पास उन सभी की सूची है, जिनसे ये संबद्ध हैं...*(व्यवधान)* इसमें से जो खराब सिद्ध हुए हैं और रजिस्ट्रीकृत हैं और इसमें से हमने अब तक 539 बंद कर दी है। इसमें से अधिकांश महाराष्ट्र में हैं।

अब मुद्दा यह है कि हमें पांव जमीन पर रखने हैं। चाहें हम बाल छात्रावासों के लिए नियम बनाएं या सी.सी.आई. के लिए नियम बनाएं, उन नियमों का कार्यान्वयन, कौन करेगा?...*(व्यवधान)* मैंने प्रत्येक संसद सदस्य को बार-बार लिखा है कि यदि वे स्वयं को अपने निर्वाचन क्षेत्र का मुखिया समझते हैं, तो उन्हें इन संस्थाओं में से प्रत्येक संस्था में जाना चाहिए। हमने प्रत्येक को एक सूची दी है।...*(व्यवधान)* उन्हें संस्थाओं में जाना चाहिए, मौके पर जांच करनी चाहिए और यह जानना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है। मैं यहां बैठ सकता हूं और बाद में जांच कर सकता हूं।

मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। मुज़फ्फरपुर में, हमने राज्य सरकार को इससे छह महीने पहले चेतावनी दी थी कि इस सी.सी.आई. में कुछ गलत हो रहा है।...*(व्यवधान)* उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने राज्य एन.सी.पी.सी.आर. से

जाकर जांच करने को कहा। उन्होंने जांच की और एक रिपोर्ट भी लिखी कि यह बहुत ही खराब है। छह महीने के लिए कुछ नहीं हुआ। न तो संसद सदस्य ने जांच की और न ही विधायकों ने जांच की और अंतत: यह बच्चों के लिए एक भयावह पीड़ा सिद्ध हुई...*(व्यवधान)* इसलिए, हमें वास्तव में आवश्यकता है कि स्थानीय स्तर पर वास्तविकता को और समझें यह मानें कि डी.एम. या डी.सी. जांच करेंगे। वे जांच नहीं करते हैं। हमें यह मानने की आवश्यकता है कि अधिकारी जांच करेंगे परन्तु वे जांच नहीं करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि होस्टल और सी.सी.आई., जो हमारे लिए एक ही हैं, वास्तव में जमीनी स्तर पर कार्य करें तो आपको स्वयं जांच करनी होगी...*(व्यवधान)* मैं यह सुझाव दूंगी कि संसद के प्रत्येक सदस्य को अपने क्षेत्र में इन संस्थाओं के बारे में प्रत्येक दल के विधायक के साथ बैठक करनी चाहिए और कृपया प्रत्येक माह हमें रिपोर्ट दें।

श्री आनंदराव अडसुल: महोदया, मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न के संबंध में, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यदि आवासी छात्रों के बारे में जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास विभाग की है तो आपके विभाग और उनके विभाग के बीच समन्वय बहुत आवश्यक है...*(व्यवधान)*

मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। विधि के अधीन, प्रत्येक बालक के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना होनी चाहिए। इसका कोई अनुमान नहीं है कि ऐसी संस्थाओं में रखे गए कितने बच्चे स्कूल भी जाते हैं। जब हम बाल अधिकारों से संबंध में बात करते हैं, तो कोई जवाबदेही और कोई तात्कालिता नहीं होती है। समस्या यह है कि जब संस्थाओं में बच्चों की बात होती है, तो हम वही मानक लागू नहीं करते हैं। जो हम अपने बच्चों पर लागू करते हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा। बच्चों को देखरेख का न्यूनतम मानक प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका संजय गांधी: पहले, हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय से समन्वय करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे रुग्णालय (इनफर्मटी) में हैं...*(व्यवधान)* इस मंत्रालय ने पहली बार प्रत्येक बालक को बहुमूल्य माना है और लगभग प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत संस्था के निरीक्षण शुरू किए हैं...*(व्यवधान)* अन्यथा, हम 500 से अधिक रजिस्ट्री रद्द हुई संस्थाओं का पता लगा नहीं पाते...*(व्यवधान)* हमारे पास प्रत्येक शेल्टर होम और उनके कार्यकरण के रिकार्ड उपलब्ध हैं। मेरे पास एक आउटरीच कार्यक्रम और हेल्पलाइन है। यह संस्थाओं में बच्चों से संबंधित हैं...*(व्यवधान)* यह 'चाइल्डलाइन' कहलाती है। परन्तु जब आप यह कह देते हैं कि हम बच्चों को अपना नहीं समझते तो क्या मैं माननीय सदस्य से एक प्रश्न पूछ सकती हूं? उनके बच्चे हैं। क्या वह इस क्षेत्र की बाल देखरेख संस्था में गए हैं? और यदि वह नहीं गए हैं तो वह यह कैसे कह सकते हैं कि अन्य लोग नहीं गए हैं?...*(व्यवधान)* पूरी बात यह है कि यदि आप बाल देखरेख संस्था में गए हैं और आप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उन बच्चों को अपने बच्चों के समान ही मानते हैं तो प्रत्येक संसद सदस्य ऐसा करेगा...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

एम्स दिल्ली में निजी सुरक्षा कर्मी

***243. डॉ. संजीव बालियान**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी सुरक्षा एजेंसियों से सुरक्षा कर्मियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में तैनात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह व्यवस्था कब से चल रही है;

(ग) ऐसे कर्मियों को अब तक प्रत्येक वर्ष किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अस्पताल में स्थाई और तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे चिकित्सकों की अलग-अलग संख्या कितनी है और बाहर से पैनल पर कार्य कर रहे चिकित्सकों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): (क) और (ख) वर्ष 1988 में एम्स, नई दिल्ली में निजी सुरक्षा एजेंसियों से लिए गए निजी सुरक्षा कार्मिक तैनात किए गए हैं। फिलहाल, 2187 सुरक्षा कार्मिक मैसर्स सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेस और मैसर्स स्विफ्ट सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेस और मैसर्स स्विफ्ट सिक्योरिटी प्रा.लि. से नियुक्त किए गए हैं।

(ग) विगत चार वित्तीय वर्षों के दौरान, इस तैनाती

के लिए निजी सुरक्षा एजेंसियों को किया गया भुगतान निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	किया गया भुगतान (रुपये करोड़ में)
1	2
2015-16	22.07
2016-17	25.74
2017-18	46.43
2018-19 (अक्तूबर, 2018 तक)	27.94

(घ) वर्तमान में, संस्थान में 658 फैकल्टीज (चिकित्सक) स्थायी आधार पर कार्य कर रहे हैं। संस्थान में कोई भी डॉक्टर तदर्थ आधार पर या बाहरी पैनल पर कार्य नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकरण

*244. **श्री प्रसून बनर्जी**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के कार्यकरण से संतुष्ट नहीं हैं; और

(ख) सदस्यों की नियुक्ति, विशेषकर आर.बी.आई. बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी, नहीं। जनवरी 2018 की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) का पर्यवेक्षण एवं विनियमन सुदृढ़ है तथा हाल के वर्षों में इसमें सुधार हुआ है।

आर.बी.आई. के केन्द्रीय बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 के उपबंधों के अनुसार, नामित किया जाता है जिसमें यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय बोर्ड में सरकारी निदेशकों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले चार निदेशक, आर.बी.आई. के चारों स्थानीय बोर्डों से, प्रत्येक बोर्ड से एक-एक, और

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दस निदेशक।

पी.एस.बी. का विदेश में परिचालन

*245. **श्री पिनाकी मिश्रा**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक (पी.एस.बी.) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपने विदेश के लगभग 70 परिचालनों को बंद करने अथवा युक्ति संगत बनाने की योजना बना रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे विदेशी परिचालनों में नियोजित कर्मचारियों और अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों का उन शाखाओं के कर्मचारियों और अधिकारियों को किस तरह स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के पूर्णकालिक निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा पी.एस.बी. को बैंक बोर्डों के अनुमोदन के अनुसार समुचित कार्रवाई के लिए एक सुधार एजेंडा भेजा गया था। इस एजेंडा में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा व्यवहार्यता के आधार पर लागत को कम करने एवं विदेशी बाजारों में समन्वय हेतु विदेशी परिचालनों को युक्तिसंगत बनाना तथा बैंक की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का लाभ उठाने हेतु अलग-अलग बैंकिंग कार्यनीति शामिल है, जिसमें सुदृढ़ क्षेत्रीय सम्पर्क के लिए शाखा नेटवर्क के युक्तिकरण को शामिल किया जा सकता है।

पी.एस.बी. ने यह सूचित किया है कि युक्तिसंगत किए जाने हेतु अभिचिह्नित विदेशी परिचालनों में कार्यरत बैंक कर्मचारियों को बैंक की नीतियों के अनुसार अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा/स्वदेश वापस भेजा जाएगा। युक्तिसंगत किए जाने हेतु अभिचिह्नित विदेशी परिचालनों की संख्या तथा ऐसे परिचालनों में नियोजित कर्मचारियों तथा अधिकारियों की कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पीएसबी के विदेशी परिचालनों का ब्यौरा

क्रम सं.	बैंक	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान युक्तिसंगत करने/बंद करने के लिए अभिचिन्हित विदेशी परिचालन	ऐसे विदेशी परिचालनों में नियोजित कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या
1.	इलाहाबाद बैंक	1	6
2.	आन्ध्रा बैंक	3	5
3.	बैंक आफ बड़ौदा	14	245
4.	बैंक आफ इंडिया	10	17
5.	केनरा बैंक	4	37
6.	कार्पोरेशन बैंक	2	2
7.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	3	10
8.	पंजाब नैशनल बैंक	5	8
9.	भारतीय स्टेट बैंक	10	23
10.	यूको बैंक	2	76
11.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1	7
	कुल	55	436

[हिन्दी]

किशोर न्याय अधिनियम

*246. **श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है जो विगत चार वर्षों के दौरान बाल दुर्व्यवहार के मामलों में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण), अधिनियम, 2015 देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए प्राथमिक कानून है। इसके अलावा, बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 में से ऐसे मामलों में पुलिस की विशिष्ट भूमिका निर्धारित की गई है और अधिदेशित कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए दंड निर्धारित किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 तथा पोक्सो अधिनियम, 2012 के निष्पादन का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सी.पी.सी.आर.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों को (एस.सी.पी.सी.आर.) पोक्सो

अधिनियम, 2012 तथा जे.जे. अधिनियम, 2015 के कारगर क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का कार्य सौंपा गया है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से 'बाल संरक्षण सेवा स्कीम' भी क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम में असुरक्षित बच्चों को संस्थागत और गैर-संस्थागत सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ परेशान बच्चों और उनके परिवारों के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध नि:शुल्क हैल्पलाइन 1098 की व्यवस्था है। मंत्रालय जे.जे. अधिनियम, 2015 के अंतर्गत यथा-निर्धारित अनिवार्य मॉनीटरिंग की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया था कि राज्य में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई का समन्वय और पर्यवेक्षण करने के लिए वरिष्ठ स्तर के नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने तदनुसार उपयुक्त अधिकारियों को नामित कर दिया है।

[अनुवाद]

सी.एस.आर. के रूप में आपदा राहत

***247. श्रीमती मीनाक्षी लेखी:** क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) है; में संशोधन करने की योजना है ताकि कंपनियों के लिये आपदा प्रबन्धन हेतु कायिक कोष का सृजन किये जाने को अनिवार्य बनाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक कंपनी के लिये अपना स्वयं का आपदा प्रबंधन कोष सृजित करना होगा अथवा राष्ट्रीय कोष में अंशदान देना आवश्यक होगा; और

(ग) क्या सरकार का सी.एस.आर. के भाग के रूप में जन जागरूकता अभियान, आपदा प्रबंधन किटों इत्यादि का वितरण आदि जैसे किन्हीं और गैर-वित्तीय दायित्वों को आरम्भ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (3) एवं (4) कंपनी बोर्ड को इस अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध मदों के लिए अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) निधियों के आवंटन के संबंध में निर्णय लेने के लिए शक्ति प्रदान करती है। मंत्रालय ने दिनांक 18 जून, 2014 के सामान्य परिपत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि 'आपदा राहत' में उन अधिकतर कार्यकलापों को कवर किया जा सकता है जो इस अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध विभिन्न मदों के अंतर्गत व्यापक रूप से कवर किए गए हैं।

[हिन्दी]

हरित भारत मिशन

***248. श्री मानशंकर निनामा:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिये बनाये गये 'हरित भारत मिशन' के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और लक्ष्य प्राप्त कर चुके राज्यों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वित्तीय वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा 'हरित भारत मिशन' के महत्व के दृष्टिगत इसे अन्य कई मंत्रालयों की योजनाओं, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), के साथ संबद्ध किया गया है अथवा किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डा. हर्षवर्धन): (क) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जी.आई.एम.) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य भारत के वनावरण का संरक्षण, पुनरुद्धार तथा संवर्धन करना और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन प्राप्त करना है। हरित भारत मिशन से संबंधित कार्यकलाप वित्त वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ किए गए थे। राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उनकी अपनी आयोजना के आधार पर वार्षिक प्रचालन योजना (ए.पी.ओ.) प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। यह एक अनवरत स्कीम है और प्रत्येक

राज्य से संबंधित लक्ष्यों का निर्धारण अनुमोदित वार्षिक प्रचालन योजनाओं तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। स्वीकृत लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I मे दिया गया है।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत अब तक बारह राज्यों को 200.76 करोड़ रु. की कुल धनराशि जारी की गई है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) हरित भारत मिशन को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) और प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन तथा आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के साथ मिलाने के लिए दिशानिर्देश क्रमशः मार्च और मई, 2015 में जारी किए गए थे।

विवरण-I

जीआईएम के तहत स्वीकृत लक्ष्यों और उपलब्धियों के राज्यवार विवरण नीचे दिए गए हैं :-

क्र.सं.	राज्य	2015-16 से 2017-18 तक का लक्ष्य स्वीकृत		2018-19 के दौरान लक्ष्य स्वीकृत	
		लक्ष्य (हे.)	उपलब्धि (हे.)	लक्ष्य (हे.)	उपलब्धि (हे.)
1.	आंध्र प्रदेश	534	534	2203	चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य स्वीकृत किए गए थे और अगले वित्तीय वर्ष में उपलब्धि दर्ज की जाएगी।
2.	छत्तीसगढ़	19128	19128	-	
3.	कर्नाटक	760	760	600	
4.	केरल	4978	2762	-	
5.	मणिपुर	8798	8798	-	
6.	मिजोरम	19,643	19,643	-	
7.	ओडिशा	2177.72	2177.72	6965	
8.	पंजाब	3436	3436	-	
9.	उत्तराखंड*	7483	-	-	
10.	मध्य प्रदेश	-	-	11914	
11.	महाराष्ट्र	-	-	6766.4	
12.	सिक्किम	-	-	1509.2	
	संपूर्ण	66937.72	57239.32	29957.6	

नोट: *वित्तीय वर्ष 2016-17 और वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपयोग के लिए फंड को अमान्य कर दिया गया। उपलब्धि अगले वित्तीय वर्ष में सूचित किया जाएगा।

विवरण-II

जीआईएम के तहत फंड जारी करना

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19
1	आंध्र प्रदेश	-	1.055	0.446	2.666
2	छत्तीसगढ़	23.386	20.230	10.953	5.361
3	कर्नाटक	1.055	0.869	0.857	1.623
4	केरल*	9.148	-	-	-
5	मणिपुर	8.348	7.823	6.416	4.888
6	मिजोरम	-	9.884	20.000	-
7	ओडिशा	1.829	1.390	1.406	4.743
8	पंजाब	6.115	-	6.217	-
9	उत्तराखंड*	20.209	-	-	-
10	सिक्किम	-	-	-	3.324
11	महाराष्ट्र	-	-	-	10.302
12	मध्य प्रदेश	-	-	-	10.225
	संपूर्ण	70.091	41.250	46.295	43.132

नोट: *वित्तीय वर्ष 2016-17 और वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपयोग के लिए फंड को अमान्य कर दिया गया था।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

***249. श्री आर. ध्रुवनारायण:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.) के अंतर्गत 90 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को 50,000 रुपये से कम का ऋण दिया गया है, जिससे शायद ही कोई उद्यम शुरू किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना ने लाभार्थियों की आय/परिसम्पत्ति बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं डाला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और एक सूक्ष्म इकाई की स्थापना करने के लिए पी.एम.एम.वाई. के अंतर्गत अधिक राशि स्वीकृत करने के लिए उचित उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) इस योजना को आरंभ किए जाने से लेकर अभी तक प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.) के अंतर्गत 15.26 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 54.3% ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग को मंजूर किए गए हैं। 73.27% उधारकर्ता महिलाएं हैं और 27.6% उधारकर्ता नए उद्यमी/नए खाताधारक

हैं। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए तक के ऋण को शिशु ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पी.एम.एम.वाई. के अंतर्गत दिए गए कुल ऋणों में शिशु श्रेणी के ऋणों के भाग निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	शिशु ऋण खातों की संख्या (लाख में)	कुल पी.एम.एम.वाई. ऋणों में से ऋण खातों की प्रतिशतता
2015-16	324.01	92.89
2016-17	364.98	91.93
2017-18	426.69	88.65
2018-19 (21.12.2018 तक)	259.68	88.84

पी.एम.एम.वाई. के अंतर्गत 60% से अधिक शिशु ऋण सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एम.एफ.आई.) तथा लघु वित्त बैंकों (एस.एफ.बी.) द्वारा दिए जाते हैं। शिशु ऋण आय सृजन के नए तथा मौजूदा कार्यकलापों के सहायतार्थ दिए जाते हैं जिनसे पारिवारिक आय को बढ़ाने में सहायता मिलती है।

(ग) और (घ) 12 राज्यों में पी.एम.एम.वाई. उधारकर्ताओं को कवर करते हुए वर्ष 2016 में किए गए स्वतंत्र अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि 84% पी.एम.एम.वाई. उधारकर्ताओ ने यह स्वीकार किया है कि ऋण से उन्हें अपनी आय से 20 से 30% बढ़ाने में सहायता मिली है। इस अध्ययन के अनुसार शिशु ऋण के कारण छोटे दुकानदारों तथा विक्रेताओ की कार्यशील पूंजी की कुछेक आवश्यकताओं के पूरा होने के कारण उनकी कारोबारी क्षमता सामने आई है। इन ऋणों से व्यवसायियों को अपने मौजूदा प्रस्तावों में उत्पाद को बढ़ाने तथा ग्राहकों के बड़े वर्ग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी वस्तुओं की सूची में वृद्धि करने में सहायता मिली है।

(ङ) पी.एम.एम.वाई. के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के ऋण तीन श्रेणियों नामत: शिशु, किशोर और तरुण के रूप में पहले से ही उपलब्ध हैं। भुगतान के बेहतर पिछले कार्यनिष्पादन रिकॉर्ड के कारण इन श्रेणियों के अंतर्गत उधारदात्री संस्थाओं से अधिक राशि के ऋण प्राप्त करने की शिशु ऋण उधारकर्ताओं की क्षमता में वृद्धि हुई है। पी.एम.एम.वाई. ऋण के अंतर्गत ऋण से वर्ष-दर-वर्ष इसमें वृद्धि की प्रवृति परिलक्षित हुई है।

[हिन्दी]

बैंकों के लाभ में कमी

***250. श्री राम टहल चौधरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-निष्पादन आस्तियों (एन.पी.ए.) के कारण अनेक बैंकों ने अपने लाभ में कमी की सूचना दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-निष्पादन आस्तियों के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ में बैंक-वार कितनी कमी हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कितने बैंक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) परिशुद्ध तथा पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में आरंभ की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (ए.क्यू.आर.) से अनर्जक आस्तियों (एन.पी.ए.) में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। दबावग्रस्त ऋणों पर अनुमानित हानियों, जिनके लिए पूर्व में पुनर्संरचित ऋणों के अंतर्गत प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत प्रावधान नहीं किए गए थे, को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया तथा इनके लिए प्रावधान किए गए। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने एन.पी.ए. की पहचान करके परिशोधन का कार्य आरंभ किया और संभावित हानियों के लिए प्रावधान किए। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही के दौरान दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाएं वापस ले ली गई थीं। परिणामत: जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने पिछली छमाही (प्रथम छमाही-वित्तीय वर्ष 19) (01.04.2018 से 30.09.2018 तक) के दौरान समग्र रूप से 47,221 करोड़ रुपए के परिचालन लाभ दर्ज किए हैं, परन्तु यह लाभ गत वर्ष की इसी अवधि (प्रथम छमाही - वित्तीय वर्ष 18) के दौरान हुए 49,466 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में कम है, उनके निवल लाभ में कमी मुख्यत: वर्ष 2015 में आरंभ किए गए ए.क्यू.आर. के परिणामस्वरूप पहचान किए

गए एन.पी.ए. के लिए पुराने प्रावधान को जारी रहने और दबावग्रस्त आस्तियों के संबंध में दिनांक 12.02.2018 को जारी आर.बी.आई. की संशोधित समाधान संरचना के तहत की गई पहचान सहित बैंकों के द्वारा पारदर्शी पहचान किए जाने के कारण हुई। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने एन.पी.ए. तथा अन्य आकस्मिकताओं के लिए वित्तीय वर्ष 19 की प्रथम छमाही के दौरान कुल 57,015 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इसके अलावा बाण्ड प्रतिलाभ के स्थिर होने के कारण इन बैंकों को उसी अवधि के दौरान अपने निवेश पोर्टफोलियो पर बाजार मूल्य की तुलना में कुल 10,400 करोड़ रुपये की हानि हुई। वित्तीय वर्ष 19 की अंतिम छमाही के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ और हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में, एन.पी.ए. खातों में स्टाफ की चूक के कारण 6,049 अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया गया और चूक की गंभीरता के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ, सेवा से बर्खास्तगी/हटाने/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निम्नतर स्तर पर पदावनत करने, समय वेतनमान में कम करके निम्नतर ग्रेड करने सहित दोषी अधिकारियों पर छोटी शास्ति/बड़ी शास्ति लगायी गई। सभी मामलों में अंतर्ग्रस्त राशि के आधार पर सी.बी.आई./पुलिस में शिकायतें दर्ज की गई हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ और हानि का ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपए में)

	परिचालन लाभ		एनपीए के लिए प्रावधान		निवल लाभ	
	सितम्बर 17 को समाप्त छमाही	सितम्बर 18 को समाप्त छमाही	सितम्बर 17 को समाप्त छमाही	सितम्बर 18 को समाप्त छमाही	सितम्बर 17 को समाप्त छमाही	सितम्बर 18 को समाप्त छमाही
1	2	3	4	5	6	7
इलाहाबाद बैंक	2,393	1,364	3,156	4,582	99	-3,767
आन्ध्रा बैंक	2,670	2,512	2,795	2,543	-345	-974
बैंक आफ बड़ौदा	5,690	6,088	3,919	4,233	826	954
बैंक आफ इंडिया	4,612	3,516	4,023	5,087	267	-1,061
बैंक आफ महाराष्ट्र	1,225	1,265	1,993	2,452	-435	-1,092
केनरा बैंक	4,952	5,260	4,220	4,869	512	581
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1,320	892	2,820	879	-1,327	-2,446
कार्पोरेशन बैंक	2,079	2,430	4,046	2,237	-975	188
देना बैंक	686	702	783	787	-318	-1,138

1	2	3	4	5	6	7
इंडियन बैंक	2,628	2,489	1,315	-719	824	359
इण्डियन ओवरसीज बैंक	1,815	2,436	3,864	3,938	-1,722	-1,407
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2,560	1,697	4,738	2,055	-2,236	-291
पंजाब नैशनल बैंक	664	759	537	1,196	39	-507
पंजाब एंड सिंध बैंक	6,496	7,034	5,206	9,686	904	-5,472
सिंडिकेट बैंक	2,154	1,129	2,120	3,397	-158	-2,824
यूको बैंक	853	1,688	2,528	3,449	-1,286	-1,770
यूनियन बैंक आफ इंडिया	4,472	3,861	6,202	3,513	-1,414	269
युनाइटेड बैंक	710	489	1,067	1,795	-556	-1,272
विजया बैंक	1,487	1,611	861	1,036	440	284
सभी राष्ट्रीयकृत बैंक	49,466	47,221	56,193	57,015	-6,861	-21,388

स्रोत: आरबीआई

[अनुवाद]

वायु प्रदूषण

*251. **श्री मल्लिकार्जुन खड़गे**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली, भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक है और यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक खतरे वाली आपात स्थिति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शहरों में वाहन यातायात, धूल और निर्माण गतिविधियों के अतिरिक्त वायु प्रदूषण करने वाले कौन से कारक हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से और दीर्घावधि योजना के आधार पर शहरों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में विविक्त कणों के संबंध में वायु प्रदूषण के उच्च स्तरों सहित संबंधित जन स्वास्थ्य खतरे देखे गए हैं।

(ख) प्रमुख वायु प्रदूषण स्रोतों (मुख्यतः NO_x, PM_{10} और $PM_{2.5}$) और शहरों में परिवेशी वायु प्रदूषण स्तरों में उनके योगदान का पता लगाने के लिए कई अध्ययन आयोजित किए गए हैं। वाहनीय यातायात, धूल-कण और निर्माण कार्यकलापों के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण के अन्य स्रोतों में बायोमास को जलाना, ठोस अपशिष्ट को जलाना, उद्योग आदि शामिल हैं। वायु प्रदूषण के स्रोतों के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना (सी.ए.पी.) अधिसूचित की गई है। केन्द्रीय सरकार ने व्यापक रीति से देशभर में बढ़ती हुई वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए दीर्घावधि समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र की "प्रदूषण नियंत्रण" स्कीम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन.सी.ए.पी.) को अंतिम रूप भी दिया है। एन.सी.ए.पी. के तहत शहर-विशिष्ट कार्य योजना के प्रतिपादन और कार्यान्वयन

के लिए एक सौ दो (102) गैर-अनुपालनकर्ता शहरों का चयन किया गया है।

सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के लिए ग्रेडेड रिस्पान्स कार्य योजना संबंधी अधिसूचना; स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधन जैसे गैसीय ईंधन (सी.एन.जी., एल.पी.जी. आदि) की शुरुआत करना; एथोनोल मिश्रण, वर्ष 2017 से बी.एस.-IV का सार्वभौमिककरण; 1 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में बी.एस.-IV से सीधे बी.एस.-IV ईंधन मारक अपनाना और 1 अप्रैल 2020 से इन्हें शेष भारत में अपनाना; निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना; बायोमास के जलाने पर प्रतिबन्ध लगाना; निर्माण और विध्वंस कार्यकलापों के लिए धूलकण उपशमन उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में अधिसूचनाएं; निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना, सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा देना; नियंत्रणाधीन प्रदूषण प्रमाण-पत्र के जारी करने को सुग्राही बनाना; वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1) (ख) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 के तहत निदेश जारी करना इत्यादि शामिल है।

विवरण

वायु प्रदूषण के स्रोतों और उनके योगदानों के संबंध में किए गए अध्ययन का ब्यौरा

1. दिल्ली में वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के संबंध में विस्तृत अध्ययन निम्नलिखित द्वारा किया गया:

आईआईटी कानपुर

प्रकाशन का वर्ष: 2016

शामिल किए गए शहर - दिल्ली

अभिज्ञात स्रोत-

स्रोत	छ: मानीटर किए गए अवस्थानों के लिए औसत			
	% योगदान (PM_{10})		% योगदान ($PM_{2.5}$)	
	सर्दी	गर्मी	सर्दी	गर्मी
वाहन	19.7	6.4	25.1	8.5
गौण विविक्त	24.6	10.15	29.9	14.9
बायोमास को जलाना	16.7	6.8	25.8	12.2
उद्योग	0.65	1.05	0.8	1.2
कोयला और फ्लाई ऐश	12.3	37.2	4.8	25.95
निर्माण सामग्री	3.1	4.1	1.5	3.0
मृदा और सड़क धूल कण	14.4	26.5	4.3	27.1
ठोस अपशिष्ट को जलाना	8.75	7.75	7.75	7.2

2. प्रमुख स्रोतों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के $PM_{2.5}$ और PM_{10} का स्रोत संविभाजन अध्ययन निम्नलिखित द्वारा किया गया: टीईआरआई, एआरएआई

प्रकाशन का वर्ष: 2018

शामिल किए गए शहर - दिल्ली - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

स्रोत	नौ निगरानी स्थानों के लिए औसत			
	% योगदान (PM_{10})		% योगदान ($PM_{2.5}$)	
	सर्दी	गर्मी	सर्दी	गर्मी
धूल और निर्माण	31	42	15	34
गौण विविक्त	23	15	26	17
वाहन	18	15	23	18
बायोमास	14	12	22	15
उद्योग	10	12	10	11
अन्य	4	4	4	5

लिंग भेद की वजह से मौतें

*252. **श्री जितेन्द्र चौधरी:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लान्सेट की एक रिपोर्ट के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु की लगभग 2.39 लाख लड़कियां लिंग-आधारित भेद-भाव से जुड़ी अनदेखी की वजह से मरती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में युवा लड़कियों की कुल मौतों में से 22 प्रतिशत मौतों का कारण लिंग भेद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्ययन में यह भी उजागर हुआ है कि देश में 70 प्रतिशत से अधिक परिहार्य मौतें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होती हैं तथा यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) लैन्सेट रिपोर्ट के बारे में इस मंत्रालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से मृत्यु दर तथा मृत्यु दर को कम करने के लिए उस मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों के बारे में सूचना इस प्रकार है:

नमूना पंजीकरण प्रणाली, 2016 के अनुसार, भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मे बच्चों के पीछे 39 है। तथापि, बालिकाओं की मृत्यु दर 41, जबकि बालकों की मृत्यु दर 37 है। वर्ष 2011 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 55 थी। बालिकाओं की दर 59 थी जब कि बालकों की मृत्यु दर 59 थी। बालिकाओं की मृत्यु दर में 18 प्वाइंट्स की जबकि बालकों की मृत्यु दर में 14 प्वाइंट्स की गिरावट आई है। इस प्रकार जेंडर अन्तर 2011 में 8 प्वाइंट्स से घटकर 2016 में 4 प्वाइंट्स रह गया है। ब्यौरा निम्नानुसार है:

नमूना पंजीकरण प्रणाली (एस.आर.एस.) वर्ष	5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर	5 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की मृत्यु दर	5 वर्ष से कम आयु के लड़कों की मृत्यु दर
1	2	3	4
एस.आर.एस. 2011	55	59	51

1	2	3	4
एस.आर.एस. 2016	39	41	37
प्वाइंट्स की कमी (2011 से 2016)	16	18	14
प्रतिशत में तुलनात्मक कमी	29%	30.5%	27.4%

1000 जीवित जन्मों के पीछे शिशु मृत्यु दर का राज्यवार रुख संलग्न विवरण में दिया गया है।

5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम और स्कीमें चलाई जा रही हैं तथा केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उन्हें वित्तीय सहायता दिए जाने की सिफारिश करती है।

(1) जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत नकद प्रोत्साहन राशि के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, जिसके अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाएं बिल्कुल निःशुल्क प्रसवपूर्व जांच कराने, सिजेरियन सेक्सन सहित प्रसव कराने, प्रसवोपरांत देखरेख कराने तथा एक वर्ष की आयु तक बीमार शिशुओं का उपचार कराने की पात्र होती हैं।

(2) बीमार और छोटे बच्चों की देखरेख के लिए सभी प्रसव केन्द्रों में अनिवार्य नवजात देखरेख, विशेष नवजात देखरेख इकाइयों, नवजात स्थिरीकरण इकाइयों तथा कंगारू मातृ देखरेख इकाइयों की स्थापना सुनिश्चित करते हुए व्यापक और स्तरीय प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रसव केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण। बच्चों के पालन-पोषण की पद्धतियों में सुधार लाने के लिए गृह आधारित नवजात देखरेख तथा छोटे बच्चों की गृह आधारित देखरेख आशा द्वारा प्रदान की जा रही है।

(3) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर शीघ्र स्तनपान तथा पहले 6 माह तक केवल स्तनपान और उपयुक्त शिशु एवं बाल आहार (आई.वाई.सी.एफ.) प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने तथा स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा सहित जच्चा-बच्चा देखरेख पर जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वी.एच.-एन.डी.) मनाए जाते हैं। मास मीडिया अभियान तथा स्वास्थ्य सुविधाओं एवं समुदायों में स्वास्थ्य देखरेख प्रदाताओं के क्षमता निर्माण के माध्यम से स्तनपान कराने की प्रथाओं (पहले घण्टे के अंदर स्तनपान शुरू करना, 6 माह तक केवल स्तनपान और 2 वर्षों तक पूरक आहार) में सुधार के लिए मातृ परम स्नेह (मां) कार्यक्रम।

(4) अनेक जानलेवा बीमारियों जैसे कि टी.बी., डिप्थिरिया, काली खांसी, पोलियो, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी. तथा खसरा के विरुद्ध बच्चों के टीकाकरण के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यू.आई.पी.) को सहायता प्रदान की जा रही है। ऐसे बच्चों के पूर्ण टीकाकरण के लिए मिशन इन्द्रधनुष तथा गहन मिशन इन्द्रधनुष शुरू किया गया जिनका या तो टीकाकरण नहीं हुआ है या आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है; जिन्हें विभिन्न कारणों से नेमी टीकाकरण के चक्करों के दौरान शामिल नहीं किया गया है।

(5) माताओं एवं 2 साल तक की आयु के बच्चों की नाम आधारित ट्रैकिंग (जच्चा-बच्चा ट्रैकिंग प्रणाली) की जाती है ताकि अनुसूची के अनुसार पूर्ण प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन, प्रसव पश्चात देखरेख एवं पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके।

(6) समुदाय में 0-18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी

बच्चों को व्यापक देखरेख प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य जांच, जन्मजात दोषों, बीमारियों, खामियों, विकास में विलम्ब का समय से पता लगाने तथा समय से सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(7) चिकित्सा जटिलताओं के साथ दाखिल गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों के उपचार और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं।

(8) भेद्य आयु वर्गों में रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड (आई.एफ.ए.) सम्पूरण, केवल स्तनपान को बढ़ावा देने तथा बच्चों में अतिसार के प्रबंधन के लिए ओ.आर.एस. एवं जिंक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आसा द्वारा घरों का दौरा किया जाता है।

(9) स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देने तथा सेवाओं के लिए मांग सृजित करने और उनमें सुधार के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा स्वभाव परिवर्तन संचार (बी.सी.सी.)।

(10) स्वास्थ्य देखरेख प्रदाताओं का क्षमता निर्माण: गर्भावस्था, प्रसूति के दौरान मां की बुनियादी एवं व्यापक प्रसूति देखरेख एवं आवश्यक नवजात देखरेख में स्वास्थ्य देखरेख प्रदाताओं के कौशलों का निर्माण करने और अपग्रेड करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संचालित किए जा रहे हैं।

विवरण-I

पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की राज्य-वार मृत्यु दर

	2011			2012			2013			2014			2015			2016		
राज्य	टी	एम	एफ	टी	एम	एफ	टी	एम	एफ	टी	एम	एफ	टी	एम	एफ	टी	एम	एफ
इंडिया	55	51	59	52	49	56	49	47	53	45	42	49	43	40	45	39	37	41
आंध्र प्रदेश	45	42	49	43	40	46	41	40	42	40	39	41	39	37	42	37	36	38
असम	78	75	82	75	71	80	73	68	77	66	63	70	62	58	66	52	48	57
बिहार	59	56	62	57	54	60	54	51	58	53	49	58	48	43	54	43	35	41
छत्तीसगढ़	57	49	66	55	48	62	53	47	59	49	44	55	48	45	51	49	49	48
दिल्ली	32	29	35	28	27	30	26	25	28	21	19	24	20	18	23	22	22	23
गुजरात	52	49	54	48	46	50	45	44	46	41	40	23	39	38	41	33	34	33
हरियाणा	51	45	58	48	45	52	45	42	49	40	37	43	43	41	46	37	34	42
हिमाचल प्रदेश	46	43	49	43	40	46	41	37	45	36	35	37	33	34	32	27	26	29
जम्मू और कश्मीर	45	45	45	43	42	45	40	40	39	35	33	37	28	25	31	26	25	28
झारखंड	54	45	63	50	47	54	48	45	51	44	40	48	39	35	44	33	31	35
कर्नाटक	40	38	42	37	35	39	35	33	36	31	30	33	31	31	32	29	26	31
केरल	13	12	14	13	12	14	12	11	14	13	12	15	13	12	14	11	10	12
मध्य प्रदेश	77	72	82	73	69	78	69	65	74	65	60	70	62	63	61	55	58	52
महाराष्ट्र	28	27	28	28	27	28	22	26	27	23	23	24	24	21	26	21	20	23
ओडिशा	72	70	74	68	67	70	66	65	68	60	58	61	56	56	55	50	49	51
पंजाब	38	33	43	34	29	40	31	26	36	27	24	31	27	27	26	24	24	25
राजस्थान	64	57	72	59	52	67	57	50	65	51	47	57	50	44	56	45	42	49
तमिलनाडु	25	23	27	24	23	26	23	22	24	21	22	21	20	20	21	19	19	19
तेलंगाना										37	36	39	34	33	35	34	33	34
उत्तर प्रदेश	73	67	81	68	62	75	64	60	70	57	52	63	51	49	53	47	46	49

उत्तराखंड										36	33	40	38	36	41	41	38	45
पश्चिम बंगाल	38	37	40	38	37	39	35	34	35	30	28	32	30	28	31	27	27	28

विवरण-II

राज्य-वार शिशु मृत्यु दर (यू5एमआर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011			2012			2013			2014			2015			2016		
	टी	एम	एफ	टी	एम	एफ	टी	एम	एफ	टी	एम	एफ	टी	एम	एफ	टी	एम	एफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
इंडिया	44	43	46	42	41	44	40	39	42	39	37	40	37	35	39	34	33	36
आंध्र प्रदेश	43	40	46	41	40	43	39	39	40	39	38	39	37	36	38	34	33	35
असम	55	55	56	55	54	57	54	53	55	49	49	49	47	47	47	44	43	45
बिहार	44	44	45	43	42	45	42	40	43	42	39	46	42	36	50	38	31	46
छत्तीसगढ़	48	47	50	47	46	47	46	45	47	43	41	44	41	40	41	39	39	38
दिल्ली	28	25	31	25	24	26	24	23	25	20	18	22	18	18	19	18	18	17
गुजरात	41	39	42	38	36	39	36	35	37	35	34	37	33	33	34	30	31	30
हरियाणा	44	41	48	42	41	44	41	40	42	36	35	38	36	36	37	33	31	35
जम्मू और कश्मीर	41	40	41	39	38	40	37	36	38	34	33	36	26	25	27	24	24	25
झारखंड	39	36	43	38	36	39	37	35	38	34	32	36	32	30	35	29	27	31
कर्नाटक	35	34	35	32	30	34	31	30	32	29	27	30	28	26	30	24	22	27
केरल	12	11	13	12	10	13	12	10	13	12	10	13	12	10	13	10	9	11
मध्य प्रदेश	59	57	62	56	54	59	54	52	55	52	51	53	50	51	48	47	49	44
महाराष्ट्र	25	24	25	25	24	26	24	23	25	22	21	22	21	19	22	19	18	19
ओडिशा	57	55	58	53	52	54	51	50	52	49	48	51	46	45	47	44	44	44
पंजाब	30	28	33	28	27	29	26	25	27	24	23	25	23	22	24	21	20	21
राजस्थान	52	50	53	49	47	51	47	45	49	46	44	49	43	40	47	41	39	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
तमिलनाडु	22	21	23	21	21	22	21	20	21	20	20	20	19	19	19	17	18	17
तेलंगाना										35	34	35	34	33	34	31	31	30
उत्तर प्रदेश	57	55	59	53	52	55	50	49	52	48	47	50	46	44	48	43	41	45
उत्तराखंड	36	34	38	34	33	35	32	30	33	33	31	34	34	31	38	38	36	41
पश्चिम बंगाल	32	30	34	32	31	33	31	30	33	28	26	31	26	25	28	25	24	26
अरुणाचल प्रदेश	32	33	31	33	32	35	32	32	33	30	28	32	30	31	30	36	35	37
गोवा	11	7	14	10	8	12	9	8	10	10	8	11	9	8	11	8	8	9
हिमाचल प्रदेश	38	36	39	36	35	38	35	33	36	32	30	35	28	28	27	25	23	26
मणिपुर	11	8	15	10	10	11	10	9	10	11	10	11	9	8	10	11	10	13
मेघालय	52	52	52	49	48	50	47	46	48	46	44	49	42	42	43	39	41	37
मिजोरम	34	31	37	35	33	37	35	33	37	32	32	33	32	33	32	27	26	29
नागालैंड	21	15	26	18	15	22	18	14	23	14	15	14	12	10	15	12	5	21
सिक्किम	26	23	30	24	22	27	22	20	25	19	16	23	18	15	21	16	13	19
त्रिपुरा	29	29	29	28	26	29	26	22	30	21	19	23	20	19	21	24	25	22
अंडमान और निकोबार दीप समूह	23	19	27	24	18	31	24	20	28	22	20	24	20	17	23	16	15	17
चंडीगढ़	20	21	19	20	19	22	21	20	22	23	19	27	21	20	23	14	13	14
दादर और नगर हवेली	35	35	36	33	31	35	31	29	34	26	24	28	21	21	21	17	16	17
दमन और दीव	22	17	27	22	20	25	20	19	20	18	20	15	18	18	19	19	19	19
लक्षद्वीप	24	27	20	24	23	25	24	19	29	20	14	26	20	20	19	19	22	15
पुदुचेरी	19	17	20	17	15	18	17	15	19	14	12	16	11	8	14	10	9	12

अंगों की उपलब्धता

*253. **श्री जैदेव गल्ला:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंगों की अनुपलब्धता के कारण देश में प्रति वर्ष लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या ज्ञान, जागरूकता एवं अवसंरचना का अभाव देश में अंगदान को बाधित करने वाले मुख्य कारण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में प्रति वर्ष करीब 2 लाख रोगियों को गुर्दे की आवश्यकता होती है जबकि मात्र 15,000 गुर्दे ही उपलब्ध होते है तथा लगभग 1 लाख लोग यकृत रोगों से मरते हैं तथा मात्र 1,000 लोगों के यकृत का ही प्रत्यर्पण हो पाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा शवों से अंगों को न ले पाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) लोगों के लिये अंगों की अधिकाधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): (क) अंगों की अनुपलब्धता के कारण देश में मृत्यु की संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, हां। देश में अंग दान में बाधा उत्पन्न होने के कई कारण हैं जिनमें जानकारी, जागरूकता और बुनियादी सुविधाओं की कमी शामिल है।

(ग) किडनी और लीवर की मांग और आपूर्ति के संबंध में केंद्रीय तौर पर सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, किडनी और लीवर की अनुमानित आवश्यकता और किए गए अंग प्रत्यारोपण की संख्या निम्नानुसार है:

अंग	प्रति वर्ष अंग विफलता वाले नए रोगियों के प्रत्यारोपणों की आवश्यकता	प्रति वर्ष किए गए अंग प्रत्यारोपणों की अनुमानित संख्या (2017 अनुमान)
किडनी	2,00,000	8000-10000
लीवर	30,000	1800-2000

(घ) कैडेवर्स से अंगों को प्राप्त न कर पाने के मुख्य कारणों में अंग दान के प्रति जागरूकता की कमी, ब्रेन स्टेम डेथ की अवधारणा की कमी, अस्पतालों द्वारा खराब ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन और अंग दान और प्रत्यारोपण के लिए कई राज्यों में कमजोर बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।

(ङ) सरकार पूरे देश में अंग दान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एन.ओ.टी.पी.) लागू कर रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायोमेट्रिक केन्द्र के साथ-साथ एक शीर्ष स्तरीय संगठन अर्थात राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोटो), पांच अन्य क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (रोटो) स्थापित किए गए हैं और इस उद्देश्य के लिए कार्यात्मक बनाए गए हैं। इसके अलावा, राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (सोटो) स्थापित करने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल को भी धनराशि स्वीकृत की गई है।

नोटो में एक वेबसाइट है जो सभी संबंधितों को प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करती है और एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर (1800114770) के साथ-साथ एक 24x7 कॉल सेंटर चालू किया गया है। देश में विभिन्न स्थानों पर सूचनाओं का प्रसार और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल भारतीय अंग दान दिवस मनाने जैसी गतिविधियों, सेमिनार, कार्यशालाएं, वाद-विवाद, खेल कार्यक्रम, वॉक थॉन, मैराथन में भागीदारी, नुक्कड़ नाटक आदि भी आयोजित किए जाते हैं। दूरदर्शन और अन्य टेलीविजन चैनलों पर कैडेवर ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑडियो-विजुअल संदेश प्रसारित किए जाते हैं।

इसके अलावा, एन.ओ.टी.पी. में प्रत्येक राज्य/क्रेन्द्र शासित प्रदेश में राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों (सोटो) की स्थापना, 10 बायोमेट्रिक केंद्रों की स्थापना, नए केन्द्रों के विकास और मौजूदा पुनःप्राप्ति केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी कॉलेजों में प्रत्यारोपण इकाइयों के सुदृढ़ीकरण, और पुनःप्राप्ति (गैर-प्रत्यारोपण अंग पुनर्प्राप्ति केंद्र)/कैडेवर के रखरखाव के लिए प्रत्यारोपण केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता तथा मेडिकल कॉलेजों और ट्रॉमा सेंटरों में प्रत्यारोपण समन्वयकों का प्रावधान करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

सी.जी.एच.एस. लाभार्थी

*254. **श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एच.) से प्रत्यायित समस्त निजी अस्पतालों में सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों के उपचार की अनुमति दिये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सी.जी.एच.एस. तथा पी.एम.जे.ए.वाई. लाभार्थियों के उपचार को प्रत्यायन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अनिवार्य बनाये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

वृक्षों को गैर-कानूनी रूप से गिराया जाना

*255. **श्री विजय कुमार हांसदाक:**

श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनों में वृक्षों को गैर-कानूनी रूप से गिराये जाने में वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत की सूचनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें संलिप्त पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विगत तीन वर्षों के दौरान उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अभिज्ञात अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो वर्तमान में सरकारी प्रतिष्ठानों में सेवारत हैं तथा उनके सेवा में बने रहने के क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): (क) से (ग) वृक्षों को गैर-कानूनी रूप से काटे जाने में राज्य वन विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली-भगत से संबंधित शिकायतों का समाधान राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार में पदस्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

वृक्षों के संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारी पर होती है। देश के वृक्ष संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए मजबूत कानूनी ढांचे उपलब्ध हैं, जिनमें राष्ट्रीय वन नीति, 1988, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और राज्य वन अधिनियम/राज्य विशेष के वृक्ष संरक्षण अधिनियम तथा नियम आदि शामिल हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें वनों के संरक्षण के लिए इन अधिनियमों/नियमों के तहत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाइयां करती हैं।

मंत्रालय को त्रिपुरा में वृक्षों को गैर-कानूनी रूप से काटे जाने में वन अधिकारियों की कथित मिली-भगत के संबंध में दिनांक 01.03.2016 को केवल एक सूचना प्राप्त हुई थी। उस शिकायत को संबंधित कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार आगे की जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया था कि जांच कराई गई और उस जांच के आधार पर दो सरकारी कर्मचारी (वन रेंजर और फोरेस्टर) संलिप्त पाए गए थे और राज्य सरकार द्वारा राज्य में लागू दंड एवं अपील नियमों के तहत उन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

*256. **श्री तेज प्रताप सिंह यादव:**

श्रीमती अंजू बाला:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) के प्रभाव के मूल्यांकन का कोई अध्ययन आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के तहत अब तक नामांकित महिलाओं तथा नकदी अंतरण के रूप में प्रदत्त कुल राशि का वर्ष एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के तहत अब तक आवंटित, जारी की गई एवं उपयोग की गई धनराशि का वर्ष एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पी.एम.एम.वी.वाई. के कार्यन्वयन में तेजी लाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) जी, नहीं। सरकार ने 01.01.2017 से पूरे देश में कार्यान्वयन के लिए 17.05.2017 को प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) जो केंद्रीय प्रायोजित सशर्त नकद अंतरण स्कीम है, के अखिल भारतीय कार्यन्वयन को मंजूरी प्रदान की है। यह स्कीम वेब आधारित प्रबंध एवं सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) सॉफ्टवेयर अर्थात प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना-सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पी.एम.एम.वी.वाई.-सी.ए.एस.) जो 01.09.2017 को लांच किया गया, के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन में अभी केवल एक वर्ष पूरे हुए हैं और इसलिए अब तक स्कीम का कोई प्रभाव आकलन अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के आरंभ होने के बाद से 10.12.2018 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत महिलाओं की संख्या, नकदी प्रोत्साहन का भुगतान प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या तथा नकदी प्रोत्साहन के रूप में अंतरित की गई कुल राशि का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) संस्वीकृत/निर्मुक्त तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त निधियों का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) के कार्यान्वयन की गति तेज करने के उद्देश्य से सर्वोच्च स्तरीय निगरानी के लिए क्षेत्रीय समीक्षा बैठक सह कार्यशालाएं तथा राष्ट्रीय कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। सभी राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी निगरानी की जाती है ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर सभी अधिकारियों द्वारा अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। यह स्कीम वेब आधारित प्रबंध एवं सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) सॉफ्टवेयर अर्थात प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना - सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पी.एम.एम.वी.वाई.-सी.ए.एस.) जो स्कीम की नियमित निगरानी के लिए प्रभावी उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण-I

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 (10.12.2018 तक) के दौरान पंजीकृत महिलाओं की संख्या, नकद प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या तथा नकद प्रोत्साहन के रूप में अंतरित की गई कुल राशि का वर्ष और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (पीएमएमवीवाई-सीएएस पर 10.12.2018 को अपलोड किए गए के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2017-18			2018-19 (10.12.2018 तक)		
		पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या	भुगतान प्राप्त राशि की की लाभार्थियों की संख्या	कुल अंतरित राशि (रुपये लाख में)	पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या	भुगतान प्राप्त राशि की लाभार्थियों की संख्या	कुल अंतरित राशि (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,112	1,211	37.24	597	1,378	63.11

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	2,97,735	1,53,099	4,148.68	2,05,462	2,69,878	11,388.78
3.	अरुणाचल प्रदेश	836	38	0.94	2,867	2,722	91.31
4.	असम	26,684	7,800	104.15	66,018	69,313	1,385.02
5.	बिहार	1,32,241	46,006	570.62	1,39,746	1,20,414	2,422.08
6.	चंडीगढ़	4,680	3,487	106.49	4,766	5,158	201.33
7.	छत्तीसगढ़	94,279	42,817	664.60	89,570	1,02,728	3,418.66
8.	दादरा और नगर हवेली	1,474	603	8.35	1,684	2,051	72.16
9.	दमन और दीव	276	1	0.12	1,538	1,256	37.65
10.	दिल्ली	35,755	11,478	407.89	32,527	48,353	1,715.52
11.	गोवा	3,341	1,350	62.76	3.966	5,454	204.65
12.	गुजरात	1,44,217	81,231	2,479.65	1,57,708	1,83,407	7,161.14
13.	हरियाणा	91,961	43,126	1,270.74	1,20,597	1,42,814	5,861.10
14.	हिमाचल प्रदेश	41,955	15,306	442.26	36,509	52,960	2,004.56
15.	जम्मू और कश्मीर	33,860	3,134	110.92	26,470	45,305	1,359.88
16.	झारखंड	1,07,362	47,357	700.86	85,862	1,01,714	3,724.43
17.	कर्नाटक	1,32,572	76,143	2,070.09	2,52,878	2,68,995	10,773.08
18.	केरल	1,18,642	50,561	1,597.11	86,068	1,31,545	5,066.23
19.	लक्षद्वीप	245	0	0	226	340	5.38
20.	मध्य प्रदेश	4,32,885	1,82,594	31,78.4	3,76,216	4,42,123	15,386.81
21.	महाराष्ट्र	2,38,807	1,20,326	3,885.88	2,28,450	2,58,717	10,284.30
22.	मणिपुर	4,603	2,158	65.64	2,075	3,154	179.44
23.	मेघालय	2	0	0	1,641	1,341	47.30
24.	मिजोरम	3,762	650	8.0	5,510	7,770	327.06
25.	नागालैंड	162	0	0	2,045	1,707	61.75
26.	ओडिशा	7	5	0.005	0	0	0.20

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	पुदुचेरी	2,218	429	13.67	3,395	4,337	168.91
28.	पंजाब	68,291	37,797	786.33	84,861	1,02,104	4,408.32
29.	राजस्थान	1,23,884	19,682	672.79	4,61,157	4,59,450	14,536.36
30.	सिक्किम	1,758	304	4.79	1,677	742	19.11
31.	तमिलनाडु	0	0	0	46,169	2,844	56.88
32.	तेलंगाना	150	0	0	44	0	0
33.	त्रिपुरा	7,278	1,136	11.70	9,723	13,320	396.46
34.	उत्तर प्रदेश	3,11,109	1,41,151	4,442.17	7,92,254	7,76,750	26,795.54
35.	उत्तराखंड	27,838	16,027	416.51	31,914	36,811	1,407.55
36.	पश्चिम बंगाल	77,028	1,922	144.43	1,95,304	2,12,330	8,427.17
	कुल योग	25,70,009	11,08,929	28,413.79	35,57,494	38,79,285	1,39,459.20

विवरण-II

पीएमएमवीवाई के तहत वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 (10.12.018 तक) के दौरान संस्वीकृत\निर्मुक्त निधियों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित उपयोग का वर्ष और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18 (रुपये लाख में)				2018-19 (रुपये लाख में) 10.12.2018 तक			
		संस्वीकृत\ निर्मुक्त निधियां	प्रशासनिक/ फ्लैक्सी फंड के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित उपयोग	पात्र लाभार्थियों को मातृत्व लाभ का भुगतान (राज्य शेयर सहित पी.एम.एम.वी. वाई-सी.ए.एस. के अनुसार)	कुल उपयोग	संस्वीकृत\ निर्मुक्त निधियां	प्रशासनिक/ फ्लैक्सी फंड के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित उपयोग	पात्र लाभार्थियों को मातृत्व लाभ का भुगतान (राज्य शेयर सहित पी.एम.एम.वी. वाई-सी.ए.एस. के अनुसार)	कुल उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	163.08	5.91	37.24	43.15	6.00	एनआर	63.11	63.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	आंध्र प्रदेश	7022.36	0	4148.68	4148.68	7135.00	एनआर	11388.78	11388.78
3.	अरुणाचल प्रदेश	912.83	0	0.94	0.94	36.00	एनआर	91.31	91.31
4.	असम	10448.26	349.77	104.15	453.92	817.00	एनआर	1385.02	1385.02
5.	बिहार	17351.38	4.80	570.62	575.42	949.00	एनआर	2422.08	2422.08
6.	चंडीगढ़	290.41	3.98	106.49	110.47	128.65	एनआर	201.33	201.33
7.	छत्तीसगढ़	4382.58	105.30	664.60	769.90	233.00	एनआर	3418.66	3418.66
8.	दादरा और नगर हवेली	102.62	0	8.35	8.35	5.00	एनआर	72.16	72.16
9.	दमन और दीव	61.56	एनआर	0.12	0.12	3.00	एनआर	37.65	37.65
10.	दिल्ली	2008.9	3.83	407.89	411.72	153.00	एनआर	1715.52	1715.52
11.	गोवा	168.85	0	62.76	62.76	13.00	0	204.65	204.65
12.	गुजरात	10186.87	55.82	2479.65	2535.47	551.00	एनआर	7161.14	7161.14
13.	हरियाणा	4324.3	54.7	1270.74	1325.44	1881.00	एनआर	5861.10	5861.10
14.	हिमाचल प्रदेश	1821.64	0	442.26	442.26	753.48	एनआर	2004.56	2004.56
15.	जम्मू और कश्मीर	3137.84	0	110.92	110.92	171.00	एनआर	1359.88	1359.88
16.	झारखंड	5622.7	एनआर	700.86	700.86	301.00	एनआर	3724.43	3724.43
17.	कर्नाटक	10248.81	171.17	2070.09	2241.26	557.00	एनआर	10773.08	10773.08
18.	केरल	5536.64	एनआर	1597.11	1597.11	2444.51	एनआर	5066.23	5066.23
19.	लक्षद्वीप	27.82	0	0	0	1.00	एनआर	5.38	5.38
20.	मध्य प्रदेश	12320.53	2583.69	3178.4	5762.09	9581.54	0	15386.81	15386.81
21.	महाराष्ट्र	12821.10	0	3885.88	3885.88	1025.00	एनआर	10284.30	10284.30
22.	मणिपुर	1474.07	एनआर	65.64	65.64	75.00	एनआर	179.44	179.44
23.	मेघालय	1110.83	एनआर	0	0	77.00	एनआर	47.30	47.30
24.	मिजोरम	710.78	225.36	8	233.36	29.00	एनआर	327.06	327.06
25.	नागालैंड	1035.06	0	0	0	52.00	एनआर	61.75	61.75
26.	ओडिशा	7143.33	0	0.005	0.005	383.00	एनआर	0.20	0.20
27.	पुदुचेरी	331.68	0	13.67	13.67	19.00	एनआर	168.91	168.91
28.	पंजाब	4648.73	0	786.33	786.33	253.00	एनआर	4408.32	4408.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	राजस्थान	11486.97	115.75	672.79	788.54	5015.22	एनआर	14536.36	14536.36
30.	सिक्किम	354.33	6.60	4.79	11.39	16.00	एनआर	19.11	44.79
31.	तमिलनाडु	12087.85	एनआर	0	0	658.00	एनआर	56.88	56.88
32.	तेलंगाना	7196.4	एनआर	0	0	385.00	एनआर	0	0
33.	त्रिपुरा	1845.48	4.87	11.70	16.57	96.00	1.02	396.46	397.48
34.	उत्तर प्रदेश	33616.64	560.63	4442.17	5002.80	1822.00	एनआर	26795.54	26795.54
35.	उत्तराखंड	2610.99	225.5	416.51	642.01	138.00	एनआर	1407.55	1407.55
36.	पश्चिम बंगाल	10245.03	0	144.43	144.43	1167.42	0	8427.17	8427.17
	कुल योग	2,04,859.25	4477.68	28413.79	32891.465	36930.82	1.02	139459.20	139460.22

एन.आर.-सूचित नहीं

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं

*257. **श्रीमती नीलम सोनकर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के दूरस्थ, पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण तंत्र विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं मुहैया कराने हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं मुहैया कराने हेतु एम.पी. लैंड्स निधि का उपयोग करने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आई.आई.पी.एस.) के माध्यम से जिला स्तरीय घरेलू तथा सुविधा केन्द्र सर्वेक्षण का अंतिम (चौथा) और (डी.एल.एच.एस.-4) 2012-13 में संचालित किया गया था। इसने अन्य के साथ-साथ पर्वतीय एवं दूरवर्ती क्षेत्रों सहित 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु ग्रामीण तथा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाटा एकत्र किए।

जनसंख्या से जुड़े सुविधा केन्द्र सर्वेक्षण में मानव संसाधन केन्द्र की प्रकृति, भौतिक अवसंरचना, स्थान, उपस्करों, औषधियों और सेवाओं से संबंधित सूचना एकत्र की गई। विवरण *http://rchiips.org/NFHS/DLHS-4.html* पर उपलब्ध है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आई.आई.-पी.एस. के माध्यम से संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य मिशन (एन.एफ.एच.एस.)-4 (2015-16) भी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं प्रसूति स्थान आदि के स्रोत पर अन्य के साथ-साथ ग्रामीण एवं शहरी परिवारों पर सूचना प्रदान करता है। वितरण *http://rchiips.org/NFHS/NFHS-4Report.shtml* पर उपलब्ध है।

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में पहुंच योग्य, समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान हेतु स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.-एच.एम.:) के अंतर्गत सहायता दे रही है। इसमें, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, वैश्विक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम हेतु और बड़े रोगों जैसे

क्षय रोग, एच.आई.वी./एड्स, वेक्टर वाहित रोगों जैसे मलेरिया, डेंगू एवं काला अजार, कुष्ठ रोग आदि के लिए निःशुल्क सेवाओं के आयोजन का प्रावधान करते हेतु सहायता देना शामिल है।

अन्य मुख्य पहलों जिनके लिए राज्यों को सहायता की जा रही है उनमें निम्नलिखित शामिल है: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.), राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के.), एन.एच.एम. कार्यान्वयन निःशुल्क औषधि एवं निःशुल्क नैदानिक सेवा पहले, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत् अभियान, मां का सम्पूर्ण स्नेह (एम.ए.ए.) कार्यक्रम निःशुल्क रोगी आपातकालीन परिवहन तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन। सरकार, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह हृदयवाहिका रोग एवं अभिघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.), राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम (एन.पी.एच.सी.आई.), राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.पी.) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.एम.एच.पी.) आदि कार्यक्रमों का भी कार्यान्वित कर रही है। सरकार ने आम गैर-सचारी रोगों-उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा स्तन, गर्भाशय और मुख कैंसर हेतु 30 वर्ष एवं अधिक आयु की महिलाओं और पुरुषों की वैश्विक जांच भी प्रारंभ की है।

सरकार ने चिह्नित निर्धन वंचित परिवारों को 5 लाख रु. प्रति परिवार प्रति वर्ष देने हेतु पी.एम.जे.ए.वाई. के अंतर्गत, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (एच.डब्ल्यू.सी.) एवं अस्पतालों में निःशुल्क भर्ती के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अपने द्विस्तम्भों के साथ आयुष्मान भारत भी प्रारंभ किया है।

(घ) और (ङ) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार इन निधियों का उपयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वच्छता और जन-स्वास्थ्य में सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करने हेतु ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में किया जा सकता है। विवरण *http://mplads.gov.in/MPLADS/UploadeFiles/MPLADSGuidelines2016English_638.pdf* पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

अपंजीकृत बाल परिचर्या संस्थान

***258. श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समूचे देश में कार्यरत पंजीकृत/अपंजीकृत बाल परिचर्या संस्थानों (सी.सी.आई.); की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सी.सी.आई. सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सभी अपंजीकृत सी.सी.आई. को पंजीकृत किये जाने के लिये उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किये गये थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों द्वारा शीर्ष न्यायालय के उक्त निर्देशों पर कोई कार्रवाही की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) सितंबर, 2018 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, देश में कुल 8244 पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाएं (सी.सी.आई.) चल रही है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि उन बाल देखरेख संस्थाओं को बंद कर दिया जाए, जिन्होंने जे.जे. अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पंजीकरण कराने से मना कर दिया है और बच्चों का पंजीकृत संस्थाओं में पुनर्वास किया जाए।

(ख) जब कभी भी मंत्रालय को इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होती है तो ऐसे मामलों में जे.जे. अधिनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए मामले को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ उठाया जाता है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित रूप से कहता रहता है कि बच्चों के हित सुनिश्चित करने के लिए जे.जे. अधिनियम, 2015 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में अधिदेश के अनुसार बाल देखरेख संस्थाओं की मॉनीटरिंग की जाए।

(ग) और (घ) 2007 की रिट याचिका (सी.) संख्या 102 में अपने आदेश दिनांक 5 मई, 2017 के माध्यम से

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया था कि 31 दिसंबर, 2017 तक सभी गैर पंजीकृत सी.सी.आई. का पंजीकरण किया जाए। तदनुसार, मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा अथवा स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित सभी सी.सी.आई. का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। मंत्रालय ने राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों से यह भी कहा है कि उन संस्थाओं को बंद कर दिया जाए, जिन्होंने पंजीकरण कराने से मना कर दिया है। इसके फलस्वरूप, बताया गया कि 31.12.2017 तक 7700 से भी अधिक बाल देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण हो चुका है। मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहता रहा है कि सभी बाल देखरेख संस्थाओं की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाए, जैसा कि जे.जे. अधिनियम, 2015 और उसके अंतर्गत बनाए गए जे.जे. नियमों में अधिदेशित है।

[हिन्दी]

सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत आयुष दवाओं की खरीद

***259. श्री सतीश चंद्र दुबे**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत आयुष दवाओं की खरीद की प्रक्रिया जटिल होने के कारण, लाभार्थियों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी दवाओं के लिये धनराशि का आवंटन एवं व्यय अलग-अलग वर्ष-वार कितना है; और

(घ) खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने तथा रोगियों की समस्याओं को दूर करने हेतु किये गये सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): (क) और (ख) लाभार्थियों द्वारा कुछ कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है, जिसका कारण जटिल प्रक्रिया नहीं है, अपितु निम्नलिखित है:

I. दिल्ली के बाहर स्थित शहरों में आयुष के लिए अधिकृत स्थानीय दवा विक्रेताओं की अनुपलब्धता।

II. आयुष औषधियों के लिए दर संविदा की अनुपलब्धता।

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथिक दवाइयों की खरीद के लिए आवंटित की गई और खर्च की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रु. में)

	2016-17		2017-18	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
आयुर्वेदिक	5.44	3.07	5.44	4.59
यूनानी	1.50	0.78	1.50	0.78
होम्योपैथिक	1.50	0.29	1.50	0.25
सिद्धा	1.00	0.35	1.00	0.45

(घ) खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने और लाभार्थियों की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. वर्ष 2017-19 के लिए नई आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम लिमिटेड (आई.एम.पी.सी.एल.) से सीधे 221 जेनेरिक दवाइयों की खरीद की जाती है और 150 दवाइयों (जो आई.एम.पी.सी.एल.) द्वारा नहीं बनाई जाती है - गैर-आई.एम.पी.सी.एल. दवाइयां कहलाती हैं) की खरीद सरकारी/पी.एस.यू. फार्मेसियों से दर संविदा के माध्यम से तथा 84 रोगाधिकारा (अभिज्ञात रोग समूह) आयुर्वेदिक औषधियों की खरीद खुली बोली/दर संविदा के माध्यम से की जा रही है।

II. 150 गैर-आई.एम.पी.सी.एल. जेनेरिक औषधियों के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है।

III. 36 गैर-आई.एम.पी.सी.एल. जेनरिक यूनानी औषधियों की खरीद हेतु ई-निविदा के माध्यम से संविदा जारी की गई है। ब्रांडेड/रोग आधारित/गैर-फार्मूलेरी यूनानी औषधियों की ई-निविदा के माध्यम से खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।

iv. होम्योपैथिक फार्मूलेरी औषधियों की खरीद के लिए ई-निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है।

v. सिद्धा फार्मूलरी औषधियों की खरीद के लिए ई-निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है।

vi. जो दवाइयां स्टाक में तत्काल उपलब्ध नहीं होती हैं, उनकी खरीद उन औषधालयों से संबद्ध अधिकृत स्थानीय दवा विक्रेताओं (ए.एल.सी.) के जरिए की जाती है।

vii. ऐसे शहर, जहां कोई ए.एल.सी. नहीं है, सी.जी.-एच.एस. लाभार्थी औषधियां खुले बाजार से क्रय करके प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत कर सकता है।

[अनुवाद]

जंगलों में लगने वाली आग

***260. श्री एम. उदयकुमार**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जंगलों में लगने वाली आग से देश के अनेक भागों में एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में वन कार्मिक जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें उपकरण और संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): (क) और (ख) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आई.एस.एफ.आर.) 2015 के अनुसार, 'भारी', 'मध्यम' और 'हल्की' आग वाले अनुमानित अग्नि प्रवण क्षेत्र, अभिलेखित वन क्षेत्र (आर.एफ.ए.) का क्रमशः 2.40 प्रतिशत 7.49 प्रतिशत और 54.40 प्रतिशत है और इस प्रकार कुल अग्नि प्रवण वन क्षेत्र अभिलेखित वन क्षेत्र (आर.एफ.ए.) का 64.29 प्रतिशत है।

ये अनुमान राष्ट्रीय वन सूची (एन.एफ.आई.) से प्राप्त क्षेत्रीय आंकड़ों पर आधारित हैं, जिसमें दावानल के कारण हुई क्षतियों को, प्लॉट सेन्टर के चारों ओर दो हेक्टेयर के गोलाकार क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है और यदि 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र/फसल आग से प्रभावित है तो उसे 'भारी', यदि क्षेत्र का 10-50 प्रतिशत क्षेत्र आग से प्रभावित है तो 'मध्यम' और यदि 10 प्रतिशत से कम क्षेत्र आग से प्रभावित है तो उसे हल्की श्रेणी के रूप में रखा जाता है।

मंत्रालय ने विश्व बैंक के सहयोग से जंगलों में आग की स्थिति के विश्लेषण के संबंध में एक अध्ययन किया है और "भारत में वन अग्नि प्रबंधन को मजबूत करना" शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है जिसमें आग की रोकथाम पता लगाना, शमन, अग्नि पश्चात प्रबंधन, समुदायों के साथ सम्पर्क, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय इत्यादि से संबंधित विभिन्न सिफारिशें शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2003 से 2016 के बीच पता लगी सभी दावानल की लगभग 40.29 प्रतिशत घटनाएं मुख्यतः उत्तर पूर्व में स्थित 20 जिलों में हुईं। इसी प्रकार वर्ष 2003 और 2016 के बीच देश में दावानल से प्रभावित कुल क्षेत्र का 48.18 प्रतिशत क्षेत्र मध्य भारत में स्थित 20 जिलों में है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने वन अग्नि के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है और उसे वन अग्नि के प्रभावी निवारण और प्रबंधन के लिए उचित कार्रवाई हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया है। मंत्रालय वन अग्नि के निवारण और प्रबंधन के विभिन्न उपाय, जैसे-वन क्षेत्रों में अग्नि रेखाओं का निर्माण और अनुरक्षण, अग्नि की निगरानी करने वाले फायर वाचर्स की नियुक्ति, वन क्षेत्रों में जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण, वन अवसंरचना को मजबूत बनाना, अग्नि शमन उपकरणों की खरीद, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मृदा और नमी संरक्षण (एस.एम.सी.) कार्य, जागरूकता उत्पन्न करना, केन्द्र द्वारा प्रायोजित वन अग्नि निवारण और प्रबंधन (एफ.पी.एम.) योजना के तहत गांवों/समुदायों को वनों की आग से सुरक्षा के लिए उत्प्रेरित करना इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके वन अग्नि के निवारण और नियंत्रण के कार्य में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान (24.12.2018 की स्थिति के अनुसार) पूर्ववर्ती वन प्रबंधन तीव्रीकरण योजना (आई.एफएम.एस.) और वर्तमान वन अग्नि निवारण और प्रबंधन (एफ.पी.एम.) योजना के तहत वन अग्नि की रोकथाम और प्रबंधन सहित विभिन्न वन संरक्षण उपायों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

जंगलों में लगने वाली आग का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला, राज्य, क्षेत्र	अग्नि की सूचना, 2003-2016 (संख्या)	अग्नि सूचनाओं का हिस्सा, 2003-2016 (%)	कुल वन आवरण का हिस्सा, 2000 (%)
1.	लुंगलेई, मिजोरम, उत्तर पूर्व	13,453	3.82	0.87
2.	कार्बी आंगलोंग, असम, उत्तर पूर्व	12,238	3.48	1.71
3.	दीमा हसाओ, असम, उत्तर पूर्व	11,608	3.30	0.91
4.	चुराचंदपुर, मणिपुर, उत्तर पूर्व	11,068	3.15	0.87
5.	ममित, मिजोरम, उत्तर पूर्वी	9005	2.56	0.58
6.	लॉग्ट्टलाई, मिजोरम, उत्तर पूर्वी	8501	2.42	0.43
7.	तमेंगलोंग, मणिपुर, उत्तर पूर्व	8163	2.32	0.79
8.	आइजोल, मिजोरम, उत्तर पूर्व	6705	1.91	0.61
9.	गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, मध्य	6264	1.78	1.56
10.	धलाई, त्रिपुरा, उत्तर पूर्व	6234	1.77	0.40
	शीर्ष 10 का उप-योग	**93,239**	**26.50**	**8.73**
11.	चम्फाई, मिजोरम, उत्तर पूर्व	5940	1.69	0.64
12.	डब्ल्यू खासी हिल्स, मेघालय, उत्तर पूर्व	5,220	1.48	0.88
13.	नारायणपुर, छत्तीसगढ़, मध्य	5,098	1.45	0.78
14.	रिभोई, मेघालय, उत्तर पूर्व	4835	1.37	0.43
15.	कंधमाल, ओडिशा, मध्य	4753	1.35	1.09
16.	ई. गारो हिल्स, मेघालय, उत्तर पूर्व	4,687	1.33	0.50
17.	उखरूल, मणिपुर, उत्तर पूर्व	4645	1.32	0.78
18.	चंदेल, मणिपुर, उत्तर पूर्व	4628	1.32	0.56
19.	बीजापुर, छत्तीसगढ़, मध्य	4615	1.31	1.19
20.	उत्तर त्रिपुरा, त्रिपुरा, उत्तर पूर्व	4087	1.16	0.33
	शीर्ष 20 का उप-योग	141,747	40.29	15.91

विवरण-II

(जंगलों में लगने वाली आग का ब्यौरा)

क्र.सं.	जिला, राज्य, क्षेत्र	अग्नि प्रभावित क्षेत्र, 2003-2016 (वर्ग कि.मी.)	जले हुए क्षेत्र का हिस्सा, 2003-2016 (%)	कुल वन आवरण का हिस्सा, 2000 (%)
1.	गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, मध्य	4106	8.24	1.56
2.	बीजापुर, छत्तीसगढ़, मध्य	2633	5.29	1.19
3.	खम्मम, तेलंगाना, दक्षिण	1,923	3.86	1.13
4.	नारायणपुर, छत्तीसगढ़, मध्य	1,346	2.70	0.78
5.	वारंगल, तेलंगाना, दक्षिण	1,273	2.56	0.45
6.	कोरिया, छत्तीसगढ़, मध्य	1,169	2.35	0.42
7.	आदिलाबाद, तेलंगाना, दक्षिण	995	2.00	0.39
8.	चंद्रपुर, महाराष्ट्र, मध्य	970	1.95	0.31
9.	सर्गुजा, छत्तीसगढ़, मध्य	948	1.90	0.79
10.	कुरनूल, आंध्र प्रदेश, दक्षिण	895	1.80	0.23
	शीर्ष 10 का उप-योग	**16,258**	**32.64**	**7.24**
11.	अमरावती, महाराष्ट्र, मध्य	888	1.78	0.23
12.	वाईएसआर, आंध्र प्रदेश, दक्षिण	854	1.71	0.32
13.	प्रकाशम, आंध्र प्रदेश, दक्षिण	849	1.70	0.31
14.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, मध्य	803	1.61	0.73
15.	बिलासपुर, छत्तीसगढ़, मध्य	799	1.60	0.36
16.	रायपुर, छत्तीसगढ़, मध्य	777	1.56	0.50
17.	बैतूल, मध्य प्रदेश, मध्य	727	1.46	0.29
18.	चम्फाई, मिजोरम, उत्तर पूर्व	707	1.42	0.64
19.	लॉग्ट्टलाई, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट	673	1.35	0.43
20.	दीमा हसाओ, असम, उत्तर पूर्व	665	1.34	0.91
	शीर्ष 20 का उप-योग	24,000	48.18	11.97

विवरण-III

वन अग्नि निवारण और प्रबंधन (एफपीएम) योजना के तहत वन अग्नि की रोकथाम और प्रबंधन सहित विभिन्न वन संरक्षण उपायों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2015-16 में जारी की गई राशि	2016-17 में जारी की गई राशि	2017-18 में जारी की गई राशि	2018-19 में जारी की जारी की गई राशि (24.12.2018 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
अन्य राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	260.06
2.	बिहार	59.09	88.59	75.00	57.17
3.	छत्तीसगढ़	120.75	211.04	168.00	104.60
4.	गुजरात	179.99	122.26	75.00	92.16
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	हरियाणा	77.86	93.91	75.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	302.16	331.36	276.70	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	193.93	95.61	75.00	0.00
9.	झारखंड	83.62	199.63	105.00	107.84
10.	कर्नाटक	228.19	203.27	105.00	148.36
11.	केरल	86.00	163.65	234.53	220.83
12.	मध्य प्रदेश	420.00	281.15	168.00	572.08
13.	महाराष्ट्र	447.32	372.58	321.58	629.76
14.	ओडिशा	136.00	266.14	168.00	348.01
15.	पंजाब	77.00	0.00	75.00	0.00
16.	राजस्थान	112.54	174.22	105.00	98.82
17.	तमिलनाडु	203.02	74.29	105.00	0.00
18.	तेलंगाना	0.00	0.00	105.00	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	156.15	139.72	75.00	100.61

1	2	3	4	5	6
20.	उत्तराखंड	356.83	304.03	168.00	438.38
21.	पश्चिम बंगाल	0.00	92.83	75.00	54.14
	संपूर्ण	**3240.45**	**3214.28**	**2554.81**	**3232.82**
पूर्वोत्तर और सिक्किम					
1.	असम	0	0	0.00	93.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	85.07	181.34	102.00	0.00
3.	मणिपुर	240.76	125.02	219.88	181.73
4.	मेघालय	180.26	126.57	104.63	113.53
5.	मिजोरम	153.17	131.29	90.59	88.37
6.	नागालैंड	122.6	170.01	92.56	66.49
7.	सिक्किम	150	119.73	148.59	0.00
8.	त्रिपुरा	147.19	190.76	66.00	65.40
	कुल	**1079.05**	**1044.72**	**824.25**	**608.75**
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	28.00	56.23	9.00	0.00
2.	चंडीगढ़	36.99	74.52	8.00	0.00
3.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	नई दिल्ली	0.00	50.00	30.00	0.00
7.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**64.99**	**180.75**	**77.00**	**0.00**
	कुल योग	4384.49	4439.75	3456.06	3841.57

[हिन्दी]

पेमेंट बैंक

2761. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) पेमेंट बैंक खोलने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने वाले निकायों/कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थापित पेमेंट बैंकों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान खोले गए खातों की राज्य संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है और साथ ही इन खातों के माध्यम से किए गए संव्यवहार का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) भारतीय डाक भुगतान बैंक (आई.पी.पी.बी.) की नीति के विवरण के संबंध में, डाक विभाग (डी.ओ.पी.) ने सूचित किया है कि आम आदमी के लिए सहज उपलब्ध वहनीय तथा भरोसेमंद बैंक बनाने की दृष्टि तथा बैंक रहित एवं कम बैंक सुविधा प्राप्त जनसंख्या के लिए अवरोधों को समाप्त किए जाने के माध्यम से वित्तीय समावेशन एजेंडा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आई.पी.पी.बी. की शुरुआत की गई है। आई.पी.पी.बी. डी.ओ.पी. के व्यापक नेटवर्क का उपयोग करता है जो ग्रामीण, शहरी तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में द्वारस्थ बैंक सेवा मुहैया कराने हेतु देश के प्रत्येक स्थान को कवर करता है, इससे आई.पी.पी.बी. बैंकिंग को अंतिम छोर तक ले जाने में सक्षम होगा। आई.पी.पी.बी. उत्पादों तथा सेवाओं के समूह जैसे बचत तथा चालू खाते, विप्रेषण तथा राशि अंतरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, बिल एवं यूटिलिटी भुगतान तथा उद्यम एवं व्यापार भुगतान, को मुहैया कर रहा है। इन उत्पादों एवं सेवाओं को अनेक चैनल जैसे काउंटर सेवा, सूक्ष्म ए.टी.एम., द्वारस्थ बैंक सेवा, मोबाइल बैंकिंग ऐप, शार्ट मैसेज सर्विस (एस.एम.एस.) इत्यादि के माध्यम से आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए मुहैया कराया जा रहा है।

(ख) से (घ) संस्थाओं/कंपनियों जिन्हें भुगतान बैंक खोलने हेतु लाइसेंस दिया गया है, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विगत तीन वर्षों के खोले गए खातों की संख्या तथा इन खातों के माध्यम से की गई लेनदेन के विवरण के संबंध में, आर.बी.आई. ने सूचित किया है कि ये इसके पास उपलब्ध नहीं हैं।

आई.पी.पी.बी. के संबंध में डी.ओ.पी. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 30.01.2017 को आई.पी.पी.बी. के परिचालन के शुभारंभ से 24.12.2018 तक खोले गए खातों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है तथा 20.12.2018 तक किए गए लेनदेन की कुल संख्या 9,75,806 थी।

विवरण-I

जून 2018 की स्थिति के अनुसार पेमेंट बैंक खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान की गई संस्थाओं/कंपनियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	बैंक	शाखाओं की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2	3	4
1.	एयरटेल पेमेंट बैंक लि.	1	हरियाणा
2.	पेटीएम पेमेंट बैंक लि.	1	महाराष्ट्र
		4	उत्तर प्रदेश
3.	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लि.	1	छत्तीसगढ़
		1	झारखंड
4.	जियो पेमेंट्स बैंक लि.	2	महाराष्ट्र
5.	फिनो पेमेंट्स बैंक लि.	1	आन्ध्र प्रदेश
		30	बिहार
		9	गुजरात
		4	हरियाणा

1	2	3	4
		1	हिमाचल प्रदेश
		1	कर्नाटक
		56	महाराष्ट्र
		10	नई दिल्ली
		4	पंजाब
		2	राजस्थान
		5	तेलंगाना
		3	उत्तर प्रदेश
6.	आदित्य बिड़ला आईडिया पेमेंट्स बैंक लि.	1	मध्य प्रदेश
		1	महाराष्ट्र
		1	तमिलनाडु
		1	तेलंगाना
		2	उत्तर प्रदेश
7.	एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लि.	-	-

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

टिप्पणी: एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड को दिनांक 30.03.2017 को लाइसेंस दिया गया था और कार्य प्रारंभ करने की तारीख 29.10.2018 है। इसलिए जून, 2018 की स्थिति के अनुसार एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड की कोई शाखा नहीं है।

विवरण-II

खोले गए खातों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय 2016-17	वित्तीय 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19 (24.12.2018 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			291
आन्ध्र प्रदेश			81,526
अरुणाचल प्रदेश			1,000
असम			12,231
बिहार			4,23,991

1	2	3	4
चण्डीगढ़			1,803
छत्तीसगढ़	967	3,874	18,804
दादरा और नगर हवेली			488
दिल्ली			81,716
गोवा			5,650
गुजरात			76,954
हरियाणा			35,533
हिमाचल प्रदेश			15,144
जम्मू और कश्मीर			8,444
झारखंड	687	3,861	66,762
कर्नाटक			97,498
केरल			31,702
लक्षद्वीप			73
मध्य प्रदेश			1,25,093
महाराष्ट्र			1,28,470
मणिपुर			9,274
मेघालय			572
मिजोरम			3,618
नागालैंड			1,216
ओडिशा			3,24,325
पुदुचेरी			5,127
पंजाब			31,139
राजस्थान			91,490
सिक्किम			1,566
तमिलनाडु			98,225
तेलंगाना			2,09,994
त्रिपुरा			4,396
उत्तर प्रदेश			1,44,383
उत्तराखंड			14,103
पश्चिम बंगाल			65,744
कुल	1,654	7,735	18,96,410

स्रोत: डाक विभाग

[अनुवाद]

ताजमहल का संरक्षण

2762. श्री बदरुद्दीन अजमल: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंध एवं निषेध के बावजूद, सरकार ताजमहल के आस-पास उद्योगों को अनुमति दे रही है जिससे प्रदूषण स्तरों में वृद्धि हो रही है और जिसके फलस्वरूप विश्व धरोहर स्मारक को काफी क्षति पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ताजमहल की सुंदरता और विरासत की सुरक्षा के लिए क्या कार्य-योजना बनाई गई है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के तहत गठित ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण को उद्योगों की स्थापना करने के लिए अनुमति प्रदान करने के निर्णय सहित ताज ट्रेपेजियम जोन (टी.टी.जेड.) के पर्यावरणीय प्रबंधन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। आगरा प्रमंडल के आयुक्त इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण के अनुसार, ताजमहल के आस-पास वायु प्रदूषण फैलाने वालों उद्योगों की स्थापना/प्रचालन की अनुमति जारी नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय पुरातत्व विज्ञान सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) ने ताजमहल की सतह को जमे हुए प्रदूषकों से सुरक्षित रखने के लिए एक वैज्ञानिक स्वच्छता तथा संरक्षण योजना प्रतिपादित की है। तदनुसार, सभी चार मीनारों, आठों अग्रभागों, चारों आधारी संगमरमर की दीवारों, परिधि के आंतरिक हिस्से को आदम कद ऊंचाई तक और मुख्य मकबरे की छत के ऊपरी भाग पर चारों छतरियों को पहले ही साफ कर लिया गया है और उन्हें शोधित किया गया है।

ताजमहल में और इसके आस-पास प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए किए गए अन्य उपायों अन्य बातों के साथ-साथ, ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उद्योगों की सफेद श्रेणी को छोड़कर ताज ट्रेपेजियम जोन में नए उद्योगों की स्थापना तथा विद्यमान उद्योगों के विस्तार पर विलंबन लागू करना, ताज महल में और इसके आस-पास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू.पी.पी.सी.बी.) एवं भारतीय पुरातत्व विज्ञान सवेक्षण द्वारा स्थापित किए गए 08 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों द्वारा वायु गुणवत्ता की निगरानी और आगरा में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई लघु आवधिक तथा दीर्घ आवधिक कार्य योजना का कार्यान्वयन किया जाना, इत्यादि शामिल हैं।

चालू खाता घाटा

2763. श्री पी.आर. सेनथिलनाथन:

श्रीमती बी. सत्यबामा:

श्री आर.के. भारती मोहन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू खाता घाटे (सी.ए.डी.) को रोकने और उसे नियंत्रित करने हेतु कोई ठोस कदम उठाया है जिसके वित्त वर्ष 2019 में 2.5 प्रतिशत के निशान को पार कर जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने बढ़ते सी.ए.डी. स्तर को कम करने हेतु एक पांच सूत्री फॉर्मूला का ऐलान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह किस रूप में सी.ए.डी. और व्यापार घाटों को कम कर सकता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्): (क) से (ग) रुपये का मूल्य और चालू खाता घाटा (सी.ए.डी.) बाजार परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, सरकार चालू खाता घाटे को टिकाऊ स्तर तक सुगम बनाने के लिए विभिन्न नीतियों/समय-समय पर उठाए गए कदमों के द्वारा निगरानी करती है। सरकार ने रुपये के अवमूल्यन को रोकने और चालू खाता घाटा कम करने के लिए सितम्बर, 2018 को प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से पांच सूत्री फॉर्मूले का ऐलान किया है। इनमें अवसंरचना की प्रतिरक्षा के लिए

अनिवार्य मुद्रा समीक्षा, विनिर्माणन इकाइयों के लिए विदेशों से फंड प्राप्त करने के नियमों को आसान बनाना, एफ.पी.एल. के लिए ऋण निवेश सीमा की समीक्षा करना, मसाला बांड के लिए कर में छूट, और मसाला बांड बनाकर भारतीय बैंकों के बाजार के प्रतिबंधों को हटाना आदि शामिल है।

वैश्वीकरण का प्रभाव

2764. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में घरेलू उद्योग, कृषि और रोजगार पर वैश्वीकरण के प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में सरकार को मिली जानकारी और निष्कर्षों के आधार का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन्): (क) और (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था है, जैसाकि माल एवं सेवा के व्यापार की मात्रा में वृद्धि; जी.डी.पी. के अनुपात के रूप में व्यापार; और पूंजीगत अंतर्वाह और बहिर्वाह में वृद्धि आदि में दर्शाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक के डाटाबेस के अनुसार 1980 के दशक में भारत के माल एवं सेवा के व्यापार की मात्रा में वृद्धि 5.4 प्रतिशत, 1990 में 9.2 प्रतिशत और 2002-17 के दौरान 10.5 प्रतिशत थी। भारत का कृषि उत्पाद निर्यात 1980 के 2.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2017 में 39.5 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया और विनिर्माण उत्पाद निर्यत 1980 के 5 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2017 में 208 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया (विश्व व्यापार संगठन आंकड़े)। बढ़ता हुआ खुलापन कृषि और औद्योगिक उत्पादों के निर्यात के अवसर प्रदान करता है और परिणामस्वरूप श्रम प्रधान क्षेत्र में अधिक रोजगार उत्पन्न होते हैं। तथापि, किसी एक क्षेत्र की वृद्धि विभिन्न कारकों पर निर्भर रहती है, अन्य बातों के साथ-साथ, वैश्विक वृद्धि, व्यापार खुलापन, अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा, विनिमय दर, व्यापार भागीदार देशों में वृद्धि, ढांचागत, राजकोषीय और मौद्रिक कारक आदि शामिल हैं, इसलिए किसी विशेष क्षेत्र के प्रदर्शन में किसी एक कारक के सटीक प्रभाव का पता लगाना कठिन है।

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को पी.एम.एम.वाई. का लाभ

2765. **श्री रामसिंह राठवा**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संस्थागत निधियों की कमी देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के समक्ष सबसे बड़ी बाधा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या बैंकों की प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.) एम.एस.एम.ई. हेतु बहुत लाभकारी साबित हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के तहत गैर-कारपोरेट लघु कारोबार क्षेत्र के अपर्याप्त/कम पहुंच को व्यापक रूप से इस प्रकार के उद्यमों की वृद्धि एवं सम्पोषण में बाधा माना गया है। वर्ष 2013 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के आकलन के अनुसार देश में इस प्रकार की लगभग 5.77 करोड इकाईयां मौजूद हैं।

(ख) जी, हां।

वर्ष 2016 में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.) का स्वतंत्र मूल्यांकन यह दर्शाता है कि उधारकर्ता पी.एम.एम.वाई की तीन विशेषताओं नामत: गारंटीकर्ता या सम्पार्श्विक की अपनेक्षा, सरल प्रलेखीकरण तथा त्वरित कार्रवाई को महत्व देते हैं। इस अध्ययन के अनुसार पी.एम.एम.वाई. से एम.एस.एम.ई. के निचले स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सर्वेक्षण किए गए 84% पी.एम.एम.वाई. उधारकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि ऋणों से उनकी आय में 20% से 30% तक की वृद्धि हुई है।

अटल पेंशन योजना

2766. **श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो 60 वर्ष की आयु में मासिक आय के लक्ष्य तक पहुंचने हेतु किसी व्यक्ति को प्रति माह ए.पी.वाई, में कितने रुपए जमा कराने की आवश्यकता होगी तथा वे कितनी पेंशन के हकदार होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) ने ए.पी.वाई. के तहत नामांकन हेतु आयु

सीमा को बढ़ाने तथा मासिक पेंशन में वृद्धि करने के संबंध में सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस मामले की जांच की जा रही है।

पेंशनों के लंबित मामले

2767. **डॉ. अनुपम हाजरा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभागों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति, दिव्यांगता, परिवार एवं अन्य मामलों से संबंधित मार्च, 2018 तक यदि पेंशन के कोई मामले लंबित हैं तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसे लंबित मामलों के छह महीनों से अधिक समय तक खिंचने के विशिष्ट कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

आई.सी.टी.टी. हेतु जी.एस.टी. में छूट

2768. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर एवं ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आई.सी.टी.टी.) बल्लरपदम को माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) के दायरे से बाहर रखने हेतु केरल राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त अनुरोध पर विचार किया है और इस संबंध में कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) जी.एस.टी. की दरों से संबंधित निर्णय जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर लिये जाते हैं, इसमें केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। परिषद की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार कर की दरों में बदलाव करती है। जी.एस.टी. परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर एवं ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (आई.सी.टी.टी.), बल्लरपदम को जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखने की कोई सिफारिश नहीं की गई है।

समाधान योजना

2769. **श्री कोनाकल्ला नारायण राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऊर्जा संयंत्रों को परिसमाप्ति से बचाने हेतु उनकी संकटग्रस्त आस्तियों की बिक्री अथवा अधिग्रहण का प्रस्ताव करने को आस्ति प्रबंधन और ऋण परिवर्तन संरचना हेतु समाधान योजना लाने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना को अंतिम रूप देने का कार्य भारतीय स्टेट बैंक को सौंपा गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समाधान योजना के तहत शामिल किए जाने हेतु चयनित ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस संबंध में ऊर्जा संयंत्रों के प्रमोटरों की सहमति प्राप्त कर ली गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसी आस्तियों से वसूली के प्रयासों को इष्टतम करने के उद्देश्य से मूल्य प्राप्त करने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत क्षेत्र में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के प्रायोजन हेतु भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) द्वारा आस्ति प्रबंधन तथा ऋण परिवर्तन संरचना (समाधान) योजना प्रस्तावित की गई है।

(ग) योजना हेतु एस.बी.आई. द्वारा चिह्नित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) एस.बी.आई. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस व्यवस्था में प्रवर्तकों की सहमति तथा सहयोग से योजना के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम
1	2
1.	कॉस्टल एनेर्जेन प्राइवेट लि.
2.	प्रयागराज पॉवर जनरेशन कं. लि.

1	2
3.	केएसके महानदी पॉवर कं. लि.
4.	एसकेएस पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.
5.	जेपी पॉवर वेंचर्स लि.
6.	जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लि.
7.	झाबुआ पॉवर लि.
8.	मीनाक्षी एनर्जी लि.
9.	रतन इंडिया (अमरावती) लि.
10.	आरकेएम पॉवरजेन लि.
11.	आइडल एनर्जी लि.
12.	इंड भारत उत्कल लि.
13.	लैंको (अनपरा) लि.
14.	जिंदल इंडिया थर्मल पॉवर लि.

[हिन्दी]

पी.एम.के.वी.वाई. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को पी.एम.एम.वाई.. ऋणों में प्राथमिकता

2770. **श्री संजय काका पाटील:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.) के तहत प्राथमिक आधार पर ऋण निर्गत करने हेतु बैंकों को निर्देश प्रदान किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या अग्रणी बैंकों ने इस हेतु नियम और विनियमन जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) प्रत्येक जिले में बैंकों के अग्रणी जिला प्रबंधक (एल.डी.एम.) को प्रधान मंत्री कौशल केन्द्र (पी.एम.के.के.), जहां अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, का जिले में प्रत्येक महीने दौरा करने, अभ्यर्थियों को वित्तीय प्रशिक्षण प्रदान करने और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई.) के अंतर्गत ऋण सहित ऋण के लिए आवेदन करने के संबंध में दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में एल.डी.एम. तथा इन केंद्रों में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के ऋण लिंकेज को सुनिश्चित करने में बैंकों के कार्यनिष्पादन की निगरानी राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एस.एल.बी.सी.) के द्वारा की जाती है।

पॉलिथीन पर प्रतिबंध

2771. **श्री भैरों प्रसाद मिश्र:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पॉलिथीन निर्माता कंपनियों के प्रभावी नियंत्रण और उनकी निगरानी हेतु कोई प्रभावी योजना लागू की है अथवा योजना बनाने का विचार है जिससे पॉलिथीन पर प्रतिबंध को अमल में लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसी सभी फैक्ट्रियों की दैनिक निगरानी हेतु एक विशेष कार्यक्रम तैयारी करने की योजना बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) केंद्र सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्लास्टिक कैरी बैग सहित पैकेजिंग या रैपिंग के लिए प्लास्टिक शीट के निर्माण, बिक्री, वितरण और उपयोग को नियंत्रित किया गया है। 50 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलिथीन कैरी बैग सहित प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग निषिद्ध है। इसके अलावा, गुटखा, तंबाकू और पान मसाले के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग भी प्रतिबंधित है। इन नियमों में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी.) के पास या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.), जैसा भी मामला हो, के साथ प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माताओं और उत्पादकों, मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग या प्लास्टिक के पुनर्चक्रणकर्ताओं का पूर्व-पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6); वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के तहत जारी वैध सहमति के आधार पर और जिला उद्योग केंद्र या किसी अन्य अधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा जारी पंजीकरण

प्रमाण पत्र के आधार पर प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण/प्रसंस्करण इकाइयों के लिए पंजीकरण कराना या नवीनीकरण कराना अपेक्षित है। इसके अलावा, उत्पादकों का पंजीकरण कराने या नवीनीकरण कराने के लिए, राज्य सरकार के शहरी विकास सचिव द्वारा विधिवत समर्थित, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है।

केंद्र सरकार पूरे देश में पूरी तरह से पॉलिथीन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि, कई राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों ने प्लास्टिक के कचरे को रोकने के लिए हर प्रकार की मोटाई के, कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

शीतल पेय में हानिकारक पदार्थ

2772. **श्री रवीन्द्र कुमार राय**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कंपनियों के शीतल पेय/उत्पादों में निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में हानिकारक पदार्थ पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को इन कंपनियों के शीतल पेयों में मौजूद ऐसे हानिकारक तत्वों के विषय में सूचना उपलब्ध कराई है जिससे उपभोक्ता ऐसे उत्पादों का प्रयोग करने से बच सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त पेयों के दुष्प्रभावों से आम जनता को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) सॉफ्ट पेय और कार्बोनेटेड पेय के लिए खाद्य पदार्थों और कीटनाशकों के अवशेषों की अनुमत सीमाएं खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनिमय 2011 में निर्धारित हैं। कार्बोनेटेड पेय (गैर-अल्कोहलिक) के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक आर खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के उप-नियमन 2.10.6 में मानक निर्धारित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में प्रावधान किया गया है कि सभी पूर्व-पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को विनियमों में निर्धारित प्रासंगिक प्रावधानों जैसे सामग्री की सूची, खाद्य योजकों की सूची, पोषण संबंधी जानकारी आदि सभी का अनुपालन करना है।

कार्बोनेटेड पेय के सभी निर्माताओं को खाद्य सुरक्षा मानक (एफ.एस.एस.) अधिनियम, 2006 और इसके तहत विनियमों में निर्धारित मानकों का पालन करना आवश्यक है। एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 और नियमों और विनियमों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों के साथ निहित हैं। सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारियों द्वारा एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 और इसके तहत निर्मित विनियमों और नियमों के तहत निर्धारित मानकों के अनुपालन की जांच के लिए खाद्य उत्पादों के नियमित निगरानी, मॉनिटरिंग, निरीक्षण किए जाते हैं और यादृच्छिक नमूने लिए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में जहां खाद्य पदार्थों के नमूने गैर-अनुरूप पाए जाते हैं, उन्हें एफएस.एस. अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट दंडात्मक प्रावधानों का सहारा लिया जाता है। एफ.एस.एस.ए.आई., अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ करीब सम्पर्क में रहता है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान शीतल पेय पदार्थों सहित खाद्य पदार्थों के नमूनों, उनके विश्लेषण, गैर-अनुरूप पाए जाने और की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अपमिश्रण तथा कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उपभोक्ता को शिक्षित किया जा रहा है। आमतौर पर अपमिश्रित खाद्य पदार्थों, जैसे दूध, मसालों, शहद, पानी, तेल और वसा आदि में मिलावट को दूर करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने एक डिटेक्ट विद एडल्टरेशन रैपिड टेस्ट बुकलेट (डी.ए.आर.टी.) भी जारी की है जो नागरिकों द्वारा स्वयं घरेलू स्तर पर खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने के लिए सामान्य त्वरित परीक्षणों का संकलन है ताकि खाद्य सुरक्षा के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा की जा सके।

विवरण

पेय पदार्थों सहित खाद्य पदार्थों के नमूनों उनके विश्लेषण, गैर अनुरूप पाए जाने और की गई कार्यवाही का ब्यौरा

वर्ष	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें सिविल/आपराधिक मामले शुरू किए गए हैं	दोष सिद्धियों की संख्या	जुर्माना के मामले	
					उन मामलों की संख्या जिनमें जुर्माने लगाए गए हैं	वसूल की गई जुर्माना राशि
2017-18	99353	24262	15121	5198	7627	25,23,75,367 रुपये

[अनुवाद]

भारत और श्रीलंका के मध्य समझौता ज्ञापन

2773. **श्री जी.एम. सिद्देश्वरा:** क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चिकित्सा के पारंपरिक प्रणालियों और होम्योपैथी के क्षेत्रों में सहयोग हेतु भारत और श्रीलंका के मध्य समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसंधान, प्रशिक्षण, सम्मेलन और बैठकों हेतु वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित स्रोतों का ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए देश दर देश समझौता ज्ञापन के प्रारूप पर दोनों सरकारें सहमत हो गई हैं और मंत्रिमंडल ने भी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

इस समझौता ज्ञापन में दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों की परिकल्पना की गई है:

i. शिक्षण, अभ्यास, औषधों व औषध हीन उपचारों, पारंपरिक चिकित्सा एवं होम्योपैथी के विनियमन सहित उनका संवर्धन

ii. पारंपरिक चिकित्सा एवं होम्योपैथी में चिकित्सा-भ्यासियों, पराचिकित्सकों, वैज्ञानिकों, शिक्षण व्यावसायिकों और छात्रों के प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञों का आदान प्रदान

iii. पारंपरिक चिकित्सा पर अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संस्थाओं में इच्छुक वैज्ञानिकों, चिकित्सा-भ्यासियों, पराचिकित्सकों तथा छात्रों को जगह देना।

iv. पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी में सरकार की मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों, शैक्षणिक योग्यताओं, भेषजसंहिताओं ओर औषधयोगों की आपसी मान्यता।

v. पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी पर शैक्षणिक सहयोग।

(ग) आयुष मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन हेतुं केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित कुल बजट 13.00 करोड़ रुपये है। अत: अलग-अलग कार्यकलापों के लिए बंटवारा नहीं किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

2774. **श्री अरविंद सावंत:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में गिरावट के क्या कारण हैं, जो कि निरंतर राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है परन्तु अब वर्ष 2012-13 से इसमें गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज की गई है; और

(ख) पुनर्भुगतान अवधि से पूर्व केन्द्र सरकार से एक लाख करोड़ रुपए के अनुदान के भाग के रूप में के.आई.आई.एफ.बी. को स्वीकृत 4270 करोड़ रुपए के अतिरिक्त केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड (के.आई.आई.एफ.बी.) के खाते पर केन्द्र सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्यों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्राक्कलन प्रकाशित करता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्तमान मूल्य (2011-12 आधार के रूप में) पर केरल का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2012-13 में 4.12 लाख करोड़ रुपए से 2016-17 में 6.22 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शा रहा है।

यह मंत्रालय केरल अवसंरचना निवेश निधि बोर्ड को कोई धनराशि प्रदान नहीं करता है।

आयुष अस्पताल

2775. श्री कंवर सिंह तंवर: क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्थापित आयुष अस्पतालों का राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) क्या उत्तर प्रदेश राज्य व मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल का स्थापना का कोई प्रस्ताव है तथा यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण आयुष अस्पताल खोलना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, राष्ट्रीय आयुष मिशन का केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 50 बिस्तर तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों का स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार गत दो वर्षों के दौरान स्वीकृत 50 बिस्तर तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में बहु-विशेषज्ञता युक्त आयुष अस्पताल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत स्वीकृत 50 बिस्तर तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	50 बिस्तर तक के स्वीकृत एकीकृत अस्पताल की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	असम	2
3.	बिहार	0
4.	छत्तीसगढ़	0
5.	दादरा और नगर हवेली	0
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	2
8.	हरियाणा	0
9.	हिमाचल प्रदेश	2
10.	जम्मू और कश्मीर	2
11.	कर्नाटक	2
12.	केरल	1
13.	लक्षद्वीप	1
14.	महाराष्ट्र	4
15.	मणिपुर	4
16.	मध्य प्रदेश	4
17.	मेघालय	1
18.	नागालैंड	2
19.	ओडिशा	2
20.	पुदुचेरी	0
21.	पंजाब	2
22.	राजस्थान	4
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	2
25.	तेलंगाना	3
26.	त्रिपुरा	2
27.	उत्तर प्रदेश	11
28.	उत्तराखंड	1
29.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	56

हरित पटाखे

2776. श्री एम. चन्द्राकाशी: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'हरित पटाखों' को परिभाषित करने के आधार सहित देश में पटाखों के उत्पादन और इस्तेमाल के नियंत्रण/विनियमन के मामलों में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे हरित पटाखों के प्रयोग से पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश में कार्यरत पटाखा निर्माण इकाइयां गैर-हरित पटाखों पर रोक लगाने से गंभीर रूप से पंगु हो जाएंगी;

(घ) यदि हां, तो देश के पटाखा उत्पादन उद्योग की दिक्कतों का समाधान करने हेतु उठाए जा रहे कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में पेट-कोक, ई-कचरा आदि हानिकारक रसायानों के आयात की घटनाओं को संज्ञान में लिया है, तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) सरकार की नीति का उद्देश्य नवीनतम वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर देश में पटाखों के उत्पादन तथा फोड़े जाने को विनियमित करना है। ध्वनि नियम, 2000 में यथा निर्धारित ध्वनि स्तर से अधिक वाले पटाखों के उत्पादन, विक्रय अथवा प्रयोग पर निषेध है और इनमें पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पी.ई.एस.ओ.) द्वारा निर्धारित सुरक्षा विनियमों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। सरकार ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण के मुद्दे को गंभीरता से लिया है और राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल पटाखों अथवा हरित पटाखों के विकास हेतु प्रयास प्रारंभ किए हैं।

(ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, ऐसे हरित पटाखों को जलाए जाने में वैकल्पिक रसायनों तथा हरित ऑक्सीकारकों के साथ 20-45%तक प्रदूषण में कमी होने और पटाखों के कारण बेरियम, एल्यूमीनियम तथा लोहा जैसे विषाक्त तत्वों से प्रदूषण में नियंत्रण होने की संभावना है।

(ग) और (घ) सरकार ने पटाखा उद्योग को बंद किए जाने तथा गैर-हरित पटाखों को जलाए जाने के कारण श्रमिकों की जीविका की हानि के संबंध में पटाखा संघों के अभ्यावेदनों का संज्ञान लिया है। यह मामला अर्जुन गोपाल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में 2015 की रिट याचिका (सिविल) सं. 728 में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

(ङ) सरकार ने देश में खतरनाक रसायनों जैसे पेट-कोक, ई-अपशिष्ट सामग्रियों इत्यादि के आयात की घटनाओं का संज्ञान लिया है। सरकार ने देश में पेट-कोक के आयात के संबंध में 1985 की रिट याचिका (सिविल) सं. 13029 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 09 अक्तूबर, 2018 के आदेश के अनुपालन में आयात नीति में संशोधन किए हैं। इसके साथ ही, खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन तथा सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के उप नियम 12(6) के अनुसार देश में ई-अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबन्ध है।

औषधीय और सुगंधित पौधों की पहचान हेतु सर्वेक्षण

2777. श्री के. आर.पी. प्रबाकरन: क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से पश्चिमी घाट में, विभिन्न औषधीय/सुगंधित पौधों की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है, यदि हां, तो इन पौधों की अनुमानित क्षमता को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस हेतु आवंटित धनराशि सहित इन पौधों के प्रलेखीकरण, संरक्षण कृषि उत्पादन और व्यावसायिक दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की किसानों को हर्बल खेती को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विशेष रूप से औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन हेतु कोई विश्वविद्यालय अथवा संस्थान की शुरुआत करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक):

(क) पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी.एस.आई.), देश में पादप विविधता सर्वेक्षण, इसके प्रलेखन जिसमें देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और पारिस्थितिक तंत्र स्तर पर इससे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान शामिल है, के लिए अधिदेशित है। बी.एस.आई. औषधीय/सुगन्धित पादपों/विभिन्न जड़ी-बूटियों सहित देश के सभी पादप संसाधनों का सर्वेक्षण और प्रलेखन कर रहा है और अनुमान लगाया गया है कि देश में औषधीय जड़ी-बूटियों और औषधीय पादपों की 8000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी.एस.आई.) की सूचना के अनुसार, पश्चिमी घाटों में औषधीय और सुगंधित पादपों की लगभग 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं।

(ख) वर्तमान में, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एन.एम.पी.बी.), आयुष मंत्रालय, भारत संस्कार "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन की केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम" क्रियान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत सर्वेक्षण, सूचीकरण, औषधीय पादप संरक्षण और विकास क्षेत्रों (एम.पी.सी.डी.एस.) के विकास के माध्यम से स्वःस्थाने संरक्षण, जड़ी-बूटीय उद्यानों की स्थापना के माध्यम से बाह्य स्थाने संरक्षण आदि के लिए परियोजना आधारित सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के लिए आवंटित निधि निम्नानुसार है:

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	आवंटित निधि (रुपये करोड़ों में)
"औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन की केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम"	2015-16	68.88
	2016-17	70.00
	2017-18	71.00

वर्तमान में आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) की अपनी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत औषधीयॅ/सुगंधित पादपों/जड़ी-बूटियों की खेती और वाणिज्यिक उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर खेती को बढ़ावा दे रहा है।

(ग) जी, हां। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार अपनी राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत देशभर में जड़ी बूटियों/औषधीय पादपों की कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है

एन.ए.एम. स्कीम के अंतर्गत, "औषधीय पादप" का एक घटक है जिसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तायुक्त पादप सामग्री की आपूर्ति के लिए पौधशालाओं की स्थापनाके माध्यम से पश्चवर्ती संबंध और फसलोंपरांत प्रबंधन के लिए अग्रवर्ती संबंधों सहित किसानों की भूमि पर जड़ी-बूटियां/औषधीय पादपों की कृषि के लिए सहायता करना है। वर्तमान में देशभर में 140 औषधीय पादप प्रजातियों को कृषि सहायता हेतु प्राथमिकता दी गई है जिसके लिए किसानों को कृषि लागत की 30%, 50% और 75% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। एन.ए.एम. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार इस घटक के अंतर्गत निधि केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाती है जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र के राज्यों में यह 90:10 के अनुपात में और केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश में 100% वित्त पोषित की जाती है। कृषि कार्यक्रम को संबंधित राज्य की युनिंदा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है और संबंधित राज्य के लिए वित्तीय सहायता राज्य वार्षिक कार्य योजना के अनुसार प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन देश में राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए आयुष मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिलों में स्थान चुना है। इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन जम्मू और कश्मीर राज्य में उच्च उन्नतांश औषधीय पादप संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

प्रतिभूतिकरण संबंधी मानकों को शिथिल करना

2778. **श्री राम चरित्र निषाद:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यूनतम धारक अवधि में कमी कर प्रतिभूतिकरण संबंधी मानकों में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कदम के बाद सरकार से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने तरलता सहायता हेतु विशेष विंडो की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के द्वारा प्रतिभूतिकरण मानदण्ड में छूट देने के संबंध में आर.बी.आई. ने यह सूचित किया है कि एन.बी.एफ.सी. को पांच वर्ष से अधिक अवधि में परिपक्व होने वाले मूल ऋणों के संबंध में अपनी उपयुक्त आस्तियों को प्रतिभूत करने/सुपुर्द करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आर.बी.आई. ने मई 2019 तक ऐसे प्रतिभूति/सुपुर्दगी, जो ऋण के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत प्रतिभूत है अथवा सुपुर्द आस्ति का 20 प्रतिशत नकद प्रवाह हो, के लिए न्यूनतम अवधारण अपेक्षा के अध्यधीन छः मासिक किश्त अथवा दो तिमाही किश्त की प्राप्ति के लिए मूल एन.बी.एफ.सी. हेतु न्यूनतम अवधारण अवधि की अपेक्षा में छूट दी है।

(ग) और (घ) एन.बी.एफ.सी. को नकदी सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष अवसर प्रदान करने के संबंध में आर.बी.आई. ने यह सूचित किया है कि बाजार एवं एन.बी.एफ,सी. की नकदी की स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) वित्तीय बाजारों में नकदी उपलब्ध कराने के लिए नकदी समायोजन सुविधा (एल.ए.एफ.) की नियमित नीलामी के अलावा मुक्त बाजार परिचालन किया गया।

(2) आर.बी.आई. ने बैंकों को अनिवार्य सांविधिक नकदी अनुपात (एस.एल.आर.) अपेक्षा के तहत नकदी कवरेज अनुपात के लिए उपलब्ध नकदी की सुविधा (एफ.ए.एल.एल.सी.आर.) के अंतर्गत उच्चतम स्तर की उच्च गुणवत्ता वाली नकद आस्ति (एच.क्यू.-एल.ए.) के अनुसार, 19 अक्तूबर, 2018 की अपनी बही में एन.बी.एफ.सी. और आवास वित्त कंपनियों (एच.एफ.सी.) की बकाया ऋण राशि के अतिरिक्त एन.बी.एफ.सी. एवं आवास वित्त कंपनियों (एच.एफ.सी.) में अपने बढ़ते बकाया ऋण के समतुल्य राशि के बराबर धारित सरकारी प्रतिभूतियों की संगणना करने की अनुमति दी है। यह निवल मांग और समय देयता (एन.डी.टी.एल.) के मौजूदा एफ.ए.एल.-एल.सी.आर. के 13 प्रतिशत के अतिरिक्त है और बैंकों के एन.डी.टी.एल. के 0.5 प्रतिशत तक सीमित है। उपर्युक्त अतिरिक्त एफ.ए.एल.-एल.सी.आर. 31 दिसम्बर, 2018 तक उपलब्ध होगा।

(3) एन.बी.एफ.सी. के संबंध में एकल उधारकर्ता, जो अवसंरचना का वित्तपोषण नहीं करता है, की एक्सपोजर सीमा को 31 दिसम्बर, 2018 तक पूंजी निधि के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

(4) बैंकों को 1 प्रतिशत की पूंजीगत निधि तथा मौजूदा ऋण के पुनर्वित्तपोषण हेतु विद्यमान एकल/समूह उधारकर्ता के संबंध में आर.बी.आई. में पंजीकृत एन.बी.एफ.सी.-एन.डी.-एस.आई. और राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत एच.एफ.सी. के द्वारा जारी न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के बॉण्ड के लिए 20 प्रतिशत की आंशिक ऋण वृद्धि (पी.सी.ई.) एक्सपोजर की कुल सीमा के अंतर्गत आंशिक ऋण वृद्धि (पी.सी.ई.) उपलब्ध कराने हेतु 2 नवम्बर, 2018 को अनुमति दी गई थी।

[हिन्दी]

होम्योपैथी का विकास

2779. श्री नारणभाई काछडिया:

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

श्री रामदास सी. तडस:

श्री विद्युत वरण महतो:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार होम्योपैथी के उपयोग पर बल दे रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या होम्योपैथी में प्रोफेसरों की कमी भी नोटिस की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति आयुष मंत्रालय के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। होम्योपैथी की शिक्षा और अभ्यास का विनियमन होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित सांविधिक निकाय केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा किया जाता है।

होम्योपैथी का अनुसंधान कार्य केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद नामक एक सर्वोच्च स्वायत्त अनुसंधान परिषद के माध्यम से किया जाता है जिसका पूरे भारत में 24 संस्थानों/एकांशों तथा 08 उपचार केंद्रों का नेटवर्क है जिनमें होम्योपैथी से उपचार किया जाता है।

भारत सरकार होम्योपैथी सहित आयुष पद्धतियों के संवर्धन और विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम लागू कर रही है। एन.ए.एम. के अधीन राज्य/संघ राज्य सरकारों को उनकी प्रस्तावित राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एस.ए.ए.पी.) के अनुसार सहायता-अनुदान दिया जा रहा है।

आयुष मंत्रालय ने कोलकाता में होम्योपैथी का एक सर्वोच्च स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान भी स्थापित किया हुआ है जो होम्योपैथी में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठयक्रम संचालित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा नरेला, नई दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान के एक विस्तार केंद्र की भी परिकल्पना की गई है।

आयुष मंत्रालय ने एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान को स्नातकोत्तर शिक्षण केंद्र के रूप में उन्नत किया है जिसका नाम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान (एन.एच.आर.आई.एम.एच.) है जो सी.आर.आई. (एच), कोट्टायम, केरल में स्थित है।

होम्योपैथी का औषध संबंधी मामला औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियमावली, 1945 के प्रावधानों के अनुसार नियमित किया जाता है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अधीन होम्योपैथी भेषज संहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद में स्थापित की गई थी जो होम्योपैथी चिकित्सा के मानक निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च प्रयोगशाला के रूप में कार्य करती है।

(ख) यह मंत्रालय आरोग्य प्रदर्शनियों/स्वास्थ्य मेलों इत्यादि में भाग लेकर केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के माध्यम से होम्योपैथी को बढ़ावा दे रहा है और लोकप्रिय बना रहा है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 115 स्वास्थ्य मेलों/आरोग्य मेलों/चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया है जिसमें होम्योपैथी के उपयोग पर जोर देते हुए जनता के बीच सूचना और शिक्षा सामग्री का वितरण किया गया।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) के अधीन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को होम्योपैथी सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः 331.01 करोड़ रुपए, 417.11 करोड़ रुपये और 489.07 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी.एच.सी.), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सी.एच.सी.) और जिला अस्पतालों (डी.एच.) में आयुष सुविधाओं का सह-स्थापन, केवल राज्य सरकार के आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों का उन्नयन, 50 बिस्तर तक वाले समेकित आयुष अस्पतालों की स्थापना, आयुष अस्पतालों में अनिवार्य औषधों की आपूर्ति, राज्य सरकार/सरकार से सहायता प्राप्त स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थाओं का उन्नयन तथा जिन राज्यों के सरकारी क्षेत्र में आयुष शैक्षणिक संस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनमें राज्य सरकार के नए आयुष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र का भी विकास किया गया है। वर्ष 2015-16 में केवल 197 होम्योपैथी कॉलेजों की तुलना में 30 नवम्बर, 2018 को 236 होम्योपैथिक कॉलेज विद्यमान हैं।

(ग) और (घ) अनुमति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा प्रस्तुत की गई शिक्षण रिपोर्टों की जांच करते समय मंत्रालय द्वारा कुछ कॉलेजों में प्रोफेसरों सहित अध्यापकों की कमी देखने में आई।

प्रोफेसरों सहित शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (कॉलेजों एवं उनके संबद्ध अस्पतालों हेतु न्यूनतम मानक अपेक्षाएं) में निर्धारित की गई हैं।

अध्यापकों की अधिवर्षिता आयु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी विशेष कॉलेज को लागू मानदंडों के अनुसार है। पात्रता के मानदंडों को पूरा करने वाले सेवानिवृत्त अध्यापकों को पैंसठ वर्ष की आयु तक पूर्णकालिक अध्यापक के रूप में पुन: नियुक्त किया जा सकता है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य देखभाल की घटिया गुणवत्ता

2780. श्री दिव्येन्दु अधिकारी:

श्रीमती. रंजनबेन भट्ट:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति वर्ष 16 लाख लोग स्वास्थ्य देखभाल की घटिया गुणवत्ता के कारण मारे जाते हैं;

(ख) रिपोर्ट में दिए गए सुझावों और सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य केंद्रों के मध्य समन्वय हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गरीब और कमजोर लोगों हेतु प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) जी, हां। एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका लान्सेट में "सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के युग में निम्न गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य प्रणालियों के कारण होने वाली मृत्यु दर; 137 देशों में परिहार्य मौतों का व्यवस्थित विश्लेषण" नामक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें अनुमान लगाया था कि देश में स्वास्थ्य परिचर्य की खराब गुणवत्ता के कारण होने वाली अनुमानत: 15.99 लाख मौतें परिहार्य मौतें होती हैं। यह आंकड़ा 'वैश्विक रोग-भार' नामक रिपोर्ट में प्रयुक्त गौण अनुमान से लिया गया था।

(ख) रिपोर्ट में स्वास्थ्य परिचर्या के कारण एस.डी.जी. दशाओं के सापेक्ष अधिक मत्यु दर का अनुमान लगाया गया है इसमें उन मौतों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य तंत्र के बाहर के अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से रोका जा सकता था।

रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया गया है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का अनुपालन करने वाले देश यदि स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार चाहते हैं तो उनके पास निश्चित तौर पर विस्तृत कवरेज के साथ बेहतर गुणवत्ता होनी चाहिए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी संबंधितों जैसे कि राज्य सरकारों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ, यू.एन.एफ.पी.ए. स्वतंत्र विशेषज्ञों और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ 20.11.2018 को परामर्श गोष्ठी आयोजित की जिसमें देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्य प्रणाली विकसित करने के लिए अपेक्षित उपायों पर चर्चा की गई।

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के तहत, भारत सरकार ने देश में अभिगम्य, समान, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के प्रावधान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ मातृत्व स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम और बड़े रोगों जैसे क्षय रोग, एच.आई.वी/एड्स, मलेरिया, डेंगू और कालाजार, कुष्ठ रोग आदि जैसे वेक्टर जन्य रोगों के लिए नि:शुल्क सेवाओं के प्रावधान हेतु सहायता शामिल है।

राज्यों को विभिन्न स्कीमों जैसे कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.), राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के.), एन.एच.एम. नि:शुल्क दवाओं और नि:शुल्क डायग्नोस्टिक सेवाओं संबंधी पहलों का क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मदर्स एब्सोल्यूट एफेक्शन (एम.ए.ए.) कार्यक्रम, रोगी के लिए नि:शुल्क आपातकालीन परिवहन और राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन के माध्यम से भी सहायता दी जा रही है।

सरकार ने सामान्य गैर-संचारी रोगों-उच्च रक्तचाप, मधुमेह और स्तर, गर्भाशय व मुख कैंसर के लिए 30 वर्ष और इससे ऊपर की आयु वाली महिलाओं और पुरुषों के लिए सार्वभौमिक स्क्रीनिंग भी प्रारंभ की है।

[हिन्दी]

विज्ञापन के माध्यम से गलत सूचना

2781. **श्री अजय मिश्रा टेनी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ घरेलू और विदेशी खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां अपने उत्पादों को विज्ञापन के माध्यम से यह गलत सूचना प्रदान कर ग्राहकों को धोखा देती है कि उनके उत्पाद प्राकृतिक है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) खाद्य सुरक्षा और मानक (एफ.एस.एस.) अधिनियम, 2006 की धारा 23, 24, 52 और 53 क्रमश: खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और लेबलिंग; विज्ञापनों पर प्रतिबंध और अनुचित व्यापार व्यवहार निषेध; मिस ब्रांडेड खाद्य के लिए शास्ति तथा गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर शास्ति का उपबंध करती हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 खाद्य मदों की लेबलिंग और पैकेजिंग की अपेक्षाओं से संबंधित हैं।

खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन के मामले भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के ध्यान में आए हैं। एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन मुख्यत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का उत्तरदायित्व है और राज्य/सघ राज्य क्षेत्र के खाद्य प्राधिकरणों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे नियमित सर्विलांस, मॉनीटरिंग, निरीक्षण के माध्यम से कड़ी सतर्कता करतें और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 के दंड उपबंधों के अनुसार कड़ी कार्रवाई करें।

एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम 19.11.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए थे। इन विनियमों का लाक्ष्य है कि खाद्य पदार्थों संबंधी किए गए दावे और विज्ञापनों में स्पष्टता बरती जाए और खाद्य व्यापार को ऐसे दावों/विज्ञापनों के प्रति जिम्मेदार बनाया जाए ताकि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जा सके। ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो गए हैं और खाद्य व्यवसाय प्रचालक 1 जुलाई, 2019 से इन विनियमों के प्रावधान का पालन करेंगे।

[अनुवाद]

आई.सी.डी.एस. समान अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर

2782. **श्री वी. एलुमलाई:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) समान अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर देशभर के 57 जिलों में काम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सॉफ्टवेयर प्रत्येक गांव में पोषण प्रोफाइल बनाने और स्थायी आधार पर पोषण की समस्या के समाधान के लक्ष्य में मदद करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) जी, हां। समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जुलाई, 2018 तक 07 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 57 जिलों में प्रचालन में था। 30 नवम्बर, 2018 तक की स्थिति के अनुसार, आई.सी.डी.एस.-सी.ए.एस. 09 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 64 जिलों में शुरू किया जा चुका है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) आई.सी.डी.एस.-सी.ए.एस. सॉफ्टवेयर से वृद्धि चार्टों के स्वत: अंकन के आधार पर कुपोषित बच्चों का अभिनिर्धारण किया जा सकता है। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध ड्रिलडाउन-डैशबोर्ड से अल्पपोषण की समस्या का समय पर पता लगाया और उसके समाधान के उपाय किए जा सकते हैं।

विवरण

उन जिलों की सूची, जिनमें आईसीडीएस-सीएएस शुरू किया जा चुका है (30.11.2018 तक की स्थिति)

आंध्र प्रदेश	क्र.सं.	जिला
	1.	पूर्वी गोदावरी
	2.	अनंतपुर
	3.	विशाखापत्तनम
	4.	चित्तूर
	5.	प्रकाशम
	6.	श्रीकाकुलम
	7.	पश्चिम गोदावरी
	8.	विजयनगरम
	9.	वाईएसआर कडप्पा
	10.	कुरनूल
बिहार	11.	समस्तीपुर
	12.	सीतामढ़ी
	13.	भागलपुर
	14.	बक्सर
	15.	जहानाबाद
	16.	लखीसराय
छत्तीसगढ़	17.	रायपुर
	18.	महासमुंद
	19.	कबीरधाम
	20.	दुर्ग
	21.	बालोद
	22.	गरियाबंद
	23.	बेमेतरा
झारखंड	24.	धनबाद
	25.	दुमका
	26.	गिरिडीह
	27.	पलामू
	28.	लोहरदगा
	29.	लातेहार
	30.	कोडरमा
मध्य प्रदेश	31.	मुरैना
	32.	राजगढ़
	33.	शिवपुरी
	34.	विदिशा
	35.	उज्जैन
	36.	डिंडोरी
	37.	सीधी
	38.	बड़वानी
	39.	दमोह
	40.	कटनी
	41.	खंडवा
	42.	पन्ना
	43.	शाजापुर
	44.	दतिया
	45.	बुरहानपुर
	46.	उमरिया
राजस्थान	47.	जोधपुर
	48.	जयपुर
	49.	अजमेर
	50.	अलवर
	51.	वरुण
	52.	उदयपुर
	53.	चुरू
	54.	कोटा

आंध्र प्रदेश	क्र.सं.	जिला
	55.	चित्तौड़गढ़
उत्तर प्रदेश	56.	चंदौली
	57.	बाराबंकी
	58.	चित्रकूट
	59.	पीलीभीत
	60.	फतेहपुर
	61.	हरदोई
दादर और नगर हवेली	62.	दादरा नगर हवेली
दमन और दीव	63.	दमन
	64.	दीव

आयकरदाता बेस को बढ़ाना

2783. **श्री नारामल्ली शिवप्रसाद:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर घोषणा योजना 2016 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) योजना का लाभ लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है और योजना के अंतर्गत जुटाई गई कर राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार की योजना जागरूकता बढ़ाने और करदाता बेस को बढ़ाने के लिए देशभर में करदाता केंद्रों की स्थापना करने की है;

(घ) यदि हां, तो इन केन्द्रों की भूमिका और उत्तरदायित्व सहित स्थान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देशभर में आयकरदाता बेस को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क)

(i) सरकार ने आय घोषणा योजना, 2016 ('योजना') को वित्त अधिनियम के माध्यम से लागू किया है जोकि घोषणा करने के लिए 01.06.2016 से 30.09.2016 तक खुली रही थी।

(ii) इस योजना के तहत, निर्धारण वर्ष 2017-18 से पूर्व के किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी आय के संबंध में अथवा भारत में स्थित किसी भी परिसंपत्ति में निवेश के रूप में आय जो कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अंतर्गत कर प्रभार्य आय से अर्जित हो, के संबंध में घोषणा की जा सकती थी।

(iii) योजना के अंतर्गत, वे व्यक्ति घोषणा करने के लिए पात्र थे जो या तो अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत विवरणी दायर करने में विफल रहे या योजना के आरंभ होने की तिथि से पहले विवरणी में ऐसी आय की घोषणा करने में विफल रहे, या ऐसी आय जो चूक के कारण से निर्धारण से बच गई या अधिनियम के अन्तर्गत विवरणी दायर करने में ऐसे व्यक्ति के पक्ष पर चूक या निर्धारण या अन्यथा के लिए सभी अपेक्षित तथ्यों को पूर्ण रूप से और सत्य रूप से घोषित करने में विफल रहे हों।

(iv) घोषणाकर्ता ऐसी अघोषित आय के मूल्य के 30 प्रतिशत की दर से कर देने के लिए दायी थे तथा ऐसे कर पर 25% की दर से प्रभार भी लगत था। इसके अतिरिक्त, घोषणाकर्ता, ऐसे कर पर 25 प्रतिशत की दर से शास्ति का भुगतान करने हेतु भी दायी थे।

(ख) योजना के तहत ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिन्होंने घोषणाएं दायर की, करीब 71,000 (लगभग) थी। सरकार द्वारा योजना से जुटाया गया संग्रहण 23,621 हजार करोड़ रुपए (लगभग) था।

(ग) और (घ) जी हां। आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष करदाता केन्द्र अर्थात् आयकर सेवा केंद्र (ए.एस.के. सेन्टर) स्थापित किए जा रहे हैं ताकि जागरूकता और करदाता बेस बढ़े। अभी तक देश भर में कुल 400 ए.एस.के. सेंटर स्थापित किए गए है। 30 और नए ए.एस.के. सेंटरों को इस वर्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है। ए.एस.के. केन्द्रों की भूमिका और उत्तरदायित्व सहित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर संग्रहण और कर दायरे को बढ़ाने के लिए कई विधायी, प्रशासनिक और प्रवर्तन उपाय किए हैं, जैसे-

(i) वित्तीय संव्यवहारों के अधिक प्रकारों को दायरे में लाने के लिए टी.सी.एस. के कार्यक्षेत्र को बढ़ाना

(ii) तृतीय पक्ष वित्तीय संव्यवहार रिपोर्टिंग का विस्तार और इसे सुदृढ़ करना ताकि वृहत् डाटा प्राप्त किया जा सके व कर-अपवचन या आय के कम सूचित करने की पहचान हो सके।

(iii) तृतीय पक्ष डाटा के आधार पर संभावित करदाताओं को ज्ञात करने के लिए नान-फाइलर मॉनीटरिंग सिस्टम (एन.एम.एस.) का कार्यान्वयन।

(iv) विमुद्रीकरण के बाद बेहिसाबी आय का पता लगाने के लिए बैंक खातों में नकद जमाओं के डाटा पर अनुवर्ती कार्रवाई।

(v) नए विधान और सख्त प्रवर्तन के माध्यम से देश के भीतर और बाहर दोनों में काला धन के सृजन और प्रयोग के विरुद्ध कार्रवाई।

(vi) करदाता उच्च स्तरीय सेवा, शिकायतों का शीघ्र निपटान, करों के भुगतान और विवरणियों को दायर करने में सुगमता, प्रमाण पत्र इत्यादि जारी करके ईमानदार करदाता को सम्मान के द्वारा स्वैच्छिक अनुपालना में प्रोत्साहन।

विवरण

एएसके केन्द्रों का राज्य/संघ राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	मौजूदा एएसके केन्द्रों की संख्या	वित्त वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित एएसके केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	पंजाब	18	5
2.	हिमाचल प्रदेश	4	0
3.	हरियाणा	12	0
4.	जम्मू और कश्मीर	1	0
5.	गुजरात	31	3
6.	महाराष्ट्र	35	2
7.	केरल	16	0
8.	दिल्ली	3	2
9.	तमिलनाडु	36	4
10.	ओडिशा	16	0
11.	राजस्थान	33	1
12.	मध्य प्रदेश	25	0
13.	छत्तीसगढ़	9	0
14.	बिहार	10	2
15.	झारखंड	7	1

1	2	3	4
16.	असम	19	0
17.	त्रिपुरा	1	0
18.	नागालैंड	1	0
19.	मणिपुर	1	0
20.	मेघालय	1	0
21.	आंध्र प्रदेश	24	1
22.	तेलंगाना	5	1
23.	कर्नाटक	25	1
24.	गोवा	1	0
25.	पश्चिम बंगाल	22	2
26.	सिक्किम	1	0
27.	उत्तर प्रदेश	39	0
28.	**उत्तराखंड**	4	4
संघ राज्य प्रदेश			
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1
	कुल	400	30

ए.एस.के. केन्द्रों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व:

(i) ए.एस.के. केंद्र करदाताओं के लिए आय की विवरणी सहित सभी प्रतिवेदनों की केंद्रीयकृत रसीद एवं पंजीकरण हेतु एकल विंडो संपर्क के रूप में कार्य करते हैं।

(ii) ये केंद्र प्रत्येक डाक के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग तंत्र प्रदान करते हैं और इसकी विभाग के विभिन्न स्तरों पर निरंतर निगरानी रहती है।

(iii) ये केंद्र विभिन्न प्रपत्र, लीफलेट, एवं अन्य प्रासंगिक सूचना प्रदान करते हैं जो कि करदाताओं के हित से संबंधित हो।

(iv) इन केंद्रों में एक अलग विंडो है जो करदाताओं के लिए पूछताछ/सुविधा काउंटर के रूप में काम करती है।

(v) ये केंद्र, आय कर विभाग के नागरिक चार्टर की निगरानी एवं कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करते हैं।

(vi) ये ई-निवारण के माध्यम से शिकायतों का पंजीकरण एवं निगरानी के लिए एक प्लेटफार्म भी प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

2784. **कुमारी शोभा कारान्दलाजे** :

श्री प्रताप सिम्हा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.एम.एच.पी.) के अंतर्गत सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) हेतु आवंटित राशि कितनी है;

(ख) मानसिक अस्वस्थता के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित उत्कृष्टता केन्द्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूची क्या है;

(घ) देश में योग्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की अत्यधिक कमी से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का जिला मानसिक कार्यक्रम (डी.एम.एच.पी.) लागू करने का प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके मुख्य संघटक क्या है तथा अभी तक कवर किए गए जिलों की संख्या कितनी है? और

(च) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) से (ङ) भारत सरकार मानसिक विकारों/बीमारियों का पता लगाने, इनके प्रबंधन और उपचार के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.एम.एच.पी.) के तहत देश के 517 जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डी.एम.एच.पी.) के क्रियान्वयन के लिए सहायता प्रदान कर रही है। डी.एम.एच.पी. के उद्देश्य निम्नानुसार है:

i. जिला स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी तंत्र के विभिन्न स्तरों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना जिनमें मानसिक रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य परिचर्या को बढ़ावा देना और इसे लंबी अवधि तक जारी रखना शामिल है।

ii. मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अवसंरचना, उपस्कर और मानव संसाधन से संबंधित संस्थागत क्षमता को बढ़ाना।

iii. मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की प्रदायगी में समुदाय की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना।

iv. अन्य संबंधित कार्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य के आधार को व्यापक बनाना।

मानसिक रोगों के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) संबंधी क्रियाकलाप एन.एम.एच.पी. का अभिन्न अंग हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.एम.एच.पी.) के तहत सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.ई.सी.) संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों को प्रारंभ करने के लिए 5 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डी.एम.एच.पी.) के तहत जिला स्तर पर स्थानीय अखबारों और रेडियो, नुक्कड़ नाटकों, भित्ति चित्र में जागरूकता संदेश, समुदाय, स्कूलों, कार्यस्थलों पर समुदाय की भागीदारी में जागरूकता सृजन क्रियाकलाप आदि विभिन्न आई.ई.सी. क्रियाकलापों के लिए प्रति जिला 4 लाख रु. तक की निधियां प्रदान की जाती हैं।

देश में योग्यता प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिए सरकार एन.एम.एच.पी. के तहत मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और स्नातकोत्तर (पी.जी.) विभागों के सुदृढ़ीकरण/स्थापना के लिए जनशक्ति विकास संबंधी स्कीमों का क्रियान्वयन कर रही है। अभी तक, देश में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 25 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और स्नातकोत्तर (पी.जी.) विभागों के सुदृढ़ीकरण/स्थापना के लिए जनशक्ति विकास संबंधी स्कीमों का क्रियान्वयन कर रही है। अभी तक, देश में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 25 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और 47 स्नातकोत्तर (पी.जी.) विभागों के सुदृढ़ीकरण/स्थापना के लिए सहायता प्रदान की गई है। विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में स्थापित होने के लिए जिन संस्थानों को सहायता प्रदान की गई है उनकी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

सरकार सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या की विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सीय और अर्द्ध चिकित्सीय पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए तीन केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित डिजीटल अकादमी के माध्यम से देश के अल्पसेवित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध जनशक्ति का विस्तार भी कर रही है।

(च) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में संस्था निकाय और शासी निकाय तथा सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहान्स), बेंगलुरू की स्थायी वित्त समिति द्वारा संस्थान के कार्य संचालन की

समीक्षा की गई है। वर्ष 2017-18 के दौरान, संस्थान के कार्य संचालन की समीक्षा करने और विभिन्न पाठ्यक्रमों, निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को प्रारंभ करने और उपस्कर के प्रापण आदि के लिए संस्थान के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए संस्थान निकाय और शासी निकाय की एक-एक बैठक और स्थायी वित्त समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी निमहान्स, बेंगलुरू के कार्य संचालन की नियमित रूप से समीक्षा करता है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान एनएमएचपी के तहत स्थापना के लिए सहायता प्राप्त 14 उत्कृष्टता केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	संस्थान का नाम
1	2	3
1.	तेलंगाना	काकतीय मेडिकल कॉलेज, वारंगल
2.	पंजाब	इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, अमृतसर
3.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर
4.		एमजीएम मेडिकल कॉलेज, इंदौर
5.	गोवा	इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री एंड ह्यूमन बिहेवियर, बम्बोलिम
6.	कर्नाटक	धारवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस
7.	दिल्ली	डॉ. आरएमएल अस्पताल, दिल्ली
8.	हिमाचल प्रदेश	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज, कांगड़ा, टांडा
9.	राजस्थान	एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
10.		एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर
11.	आंध्र प्रदेश	मानसिक देखभाल के लिए अस्पताल, विशाखापत्तनम
12.	पश्चिम बंगाल	मनोरोग विभाग, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज
13.	उत्तर प्रदेश	इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
14.		किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ

निम्न कार्बन ग्रामीण विकास

2785. श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जलवायु परिवर्तन के दायरे में निम्न कार्बन ग्रामीण विकास की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य भी निम्न कार्बन ग्रामीण विकास को वरीयता दे रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त हुई/रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) सरकार निम्न कार्बन विकास को सुनिश्चित करने के लिए शहरी तथा ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना कार्यान्वित कर रही है। पेरिस करार के अंतर्गत 2021 से 2030 की अवधि के लिए यू.एन.एफ.सी.सी.सी. को प्रस्तुत किए गए भारत के राष्ट्र लक्षित अंशदान (एन.डी.सी.) में स्वच्छतर आर्थिक विकास, सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की उत्सर्जन तीव्रता में कटौती, ऊर्जा संसाधनों में गैर-जीवाश्म ईंधन के हिस्से को बढ़ाने, वनों के माध्यम से कार्बन अवशोषण के संवर्धन, वहनीय जीवनशैली, और बेहतर अनुकूलन इत्यादि पर बल दिया गया है। बत्तीस राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य विशिष्ट सरोकारों का निराकरण करने के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के उद्देश्य के अनुरूप अपनी-अपनी राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं (एस.ए.पी.सी.सी.) तैयार की हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विश्व बैंक से विश्व बैंक ग्रामीण सड़क परियोजना-II के अतिरिक्त वित्त पोषण के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त की है जो 32 महीने की अवधि के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल निधियन के साथ मिली है। यह परियोजना 18 जून, 2018 से लागू हुई जिसमें 2000 किमी, की हरित तथा जलवायु अनुकूल डिजाइन के साथ लगभग 5500 किमी, ग्रामीण सडकों के निर्माण/पुनरुद्धार/उन्नयन का लक्ष्य शामिल है।

खनन परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय मंजूरी

2786. **श्री रवनीत सिंह:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 5 हेक्टेयर से कम की खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृतियों से छूट प्राप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 5 हेक्टेयर से कम वाली खानों के कारण वनों की कटाई की मात्रा के संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी बड़ी खदानों की संख्या कितनी है, जिन्होंने अपने पट्टे को छोटी खानों में बांट दिया है; और

(घ) क्या सरकार की योजना 5 हेक्टेयर से कम वाली खानों को पर्यावरणीय स्वीकृति के दायरे में लाने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2006 जारी की है जो पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया से संबंधित है। समय-समय पर यथासंशोधित ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अनुसार खदान पट्टा क्षेत्र के आकार तथा खनिजों के प्रकार के निरपेक्ष सभी गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है।

5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की गौण खनिज खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति की अपेक्षा दीपक कुमार इत्यादि बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य नामक 2009 की एस.एल.पी.(सी.) सं. 19628-19629 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27.02.2012 के आदेश के अनुसरण में उत्पन्न हुई। इस मंत्रालय ने उक्त आदेश दिनांक 27.02.2012 के अनुसरण में कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18.05.2012 जारी किया जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है कि गौण खनिजों की सभी खनन परियोजनाओं तथा उनके नवीकरण के लिए पट्टे के आकार के निरपेक्ष पर्यावरण पूर्वानुमति अपेक्षित होगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 के द्वारा पहली बार गौण खनिजों के व्यक्तिगत खनन पट्टे के 5 हेक्टेयर तक और समूह में 25 हेक्टेयर तक पर्यावरण स्वीकृति का प्राधिकार जिला दंडाधिकारी/जिला समाहर्ता की अध्यक्षता वाले जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) को प्रत्यायोजित किया है। एक जिला विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (डी.ई.एस.ई.) भी गठित की गई है। हाल ही में, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिनांक 04.09.2018 तथा 13..09.2018 के अपने निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस मंत्रालय को दिनांक 15.01.2016 की अधिसूचना में यह संशोधन करने का निदेश दिया कि 0 से 5 हेक्टेयर तक के पट्टों को पर्यावरणीय पूर्वानुमति राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) /राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) द्वारा प्रदान की जाए, न कि डी.ई.आई.ए.ए./डी.ई.ए.सी. द्वारा।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 5 हेक्टेयर/खदानों के टुकड़े किये जाने के अंतर्गत उनके द्वारा हुए निर्वनीकरण के परिमाण के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

यूनानी केन्द्र

2787. **श्री धनंजय महाडीक:**
श्री पी.आर. सुन्दरम:
डॉ. जे. जयवर्धन:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत यूनानी केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है और इसके प्रारंभ से इन केन्द्रों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों सहित तत्संबंधी

स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों में उपचार प्राप्त कर रहे रोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्यय की गई निधियों की कुल राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार को यूनानी दवा केन्द्र खोलने के लिए तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इस पर सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्यवाही की गई/प्रस्तावित है;

(ङ) क्या सरकार अन्य पारंपरिक दवाओं की तुलना में चिकित्सा की यूनानी पद्धति का प्रसार करने में समर्थ नहीं रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा चिकित्सा की यूनानी पद्धति के नेटवर्क को बढ़ावा देने और विस्तार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एन.आई,यू.एम.), बंगलोर (कर्नाटक) एक राष्ट्रीय संस्थान है। जहां तक सी.सी.आर.यू.एम. का संबंध है इसकी देश के विभिन्न भागों में कुल 23 संस्थान/इकाइयां क्रियाशील हैं। इन केंद्रों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और स्थानवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। परिषद के विभिन्न कार्यक्रमों संबंधी उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) इन केंद्रों में जी.ओ.पी.डी./विशष ओ.पी.डी. में वर्ष में औसतन 5 लाख रोगियों का उपचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त एन.पी.सी.डी.सी.एस. और परिषद के यूनानी चिकित्सा के समेकित और स्वास्थ्य रक्षण/परीक्षण कार्यक्रम में भी लगभग 2 लाख रोगियों का वर्ष में उपचार किया गया है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। एन.आई,यू.एम. एम., बेंगलुरू के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

(ग) और (घ) मंत्रालय को महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों से यूनानी चिकित्सा केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, परिषद ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान पट्टीयम ग्राम पंचायत, कन्नूर, केरल में एक विस्तार अनुसंधान केंद्र आरंभ किया है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के आयुष सेवा घटक के अंतर्गत 50 बिस्तर तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों जिनमें यूनानी पद्धति भी शामिल है, की स्थापना का प्रावधान है। तथापि, एन.ए.एम. के अंतर्गत नए यूनानी अस्पताल की स्थापना के लिए कोई पृथक प्रावधान नहीं है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एन.ए.एम. के अंतर्गत अनुमोदित 50 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति संलग्न विवरण-V में दी गई है।

(ङ.) मंत्रालय अनुसंधान परिषद के 19 नैदानिक संस्थानों/इकाइयों द्वारा संचालित सामान्य ओ.पी.डी., आर.सी.एच. ओ.पी.डी., जरा चिकित्सा ओ.पी.डी., एन.सी.डी. क्लीनिक आदि के माध्यम से उपचार प्रदान करने जैसे विभिन्न तरीकों द्वारा देश में यूनानी चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। परिषद आरोग्य, स्वास्थ्य मेलों, स्वास्थ्य शिविरों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों और वार्षिक यूनानी दिवस आदि तथा साथ ही चल स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से भी यूनानी चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बना रहा है। एन.पी.सी.डी.सी.एस. में यूनानी चिकित्सा के समेकन और स्वास्थ्य रक्षण/परीक्षण कार्यक्रम नामक दो विशेष कार्यक्रम भी यूनानी चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

आयुष मंत्रालय देश में यूनानी चिकित्सा पद्धति सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एन.ए.एम. दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से इसे दर्शा कर पात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

मिशन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान किया गया है:

I. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में यूनानी सहित आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।

II. यूनानी सहित एकमात्र राज्य सरकार आयुष अस्पतालों और औषधालयों का उन्नयन।

III. यूनानी सहित 50 बिस्तर तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।

IV. यूनानी सहित राज्य सरकार स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थानों का उन्नयन।

V. यूनानी सहित उस राज्य में नए राज्य सरकार आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना जहां ये उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-I

यूनानी चिकित्सा केन्द्रों के राज्य संघ राज्य क्षेत्र वार तथा स्थान वार ब्यौरा

क्र.सं.	स्थानों का नाम एवं पता	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2	3
1.	नैदानिक अनुसंधान एकक कुरनूल-518001	आंध्र प्रदेश
2.	क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (आर.आर.सी.), सिल्चर क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, करीम गंज (विस्तार केन्द्र क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, सिल्चर)	असम
3.	क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पटना	बिहार
4.	क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली यूनानी चिकित्सा केन्द्र, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, कमरा नं. 304, नई दिल्ली (विस्तार केन्द्र क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली) यूनानी विशेषता केन्द्र डॉ. दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, घंटाघर, हरिनगर, नई दिल्ली (विस्तार केन्द्र क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली)	नई दिल्ली
5.	हकीम अजमल खाँ इंस्टीट्यूट फॉर लिटरेरी एंड हिस्टॉरिकल रिसर्च इन यूनानी मैडिसन (भूतपूर्व साहित्यिक यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान), नई दिल्ली आयुष कल्याण केन्द्र, (यूनानी विंग), प्रेसिडेंट एस्टेट, नई दिल्ली	नई दिल्ली
6.	औषधि मानकीकरण अनुसंधान एकक, 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, सम्मुख डी-ब्लाक जनकपुरी	नई दिल्ली
7.	क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर कैंपस, हजरत बल, श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
8.	नैदानिक अनुसंधान इकाई (यूनानी), कुरूपटिल नीना मेमोरियल,	केरल

1	2	3
	नियर पंचायत ऑफिस, पी.ओ. ईडाथला (एन.), अल्वेय	
9.	नैदानिक अनुसंधान इकाई (यूनानी), राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, कोत्तिगपाल्या, मगदी मेन रोड, बैंगलुरू	कर्नाटक
10.	नैदानिक अनुसंधान इकाई (यूनानी), औषध विज्ञान विभाग, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल	मध्य प्रदेश
11.	नैदानिक अनुसंधान इकाई (यूनानी) एस.एच. यूनानी तिबिया कॉलेज, गणपति नाका, बुरहानपुर	मध्य प्रदेश
12.	क्लीनिकल अनुसंधानिक पायलट परियोजना (यूनानी), भू तल, क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, न्यू चेकन रोड, सन्मुख ट्राइबल कॉलोनी, इम्फाल (पूर्व)	मणिपुर
13.	क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जे.जे. हॉस्पिटल कम्पाउन्ड, (आई बैंक के पीछे), बाइकुल्ला, मुम्बई	महाराष्ट्र
14.	क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, चाँदबली बाइपास रोड, नियर रूरल पुलिस स्टेशन, भद्रक	ओडिशा
15.	क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, 1, वैस्ट मादा चर्च स्ट्रीट, रोयापुरम, चैन्नई	तमिलनाडु
16.	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, सम्मुख ई.एस.आई. हॉस्पिटल, ए.जी. कॉलोनी रोड, इरीगाडा, हैदराबाद	तेलंगाना
17.	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पी.ओ., बसाहा-कुर्सी रोड, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
18.	क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पोस्ट बॉक्स नम्बर-70, ए.के. तिब्बिया कॉलेज हस्पताल (न्यू ब्लॉक), अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़	उत्तर प्रदेश
19.	औषधि मानकीकरण अनुसंधान संस्थान, (पी.एल.आई.एम.) बिल्डिंग, सम्मुख "एम" ब्लॉक, सैक्टर-23, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
20.	क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (आर.आर.सी.), बी-501/4, जी.टी.बी. नगर, करेली (सन्मुख दुल्हन प्लेस), इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
21.	नैदानिक अनुसंधान इकाई (यूनानी), केन्टोनमेन्ट सामान्य हॉस्पिटल (सोतीगंज) बेगम ब्रिज, मेरठ	उत्तर प्रदेश
22.	रासायनिक अनुसंधान इकाई यूनानी चिकित्सा अनुसंधानिक विभाग नियर डीन ऑफिस, फैकल्टी ऑफ साइन्स ए.एम.यू. अलीगढ़	उत्तर प्रदेश
23.	क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पहली मंजिल, 250ए/29, जी.टी. रोड (उत्तर) निकट जैसवाल अस्पताल, लिलुआ, हावड़ा	पश्चिम बंगाल

विवरण-II

केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख उपलब्धियां (वर्ष 1979 से अब तक)

नैदानिक अनुसंधान कार्यक्रम

पूर्व नैदानिक अध्ययन

- एकल/मिश्रित यूनानी औषधियों द्वारा अपने भेषजकोशीय कार्य और सुरक्षा मूल्यांकन के लिए किये गये अध्ययन 150
- यूनानी मिश्रणों की निर्धारित खुराक की सुरक्षा स्थापित करने के लिए पूरे हुए पूर्व-नैदानिक अध्ययनों पर प्रकाशित शोध पत्र की संख्या-40

नैदानिक अध्ययन:-

- 40 रोगों में नई औषधियों (यूनिम) 106 पर नैदानिक अध्ययन पूर्ण हुए।
- भेषजकोशीय औषधियों पर चल रहे नैदानिक वैधीकरण अध्ययन-67 औषधियों पर 63 अध्ययन
- भेषजकोशीय औषधियों पर पूर्ण हुए नैदानिक वैधीकरण अध्ययन-36 औषधियों पर 22 अध्ययन
- विभिन्न रोगों जैसे: विटिलिगो, एक्जिमा, सोरायसिस, ब्रोन्कियल अस्थमा, संधिशोध, साइनसाइटिस, संक्रामक हेपेटाइटिस इत्यादि के लिए सुरक्षित और कम लागत वाला यूनानी उपयार विकसित किया गया।
- तीन रोगों अर्थात डायबिटीज मेलीटस एसेंशियल हाइपरटेंशन और विटालिगो पर बहु-केन्द्रिय यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षणों को संचालित करना।
- विभिन्न संघटित चिकित्साओं जैसे हिजामा (कपिंग) और तालिक (लिचिंग) की प्रभावकारिता का वैधीकरण
- इंस्टीट्यूट ऑफ साइटोलॉजी एंड प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी (आई.सी.पी.ओ.), नोएडा (आई.सी.एम.आर.) के साथ सर्वाइकल इरोजन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन ट्यूबरकुलोसिस (एन.आई.आर.टी.), चेन्नई आई.सी.एम.आर. के साथ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पर सहयोगात्मक अध्ययन शुरू किया।
- सात इन्ट्राम्यूरल (अन्तरंग) अनुसंधान नीति परियोजनाएं पूर्ण हुई जबकि 10 परियोजनाएं अभी जारी हैं।

मूल सिद्धांतों पर अध्ययन

- मूल सिद्धांतों पर तीन परियोजनाएं पूर्ण हुई और छ: परियोजनाएं अभी जारी हैं।

औषध मानकीकरण अनुसंधान कार्यक्रम:

- 298 एकल औषधियों के लिए भेषजकोशीय मानकों और 150 मिश्रित औषधियों के निर्माण की विधि के लिए मानक क्रिया विधियों (एस.ओ.पी.) को विकसित किया गया।
- यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया भाग-1 (एकल औषधियां) को छ: खण्डों में और यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया भाग-2 (मिश्रित औषधियां) को तीन खण्डों में प्रकाशित किया।
- सक्रिय औषधियों के अलगाव एवं उसकी खोज के लिए 113 यूनानी औषधीय पौधों का रासायनिक विश्लेषण और प्रकाशन किया गया। पचास नए सक्रिय औषधियों की खोज के गई और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय जरनल में प्रकाशित किया गया।
- 12 यूनानी औषधियों की खुराक के रूप में पुन:निर्माण/रूपांतरण पूर्ण किया गया।
- चार औषधियों पर जीवनावधि अध्ययन जारी रहा।
- नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ यूनानी मेडिसिन (एन.एफ.यू.एम.) के छ: खण्डों पर संशोधन जारी रहा।
- यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया भाग-1 के छ: खण्डों पर संशोधन जारी रहा।
- वैज्ञानिक जरनल में प्रकाशित शोध पत्र-80

औषधीय पादप सर्वेक्षण एवं कृषि कार्यक्रम

- भारत के 14 राज्यों में विभिन्न वन क्षेत्रों में जातीय-वनस्पति सर्वेक्षण किए गए।
- 1750 प्रजातियों के 1,04,568 से अधिक पौधों के नमूनों को विभिन्न वन क्षेत्रों से एकत्रित किया गया।
- 90,504 से अधिक हर्बेरियम शीटें तैयार की।
- प्रामाणिक कच्ची दवाओं के 1068 नमूनों को संग्रहालय में एकत्रित और तैयार किया।
- विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों से 16261 औषधीय लोक दावों को एकत्रित किया गया।

- 700 हर्बेरियम शीटों का डिजिटलीकरण किया गया।
- परिषद के संस्थान के हर्बल गार्डन में 30 महत्वपूर्ण यूनानी औषधीय पौधों की प्रजातियों की प्रयोगात्मक में दायर पैमाने पर खेती की।
- वैज्ञानिक जनरल में प्रकाशित शोध पत्र-203
- औषधीय वनस्पतियों/लोक-साहित्य दावों पर 19 मोनोग्राफ/पुस्तकें प्रकाशित की।

साहित्यिक अनुसंधान कार्यक्रम

- विभिन्न भाषाओं में 60 खंडों में 25 महत्वपूर्ण शास्त्रीय पुस्तकों/पांडुलिपियों का अनुवाद प्रकाशित किया गया।
- छपी हुई दुर्लभ पुस्तकों में से 73 को पुनर्मुद्रित किया गया।
- यूनानी चिकित्सा और औषधीय पौधों तथा अन्य संबंधित विषय पर अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में 25 पुस्तकों/ब्रोशर/पत्रकों का आई.ई.सी. सामग्री के रूप में संकलन किया।
- शास्त्रीय यूनानी पुस्तकों/पांडुलिपियों से यूनानी चिकित्सा विज्ञान का एक डेटाबेस विकसित किया।
- भारत में विभिन्न पुस्तकालयों में यूनानी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया और 4000 पुस्तकों की सूची तैयार की गई।
- यूनानी मानक शब्दावली पर एक दस्तावेज प्रकाशित किया।
- यूनानी औषधियों के नामों का एक शब्दकोश प्रकाशित किया।
- यूनानी औषधियों के संकलित मानक उपचार दिशानिर्देशों के 2 खंडों का संकलन और प्रकाशन किया गया।
- यूनानी चिकित्सा के विभिन्न विषयों पर 11 पुस्तकों का संकलन यिका गया।
- आयुष पोर्टल (यूनानी साहित्य) को अपडेट करना जारी रखा।
- उर्दू पत्रिका (जहान-ए-तिब्ब) का प्रकाशन जारी रहा।
- साहित्यिक शोध पर प्रकाशित शोध पत्र की संख्या-70
- राष्ट्रीय यूनानी रुग्णता कोड का विकास (एन.यू.एम.-सी.वी.1.0) का प्रकाशन

अन्य वैज्ञानिक संस्थान के साथ सहयोग/समझौता ज्ञापन:

- परिषद ने अन्य वैज्ञानिक संस्थान के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- पारम्परिक यूनानी मिश्रण में बायोएक्टिव कणों के विकास के लिए सी.एस.आई.आर.
- मलेरिया, फाइलियारसिस, कॅाला जार, सरवाइकल इरोसन और पल्मोनरी ट्रयूबरकुलोसिस के सहयोगात्मक अध्ययन तथा मानव संसाधन विकास के लिए आई.सी.एम.आर.।
- दवाओं के कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन तथा आई.पी.आर.के. लिए एन.आर.डी.सी., नई दिल्ली।
- दमा के सहयोगात्मक अध्ययन के लिए "बल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली।
- संक्रामक हेपेटाइटिस के सहयोगात्मक अध्ययन के लिए लेडी हार्डिग मैडिकल कॉलेज, नई दिल्ली।
- विटिलिगो, सोरोयसिस और मोटापे के सहयोगात्मक अध्ययन के लिए एम्स, नई दिल्ली।
- ग्रहणी अल्सर और वायरल हेपेटाइटिस के सहयोगात्मक अध्ययन के लिए डेक्कन मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद।
- संक्रामक हेपेटाइटिस के लिए के.जी. मेडिकल यूनिवर्सिटी।
- कश्मीर घाटी के कुछ आदिवासी पौधों के रासायनिक अध्ययन के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान कार्यशाला श्रीनगर
- सहयोगात्मक नैदानिक अध्ययन के लिए जामिया हमदर्द, नई दिल्ली।
- आटिज्म के अध्ययन के लिए "उड़ान"।
- मोटापे के लिए जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़।
- दवाओं के विकास (सैदला) के लिए ए.के. तिब्बिया कॉलेज, अलीगढ़।
- पूर्व नैदानिक अध्ययन के लिए एन.आई.पी.ई.आर., हैदराबाद।

अनुसंधानोन्मुखी विस्तार स्वास्थ्य सेवाएं

परिषद संस्थान/इकाइयों के जनरल ओ.पी.डी. में तथा ग्रामीण/शहरी झुग्गियों/और आदिवासी इलाकों में रोगियों के पास जाकर मोबाइल ओ.पी.डी. के माध्यम से रोगियों को यूनानी उपचार की सुविधा प्रदान कर रही है। प्रति वर्ष 5 माह से अधिक रोगी लाभान्वित होते हैं। अंगीकृत क्षेत्रों में आई.ई.सी. गतिविधियों के माध्यम से लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता भी पैदा की जाती है।

सूचना, शिक्षा एवं प्रसार

- यूनानी चिकित्सा पर 02 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी और 50 से अधिक राष्टीय संगोष्ठियां तथा विभिन्न विषयों में 62 कार्यशालाओं का आयोजन।
- परिषद के अनुसंधाकर्ताओं द्वारा विभिन्न संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में 1450 से अधिक शोधपत्र प्रस्तुत किए गए।
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पीअर रिविव वैज्ञापनिक जनरल में 650 से अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन।
- 450 मोनोग्राफ, पुस्तकें, ब्रोशर, पुस्तिकाएं इत्यादि प्रकाशित की गयी।
- यूनानी चिकित्सा में विभिन्न रोग तथा यूनानी चिकित्सीय पादपों पर अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में वीडियो फिल्म, स्पॉट्र्स, ऑडियो तथा वीडियो, रेडियो वार्ता, सी.डी., का निर्माण।
- परिषद में द्विमासिक न्यूजलेटर, तिमाही वैज्ञानिक जरनल 'हिप्पोक्रेटिक जरनल ऑफ यूनानी मेडिसिन' और तिमाही उर्दू जरनल 'जहान-ए-तिब्ब' का प्रकाशन।
- आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित सभी आरोग्यों में भागीदारी।
- यूनानी चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भारत और विदेश के विभिन्न भागों में 400 से अधिक स्वास्थ्य मेलों/स्वास्थ्य प्रदर्शनियों का आयोजन/ भाग लिया।

आयुष अनुसंधान पोर्टल

- आयुष अनुसंधान पोर्टल पर यूनानी सामग्री का अद्यतन जारी रहा।

स्वास्थ्य रक्षण/परीक्षण कार्यक्रम में भागीदारी

- परिषद देश के विभिन्न भागों में कार्यरत अपने 12 केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य रक्षण/परीक्षण कार्यक्रम भाग ले रही है। अब तक कुल 1,97,240 रोगियों को पंजीकृत किया गया।

एन.पी.सी.डी.सी.एस. कार्यक्रम में भागीदारी

- कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक जिला अस्पताल, 17 सी.एच.सी. और 54 पी.एच.सी. में जारी है। अब तक 3,47,282 रोगियों को पंजीकृत किया गया।

यूनानी चिकित्सा में एम.डी. और पी.एच.डी. कार्यक्रम की शुरुआत

- के.यू.चि.अ.सं., हैदराबाद और क्षे.यू.चि.अ.सं., श्रीनगर में दो विषयों अर्थात् मुआलिजात (मेडिसिन) और इल्तुलअदविया (फार्माकॉलोजी) प्रत्येक केंद्र पर प्रत्येक विषयों में सात सीटों में यूनानी चिकित्सा में एम.डी. कार्यक्रम जारी रहा।
- जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के सहयोग से दो विषयों अर्थात् मुआलिजात (मेडिसन) और इत्मुल अदविया (फार्माकॉलाजी) में पी.एच.डी. कार्यक्रम जारी रहा। उपरोक्त प्रत्येक विषय की तीन सीटें हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.)

- परिषद को नवीन अनुसंधान कार्य के लिए भारतीय पेटेंट कार्यालय (आई.पी.ओ.) ने कुल 17 पेटेंट की स्वीकृति दी।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- यूनिवर्सिटी ऑफ वैस्टर्न केप, केप टाउन, साउथ अफ्रीका में यूनानी चैयर के लिए समझौता ज्ञापन।
- यूनानी चैयर की स्थापना के लिए हमदर्द यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश के साथ समझौता ज्ञापन।
- यूनानी चिकित्सा के अनुसंधान और विकास के लिए तजाकिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन।

विवरण-III

केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए राज्य/संघ राज्य वार व्यय

2015-16 (रुपये हजार में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	व्यय-2015-16		
		योजनेत्तर	योजना	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश			
	(i) सीआरयू, कुरनूल	2537	275	2812
2.	असम (एनईआर)			
	(i) सीआरयू, करीमगंज	--	11638	11638
3.	बिहार			
	(i) आरआरआईयूएम, पटना	15455	19884	35339
4.	कर्नाटक			
	(i) सीआरयू बंगलौर	5664	1228	6892
5.	जम्मू और कश्मीर			
	(i) आरआरआईयूएम, श्रीनगर	29884	14202	44086
6.	केरल			
	(i) अलवे	3156	1759	4915
7.	मध्य प्रदेश			
	(i) सीआरयू, बुरहानपुर	5427	2701	8128
	(ii) सीआरयू, भोपाल	--	9507	9507
8.	महाराष्ट्र			
	(i) आरआरआईयूएम, मुंबई	7367	21204	28571
9.	मणिपुर (एनईआर)			
	(i) नैदानिक प्रयोगिक परियोजना	--	3571	3571
10.	नई दिल्ली			
	(i) एचएकेआईएलएचआरयूएम	24148	4965	29113

1	2	3	4	5
	(ii) डीएसआरयू	7927	458	8385
	(iii) आरआरआईयूएम	41402	38401	79803
	(vi) डॉ. आरएमएल अस्पताल में यूनानी चिकित्सा केन्द्र	0	0	0
	(v) पंडित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में यूनानी विशेषता केन्द्र	0	0	0
	(vi) सीसीसीबीसी, नई दिल्ली	-	41238	41238
	(vii) मुख्यालय	65269	34283	99552
11.	ओडिशा			
	(i) आरआरयूआईएम, भद्रक	26738	8870	38608
12.	तमिलनाडु			
	(i) आरआरआईयूएम, चेन्नई	50110	11021	61131
13.	तेलंगाना			
	(i) सीआरआईयूएम, हैदराबाद	102396	50755	153151
14.	उत्तर प्रदेश			
	(i) डीएसआरआई, गाजियाबाद	16824	1930	18754
	(ii) सीआरआईयूएम, लखनऊ	--	77939	77939
	(iii) आरआरसी, इलाहाबाद	12989	4932	17921
	(iv) आरआरआईयूएम, अलीगढ़	14733	37969	52702
	(v) सीआरयू, मेरठ	--	22189	22189
15.	पश्चिम बंगाल			
	(i) आरआरआईयूएम, कोलकाता	--	10833	10833
16.	अन्य व्यय			
	i. पेंशन निधि हस्तांतरण	153800	3500	157300
	ii. एनपीएस में योगदान	7910	3169	11079
	iii. सीजीएचएस योगदान	--	2218	2218
	iv. संगोष्ठी/कार्यशाला	--	4029	4029
	v. स्वास्थ्य मेला	--	1467	1467
	vi. प्रशिक्षण-कार्यक्रम	--	542	542

1	2	3	4	5
vii.	आरोग्य	--	2764	2764
viii.	ईएमआर	--	704	704
ix.	लघु अवधि के अनुसंधान परियोजनाएं	--	6278	6278
x.	यूपीसी	--	815	815
xi.	सहयोगात्मक अध्ययन	--	50	50
xii.	डीएसटी परियोजनाओं में योगदान	--	5100	5100
xiii.	भवन निर्माण के लिए अग्रिम	--	13125	13125
xiv.	परिषद का प्रकाशन	--	213	213
xv.	चिकित्सा अग्रिम	65	--	65
xvi.	अग्रिम भुगतान	--	2250	2250
xvii.	सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम	--	--	--
xviii.	स्कूटर	--	489	489
xix.	गाड़ी	--	540	540
xx.	एचबीए	--	--	--
xxi.	कंप्यूटर	--	684	684
xxii.	डीएलआईएस	60	60	120
xxiii.	अवकाश वेतन योगदान	1	--	1
xxiv.	आचार विचार	--	129	129
xxv.	लेखा-परिक्षण शुल्क	--	51	51
xxvi.	सीआरयूआई अलीगढ़ को जी.आई.ए.	--	--	--
xxvii.	जे एंड के को राहत	--	102	102
	कुल जोड़ क्र.सं. 1 से 14	596862	480031	1076893

2016-17 (रुपये हजार में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	व्यय-2015-16		
		योजनेत्तर	योजना	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश			
	(i) सीआरयू, कुरनूल	2280	31	2311

1	2	3	4	5
2.	असम (एनईआर)			
	(i) सीआरयू, करीमगंज	--	7720	7720
3.	बिहार			
	(i) आरआरआईयूएम, पटना	13565	22240	35805
4.	कर्नाटक			
	(i) सीआरयू, बंगलौर	6462	431	6893
5.	जम्मू और कश्मीर			
	(i) आरआरआईयूएम, श्रीनगर	31887	22606	54493
6.	केरल			
	(i) अलवे	3438	4628	8066
7.	मध्य प्रदेश			
	(i) सीआरयू, बुरहानपुर	5243	815	6058
	(ii) सीआरयू, भोपाल	--	6708	6708
8.	महाराष्ट्र			
	(i) आरआरआईयूएम, मुंबई	10081	19485	29566
9.	मणिपुर (एनईआर)			
	(i) नैदानिक प्रयोगिक परियोजना	--	1178	1178
10.	नई दिल्ली			
	(i) एलआरआईयूएम	18830	1832	20662
	(ii) आरआरआईयूएम	41167	33831	74998
	(iii) सीसीसीबीसी, नई दिल्ली	--	30385	30385
	(iv) मुख्यालय, नई दिल्ली	66566	49813	116379
	(v) डीएसआरयू, नई दिल्ली	13180	773	13953
	(vi) यूएमसी (आरएमएल) नई दिल्ली	--	87	87
11.	ओडिशा			
	(i) आरआरयूआईएम, भद्रक	32990	13081	46071
12.	तमिलनाडु			
	(i) आरआरआईयूएम, चेन्नई	55035	14390	69425

1	2	3	4	5
13.	तेलंगाना			
	(i) सीआरआईयूएम, हैदराबाद	94398	53703	148101
14.	उत्तर प्रदेश			
	(i) डीएसआरआई, गाजियाबाद	14537	1140	15677
	(ii) सीआरआईयूएम, लखनऊ	--	82709	82709
	(iii) आरआरसी, इलाहाबाद	9219	4575	13794
	(iv) आरआरआईयूएम, अलीगढ़	16785	40028	56813
	(v) सीआरयू, मेरठ	--	24642	24642
15.	पश्चिम बंगाल			
	(i) आरआरआईयूएम, कोलकाता	--	17917	17917
16.	अन्य प्रभार			
i.	पेंशन निधि हस्तांतरण	101700	--	101700
ii.	एनपीएस में योगदान	8735	3376	12111
iii.	सीजीएचएस योगदान	3619	492	4111
iv.	संगोष्ठी/कार्यशाला	--	9584	9584
v.	स्वास्थ्य मेला	--	3651	3651
vi.	प्रशिक्षण-कार्यक्रम	--	379	379
vii.	आरोग्य	--	2146	2146
viii.	ईएमआर	--	217	217
ix.	यूपीसी	--	6	6
x.	सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना	--	3140	3140
xi.	डीएसटी परियोजनाओं में योगदान	--	--	--
xii.	भवन निर्माण के लिए अग्रिम	--	52880	52880
xiii.	परिषद का प्रकाशन	--	392	392
xiv.	चिकित्सा अग्रिम	29	--	29
xv.	एनपीसीडीसीएस	--	27657	27657
xvi.	सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम	--	--	--
xvii.	स्कूटर	--	306	306

1	2	3	4	5
xviii.	गाड़ी	--	360	360
xix.	एचबीए	--	380	380
xx.	कंप्यूटर	--	752	752
xxi.	डीएलआईएस	120	--	120
xxii.	अवकाश वेतन योगदान	--	--	--
xxiii.	नैतिक समिति	--	60	60
xxiv.	सीआरयू अलीगढ़ को जीआईए	--	300	300
xxv.	स्वास्थ्य रक्षण/परीक्षण कार्यक्रम	--	11242	11242
xxvi.	प्रदर्शनी	--	1095	1095
	कुल जोड़ क्र.सं. 1 से 16	549866	573163	1123029

2017-18 (रुपये हजार में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	
	(i) सीआरयू, कुरनूल	4083
2.	असम (एनईआर)	
	(i) सीआरयू, सिलचर/करीमगंज	18853
3.	बिहार	
	(i) आरआरआईयूएम, पटना	42750
4.	कर्नाटक	
	(i) सीआरयू, बंगलौर	8730
5.	जम्मू और कश्मीर	
	(i) आरआरआईयूएम, श्रीनगर	58297
6.	केरल	
	(i) अलवे	11054
7.	मध्य प्रदेश	
	(i) सीआरयू, बुरहानपुर	10693
	(ii) सीआरयू, भोपाल	16280
8.	महाराष्ट्र	
	(i) आरआरआईयूएम, मुंबई	41470
9.	मणिपुर (एनईआर)	
	(i) नैदानिक प्रयोगिक परियोजना	1023
10.	नई दिल्ली	
	(i) एचएकेआईएलएचआरयूएम	26184
	(ii) डीएसआरयू	11301
	(iii) आरआरआईयूएम	66816
	(iv) सीसीसीबीसी, नई दिल्ली	29867
	(v) मुख्यालय, नई दिल्ली	120397
11.	ओडिशा	
	(i) आरआरयूआईएम, भद्रक	44311
12.	तमिलनाडु	
	(i) आरआरआईयूएम, चेन्नई	81902
13.	तेलंगाना	
	(i) सीआरआईयूएम, हैदराबाद	129816

1	2	3
14.	उत्तर प्रदेश	
	(i) डीएसआरआई, गाजियाबाद	17108
	(ii) सीआरआईयूएम, लखनऊ	91883
	(iii) आरआरसी, इलाहाबाद	25979
	(iv) आरआरआईयूएम, अलीगढ़	78869
	(v) सीआरयू, मेरठ	28470
15.	पश्चिम बंगाल	
	(i) आरआरआईयूएम, कोलकाता/हावड़ा	15826
16.	अन्य प्रकार	
i.	पेंशन निधि हस्तांतरण	143600
ii.	एनपीएस में योगदान	14975
iii.	सीजीएचएस योगदान	446
iv.	संगोष्ठी/कार्यशाला	2539
v.	स्वास्थ्य मेला	1030
vi.	प्रशिक्षण-कार्यक्रम	568
vii.	आरोग्य	958
viii.	ईएमआर	775
ix.	सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना	14560
x.	स्वास्थ्य रक्षण परीक्षण कार्यक्रम	9590
xi.	एनपीसीडीसीएस	25632
xii.	परिषद प्रकाशन	984
xiii.	चिकित्सा अग्रिम	185
xiv.	शैक्षणिक यूनानी पाठ्यक्रम	19631
xv.	स्कूटर	
xvi.	कम्प्यूटर	1155
xvii.	गाड़ी	
xviii.	डीएलआईएस	60
xix.	नैतिक समिति	162
xx.	सलाहकार समिति की बैठक	17
xxi.	स्वच्छता कार्य योजना	1800
xxii.	हिन्दी पखवाड़ा	1272
xxiii.	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और यूनानी दिवस	5129
	कुल जोड़ क्र.सं. 1 से 16	321639

विवरण-IV

एनआईयूएम बंगलौर के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है:

वर्ष	उपचार प्राप्त कर रहे रोगी	व्यय रु. में
2015-16	147787	20,44,77,937
2016-17	164240	21,55,73,390
2017-18	156013	22,94,48,672
2018-19 नवम्बर तक	102385	23,24,84,003

विवरण-V

2015-16, 2016-17 और 2017-18 और 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत स्वीकृत 50 बिस्तर तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2015-16 अनुमोदित ईकाइयां	2016-17 अनुमोदित ईकाइयां	2017-18 अनुमोदित ईकाइयां	2018-19 अनुमोदित ईकाइयां
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	--	1	--	--
3.	अरुणाचल प्रदेश	--	--	--	--
4.	असम	--	2	--	--
5.	बिहार	1	--	--	--
6.	चंडीगढ़	1	--	--	--
7.	छत्तीसगढ़	--	--	--	--
8.	दादरा और नगर हवेली	1	--	--	--
9.	दमन और दीव	--	--	--	--
10.	दिल्ली	--	--	--	--
11.	गोवा	2	--	--	--
12.	गुजरात	--	1	1	--
13.	हरियाणा	1	--	--	--
14.	हिमाचल प्रदेश	-	1	1	--
15.	जम्मू और कश्मीर	--	--	2	1
16.	झारखंड	--	--	--	--
17.	कर्नाटक	--	2	--	--
18.	केरल	--	--	1	--
19.	लक्षद्वीप	--	1	--	--
20.	मध्य प्रदेश	--	1	3	--
21.	महाराष्ट्र	--	--	4	--
22.	मणिपुर	--	3	1	--
23.	मिजोरम	--	--	--	--
24.	मेघालय	--	1	--	--
25.	नागालैंड	1	--	2	--
26.	ओडिशा	--	1	1	--
27.	पुदुचेरी	1	--	--	1
28.	पंजाब	--	2	--	--

1	2	3	4	5	6
29.	राजस्थान	--	4	--	1
30.	सिक्किम	1	--	--	--
31.	तमिलनाडु	--	2	--	--
32.	तेलंगाना	--	1	2	--
33.	त्रिपुरा	--	--	2	--
34.	उत्तर प्रदेश	5	1	10	--
35.	उत्तराखंड	--	--	1	--
36.	पश्चिमी बंगाल	--	1	--	--
	योग	14	25	31	3

डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी

2788. **श्री एम.बी. राजेश:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को हमारे देश में बढ़ते डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी की जानकारी है जिस कारण निजी डाटा लीक हो रहा है तथा डेबिट कार्डो के बड़े स्तर पर निकासी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बढ़ती डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि कुछेक बैंकों द्वारा यह सूचना दी गई है कि हाल ही में धोखाधड़ी करने वालों द्वारा ए.टी.एम. स्किमिंग, मालवेयर, अटैक इत्यादि के माध्यम से ग्राहकों के कार्ड विवरणों की चोरी करने (हार्वेस्ट) के प्रयास किए गए हैं। हाल ही में अगस्त 2018 में एक सहकारी बैंक की ए.टी.एम. स्विच प्रणाली में एक मालवेयर अटैक की सूचना प्राप्त हुई थी। यह पाया गया था कि विभिन्न शहरों में डेबिट कार्डों के माध्यम से असामान्य नकद निकासियां की गई थीं।

(ख) धोखाधड़ियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार तथा आर.बी.आई. द्वारा किए गए उपायों में आई.टी. से संबंधित मामलों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने हेतु आर.बी.आई. में साइबर सुरक्षा और आई.टी. जांच (सी.एस.आई.-टी.ई.) प्रकोष्ठ की स्थापना, साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वोत्तम तरीकों को कवर करते हुए 2 जून, 2016 को बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर व्यापक परिपत्र जारी करना, साइबर संगठन प्रबंधन समूह और साइबर सुरक्षा पर एक बहुविषयक स्थायी समिति का गठन करना, धोखाधड़ियों के संबंध में बैंकों को चेतावनी परामर्श जारी करना इत्यादि शामिल हैं।

निजी अस्पतालों में ई.डब्ल्यू.एस. रोगियों का उपचार

2789. **श्री अधीर रंजन चौधरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश के अनेक निजी अस्पताल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के रोगियों को उपयुक्त चिकित्सा उपचार नहीं प्रदान कर रहे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की अनिच्छा प्रकट करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने और उपयुक्त चिकित्सा उपचार करने के लिए निजी अस्पतालों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या गरीब लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना

निजी अस्पतालों की बाध्यता है और यदि हां, तो इस हेतु कानून में कहां तक व्यवस्था और प्रावधान किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) मंत्रालय में ऐसी कोई शिकायत विशेष प्राप्त नही हुई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऐसे कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है और यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का उत्तरदायित्व है कि वे राज्य में प्रवृत्त अधिनियम/नियम के अनुसार ऐसे अनुदेश जारी करें।

विदेशी मुद्रा की तस्करी के मामले

2790. **श्री चन्द्र प्रकाश जोशी**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत चार वर्षों के दौरान जानकारी में आए विदेशी मुद्रा की तस्करी के मामलों की सख्या कितनी है और इन पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार को विदेश से सोने की छड़ों के बदले में विदेशी मुद्रा की तस्करी की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो विगत चार वर्षों के दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) विगत चार वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा की तस्करी के मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
मामलों की संख्या	345	366	373	419

(ख) आसूचना इन्पुट्स के विश्लेषण के अनुसार विदेशी मुद्रा की तस्करी से सोने सहित भारत में तस्करी किए गए निषिद्ध माल के भुगतान में सहायता मिलती है।

(ग) और (घ) ऐसे मामलों में एफ.ई.एम.ए. के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत समुचित कार्रवाई की जा चुकी है।

जी.एस.टी. संघटन योजना

2791. **श्री चन्द्रकांत खैरे**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आइसक्रीम को पान मसाला और तंबाकू जैसे उत्पादों के साथ जोड़ दिया गया है ताकि विनिर्माता माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) संघटन योजना का विकल्प न ले सकें और उसका कारोबार 75 लाख से अनधिक होने पर कम कर का भुगतान करना पड़े;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यापारियों ने 75 लाख रु. तक के कारोबार के लिए कर दर कम करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के अनुसार आइसक्रीम विनिर्माताओं को संघटन योजना (कम्पोजीशन स्कीम) से बाहर रखा गया है। संघटन योजना के अन्तर्गत आइसक्रीम विनिर्माताओं को शामिल करने के लिए व्यापारियों से कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी.एस.टी. परिषद की 31वीं बैठक, जो कि दिनांक 22.12.2018 को संपन्न हुई, माल आपूर्तिकर्ता (विनिर्माताओं और व्यापारियों) के लिए "थ्रेशहोल्ड" छूट की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। जी.एस.टी. परिषद ने इस मामले को लघु, सूक्ष्म और माध्यमिक उद्योगों के मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) के पास भेज दिया गया है।

तम्बाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी

2792. **श्री जी. हरि**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनेक तंबाकू उत्पादों के पैकिटों पर सचित्र चेतावनी नहीं दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को ऐसे किसी उत्पाद के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा तंबाकू-विक्रेताओं को तंबाकू के पैकिटों पर सचित्र चेतावनी लिखने के लिए विवश करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) से (घ) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार तथा वाणिज्य विनियमन उत्पादन आपूर्ति और वितरण) अधिनियम, 2003 (सी.ओ.टी.पी.ए. 2003) की धारा 7 में सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेज पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी, प्रदर्शित करना अनिवार्य है जिसमें चित्रात्मक चेतावनी भी शामिल है।

जैसी कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट दी गई है, कुछ तंबाकू उत्पादों में धारा 7 का उल्लंघन नोटिस किया गया है।

सी.ओ.टी.पी.ए., 2003 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का प्रवर्तन करना राज्यों/संघ राज्य/क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केंद्रीय सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धारा 7 का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सलाह देती है।

महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना

2793. **श्रीमती किरण खेर**: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने जिलों में महिला पुलिस स्वयं सेवक (एम.पी.वी.) योजना का कार्यान्वयन किया गया है और इसके आरंभ होने से आज की तारीख तक कितनी एम.पी.वी. नियुक्त की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इन जिलों में महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उनके घरों में एम.पी.वी. द्वारा दौरा करके सामुदायिक बैठकों, आदि के माध्यम से संपर्क के प्रभावों का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या एम.पी.वी. महिला और शिशुरक्षक दल, जिसे सामुदायिक सतर्कता समूह के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त माना गया है, का संगठन करने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) महिला और बाल विकास मंत्रालय की गृह मंत्रालय के सहयोग से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस वॉलेंटियर लगाने की परिकल्पना है। ये वॉलेंटियर पुलिस और समुदाय के बीच संपर्क का कार्य करेंगी और पीड़ित महिलाओं की सहायता करेंगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों से अपने-अपने राज्यों में इस पहल को शुरू करने का अनुरोध किया गया था। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है, जिसने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निर्भया कोष के अंतर्गत प्रायोगिक आधार पर इस पहल को करनाल और महेन्द्रगढ़ जिलों मे शुरू किया है। इसके अलावा, महिला पुलिस वॉलेंटियर स्कीम के क्रियान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात मिजोरम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के भी प्रस्ताव अनुमोदित किए जा चुके हैं।

(ख) से (घ) इस स्कीम के अंतर्गत, सामुदायिक निगरानी समूहों के रूप में कार्य करने के लिए महिला और शिशु रक्षक दलों के गठन के लिए महिला पुलिस वॉलेंटियर से समुदाय को संघटित करने की अपेक्षा की जाती है। चूंकि यह स्कीम क्षेत्र स्तर पर प्रचालन के प्रारंभिक चरणों में है, इसलिए महिला पुलिस वॉलेंटियर स्कीम का कोई प्रभाव मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है।

आर्थिक विकास

2794. **श्री असादुद्दीन ओवैसी**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक विकास में सतत गिरावट के कारण मंत्रालय की आर्थिक परामर्श परिषद ने हाल ही में बैठक करके आर्थिक विकास में सुधार लाने के लिए आवश्यक क्षेत्रों को चिन्हित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने, देश के आर्थिक विकास में सतत गिरावट की भविष्यवाणी की थी; और;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आर्थिक परामर्श परिषद द्वारा तैयार की गई रूपरेखा का ब्यौरा क्या है और दिए गए सुझावों की तर्ज पर देश में रोजगार और आर्थिक विकास की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय में आर्थिक परमर्शी परिषद् नहीं है। प्रधानमंत्री (ई.ए.सी.-पी.एम.) की एक आर्थिक परामर्शी परिषद है, जो भारत सरकार के आर्थिक और संबंधित मामलों, विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री को परामर्श देने के लिए गठित एक स्वतंत्र

निकाय है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ.) के अनुसार 2018-19 की प्रथम छमाही (अप्रैल-सितंबर) में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि नियत मूल्यों के आधार पर 7.6 प्रतिशत थी जबकि 2017-18 की प्रथम छमाही में यह 6.0 प्रतिशत थी।

(ग) 2017-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जी.डी.पी. वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (अक्तूबर, 2018) के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि दर, निरंतर रूप से, 2018-19 में 7.3 प्रतिशत, 2019-20 में 7.4 प्रतिशत और 2020-21 में 7.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इकॉनोमिक प्रोस्पेक्ट (जून, 2018) के अनुसार, भारत की वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि 2018-19 में 7.3 प्रतिशत और 2019-20 तथा 2020-21 में 7.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों की कृषि ऋण ब्याज दरें

2795. श्री निहाल चन्द: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को कम दरों पर लघु अवधि ऋण के संवितरण के कारण सहकारी बैकों की हालत खस्ता हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या किसानों को कम दरों पर लघु अवधि ऋण के उक्त संवितरण के कारण सहकारी बैंकों को हुई हानियों की क्षतिपूर्ति करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) भारत सरकार कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से एक ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित करती है, जिसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपए तक का अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत सरकार ऐसे फसल ऋणों के लिए सीधे सहकारी बैंकों को 2% की ब्याज सहायता प्रदान करती है ताकि अपनी निधियों का उपयोग करने के कारण बैंकों को होने वाली हानि की भरपाई की जा सके। इसके अतिरिक्त, सहकारी बैंक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) से अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण (पुनर्वित्त) निधि के माध्यम से 4.5% की रियायती ब्याज दर पर अल्पावधि पुनर्वित्त प्राप्त करते हैं।

घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों का विनिवेश

2796. श्री राजन विचारे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के संबंध में नीति आयोग से कोई सूची प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार घाटे में चल रही ऐसी कंपनियों के विनिवेश पर शीघ्र कार्रवाई करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घाटे में चल रही उक्त कंपनियों के नाम क्या हैं और विगत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनको हुई हानि की संबंधित राशि कितनी है और सरकार द्वारा उक्त प्रक्रिया को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 24 सी.पी.एस.ईस. के सामरिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है जिनमें घाटे में चलने वाले 07 सी.पी.एस.ईस (31.03.2018 की स्थिति के अनुसार) शामिल हैं। तथापि, सामारिक विनिवेश के लिए सी.पी.एस.ईस की पहचान का मापदंड लाभप्रदता पर आधारित नहीं है। सामरिक विनिवेश के प्रयोजन हेतु नीति आयोग ने (क) राष्ट्रीय सुरक्षा (ख) अप्रत्यक्ष तौर पर शासकीय कार्य और (ग) बाजार अभाव तथा सार्वजनिक उद्देश्य के आधार पर सी.पी.एस.ईस को "उच्च प्राथमिकता तथा "न्यून प्राथमिकता" नामक दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। "न्यून प्राथमिकता" के अंतर्गत आने वाले सी.पी.एस.ईस सामरिक विनिवेश में शामिल किए जाते हैं।

घाटे में चलने वाले 07 सी.पी.एस.ईस की सूची के साथ-साथ पिछले 04 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके द्वारा उठाए गए घाटे का अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रक्रिया की संपन्नता मामला-दर-मामला आधार पर सौदे में सम्मिलित जटिलताओं पर निर्भर करती है।

विवरण

जिन 07 सी.पी.एस.ई.एस. का सामरिक विनिवेश किया जा रहा है, उनके द्वारा पिछले 04 वर्षों के दौरान उठाए गए घाटे की राशि

क्र.सं.	सी.पी.एस.ई.	करोपरांत लाभ (करोड़ रु. में)			
		2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1.	सेल*	(-) 481.71	(-) 2833.24	(-) 4021.44	2092.68
2.	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन लि. (सहायक कंपनी) (एच.एफ.एल.)	(-) 00.77	(-) 4.89	(-) 11.11	(-) 3.77
3.	भारत पंप्स कम्प्रेसर्स लि. (बी.पी.सी.एल.)	लेखे अभी प्रकाशित नहीं किए गए हैं।	(-) 84.47	(-) 75.06	(-) 55.04
4.	स्कूटर्स इंडिया लि. (एस.आई.एल.)	(-) 18.62	(-) 10.28	5.48	11.09
5.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. (सहायक कंपनी) (एच.एन.एल.)	(-) 101.65	(-) 60.14	(-) 43.16	(-) 7.81
6.	एच.एल.एल. लाइफ केयर लि.	(-) 69.58	(-) 25.39	27.41	31.55
7.	एयर इंडिया लि.	लेखे अभी प्रकाशित नहीं किए गए हैं।	-3951.65	-3836.78	(-) 5859.91

*सेल की भद्रावती, सेलम और दुर्गापुर इकाईयों का सामरिक विनिवेश किया जा रहा है।

[अनुवाद]

वायु प्रदूषण के कारण रोग

2797. श्री पी.सी. मोहन: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से हृदय रोग, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी रोग और हाई कैंसर हो रहे हैं, जोकि भारत में समय पूर्व होने वाली 94 प्रतिशत मौतों का कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत में खराब वायु/वायु प्रदूषण के कारण मरे लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) बंगलुरू सहित भारत के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) वायु प्रदूषण को नियंत्रित/रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जायेंगे; और

(ङ) क्या सरकार बंगलुरू और कर्नाटक में वायु प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए किसी विशेष पैकेज पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ महेश शर्मा): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) समय-समय पर पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण हो रही मर्त्यता/रुग्णता के अनुमानों को प्रकाशित करता रहा है। प्रकाशन; वर्ष 2016 के लिए घरेलू और परिवेशी वायु प्रदूषण के संयुक्त प्रभावों से उत्पन्न रोग का बोझ' में यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2016 में विश्व में 7 लाख मौतों के लिए घरेलू वायु प्रदूषण (एच.ए.पी.) और परिवेशी वायु प्रदूषण (ए.ए.पी.) के संयुक्त प्रभाव जिम्मेदार थे। मृत्यु के इन मामलों में से लगभग 94 प्रतिशत मामले, निम्न और मध्यम-आय वर्ग (एल.एम.आई.) के देशों में हुई थी। तथापि, देश में ऐसे कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु/रोग से सीधा संबंध स्थापित कर सकें। वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी रोगों और उससे जुड़ी बीमारियों का एक प्रमुख कारक हो सकता है। वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य के प्रभावित होने के पीछे कुछ कारकों की सहक्रियात्मक वृद्धि जिम्मेदार होती है, इन कारकों में किसी व्यक्ति की खाने-पीने की आदतें, व्यावसायिक-आदतें, सामाजिक आर्थिक स्थिति, चिकित्सा-इतिहास, प्रतिरक्षा क्षमता, आनुवंशिकता आदि शामिल होते हैं।

(ग) प्रमुख स्रोतों और प्रदूषण में उनका योगदान का पता लगाने के लिए छ: प्रमुख शहरों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, बेंगलुरू, पुणे और कानपुर में किए गए स्रोत संविभाजन अध्ययनों से इन शहरों में सड़क धूलकण का निलम्बन, वाहन, कचरे को जलाना,

निर्माण, डी.जी. सेटों, उद्योगों आदि का प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के रूप में पता चला है।

(घ) सरकार ने प्रदूषण का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित करना; समय-समय पर औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों का संशोधन करना; परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन हेतु निगरानी तत्र की व्यवस्था; गैसीय ईंधन (सी.एन.जी., एल.पी.जी. आदि), इथनोल मिश्रण इत्यादि जैसे स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधनों की शुरुआत; राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का आरंभ; बी.एस.-IV से सीधे बी.एस.-VI ईंधन मानकों को लागू करना; निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित करना; बायोमास को जलाने पर प्रतिबंध लगाना; प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र को जारी करने की प्रक्रिया को सुग्राही बनाना; वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निदेशक जारी करना, प्रमुख उद्योगों द्वारा ऑन-लाइन सतत (24x7) निगरानी उपकरण लगवाना; दिल्ली और एन.सी.आर. के लिए ग्रेडेड रिस्पांस कार्य योजना को अधिसूचित करना; दिल्ली और एन.सी.आर. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यापक कार्य योजना बनाना। केन्द्रीय सरकार ने व्यापक रीति से देशभर में बढ़ती हुई वायु प्रदूषण की सूस्या का समाधान करने के लिए दीर्घावधि समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र की "प्रदूषण नियंत्रण" स्कीम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन.सी.ए.पी.) को अंतिम रूप भी दिया है। एन.सी.ए.पी. के तहत शहर-विशिष्ट कार्य योजना के प्रतिपादन और कार्यान्वयन के लिए बेंगलुरू सहित सौ (100) गैर-अनुपालनकर्ता शहरों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त एन.सी.ए.पी. के समयबद्ध कार्यान्वयन को सहायक बनाने के लिए एन.सी.ए.पी. में बहुत से दूसरे दर्जे के घटक अर्थात. तकनीकी आकलन प्रकोष्ठ, प्रौद्योगिकी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करना, जागरूकता और क्षमता निर्माण, स्रोत संविभाजन अध्ययन, पौध रोपण मुहिम, गहन निरीक्षण मुहिम आदि शामिल हैं।

(ङ) सरकार ने बेंगलुरू सहित कर्नाटक में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विभिन्न पहले की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, वायु गुणवत्ता निगरानी आदि हेतु बेंगलुरू, दावणगेरे, गुलबर्गा और हुबली-धारवाड़, शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं के लिए शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं को तैयार करना शामिल है।

महिलाओं में नेतृत्वगत क्षमताएं विकसित करना

2798. **श्री सी. महेंद्रन:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास महिलाओं में नेतृत्व-गत क्षमताएं विकसित करने और उनको उनके अधिकारों के लिए मुखर बनाने का कोई तंत्र है है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ऐसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से लगी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए ऐसी और अधिक गतिविधियां शुरू करना चाहती हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ वीरेंद्र कुमार): (क) और (ख) भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थानों की चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों (ई.डब्ल्यू.आर्स) के लिए उनमें नेतृत्व करने की क्षमता विकसित करके उन्हें सशक्त बनाने की दृष्टि से क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है ताकि वे सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें और क्षेत्र में सहकर्मी सुविधाकर्ता के रूप में कार्य कर सकें, अपने अधिकारों के लिए मुखर बन सकें तथा शासन प्रक्रियाओं में प्रभावी रूप से भाग ले सकें।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें इन प्रशिक्षणों को देने के लिए सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। मुख्यत: राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस.आई.आर.डी.) और राज्य संसाधन केन्द्र (एस.आर.सी.) पूरे राज्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते समय जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण किया जा रहा है। इसमें पंचायती राज, कृषि, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास आदि विभागों के संस्थानों के साथ सहयोग करना शामिल है। कार्यक्रम के प्रथम चरण (2017-18) में 14 राज्यों में कुल 18578 चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों (ई.डब्ल्यू.आर्स) को प्रशिक्षित किया गया था। दूसरे चरण में चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों (ई.डब्ल्यू.आर्स) के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों हेतु 18 राज्यों को शामिल किया गया है। राज्यों/संघ राज्यों, जिलों की संख्या, प्रशिक्षित की जाने वाली चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों (ई.डब्ल्यू.आर्स) की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया क्षमता निर्माण कार्यक्रम चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों (ई.डब्ल्यू.आर्स) को अपनी भूमिका और जिम्मेदारियां और अधिक अनुकूल तरीके से समझने के लिए एक मंच सृजित करने का

महत्वपूर्ण प्रयास है। हालांकि चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों (ई.डब्ल्यू.आर्स) की पूरी क्षमता को काम में लाने के लिए यह पहला कदम है, लेकिन शासन प्रक्रिया में उन्हें मुख्य धारा में लाने हेतु चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों (ई.डब्ल्यू.आर्स) में विश्वास, साहस, धारणा, प्रेरणा जागृत करना और इससे अधिक पूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए एक सतत् प्रक्रिया के रूप में इसकी कल्पना की गई है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों की संख्या, प्रशिक्षित की जाने वाली चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य व संघ राज्य	जिलों की संख्या	प्रशिक्षित की जाने वाली चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों की संख्या
1	उत्तर प्रदेश	75	3375
2	कर्नाटक	30	1350
3	गुजरात	33	1485
4	छत्तीसगढ़	27	1215
5	हिमाचल प्रदेश	12	540
6	पंजाब	22	990
7	गोवा	2	90
8	सिक्किम	4	180
9	लक्षद्वीप	1	45
10	असम	33	1485
11	मणिपुर	16	720
12	त्रिपुरा	8	360
13	दमन और दीव	2	90
14	अंडमान और निकोबार	3	135
15	नागालैंड	11	495
16	महाराष्ट्र	3	180
17	मध्य प्रदेश	51	2295
18	राजस्थान	1	45
	कुल	334	15030

गंगा नदी डॉल्फिन

2799. **श्री गोकाराजू गंगा राजू:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना द्वारा गंगा नदी डाल्फिनों को उत्पन्न खतने को देखकर वैज्ञानिक और वन्यजीव संरक्षक नाराज हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ख) क्या पोत परिवहन हेतु गंगा के विकास को वन्य जीव संरक्षकों द्वारा इन प्रजातियों के अस्तित्व हेतु अकेले सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है जिनकी संख्या इनके अधिकतर प्राकृतिक पर्यावासों में घट रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने डॉल्फिन सहित अन्य तीन प्रजातियों और डॉल्फिनों के समक्ष खतरे के लिए वैश्विक महत्ता की चार प्रजातियों हेतु विलुप्तप्राय प्रजाति बचाव योजना प्रारंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ महेश शर्मा): (क) कुछ वन्यजीव संरक्षणविदों ने राष्ट्रीय जलमार्गों परियोजना, नदी यातायात का प्रभाव, सिंचाई की नहरों और डॉल्फिन की संख्या के अहेर आधार की कमी द्वारा गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिनों के लिए उत्पन्न खतरे के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है।

(ख) गंगा नदी डॉल्फिनों की सख्या कई कारकों के कारण प्रभावित हुई है, जिनमें नदी अवक्रमण, मछली पकड़ने के जाल में फंसकर मर जाना, अवैध शिकार, नदी यातायात में बड़े पैमाने पर वृद्धि होना, प्रोपेलर्स द्वारा सीधे निशाना लगाना आदि शामिल है। जलमार्गों पर अनियोजित विकासात्मक कार्य इन प्रजातियों की संख्या को प्रभावित कर सकते हैं।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने 'वन्यजीव वासस्थलों का एकीकृत विकास' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत सकेन्द्रित संरक्षण कार्यक्रम के लिए 21 अतिसंवेदनशील रूप से संकटाग्रस्त प्रजातियों को अभिज्ञात किया है।

इन 21 प्रजातियों में से चार प्रजातियों, नामश: गंगा नदी डॉल्फिन, मणिपुर ब्रो एन्टलर्ड डियर (संगई), डुंगोंग और ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड के लिए काम्पा के तहत वित्तीय

सहायता से और भारतीय वन्यजीव संस्थान की सहायता से संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से संरक्षण और पुन:बहाली कार्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी

2800. **श्री राजेशभाई चुड़ासमा:**
श्री लक्ष्मी नारायण यादव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्र किराए के भवनों में चल रहे हैं जहां उपलब्ध स्थान अपर्याप्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना के लिए भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में प्रदान की गई सहायता कितनी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देशभर के बंद पड़े आंगनवाड़ी केंद्रों को पुन: खोलने के लिए उठाए गए कदमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेष रूप से मध्य प्रदेश का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) शहरी क्षेत्रों सहित देश में प्रचालित 1363300 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 329275 आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं, जो किराए के भवनों से चलाए जा रहे हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) स्कीम के सफल क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सभी लम्बित परियोजनाओं और आंगनवाड़ी केंद्र को चलाने और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों को भरने का समय-समय पर अनुरोध किया गया है।

विवरण

जून 2018 को समाप्त तिमाही में आंगनवाड़ी केन्द्रों में अवसंरचना सुविधाओं की सूचना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रचालित एडब्ल्यूसी की संख्या	किराए के भवन				
			एडब्ल्यूडब्ल्यू/एडब्ल्यूडब्ल्यू गृह		अन्य		
			कच्चे	पक्के	कच्चे	पक्के	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	55606	0	0	931	25730	26661
2.	तेलंगाना	35634	0	0	2148	8216	10364
3.	अरुणाचल प्रदेश	6225	378	0	0	0	378
4.	असम	62153	0	775	0	0	775
5.	बिहार	91677	0	0	41054	8658	49712
6.	छत्तीसगढ़	50596	2955	1126	6611	2425	13117
7.	गोवा	1258	0	57	5	684	746
8.	गुजरात	53029	0	0	0	8476	8476

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हरियाणा	25962	0	0	0	5959	5959
10.	हिमाचल प्रदेश	18925	440	108	2815	7073	10436
11.	जम्मू और कश्मीर	29599	8987	16735	949	933	27604
12.	झारखंड	38432	2714	1318	4175	6144	14351
13.	कर्नाटक	65911	0	0	10954	0	10954
14.	केरल	33244	25	42	386	8086	8539
15.	मध्य प्रदेश	97132	3265	2180	13350	12221	31016
16.	महाराष्ट्र	109779	0	0	0	15769	15769
17.	मणिपुर	11510	2783	192	201	80	3256
18.	मेघालय	5896	121	90	79	107	397
19.	मिजोरम	2244	0	29	0	0	29
20.	नागालैंड	3980	710	60	0	0	770
21.	ओडिशा	72587	3336	2261	1257	8626	15480
22.	पंजाब	26988	0	479	0	2784	3263
23.	राजस्थान	61974	0	0	0	10543	10543
24.	सिक्किम	1308	0	50	0	183	233
25.	तमिलनाडु	54439	0	228	0	8043	8271
26.	त्रिपुरा	10145	0	0	0	260	260
27.	उत्तर प्रदेश	187997	0	47	0	23245	23292
28.	उत्तराखंड	20067	29	1370	102	6174	7625
29.	पश्चिम बंगाल	115515	0	0	1000	8000	9000
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	720	23	42	7	178	250
31.	चंडीगढ़	500	0	0	0	318	318
32.	दिल्ली	19897	0	58	109	10524	10691
33.	दादरा और नगर हवेली	302	30	60	31	27	148
34.	दमन और दीव	107	0	17	0	0	17
35.	लक्षद्वीप	107	0	0	0	80	80
36.	पुदुचेरी	855	0	2	0	443	445
	योग	1363300	25796	27326	86164	189989	329275

राज्य स्तरीय समेकित रिपोर्ट और राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासनों की एपीआईपी बैठकों से प्राप्त की गई सूचना के आधार पर।

सेंटर फोर एन्वायरन्मेंट एंड ऑक्युपेशनल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ की भूमिका

2801. **श्री प्रेम दास राई:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एन.सी.डी.सी.) में गठित किए गए सेंटर फोर एन्वायरन्मेंट एंड ऑक्युपेशनल हेल्थ, क्लाइमेट चेन्ज एंड हेल्थ द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है; और

(ख) विभाग द्वारा पर्यावरण और व्यवसायगत स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए कार्य-योजना के संबंध में ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) और (ख) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एन.सी.डी.सी.) के जनादेश के अनुसार, फरवरी, 2015 में नया पर्यावरण एवं व्यवसायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.ई.ओ.एच.) निर्मित किया गया था। केंद्र द्वारा निभाई गई भूमिका और पर्यावरण एवं व्यवसायिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु कार्रवाई की योजना से संबंधित ब्यौरा निम्नवत है:

(i) यह केन्द्र जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद (पी.एम.सी.सी.सी.) के स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य विशेषज्ञ समूह (एन.ई.जी.सी,.सी.एच.) की बैठक का समन्वय करता है। विस्तारित विचार-विमर्श के पश्चात राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य पर कार्रवाई योजना (एन.ए.पी.सी.सी.एच.एच.) नामक जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य हेतु प्रारूप कार्यनीति तैयार की गई है।

(ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए मानव स्वास्थ्य पर ज़लवायु परिवर्तन के प्रभाव पर जागरूकता हेतु क्षेत्रीय परामर्श किया गया था। ब्यौरा निम्नवत है:

- दक्षिण क्षेत्रीय परामर्श: 2 और 3 मार्च, 2017 चेन्नई तमिलनाडु।
- उत्तरी क्षेत्रीय परामर्श: 1-2 सितंबर, 2017 नई दिल्ली।
- पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परामर्श: 11-12 अक्तूबर, 2017 कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
- पश्चिम, केंद्रीय और दक्षिण क्षेत्र के शेष राज्यों का परामर्श: 22-23 नवंबर, 2017, भोपाल, मध्य प्रदेश।

(iii) एन.सी.डी.सी. निम्नवत की पहचान हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों के साथ निरंतर फॉलोअप कर रहा है:

- राज्य पर्यावरण स्वास्थ्य सेल
- राज्य नोडल अधिकारी (जलवायु परिवर्तन)
- अन्य मंत्रालयों/विभागों के विशेषज्ञों/प्रतिनिधियों के साथ टॉस्क फोर्स की अधिसूचना

(iv) एन.सी.डी.सी. ने "जलवायु परिवर्तन पर राज्य विशिष्ट कार्रवाई योजना कार्य ढांचा" तैयार किया है। बहु-चैनलों के माध्यम से एस.ए.पी.सी.सी.एच.एच. के कार्यबल के बारे मं राज्य प्रतिनिधियों को भी जानकारी दी गई है।

(v) एन.सी.डी.सी. जलवायु संवेदनशील रोगों के लिए विशिष्ट अनुकूलन योजना जैसे कि प्रशिक्षण मॉड्यूल दिशानिर्देश और प्रतिक्रिया योजना के विकास, जलवायु संवेदनशील रोगों हेतु आई.ई.सी. के विकास हेतु पृष्ठभूमि सूचना के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सी.ओ.ई.) के रूप में पहचाने गए संस्थानों/संगठनों/विभागों के साथ भी फॉलोअप कर रहा है।

(vi) एन.सी.डी.सी. ने जलवायु संवेदनशील रोगों को स्वास्थ्य सूचना प्रणाली के साथ जलवायु डाटा समावेश हेतु संभावना खोजने के लिए बैठक आयोजित की है।

(vii) एन.सी.डी.सी. विभिन्न जलवायु संवेदनशील रोगों हेतु राज्यों/सघ राज्यों को चेतावनी देने के लिए गतिविधियां आयोजित करता है जैसे:

- सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को गर्मी संबंधी सलाहकारी जारी की गई थी जहां आई.एम.डी. द्वारा जारी जलवायु चेतावनी की वजह से गर्मी संबंधी रोग उत्पन्न होने की संभावना थी। उक्त को पूर्ववर्ती वर्षों के एन.डी.एम.ए.-आई.डी.एस.पी. रिकॉर्ड के पास उपलब्ध रुग्णता और मृत्यु दर डाटा की जांच के पश्चात जारी किया गया था।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वेक्टरों और जल व खाने से संचारित होने वाले रोगों के कारण

रुग्णता और मृत्यु दर कम करने के लिए उपर्युक्त उपाय करने के लिए सलाह भी दी गई थी।

(viii) व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक हेतु, गंभीर रूप से प्रदूषित औद्योगिक कल्सटरों में स्वास्थ्य प्रभाव संबंधी अध्ययनों के बारे में दिशानिर्देशों के विकास हेतु निदेशक, एन.सी.डी.सी. की अध्यक्षता में कोर समूह गठित किया गया था।

(ix) दिल्ली एवं एन.सी.आर. में ए.क्यू.आई. स्तर और तीव्र श्वसन रोगों के मामलों के मद्देनजर, एन.सी.डी.सी. ने दिनांक 9 नवंबर, 2017 को आयोजित वायु प्रदूषण संबंधी संचालन समिति की बैठक के पश्चात दिल्ली के केंद्र सरकार के चार अस्पतालों (एम्स, सफदरजंग, एल.एच.एम.सी. अस्पताल समूह और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल) के आपात विभागों को सूचित किए गए तीव्र श्वसन रोगों के मामलों के लिए प्रहरी अस्पतालों का डाटा एकत्र एवं संग्रह करना आरंभ किया है।

(x) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य विभागों को 'वायु प्रदूषण के प्रभाव' पर सलाहकारी जारी की गई है जहां ए.क्यू.आई. स्तर 'बहुत खराब' अथवा गंभीर सूचित किए गए हैं।

[हिन्दी]

स्टार्ट-अप्स में निवेश

2802. श्री राघव लखनपाल:
श्री कलिकेश एन. सिंह देव:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्टार्ट-अप्स संबंधी निवेश में अनियमितताओं की कोई शिकायतें प्राप्त हुई है और उसने इनकी कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने स्टार्ट-अप्स में किए जाने वाले विशिष्ट निवेशों (एंजेल इंवेस्टमेंट) के संबंध में कोई नियम और विनियम तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तपोषण के प्रथम दौर के पश्चात् शेयर मूल्य मे कमी वाले सभी स्टार्ट-अप्स का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास देश में स्टार्ट-अप्स का मूल्यांकन संबंधी पूर्वानुमान करने के लिए कोई विशिष्ट मापदंड हैं और यदि हो, तो स्टार्ट-अप्स के मूल्यांकन के लिए विचारित मापदंडों और प्रयुक्त पद्धति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या स्टार्ट-अप्स के मूल्यांकन की प्रक्रिया से देश में व्यापारकरण की सुगमता संबंधी सूचकांक पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) स्टार्ट-अप कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय-I में धारा 2 के खंड 40 वित्तीय विवरण की परिभाषा के अंतर्गत तथा स्पष्टीकरण के अंतर्गत, यह उल्लेख किया गया है कि शब्द 'स्टार्ट-अप' अथवा "स्टार्ट-अप कंपनी" का अर्थ किसी निजी कंपनी से है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित और औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता प्राप्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, किसी कंपनी की जांच करने के लिए सुपरिभाषित तंत्र मौजूद है। यदि किसी अनियमितता अथवा कपट की सूचना प्राप्त हुई हो, तो कंपनी की जांच की जाती है। इस कंपनी अधिनियम में स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए कोई पृथक तंत्र नहीं है।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, स्टार्ट-अप इंडिया हब टीम प्रति सप्ताह 1000 शिकायतें प्राप्त करती हैं तथा उनका समाधान करती है, तथापि प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा संकलित नहीं किया जाता है।

(ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मत्रालय ने दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को जारी एक अधिसूचना में एक ऐसा तंत्र प्रदान किया है जिसके माध्यम से एंजेल निवेश करने वाले स्टार्ट-अप को छूट प्रदान की जा सकती है।

(ग) स्टार्ट-अप के लिए निधियों की निधि के अंतर्गत कवर किए गए 176 स्टार्ट-अप में से, लगभग 9 स्टार्ट-अप के शेयर मूल्य उत्तरवर्ती प्रथम दौर में घटे हैं।

(घ) देश में स्टार्ट-अप के मूल्यांकन का अनुमान लगाने के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उपभोग मंत्रालय द्वारा कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

राज्य स्वास्थ्य सोसाइटियों को निधि

2803. **श्री रवीन्द्र कुमार जेना:**
श्री गौरव गोगोई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2014-15 में अपनाई गई कोषालय पद्धति के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य सोसाइटियों को निधि के हस्तांतरण की योजनाओं के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार निधि के हस्तांतरण के लिए सोसाइटी पद्धति को परिवर्तित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे राज्यों में कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के एक प्रमुख कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के तहत वर्ष 2014-15 में कोष प्रारूप के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य सोसायटियों (एस.एच.एस.) को धनराशि का हस्तांतरण अपनाया गया था। ऐसे उदाहरण है जहां कोष से एस.एच.एस. खाते में समयबद्ध तरीके से स्थानांतरण नहीं होता है। धनराशि की समयबद्ध और निर्बाध उपलब्धता की कमी से एन.एच.एम. के तहत अनुमोदित गतिविधियों के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वे राज्य स्वास्थ्य सोसायटियों (एस.एच.एस.) को राज्यों के समेकित कोष से समय पर धनराशि जारी करना सुनिश्चित करें। मंत्रालय समय-समय पर एस.एच.एस. को धनराशि के हस्तांतरण के लिए राज्यों के साथ वार्ता करता है।

(घ) और (ङ) इस मंत्रालय ने एन.एच.एस. के तहत धनराशि के हस्तांतरण के लिए सोसायटी मोड में स्विच करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया था। इसके जवाब में, वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि एन.एच.एम. एक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है जो राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है, इस प्रकार, शहरी संघवाद की भावना के लिहाज से वर्तमान व्यवस्था को बाधित करना संभवत: वांछनीय नहीं है।

कालाधन

2804. **श्री एन.के. रामचन्द्रन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कालेधन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमुद्रीकरण और अन्य प्रयासों के बावजूद भी देश में कालेधन का खतरा नहीं रुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी हां।

(ख) और (ङ) सरकार ने इस संबंध में कई ठोस कदम उठाए हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के माध्यम से क्षमता निर्माण और सूचना के एकीकरण और इसके खनन पर ध्यान देने के साथ मजबूत विधायी और प्रशासनिक ढांचे, प्रणाली और प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस संबंध में, हाल की प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

(i) काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) तथा करारोपण अधिनियम, 2015 का अधिनियमन, जोकि दिनांक 01.07.2015 से प्रभावी हो गया है। यह अधिनियम, विदेशों में रखे काले धन के मुद्दों का अधिक प्रभावी तथा महत्वपूर्ण ढंग से निपटान करता है।

(ii) बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 में संशोधन करके बेनामी संव्यवहार (निषेध) संशोधन

अधिनियम, 2016 का अधिनियमन जो अन्य बातों के साथ-साथ बेनामी सम्पत्ति को जब्त करने और बेनामीदार और लाभकारी मालिक के खिलाफ मुकदमा चलाने में सक्षम होगा।

(iii) 2 लाख या इससे अधिक (आयकर अधिनियम की धारा 269 धन) के नकद संव्यवहार पर रोक लगाई गई थी।

(iv) यदि नकद दान 2000 रु. से अधिक होता है तो दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से धारा 80(छ) के तहत किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बैंक खाते अथवा चुनावी बांड को छोड़कर राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले 2000 रुपए या इससे अधिक के दान पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(v) किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष कर के किसी सुसंगत प्रावधानों के गैर अनुपालन या कर अपवंचन के मामले में कानून के अनुसार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ, जो भी उपयुक्त हो, मुकदमा प्रारंभ किया जाता है।

(vi) पारदर्शी नागरिक सहयोगी सेवाएं प्रदान करने तथा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो व्यवस्थागत सुधार तथा संशोधन किए गए हैं जैसे (क) प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पहल के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत नागरिकों को सीधे कल्याणकारी लाभों का वितरण (ख) सार्वजनिक प्रापण में ई-टेन्डरिंग का कार्यान्वयन, (ग) प्रक्रियाओं तथा व्यवस्थाओं का सरलीकरण तथा ई-गवर्नेंस का प्रारंभ (घ) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) के माध्यम से सरकारी प्रापण का प्रारंभ।

(vii) भारत सरकार में समूह 'ख' (गैर-राजपत्रित) तथा समूह 'ग' की भर्तियों में साक्षात्कार की समाप्ति।

(viii) प्रमुख प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठा करार को अंगीकार करने के लिए संगठनों के लिए सी.वी.सी. द्वारा अनुदेश जारी किया जाना।

(ग) और (घ) काले धन के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तथापि, विमुद्रीकरण ने काले धन को समाप्त करने तथा अनुपालन को सुधारने पर एक सकारात्मक प्रभाव डाला है, जोकि निम्नलिखित में प्रतिबिम्बित होता है:

(i) वित्त वर्ष 2017-18 में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 18% की मजबूत वृद्धि दर, जोकि अंतिम सात वित्तीय वर्षों में उच्चतम रही है जोकि देश में कर अनुपालन के स्तर पर, विमुद्रीकरण के सकारात्मक प्रभावों को इंगित करती है।

(ii) 2017-18 में, व्यैक्तिक आय कर (पी.आई.टी.) अग्रिम कर संग्रहण 23.4% तक तथा 2016-17 से 29.2% तक स्व आकलन कर का बढ़ना, इस आधार की पुष्टि करता है कि आयकर विभाग द्वारा बैंक जमा आंकड़ों के आगामी प्रयोग तथा विमुद्रीकरण ने, गैर वाणिज्यिक/व्यैक्तिक करदाताओं द्वारा स्वैछिक कर भुगतान पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

(iii) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, आयकर विभाग में दायर की गई आयकर विवरणियों (आई.टी.आर.) की संख्या में 25% की वृद्धि प्राप्त की गई है। यह अंतिम पांच वर्षों में प्राप्त की गई सबसे उच्चतर दर रही है।

(iv) वित्त वर्ष 2015-16 के पश्चात, नए करदाताओं में एक स्पष्ट प्रगति दृष्टिगत हुई है जोकि नोटबंदी के परिणामस्वरूप, औपचारिक चैनलों में नकदी के हस्तांतरण के चलते अनुपालन के उच्च स्तर की विशेषता कही जा सकती है।

आयुष चिकित्सकों हेतु विशेष संवर्ग

2805. **श्रीमती पूनमबेन माडम:** क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण भागों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए गांवों में नियुक्त किए जाने हेतु आयुष चिकित्सकों और पराचिकित्सकों के लिए विशेष संवर्ग तैयार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय आयुविज्ञान परिषद (एम.सी.आई.) और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आई.ए.ए.)

से परामर्श किया है और उनसे इसकी प्रविधियां तैयार करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण जनसंख्या को उपचार सुलभ कराने के लिए आयुष चिकित्सकों को गांवों में कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण स्वास्थ्य मानव संसाधन से संबंधित प्रशासनिक और व्यक्तिगत मामले संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आते हैं जिसमें गांवों में तैनाती यदि कोई हो, के लिए आयुष चिकित्साभ्यासियों और अर्ध चिकित्सकों के विशेष संवर्ग का सृजन शामिल है। अतः भारत सरकार राज्यों के गांवों में तैनाती के लिए आयुष चिकित्साभ्यासियों और अर्ध चिकित्सकों हेतु प्रत्यक्ष रूप से संवर्ग सृजित नहीं करती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित है, जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण भारत सरकार राज्यों के गांवों में आयुष चिकित्साभ्यासियों को सीधे तैनात नहीं करती है क्योंकि यह मामला संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है।

जी.एस.टी. में कमी संबंधी लेखापरीक्षा

2806. **डॉ. पी. वेणुगोपाल**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल और सेवा कर नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) कुछ राज्यों में राजस्व में कमी आने के कारणों का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा कराएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ख) क्या कई राज्य राजस्व-संग्रहण में कमी का सामना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा लेखापरीक्षा के अतिरिक्त इस संकंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी नहीं। राज्यों के संबंध में राजस्व में कमी के कारणों का पता लगाने के लिए जी.एस.टी.एन. को लेखा परीक्षा करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) वित्त वर्ष 2018-19 में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के अलावा राज्यों में राजस्व संग्रहण में कमी आई है। राजस्व संग्रहण में सुधार करने के लिए किए जा रहे उपायों में शामिल हैं - ई.वे. बिल की शुरुआत, कर विवरणी भरना आसान करने के उपाय, कर आधार में वृद्धि करना, कर दरों को युक्ति संगत बनाना, लेनदेन के इनवॉइस का विवरण रखने के उपाय ताकि लिए गए ऋण के साथ उसका मिलान किया जा सके और करदाताओं द्वारा लिए गए पारगमन ऋण का सत्यापन, आदि।

आयुर्वेद का संवर्धन

2807. **श्री मनोज तिवारी**: क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वदेशी आयुर्वेदिक औषधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का कोई उपभोक्ता-हितैषी तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रक्रिया के संबंध में तंत्रों और प्रविधियों का ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) मंत्रालय राष्ट्रीय/राज्य आरोग्य मेला, आयुर्वेद पर्व, आयुर्वेद दिवस समारोह और संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं, सम्मेलनों आदि का आयोजन करके आयुर्वेद सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने और उनका प्रचार करने के लिए आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार के संवर्धन के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम को क्रियान्वित कर रहा है।

मंत्रालय आयुर्वेद सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित रणनीतियों को तैयार और निष्पादित करते हुए जागरूकता पैदा करने के लिए प्रिंट मीडिया सहित मल्टी मीडिया (आई.ई.सी.) अभियान चला रहा है। आयुष मंत्रालय अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों अर्थात फेसबुक, ट्विटर,

यू ट्यूब इत्यादि पर आयुर्वेद सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों को डिजीटल प्रणाली से भी संवर्धित कर रहा है।

(ग) लागू नहीं।

(घ) आयुष मंत्रालय भारत व्यापार संवर्धन (आई.टी.पी.ओ.), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), सी.आई.आई., आई.सी.सी. और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग सम्बद्ध महासंघ (ए.एस.एस.ओ.सी.एच.ए.एम.) इत्यादि अथवा सरकारी संगठनों या राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धति क्षेत्र में कार्यरत किसी प्रतिष्ठित संगठन के साथ सहयोग करके आयुर्वेद सहित आयुष चिकित्सा पद्धति के आरोग्य मेले आयोजित कर रहा है।

आयुष मंत्रालय संबंधित परिषदों/राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की सहायता से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए आयुर्वेद दिवस मना रहा है।

आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहे कोई सरकारी/गैर-सरकारी आयुर्वेद संगठन, राज्य आयुष निदेशालय, आयुर्वेद शिक्षण संस्थान अथवा आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहे कोई अन्य गैर-लाभकारी संगठन आयुर्वेद पर्व के आयोजन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आयुष मंत्रालय आयुर्वेद सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार और संवर्धन के लिए ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी या सामान्य वित्त नियमावली 2017 के अनुसार चयनित किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से मल्टी मीडिया/प्रिंट मीडिया/बाहरी प्रचार अभियान चला रहा है।

आयुष चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में कार्यरत और आयुष के प्रमाणित परिणामों के प्रचार में संलग्न तथा आयुष के संवर्धन और विकास इत्यादि में कार्य कर रही केन्द्रीय/राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों पंजीकृत स्वायत्त निकायों/संगठनों तथा प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों आदि को संगोष्ठी, सम्मेलन, विचार-गोष्ठी, कार्यशाला, बैठक इत्यादि का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

2808. **डॉ. मनोज राजोरिया**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.), अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) के अंतर्गत अंशदाताओं की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या अंशदाताओं हेतु कोई शिकायत निवारण प्रकोष्ठ उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अनौपचारिक क्षेत्रों, विशेषकर देश के पिछड़े जिलों हेतु, योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पी.एम.ओ. सार्वजनिक शिकायत (पी.जी.) पोर्टल, केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सी.पी.जी.आर.एम.), केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सी.जी.एम.एस.), वेबसाइट *www.jansuraksha.gov.in* को सीधे भेजे गए ई-मेल और टोल-फ्री नंबरों जैसे विभिन्न शिकायत निवारण तंत्र हैं। इन शिकायतों के तीव्र निवारण हेतु बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा अनुसरण किया जाता है। पी.एफ.आर.डी.ए. (अभिदाता शिकायत का समाधान) विनियम, 2015 के अनुसार, अभिदाता द्वारा तीस दिनों से अधिक तक समाधान नहीं की गयी शिकायत को एन.पी.एस. न्यास को आगे बढ़ाया जा सकता है।

(ग) सरकार द्वारा योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए प्रयास निम्नानुसार हैं:

(i) सरकार के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां एवं बैंकों द्वारा जनसंख्या के बड़े वर्ग के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक अभियान चलाए गए हैं और इन योजनाओं के लिए पहुंच को सुकर बनाने हेतु लोक संपर्क प्रयास किए गए हैं।

(ii) पी.एम.जे.जे.बी.वाई., पी.एम.एस.बी.वाई. और ए.पी.वाई. के बारे में समाचार पत्रों, टी.वी. और रेडियो में नियमित विज्ञापन दिए जा रहे हैं।

(iii) एक विस्तृत वेबसाइट *www.jansuraksha.gov.in* सृजित की गई है, जिसमें इस योजना से संबंधित फॉर्म, नियमों, बार-बार पूछे गए प्रश्नों (एफ.ए.क्यू.) इत्यादि सहित सभी संगत सामग्री/सूचना अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में दी गई है।

(iv) पूरे देश में बैंकों और बीमा कंपनियों के विभिन्न कार्यालयों में इन योजनाओं से संबंधित पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं।

(v) इसके अलावा, पी.एफ.आर.डी.ए. ए.पी.वाई. को लोकप्रिय बनाने तथा उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लॉग-इन डेज, एल्डरली डे-कैम्पेन इत्यादि जैसे सेवा प्रदाताओं के बीच विभिन्न प्रचार-अभियान आयोजित कर रहा है।

विवरण

देश में पीएमजेजेबीवाई, एपीवाई तथा पीएमएसजीवाई के अंतर्गत अंशदाताओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	पीएमएसबीवाई*	पीएमजेजेबीवाई*	एपीवाई#
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	30,508	15,548	4,472
2	आंध्र प्रदेश $$	2,71,56,903	1,82,15,982	8,83,060
3	अरूणाचल प्रदेश	61,946	37,334	9,302
4	असम	17,06,329	6,44,517	2,53,209
5	बिहार	47,88,530	13,78,259	13,29,823
6	चंडीगढ़	1,91,036	53,078	19,730
7	छत्तीसगढ़	51,03,696	12,13,399	2,17,523
8	दादरा और नागर हवेली	44,620	21,508	15,720
9	दमन और दीव	34,542	15,583	27,428
10	गोवा	2,45,218	1,17,666	45,200
11	गुजरात	55,71,992	23,27,022	6,42,476
12	हरियाणा	29,33,778	8,65,248	2,83,324
13	हिमाचल प्रदेश	10,19,889	2,61,165	90,356
14	जम्मू और कश्मीर	7,35,704	3,12,101	50,451
15	झारखंड	19,65,777	5,05,320	2,92,156
16	कर्नाटक	69,19,503	31,61,583	9,52,897
17	केरल	39,85,965	8,24,604	3,02,603
18	लक्षद्वीप	5,721	1,670	4,510
19	मध्य प्रदेश	79,04,010	19,63,265	6,72,326
20	महाराष्ट्र	85,33,262	36,27,567	10,51,175
21	मणिपुर	97,059	32,774	16,189
22	मेघालय	90,233	44,713	25,132

1	2	3	4	5
23	मिजोरम	85,065	54,431	17,368
24	नागालैंड	52,190	20,328	49,944
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	23,06,344	9,06,935	2,36,748
26	ओडिशा	39,98,889	10,51,672	4,44,884
27	पुदुचेरी	2,06,521	68,810	30,167
28	पंजाब	35,41,879	6,61,613	4,15,150
29	राजस्थान	53,11,087	15,28,381	6,30,627
30	सिक्किम	50,782	28,410	50,061
31	तमिलनाडु	74,27,898	25,19,541	11,40,943
32	तेलंगाना	60,47,449	20,14,964	3,80,226
33	त्रिपुरा	3,48,788	1,09,620	40,004
34	उत्तर प्रदेश	1,32,39,776	34,69,306	19,75,017
35	उत्तराखंड	14,03,124	3,53,247	1,15,205
36	पश्चिम बंगाल	61,20,615	13,59,111	8,35,747
37	अन्य एवं गैर-सीबीएस नामांकन ***	1,34,52,298	59,86,796	कुल=135,51,153

**वस्त्र मंत्रालय, महिला और बाल-विकास, एमएसएमई और पशुपालन विभाग, डेयरी और मत्स्य पालन की तत्कालीन बीमा योजनाओं से जुड़े लाभार्थी। गैर-सीबीएस नामांकन शहरी सहकारी बैंक अभिदाताओं से संबंधित हैं, जो सीबीएस प्रणाली में शामिल नहीं हुए थे। इस संख्या के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।

$$में 1.65 करोड़ और 1.99 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, जो आंध्र प्रदेश राज्य में क्रमश: एएबीवाई से पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई में जुड़े हैं।

स्रोत: पात्रता के सत्यापन आदि के अध्याधीन दिनांक 31.10.2018 की स्थिति के अनुसार जनसुरक्षा पोर्टल पर बैंकों द्वारा अपलोड किए गए अनुसार कुल नामांकन।

#दिनांक 19.12.2018 की स्थिति के अनुसार एपीवाई के अंतर्गत नामांकन।

[हिन्दी]

योग शिक्षकों की कमी

2809. **श्री हरिश्चन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी:**
श्री लखन लाल साहू:
श्री ओम प्रकाश यादव:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में योग शिक्षकों की कमी के समाधान के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में योग को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए योग शिक्षकों की भर्ती और चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार अथवा कार्यान्वित कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2016 से 2018 की अवधि के दौरान अब तक भर्ती किए गए योग शिक्षकों की बिहार सहित राज्य-वार संख्या कितनी है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां, आयुष मंत्रालय ने योग व्यावसायिकों के प्रमाणन हेतु वर्ष 2015 में स्कीम चालू की थी जिसका प्रबंधन क्यू.सी.आई. द्वारा किया जाता था। वर्ष 2018 में आयुष मंत्रालय ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नामक अपने स्वायत्त निकाय, जिसने इस कार्यभार को उठाया है, के अधीन योग प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की।

इस समय योग व्यावसायिकों के लिए दो स्तरों का प्रमाणन किया जाता है जो निम्नलिखित हैं:

स्तर 1- योग अनुदेशक और

स्तर 2- योग शिक्षक।

योग प्रमाणन:

स्तर 1- योग प्रोटोकॉल अनुदेशक

स्तर 2- योग स्वस्थता अनुदेशक

स्तर 3- योग शिक्षक मूल्यांकक

इसके लिए मापदंड संशोधनाधीन हैं।

योग प्रमाणन बोर्ड ने योग संस्थाओं/केंद्रों के प्रत्यायन का अनुमोदन किया है जो प्रमाणित योग व्यावसायिक तैयार करने के लिए योग व्यावसायिकों के पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन भी आयोजित करेगा।

(ख) आयुष मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) जी हां, देश में योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में ऐसी कोई कार्ययोजना तैयार अथवा कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

देश में योग को बढ़ावा देने के किए गए उपाय

(I) आयुष मंत्रालय

(क) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.)

i. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में योग व प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष सुविधाओं की सहस्थापना।

ii. योग व प्राकृतिक चिकित्सा सहित एकमात्र राजकीय आयुष अस्पतालों और औषधालयों का उन्नयन।

iii. योग व प्राकृतिक चिकित्सा सहित 50 बिस्तर तक के एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना।

iv. योग व प्राकृतिक चिकित्सा सहित राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों का उन्नयन।

v. उस राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा सहित राज्य सरकार के नए आयुष शैक्षणिक संस्थान आरंभ करना जहां ये उपलब्ध नहीं हैं।

vi. एन.ए.एम. स्कीम के नम्य घटक के अंतर्गत योग स्वास्थ्य केंद्रों में अनुदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

(II) केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.वाई.एन.), नई दिल्ली।

(क) केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आई.वाई.एन.), रोहिणी, दिल्ली का संचालन किया जा रहा है।

(ख) सहयोगात्मक अनुसंधान केंद्र।

(ग) बहुकेंद्रीय अनुसंधान अध्ययन संचालित किए जा रहे हैं।

(घ) योग व प्राकृतिक चिकित्सा की ओ.पी.डी. स्थापित करना।

(ङ) स्वास्थ्य मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से प्रशिक्षण, संवर्धन और प्रचार संबंधी क्रियाकलाप।

(च) भारत के सभी जिलों में एक माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना।

(छ) योग व प्राकृतिक चिकित्सा क्लीनिक/अस्पताल स्थापित अथवा संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम।

(ज) विभिन्न राज्यों में योग उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है।

(झ) योग पार्कों की स्थापना की जा रही है।

(III) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एम.डी.एन.-आई.वाई.), नई दिल्ली।

(क) 19 सी.जी.एच.एस. स्वास्थ्य केन्द्रों और तृतीयक/एलोपैथी अस्पतालों में 4 योग उपचार केंद्रों में योग ओ.पी.डी. चलाई जा रही है और योग उपचार प्रदान किया जा रहा है।

(ख) योग में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

(ग) लोगों में योग संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है।

(घ) लोगों के बीच योग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सम्मेलन/संगोष्ठी/कार्यशालाएं और विशेष व्याख्यान श्रृंखलाएं आयोजित की जा रही है।

(ङ) भारतीय खेल प्राधिकरण के 4 स्टेडियमों में योग केंद्र संचालित किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

बैंक खातों से धनराशि का गबन

2810. **श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौडा:**
श्री बी.वी. नाईक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत चार वर्षों के दौरान 'आधार' को पैन/बैंक खाते/सिम कार्ड से जोड़ने के नाम पर धनराशि निकाले जाने के संबंध में प्राप्त बैंक-धोखाधड़ियों की शिकायतों की बैंक-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या बैंक-धोखाधड़ियों की ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए बैंकों को कोई निर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन घटनाओं से निपटने के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि अपेक्षित सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है। आर.बी.आई. ने यह भी सूचित किया है कि उसे बैंक धोखाधड़ियों की घटनाओं पर कुछेक शिकायतें/रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जहां पर आधार ब्यौरों का उपयोग करते हुए धोखाधड़ीपूर्वक धनराशि निकाली गई थी, ऐसी शिकायतों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और उसका केंद्रीय धोखाधड़ी निगरानी प्रकोष्ठ इस श्रेणी में धोखाधड़ी से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है।

(ख) से (घ) आर.बी.आई. ने सामान्यतया बैंकिंग लेन-देनों के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक संरचना प्रदान करने तथा वित्तीय संस्थानों का चयन करने, धोखाधड़ियों की शीघ्र पहचान करने एवं सूचना देने, जांच एजेंसियों को सूचना देने तथा प्रभावी धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश जारी किए हैं।

आर.बी.आई. ने यह भी सूचित किया है कि उसने ग्राहक संरक्षण-ग्राहक देयता निर्धारित करने के लिए अनधिकृत इलेक्ट्रानिक बैंकिंग लेन-देनों में ग्राहकों की देयता सीमित करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) जहां ग्राहक की स्वयं संलिप्तता पाई जाती है, ग्राहक की देयता होगी।

(2) ग्राहक की देयता नहीं होगी-

(i) जहां बैंक की ओर से धोखाधड़ी/लापरवाही है;

(ii) तृतीय पक्ष उल्लंघन जहां ग्राहक अनधिकृत लेन-देन के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीन कार्य दिवस के अंदर बैंक को सूचित करता है।

(3) जहां स्पष्टतया ग्राहक की स्वयं संलिप्तता नहीं पाई जाती है, ग्राहक की देयता अधिकतम 5,000/- रुपए तक सीमित होगी, यदि वह चार से सात कार्य दिवस के अंदर सूचित कर देता है।

(4) यदि ग्राहक सात दिनों के बाद सूचित करता है तो ग्राहक की देयता बैंक की बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही कुछेक सेवाओं के संबंध में बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों के समाधान को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, एक अर्द्धन्यायिक प्राधिकरण के रूप में बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की गयी है। बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतें बैंकिंग लोकपाल, आर.बी.आई. द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी के पास की जा सकती हैं। बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जा सकती है यदि बैंक द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने के एक माह के अंदर इसका उत्तर नहीं दिया गया है, या यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है। बैंकिंग लोकपाल किसी भी उठाई गई हानि के लिए 20 लाख रुपए या बैंक की चूक या कार्य से सीधे होने वाली राशि के लिए सीमित, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय दे सकता है। वह मानसिक यातना एवं उत्पीड़न के लिए क्रेडिट कार्ड परिचालनों से संबंधित शिकायतों के मामले में 1 लाख रुपए से अनधिक की प्रतिपूर्ति करने का भी निर्णय दे सकता है। शिकायतें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार से संबंधित हो सकती हैं:

(i) आंतरिक विप्रेषणों के भुगतान में नो-पेमेंट या विलंब होना;

(ii) किसी भी बैंकिंग सुविधा, जिसके लिए वायदा किया गया हो, को प्रदान करने में असफल रहना या विलंब होना;

(iii) पक्षकार के खाते में आगम राशियों का क्रेडिट न होना, विलंब होना या जमाराशियों का भुगतान नहीं होना;

(iv) ग्राहकों को पर्याप्त पूर्व सूचना के बिना प्रभार लगाना; और

(v) बैंकिंग या अन्य सेवाओं के संबंध में आर.बी.आई. द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन करने से संबंधित कोई मामला।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल वालेट्स सहित प्रीपेड भुगतान लिखतों (पी.पी.आई.) को जारी करने के लिए आर.बी.आई. दिशानिर्देशों में पी.पी.आई. जारीकर्ता को ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी तंत्र लागू करना, ग्राहकों के लाभ के लिए इसका प्रकाशन करना तथा ग्राहक शिकायतों के संबंध में आंकड़ों की सूचना आर.बी.आई. को देना आवश्यक है। मोबाइल बैंकिंग पर आर.बी.आई. दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को एक हैल्प डेस्क स्थापित करने, इसके ब्यौरे का वेबसाइट पर प्रकटीकरण करने तथा शिकायत दर्ज कराने के लिए एस्कालेशन प्रक्रिया तथा ये ब्यौरे ग्राहकों को उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है।

जननी सुरक्षा योजना

2811. **श्रीमती पूनम महाजन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश में जननी सुरक्षा योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसके पात्र लाभार्थियों हेतु नकद सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र सहित देश में विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आबंटित की गई धनराशि और इस योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या जननी सुरक्षा योजना के परिणामस्वरूप मातृत्व मृत्य-दर और शिशु मृत्यु-दर में कमी आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) जी हां, जननी सुरक्षा योजना महाराष्ट्र सहित पूरे देश में लागू की जा रही है।

(ख) इस योजना के तहत नकद सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एस.पी.आई.पी.) के अनुमोदनों तथा लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II की तालिकाओं में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व कार्यकलाप है जो 12 अप्रैल, 2005 को शुरू की गई और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई जिसमें निम्न निष्पादक राज्यों (एल.पी.एस.) पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। नमूना

पंजीकरण प्रणाली (2004-06) के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात (एम.एम.आर.) (प्रति 100000 जीवित शिशु जन्म) 254 था और यह एस.आर.एस. (2014-16) के अनुसार घटकर 130 हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर नवजात मृत्यु दर (आई.एम.आर.) 2005 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 58 से घटकर 2016 में प्रति 1000 जीवित जन्म पर 34 हो गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के अधीन मातृत्व और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नवजात मृत्यु दर और मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने के लिए कई कार्यकलापों में से जननी सुरक्षा योजना भी एक है।

विवरण-I

जननी सुरक्षा योजना में नकद सहायता के लिए पात्रता:

जननी सुरक्षा योजना के तहत नकद सहायता के लिए पात्रता निम्नानुसार है:	
निम्न निष्पादक राज्य (एलपीएस)	सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों (एससी)/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी)/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी)/प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू)/जिला या राज्य अस्पतालों के सामान्य वार्ड में प्रसव कराने वाली बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) सहित सभी गर्भवती महिलाएं
उच्च निष्पादक राज्य	सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र जैसे एससी/पीएचसी/सीएचसी/एफआरयू/जिला या राज्य अस्पताल के सामान्य वार्ड में प्रसव कराने वाली सभी बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) महिलाएं,
एलपीएस और एचपीएस	निजी प्रत्यायित संस्थानों में प्रसव करवाने वाली सभी बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) की महिलाएं

संस्थागत प्रसव के लिए नकद सहायता (रुपए में)

श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र		कुल	शहरी क्षेत्र		कुल
	मातृ पैकेज	आशाकर्मी पैकेज		मातृ पैकेज	आशाकर्मी पैकेज	
एलपीएस	1400	600	2000	1000	400	1400
एचपीएस	700	600	1300	600	400	1000

होम डिलीवरी के लिए नकद सहायता

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित बीपीएल गर्भवती महिलाएं, जो घर पर प्रसव कराना चाहती हैं, वे उम्र और बच्चों की संख्या कुछ भी हो, प्रति प्रसव 500 रुपये की नकद सहायता की हकदार हैं।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य पीआईपी अनुमोदन, व्यय और लाभार्थियों की संख्या का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

राष्ट्रीय आंकड़े:

लाभार्थियों की संख्या

2015-16	2016-17	2017-18
10416164	10459547	10813061

महाराष्ट्र के आंकड़े :

लाभार्थियों की संख्या

2015-16	2016-17	2017-18
339251	281027	312445

राष्ट्रीय आंकड़े:

एसपीआईपी अनुमोदन (लाख रु. में)

2015-16	2016-17	2017-18
196337.7	195704.48	199435.8

महाराष्ट्र के आंकड़े :

एसपीआईपी अनुमोदन (लाख रु. में)

2015-16	2016-17	2017-18
4982.31	5087.17	5335.21

सिकल सेल एनीमिया

2812. **श्री देवुसिंह चौहानः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ग) सिकल सेल एनीमिया के निवारण और नियंत्रण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को वर्तमान में किस प्रकार की मदद दी गई है?;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(ग) लोक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य की सरकारों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के प्रस्तावों के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है जिसमें सिकल सेल एनीमिया भी शामिल है। हेमोग्लोबीनोपैथी (थैलासीमिया व सिकल सेल रोग) के निवारण और नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से साझा किए गए हैं। इसमें कैरियर स्क्रीनिंग, जेनेटिक परामर्श और जन्म पूर्व निदान के माध्यम से रोकथाम के दिशानिर्देश भी शामिल हैं और जो इनसे प्रभावित हैं, उनके लिए पर्याप्त थेरेपी प्रदान करते हुए उन्हें बेहतर जीवन जीने में सहायता प्रदान की जाती है।

दिशानिर्देशों में हरेक गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच के दौरान स्क्रीनिंग, कॉलेज स्तर पर विवाह पूर्व परामर्श और VIIIवीं कक्षा तक बच्चों में विविध अनीमिया के लिए एक बार स्क्रीनिंग, नवजात स्क्रीनिंग तथा जन्म पूर्व निदान, जागरूकता सृजन इत्यादि का प्रावधान शामिल है।

प्राणी उद्यान

2813. **श्री बी. सेनगुट्टुवनः** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय के पास देश में प्राणी उद्यानों में विद्यमान हाथियों के अतिरिक्त मानव द्वारा केंद्र में रखे गए हाथियों की कुल संख्या की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र में रखे गए हाथियों के पोषण हेतु कड़े प्रक्रियात्मक सुरक्षोपाय विद्यमान हैं और यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानव द्वारा केंद्र में रखे गए हाथियों की अचानक मृत्यु के मामलों में हाल ही में स्पष्ट रूप से वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र में रखे गए हाथियों को बचाने के लिए किन सक्रिय कदमों पर विचार किया गया है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्राणी उद्यानों में विद्यमान हाथियों के अतिरिक्त देश में बंधक अवस्था में रखे गए हाथियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उपबंध और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 08.01.2008 को बंधक अवस्था में रखे गए हाथियों की परिचर्या और प्रबंधन हेतु जारी किए गए दिशानिर्देश, देश में बंधक अवस्था में रखे गए हाथियों के सुरक्षापायों हेतु मौजूद हैं।

(ग) राज्यों द्वारा ऐसी किसी प्रवृत्ति के विषय में सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने 08.01.2008 को देश में बंधक अवस्था में रखे गए हाथियों की परिचर्या और प्रबंधन हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में देश में बंधक अवस्था में रखे गए हाथियों के परिवहन, आवासन, चारा, पशु-चिकित्सा परिचर्या और परिचर्या और प्रबंधन हेतु अन्य मानदंडों हेतु मानदंड निर्धारित किए गए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित किए गए हाथी कार्य बल ने 'गजः' 2010 शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें देश में बंघक अवस्था में रखे गए हाथियों के कल्याण के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की गई थी।

विवरण

देश में बंधक रखे गए हाथियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	वन विभाग	सर्कस	निजी रूप से	मंदिर/धार्मिक संस्थान	कुल	निम्नलिखित तारीख पर
1.	हरियाणा	3	0	0	2	5	19.06.2015
2.	दिल्ली	0	0	8	0	8	17.06.2015
3.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	05.06.2015
4.	केरल	26	5	496	157	684	30.04.2015
5.	पश्चिम बंगाल	84	24	2	0	112	26.06.2015
6.	तमिलनाडु	49	6	39	42	141	26.06.2015
7.	ओडिशा	10	0	0	0	21	17.07.2015
8.	उत्तराखंड	11	0	8	1	20	20.07.2015
9.	उत्तर प्रदेश	16	0	63	1	80	03.08.2015
10.	मध्य प्रदेश	55	0	2	0	57	15.07.2015
11.	कर्नाटक	118	4	6	43	193	30.07.2015
12.	राजस्थान	0	0	132	0	132	08.07.2015
13.	झारखंड	8	0	1	0	9	19.07.2015
14.	असम	152	0	1053	0	1204	09.07.2015
15.	पुदुचेरी	0	0	0	2	2	03.07.2015
16.	बिहार	1	0	62	0	64	01.07.2015
17.	मेघालय	1	0	9	0	10	15.07.2015
18.	पंजाब	0	0	13	0	17	19.05.2015
19.	नागालैंड	1	0	27	0	28	31.08.2015
20.	गुजरात	0	6	0	18	24	14.09.2015
	कुल	534	45	1921	266	2811	

आयुष विश्वविद्यालय/महाविद्यालय

2814. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे: क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु नामांकित किए गए विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम-वार संख्या कितनी है और इनमें पढ़ाए जाने के लिए प्रस्तावित विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न आयुष महाविद्यालयों में यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतर्गत नामांकन शून्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति में उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन और विस्तार हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) आयुर्वेद के स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की संख्या 26312, स्नातकोत्तर में 4307, यूनानी में स्नातकपूर्व में 2845, स्नातकोत्तर में 210, सिद्ध में स्नातकपूर्व में 580, स्नातकोत्तर में 140 छात्र और होम्योपैथी में स्नातकपूर्व में 17293, स्नातकोत्तर में 1328 है। ब्यौरे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं और *http://ayush.gov.in/list-ayurveda-siddha-unani-and-homoeopathy-colleges* पर देखे जा सकते हैं।

(ख) और (ग) यूनानी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत नामांकन के लिए 210 सीटें, सिद्ध में 140 सीटें और होम्योपैथी में 1328 सीटें दर्ज की गई हैं। ब्यौरे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं और *http://ayush.gov.in/list-ayurveda-siddha-unani-and-homoeopathy-colleges* पर देखे जा सकते हैं।

(घ) आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के लिए:

(i) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियमावली, 2016 एवं 2018 क्रमशः दिनांक 07.11.2016 और दिनांक 07.12.2018 को संशोधन किए गए हैं।

(ii) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियमावली, 2016 एवं 2018 क्रमशः दिनांक 07.11.2016 और दिनांक 07.12.2018 को संशोधन किए गए हैं।

(iii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा) विनियमावली, 2016 एवं 2018 में क्रमशः दिनांक 07.11.2016 और दिनांक 07.12.2018 को संशोधन किए गए हैं।

होम्योपैथी के लिए: आयुष मंत्रालय अपनी सांविधिक विनियामक परिषद, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सी.सी.एच.) के माध्यम से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार होम्योपैथी की शिक्षा और संवर्धनों को विनियमित कर रहा है।

तदनुसार, साढ़े पांच वर्ष का (बी.एच.एम.एस.) स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम और सात विशिष्टता विषयों में 3 वर्षीय एम.डी. (होम्यो.) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चल रहे हैं।

पेरिस पर्यावरण समझौता

2815. **श्री नलीन कुमार कटील**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेरिस पर्यावरण समझौता, 2015 में की गई पर्यावरण संबंधी प्रतिबद्धताओं से भारत सहमत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पर्यावरण परिवर्तन संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और उक्त उद्देश्य को हासिल करने में वर्तमान में कितनी प्रगति हुई है।

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) भारत ने पेरिस करार का अनुसमर्थन किया है और वर्ष 2021-2030 के लिए आठ (8) लक्ष्यों को शामिल करते हुए अपने राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान (एन.डी.सी.) प्रस्तुत किए हैं जिनमें (i) वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तरों से 33 से 35 प्रतिशत तक अपनी जी.डी.पी. की उत्सर्जन सघनता को कम करना, (ii) प्रौद्योगिकी के अंतरण की सहायता से और ग्रीन क्लाईमेट फंड (जी.सी.एफ.) सहित कम लागत के अंतर्राष्ट्रीय वित्त से वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत संस्थापित क्षमता को प्राप्त करना, (iii) वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से CO_2 के समकक्ष 2.5 से 3 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करना शामिल है। अन्य लक्ष्य. वहनीय जीवनशैली; जलवायु अनुकूल वृद्धि पथ; जलवायु परिवर्तन अनुकूलन; जलवायु परिवर्तन वित्त और क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी से संबंधित है।

(ग) वर्ष 2021 और 2030 के बीच इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) के तहत आठ मिशनों द्वारा कई कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं अर्थात् राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय वहनीय पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय वहनीय हिमालयी

पारिप्रणाली मिशन, राष्ट्रीय 'हरित भारत' राष्ट्रीय वहनीय कृषि मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यनीतिक जानकारी मिशन। बत्तीस राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने राज्य विशिष्ट सरोकारों का समाधान करने के लिए एन.ए.पी.सी.सी. के उद्देश्यों के अनुरूप अपनी जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना (एस.ए.पी.सी.सी.) तैयार कर ली हैं।

बाघों और गैंडों का शिकार

2816. श्रीमती एम. वसन्ती: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन द्वारा पशुओं के अंगों के व्यापार के संबंध में 25 वर्ष पुराने प्रतिबंध को शिथिल किए जाने के पश्चात्, भारतीय वन्यजीव विशेषज्ञों ने सरकार से बाघों और गैंडों के शिकार के प्रति सतर्क रहने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन के इस निर्णय से पशुओं की आबादी में कमी आने की संभावना है और इससे भारत में बाघों और गैंडों के संरक्षण के संबंध में गंभीर और विनाशकारी निहितार्थ होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) भारत सरकार को उक्त स्थिति की जानकारी है। तथापि, चीन की सरकार द्वारा औषधियों के लिए बाघ और गैंडों के शरीर के हिस्सों के उपयोग के संबंध में लगे प्रतिबंध को पलटने को उनके द्वारा हाल ही में स्थगित किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से देश में बाघों और गैंडों को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण पहले की हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत सरकार ने देश में बाघों और गैंडों को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं:-

1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 V ख के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और धारा 38 V ग के तहत बाघ एवं अन्य संकटग्रस्त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए समर्थक प्रावधान उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2006 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन लाया गया था।

2. किसी बाघ रिजर्व के कोर क्षेत्र अथवा जहां बाघ रिजर्वों में अवैध शिकारों से संबंधित अपराध की अथवा बाघ रिजर्वों की सीमाओं को परिवर्तित करने आदि घटनाएं होती हैं, उन क्षेत्रों के संबंध में होने वाले अपराध के लिए दंड में वृद्धि।

3. दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 को बाघ परियोजना और बाघ रिजर्वों में पर्यटन के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 380 1 (ग) के तहत व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

4. बाघ रिजर्वों में विशेष बाघ संरक्षण बलों (एस.टी.-पी.एफ.) की स्थापना करना, उन्हें अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध कराना और उन्हें तैनात करना।

5. ट्रैफिक-इंडिया के सहयोग से, एक ऑन-लाइन बाघ मर्त्यता डाटा-बेस को कार्यशील बनाया गया है और रिजर्व-विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने हेतु मौलिक दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, जिनसे सर्वव्यापी बाघ संरक्षण योजना में अवैध शिकार-रोधी कार्यनीतियों के लिए आधार प्राप्त होता है।

6. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर, सभी बाघ रिजर्वों में कार्यान्वित करने हेतु एन.टी.सी.ए. की सुरक्षा जांच फ्रेमवर्क को वैध बनाया गया है। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से, 25 बाघ रिजर्वों का उनकी सुरक्षा नवाचारों की दृष्टि से आकलन किया गया है।

7. प्रभावकारी ढंग से क्षेत्र में गश्त लगाने और निगरानी रखने हेतु 'बाघों के लिए निगरानी तंत्र गहन सुरक्षा एवं पारिस्थितिकीय स्थिति (एम.-स्ट्राइप्स)'

की शुरूआत करने के अलावा आधारभूत ढांचे और क्षेत्र सुरक्षा को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। एम.-स्ट्राइप्स के अनुप्रयोग को तीन भिन्न मोड्यूलों अर्थात् गश्त, परिस्थितिकीय और संघर्ष के साथ एंडरॉयड आधार पर तैयार किया गया है।

8. **अखिल भारतीय बाघ, सहा-परभक्षी और शिकार आकलन, 2014**: राष्ट्रीय स्तर पर बाघों की स्थिति के आकलन का तीसरा दौर वर्ष 2014 में पूरा कर लिया गया, जिसके परिणामों से संकेत मिलता है कि देश में वर्ष 2010 में बाघों की अनुमानित संख्या 1706 (निचली और ऊपर सीमाएं क्रमश: 1520-1909 बाघों) और वर्ष 2006 में बाघों की अनुमानित संख्या 1411 (निचली और ऊपरी सीमाएं क्रमश: 1165 और 1657 बाघों) की तुलना में इनकी अनुमानित संख्या बढ़कर 2226 (निचली और ऊपरी सीमाएं क्रमश: 1945 और 2491) हो गई है। वर्तमान में, भारत में, बाघ परियोजना के माध्यम से प्रजातियों के संरक्षण के अपने लम्बे इतिहास के कारण, विश्व में 13 बाघ बहुल देशों में उसके स्रोत क्षेत्रों में बाघों की सं. 70% है (देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.21% 18 राज्यों में 50 बाघ रिजर्वों में विस्तृत है)।

9. **प्रबंधन प्रभावकारिता मूल्यांकन (एम.ई.ई.)**: बाघ रिजर्वों के प्रबंधन प्रभावकारिता मूल्यांकन (एम.ई.ई.) संबंधी रिपोर्ट जनवरी, 2015 में जारी की गई थी, जिसमें 43 बाघ रिजर्वों के लिए वर्ष 2013-14 में परिष्कृत किए गए मानदंडों के आधार पर स्वतंत्र आकलन के परिणामों को उल्लिखित किया गया है। 43 बाघ रिजर्वों में से, 17 को 'बहुत उत्तम' श्रेणी में, 16 को 'उत्तम' और 10 को 'अच्छा' श्रेणी में रखा गया है।

10. आवर्ती प्रकृति के विषयगत क्षेत्रों में निम्नलिखित मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एस.ओ.पी.) जारी की गई हैं:

(क) बाघों की मौतों से निपटने के लिए 'मानक प्रचालन प्रक्रिया'।

(ख) जंगलों से निकल कर मानव बस्तियों में आने वाले बाघों से निपटने के लिए 'मानक प्रचालन प्रक्रिया'।

(ग) बाघों/तेंदुओं के शवों/शरीर के अंगों के निपटान हेतु 'मानक प्रचालन प्रक्रिया'।

(घ) जंगलों में अरक्षित हो गए/परित्यक्त बाघ के शावकों और बूढ़े/घायल हुए बाघों से निपटने हेतु 'मानक प्रचालन प्रक्रिया'।

(ङ) बाघों द्वारा पशुधन को नुकसान पहुचाने की घटना से निपटने हेतु 'मानक प्रचालन प्रक्रिया'।

(च) जिन राज्यों द्वारा बाघ रिजर्वों सीमाएं साझा की जाती हैं उनके बीच अंतर-राज्यीय समन्वय स्थापित करने हेतु 'मानक प्रचालन प्रक्रियाद्ध।

(छ) जमीनी स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास की दिशा में सक्रिय प्रबंधन हेतु 'मानक प्रचालन प्रक्रिया'।

11. चरण-IV बाघ रिजर्व स्तर पर, कैमरा ट्रैपों का प्रयोग करके बाघों की सतत निगरानी और प्रत्येक बाघ के फोटो के संबंध में डेटा तैयार करने हेतु संस्थागत तौर पर कदम उठाए गए हैं।

12. अलग-अलग बाघ क़ी कैमरा ट्रैप की फोटो आई.डी. रखने के लिए एक राष्ट्रीय संग्रहालय तैयार किया गया है।

13. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के सहयोग से छ: बाघ रिजर्वों का आर्थिक मूल्यांकन किया गया है। 10 और बाघ रिजर्वों के लिए ऐसा ही मूल्यांकन किया जा रहा है।

14. भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से पन्ना बाघ रिजर्व (मध्य प्रदेश) में निगरानी हेतु मानव रहित उड़न वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है और उसे अब 13 अन्य बाघ रिजर्वों में भी विस्तारित किया जा रहा है। फ्रंटलाईन कर्मचारियों का क्षमता निर्माण किया गया है और उपकरणों का पहला सेट पन्ना बाघ रिजर्व को सौंप दिया गया है।

15. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा बाघ रिजर्वों में एक ऑनलाईन बाघ/वन्यजीव अपराध का पता लगाने/रिपोर्ट करने की प्रणाली स्थापित की गई है।

16. बाघ रिजर्वों से बाहर के क्षेत्रों में बाघों की स्थिति का आकलन करने हेतु, सी.ए./टी.एस. (सरक्षण सुनिश्चित/बाघ मानक) फ्रेमवर्क का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे ऐसे क्षेत्रों में प्रबंधन संबंधी कार्यकलापों में रह गई कमियों की पहचान करने में मदद मिलती है ताकि उपयुक्त कार्यनीतियों के माध्यम से उन कमियों को पूरा किया जा सके।

17. नेपाल, भूटान और बंगलादेश के साथ उप-महाद्वीपीय स्तर पर बाघ आकलन रिपोर्ट प्रकाशित करने की पहल की गई है।

18. अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बाघों की संख्या का आकलन करने हेतु, वैश्विक बाघ फोरम के साथ मिलकर परियोजना के रूप में कार्रवाई की गई है।

19. कॉर्बेट बाघ रिजर्व (उत्तराखंड) में प्रायोगिक ई-सर्विलांस परियोजना के पूरा होने पर काजीरंगा बाघ रिजर्व (असम) और रातापानी वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश) की सीमांतवर्ती क्षेत्रों में 24x7 अ.-निगरानी की स्थापना हेतु (100%) केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

20. काजीरंगा बाघ रिजर्व में गैंडों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए गैंडा कार्यबल ने उपाय सुझाए हैं।

21. काजीरंगा बाघ रिजर्व में विशेष गैंडा सुरक्षा बल गठित किया गया है।

22. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से भारत सरकार द्वारा काजीरंगा बाघ रिजर्व के वन रक्षकों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा स्कीम का समर्थन किया गया है।

पेट्रोल वितरण केन्द्रों पर वाष्प निरोधी प्रणाली

2817. **श्री एम. वेंकटेश्वर राव:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल वितरण केन्द्रों पर वाष्प निरोधी प्रणालियों के संस्थापन से प्रदूषण में कमी लाई जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप प्रदूषण में किस सीमा तक कमी आने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने पेट्रोल वितरण केन्द्रों पर इन प्रणालियों को स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) पेट्रोल वितरण केंद्रों में वाष्प निरोधी प्रणालियों (वी.आर.एस.) से पेट्रोल भरने के दौरान निकलने वाली वाष्प को रोकने में मदद मिलती है जिससे पर्यावरण में वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वी.ओ.सी.) को छोड़े जाने में कमी आती है। इसके परिणामस्वरूप इनके द्वारा होने वाला प्रदूषण कम हो जाता है।

(ग) और (घ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत 22 फरवरी, 2016 को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्थित 300 के.एल.एम. और अधिक की क्षमता वाले पेट्रोल रिफ्यूलिंग स्टेशनों में दिसम्बर, 2017 तक चरण-I और चरण-II वी.आर.एस. स्थापित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, निर्देशों के जारी होने की तिथि के बाद शुरू होने वाले 300 के.एल.एम. से अधिक की क्षमता वाले सभी नए रिटेल आउटलेटों को इन-बिल्ट वी.आर.एस. सुविधाओं वाली आधुनिक वितरण इकाईयों को स्थापित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में 300 के.एल.एम. से अधिक की बिक्री वाले पेट्रोल पंपों में 31 अक्तूबर, 2018 तक वी.आर.एस. स्थापित करने और 300 के.एल.एम. से कम की बिक्री वाले पेट्रोल पंपों में 31 दिसम्बर, 2018 तक वी.आर.एस. स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

स्वतंत्र औषधि नियंत्रक

2818. **श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:** क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) के लिए एक स्वतंत्र औषधि नियंत्रक के लिए कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नई नीति के अनुसार आयुष के विनियमन हेतु क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्यापैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियमावली, 1945 के प्रावधानों के निबंधन में आयुर्वेदीय, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (ए.एस.यू. एंड एच.) औषधों के विनियमन हेतु 05.2.2018 से केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) में आयुष की एक उर्ध्वाधर संरचना सृजित की गई है। आयुष मंत्रालय ने 17.2.2016 को ए.एस.यू. एंड एच. औषधों के लिए 12 विनियामक पदों का सृजन अधिसूचित किया था जिसमें व्यय विभाग द्वारा यथा अनुमोदित औषध उप नियंत्रकों के दो पद, सहायक औषध नियंत्रकों के तीन पद और औषध नियंत्रकों के सात पद शामिल थे। इन पदों को नियमित पदधारियों के भर्ती नियमों पर अंतिम निर्णय होने और उन पर भर्ती होने तक आयुष मंत्रालय के वर्तमान तकनीकी अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार देते हुए क्रियाशील बनाया गया है।

(घ) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और तदन्तर्गत बनाई गई नियमावली में आयुर्वेदीय, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथिक औषधों के विनियमन और गुणवत्ता नियंत्रण हेतु अनन्य प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय सरकार आयुर्वेदीय, सिद्ध और यूनानी औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर समय-समय पर विनियामक प्रावधान बनाती और संशोधित करती रहती है। राज्य सरकारें अनुज्ञापन प्राधिकारियों, औषध नियंत्रकों तथा अन्य विनियामक स्टाफ के माध्यम से इन प्रावधानों को प्रवृत्त करने के लिए उत्तरदायी है। नीतिगत निर्णय के रूप में यह पहली बार हुआ है कि सी.डी.एस.सी.ओ. में आयुष उर्ध्वाधर के रूप में फरवरी, 2018 से केंद्रीय स्तर की विनियामक संरचना सृजित की गई है।

पशुओं और पक्षियों की हानि

2819. श्री राधेश्याम विश्वास: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्या कृष्णमृग, चिड़ियां, मधुमक्खियों सहित अनेक पशु/पक्षी पर्यावरण से लुप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण से महत्वपूर्ण पशुओं/पक्षियों की ऐसी अपूर्णीय क्षति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) यह सच है कि चिड़ियों, मधुमक्खियों सहित पशुओं और पक्षियों की कुछ प्रजातियां कम हो रही हैं। हालांकि, ये प्रजातियां पर्यावरण से लुप्त नहीं हो रही हैं। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आई.यू.सी.एन.) द्वारा प्रकाशित रेड लिस्ट संस्करण 2017-3 के अनुसार, भारत में स्तनधारियों की 94 प्रजातियों, पक्षियों की 89 प्रजातियों, सरीसृपों की 54 प्रजातियों, उभयचरों, मछलियों की 228 प्रजातियों और अकशेरूकी की 135 प्रजातियों को 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' (विलुप्त होने का अत्यधिक खतरा), "लुप्तप्राय' (विलुप्त होने का बहुत अधिक खतरा) और 'संकटापन्न' (विलुप्त होने का खतरा) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने लुप्त प्राय वन्यजीव प्रजातियों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:-

(I) वन्यजीव (सरक्षण) अधिनियम, 1972 इसके उपबंधों का उल्लंघन करने वालो के लिए सजा का प्रावधान करता है। अधिनियम में ऐसे किसी भी उपकरण, वाहन या हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है जिनका वन्यजीव अपराध (ओ.) को करने में प्रयोग किया गया है।

(II) देश भर में वन्य-पशुओं और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों अर्थात् राष्ट्रीय उद्यानों, अभयरण्यों, बाघ रिजर्वों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वो, जिनमें महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल किया गया है, मैं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत वृद्धि की गई है।

III. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत संवर्धित वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके पर्यावासों मे सुधार करने के लिए वन्यजीव पर्यावासों का विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना शामिल है।

IV. मंत्रालय ने लुप्तप्राय प्रजातियों का पुनरुद्धार कार्यक्रम योजना के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे हिम तेंदुआ, एशियाई शेर, गांगेय डाल्फिन, मणिपुर ब्रो एंटलर हिरण, लाल पांडा, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, गिद्ध आदि के संरक्षित प्रजनन के लिए पहल की है।

V. स्थानीय समुदाय, पारि-विकास कार्यकलापों के माध्यम से संरक्षण उपायों में शामिल हैं, ये वन्यजीवों के संक्रमण में वन विभाग की मदद करते हैं।

VI. मोर सहित वन्यजीवों और पशुओं के अंगों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए और वन्यजीव कानूनों के प्रवर्तन में अंतर-राज्यीय और सीमापारीय समन्वय के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रक ब्यूरो के कार्यकलापों को तेज किया गया है।

अंतर-सरकारी संव्यवहारों पर जी.एस.टी.

2820. **श्री हरिओम सिंह राठौड़:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर-सरकारी संव्यवहारों के लिए जी.एस.टी. नियमों को सुचारु बनाने हेतु सरकारी कार्यों और उनकी दलील से संबंधित माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) नियमों पर डाक विभाग, विदेश मंत्रालय और नगर निगमों जैसे सरकारी विभागों की मांगों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन विभागों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार सरकारी विभागों के लिए जी.एस.टी. की पूर्ण माफी या जी.एस.टी. भरने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) जी हां, विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर अन्तर सरकारी संव्यवहारों के लिए जी.एस.टी. नियमों को सरल एवं सहज बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. अधिसूचना सं. 61/2018 केन्द्रीय कर, 05 नवम्बर, 2018 को जारी करके, सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों (पी.ए.सी.यू.) के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों को की जानी वाली आपूर्तियों पर केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में सी.जी.-एस.टी. एक्ट) की धारा 51 के अंतर्गत आने वाले स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) से संबंधित प्रावधानों की प्रायोजिता से छूट दी गयी है।

ii. माल एवं सेवाकर परिषद ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 को हुई अपनी 31वीं बैठक में उन आपूर्तियों पर सी.जी.एस.टी. एक्ट की धारा 51 के अन्तर्गत आने वाले टी.डी.एस. प्रावधानों से छूट देने की सिफारिश की है जो आपूर्तियों सरकारी विभागों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा अन्य सरकारी विभागों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को की जाती है।

(ग) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य या स्थानीय निकाय के द्वारा केन्द्र सरकार के दूसरे विभाग दूसरे राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकारियों को प्रदान की जाने वाली अधिकांश सेवाओं को अधिसूचना सं. 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), 28 जून, 2017 (यथा संशोधित) के अनुसार जी.एस.टी. के भुगतान से छूट से दी गयी है। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं जैसे कि डाक विभाग के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, माल एवं यात्रियों के परिवहन की सेवाएं आदि। इसके अलावा उक्त अधिसूचना के अनुसार सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण के द्वारा उस किसी भी क्रियाकलाप के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जो कि संविधान के अनुच्छेद 243ब के अन्तर्गत नगर पालिकाओं को और संविधान के अनुच्छेद 243छ के अन्तर्गत पंचायतों को सौंपे गए कार्य से संबंधित हैं, पर भी जी.एस.टी. के भुगतान से छूट दी गई है।

इसके केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा किसी व्यापारिक निकाय को प्रदान की जाने वाली अधिकतर सेवाओं को, जिसमें अचल परिसंपत्ति को किराये पर देना शामिल नहीं है और कुछ अन्य सेवाओं पर रिवर्स चार्ज आधार पर कर लगता है और ऐसी स्थिति में कर के भुगतान का दायित्व ऐसी आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर होता है। हालांकि आज की कतारी में सरकारी विभागों को जी.एस.टी. से पूर्ण छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इस समय जी.एस.टी. के अन्तर्गत पंजीकरण करने के लिए जिम्मेदार सरकारी विभागों को यह आदेश दिया गया है कि वे सी.जी.एस.टी. एक्ट की धारा 37 और धारा 39 के अन्तर्गत क्रमश: बाहरी आपूर्तियों का ब्यौरा FORM GSTR-1 और रिटर्न को FORM GSTR-3B में प्रस्तुत करें। सी.जी.एस.टी. एक्ट की धारा 51 के अनुसार ऐसे सरकारी विभाग जो कि कर वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले भुगतान में से स्रोत पर ही कटौती करने के लिए जिम्मेदार हैं, को विशिष्ट मामलों में FORM GSTR-7 में रिटर्न अवश्य भरना होगा।

जी.एस.टी. परिषद ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 को हुई अपनी 31वीं बैठक में सिफारिश की है कि 01 अप्रैल, 2019 से परीक्षण आधार पर जी.एस.टी. रिटर्न का एक मॉडल शुरू किया जाएगा और इससे 01 जुलाई, 2019 से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। इस नए सरलीकृत रिटर्न इससे 01 जुलाई, 2019 से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। इस नए सरलीकृत रिटर्न फॉर्मेट से सरकारी विभागों पर पड़ने वाला अनुपालन खर्च भी कम हो जाएगा।

पनामा पेपर्स

2821. **डॉ. किरीट सोमैया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ महीनों पूर्व नवीनतम पनामा पेपर लीक के संबंध में संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस लीक में भारतीय उद्योगपतियों के नाम का भी संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस लीक के मामले की जांच कर रही है और इस लीक में आए भारतीय नामों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) 'पनामा पेपर लीक' के तहत जून, 2018 में मीडिया में जारी हाल ही की रिलीज भी, बहु-अभिकरण समूह के तत्वावधान के तहत होने वाली जांच का हिस्सा है।

सरकार ने दिनांक 4 अप्रैल, 2016 को अन्य बातो के साथ-साथ, भारतीय व्यक्तियों के पास कथित रूप से अघोषित विदेशी सम्पत्ति रखने वाले तथा पनामा पेपर लीक मे आने वाले नामों के मामलों में तीव्र जांच तथा समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए एक बहु अभिकरण समूह का गठन किया था। इस समूह में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जांच प्रभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विदेशी कर तथा शोध प्रभाग, प्रवर्तन निदेशालय, वित्तीय आसूचना इकाई तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी होते हैं तथा इसके संयोजक सी.बी.डी.टी. के अध्यक्ष होते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता खोजी संघ (आई.सी.आई.जे.), वाशिंगटन स्थित, पनामा पेपर से संबंधित खबरों को कथित तौर पर उजागर करने वाला एक संगठन है, इसने अपनी वेबसाइट *(www.icij.org)* पर एक कैविएट डाला है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यह नहीं माना जाना चाहिए कि पनामा पेपर्स में आने वाले सभी व्यक्ति कर अपवंचन या परिहार में सम्मिलित हैं तथा एक विदेशी भू-क्षेत्र में कम्पनी के निर्माण करने के लिए वैध कारण मौजूद हैं तथा बहुत से लोगों ने आवश्यक होने पर अपने कर प्राधिकरणों को अपनी आय के संबंध में घोषणा भी की है।

(ख) जी हां, हाल ही के पनामा पेपर लीक में, भारत से जुड़े उन व्यक्तियों को एम.ए.जी. द्वारा यह सत्यापित करने के लिए संज्ञान में लिया है कि क्या उन व्यक्तियों ने अपनी संबंधित आयकर विवरणी में विदेशी परिसंपत्ति की घोषणा की है अथवा नहीं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 तथा काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसम्पत्ति) तथा करारोपण अधिनियम, 2015 की धारा 84 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से करदाता विशेष से संबंधित जानकारी को प्रकट करना निषिद्ध है।

(ग) यदि विदेशी परिसंपत्तियों की आयकर विवरणियों में घोषणा नहीं की गई है, इसकी आगे और जांच की जाती है जिसमें 'सूचना के आदान-प्रदान' करने के लिए विदेशी क्षेत्राधिकार को अनुरोध करना शामिल है। एम.ए.जी. की सदस्य एजेन्सियां इनके द्वारा शासित संबंधित अधिनियमों के तहत उल्लंघन के ऐसे सभी मामलों अर्थात् काला धन (अघोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्तियां) तथा करारोपण अधिनियम, 2015, आयकर अधिनियम, 1961, विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002, में समुचित कार्रवाई करती हैं।

पर्यावरण मंजूरी

2822. **श्रीमती रीता तराई:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई, 2016 से विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई.ए.सी.) के द्वारा संस्तुति के बाद भी पर्यावरण मंजूरी (ई.सी.) में संशोधन देने में अत्यधिक देरी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में ऐसे मामले, जो अदालत में विचाराधीन हैं, जिनमें पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 का उल्लंघन शामिल है और जिनमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत अपेक्षित दस्तावेजों/अनुमतियों को प्रस्तुत नहीं किया गया है, को छोड़कर पर्यावरणीय मंजूरी में संशोधन के लिए कोई आवेदन लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

बैंककारी विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

2823. **डॉ. बंशीलाल महतो:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एन.पी.ए.) में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंकों के एन.पी.ए. में वृद्धि होने से खाताधारकों की जमा-पूंजी के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1969 का अनुपालन न करने और संपार्श्विक सुरक्षा के बिना ऋण देने के मानदंडों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है, जिसके कारण एन.पी.ए. में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) बढ़ते एन.पी.ए. को रोकने और बैंक-ग्राहकों के हितों के संबंध में सुरक्षोपाय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (घ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.सी.बी.) के एन.पी.ए. में वृद्धि के विवरणों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के घरेलू परिचालन संबंधी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.सी.बी.) का सकल अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार. 23,33,823 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 61,00,848 करोड़ रुपए हो गया। आर.बी.,आई. के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/ कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी हैं। परिशुद्ध एवं पूर्णतः प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्रों के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (ए.क्यू.आर.) से गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एन.पी.ए.) में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। ए.क्यू.आर. तथा तदनंतर सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) द्वारा पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, दबावग्रस्त खातों को एन.पी.ए. के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों पर अनुमानित हानियों, जिनके लिए पूर्व में पुनर्संरचित ऋणों के अंतर्गत प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया था। दबावगस्त आस्तियों की एन.पी.ए. के रूप में इस पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप प्रमुखतया घरेलू परिचालनों पर आर.बी.आई. के आंकड़ों के अनुसार एस.सी.बी. का सकल एन.पी.ए. 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 5,66,247 करोड़ रुपए से बढकर 31.3.2017 को 7,28,808 करोड़ रुपए और 31.3.2018 को 9,62,621 करोड़ रुपये हो गया और 30..09.2018 की स्थिति के अनुसार, घटकर 9,43,300 रुपए (आंकड़े अनन्तिम) हो गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में 60,713 करोड़ रुपए की रिकार्ड वसूली की सूचना दी है जो पिछले वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान वसूल की गई राशि से दोगुनी है। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त वसूली होने की संभावना है क्योंकि उच्च मूल्य वाले कई खाते राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में समाधान प्रक्रिया के अग्रिम चरण में हैं।

बढ़ते हुए एन.पी.ए. को नियंत्रित करने के संबंध में उल्लेखनीय है कि पी.एस.बी. के एन.पी.ए. के समाधान में

तेजी लाने तथा इसे संभव बनाने हेतु पिछले साढ़े चार वर्ष में कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता के मामलों के समाधान हेतु एक एकीकृत ढांचे के सृजन के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आई.बी.सी.) को अधिनियमित किया गया है। इसके अंतर्गत, आरंभ में ही अंतरिम समाधान पेशेवर के द्वारा कारपोरेट उधारकर्ता के कार्यों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के साथ उधारदाता को नियंत्रक बनाने संबंधी दृष्टिकोण को अपनाते हुए विधिक प्रणाली का दुरुपयोग करके लाभ प्राप्त करने की सुविधा समाप्त कर दी गई है। इसके साथ, इरादतन चूककर्ताओं और एन.पी.ए. खातों के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों को समाधान प्रक्रिया से प्रतिबंधित करके उधारदाता-उधारकर्ता संबंध में मूलभूत परिवर्तन किया गया है। आई.बी.सी. के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए बैंकों को निदेश जारी करने हेतु आर.बी.आई. को प्राधिकार देने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को संशोधित किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, आर.बी.आई. ने बैंकों को 41 मामलों, जिनमें से 12 की दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार संचित बकाया राशि 1,97,769 करोड़ रुपए थी और दिनांक 30.06.2017 की स्थिति के अनुसार शेष 29 की बकाया राशि 1,35,846 करोड़ रुपए थी, को आई.बी.सी. के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एन.सी.एल.टी.) में मामला दायर करने का निदेश दिया था।

(2) अधिक प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को संशोधित किया गया है, जिसमें उधारकर्ता द्वारा आस्ति विवरण न दिये जाने के मामले में तीन माह के कारावास तथा उधारदाता द्वारा बंधक रखी संपत्ति पर 30 दिन के भीतर कब्जा प्राप्त करने का प्रावधान है। साथ ही. वसूली में तेजी लाने के लिए छह नये ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना की गई है।

(3) इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के सुधार एजेंडे के अंतर्गत, पी.एस.बी. ने सख्ती से वसूली के लिए दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल्स का सृजन किया है, स्वच्छ और प्रभावी निगरानी हेतु स्वीकृति पूर्व और स्वीकृति पश्चात अनुवर्ती भूमिकाओं को अलग-अलग किया है, ऑनलाइन एकबारगी निपटान प्लेटफार्मों का सृजन प्रारंभ किया है और विशेषीकृत निगरानी एजेंसियों के माध्यम से उच्च मूल्य खातों की निगरानी के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

इन उपायों के द्वारा सक्षमता प्राप्त करके वसूलियों के कारण, वैश्विक परिचालनों संबंधी आर.बी.आई. के आंकड़ों के अनुसार (सितम्बर 2018 हेतु आंकड़े अनंतिम हैं), पिछले साढ़े तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एस.सी.बी. का एन.पी.ए. 2,83,770 करोड़ रुपए घट गया है।

(ख) घरेलू परिचालनों पर आर.बी.आई. द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार (जिनके सितम्बर, 2018 हेतु आंकड़े अनंतिम हैं), एस.सी.बी. की कुल जमा राशियां 31.03.2016 को 95,07,301 करोड़ रुपए से बढ़कर 31.03.2017 को 1,05,69,063 करोड़ रुपए, 31.03.2018 को 1,13,08,114 करोड़ रुपए तथा 30.09.2018 को 1,16,61,996 करोड़ रुपए हो गयी है। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेखनीय है कि बैंकों को डूबने से बचाने और जमाकर्ताओं के हित के संरक्षण के लिए सभी सम्भव कदम उठाए गए और नीतिगत उपाय किए गए हैं, जिनमें निदेश जारी करना, आर.बी.आई. की तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत उपाय, बासेल-III अंतर-राष्ट्रीय ढांचे से बेहतर पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड, विवेकपूर्ण मानदण्ड और योजना के अनुसार विद्यमान जमाराशि बीमा शामिल हैं। भारतीय बैंकों में पर्याप्त पूंजी है और सुरक्षा एवं सुदृढ़ता के साथ-साथ प्रणालीगत स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए वे विवेकपूर्ण विनियमनों के अधीन हैं। सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 7.12.2017 के प्रेस रिलीज के माध्यम से पी.एस.बी. हेतु अपनी निर्विवाद गारंटी को दोहराया है।

(ग) प्रवर्तन विभाग, आर.बी.आई. ने सूचित किया है कि उसने बिना सम्पार्श्विक प्रतिभूति के ऋण प्रदान करने के मानदण्डों का उल्लंघन करने हेतु दिनांक 3.4.2017 से किसी बैंक के विरुद्ध बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 मानदण्डों का उल्लंघन करने हेतु दिनांक 3.4.2017 से किसी

बैंक के विरुद्ध बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की है।

सरकारी कंपनियों का पुनरुद्धार

2824. **श्री कौशल किशोर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपेक्षित अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता वाले व्यावसायिक रूप से सक्षम व्यक्तियों की सेवाएं लेकर सरकारी भेषज कंपनियों का पुनरुद्धार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) सें (ग) जी नहीं। फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28.12.2016 को आयोजित अपनी बैठक में इंडियन ड्रग्ज एंड फार्मास्यूटिकल लि. (आई.डी.पी.एल.) और इसकी संबद्ध कंपनियों और राजस्थान ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल लि. (आई.डी.पी.एल.) और स्ट्रेटेजिक डिसइनवेस्मेंट ऑफ हिन्दोस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एच.ए.एल.) तथा बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स (बी.पी.सी.एल.) को उनकी फालतू भूमि को गवर्नमेंट एजेंसियों को बेचकर अपनी देयताओं को चुकता करने के बाद बंद कर देने का निर्णय लिया।

तटीय भूमि का अपरदन

2825. **श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तटीय गुजरात के समुद्री स्तर में लगातार वृद्धि के मामले की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप वहां तटीय भूमि का लगातार अपरदन हो रहा है और यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गुजरात राज्य सरकार से परामर्श किया है और इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे अपरदन के तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र और तटीय गुजरात के गरीब लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अध्ययन निष्कर्षों पर क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन संस्थान, चैन्ने ने महासागर प्रबंधन संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय के सहयोग से मुख्य भूमि भारत के पूरे तट के लिए तटरेखा में परिवर्तन के आकलन के संबंध में एक अध्ययन किया है जो पश्चिमी तट में गुजरात से पूर्वी तट में पश्चिम बंगाल तक फैला है। अध्ययन के आधार पर, मुख्य भूमि भारत के तट को उच्च कटाव, मध्यम कटाव, कम कटाव और स्थिर तट के रूप में वर्गीकृत किया गया है

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तटीय क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चुने हुए तटीय क्षेत्रों में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (आई.सी.जेड.एम.पी.) को लागू कर रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत, गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों के लिए तटरेखा प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं। योजना में अपरदन से जुड़े जोखिमों का बृहत स्तर पर आकलन और इन जोखिमों से निपटने के लिए प्रबंधन समाधानों के विकास हेतु एक रूपरेखा तैयार करने की परिकल्पना की गई है। योजना में सुझाए गए समाधानों को गुजरात राज्य सरकार और स्थानीय समुदाय के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है।

राष्ट्रीय क्षय रोग व्याप्तता सर्वेक्षण

2826. **श्री राजीव सातव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय क्षय रोग व्याप्तता सर्वेक्षण भारत में आरंभ किया गया है है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तों इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में सर्वेक्षण आरंभ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सर्वेक्षण कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) जी हां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) के सहयोग से राष्ट्रीय तपेदिक व्याप्तता सर्वेक्षण की शुरुआत की है। सर्वेक्षण 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए नियोजित है। सर्वेक्षण का तैयारी चरण पूरा होने वाला है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

2827. डॉ. बूरा नरसैय्या गौड: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के अंतर्गत कवर की गई प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में अभी तक डी.बी.टी. के अंतर्गत वर्ष और योजना-वार कितनी राशि अंतरित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष मे डी.बी.टी. के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करने का लक्ष्य रखा है;

(ग) यदि हां, तो डी.बी.टी. के अंतर्गत लाई जाने वाली नई योजनाओं का ब्यौरा है;

(घ) सरकार द्वारा लाभार्थियों को 3.5 लाख करोड़ रुपए की पूरी सरकारी राज-सहायता कब तक अंतरित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपए के अंतरण के माध्यम से कितनी राशि/निधि बचा सकती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ङ) 26 दिसम्बर, 2018 के अनुसार 56 मंत्रालयों/विभागों की 434 स्कीमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के पोर्टल पर चल रही हैं। इसके अलावा, ब्यौरे डी.बी.टी. भारत पोर्टल *www.dbtbharat.gov.in.* पर उपलब्ध हैं। अनेक मंत्रालयों/विभागों ने डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थियों के डाटाबेस की पुनरावृत्ति रोके जाने और सही लाभार्थियों की बेहतर पहचान के कारण बचत होने की सूचना दी है। डी.बी.टी. स्कीमें केवल सब्सिडी तक ही सीमित नहीं हैं अपितु इनमें विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के तहत छात्रवृत्ति, पेंशन, वेतन और अन्य सामाजिक लाभ जैसे लाभ भी शामिल हैं। डी.बी.टी. का वर्ष-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष	स्कीमें (सं.)	लाभार्थी (संख्या करोड़ में)	डी.बी.टी. (नकद) (करोड़ रुपए)	डी.बी.टी. (वस्तु रूप में) (करोड़ रुपए)	डी.बी.टी. (कुल) (करोड़ रुपए)
2013-14	28	10.8	7,367.7	-	7,367.7
2014-15	34	22.8	38,926.2	-	38,926.2
2015-16	59	31.2	61,942.4	-	61,942.4
2016-17	142	35.7	74,689.4	-	74,689.4
2017-18	437	77.7	1,70,292.2	20,578.7	1,90,870.9
2018-19	434	76.3	7,35,462.3	54,637.9	1,90,100.2

कर बंटवारा

2828. श्री डी.के. सुरेश: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने कर बंटवारे से उत्पन्न भ्रामक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को लेकर अपनी बात मुखरता से उठाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त राज्यों ने कर बंटवारे तंत्र की समीक्षा के लिए अपनी शिकायतें या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों की चिंताओं के समाधान हेतु उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

आयुष चिकित्सकों के लिए चक्रीय स्थानांतरण

2829. श्री संजय धोत्रे: क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुष मंत्रालय द्वारा सी.जी.एच.एस. और विलोमत: आयुष चिकित्सकों हेतु चक्रीय स्थानांतरण नीति बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयुष मंत्रालय में कई सी.जी.एच.एस. आयुष चिकित्सक 10-15 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और उनकी तैनाती होनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण दिशा-निर्देश अक्षरश: कार्यान्वित नहीं किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो चक्रीय स्थानांतरण नीति कब तक कार्यान्वित की जाएगी?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां। आयुष चिकित्सकों के लिए चक्रीय स्थानान्तरण नीति (आर.टी.पी.) बनाई गई है। इस आर.टी.पी. के अनुसार आयुष चिकित्सकों को मंत्रालय में तीन वर्षों की अवधि तक सेवा करने के उपरांत आगे की तैनाती के लिए सी.जी.एच.एस. के निपटान पर छोड़ दिया जाएगा।

(ख) कुछ आयुष चिकित्सक तीन वर्षों की निर्धारित अवधि के पश्चात भी आयुष मंत्रालय में कार्यरत हैं। इन चिकित्सकों को कार्य की अनिवार्यता के कारण जनहित में मंत्रालय में रखा गया है। इन चिकित्सकों का वितरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	आयुष मंत्रालय में तैनाती की तारीख
1.	डॉ. एम.के. नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद)	25.03.2008
2.	डॉ. ए. रघु, संयुक्त सलाहकार (आयुर्वेद)	20.02.2002
3.	डॉ. आई.जी. मंडल, सहायक सलाहकार (होम्योपैथी)	10.12.2007
4.	डॉ. एस.आर. चिन्ता, सहायक सलाहकार (होम्योपैथी)	19.12.2007
5.	डॉ. मुख्तार अहमद कासमी, संयुक्त सलाहकार (यूनानी)	08.06.2001

(ग) जी नहीं। यह आर.टी.पी. केंद्रीय सतर्कता आयोग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देश के अनुपालन में तैयार की गई है।

(घ) इस आर.टी.पी. का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

यूनानी चिकित्सालय और अस्पताल

2830. श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी: क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में यूनानी चिकित्सालयों और अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में अनेक यूनानी चिकित्सालय और अस्पताल अपर्याप्त हैं; और

(ग) सरकार का देश में और अधिक यूनानी चिकित्सालय और अस्पताल खोलने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक):

(क) देश में यूनानी औषधालयों और अस्पतालों का विवरण संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते यूनानी औषधालयों और अस्पतालों सहित स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का प्रावधान संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तथापि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) की केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत, यूनानी पद्धति सहित 50 बिस्तरों तक वाले एकीकृत आयुष अस्पताल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एन.ए.एम. दिशानिर्देशों के अनुसार इस क्रियाकलाप के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

विवरण-I

1-4-2017 को यूनानी औषधालयों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	यूनानी
1	2	3
क.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	
1.	आंध्र प्रदेश	112
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	असम	1
4.	बिहार	449
5.	छत्तीसगढ़	26
6.	दिल्ली	20
7.	गोवा	0
8.	गुजरात	0
9.	हरियाणा	19
10.	हिमाचल प्रदेश	3
11.	जम्मू और कश्मीर	177
12.	झारखंड	54
13.	कर्नाटक	50
14.	केरल	1
15.	मध्य प्रदेश	64
16.	महाराष्ट्र	25
17.	मणिपुर	0
18.	मेघालय	0
19.	मिजोरम	0
20.	नागालैंड	0
21.	ओडिशा	9
22.	पंजाब	35
23.	राजस्थान	120
24.	सिक्किम	0
25.	तमिलनाडु	64
26.	त्रिपुरा	0
27.	उत्तर प्रदेश	49
28.	उत्तराखंड	3
29.	पश्चिम बंगाल	7
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
31.	चंडीगढ़	1
32.	दादरा और नगर हवेली	0
33.	दमन और दीव	0
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुदुचेरी	0
36.	तेलंगाना	183
	कुल (क)	1473
ख.	सीजीएचएस और केन्द्र सरकार के संगठन	38
	कुल (क+ख)	1511

स्रोत: राज्य सरकार और संबंधित एजेंसी

नोट: यूनानी :- अरुणाचल प्रदेश (2016), असम (2009), बिहार (2016), हरियाणा (2016), जम्मू व कश्मीर (2015), झारखंड (2011), कर्नाटक (2016), ओडिशा (2012), राजस्थान (2015), उत्तराखंड (2014) और पुदुचेरी (2016) राज्यों के संबंध में आंकड़ों की पुनरावृत्ति हुई है क्योंकि चालू वर्ष की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

विवरण-II

1-4-2017 को यूनानी औषधालयों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	यूनानी
1	2	3
क.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	
1.	आंध्र प्रदेश	2
2	अरूणाचल प्रदेश	0
3	असम	0
4	बिहार	1
5	छत्तीसगढ़	1
6	दिल्ली	1
7	गोवा	0
8	गुजरात	0
9	हरियाणा	1
10	हिमाचल प्रदेश	0
11	जम्मू और कश्मीर	1
12	झारखंड	0
13	कर्नाटक	18
14	केरल	0
15	मध्य प्रदेश	0
16	महाराष्ट्र	6
17	मणिपुर	1
18	मेघालय	0
19	मिजोरम	0
20	नागालैंड	0
21	ओडिशा	0
22	पंजाब	0
23	राजस्थान	11
24	सिक्किम	0
25	तमिलनाडु	1
26	त्रिपुरा	0
27	उत्तर प्रदेश	204
28	उत्तराखंड	2
29	पश्चिम बंगाल	1
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
31	चंडीगढ़	0
32	दादरा और नगर हवेली	0
33	दमन और दीव	0
34	लक्षद्वीप	0
35	पुदुचेरी	0
36	तेलंगाना	4
	कुल (क)	256
ख.	सीजीएचएस और केन्द्र सरकार के संगठन	8
	कुल (क+ख)	264

स्रोत: राज्य सरकार और संबंधित एजेंसी।

नोट: यूनानी :- अरुणाचल प्रदेश (2016), असम (2009), बिहार (2016), हरियाणा (2016), जम्मू व कश्मीर (2015), झारखंड (2011), कर्नाटक (2016), ओडिशा (2012), राजस्थान (2015), उत्तराखंड (2014) और पुदुचेरी (2016) राज्यों के संबंध में आंकड़ों की पुनरावृत्ति हुई है क्योंकि चालू वर्ष की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

स्वास्थ्य बीमा

2831. **श्री आर. पार्थिपन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एन.एच.पी.एस.) का लक्ष्य विश्व की सबसे बड़ी सरकार-वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना बनना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार-वित्तपोषित मौजूदा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की तरह एन.एच.पी.एस. के कार्यान्वयन में स्वास्थ्य

बीमा कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या गत कुछ वर्षों में स्वयं स्वास्थ्य बीमा खरीदने वाले भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) जी, हां। प्रधानमंत्री जन आरोग्य येजना (पी.एम.जे.ए.वाई.), जिसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में जाना जात था, के अंतर्गत माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए पहचान किए लगभग 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष प्रति परिवार के लाभ कवरेज का प्रावधान किया गया है। यह एक पात्रता आधारित योजना है और इसमें परिवारों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.) के आंकड़ों के अनुसार अभाव और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर की जाती है। पी.एम.जे.ए.वाई. की शुरुआत दिनांक 23.09.2018 को की गई है। पी.एम.जे.ए.वाई. की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस योजना को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिन्हें पी.एस.जे.ए.वाई. के कार्यान्वयन के प्रारूप का निर्णय लेने में लचीलापन दिया गया है। वे पी.एम.जे.ए.वाई. को बीमा कंपनियों के माध्यम से या सीधे ट्रस्ट/सोसाइटी के माध्यम से या मिश्रित प्रारूप में लागू कर सकते हैं। दिनांक 21.12.2018 को योजना के कार्यान्वयन के लिए एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने वाले 33 में से 7 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने बीमा प्रारूप में लागू करने का चयन किया है, जबकि 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ट्रस्ट प्रारूप में लागू करने का चयन किया है और शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश मिश्रित मोड में लागू कर रहे हैं।

(ग) जी, हां। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य बीमा (व्यक्तिगत दुर्घटना और यात्रा को छोड़कर) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

आबादी के गरीब, कमजोर और अभावग्रस्त परिवारों के लिए दिनांक 23.09.2018 को शुरुआत की गई पी.एम.जे.ए.वाई. की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

1. पूरे भारत में किसी भी (सार्वजनिक और निजी दोनों) पैनलबद्ध अस्पताल के सेवा स्थल में लाभार्थ के लिए सेवाओं के लिए कैशलेस और पेपरलेस सुविधा।
2. पी.एम.जे.ए.वाई. का लाभ कवरेज लगभग 10.74 करोड़ लाभार्थी परिवारों को कवर करते हुए 5,00,000/- रुपए (एस.ई.सी.सी. डेटाबेस के माध्यम से पहचान किए गए) है। 5.00 लाख रुपए का यह कवर लगभग सभी द्वितीयक देखभाल और अधिकांश तृतीयक देखभाल प्रक्रियाओं का देखभाल करने में सक्षम है।
3. कोई परिवार आकार नहीं, निर्दिष्ट परिवारों के सभी सदस्यों विशेष रूप से बालिका और वरिष्ठ नागरिकों को कवरेज मिलना सुनिश्चित करना। अधिमानत: महिला को परिवार का प्रमुख बनाने का सुझाव दिया गया है।
4. यह योजना पात्रता पर आधारित है। परिभाषित एम.ई.सी.सी. डेटाबेस में आने वाला प्रत्येक परिवार योजना के तहत लाभ का दावा करने क लिए पात्र होगा। लाभार्थियों को पहचान के उद्देश्य से आधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि, आधार की अनुपस्थिति में किसी भी व्यक्ति को योजना के तहत लाभ से वंचित नहीं किया गया है।
5. कार्यान्वयन व्यवस्था - राज्यों के पास योजना को लागू करने के लिए किसी मौजूदा ट्रस्ट/सोसायटी/नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी [एस.एन.ए.] का उपयोग करने या एक नया ट्रस्ट/सोसायटी/नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी [राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन एजेंसी] स्थापित करने का विकल्प है। कार्यान्वयन के संबंध में, कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीकों का चयन करने के लिए राज्य स्वतंत्र हैं। वे बीमा कंपनी के माध्यम से या ट्रस्ट/सोसायटी या मिश्रित मॉडल के माध्यम से सीधे योजना को लागू कर सकते हैं।
6. एक अच्छी तरह से निर्धारित शिकायत और लोक शिकायत निवारण तंत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के साथ-साथ सोशल मीडिया का सक्रिय रूप से उपयोग किया गया है, जिसके माध्यम से शिकायतों को पंजीकृत किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है, प्रासंगिक कार्रवाई, समाधान और निगरानी के लिए अग्रेषित किया जाता है।

7. उपयोगकर्ता की सुविधा सुनिश्चित करते समय, प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं द्वारा दुरुपयोग/धोखाधड़ी/शोषण को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय किए गए हैं। सभी तृतीयक देखभाल और चयनित द्वितीयक देखभाल पैकेज के लिए पूर्व-प्राधिकार अनिवार्य बनाया गया है।

विवरण-II

स्वास्थ्य बीमा (व्यक्तिगत दुर्घटना (पीए) और यात्रा को छोड़कर) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की संख्या : (हजार में)

व्यवसाय का वर्ग	2015-16	2016-17	2017-18
आरबीएसवाई सहित सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं	273272	335015	359262
समूह व्यवसाय (सरकारी व्यवसाय के अलावा)	57039	70469	89448
व्यक्तिगत व्यवसाय	28652	31962	33275
सकल योग	358963	437446	481985
वृद्धि (%)		22%	10%

योजना की कवरेज

2832. **डॉ. किरिट पी. सोलंकी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) के अंतर्गत कुल कितने बैंक खाते खोले गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन खातों में कुल कितनी राजसहायता राशि जमा की गई है;

(ग) वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने के लिए योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या इस योजना, जो बैंकों के भौगोलिक कवरेज पर ध्यान केंद्रित करती है, के घटक के अंतर्गत देश के सभी गांवों के सभी उप-सेवा क्षेत्रों को या तो बैंक शाखा या बैंक मित्र (बिजनेस कॉरेसपोंडेंट) द्वारा कवर किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) बैंकों द्वारा दी गई सूचनानुसार, दिनांक 12.12.2018 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) के तहत खोले गए खातों की कुल संख्या 33.55 करोड़ है।

(ख) प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) के दिशानिर्देशों में सरकार से लाभार्थियों के जन-धन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) की परिकल्पना की गई है। डी.बी.टी. को लाभार्थियों के जन-धन खातों के अलावा अन्य खातों में भी अंतरित किया जा सकता है। डी.बी.टी. मिशन, कैबिनेट सचिवालय ने यह सूचना दी है कि डी.बी.टी. भारत पोर्टल पर योजनाएं चलाने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,70,292 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष रूप से अंतरित किए गए थे। तथापि ये बैंक खाते शामिल हैं, परन्तु जन-धन खातों तक ही सीमित नहीं है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सलाह का अनुसरण करते हुए, बैंकों तथा बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा परिचालित वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफ.एल.सी.), देश में वित्तीय साक्षरता देने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करते हैं।

(घ) प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) के तहत सभी गांवों को 1.59 लाख उप सेवा क्षेत्रों (एस.एस.ए.) में मैप किया गया है, जहां प्रत्येक एस.एस.ए. 1000 से 1500 घरों को कवर करते हैं। 1.59 लाख एस.एस.ए. में से लगभग 1.26 लाख एस.एस.ए. अंतरपरिचालनीय बैंक मित्र द्वारा कवर किए गए हैं जबकि 0.33 लाख एस.एस.ए. बैंक शाखाओं द्वारा कवर किए गए हैं।

[हिन्दी]

किसान ऋण कार्ड

2833. **श्री देवजी एम. पटेल:**
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार सहित देश में किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के अंतर्गत संवितरित ऋणों का राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने ऋण तीन लाख रुपए से अधिक है;

(ख) क्या सरकार का किसानों के बढ़ते खर्च को ध्यान में रखते हुए के.सी.सी. के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस समय ऋणों की अधिकतम सीमा कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त राज्यों में के.सी.सी. योजना के अंतर्गत कुल कितने किसानों को शामिल किया गया है और वर्तमान में कितने आवेदन लंबित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (घ) बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के अंतर्गत ऋण सीमा/ऋण राशि का निर्धारण आर.बी.आई. द्वारा 4 जुलाई, 2018 को जारी मास्टर परिपत्र में विहित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। के.सी.सी. के अंतर्गत प्रथम वर्ष हेतु अल्पावधि ऋण सीमा का निर्धारण, फसल के लिए वित्त पैमाना (जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा यथा निर्धारित) x खेती के क्षेत्र की सीमा + फसल कटाई उपरांत/घरेलू/खपत आवश्यकताओं की सीमा का 10% + कृषि आस्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव खर्च की सीमा का 20% + फसल बीमा और/अथवा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पी.ए.आई.एस.) सहित दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा एवं आस्ति बीमा के आधार पर किया जाता है। द्वितीय वर्ष और उसके अनुवर्ती वर्षों (तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ष) हेतु सीमा का निर्धारण, फसल उगाई हेतु प्रथम वर्ष की सीमा + वित्त पैमाना और किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि अर्थात पांच वर्षों हेतु अनुमानित मियादी ऋण घटक की लागत में तेजी/वृद्धि के 10% के आधार पर किया जाता है।

पांचवें वर्ष हेतु निर्धारण अल्पावधि ऋण सीमा और अनुमानित दीर्घावधि ऋण आवश्यकता, अधिकतम अनुमत सीमा (एम.पी.एल.) होगी और इसे किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा माना जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान परिचालनरत के.सी.सी. की राज्य-वार संख्या और सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) के संबंध में के.सी.सी. के अंतर्गत (राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार राज्य सहित) बकाया ऋण राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में के.सी.सी. के अंतर्गत (राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार राज्य सहित) विगत तीन वर्ष के दौरान जारी के.सी.सी. की राज्य-वार संख्या एवं स्वीकृत कृषि ऋण सीमा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

सहकारी बैंकों और आरआरबी दोनों के संबंध में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर जारी केसीसी ऋणों के अंतर्गत सक्रिय एवं परिचालनरत केसीसी खातों की राज्य-वार संख्या और राज्य-वार बकाया राशि

(राशि करोड़ रुपए में और संख्या वास्तविक रूप में)

क्र.सं.	राज्य	परिचालनरत कार्डों की सं.	बकाया राशि	परिचालनरत कार्डों की सं.	बकाया राशि	परिचालनरत कार्डों की सं.	बकाया राशि
		2015-16		2016-17		2017-18	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	22,39,664	11,147.82	23,37,304	13,436.51	23,87,806	15,466.27
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,424	10.73	6,028	11.93	4,781	13.35

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अरुणाचल प्रदेश	3,744	17.99	3,983	15.18	3,983	15.18
4.	असम	4,11,221	1,680.29	2,91,694	1,000.16	2,87,343	1,047.65
5.	बिहार	18,47,752	7,016.52	18,03,244	8,752.58	15,01,841	8,287.50
6.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-
7.	छत्तीसगढ़	24,33,017	2,378.77	16,24,867	2,184.51	11,68,158	2,587.03
8.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-	-
9.	दमन और दीव	-	-	-	-	-	-
10.	गोवा	1,343	17.46	2,335	16.40	2,337	19.85
11.	गुजरात	17,28,740	10,167.95	16,98,706	11,415.08	13,71,297	12,848.36
12.	हरियाणा	15,34,304	12,112.91	14,58,365	12,166.36	14,37,233	15,493.14
13.	हिमाचल प्रदेश	1,36,801	1,449.56	1,26,967	1,652.78	1,32,986	1,854.09
14.	जम्मू और कश्मीर	50,033	360.69	71,858	570.98	76,158	666.84
15.	झारखंड	3,86,435	1,000.88	3,86,860	1,266.96	3,89,103	1,446.56
16.	कर्नाटक	32,84,231	17,500.59	32,31,692	19,269.01	31,66,289	20,798.48
17.	केरल	9,47,390	3,868.40	9,64,251	4,034.17	7,77,469	4,264.46
18.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
19.	मध्य प्रदेश	57,76,571	16,351.86	59,17,637	18,565.24	62,74,788	21,880.77
20.	महाराष्ट्र	54,70,624	17,765.60	45,54,350	21,528.74	40,52,391	21,630.93
21.	मणिपुर	7,066	17.14	7,442	22.23	8,820	26.66
22.	मेघालय	16,074	30.35	35,702	119.93	35,754	129.94
23.	मिजोरम	15,522	69.91	7,513	91.28	14,072	77.13
24.	नागालैंड	2,972	10.27	5,186	15.26	5,186	15.26
25.	नई दिल्ली	461	7.20	604	10.45	687	12.47
26.	ओडिशा	51,50,219	10,267.52	41,32,602	10,078.34	34,53,942	11,561.05
27.	पुदुचेरी	7,197	24.88	7,377	13.86	7,375	15.13
28.	पंजाब	11,14,937	10,640.40	11,17,800	11,104.48	10,90,739	11,764.12
29.	राजस्थान	44,47,320	19,837.34	40,13,914	20,766.80	40,78,258	24,496.70

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	सिक्किम	8,040	9.73	8,328	10.00	8,423	11.09
31.	तमिलनाडु	20,61,309	6,873.49	16,13,734	6,053.51	17,95,920	8,442.38
32.	तेलंगाना	21,17,806	8,686.13	21,99,905	9,591.89	20,41,462	11,243.32
33.	त्रिपुरा	1,78,951	198.94	1,80,424	206.27	1,91,809	219.24
34.	उत्तर प्रदेश	74,71,939	30,373.36	75,66,185	33,544.00	77,34,113	35,341.45
35.	उत्तराखंड	4,27,342	1,234.37	3,98,773	1,267.13	3,15,875	1,271.77
36.	पश्चिम बंगाल	25,14,771	5,652.09	23,68,373	5,838.68	18,71,702	4,900.53
	कुल	518,00,220	1,96,781.15	481,54,003	2,14,620.19	456,88,100	2,37,848.70

स्रोतः नाबार्ड

विवरण-II

किसान क्रेडिट कार्ड योजनाः राज्य-वार प्रगति

(राशि लाख रुपए में और कार्डों की संख्या वास्तविक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक (2015-16)			वार्षिक (2016-17)			वार्षिक (2017-18)		
		वर्ष के दौरान जारी कार्ड	वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण सीमा		वर्ष के दौरान जारी कार्ड	वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण सीमा		वर्ष के दौरान जारी कार्ड	वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण सीमा	
			फसल ऋण	सावधि ऋण		फसल ऋण	सावधि ऋण		फसल ऋण	सावधि ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	317	219.75	22.08	241	320.68	20.87	116	52.25	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	12,26,444	1148754.16	131354.11	1035716	1300156.09	94721.97	835305	1124450.19	86019.94
3.	अरुणाचल प्रदेश	2,135	1162.21	1.00	1287	1187.08	10.02	1895	1397.08	15.65
4.	असम	80,913	40916.13	20188.47	146890	79236.82	24724.88	168488	99453.68	31842.91
5.	बिहार	3,20,277	223462.15	43862.83	306143	213559.73	28739.04	292566	221157.47	41800.06
6.	चंडीगढ़	1,558	9366.96	2515.26	405	4872.26	1667.24	1645	3813.23	2922.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	छत्तीसगढ़	49,787	107368.38	15783.73	61534	116642.77	16670.96	56213	109169.15	19214.99
8.	दादरा और नगर हवेली	129	301.84	254.47	103	424.69	252.14	114	285.52	119.93
9.	दमन और दीव	273	375.11	209.33	54	154.02	309.05	170	530.39	195.26
10.	गोवा	1,022	1554.86	2353.45	1805	2842.67	2456.76	2284	6342.96	10182.96
11.	गुजरात	2,18,416	608672.01	158427.62	281257	685246.96	166444.54	2631	5744.37	2282.79
12.	हरियाणा	2,00,864	908136.16	80779.15	218338	947178.89	61202.91	174250	549366.71	152770.10
13.	हिमाचल प्रदेश	38,524	88899.25	5700.26	48636	104248.50	6511.25	223450	967922.87	53847.63
14.	जम्मू और कश्मीर	44,016	186965.37	5484.57	34419	251517.95	5655.80	40903	103099.85	6386.98
15.	झारखंड	1,52,854	58890.14	17017.24	126499	49927.07	6973.77	43892	323878.64	7604.08
16.	कर्नाटक	4,86,890	1044412.85	358343.91	407939	927650.37	383031.39	144174	64874.08	10187.63
17.	केरल	1,25,289	299247.31	138974.15	156105	361150.43	158175.61	318055	654047.85	114647.71
18.	लक्षद्वीप	189	99.96	0.00	80	55.59	0.00	119652	304112.88	136538.10
19.	मध्य प्रदेश	3,93,786	882911.10	93729.11	438032	901769.31	97026.18	25	18.53	0.00
20.	महाराष्ट्र	6,06,358	883554.69	290065.54	746937	1250152.18	327680.72	412164	967950.26	78079.92
21.	मणिपुर	1,694	1218.99	1365.03	2655	2243.36	1214.79	282335	499720.29	195280.55
22.	मेघालय	7,011	3167.04	645.70	13151	6841.83	613.70	2948	2377.81	825.22
23.	मिजोरम	1,324	773.30	18.01	2418	1552.25	29.89	10574	5916.20	514.75
24.	नागालैंड	7,364	4046.56	128.40	13496	7381.49	8.03	1060	861.50	80.03
25.	नई दिल्ली	5.661	15333.60	2485.29	11522	25897.77	21596.71	8055	4748.70	27.08
26.	ओडिशा	1,65,750	86327.66	61668.66	182419	108286.01	60400.78	157762	94838.76	65643.72
27.	पुदुचेरी	10,544	14236.17	5988.49	14207	19151.99	4050.36	3991	4303.96	4295.35
28.	पंजाब	2,71,835	1844335.45	111555.36	265006	1602525.12	84087.18	356943	1847489.70	80261.27
29.	राजस्थान	4,43,014	1330125.11	135108.35	491683	1313274.80	126029.98	581997	1462796.22	120650.13
30.	सिक्किम	3,528	1873.91	429.05	1468	808.29	468.02	1578	868.72	675.71
31.	तमिलनाडु	6,60,529	729521.58	245294.88	434382	618252.39	257559.51	227103	351987.49	339255.03
32.	तेलंगाना	12,61,598	964203.94	90833.78	553817	652448.18	88235.32	600036	687802.46	69390.47
33.	त्रिपुरा	13,949	6724.12	3399.52	16591	9826.12	3107.37	60744	32230.77	6838.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	उत्तर प्रदेश	11,99,598	1837322.41	101113.30	1417397	1737989.62	76467.86	44624	95169.66	7660.88
35.	उत्तराखंड	1,21,261	232335.31	13684.28	81832	138855.44	6415.51	.1398002	1782479.04	83269.87
36.	पश्चिम बंगाल	3,04,647	190750,41	46361.45	247298	167221.69	49214.00	283368	190461.58	61882.47
	कुल	8429348	13757565.98	2185145.82	7761760	13610850.42	2162374.09	6859112	12571720.82	1791210.51

स्रोत: आरबीआई

[अनुवाद]

अनाथालयों में बच्चों का शोषण

2834. **श्रीमती रक्षाताई खाडसे**: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देशभर में सरकारी तंत्र अथवा नागरिक समाज संगठनों द्वारा बनाए गए अनाथालयों अथवा संस्थाओं में बच्चों के शोषण की बढ़ती घटनाओं के आलोक में जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और संरक्षण हेतु बाल हॉस्टल स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे बच्चों, जो देश में या तो सरकारी तंत्र या नागरिक समाज संगठनों द्वारा बनाई गई किसी सुविधा और यहां तक कि विद्यालय छात्रावासों में रह रहे हैं, उनके लिए जरूरी परिचर्या के न्यूनतम मानकों सहित दिशा-निर्देश तैयार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(21) के अनुसार, 'बाल देखरेख संस्था' का अर्थ है, ऐसे बच्चों को, जिन्हें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता हो, देखरेख और संरक्षण प्रदान करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बाल गृह, खुला आश्रय, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा स्थल, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण और कोई उपयुक्त स्थल। देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 29 और 30 के अनुसार बाल कल्याण समिति को दिए गए अधिकारों और दायित्वों के अंतर्गत उनके द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित संस्थागत देखरेख अथवा गैर-संस्थागत देखरेख प्रदान करना अधिदेशित है। अधिनियम के निष्पादन का प्राथमिक दायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है। मंत्रालय, अन्य बातों के साथ-साथ संस्थागत देखरेख में सहायता प्रदान करने के लिए 'बाल संरक्षण सेवाएं' चला रहा है।

(ग) और (घ) किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियमावली, 2016 में बाल देखरेख संस्थाओं की स्थापना और निगरानी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

मुद्रास्फीति की दर में कमी

2835. **श्री राकेश सिंह**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मुद्रास्फीति की दर में भी गिरावट आई है क्योंकि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जून, 2018 से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भारतीय बास्केट का औसत मासिक मूल्य सारणी 1 में दर्शाया गया है।

सारणी 1 : कच्चे तेल के भारतीय बास्केट ($/बैरल)

	जून-18	जुलाई-18	अगस्त-18	सितं-18	अक्तू-18	नव.-18	दिसं.-18
कच्चे तेल के भारतीय बास्केट	73.83	73.47	72.53	77.88	80.08	65.40	58.85

टिप्पणी: दिसंबर, 2018 के आंकड़े, 20.12.2018 तक

स्रोत: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(ख) और (ग) पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सी.पी.आई.-सी.) पर आधारित मुद्रास्फीति नीचे सारणी-2 में प्रस्तुत की गई है। यह देखने में आया है कि सी.पी.आई.-सी. पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति जून, 2018 के 4.9 प्रतिशत से घटकर नवम्बर 2018 में 2.3 प्रतिशत पर आ गई है।

सारणी 2: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सी.पी.आई.-सी.) पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

	जून-18	जुलाई-18	अगस्त-18	सितं-18	अक्तू-18	नव.-18 (अ.)
सी.पी.आई.-सी.	4.9	4.2	3.7	3.7	3.4	2.3

टिप्पणी: (अ) - अनंतिम

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वन भूमि

2836. **श्रीमती कमला पाटले:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वन भूमि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वन भूमि क्षेत्रफल में कमी/वृद्धि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में वन भूमि के बडे क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया/किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्यों में वन विभागों ने संबंधित राज्यों में अतिरिक्त वन भूमि क्षेत्र की पहचान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून, द्विवार्षिक रूप से देश के वनावरण का आकलन करता है और निष्कर्षों को भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट (आई.एस.एफ.आर.) में प्रकाशित किया जाता है। नवीनतम रिपोर्ट अर्थात् आई.एस.एफ.आर.-2017 के अनुसार, देश में वन और वृक्षारोपण के अंतर्गत कुल क्षेत्र 8,02,088 वर्ग कि.मी. है जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.39% है, इसमें से देश में वनावरण 7,08,273 वर्ग कि.मी. है जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.54% है। आई.एस.एफ.आर.-2015 (अद्यतन) की तुलना में, कुल वनावरण में 6778 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई है। आई.एस.एफ.आर.-2011 से 2017 के अनुसार वनावरण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(शेष वर्ग किलोमीटर में)

आई.एस.एफ.आर. का वर्ष	कुल वन आवरण
2011	6,92,027
2013	6,97,898
2015	7,01,495 (अद्यतन)
2017	7,08,273

वनावरण में परिवर्तन के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। वनावरण में परिवर्तन के संभावित कारण संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अतिक्रमण किया गया वन भूमि का क्षेत्र संलग्न विवरण-III में दिया गया है। चूंकि, वन भूमि से अतिक्रमण हटाना राज्य सरकार के डोमेन में आता है, इसलिए मंत्रालय ने, मौजूदा अधिनियमों/नियमों के अनुसार अतिक्रमण हटाने के लिए विभिन्न अवसरों पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है और सुनिश्चित किया है कि आगे कोई अतिक्रमण नहीं हो।

विवरण-I

वर्ष 2015 और 2017 के मध्य किए गए आकलन में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वनावरण में परिवर्तन

(क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में)

राज्य	भौगोलिक क्षेत्र	आईएसएफएफआर-2017 के अनुसार कुल वनावरण	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	आईएसएफएफआर 2015 (अद्यतन) के संदर्भ में वनावरण में परिवर्तन
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	162968	28,147	17.27	2141
अरुणाचल प्रदेश	83743	66,964	79.96	-190
असम	78438	28,105	35.83	567
बिहार	94163	7299	7.75	45
छत्तीसगढ़	135192	55,547	41.09	-12
दिल्ली	1483	192.41	12.97	3.64
गोवा	3702	2,229	60.21	19
गुजरात	196244	14,757	7.52	47
हरियाणा	44212	1,588	3.59	8
हिमाचल प्रदेश	55673	15,100	27.12	393
जम्मू और कश्मीर	222236	23,241	10.46	253
झारखंड	79716	23,553	29.55	29
कर्नाटक	191791	37,550	19.58	1101
केरल	38852	20,321	52.30	1043
मध्य प्रदेश	308252	77,414	25.11	-12
महाराष्ट्र	307713	50,682	16.47	-17
मणिपुर	22327	17,346	77.69	263

1	2	3	4	5
मेघालय	22429	17,146	76.45	-116
मिजोरम	21081	18,186	86.27	-531
नागालैंड	16579	12,489	75.33	-450
ओडिशा	155707	51,345	32.98	885
पंजाब	50362	1837	3.65	66
राजस्थान	342239	16,572	4.84	466
सिक्किम	7096	3344	47.13	-9
तमिलनाडु	130060	26,281	20.21	73
तेलंगाना	112077	20,419	18.22	565
त्रिपुरा	10486	7726	73.68	-164
उत्तर प्रदेश	240928	14,679	6.09	278
उत्तराखंड	53483	24,295	45.43	23
पश्चिम बंगाल	88752	16,847	18.98	21
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8249	6742	81.73	-9
चंडीगढ़	114	21.56	18.91	-0.10
दादरा और नगर हवेली	491	207	42.16	1
दमन और दीव	111	20.49	18.46	0.88
लक्षद्वीप	30	27.10	90श्33	0.04
पुदुचेरी	490	53.67	10.95	-3.28
कुल योग	32,87,469	708,273	21.54	6778

विवरण-II

वन आवरण में परिवर्तन होने के कारणों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	संभावित कारण
आंध्र प्रदेश	राज्य में वनावरण में 2141 वर्ग किमी की निवल वृद्धि का मुख्य कारण रिकार्ड किए गए वन क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों में पौध रोपण और संरक्षण संबंधी कार्यकलापों के साथ-साथ रिसोर्ससेट-2 से नवीनतम उपग्रह डाटा के बेहतर रेडियोमेट्रिक रिजोल्युशन के कारण इंटरप्रिटेशन में सुधार होना है। पूर्वी गोदावरी और प्रकाशम जिलों में वनावरण में कमी मुख्यत: वाणिज्यिक पौधरोपणों की चक्रीय आधार पर कटाई के कारण हैं।

राज्य	संभावित कारण
अरुणाचल प्रदेश	राज्य में वनावरण में देखी गई 190 वर्ग किमी की कमी, स्थानांरित कृषि और विकास कार्यकलापों के कारण हैं।
असम	वनावरण में 567 वर्ग किमी की वृद्धि मुख्यत: वन क्षेत्रों के बाहर पौधरोपणों के कारण हुई है। कुछ जिलों में वनावरण में कमी मुख्यत: चाय बागानों में चक्रीय आधार पर कटाई, स्थानांतरित कृषि और विकास कार्यकलापों के कारण हैं।
बिहार	पौधरोपण और संरक्षण कार्यों के कारण राज्य में 45 वर्ग किमी का सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।
छतीसगढ़	राज्य में देखी गई 12 वर्ग किमी की अल्प कमी के लिए खनन संबंधी कार्यकलापों, विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए भूमि अपवर्तन और चक्रीय आधार पर कटाई को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कुछ जिलों में देखे गए सकारात्मक परिवर्तन पौधरोपण औश्र संरक्षण संबंधी कार्यकलापों के कारण हैं।
दिल्ली	3.64 वर्ग किमी की वृद्धि देखी गई है जो पौध-रोपण कार्यकलापों और संरक्षण कार्यों के कारण हो सकती है जबकि कुछ स्थानों में वनावरण में कमी विकास संबंधी कार्यकलापों के कारण हैं।
गोवा	राज्य में वनावरण में देखी गई 19 वर्ग किमी की वृद्धि मुख्यत: रिकार्ड किए गए वन क्षेत्रों के बाहर वनावरयण में विस्तारण होने के कारण हैं। तथापि, रिकार्ड किए गए वन क्षेत्र के भीतर खनन और अन्य विकास संबंधी कार्यकलापों के कारण वनावरण में 8 वर्ग किमी तक कमी हुई है।
गुजरात	राज्य में देखी गई 47 वर्ग किमी की वृद्धि अभिलिखित वन क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों में पौध रोपण और संरक्षण करने के साथ-साथ कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र का संरक्षण और विस्तरण के कारण हैं।
हरियाणा	वन आवरण में 8 वर्ग किमी की देखी गई निवल वृद्धि, अभिलिखित वन क्षेत्रों के बाहर वन आवरण में वृद्धि होने के कारण हैं। कुछ हिस्सों में वन आवरण में कमी, चक्रीय आधार पर कटाई होने के कारण हैं।
हिमाचल प्रदेश	राज्य में वनावरण में 393 वर्ग किमी की निवल वृद्धि होने का मुख्य कारण रिकार्ड किए गए वन क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों में पौध रोपण और संरक्षण संबंधी कार्यकलापों के साथ-साथ रिसोर्ससेट-2 से नवीनतम उपग्रह डाटा के बेहतर रेडियोमेट्रिक रिजोल्युशन के कारण इंटरप्रिटेशन में सुधार होना है।
जम्मू और कश्मीर	राज्य में वनावरण में 253 वर्ग किमी की निवल वृद्धि होने का मुख्य कारण, पौध रोपण और संरक्षण कार्यकलापों के साथ-साथ रिसोर्ससेट-2 से नवीनतम उपग्रह डाटा के बेहतर रेडियोमेट्रिक रिजोल्युशन के कारण इंटरप्रिटेशन में सुधार होना है।
झारखंड	राज्य में 29 वर्ग किमी की निवल वृद्धि देखी गई है, जो अभिलिखित वन क्षेत्रों के भीतर पौधरोपण और संरक्षण प्रयासों के कारण हो सकती है। यद्यपि अभिलिखित वन क्षेत्रों के भीतर वन आवरण में 314 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। वन आवरण पर इसका प्रभाव, क्षेत्र के बाहर वनों को काटे जाने के कारण समायोजित हो गया है।

राज्य	संभावित कारण
कर्नाटक	राज्य में वन आवरण में 1,101 वर्ग किमी की निवल वृद्धि होने का मुख्य कारण, रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्रों के भीतर और बाहर दोनों में पौध रोपण और संरक्षण कार्यकलापों के साथ-साथ रिसोर्ससेट-2 से नवीनतम उपग्रह डाटा के बेहतर रेडियोमेट्रिक रिजोल्युशन के कारण इंटरप्रिटेशन में सुधार होना है। राज्य में देखी गई वृद्धि के मुख्य कारणों में वन क्षेत्रों के बाहर ताड़ के वाणिज्यिक रोपण में बड़े पैमाने पर वृद्धि, झाड़दार वृक्षों की सघनता में सुधार और कच्छ वनस्पति में संरक्षण और पुनर्वास प्रयासों के कारण विस्तारण है।
केरल	राज्य में वन आवरण में 1,043 वर्ग किमी की निवल वृद्धि होने का मुख्य कारण, वन क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों में पौध रोपण और संरक्षण संबंधी कार्यकलापों के साथ-साथ रिसोर्ससेट-2 से नवीनतम उपग्रह डाटा के बेहतर रेडियोमेट्रिक रिंजोल्युशन के कारण इंटरप्रिटेशन में सुधार होना है।
मध्य प्रदेश	राज्य में 12 वर्ग किमी की निवल कमी देखी गई है जो कृषि के विस्तार, विकासात्मक कार्यकलापों, जलप्लावन, खनन और चक्रीय आधार पर वनों की कटाई के कारण हो सकती है।
महाराष्ट्र	राज्य में 17 वर्ग किमी की निवल कमी चक्रीय आधार पर वनों की कटाई जलप्लावन, कृषि विस्तार और अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के कारण हो सकती है। यद्यपि अभिलिखिम वन क्षेत्रों के भीतर 149 वर्ग किमी की कमी देखी गई है, तथापि, वन क्षेत्रों के बाहर वन आवरण में विस्तारण होने के कारण समग्र कमी समायोजित हो गई है। पुनर्वास प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य में पश्चिमी तट पर कच्छ वनस्पति आवरण में सराहनीय वृद्धि हुई है।
मणिपुर	पौधरोपण और संरक्षण के साथ-साथ स्थानांतरित कृषि के क्षेत्रों में पुन:रोपण करने के कारण राज्य में 263 वर्ग किमी की निवल वृद्धि देखी गई है।
मेघालय	स्थानांतरित कृषि, चक्रीय आधार पर वनों की कटाई और विकासात्मक कार्यकलापों के कारण राज्य में 116 वर्ग किमी की निवल कमी देखी गई है। कुछ हिस्सों में वनावरण में वृद्धि पौधरोरण कार्यकलापों के कारण राज्य में 116 वर्ग किमी की निवल कमी देखी गई है। कुछ हिस्सों में वनावरण में वृद्धि पोधरोपण कार्यकलापों के कारण हुई है।
मिजोरम	मिजोरम में वनावरण में 531 वर्ग किमी की निवल कमी के लिए स्थानांतरित कृषि और विकासात्मक कार्यकलापों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में वनावरण में वृद्धि बांस और अन्य पौध रोपण के पुनरुद्भव होने के कारण है।
नागालैंड	राज्य में वनावरण में देखी गई 450 वर्ग किमी की निवल कमी के लिए स्थानांतरित कृषि और विकास संबंधी कार्यकलापों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
ओडिशा	राज्य में 885 वर्ग किमी की निवल वृद्धि के लिए मुख्य कारण रिकार्ड किए गए वन क्षेत्रों के भीतर और बाहर, दोनों में पौध रोपण और संरक्षण संबंधी कार्यकलापों के साथ-साथ रिसोर्ससेट-2 से नवीनतम उपग्रह डाटा के बेहतर रेडियोमेट्रिक रिजोल्युशन के कारण इंटरप्रिटेशन में सुधार होना है। कुछ जिलों में वन आवरण में देखी गई कमी विकासात्मक कार्यकलापों के कारण हो सकती है।
पंजाब	वनावरण में हुई अधिकतर 66 वर्ग किमी की वृद्धि के लिए अभिलिखित वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष आवरण में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

राज्य	संभावित कारण
राजस्थान	राज्य के वनावरण में 466 वर्ग किमी की निवल वृद्धि देखी गई है जो पोध रोपण, तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों के पुनरुद्भव और संरक्षण प्रयासों के कारण हो सकती है।
सिक्किम	राज्य में 9 वर्ग किमी की वनावरण में निवल कमी विकासात्मक कार्यकलाप के कारण हो सकती है।
तमिलनाडु	राज्य के वनावरण में 73 वर्ग किमी की निवल वृद्धि अभिलिखित वन क्षेत्रों के भीतर पौधरोपण और संरक्षण प्रयासों के कारण हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में देखे गए नकारात्मक परिवर्तन, वनों के बाहर वृक्षों की कटाई और विकासात्मक कार्यकलापों के कारण हैं।
तेलंगाना	पिछले आकलन की तुलना में राज्य में 565 वर्ग किमी की निवल वृद्धि देखी गई है, जिसके कारण मुख्यत: अभिलिखित वन क्षेत्रों के बाहर वनावरण का विस्तार हो सकता है। आदिलाबाद और खम्माम जिलों में वनावरण में कमी, वाणिज्यिक पौधरोपणों की चक्रीय आधार पर कटाई होने के कारण हैं।
त्रिपुरा	राज्य में 164 वर्ग किमी की वनावरण में निवल कमी के लिए स्थानांतरित कृषि, परिपक्व रबर के पौधों की कटाई और अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के कारण हो सकती है। कुछ मामलों में, रबर पौध रोपण के तहत क्षेत्र के विस्तारण के कारण सकारात्मक परिवर्तन भी देखा गया है।
उत्तर प्रदेश	पिछले आवरण की तुलना में राज्य में 278 वर्ग किमी की निवल वृद्धि देखी गई है, जो पौध रोपण और संरक्षण के कारण हो सकती है।
उत्तराखंड	राज्य में 23 वर्ग किमी की निवल वृद्धि देखी गई है जो वन के बाहर वृक्षारोपण के विस्तारण के कारण हो सकती है। तथापि, अभिलिखित वन क्षेत्र के भीतर वनावरण में 49 वर्ग किमी की निवल कमी देखी गई है जो चक्रीय आधार पर वनों की कटाई और विकासात्मक कार्यकलापों के कारण हो सकती है।
पश्चिम बंगाल	राज्य में देखी गई 21 वर्ग किमी की निवल वृद्धि अभिलिखित वन क्षेत्रों के भीतर पौध रोपण कार्यकलापों के साथ-साथ कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण के कारण हो सकती है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	वन आवरण में 9 वर्ग किमी की निवल कमी मुख्यत: विकासात्मक कार्यकलापों के कारण हैं।
चंडीगढ़	संघ शासित प्रदेश के वनावरण में 0.10 वर्ग किमी का नगण्य परिवर्तन विकासात्मक कार्यकलापों के कारण हो सकता है।
दादरा और नगर हवेली	वनावरण में देखी गई 1 वर्ग किमी की वृद्धि अभिलिखित वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष आवरण में वृद्धि होने के कारण हैं।
दमन और दीव	संघ राज्य क्षेत्र में वनावरण में देखी गई 0.88 वर्ग किमी की वृद्धि अभिलिखित वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष आवरण में विस्तार होने के कारण हैं।
लक्षद्वीप	वनों के बाहर वृक्षों की कटाई होने के कारण 0.04 वर्गकिमी का नगण्य परिवर्तन देखा गया है।
पुदुचेरी	वनावरण में 3.28 वर्ग किमी की कमी के लिए मुख्य कारण वनों के बाहर वृक्षों की कटाई है।

विवरण-III

अतिक्रमण किए गए क्षेत्र का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	अतिक्रमण किया गया क्षेत्र	आज की तारीख तक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1690.72	31.03.2016
2.	बिहार	132.21	31.03.2015
3.	छत्तीसगढ़	19330.64	31.01.2016
4.	गुजरात	34791.00	19.03.2011
5.	गोवा	शून्य	25.02.2013
6.	हरियाणा	520.00	31.03.2016
7.	हिमाचल प्रदेश	2339.02	31.03.2016
8.	झारखंड	26496.00	07.08.2017
9.	जम्मू और कश्मीर	10279.28	31.03.2017
10.	कर्नाटक	82734.81	31.03.2017
11.	केरल	7801.10	31.03.2017
12.	मध्य प्रदेश	534717.28	31.03.2016
13.	महाराष्ट्र	67012.56	31.03.2016
14.	ओडिशा	78505.08	22.07.2011
15.	पंजाब	8175.31	31.03.2017
16.	राजस्थान	10839.76	31.03.2017
17.	तमिलनाडु	15041.57	31.03.2017
18.	तेलंगाना	3056.00	31.03.2017
19.	उत्तर प्रदेश	23954.41	31.03.2017
20.	उत्तराखंड	9534.10	13.12.2017
21.	पश्चिम बंगाल	10214.80	31.03.2016
22.	अरुणाचल प्रदेश	58636.13	31.03.2016
23.	असम	217215.39	17.03.2015
24.	मणिपुर	6726.51	31.03.2017
25.	मेघालय	9378.00	12.03.2011
26.	मिजोरम	11408.16	28.11.2017
27.	नागालैंड	2479.96	31.03.2017
28.	सिक्किम	2817.21	31.03.2016
29.	त्रिपुरा	6.77	08.08.2014
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4068.69	31.03.2016
31.	चंडीगढ़	14.00	03.08.2017
32.	दादरा और नगर हवेली	614.40	31.03.2013
33.	दमन और दीव	87.83	28.09.2010
34.	लक्षद्वीप	शून्य	28.08.2010
355.	दिल्ली	628.51	11.04.2012
36.	पुदुचेरी	शून्य	21.10.2010
	कुल	1361248.21	

धन शोधन और काला धन

2837. श्री सिराजुद्दीन अजमल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धन शोधन संबंधी जांचों में गंभीर रूप से विलंब होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(ग) विभिन्न विदेशी बैंकों में काले धन के खाताधारकों के नाम क्या हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी विशेष करदाता के संबंध में सूचना का खुलासा करना, सिवाय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा

138 में दिए गए अनुसार निषिद्ध है। इसके अलावा अन्य देशों के साथ कर समझौता के प्रावधानों के तहत प्राप्त सूचना, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे दस्तावेजों में गोपनीयता की शर्त के अधीन नियंत्रित होती है।

सरकार ने काले धन, विशेष रूप से विदेशों में छिपा कर रखे गए काले धन के मामले से प्रभावी रूप से निपटने के लिए अनेक उपाय किए हैं। ऐसे मामलों में शामिल हैं- नीति स्तरीय पहल, जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई, क्षमता निर्माण और सूचना का एकीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि करते हुए सूचना का पता लगाने पर यथोचित ध्यान केंद्रित करते हुए, मजबूत वैधानिक और प्रशासनिक ढांचे, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की स्थापना करना।

आयकर छापे

2838. श्री विनसेंट एच. पाला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कुल कितने आयकर छापे मारे गए हैं; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान छापेमारी और जब्ती के जरिए कुल कितनी धनराशि संग्रहित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) गत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान, आयकर विभाग द्वारा की गई जांच तथा जब्तियों की संख्या इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	जांच तथा जब्ती अभियानों (आपरेशन्) की संख्या
2013-14	569
2014-15	545
2015-16	447
2016-17	1152
2017-18	582

(ख) आयकर विभाग, जांच तथा जब्ती अभियानों के दौरान बेहिसाबी/अघोषित/अप्रकाशित (अस्पष्ट) परिसम्पत्तियों की जब्ती करता है। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत सुनवाई का नियत अवसर दिए जाने के पश्चात आयकर विभाग उस आय का आकलन करता है तथा उस पर कर/ब्याज/शास्ति, यदि कोई हो, की वसूली करता है। इस निर्धारण को अन्तिम रूप से तभी पूर्ण माना जाएगा, जब सी.आई.टी.(ए.), आई.टी.ए.टी., उच्च न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में से किसी के भी समक्ष दायर अपील, यदि कोई हो, के बारे में निर्णय हो जाने के पश्चात ही किया जा सकता है। तथापि, गत दो वर्षों के दौरान जब्त की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	जब्त की गई परिसम्पत्तियों का कुल मान (करोड़ रु. में)
2016-17	1469.62
2017-18	992.52

राज्यों के राजकोषीय समेकन लक्ष्य

2839. श्री ए. अरुणमणिदेवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य वर्ष की शुरुआत में बजट के अपने राजकोषीय समेकन के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ख) क्या राज्यों के राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण मुख्य रूप से राज्य विकास ऋणों (एस.डी.एल.) को जारी करके किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्त वर्ष 2019 में उन्मोचित किए जाने वाले 1.3 लाख करोड़ रुपए के एस.डी.एल. वित्त वर्ष 2018 में उन्मोचित 0.8 लाख करोड़ रुपए के एस.डी.एल. से काफी अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी "राज्य वित्त: 2017-18 और 2018-19 के बजट अध्ययन- नामक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों ने 2018-19 में राजस्व अधिशेष और एक निम्नतर राजकोषीय घाटे का बजट तैयार किया है। भविष्य में, वर्ष के दौरान जिन राज्यों में चुनाव होने हैं और कुछ राज्यों द्वारा कृषि ऋण माफी के साथ-साथ वेतन आयोग की निर्णयों को लागू करने की लगातार घोषणाओं के कारण राजकोषीय जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा, उधार राशियों के विभिन्न स्रोतों, जिनमें खुली बाजार उधार राशियां/राज्य विकास ऋण, वित्तीय संस्थानों से तय दर पर लिए गए ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि ऋण, इ.ए.पी. सहित केन्द्र सरकार के ऋण आदि शामिल हैं, द्वारा वित्तपोषित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 में सभी राज्यों की ओ.एम.बी./एस.डी.एल. सकल राजकोषीय घाटे का 65.8% थी जिसके 2017-18 (संशोधित अनुमान) में बढ़कर सकल राजकोषीय घाटे का 74.9% तक होने का अनुमान है।

(ग) 2017-18 तथा 2018-19 में चुकाए गए राज्य विकास ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यों के चुकाए गए राज्य विकास ऋण

(करोड़ रुपए में)

राज्य	2017-18	2018-19
आंध्र प्रदेश	3,878	6,377
अरूणाचल प्रदेश	185	26
असम	963	2506
बिहार	1,092	3,397
छत्तीसगढ़	--	--
गोवा	400	500
गुजरात	8,215	9,534
हरियाणा	800	3,295
हिमाचल प्रदेश	2,049	2,102
जम्मू और कश्मीर	2,226	1,757
झारखंड	1,192	1,486
कर्नाटक	4,750	7,417
केरल	4,297	5,516
मध्य प्रदेश	1,875	4,495
महाराष्ट्र	8,520	17,762
मणिपुर	247	303
मेघालय	196	259
मिजोरम	147	123
नागालैंड	369	467
ओडिशा	--	--
पंजाब	4,121	5,061
राजस्थान *	8,137	12,992
सिक्किम	250	293
तमिलनाडु	4,942	10,848
तेलंगाना	2,772	4557
त्रिपुरा	--	156
उत्तर प्रदेश	4,422	12,693
उत्तराखंड	830	1,011
पश्चिम बंगाल	11,607	12,397
जोड़ (राज्य)- ए	78,482	1,28,330
पुदुचेरी (बी)	337	350
कुल जोड़ (ए+बी)	78,819	1,28,680

* इसमें 2017-18 में 4,150 करोड़ रूपये के और 2018-19 में 6,636 रूपए के चुकाए गए उदय बांड शामिल हैं।

दामोदर नदी में प्रदूषण

2840. **श्री सौमित्र खान:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूशित नदी बन गई है और इस नदी को इसके किनारे रहने वो व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दामोदर नदी से गाद निकालने और इसका तलमार्जन किए जाने तथा दामोदर-बैराज क्षेत्र से अपशिष्ट को हटाए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बात की निगरानी करने के लिए स्थापित कड़े तंत्र का ब्यौरा क्या है कि दामोदर नदी सहित सभी

नदियां स्वच्छ रहें और इन नदियों के आस-पास स्थित उद्योगों से प्रवाहित होने वाले अपशिष्ट के लिए ये पाटन क्षेत्र न बने?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (घ) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सहयोग से निगरानी स्टेशनों के एक नेटवर्क जिसमें राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी में 11 निगरानी स्टेशन शामिल हैं, के माध्यम से पूरे देश में नदियों के जल की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है।

सितम्बर, 2018 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बी.ओ.डी.) जो जैविक प्रदूषण का एक प्रमुख संकेतक है, के आधार पर 323 नदियों में 351 प्रदूषित नदी जल प्रवाह क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में दुर्गाचक से दिशेरगढ़ तक दामोदर नदी के जल प्रवाह क्षेत्र को प्रदूषित क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है। हालांकि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दामोदर नदी से गाद निकालने और इसका तलमार्जन किए जाने तथा दामोदर-बैराज क्षेत्र से अपशिष्ट को हटाए जाने की आवश्यकता के संबंध में कोई विशिष्ट आकलन नहीं किया है।

(ङ) सरकार द्वारा नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ उद्योगों से बहिस्राव के लिए मानकों का निर्माण और अधिसूचित करना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा सहमति तंत्र और नियमित निगरानी के माध्यम से उत्सर्जन मानकों को लागू करना, जल की गुणवत्ता के आकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना, नदियों और जल-निकायों में बहिस्रावों के उत्सर्जन की जांच के लिए ऑनलाइन सतत बहिस्राव निगरानी तंत्र की (ओ.सी.ई.एम.एस.) की स्थापना करना, उद्योगों में क्लीनर उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ावा देना, लघु स्तर की औद्योगिक इकाइयों के समूह के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र (सी.ई.टी.पी.) स्थापित करना, अत्यधिक प्रदूषित उद्योगों की कुछ श्रेणियों में शून्य तरल उत्सर्जन (जेड.एल.डी.) के अनुपालन के लिए निर्देश जारी करना, मल-जल शोधन संयंत्रों की स्थापना और नदियों में प्रदूषण के उपशमन के लिए औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के तहत राज्यों को निर्देश जारी करना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

संदूषित रक्त

2841. **श्री गजानन कीर्तिकर**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विभिन्न स्थानों पर बेचे जा रहे संदूषित और अप्रमाणित रक्त के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी गतिविधियों में संलिप्त अस्पतालों और व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) से (ग) इस संबंध में संदूषित और गैर-प्रमाणित रक्त, संलिप्त अस्पताल/व्यक्ति तथा की गई कार्रवाई के बारे में सूचना, जैसा कि राज्य स्तरीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) किसी रक्त बैंक के प्रचालन एवं कार्य के लिए और/अथवा रक्त अवयवों को तैयार करने संबंधी अपेक्षाओं को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में दिया गया है। उपर्युक्त नियमावली के प्रावधानों की अनुपालना की पुष्टि करने के लिए राज्य औषधि नियंत्रण विभाग और/अथवा केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) द्वारा समय-समय पर इन रक्त बैंकों का निरीक्षण किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.		
1	पंजाब	(क) जी. हां।
		(ख) गुलाब देवी हॉस्पिटल ब्लड बैंक, जालंधर

क्र.सं.		
		(ग) गुलाब देवी हॉस्पिटल ब्लड बैंक, जालंधर का लाइसेंस 04.09.2018 को रद्द कर दिया गया।
		(घ) आवधिक निरीक्षण
2	उत्तर प्रदेश	(क) उपलब्ध नहीं
		(ख) उपलब्ध नहीं
		(ग) वर्ष 2017-18: जिला प्रयागराज में गैर-कानूनी रक्त वितरण में संलिप्त 3 व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. की गई थी। वर्ष 2018-19: लखनऊ में एक एफ.आई.आर. की गई तथा पांच ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो गैर-कानूनी रक्त-एकत्रण और वितरण में संलिप्त थे।
		(घ) गैर कानूनी रक्त-एकत्रण/वितरण के संबंध में कड़ी निगरानी।

[अनुवाद]

एंटी-बायोटिक का उपयोग

2842. **श्री कलिकेश एन. सिंह देव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एंट्री-बायोटिक के उपयोग से संबंधित नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में एंटी-बायोटिकरोधी (ए.बी.आर.) की उभरती हुई समस्या से निपटने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार देश भर में फार्मेसी स्टोरों में बिना पर्ची के एंटी-बायोटिक की अविनियमित बिक्री पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मंत्रालय एंटी-बायोटिक्स का नुस्खा सावधानीपूर्वक लिखने के लिए चिकित्सकों में जागरूकता बढ़ाने हेतु कोई समर्पित कार्यक्रम आयोजित करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) से (ग) भारत सरकार ने एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट (ए.एम.आर.) की समस्या पर उचित ध्यान दिया है और इस मुद्दे के निपटान हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ए.एम.आर. को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कार्यकलापों को शुरू किया है जो इस प्रकार हैं:

i. 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ए.एम.आर. को नियंत्रित करने के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था तथा इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एन.सी.डी.सी.) के द्वारा समन्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 18 राज्यों में 20 राज्यस्तरीय मेडिकल कॉलेज प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क के जरिए एन.सी.डी.सी. द्वारा ए.एम.आर. निगरानी का आयोजन किया जा रहा है तथा संस्थान नेटवर्क को एक चरणबद्ध तरीके से देश भर में विस्तारित किया जा रहा है।

ii. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम.आर.) देश में तृतीयक परिचर्या केन्द्रों (सरकारी और निजी दोनों) में अवस्थित 20 प्रयोगशालाओं के एक अन्य ए.एम.आर. निगरानी नेटवर्क का समन्वय कर रहा है।

iii. संक्रमण निवारण एवं नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण: एम्स-आई.सी.एम.आर.-एन.सी.डी.सी. नेटवर्क के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या संश्बद्ध संक्रमण की निगरानी (एच.ए.आई.) की जा रही है।

iv. स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए अंतरिम राष्ट्रीय संक्रमण निवारण नियंत्रण (आई.पी.सी.) संबंधी दिशानिर्देशों को संवितरित किया गया है और इन्हें एन.सी.डी.सी. की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

v. एंटीबायोटिक खपत की निगरानी: एन.सी.डी.सी. ने 20 मेडिकल कॉलेजों में देश में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में एंटीबायोटिक खपत से संबंधित अध्ययन शुरू किया है।

vi. एंटीमाइक्रोबियल स्टेवार्डशिप (ए.एम.एस.पी.) कार्यकलाप: स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं में एंटीबायोटिक के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश में विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों में अनेक संवेदी एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। देश में एन.सी.डी.सी. द्वारा विकसित मानव उपचार दिशानिर्देशों को क्लीनिशयनों के इष्टतम उपयोग हेतु उपलब्ध कराया गया है। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम.आर.) ने 30 कार्यस्थलों में ए.एम.एस.पी.के सुंदृढ़ीकरण के संबंध में एक परियोजना शुरू की है।

(घ) औषधियों की बिक्री एवं वितरण को देश में लाइसेंसिंग एवं निरीक्षण के जरिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है औषधियों की बिक्री और वितरण के लिए लाइसेंस संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा नियुक्त किए गए राज्यस्तरीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राज्यस्तरीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। नीतिपरक उपायों के लिए राज्यस्तरीय औषधि नियंत्रकों को समय-समय पर जागरूक किया जाता है जिनमें एंटीबायोटिक की बिना डॉक्टरी पर्चे के बिक्री पर कड़ी विनियामक कार्रवाई सम्मिलित है।

मार्च, 2014 से देश में एंटीमाइक्रोबियल्स की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली में एक पृथक अनुसूची एच-1 को सम्मिलित किया गया है। इस अनुसूची में तीसरी/चौथी जेनरेशन की सिफालोस्पोरिन्स और कार्बापेनम्स के संबंध में लगभग 24 एंटीमाइक्रोबियल्स को सम्मिलित किया गया है। इस एंटीमाइक्रोबियल्स को किसी उपयुक्त चिकित्सीय सलाह के बिना बेचा नहीं जा सकता और इनके इस पैकेजिंग में रेड बॉर्डर के साथ-साथ एक विशिष्ट लेकलिंग की भी आवश्यकता होती है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने विभिन्न प्रकार के खाद्य जीव ओरिजिन में एंटभ्बायोटिक की सीमा को निर्धारित करने के लिए एक निर्धारित सीमा को भी अधिसूचित किया है।

(ङ) ए.एम.आर. के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई योजना (एन.ए.पी.-ए.एम.आर.) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एन.सी.डी.सी.) जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/क्षेत्रों में पणधारक सम्मिलित हैं, द्वारा विकसित किया गया था और इसे 19 अप्रैल, 2017 को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इसके साथ-साथ ए.एम.आर. के संबंध में अंतर मंत्रालयी सहमति-दिल्ली उद्घोषणा पर भी संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें उन्होंने ए.एम.आर. के नियंत्रण के संबंध में खुले दिल से समर्थन की शपथ ग्रहण की थी। चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, राज्यों को एन.ए.पी.-ए.एम.आर. के अनुरूप राज्यस्तरीय कार्रवाई योजनाएं विकसित करने के लिए सहायता दी जाती है।

इसके अलावा, ए.एम.आर. के बारे में जनसामान्य में जागरूकता पैदा करने के लिए एन.सी.डी.सी. के साथ-साथ अन्य साझेदारों द्वारा विभिन्न पणधारकों में ए.एम.आर. के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न आई.पी.सी. कार्यकलापों का समन्वय किया जाता है जिनमें सार्वजनिक रूप से भाषणों का आयोजन, लोक सभा टी.वी. और दूरदर्शन पर लाइव कार्यक्रमों में भाग लेना, स्कूलों और कॉलेजों में ए.एम.आर. कार्यक्रमों का आयोजन करना आदि सम्मिलित है।

[हिन्दी]

एम्स में शल्य चिकित्सकों की कमी

2843. **श्री रामचरण बोहरा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम्स में तंत्रिका तंत्र शल्य चिकित्सा विभाग शल्य चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शल्य चिकित्सकों की कमी के कारण तंत्रिका तंत्र शल्य चिकित्सा हेतु प्रतीक्षा समय 2023 तक पहुंच गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या आवश्यक/सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (घ) जी, नहीं। आपातकालीन मामलों को तत्काल दाखिल किया जाता है। वरीयतन मामलों को 4-8 सप्ताह के भीतर, जबकि नियमित मामलों को 2-6 माह के भीतर हैंडल किया जाता है।

[अनुवाद]

ताप विद्युत संयंत्रों हेतु पर्यावरणीय मंजूरी

2844. **श्रीमती के. मरगथम:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नए ताप विद्युत संयंत्रों को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए आवश्यक/अनिवार्य मंजूरी के एक भाग के रूप में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण मुख्य चिंता होगी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह मानदंड न केवल कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों पर अपितु अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्रों जो स्थानीय लोगों और समुदायों पर अत्यधिक स्वास्थ्य खतरा पैदा करते हैं पर भी लागू होगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा जारी अधिसूचना ने नई शर्तें विनिर्दिष्ट की हैं जो अध्ययन क्षेत्र में आधार रेखा स्वास्थ्य स्थिति की मांग करती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) ताप विद्युत संयंत्रों के आस-पास रहने वाली आबादी के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रालय ने दिनांक 19.11.2018 के कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.) द्वारा ताप विद्युत परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय मंजूरी में निर्धारित किए जाने के लिए मानव-स्वास्थ्य के लिए कई शर्तें नियत की हैं। इन शर्तों के भाग के रूप में परियोजना के प्रस्तावकों को अध्ययन क्षेत्र में आधार-रेखा स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने और स्थानिक बीमारी को दूर करने के लिए उपशमन उपायों के ब्यौरे प्रस्तुत करना आवश्यक है। कार्यालय ज्ञापन यह भी निर्दिष्ट करता है कि ताप विद्युत संयंत्रों से वायु प्रदूषण के प्रभाव का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य प्रभाव आकलन अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। मानव-स्वास्थ्य पर शोर के चिरकालिक प्रभाव के आकलन करने हेतु सभी श्रमिकों के लिए द्वि-वार्षिक स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता होती है।

(ग) और (घ) जी, हां। मंत्रालय के दिनांक 19.11.2018 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी में निर्धारित की जाने वाली मानक शर्तें, नगर-पालिका के ठोस अपशिष्ट पर आधारित अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले विद्युत संयंत्रों के लिए भी लागू होंगी।

[हिन्दी]

ए.टी.एम. सुविधा

2845. **श्रीमती सावित्री ठाकुर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की गई ऑटोमेटेड टैलर मशीन (ए.टी.एम.) सुविधाओं में बहुत अधिक अंतर है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में और ए.टी.एम. स्थापित कर उक्त अनुपात में कमी करने और मध्य प्रदेश में सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में इस सुविधा का विस्तार करके स्थानीय लोगों को लाभान्वित करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 30.09.2018 की स्थिति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित ए.टी.एमों की संख्या नीचे दी गई है:

महानगरीय केंद्र (जनसंख्या 10,00,000 और उससे अधिक)	शहरी केंद्र (जनसंख्या 1,00,000 से 9,99,999 तक)	अर्द्ध-शहरी केंद्र (जनसंख्या 10,000 से 99,999 तक)	ग्रामीण केंद्र (जनसंख्या 9,999 तक)
59816	58894	62097	40685

शाखा प्राधिकार नीति को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में आर.बी.आई. द्वारा दिनांक 18.05.2017 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को उनके द्वारा अभिचिन्हित केंद्रों या स्थानों पर स्थल पर/स्थलेत्तर (ऑनसाइट/ऑफसाइट) ए.टी.एम. की स्थापना करने की अनुमति दी गई है।

बैंक शाखाओं तथा ए.टी.एम. के अतिरिक्त कारोबार

प्रतिनिधि (बी.सी.) भी ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो ए.टी.एम. के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, पी.एम.जे.डी.वाई. के तहत. देश के सभी गांवों को 1.59 लाख उप-सेवा क्षेत्रों (एस.एस.ए.) में बांट दिया गया है जहां प्रत्येक एस.एस.ए. 1,000 से 1,500 परिवारों को कवर करता है। 1.59 लाख एस.एस.ए. में जहां 0.33 लाख को बैंक शाखाओं के द्वारा कवर किया गया है वहीं लगभग 1.26 लाख एस.एस.ए. को अंतर-परिचालनीय बैंक मित्रों के द्वारा कवर किया गया है।

[अनुवाद]

भगौड़े अपराधियों की जब्त की गई परिसम्पत्तियां

2846. **श्री शिशिर कुमार अधिकारी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भगोड़े अपराधियों की परिसम्पत्तियां जब्त कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दस वर्षो के दौरान जब्त परिसम्पत्तियों और बेची गई परिसम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दस वर्षो के दौरान सरकार द्वारा कुर्क की गई अचल सम्पत्तियों और उनसे प्राप्त राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) उक्त परिसम्पत्तियों की अनुरक्षण लागत कितनी है और उन पर कितना व्यय किया गया है; और

(ङ) वर्ष 2018 तक धनशोधन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत वसूली के रूप में ऋण राशि और उनसे कितना ब्याज प्राप्त हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ङ) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सक्षम न्यायालय में 07 व्यक्तियों के विरुद्ध भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अंतर्गत 7 आवेदन दाखिल किए गए हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अंतर्गत किसी परिसम्पत्ति को जब्त नहीं किया गया है। तथापि उपर्युक्त 07 व्यक्तियों के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 14,461.1 करोड़ रुपए के मूल्य की संपत्तियों/परिसंपत्तियों की कुर्की और जब्ती की गई है।

महिला सशक्तिकरण और स्वायत्तता योजना

2847. **श्री पी.के. बिजू:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महिला सशक्तिकरण और स्वायत्तता और उनके राजनैतिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए किसी योजना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त की प्राप्ति हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) किसी नई स्कीम की परिकल्पना नहीं है।

(ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित स्कीमें/कार्यक्रम चला रहा है: महिला शक्ति केंद्र (एम.एस.के.), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बी.बी.बी.पी.), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.), किशोरियों हेतु स्कीम (एस.ए.जी.), पोषण अभियान, कामकाजी महिला होस्टल (डब्लू.डब्लू.एच.). स्वाधार गृह, उज्जवला, वन स्टाप सेंटर (ओ.एस.ए.सी.), महिला हेल्प लाइन का सर्व सुलभीकरण (डब्ल्यू.एच.एल.), महिला पुलिस वालंटियर (एम.पी.वी.), राष्ट्रीय महिला कोष (आर.एम.के.) और महिला ई. हाट।

पारंपरिक औषधि पद्धति

2848. **श्री एस.आर. विजयकुमार:**
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:
श्री एस. राजेन्द्रन:
श्री टी. राधकृष्णन:
कुंवर हरिवंश सिंह:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पारंपरिक औषधियों की एक सुविकसित प्रणाली है, जिसकी वैश्विक स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में जबरदस्त संभावनाएं है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश ने अब तक परंपरागत औषधियों में वैश्विक बाजार में जगह बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के

दौरान परंपरागत औषधियों के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पारंपरिक औषधियों के क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं तथा इससे देश को क्या लाभ होने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा देश में पारंपरिक औषधियों के अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

आयुर्वेद, उद्योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां सुव्यस्थित रूप से विकसित हैं जिनके प्रयोग का लंबा इतिहास है। ये पद्धतियां सुप्रलेखित हैं; इनका मानकीकृत पाठ्यक्रम, विनियामक तंत्र और व्यापक संस्थागत तंत्र है; तथा ये निरंतर वैज्ञानिक आदानों सहित बढ़ रही हैं। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां लोगों को निवारक, संवर्धनात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए समग्र सिद्धांतों और व्यापक दृष्टिकोण को आत्मसात करती हैं। गैर संचारी रोगों के उभरते वैश्विक स्वास्थ्य परिदृश्य में भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां जीर्ण, चयापचयी और जीवन शैली संबंधी रोगों के निवारण और नियंत्रण तथा अपने समग्र और व्यक्तिगत उपचारों द्वारा रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की अपार क्षमता रखती हैं।

(ख) और (ग) जी हां। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों ने वैश्विक बाजार में अपनी पैठ बना ली है। केवल वैश्विक आयुर्वेद बाजार ही लगभग 3.4 अरब अमेरिकी डॉलर का है और लगभग 16.2% की यौगिक वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है। 2022 तक इस बाजार के 9.80 अरब अमेरिकन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है जिसमें उत्पाद और सेवाएं दोनों शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कोडिंग प्रणाली में 'पारंपरिक औषधि' के रूप में कोई उत्पाद कोड अथवा उत्पाद समूह वर्गीकृत नहीं है। तथापि, गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्रमुख उत्पाद समूह: 'आयुष और जड़ी-बूटीय उत्पाद' के अंतर्गत भारत का निर्यात 2015-16 में 364 मिलियन अमेरिकी डॉलर; 2016-17 में 402 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 2017-18 में 456 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा चालू वित्तीय वर्ष में नवम्बर, 2018 तक 251 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

(घ) और (ङ) आयुष मंत्रालय ने आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग हेतु 16 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे समझौता ज्ञापन नेपाल, बंगलादेश, हंगरी, त्रिनिदाद और टोबैगो, मलेशिया, मॉरिशस, मंगोलिया. तुर्कमेनिस्तान, म्यांमार, जर्मनी (संयुक्त घोषणा), इरान, साओ टोम एवं प्रिंसपे, इक्वेटोरियल गिनी, क्यूबा, कोलम्बिया, जापान के साथ किए गए हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेनेवा (स्वीटजरलैंड), अमेरिका, अर्जेंटीना, इजराइल, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, ताजिकिस्तान जैसे विभिन्न देशों में विदेशी संगठनों और विश्वविद्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान हेतु 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश में आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने और उसके प्रचार प्रसार के लिए हंगरी, त्रिनिदाद और टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, रूस, इंडोनेशिया, स्लोवेनिया, अर्मिनिया, लातवीया, अर्जेंटीना, मलेरिया, बांग्लादेश, और मॉरिशस में विदेशी संस्थानों में आयुष शैक्षणिक पीठों की स्थापना के लिए 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापनों के प्रावधानों के तहत किए गए विभिन्न क्रियाकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए विशेषज्ञों और सूचना का पारस्परिक आदान-प्रदान।
- शिक्षण, अभ्यास, औषधों और औषधरहित उपचारों का विनियमन।
- विदेशी विश्वविद्यालयों में आयुष शैक्षणिक पीठों की स्थापना।
- भेषजसंहिताओं और फार्मूलरियों को पारस्परिक मान्यता।
- औषधीय पादपों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना।
- अनुसंधान सहयोग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना।

(च) सरकार ने पांच अनुसंधान परिषदों अर्थात् केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.ए.एस.), केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.एच.), केंद्रीय यूनानी

चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.यू.एम.), केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.एस.), केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.वाई.एन.) परिषदों की स्थापना की है। ये अनुसंधान परिषदें देश भर के 85 संस्थाओं/केंद्रों के माध्यम से आयुष के क्षेत्र में वैज्ञानिक क्रियाकलाप के संचालन और अनुसंधान को बढ़ावा दे रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने बर्हिवर्ती अनुसंधान की केंद्रीय स्कीम क्रियान्वित की है जिसके माध्यम से आयुष के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ करने के लिए वैज्ञानिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

महिलाओं में पोलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम

2849. **श्रीमती रंजनबेन भट्टः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिलाओं की बड़ी संख्या पोलिसिस्टिक सिंड्रोम से पीड़ित है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस पर नियंत्रण लगाने के लिए किसी कदम पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त कदम कब तक उठाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) जी, हां। भारत में कराए गए अध्ययनों के अनुसार, पोलीसिस्टिक सिन्ड्रोम (पी.सी.ओ.एस.) की व्याप्तता 3.7% से 28% तक की है जो 12 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में भिन्न-भिन्न है।

(ख) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का मुंबई स्थित राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था नइस रोग के विभिन्न आयामों से निपटने के लिए एक समग्र पी.सी.ओ.एस. प्रबंधन स्टेशन का संचालन करता है। इस बहु-विषयी क्लिनिक का उद्घाटन 30 अप्रैल, 2016 को किया गया था जिसका उद्देश्य है समस्या की विकरालता (मैग्रीट्यूड) का साक्ष्य सृजित करना, आनुवांशिक संभाव्यता (प्रीडिस्जीशन) सहित प्रमुख पैथो-फिजियोलोजिकल कारणों की पहचान करना और आगे की अपस्केलिंग के लिए समग्र प्रबंधन के प्रारूप तैयार करना।

अभियान पी.सी.ओ.एस. मुंबई में शैक्षणिक संस्थानों का संघ है जो संयुक्त रूप से ज्ञान-अंतरालों का पता लगाने और इन्हें दूर करने के लिए पी.सी.ओ.एस. के कारणों के लिए कार्य कर रहा है।

मोटापा और मधुमेह दो ज्ञात कारण हैं जो पोलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से जुड़े हैं। भारत सरकार कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोगों और आघात के निवारण और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) वर्ष 2010 से चला रही है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला स्तर तक के क्रियाकलापों के लिए क्रियान्वित किया जाता है। एन,पी.सी.डी.सी.एस. में व्यवहार व जीवन शैली में आए परिवर्तनों के प्रति जागरूकता सृजन, मोटापे व मधुमेह सहित अन्य जोखिम कारकों के उच्च स्तर वाले व्यक्तियों के लिए जांच और शीघ्र निदान, गैर-संचारी रोगों के उपयुक्त प्रबंधन के लिए उन्हें उच्चतर सुविधा केन्द्रों में रेफर करना आदि पर विशेष बल दिया जाता है। गैर, संचारी रोगों की जनसंख्या स्तरीय जांच (स्क्रीनिंग) को वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था। अभी तक, 215 जिलों में स्क्रीनिंग को कार्यान्वित किया गया है और 01 अक्तूबर, 2018 तक सामान्य गैर-संचारी रोगों के लिए 96.6 लाख लोगों की जांच की गई।

[अनुवाद]

ऋण माफी योजना

2850. **श्री के. परसुरमन**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों में निर्धारित कठोर मापदंडों को शिथिल करने के बाद 2015-20 के दौरान चौदहवें वित्त आयोग द्वारा कुल 20,385.74 करोड़ रुपये के अनुदान की संस्तुति किए जाने के बावजूद केन्द्र सरकार स्थानीय निकाय अनुदान और राज्य आपदा कार्रवाई कोष (ए.टी.आर.एफ.) के अंतर्गत संस्तुत अनुदान को जारी करने संबंधी अपने रुख की समीक्षा करेंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पंद्रहवें वित्त आयोग केन्द्र द्वारा लगाए जा रहे उपकरों और अधिभारों को विभाज्य पूल के अंतर्गत लाने का कोई नया प्रस्ताव ला रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पंद्रहवें वित्त आयोग का ऋण माफी पैकेज को और प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक ऋण माफी योजना पुन: आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-20 की अपनी अधिनिर्णय अवधि के लिए 2,87,436 करोड़ रुपए के कुल स्थानीय निकाय अनुदान और 61,219 करोड़ रुपए के राज्य आपदा मोचन कोष की सिफारिश की है। इसे जारी करने के लिए व्यय विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश पूरी अधिनिर्णय अवधि के लिए हैं और अभी इसमें छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) पंद्रहवें वित्त आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

तेल का गिरना

2851. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:
श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार वर्षों और चालू वर्षों के दौरान भारतीय समुद्री जोन में तेल गिरने के सूचित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में तटीय और समुद्री जोन में तेल गिरने के मामलों से निपटने के लिए विस्तृत प्रक्रिया विकसित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान तटीय और समुद्री जोन में तेल से फैलने वाले प्रदूषण को दूर करने हेतु केन्द्रीय समन्वयक एजेंसी की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) भारतीय तटरक्षक बल (आई.सी.जी.) के अनुसार, गत चार वर्षों के दौरान हिन्द महासागर क्षेत्र में तेल के गिरने की निम्नलिखित घटनाएं सूचित की गई हैं:

घटना का स्थान और तिथि	प्रमात्रा	तेल गिरने के कारण
दिनांक 22.08.2014 को पारादीप से दूर ड्रिल शिप-प्लेटिनम एक्सप्लोरर (ओर.एन.जी.सी.)	80 बैरल (लगभग 3.8 के.एल.)	ड्रिलिंग कार्य के दौरान अनजाने में आंतरिक अंतरण
दिनांक 28.01.2017 को कमराजार बंदरगाह. इन्नौर, तमिलनाडु से दूर	151.45 मैट्रिक टन	एम.टी. डॉन कंचलपुरम और एम.टी. बी.डब्ल्यू. मापिया के बीच टक्कर
दिनांक 30.01.2018 को बाहरी जहाज लंगर स्थल, मुंबई बंदरगाह	2-3 ड्रम बंकर तेल	एम.टी. जिप्रो नेफ्टिस पर बंकर अंतरण के दौरान दुर्घटनावश तेल का गिरना
दिनांक 18.10.2018 को कमराजार बंदरगाह, इन्नौर, तमिलनाडु	02 टन फर्नेस ईधन तेल	ईंधन लाईन के फटने के कारण एम.टी. कोरल स्टार्स से दुर्घटनावश तेल का गिरना

(ख) और (ग) कार्य नियतन नियमावली, 1961 (संशोधन 2002) के अनुसार, भारतीय तटरक्षक बल (आई.सी.जी.) भारत की भू-भागीय सीमाओं में तेल के गिरने की घटनाओं से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है। आई.सी.जी. तेल के गिरने की आपदा के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन योजना (एन.ओ.एस.-डी.सी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्राधिकरणों के उत्तरदायित्वों और क्षेत्राधिकारों को वर्णित किया गया है। आई.सी.जी. के तेल और रासायनिक पदार्थों के समुद्र में गिरने के संबंध में सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय प्रचालन प्राधिकरण होने के कारण वह एन.ओ.एस.-डी.सी.पी. के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी प्राधिकरणों को उनके कार्यमूलक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करता है।

(घ) आई.सी.जी. द्वारा सूचित किया गया है कि उसने तेल के गिरने के सभी सूचित मामलों पर कार्रवाई की है और उन मामलों को नियंत्रित कर लिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को लगाकर तेल गिरने की घटनाओं का प्रबंधन किया गया है। इसके अलावा, आई.सी.जी. द्वारा प्रदूषण

फैलाने वालों से क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है और उस क्षतिपूर्ति की राशि को सरकारी ट्रेजरी में जमा कर दिया गया है।

प्राकृतिक पार्क और अभयारण्य

2852. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्राकृतिक/राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास रहने वाले लोगों को शामिल करके ड्रोनों के माध्यम से ई.-सर्विलेंस सहित प्रौद्योगिकी का उपयोग नई वन्य जीव कार्य योजना 2017-2031 के संरक्षण के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण होगा जिसे सरकार द्वारा घोषित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना में वन्य जीव क्षेत्रों में अवैध शिकार और जानवरों तथा जानवरों के अंगों का अवैध व्यापार और पर्यटन प्रबंधन के निपटने के लिए एक रूपरेखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय कार्य योजना 2017-2031 ऐसी तीसरी योजना होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031) देश भर में वन्यजीवों की सुरक्षा, उनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए सामूहिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस कार्य योजना को 17 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिनमें 'संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण और सुधार'; 'वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं अवैध व्यापार पर नियंत्रण'; 'वन्यजीवों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी' और 'वन्यजीव क्षेत्रों में पर्यटन के प्रबंधन' से संबंधित अध्याय भी शामिल हैं। इन अध्यायों में वन्यजीव क्षेत्रों में पर्यटन सहित वन्यजीवों के संरक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा लोगों की भागीदारी पर ध्यान दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031) तीसरी योजना है। इससे पहले सरकार द्वारा वर्ष 1983 और 2002 में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना तैयार की गई थी।

सार्वजनिक परिसम्पत्ति पुनर्वास एजेंसी

2853. **डॉ. उदित राज:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का समस्याग्रस्त ऋण की समस्या को दूर करने के लिए सावर्जनिक परिसम्पत्ति पुनर्वास एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) आज की तिथि अनुसार समस्याग्रस्त ऋणों की राशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) वर्तमान में लोक आस्ति पुनर्वास एजेंसी को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) परिशुद्ध तथा पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलनपत्रों हेतु 2015 में की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (ए.क्यू.आर.) के फलस्वरूप एन.पी.ए. के अधिक होने का पता चला। बैंकों द्वारा परिशुद्ध करने की शुरुआत हुई, तथा दबावग्रस्त ऋणों पर अनुमानित हानियों, जिनका पूर्व में पुनर्संरचित ऋण को प्रदस्त लचीलेपन के अंतर्गत प्रावधानीकरण नहीं कराया गया था, उनके लिए प्रावधानीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त, ऐसी पुनर्संरचना योजनाओं को बंद कर दिया गया है। एन.पी.ए. के रूप में दबावग्रस्त आस्तियों की पारदर्शी पहचान के फलस्वरूप, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल एन.पी.ए. में 10, 14, 656 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है (30.09.2018 की स्थिति के अनुसार, आर.बी.आई. के वैश्विक परिचालनों हेतु ओ.एस.एम.ओ.एस रिटर्न के अनुसार)।

[हिन्दी]

दमा रोगियों हेतु परामर्श

2854. **श्री सत्यपाल सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आम लोगों को जारी स्वास्थ्य परामर्श में दमा रोगियो के खुले क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में सरकार द्वारा दमा रोगियों हेतु क्या उपाय किए गए है; और

(ग) क्या सरकार की विद्यालयों, अस्पतालों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नि:शुल्क सुरक्षा मास्क प्रदान करने की कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, यदि आयु की गुणवत्ता का सूचकांक 200 से अधिक है तो दमा के रोगियों को घर से बाहर कार्य करने से बचना चाहिए।

(ख) भारत सरकार ने वाहन और औद्योगिक मानदण्डों को कड़ा बनाने, स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, वायु की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले स्टेशनों के नेटवर्क को मजबूत बनाने, जन-जागरूकता को बढ़ावा देने आदि सहित पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

एकीकृत रोग-निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत, जिलों और राज्यों को जनशक्ति प्रदान करके, प्रकोप की जांच करने के लिए अभिज्ञात तीव्र प्रतिक्रिया समूह (आर.आर.टी.) सदस्यों के प्रशिक्षण, तीव्र श्वसन संक्रमण सहित महामारी संभावित रोगों का पता लगाने के लिए प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करके मजबूत बनाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

डिजिटल संव्यवहार हेतु ओम्बड्समैन

2855. **एडवोकेट जोएस जॉर्ज**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डिजिटल संव्यवहारों से संबंधित ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए लागत-मुक्त तंत्र प्रदान करने के लिए डिजिटल संव्यवहार हेतु ओम्बड्समैन योजना शुरू करने की योजना बना रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को भी शामिल करेगी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और;

(ग) क्या उक्त योजना वित्तीय संव्यवहार, जो देश में तेजी से बढ़ रहा है हेतु, डिजिटल मोड में वृद्धि पर विचार करते हुए कार्यान्वित की जा रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के अनुसार, वित्तीय लेन-देनों के लिए डिजिटल तरीके में तेजी आ रही है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 2018 की मौद्रिक नीति विवरणी में घोषित किया है कि रिजर्व बैंक के विनियामकीय अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को कवर करते हुए 'डिजिटल लेन"देनों के लिए लोकपाल योजना' के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।

एन.सी.एल.टी. के अंतर्गत मामले

2856. **श्री कौशलेन्द्र कुमार**: क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एन.सी.एल.टी.) द्वारा अभी तक दर्ज और निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या एन.सी.एल.टी. द्वारा मामलों के निपटारों के पश्चात् भी कोई कानूनी बाधाएं आ रही हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एन.सी.एल.टी. द्वारा निपटाए गए मामलों से अभी तक गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों से वसूली गई राशि कितनी है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) दिनांक 30.11.2018 तक राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एन.सी.एल.टी.) में कुल 40,712 मामले रजिस्टर किये गए हैं और एन.सी.एल.टी. द्वारा 26,290 मामले निपटा दिए गए हैं।

(ख) और (ग) एन.सी.एल.टी. में मामलों पर निर्णय विधि के अनुसार किये जाते हैं। असंतुष्ट पक्ष को एन.सी.एल.टी. के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त है।

(घ) एन.सी.एल.टी. के पास एन.पी.ए. से संबंधित कोई डाटा नहीं रखा जाता है, यद्यपि भारतीय आशोधन एवं दिवालिया बोर्ड (आई.बी.बी.आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.10.2018 तक एन.सी.एल.टी. ने 65 कारपोरेट कर्जदारों के विरुद्ध देनदारों की 60,636 करोड़ रु. की बकाया राशि की वसूली के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

मानव पूंजी सूची

2857. श्री रत्न लाल कटारिया:
एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विश्व बैंक ने मानव पूंजी सूचकांक (एच.सी.आई) संबंधी अपनी रिपोर्ट जारी की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विश्व बैंक द्वारा एच.सी.आई. में भारत को दी गई रैंकिंग से सहमत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो रिपोर्ट की किन बातों से असहमति है;

(ग) क्या भारत ने जीवन प्रत्याशा, विद्यालय में बिताए गए वर्ष, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल आदि के संबंध में एच.सी.आई. में कोई प्रगति की है तथा यदि हां, तो इस संबंध में निश्चयात्मक क्या हैं;

(घ) क्या आजादी के 71 वर्षों के पश्चात् भी भारत की 195 देशों में 158 रैंकिंग है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त मापदंडों के अनुसार ग्लोबल साऊथ एशिया और ब्रिक्स देशों में भारत की क्या रैंकिंग है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ङ) विश्व बैंक के दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 को जारी मानव पूंजी सूचकांक (एच.सी.आई.) से मानव पूंजी की उस राशि को मापने की अपेक्षी की जाती है जो आज जन्म लेने वाला एक बच्चा अपने देश के खराब स्वास्थ्य एवं शिक्षा के जोखिमों के चलते 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर हासिल करने की उम्मीद कर सकता है। एच.सी.आई. के तीन घटक हैं, नामत: (i) उत्तरजीविता, जो 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर से मापा जाता है; (ii) गुणवत्ता समायोजित विद्याची शिक्षा के अपेक्षित वर्ष जिसमें शिक्षा की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के बारे में सूचना होती है, और (iii) दो प्रोक्सियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य संबंधी पर्यावरण अर्थात् वयस्क उत्तरजीविता दरें तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए विकास अवरुद्धता की दर। एच.सी.आई. प्रत्येक देश के परिणामों को 1 के अधिकतम मूल्य के अंश के रूप में मापता है। भारत का स्थान 0.44 पर अनुमानित सूचकांक के साथ, एच.सी.आई. से मापित 157 देशों में 115वां है। दक्षिण एशियाई तथा ब्रिक्स देशों दोनों में भारत का चौथा स्थान है। चूंकि एच.सी.आई. पहली बार जारी किया गया है, अत: विभिन्न संकेतकों में की गई प्रगति का प्रश्न नहीं उठता। मुख्यत: निम्नलिखित के कारण एच.सी.आई. के बारे में सरकार को कुछ संदेह हैं:

(1) कार्य पद्धति संबंधी बड़े दोष और आंकड़ों में काफी अंतराल;

(2) कुछ संकेतकों का मंद गति, जिसके कारण सूचकांक के कथित प्रयोजन अर्थात् शिक्षा और स्वास्थ्य पर बढ़े हुए खर्च के लिए राजनैतिक प्रोत्साहन सृजित करना, संभवत: प्राप्त नहीं किया जा सकता;

(3) स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्चे की लागत प्रभाविता को मापने और सुधारने के साधनों की अनुपलब्धता, जो विशेषकर विकासशील देशों के लिए संगत रही होती; और

(4) भारत में मानव पूंजी विकसित करने के लिए की जा रही मुख्य पहलों को एच.सी.आई. स्कोर में नहीं दर्शाया गया है।

अत: सरकार ने एच.सी.आई. को संज्ञान में न लेने का निर्णय लिया है।

निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन

2858. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा घरेलू बाजार में निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ख) गत चार वर्षों में निजी क्षेत्र निवेश में वृद्धि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विवरण क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) सरकार ने घरेलू विनिर्माण और निजी निवेश सहित निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इन्वेस्ट इण्डिया, राष्टीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी, भारत में निवेशों को दीर्घावधि तक बने रहने को समर्थ बनाने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट निवेशक को लक्षित करने और नई भागीदारियों को विकसित करने पर ध्यान देती है। यह निवेश लक्ष्यकरण, संवर्धन और सुविधाजनक बनाने के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण

करने और वैश्विक सर्वोत्तम परिपाटियों को लाने के लिए कई भारतीय राज्यों के साथ सक्रिय रूप से कार्य भी करती है। 'स्टार्ट-अप इण्डिया', 'व्यवसाय करने को सुगम बनाने', संशोधित औद्योगिकीय अवसंरचना उन्नयन योजना, व्यवसाय सुधार कार्य योजना, बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) नीति आदि जैसी स्कीमों से निवेश के लिए हितकर माहौल का सृजन हुआ है। इसके अलावा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) नीति और प्रक्रियाओं को उत्तरोत्तर सरल और उदार बनाया गया है। निजी क्षेत्र को देश के भीतर विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्रीय सरकार का "मेक-इन-इण्डिया" कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस संबंध में, मेक-इन-इण्डिया को और भी अधिक बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सरकारी खरीद (भारत में बने सामान को तरजीह) आदेश 2017 में सरकार द्वारा खरीदे गए सामान और सेवाओं में न्यूनतम स्थानीय माल की खरीद करने का अधिदेश दिया गया है।

अवसंरचना क्षेत्रों में निजी निवेश जुटाने के लिए, अवसंरचना ऋण निधि, अवसंरचना निवेश न्यास (आई.एन.वी.आई.टी.)/रियल एस्टेट निवेश न्यास (आर.ई.आई.टी.) जैसे नवाचार वित्तीय साधनों की शुरुआत विकसित करने और अवसंरचना उपक्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची की समीक्षा करने जैसे उपाय किए गए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एन.आई.आई.एफ.) की शुरुआत होने से अवसंरचना क्षेत्र में निवेश के लिए पूंजी की वृहत्तर उपलब्धता भी प्राप्त हुई है।

(ख) अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के सकल पूंजी निर्माण (जी.सी.एफ.) को इंगित करते हुए एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। निजी क्षेत्र निवेश में राज्य-संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.) वार सूचना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

विवरण

निजी क्षेत्र के लिए सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ)

(करोड़ रूपए में)

चालू मूल्यों पर	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
निजी कार्पोरेशन	1355836	1448883	1665493	1875766	1930940
परिवार	1465013	1416428	1513127	1272105	1398462
कुल (निजी क्षेत्र)	2820849	2865311	3178620	3147871	3329402
वृद्धि दर (प्रतिशत)		1.6	10.9	-1.0	5.8

(करोड़ रूपए में)

2011-12 (स्थिर) मूल्यों पर	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
निजी कार्पोरेशन	1308761	1360982	1471408	1656833	1697908
परिवार	1363683	1247561	1307051	1117707	1210014
कुल (निजी क्षेत्र)	2672444	2608543	2778459	2774540	2907922
वृद्धि दर (प्रतिशत)		-2.4	6.5	-0.1	4.8

स्त्रोत : "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2018" का विवरण 7.2 ख और विवरण 7.2 ग

प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण

2859. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान:
श्री बलभद्र माझी:
श्री रामदास सी. तडस:
श्रीमती रीता तराई:
श्री ओम बिरला:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण के अंतर्गत वर्धा, महाराष्ट्र में वन्य जीव अभयारण्य और बाघ संरक्षण योना हेतु कितना आवंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार इस अभयारण्य की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने का कार्य कर रही है और यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया जा रहा है;

(ग) सी.ए.एम.पी.ए. द्वारा जांच प्रक्रिया में अत्यधिक देरी के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी की कोई गलती न होने के बाद भी स्टेज-II एफ.सी. के अनुदान में देरी हो रही है;

(घ) 8 नवंबर, 2017 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रतिपूरक वन रोपण के लिए भूमि बैंक बनाने हेतु किन क्षेत्रों पर मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की है; और

(ङ) ऐसे जिलों, राज्यों तथा हेक्टेयर में क्षेत्र और भूमि की प्रकृति का ब्यौरा क्या है और जहां भूमि बैंक बनाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) तदर्थ काम्पा द्वारा सरकार को प्रतिपूरक वनीकरण निधि से राज्य काम्पा की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक प्रचालन योजना में प्रस्तावित धनराशि के संदर्भ में निधियां जारी की जाती हैं। बाघ रिजर्व के कोर से गांवों को अन्यत्र बसाने का कार्य अनुमेय कार्यकलापों में से एक है। राज्य काम्पा द्वारा बोर बाघ रिजर्व केकोर से नावरगांव ग्राम को स्थानांतरित करने और अन्य अनुमति प्रदान किए गए कार्यकलापों के लिए राज्य काम्पा, महाराष्ट्र को जारी की गई निधियों से धनराशि आवंटित की गई है। राज्य काम्पा ने बोर बाघ रिजर्व, जिसका अधिकतर हिस्सा महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में स्थित है, के लिए राज्य काम्पा के तहत वर्ष 2018-19 में 418.94 लाख रु. वर्ष 2017-18 में 201.28 लाख रु. और वर्ष 2016-17 में 5300.00 लाख रु. (कुल 5920.22 लाख रु.) का आवंटन किया है।

(ख) बोर बाघ रिजर्व द्वारा पारि-पर्यटन योजना/बाघ संरक्षण योजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशानिर्देशों में उल्लिखित मानकों के अंतर्गत प्रभावकारी उपाय किए गए हैं जिनका उद्देश्य बोर बाघ रिजर्व में पारि-पर्यटन को बढ़ावा देना है।

निम्नलिखित कार्यकलाप आरंभ किए गए हैं-

(1) पर्यटक सफारी के लिए ऑन-लाइन बुकिंग सुविधा शुरू की गई है।

(2) पर्यटकों के लिए विवरण पुस्तिकाएं और प्रचार-प्रसार की अन्य सामग्री प्रकाशित की गई है।

(3) पारि-पर्यटन से जुड़ी सड़कों का प्रति वर्ष अनुरक्षण किया जाता है।

(4) प्रकृति व्याख्या केंद्र (एन.आई.सी.), हॉल और टेंटों, पारि-अनुकूल कुटियों आदि जैसे ठहरने की सुविधाओं सहित पर्यटकों के लिए सुविधा केन्द्रों का निर्माण किया गया है।

(5) पर्यटक मार्ग दर्शकों को प्रशिक्षित और तैनात किया गया है।

(6) वन्य पशुओं के परिदृश्य के अवलोकन में सुधार लाने हेतु पर्यावास का विकास किया गया है।

(ग) अगस्त 2014 से, वन मंजूरी के कार्यालय की वेब-साइट *(www.forestclearance.nic.in)*, जिसे अब परिवेश पोर्टल के नाम से जाना जाता है, से ऑन-लाईन जमा चालान सृजित करके सभी प्रतिपूरक करों को ऑन-लाईन जमा किया जाता है। जमा करने के उपरांत अगले दिन जमा की गई धनराशियों का ऑन-लाइन सत्यापन किया जाता है और तदर्थ काम्पा से उसे आगे सत्यापित कराने की अपेक्षा नहीं रहती है और इन प्रस्तावों को ऑफ-लाईन प्रस्तुत किया जाता है, राज्य काम्पा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है और एक सप्ताह के अंदर सत्यापन कर लिया जाता है। तथापि, ऑफ-लाइन जमा करने की प्रक्रिया को बढ़ावा नहीं दिया जाता है और

राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे तत्काल सत्यापन हेतु ऑन-लाईन चालान सृजित करके धनराशि को जमा करें।

(घ) और (ङ) मंत्रालय द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि बैंक को अभिज्ञात करने के लिए दिनांक 8 नवम्बर, 2017 को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:

(i) वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 40% वितान घनत्व वाली अवक्रमित वन भूमि।

(ii) पर्यावासों के बीच संपर्क सुविधा में सुधार लाने हेतु वन्यजीव कोरिडोरों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।

(iii) ऐसे क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करने हेतु, संरक्षित क्षेत्रों (पी.ए.), संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत पारिसंवेदनशील क्षेत्र, सीधे तौर पर राज्यों के वन विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले वन क्षेत्र।

(iv) जो क्षेत्र सीधे तौर पर राज्यों के वन विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं हैं, उन क्षेत्रों में स्थित वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं की दुर्लभ, संकटग्रस्त और संकटापन्न प्रजातियों का पर्यावास ताकि ऐसे पर्यावासों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

(v) महत्वपूर्ण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों, जलापूर्ति योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, जल-विद्युत परियोजनाओं आदि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।

मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के किसी भूमि बैंक के लिए कोई मंजूरी प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि इन दिशानिर्देशों को दृष्टि में रखकर राज्य सरकारों से भूमि बैंकों के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

स्वर्ण नीति

2860. श्री बी. विनोद कुमार:
श्री गौरव गोगोई:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्ण उद्योग द्वारा उठाई जा रही चिंताओं के आधार पर निकट भविष्य में आयात शुल्क मौजूदा 10% करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ख) स्वर्ण के आयात शुल्क हेतु निर्धारित की गई नवीन दर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने हेतु एक राष्ट्रीय स्वर्ण नीति/एकीकृत स्वर्ण नीति प्रारंभ करने और एक घरेलू स्वर्ण परिषद स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) वर्तमान में स्वर्ण पर आयात शुल्क को घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) वर्ष 2018-19 के बजट अभिभाषण में यह घोषणा की गई थी कि सरकार स्वर्ण को परिसंत्ति की श्रेणी में लाने के लिए एक एकीकृत स्वर्ण नीति तैयार करेगी। रत्नों और आभूषणों के क्षेत्र के लिए घरेलू स्वर्ण परिषद का गठन करने की ओर भी कदम उठाए जा रहे हैं।

एम.एस.एम.ई. को 59 मिनट में ऋण

2861. कुंवर भारतेन्दु सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई 59 मिनट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.); योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, स्वीकार किए गए आवेदनों और दिए गए ऋणों की बैंक-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या एम.एस.एम.ई. को प्रभावी ऋण सुनिश्चित करने हेतु कोई अन्य पहल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) *psbloansin59minutes.com* पोर्टल को आरंभ किए जाने से लेकर अभी तक इस पर ऋण हेतु प्राप्त 1,31,028 पूर्ण आवेदनों में से 1,12,043 आवेदनों को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। 40,669 मामलों के संबंध में स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। पोर्टल को आरंभ किए जाने से लेकर 25 दिसंबर, 2018 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त तथा स्वीकृत ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) की ऋण तक पहुंच सुलभ कराने के लिए कई कदम

उठाए हैं, इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 20% की वृद्धि करने की सलाह देना, सूक्ष्म उद्यम खातों के लिए एम.एस.ई. अग्रिमों का 60% आबंटित करना, सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10% की वार्षिक वृद्धि करना, मांग में अप्रत्याशित/मौसमी वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सीमा, एक कलस्टर को अपनाना, प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेषीकृत एम.एस.एम.ई. शाखा का परिचालन करना, एम.एस.ई. इकाइयों की उधार सीमा को 5 करोड़ रु. करने के लिए इसकी कार्यशील पूंजी को इसके अनुमानित वार्षिक टर्नओवर का न्यूनतम 20% बनाने हेतु संगणना को सरल बनाना, एम.एस.एम.ई. को विलंब से भुगतान मिलने की समस्या के लिए ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टी.आर.ई.डी.एस.) की स्थापना करना इत्यादि शामिल है।

विवरण

पोर्टल पर दिनांक 25.12.2018 तक बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण का ब्यौरा

क्र.सं.	बैंक का नाम	सैद्धांतिक अनुमोदन		स्वीकृतियां	
		खातों की संख्या	राशि (करोड़ रू. में)	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रू. में)
1	इलाहाबाद बैंक	4153	823.00	929	202.22
2	आंध्रा बैंक	1647	677.76	935	348.93
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1428	507.28	506	159.20
4	बैंक ऑफ बड़ौदा	11608	3579.27	8995	3774.76
5	बैंक ऑफ इंडिया	9182	2104.54	4364	1006.62
6	केनरा बैंक	7320	2170.81	1474	466.54
7	सेंट्रल बैंक	5392	1856.80	3741	1352.17
8	कॉर्पोरेशन बैंक	1603	627.65	1218	479.91
9	आईडीबीआई	1585	1014.49	506	241.18
10	इंडियन बैंक	2909	1196.18	1467	511.52
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	1689	444.32	740	204.02
12	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	4349	868.89	2691	453.94
13	पंजाब नैशनल बैंक	10299	3641.56	892	306.97
14	पंजाब एंड सिंध बैंक	2488	526.6	1942	385.96
15	भारतीय स्टेट बैंक	33009	11470.41	4416	1582.19
16	सिडबी	259	111.66	42	15.45
17	सिंडीकेट बैंक	785	186.59	266	32.92
18	यूको बैंक	1552	368.37	233	36.77
19	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8406	4497.82	4640	2338.67
20	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	251	63.67	139	38.42
21	विजया बैंक	2129	674.38	533	149.96
	कुल	112043	37412.05	40669	14088.32

स्रोत : ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लि.

डाक बचत योजनाओं हेतु जी.एस.टी. छूट

2862. श्री सी. गोपालकृष्णन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि डाक विभाग की विभिन्न बचत योजनाओं पर माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) संग्रहित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने छोटी डाक बचतों और किसान विकास पत्र इत्यादि पर जी.एस.टी. को माफ करने या छूट देने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) किसी व्यक्ति (व्यापारिक निकास से भिन्न) को बचत योजनाओं के माध्यम से डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जी.एस.टी. से छूट दी गयी है। इसके अलावा जीवन बीमा पॉलिसी के बचत वाले हिस्से पर भी जी.एस.टी. से छूट प्राप्त है। अत: सरकार को यह प्रश्न ध्यान में लाने की कोई जरूरत ही नहीं है कि डाक विभाग की विभिन्न बचत सेवाओं पर जी.एस.टी. वसूल की जा रही है।

(ख) जी हां।

(ग) किसी व्यक्ति (व्यापारिक निकास से भिन्न) को डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और एजेंसी सेवाओं को छोड़कर, जी.एस.टी. से छूट प्राप्त है। इसके अलावा डिपोजिट, ऋण या अग्रिम, जहां तक ब्याज या डिस्काउन्ट के रूप में प्रतिफल की बात है (क्रेडिट कार्ड सेवाओं में निहित ब्याज से भिन्न) को छूट दी गयी है। इस प्रकार किसान विकास पत्र समेत डाक विभाग की सभी छोटी बचत योजनाओं पर अर्जित ब्याज को भी जी.एस.टी. से छूट दी गयी है। इसके अलावा जीवन बीमा पॉलिसी के बचत वाले हिस्से पर भी कोई जी.एस.टी. नहीं लगायी जाती है।

आर्थिक अपराधियों हेतु नौ-सूत्री मसौदा

2863. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आयोजित जी.-20 सम्मेलन में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु एक नौ-सूत्री मसौदा प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रस्तुत किए गए मसौदों की कुल संख्या कितनी है और इससे सरकार को भगोड़ा अपराधियों को पकड़ने में किस हद तक सहायता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) जी, हां। भारत ने हाल ही में ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में 30 नवंबर, 2018 और 01 दिसम्बर, 2018 को आयोजित जी.-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु एक नौ-सूत्री मसौदा प्रस्तुत किया है। नौ-सूत्री मसौदा अनुबंध पर दिया गया है। भारत ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध जी.-20 के विभिन्न मंचों, जैसे कि वित्त एवं शेरपा ट्रैक्स, भ्रष्टाचार-रोधी कार्यदल तथा प्रवेश निषेध विशेषज्ञ नेटवर्क पर अपने नौ-सूत्री मसौदे को आगे बढ़ावा है। परिणामस्वरूप, जी.-20 ब्यूनस आयर्स शिखर सम्मेलन में अंगीकृत नेताओं की घोषणा में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि, *"हम, भ्रष्टाचार और अन्य आर्थिक अपराधों के बीच संबंध ढूंढ़ने और उनसे निपटने के ऐसे तरीकों की खोज करेंगे जिनमें ऐसे अपराधों के लिए वांछित व्यक्तियों एवं चुराई गई आस्तियों को लौटाने के लिए सहयोग भी शामिल है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं और घरेलू कानूनी तंत्र के अनुरूप होगा। हम अगले अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान उन मुद्दों पर हमें वापस सूचित करने के लिए संगत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुरोध करेंगे......"*

यह आर्थिक अपराधों और चुराई गई आस्तियों के लिए वांछित व्यक्तियों को लौटाने के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से निपटने के लिए जी.-20 सदस्यों द्वारा प्रदर्शित इच्छाशक्ति को प्रतिबिंबित करता है।

विवरण

आर्थिक अपराधियों हेतु नौ-सूत्री मसौदे को दर्शाने वाला विवरण

1. भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खतरे से व्यापक रूप से और कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए समस्त जी.-20 देशों के बीच सुदृढ़ और सक्रिय सहयोग।

2. कानूनी प्रक्रियाओं जैसे कि अपराध से हुई आय

पर प्रभावी रोक लगाने; अपराधियों को शीघ्र वापस भेजने और अपराध से हुई आय के प्रभावी प्रत्यावर्तन में वृद्धि तथा सुव्यवस्थित किए जाने में सहयोग।

3. सभी भगोड़े आर्थिक अपराधियों को प्रवेश व सुरक्षित आश्रय से वंचित करने के लिए तंत्र तैयार करने हेतु जी.-20 देशों द्वारा संयुक्त प्रयास।

4. "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" से विशेष रूप से संबंधित संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार रोधी अभिसमय (यू.एन.सी.ए.सी.), संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध रोधी अभिसमय (यू.एन.ओ.टी.सी.) के सिद्धान्तों का संपूर्ण .और प्रभावी कार्यान्वयन।

5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफ.ए.टी.एफ.) को प्राथमिकता समनुदेशित करने तथा ध्यान केंद्रित करने के लिए आमंत्रित किया जाए ताकि सक्षम प्राधिकरणों तथा एफ.आई.यू. के बीच सूचना का सामयिक और व्यापक आदान-प्रदान हो सके।

6. एफ.ए.टी.एफ. को भगोड़े आर्थिक अपराधियों की मानक परिभाषा रचित करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए।

7. एफ.ए.टी.एफ. को भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए पहचान, प्रत्यर्पण और कानूनी कार्यवाहियों से संबंधित पारस्परिक रूप से सहमत और मानकीकृत प्रक्रियाओं का एक सेट भी विकसित करना चाहए जो जी.-20 देशों के घरेलू कानूनों के अध्यधीन, उनके मार्गदशन व सहायतार्थ हो।

8. एक आम मंच स्थापित किया जाना चाहिए जहां प्रत्यर्पण के सफल मामलों, प्रत्यर्पण की मौजूदा प्रणालियों में खामियां और कानूनी सहायता आदि सहित अन्य अनुभवों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा किया जा सके।

9. जी.-20 मंच को ऐसे आर्थिक अपराधियों, जिनकी अपने देश में कर की देनदारी है, की वसूली के लिए उनकी संपत्तियों का पता लगाने का कार्य शुरू करने पर विचार करना चाहिए।

बाल दत्तक ग्रहण संबंधी विनियम

2864. श्री जनक राम:
श्री गणेश सिंह:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल दशक ग्रहण हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों का अनुसरण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और देश में बाल दत्तक ग्रहण एजेंसियों/संस्थाओं की कुल संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बाल दत्तक ग्रहण एजेंसियों/संगठनों की अवैध गतिविधियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विद्यमान दत्तक ग्रहण कानूनों/नियमों में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संशोधन कब तक किए जाएंगे;

(घ) क्या सरकार का कानून को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए स्थानीय स्तर पर एक एजेंसी अथवा नोडल अधिकारी नियुक्त करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने सभी बाल परिचर्या संस्थान का पंजीकरण सुनिश्चित करने और उन्हें केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से जोड़ने के लिए राज्यों को निर्देश दिया है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी हां। पंजीकृत विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एस.ए.ए.) तथा बाल देखरेख संस्थाओं (सी.सी.आई.) से सभी अनाथ परित्यक्त तथा अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन करती है। कारा के यहां पंजीकृत विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) जी हां। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (जे.जे. अधिनियम) की धारा 61 यह अधिदेश देती है कि दत्तक ग्रहण को न्यायालय के

आदेश द्वारा दाखिल किये जाने की तिथि से 2 माह की अवधि के अंदर अंतिम रूप दिया जा सकेगा। मंत्रालय ने जे.जे. अधिनियम 2015 की धारा 56(5), 58(3), 58(4), 59(8), 60(1), 61(1), 62(2), 63, 64 और 65(4) के तहत "न्यायालय" को "जिला मजिस्ट्रेट" से प्रतिस्थापित करने के लिए जे.जे. अधिनियम 2015 के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। इस समय प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (सा.रा.) और जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण यूनिटों (डी.सी.पी.यू.) तथा बाल कल्याण समितियों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 27, 28, 30, 67 और 106 तथा दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के विनियम 33, 34 और 35 के अनुसार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित कार्यों के साथ नोडल एजेंसी के रूप में काम आया है।

(ङ) बाल परिचर्या संस्थान अभी तक केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधीकरण (का.रा.) के यहां पंजीकृत/संबद्ध नहीं है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 ने यह अनिवार्य किया है कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सभी बाल देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण किया जाए। इसके अलावा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 66(2) और दत्तक ग्रहण विनियम 2017 का विनियम 58 सभी बाल देखरेख संस्थाओं के अनिवार्य पंजीकरण तथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी से उनकी संबद्धता का प्रावधान करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 05 मई, 2017 के माध्यम से रिट याचिका (सिविल) संख्या 2007 का 102 में अपने निर्णय में भी इसका आदेश दिया है। माननीय मंत्री द्वारा 29 सितंबर, 2017 को सभी मुख्य मंत्रियों को इस आशय का पत्र (प्रति संलग्न विवरण-III के रूप में संलग्न है) भी लिखा गया है। इसके अलावा 24 अक्तूबर, 2017 का आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए हैं (चर्चा का रिकॉर्ड सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र सं. का.रा.-टी.सी.12/2/2017-प्रशिक्षण दिनांक 25.01.2018 के माध्यम से परिचालित किया गया है जो संलग्न विवरण-IV के रूप में संलग्न है)। हाल ही में नवम्बर, 2018 को कारा के सी.ई.ओ. द्वारा सभी प्रधान सचिवों को एक और पत्र लिखा गया है (प्रति संलग्न विवरण-V में दी गई है।) बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना तथा मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंगस) पर एस.ए.ए.-सी.सी.आई. लिंकेज का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-VI में दिया गया है।

विवरण-I

विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएसए) की राज्य-वार संख्या इस प्रकार है

क्र.सं.	राज्य	केयरिंग्स पर पंजीकृत एसएए की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	2
3.	असम	23
4.	बिहार	28
5.	चंडीगढ़	1
6.	छत्तीसगढ़	13
7.	दादरा और नागर हवेली	1
8.	दिल्ली	11
9.	गोवा	2
10.	गुजरात	16
11.	हरियाणा	8
12.	हिमाचल प्रदेश	1
13.	झारखंड	15
14.	कर्नाटक	28
15.	केरल	17
16.	मध्य प्रदेश	31
17.	महाराष्ट्र	63
18.	मणिपुर	9
19.	मेघालय	6
20.	मिजोरम	7
21.	नागालैंड	4
22.	ओडिशा	28

1	2	3
23.	पुदुचेरी	4
24.	पंजाब	9
25.	राजस्थान	35
26.	सिक्किम	4
27.	तमिलनाडु	20
28.	तेलंगाना	11
29.	त्रिपुरा	9
30.	उत्तर प्रदेश	18
31.	उत्तरांचल	8
32.	पश्चिम बंगाल	24
	योग	470

विवरण-II

सूचित गैर-कानूनी दत्तक ग्रहण का ब्यौरा

[किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अधिनियमन के बाद अर्थात 15 जनवरी, 2016 से]

क्रम सं.	एजेंसी/पी.ए.पी./अन्य का नाम	अभ्युक्तियां
1.	कर्नाटक सरकार	मैसूर जिला, कर्नाटक में नसीमा नर्सिंग होम से बच्चों की बिक्री तथा कथित बाल अवैध व्यापार के मामले। राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है।
2.	जोका मिलेनियम ओल्ड ऐज होम, 24, उत्तर परगना, पश्चिम बंगाल	गैर कानूनी दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने में एजेंसी की संलिप्तता पाए जाने के बाद एजेंसी बंद कर दी गई है।
3.	नार्थ बंगाल पिपुल्स डेवेलप्मेंट सेंटर, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	गैर कानूनी दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने में एजेंसी की संलिप्तता पाए जाने के बाद पश्चिम बगाल सरकार द्वारा एजेंसी बंद कर दी गई है।
4.	मारवाड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट, जलगांव, महाराष्ट्र	गैर कानूनी दत्तक ग्रहण की सूचना प्राप्त हुई थी। कारा के निर्देशों पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा एजेंसी बंद कर दी गई है।
5.	पलिश्री महिला समिति, केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	कारा और सारा द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच के आधार पर कारा ने एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़ीसा सरकार के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है।
6.	महिला जन शिशु कल्याण केंद्र, बोकारो, झारखण्ड	संस्था द्वारा गैर कानूनी दत्तक ग्रहण की वजह से झारखंड सरकार ने एजेंसी को बंद कर दिया है।
7.	उड़ान (किलकारी), भोपाल मध्य प्रदेश	एजेंसी के विरुद्ध जांच की गई तथा जांच रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेश जारी किया है जिसमें एजेंसी को तत्काल बंद करने की सिफारिश की गई है (प्रति संलग्न)।

विवरण-III

प्रिय मुख्य मंत्री,

मैं यह पत्र राज्य सरकारों द्वारा दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरोकारों के संबंध में लिख रही हूं। दत्तक ग्रहण में रखे जाने के लिए काफी संख्या के बावजूद नगण्य संख्या में दत्तक ग्रहण हो रहे हैं। परिणामत: काफी संख्या में बच्चे बाल देखरेख गृहों में कष्ट झेल रहे हैं जबकि उनको गोद लेने वाले किसी परिवार की देखरेख में होना चाहिए।

2. मैंने ऐसे क्षेत्रो के एक सेट का संकलन किया है

जहां राज्यों में प्रणालियां स्थापित नहीं हैं, जो इस प्रकार हैं:

(क) सारा के शासी निकाय का गठन: देखा गया है कि बार-बार अनुरोधों एवं अनुस्मारकों (सभी राज्य सरकारों एवं सघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंधित विभाग के प्रधान सचिव का जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन संख्या का.रा./इण्ड./पालसी/2017/3 दिनांक 18.07.2017 देखें) के बावजूद दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के विनियम 33 के अनुसार सारा का गठन नहीं किया गया है। स्थिति अनुलग्नक-I में देखी जा सकती है।

(ख) सी.डब्ल्यू.सी. का गठन एवं जिम्मेदारियां: दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी दृष्टि से मुक्त बच्चा घोषित करने में सी.डब्ल्यू.सी. महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा अनेक जिलों में या तो सी.डब्ल्यू.सी. का गठन नहीं किया गया है या फिर न्यूनतम 3 सदस्यों का कोरम पूरा नहीं है। इसके अलावा उनको अधिनियम एवं विनियमों का यथा परिभाषित जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। अनुरोध है कि सी.डब्ल्यू.सी. के कामकाज को प्रभावी बनाया जाए और उसकी निगरानी की जाए (महिला एव बाल विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन संख्या का.रा./एस.सी.1011/5/2017 दिनांक 19.05.2017 देखें)। स्थिति अनुबंध-I में देखी जा सकती है।

(ग) दत्तक ग्रहण में डी.एम./डी.सी. की भूमिका: धरातल पर कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन जिला स्तरीय एजेंसियों जैसे कि डी.सी.पी.यू., सी.डब्ल्यू.सी. और विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों पर निर्भर है। दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के कार्यान्वयन, विनियमन एवं निगरानी में जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सभी डी.एम./डी.सी. तथा सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी किया गया कार्यालय ज्ञापन संख्या का.रा.-एस.सी.1011/5/2017 दिनांक 19.05.2017 देखें)। अनुरोध है कि आप अपने कार्यालय से इसके अनुपालन के लिए आवश्यक अनदेश जारी करें।

(घ) एस.ए.ए.-सी.सी.आई. लिंकेज: प्रत्येक जिले में काफी संख्या में सी.सी.आई. हैं, फिर भी उनमें से बहुत कम सी.सी.आई. बार-बार अनुरोधों एवं अनुस्मारकों के बावजूद निकटतम दत्तक ग्रहण एजेंसी से संबद्ध हैं। जब तक सभी सी.सी.आई. का पंजीकरण होगा और वे दत्तक ग्रहण एजेंसी से संबद्ध होंगी तब तक उनमें रहने वाले हजारों बच्चे परिवारों के साथ सौंपे जाने से वंचित हो जाएंगे। अनुरोध है कि सांविधिक बाध्यता को शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए (अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 34-7/2017/आर.ए.एम./का.रा. दिनांक 06.01.2017 देखें)। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी रिट याचिका संख्या 102/2007 दिनांक 05 मई, 2017 के माध्यम से इस पर निर्णय दिया है। स्थिति अनुलग्नक-I में देखी जा सकती है।

(ङ) पालना रखना: हमने सभी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि बाल देखरेख संस्थाओं के बाहर तथा नर्सिंग होम में पालना रखा जाए ताकि लोग बच्चों को सुरक्षित ढंग से छोड़ सकें। कुछ प्रगति हुई है जिससे बच्चों का बहुमूल्य जीवन बचाया गया है। राज्य सरकारों से मेरा यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को अधिक बड़े पैमाने पर लागू किया जाए/ स्थिति अनुलग्नक-I के रूप में देखी जा सकती है।

(च) न्यायालयों में दत्तक ग्रहण के लंबित मामले: राज्यों में अनेक परिवार/जिला न्यायालयों में 2 माह की निर्धारित अवधि के बाद भी भारी संख्या में मामले लंबित हैं। मेरा यह अनुरोध है कि राज्य सरकारों द्वारा मासिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाए और इनके समय से निस्तारण के लिए जे.जे. समिति तथा उच्च न्यायालय की सहायता ली जाए। मामलावार ब्यौरे अनुलग्नक-II में उपलब्ध हैं।

3. मैं आभारी रहूंगी यदि उपर्युक्त मुद्दों पर तत्काल विचार किया जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर उपर्युक्त बिंदुओं की समीक्षा के लिए बैठक बुलाएं। मेरा यह मानना है कि इससे अपेक्षित प्रणाली स्थापित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू होगी।

सादर

भवदीय

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

श्री योगी आदित्यनाथ जी
माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-226001
संलग्नक: यथोपरि

अनुबंध

दत्तक ग्रहण संबंधी कार्रवाइयों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (सारा युक्त जिलों की संख्या के सहित)	सारा		एफएचसीज/अस्पतालों/एसएए आदि पर धारित क्रेडिल पॉइंट की संख्या	राज्य में जिलों की संख्या
		दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के विनियम 33 के अनुसार सारा के अधीशासी निकाय की संरचना	विद्यमान कार्यक्रम स्टाफ		
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	नहीं	0(3*)	सूचना प्रतीक्षित	3
2.	आन्ध्र प्रदेश	नहीं	2(3*)	सूचना प्रतीक्षित	13
3.	अरुणाचल प्रदेश	नहीं	0(4*)	लागू नहीं	16
4.	असम	हां	3(4*)	शून्य	32
5.	बिहार	नहीं	3(4*)	0	38
6.	चंडीगढ़ (यूटी)	नहीं	3(3*)	1	1
7.	छत्तीसगढ़	नहीं	3(4*)	सूचना प्रतीक्षित	27
8.	दादरा और नगर हवेली (यूटी)	नहीं	3(3*)	सूचना प्रतीक्षित	1
9.	दमन और द्वीप (यूटी)	नहीं	2(3*)	सूचना प्रतीक्षित	2
10.	दिल्ली	नहीं	3(3*)	1	11
11.	गोवा	नहीं	3(3*)	सूचना प्रतीक्षित	3
12.	गुजरात	नहीं	3(4*)	16	33
13.	हरियाणा	नहीं	3(4*)	83	21
14.	हिमाचल प्रदेश	नहीं	3(3*)	सूचना प्रतीक्षित	12
15.	जम्मू और कश्मीर	नहीं	0(3*)	सूचना प्रतीक्षित	15
16.	झारखंड	हां	1(4*)	सूचना प्रतीक्षित	24
17.	कर्नाटक	नहीं	3(4*)	28	30
18.	केरल	नहीं	3(3*)	सूचना प्रतीक्षित	14
19.	लक्षद्वीप (यूटी)	नहीं	0(3*)	सूचना प्रतीक्षित	1
20.	मध्य प्रदेश	नहीं	1(4*)	सूचना प्रतीक्षित	51
21.	महाराष्ट्र	नहीं	4(4*)	लागू नहीं	36
22.	मणिपुर	हां	3(3*)	14	9
23.	मेघालय	नहीं	3(3*)	71	12
24.	मिजोरम	हां	3(3*)	शून्य	8

1	2	3	4	5	6
25.	नागालैंड	हां	4(4*)	शून्य	11
26.	ओडिशा	नहीं	4(3*)	35	30
27.	पुदुचेरी (यूटी)	नहीं	2(3*)	लागू नहीं	4
28.	पंजाब	हां	2(4*)	4	22
29.	राजस्थान	नहीं	0(4*)	सूचना प्रतीक्षित	33
30.	सिक्किम	नहीं	1(3*)	1	4
31.	तमिलनाडु	हां	3(4*)	लागू नहीं	32
32.	तेलंगाना	नहीं	1(3*)		10
33.	त्रिपुरा	नहीं	3(3*)	शून्य	8
34.	उत्तर प्रदेश	नहीं	3(4*)	शून्य	75
35.	उत्तराखंड	नहीं	2(3*)	सूचना प्रतीक्षित	13
36.	पश्चिम बंगाल	नहीं	4(4*)	11	20
	कुल				674

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीसीपीयूज की संख्या (केयरिंग सूचना)	स्थापित सीडब्ल्यूसी	केयरिंगस की संख्या	एसएए से जुड़े हुए सीसीआई	एसएए
1	2	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	0	3	0	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	13	13	14	18	49
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	21	2	0	0
4.	असम	27	27	52	27	205
5.	बिहार	38	23	3	11	
6.	चंडीगढ़ (यूटी)	1	1	1	0	0
7.	छत्तीसगढ़	27	27	11	16	94
8.	दादरा और नगर हवेली (यूटी)	0	1	0	0	0
9.	दमन और दीव (यूटी)	0	2	0	0	0

1	2	7	8	9	10	11
10.	दिल्ली	11	10	12	39	449
11.	गोवा	0	2	2	0	0
12.	गुजरात	31	33	18	1	1
13.	हरियाणा	21	21	3	4	14
14.	हिमाचल प्रदेश	12	12	1	4	6
15.	जम्मू और कश्मीर	0	22	0	0	0
16.	झारखंड	24	24	3	0	0
17.	कर्नाटक	30	33	29	33	104
18.	केरल	14	14	18	3	15
19.	लक्षद्वीप (यूटी)	0	1	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	43	51	37	13	92
21.	महाराष्ट्र	36	39	63	12	71
22.	मणिपुर	9	9	9	1	2
23.	मेघालय	11	11	6	1	2
24.	मिजोरम	8	8	7	4	10
25.	नागालैंड	11	11	4	2	2
26.	ओडिशा	30	31	33	53	388
27.	पुदुचेरी (यूटी)	2	3	4	3	12
28.	पंजाब	22	22	9	6	17
29.	राजस्थान	33	33	36	1	2
30.	सिक्किम	4	3	4	0	0
31.	तमिलनाडु	32	32	16	1	5
32.	तेलंगाना	10	31	11	3	8
33.	त्रिपुरा	8	8	9	2	14
34.	उत्तर प्रदेश	67	75	28	2	11
35.	उत्तराखंड	13	13	8	1	5
36.	पश्चिम बंगाल	19	22	23	17	56
	कुल	607	707	461	270	1655

* आईसीपीएस मानकों के अनुसार कार्यक्रम सहायक स्टाफ

विवरण-IV

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सांविधिक निकाय)

सं. का.रा.-टी.सी.12/2/2017-ट्रेनिंग 25 जनवरी, 2018

विषय: 24 अक्तूबर, 2017 को इंडिया हैबिटेड सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय/महोदया,

यह राज्यों में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने और अद्यतन जानकारी हासिल करने के लिए 24 अक्तूबर, 2017 को इंडिया हैबिटेड सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित राज्यों/संघ राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे दत्तक ग्रहण कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों और कार्यक्रमों पर चर्चा तथा एस.ए.आर.ए., डी.सी.पी.यू. तथा सी.डब्ल्यू.सी. की भूमिका पर बल दिया गया।

समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त एतत्द्वारा सूचनार्थ संलग्न हैं।

अनुरोध है कि बैठक में चर्चा किए गए कार्रवाई योग्य बिंदुओं तथा माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती मेनका संजय गांधी द्वारा दिए गए निर्देशों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट का.रा. को भिजवाएं।

कृपया की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट 31 जनवरी, 2018 तक *archna.cara@gmail.com* अथवा *deepaksharma.cara@gmail.com* पर भिजवाएं।

भवदीय,

(डॉ. के.सी. जार्ज)

संयुक्त निदेशक (का.रा.)

सेवा में,

(i) संबंधित विभाग के प्रधान सचिव (एस.ए.आर.ए. के अध्यक्ष)

(ii) संबंधित विभाग के निदेशक (एस.ए.आर.ए. के सदस्य सचिव)

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर 24.10.2017 को आई.एच.सी., नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

1. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर 24.10.2017 को आई.एच.सी., नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित शामिल हुए:

i. श्रीमती मेनका संजय गांधी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

ii. डॉ. वीरेन्द्र कुमार, माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

iii. श्री राकेश श्रीवास्तव, सचिव (महिला एवं बाल विकास)

iv. श्री अजय तिरकी, अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

v. सुश्री आस्था सक्सेना खटवानी, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

vi. सुश्री मीरा रंजन शेरिंग, संयुक्त सचिव (वित्त), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

vii. न्यायमूर्ति (सेवा निवृत्त) के. हेमा, केरल उच्च न्यायालय

viii. श्री दीपक कुमार, सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कारा

2. बैठक में चर्चा किए गए कार्यवाई योग्य मुद्दे और माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के निर्देश इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	कार्रवाई योग्य मुद्दे तथा माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के निर्देश
1	2
(क)	प्रत्येक राज्य में एक माह के भीतर शासी निकाय बनाया जाए, अन्यथा संबंधित सा.रा. के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
(ख)	सा.रा. के स्तर पर हर महीने समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी चाहिए, जिनका कार्यवृत्त का.रा. के साथ साझा किया जाए।
(ग)	राज्य में जहां कहीं भी जे.जे. अधिनियम, 2015 के अनुसार विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों और बाल कल्याण समितियों का गठन नहीं किया गया है, वहां प्रत्येक जिले में इनका गठन किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी बाल देखरेख संस्थाएं 01 दिसम्बर, 2017 तक पंजीकृत हो जाएं।

1	2
(घ)	सभी राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों में एक्सैल शीटें होनी चाहिए, जहां सभी बच्चों के आंकड़े और लंबित चल रहे दत्तक ग्रहण मामलों और उनकी मौजूदा स्थिति का उल्लेख हो, ताकि मामलों को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाने में सा.रा. द्वारा आवश्यक हस्तक्षेप किया जा सके।
(ङ)	बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे सभी बच्चों को केयरिंग्स से जोड़ा जाए। इसके लिए केयरिंग्स में ब्यौरे की समय पर प्रविष्टि/अद्यतनीकरण के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं ली जाएं।
(च)	राज्य सरकारी/संघ राज्य क्षेत्रों तथा सा.रा. को यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशें के अनुपालनार्थ सभी अपंजीकृत अभिकरणों को 01 दिसम्बर, 2017 तक सिस्टम में पंजीकृत किया जाता है, अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक जिले का दौरा करना चाहिए। अपंजीकृत अभिकरणों को 31 दिसम्बर, 2017 तक बंद कर दिया गया है।
(छ)	एस.ए.बार.ए. को सुनिश्चित करना चाहिए कि हर एस.ए.ए. ठीक प्रकार से कार्य कर रहा हो और बच्चों का एम.ई.आर. करने के लिए अच्छे डॉक्टर और दत्तक-ग्रहण याचिकाएं दाखिल करने के लिए सुविज्ञ वकील पैनल में रखा गया हो। एस.ए.ए. द्वारा पैनल में रखे सभी वकीलों का ब्यौरा एस.ए,आर.ए. की जानकारी में होना चाहिए।
(ज)	सभी एस.ए.आर.ए. द्वारा वकीलों की योग्यता और अनुभव के साथ जिला और एस.ए.ए. वार विधिवत सत्यापित सूची 15 दिसम्बर, 2017 तक का.रा. को अग्रषित करनी चाहिए। उत्तम कार्य-निष्पादन का रिकार्ड रखने वाले वकीलों को सम्मानित और परस्कृत किया जाना चाहिए। अच्छा कार्य न करने वाले वकीलों को बदला जाना चाहिए।
(झ)	अंतर-देश दत्तक-ग्रहण में दत्तक-ग्रहण आदेश पारित करने में दो से अधिक सुनवाई नहीं होनी चाहिए। दो सुनवाई के बाद भी निपटान न होने वाले और दो माह से अधिक पेंडिंग केसों को रजिस्टार और एस.ए.आर.ए. द्वारा हस्तक्षेप हेतु उच्च न्यायालय की जे.जे. समिति के पास भेजा जाना चाहिए और का.रा. को उसकी प्रति भेजी जाए।

1	2
	सभी एस.ए.आर.ए. को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई थी कि अधिकतम बच्चे प्रणाली में लाये जाते हों और बिना परिवार वाले सभी बच्चों को 31 दिसम्बर, 2017 से पहले दत्तक-ग्रहण हेतु कानूनी रूप से मुक्त घोषित किया जाना चाहिए। जनवरी, 2018 माह के दौरान आयोजित होने वाली अगली तिमाही बैठक में उसकी समीक्षा की जाएगी।
(ट)	का.रा. एस.ए.आर.ए. के साथ समीक्षा बैठक तिमाही आधार पर आयोजित की जाएगी।
(ठ)	25 बच्चों, जो जयपुर में सरकार द्वारा संचालित एस.ए.ए. पाये गये हैं, की माताएं मानसिक रूप से कमजोर हैं, और इन बच्चों को एक सप्ताह के भीतर प्रणाली में लाना चाहिए। दत्तक-ग्रहण हेतु कानूनी रूप से उनको घोषित करने के लिए उचित प्रक्रिया तत्काल पूरी की जानी चाहिए।
(ढ)	उन एस.ए.ए. को प्रोत्साहित किया जाना जो पी.ए.पी. की संतुष्टि, कारोबार के केस, केसों की त्वरित और समय पर प्रक्रिया करने, बाल कल्याण और परिवार के साथ फिर से जोड़ने के लिए किये गये प्रयास के अनुरूप बेहतर कार्य करते हैं।
(ड)	यह निदेश दिया गया था कि ऐसे एस.ए.ए./सी.सी.आई., जो पंजीकृत नहीं हैं और अवैध कार्यकलाप कर रहे हैं, को तत्काल बंद कराया जाना चाहिए। साथ ही, जोस मावेली द्वारा संचालित सी.सी.आई,, जिसके विरुद्ध कोर्ट ने निदेश जारी किए हैं और रिटायर्ड जस्टिस हेमा द्वारा पुष्टि की गई है, को तत्काल बंद किया जाना चाहिए।
(प)	एच.एस.आर. का नया स्वरूप तैयार किया जा रहा है जो सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पी.ए.पी. के मूल्यांकन करने में अधिक उद्देश्य परक होगा। माता-पिता आदि की मन:स्थिति को जानने के बारे में भी पड़ोसी के विचार लिये जाने चाहिए।
(फ)	यह निर्णय किया था कि खराब मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट, जिसमें विनिर्धारित मेडिकल परीक्षणों के माध्यम से ठीक स्वास्थ्य स्थिति दर्ज नहीं की गई है, स्वीकार्य नहीं होगी। सभी परीक्षण किये जाने चाहिए और एम.ईआर. के फार्मेट के अनुसार एम.ई.आर. सभी को परिचालित की जानी चाहिए।

1	2
(ब)	हर राज्य में जिला प्रशासन के परामर्श से नर्सिंग होम, अस्पतालों, मंदिरों, मस्जिदों में 300-400 पालना रखे जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में कम से कम 500 पालना होने चाहिए। पालना का कपड़ा नरम और धुलने योग्य होना चाहिए और वह पालने से जुड़ा होना चाहिए ताकि इसे हटाया नहीं जा सके। इसकी पिक्चर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को साझा की जानी चाहिए।
(भ)	सी.डब्ल्यू.सी. सदस्यों की नियुक्ति जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा और तत्संबंधी मॉडल जे.जे. नियमावली के नियम 15-16 के अनुसार ही की जानी 'चाहिए।
(म)	यह निर्णय किया कि एन.आई.सी. की टीम छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के एस.ए.आर.ए. को नवम्बर, 2017 माह के दौरान भेजें ताकि बालकों के ब्यौरे की समस्याओं और उनके पोर्टल पर अन्य रिपोर्टें एस.ए.आर.ए. को नजर न आने की समस्या का समाधान किया जा सके। पैडिंग, कोर्ट आदेशों की संख्या, एस.ए.ए.-सी.सी.आई. लिंकेज, सी.सी.आई. की रिलिंकिंग आदि जैसे ब्यौरे संबंधित एस.ए.आर.ए. पर नजर आने चाहिए। एस.ए.आर.ए. छत्तीसगढ़ को अन्य एस.ए.आर.ए. से सभी अपेक्षाओं का संकलन करने, केयरिंग्स में उसको क्रियान्वित/एन.आई.सी. द्वारा सुधार लाने के लिए तालमेल करना चाहिए/
(त)	पूर्वोत्तर राज्यों के एस.ए.जार.ए.को सलाह दी गई थी कि उनके राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रस्ताव भेजें।
(थ)	केरल एस.ए.आर.ए. फोस्टर देख-रेख के उन 29 मामलों का ब्यौरा केरल को भेजे जिसमें पी.ए.पी. दत्तक-ग्रहण किये जाने के लिए बालकों को अनुमति देने के लिए अनुरोध कर रहा है क्योंकि बच्चों को फोस्टर माता-पिता के साथ रहते हुए 05 वर्ष से अधिक हो गये हैं।
(द)	का.रा. का परामर्शदाओं द्वारा प्रत्येक राज्य में संपर्क होना चाहिए, ताकि राज्यों में क्या हो रहा है इस बारे में स्थिति की अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके। प्रत्येक सा.रा. को मामले के ब्यौरे के बारे में जानकारी होनी चाहिए और का.रा. द्वारा सौंपे किए क्षेत्रीय परामर्शदाता के संपर्क में रहना चाहिए।

7. अध्यक्ष को धन्यवाद के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

विवरण-V

कारा
केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
भारत सरकार

दीपक कुमार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्याः 57-10/2018-का.रा. दिनांक : 20.11.2018

सेवा मे,

श्री जे.एन. कनसोतिया,
प्रधान सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल
दूरभाषः 0755-2554907
ई-मेलः pswcd@gmail.com

विषयः विशेषीकृत दत्तकग्रहण एजेंसियों के साथ बाल देखरेख संस्थानों के लिंक।

महोदय,

जैसा कि आपको मालूम है, केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (का.रा.), किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-68 के अंतर्गत स्थापित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कार्यरत एक सांविधिक निकाय है। यह भारतीय बच्चों के दत्तकग्रहण के लिए एक नोडल बॉडी के रूप में कार्य करता है और घरेलू तथा विदेशी दत्तकग्रहणों को मॉनिटर तथा विनियामित करता है।

2. विगत तीन वर्षों के दौरान, बताए गए दत्तकग्रहण 3000-4000 के मध्य रहे, जबकि विशेषीकृत दत्तकग्रहण एजेंसियों (एस.ए.ए.) तथा बाल देखरेख संस्थानों (सी.सी.आई.) में दत्तकग्रहण के लिए और अधिक बच्चे उपलब्ध हैं। यह आवश्यक समझा गया है कि दत्तकग्रहण बच्चों के पूल को बढ़ावा जाए और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और उसे शीघ्र किया जाए। अतः विभिन्न बाल देखरेख संस्थानों में गोद लेने योग्य बच्चों की पहचान करने और प्राधिकृत प्रक्रिया से बाहर हो रहे गैर-कानूनी/अनौपचारिक दत्तकग्रहण को रोकने की जरूरत है।

3. उपरोक्त का पता लगाने के लिए यह जरूरी है कि अभिभावक बिना देखरेख वाले प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने के लिए स्थानीय स्तर पर एस.ए.ए.-सी.सी.आई. के लिंकेज को स्थापित किया जाए एवं उसे मॉनिटर किया जाए। पूरी प्रक्रिया में जिला बाल संरक्षण यूनिट (डी.सी.पी.यू.) की भूमिका महत्वपूर्ण है।

4. यह प्रशंसनीय होगा यदि निम्नलिखित अनुदेशों को सभी डी.सी.पी.यू. को जारी कर दिया जाए और समयबद्ध ढंग से इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:

(क) किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-41 के अनुसार जे.जे. एक्ट, 2015 के तहत राज्य सरकार अथवा स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे सभी बाल देखरेख संस्थानों का पंजीकरण।

(ख) किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-66 के अंतर्गत यथा - अधिदेशित दत्तकग्रहण प्रणाली पर कार्रवाई करने के लिए सभी बाल देखरेख संस्थानों को निकटतम एस.ए.ए. से लिंक कर दिया जाए।

(ग) जिले में सभी पंजीकृत/अपंजीकृत बाल देखरेख संस्थानों में तथा ऐसे बच्चों को आश्रय देने वाले आश्रय गृहों के गोद लेने योग्य सभी बच्चों (अनाथ, परित्यक्त और बेसहारा छोड़ दिए गए बच्चों) की पहचान की जाए।

(घ) दत्तकग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 29 के तहत यथा अधिदेशित केयरिंग्स में एस.ए.ए. के साथ जुड़े हुए बाल देखरेख संस्थानों के सभी बच्चों की प्रोफाइल अपलोड करने के लिए एस.ए.ए. को निर्देश दिए जाएं।

(ङ) गोद लेने योग्य ऐसे सभी बच्चों को सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष पेश किया जाए और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-38 के अनुसार नियत प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित कराया जाए।

5. आप कृपया सभी डी.सी.पी.यू. के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम की व्यवस्था करें ताकि का.रा. भागीदारी को आवश्यक व्यवहारिक प्रशिक्षण दे सकें तथा सा.रा. का स्टाफ इस मामले में और अधिक जानकारी के लिए सीधे का.रा. से संपर्क करें। इस बारे में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का.रा. को 15 दिसंबर, 2018 तक भिजवा दी जाए।

सादर,

आपका ह/-
(दीपक कुमार)
सदस्य सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (का.रा.)

विवरण-VI

विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएसए) बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई)

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र (जिला और एसएसए की संख्या सहित)	कुल पंजीकृत सीसीआई	जुड़े हुए कुल सीसीआई
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश (13 जिला एवं 14 एसएसए)	797	743
2.	असम (32 जिला एवं 22 एसएसए)	114	103
3.	अरुणाचल प्रदेश (16 जिला एवं 2 एसएसए)	10	9
4.	बिहार (38 जिला एवं 23 एसएसए)	59	57
5.	चंडीगढ़ (01 जिला एवं 01 एसएसए)	5	4
6.	छत्तीसगढ़ (27 जिला एवं 10 एसएसए)	65	60
7.	दिल्ली (11 जिला एवं 11 एसएसए)	80	79

1	2	3	4
8.	गोवा	13	13
9.	गुजरात (33 जिला एवं 19 एसएसए)	91	86
10.	हरियाणा (22 जिला एवं 03 एसएसए)	78	70
11.	हिमाचल प्रदेश (12 जिला एवं 01 एसएसए)	38	36
12.	झारखंड (24 जिला एवं 08 एसएसए)	84	79
13.	कर्नाटक (30 जिला एवं 29 एसएसएं)	783	711
14.	केरल (14 जिला एवं 17 एसएसए)	398	327
15.	मध्य प्रदेश (51 जिला एवं 38 एसएसए)	65	61
16.	महाराष्ट्र (36 जिला एवं 60 एसएसए)	388	352
17.	मणिपुर (09 जिला एवं 09 एसएसए)	43	40
18.	मेघालय (12 जिला एवं 03 एसएसए)	80	77
19.	मिजोरम (08 जिला एवं 07 एसएसए)	38	37
20.	नागालैंड (11 जिला एवं 04 एसएसए)	54	51
21.	ओडिशा (30 जिला एवं 18 एसएसए)	292	276
22.	पुदुचेरी संघ राज्य (04 जिला एवं 04 एसएसए)	44	06
23.	पंजाब (22 जिला एवं 08 एसएसए)	58	52
24.	राजस्थान (33 जिला एवं 37 एसएसए)	05	05
25.	तमिलनाडु (32 जिला एवं 16 एसएसए)	1336	250
26.	तेलंगाना (10 जिला एवं 11 एसएसए)	328	223
27.	त्रिपुरा (08 जिला एवं 09 एसएसए)	16	16
28.	उत्तर प्रदेश (75 जिला एवं 29 एसएसए)	27	18
29.	उत्तराखंड (13 जिला एवं 07 एसएसए)	08	08
30.	सिक्किम (04 जिला एवं 04 एसएसए)	15	11

जल जनित रोग

2865. डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जल जनित रोगों के कारण दर्ज की गई मौतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में जल जनित रोगों को रोकने हेतु कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में जीवाणुविदों की कमी है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के पर्वतीय, सुदूर, दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में चलती-फिरती प्रयोगशाला उपलब्ध कराने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती

अनुप्रिया पटेल): (क) केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (सी.बी.एच.आई.) द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में वर्तमान वर्ष के दौरान जलजनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार विवरण ब्यौरा संलग्न में दिया गया है।

(ख) दूषित पेयजल के सेवन से हैजा, गंभीर अतिसार रोग, तीव्र बुखार (टाइफाइड) और वायरन हेपेटाइटिस (ए. एंड ई.) आदि जैसी बीमारियां होती हैं।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ताकि वे दूषित पेयजल के उपयोग से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं सहित स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.) के तहत, इस तरह के रोगों के फैलने को रोकने के लिए, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अतिरिक्त श्रमशक्ति, प्रकोप की जांच के लिए पहचान की गई रैपिड रिस्पांस टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण, महामारी संभावित रोगों का पता लगाने के लिए प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाने, आई.टी. उपकरण के लिए आई.टी. उपकरण डेटा प्रविष्टि, विश्लेषण और डेटा स्थानांतरण, और परिचालन के लिए धनराशि का प्रावधान किया जाता है।

(ग) सभी जीवाणुविज्ञानी माइक्रोबायोलॉजी के बड़े छत्र के अंतर्गत आते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अनुसार, 3214 आजीवन सदस्य हैं, जिन्हें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट माना जा सकता है। तथापि, देश में कार्यरत बैक्टीरियोलॉजिस्ट की राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार संख्या का केंद्रीय स्तर पर रखरखाव नहीं किया जाता है।

अधिकांश शिक्षण अस्पतालों में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की सिफारिशों के आधार पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाती है जिसमें मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर स्टाफिंग पैटर्न तय किया जाता है।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आई.डी.एस.पी. के तहत, जिला अस्पतालों की प्रयोगशालाओं को महामारी संबंधी बीमारियों के निदान के लिए अतिरिक्त, धनराशि, अंतर विश्लेषण के बाद उपकरण, जनशक्ति और रीएजेंट और किटें प्रदान करके मजबूत बनाया जाता है।

अभी तक, भारत सरकार द्वारा 292 प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 186 प्रयोगशालाओं में आई.डी.एस.पी. मानदंडों के अनुसार परीक्षण किया जा रहा है। ये प्रयोगशालाएं पहाड़ी, दूरस्थ, दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों सहित पूरे देश में स्थित हैं।

विवरण

वर्ष 2018 के दौरान सूचित किए गए जल जनित रोगों के कारण राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार मौतें (अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य\यू.टी.	हैजा	तीव्र अतिसार रोग	तीव्र बुखार (टायफायड)	वायरल हेपाटाईटिस (ए एवं ई)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	67	6	127
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	0
3.	असम	0	395	83	0
4.	बिहार	0	7	1	1
5.	छत्तीसगढ़	0	16	1	4
6.	गोवा	0	0	0	1
7.	गुजरात	0	0	1	0

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	2	45	7	13
9.	हिमाचल प्रदेश	0	11	5	4
10.	जम्मू और कश्मीर	0	2	0	
11.	झारखंड	0	8	0	0
12.	कर्नाटक	0	4	0	4
13.	केरल	0	3	0	7
14.	मध्य प्रदेश	0	26	1	3
15.	महाराष्ट्र	4	21	9	2
16.	मणिपुर	0	13	0	0
17.	मेघालय	0	6	0	4
18.	मिजोरम	0	4	0	2
19.	नागालैंड	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	59	7	13
21.	पंजाब	0	32	2	22
22.	राजस्थान	0	1	0	0
23.	सिक्किम	0	1	0	0
24.	तमिलनाडु	0	6	1	0
25.	तेलंगाना	0	1	0	0
26.	त्रिपुरा	0	7	2	0
27.	उत्तराखंड	0	5	2	10
28.	उत्तर प्रदेश	0	185	179	32
29.	पश्चिम बंगाल	0	84	6	71
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	1
31.	चंडीगढ़	0	43	0	6
32.	दादरा और नगर हवेली	0	4	0	5
33.	दमन और दीव	0	0	0	0
34.	दिल्ली	0	45	14	140
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	4	2	4
	कुल	6	1106	329	476

स्त्रोत : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट।

[अनुवाद]

तृतीयक परिचर्या कैंसर केन्द्र

2866. **श्री विनायक भाऊराव राऊत:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तृतीयक परिचर्या कैंसर केन्द्रों (टी.सी.सी.सी.) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण हेतु और विशेषकर समाज के गरीब और वंचित वर्गों को सस्ती दरों पर नैदानिक और गुणवत्ताकारी तृतीयक कैंसर परिचर्या प्रदान करने के लिए देशभर में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, सी.वी.डी. और मस्तिष्काघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.एस.) शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि सिंधु दुर्ग और रत्नागिरी, जो महाराष्ट्र के गरीब तटीय जिले हैं, अभी भी गुणवत्ताकारी कैंसर उपचार केन्द्र से वंचित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को रत्नागिरी जिले में बी.के.एल. वालावल्कर अस्पताल नैदानिक एवं अनुसंधान केन्द्र में एक तृतीयश्क कैंसर परिचर्या केन्द्र की स्थापना हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव सति जन प्रतिनिधियों/संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) और (ख) कैंसर, मधुमेह, सी.सी.डी. और आघात के निवारण और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) के तहत तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या कैंसर सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की स्कीम के अंतर्गत, देश के विभिन्न भागों में राज्य कैंसर संस्थाओं (एस.सी.आई.) और तृतीयक परिचर्या कैंसर केंद्रों (टी.सी.सी.सी.) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। एस.सी.आई. के लिए अधिकतम नुमत्य सहायता 120 करोड़ रु. और टी.सी.सी.सी. के लिए 45 करोड़ रु. है जिसमें 40% राज्य का अंशदान शामिल है, सिवाए पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के जहां राज्य का अंशदान 10% है। इस स्कीम के अंतर्गत रेडियो थेरेपी उपस्कर, डायग्नोस्टिक उपस्कर, सर्जिकल उपस्कर का प्रापण, कैंसर के लिए इनछोर पेशंट सुविधा का प्रबुधन और कैंसर के निदान, उपचार और स्वास्थ्य परिचर्या हेतु अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए सहायता दी जाती है। अनुमोदित लागत का अधिकतम 30% भाग निर्माण के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। केंद्र सरकार कैंसर के निवारण और नियंत्रण के लिए तथा वहनीय और अभिगम्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करती है।

महाराष्ट्र सरकार से रतनागिरि जिले में बी.के.एल. वालावालकर हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेंटर में टी.सी.सी.सी. स्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। तथापि, इस स्कीम के तहत, महाराष्ट्र में दो टी.सी.सी.सी. स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी और राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रसंत तुकदोजी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नागपुर और विवेकानंद मेडिकल फाउंडेशन एण्ड रिसर्च सेंटर, लातूर में टी.सी.सी.सी. स्थापित करने के लिए प्रस्तावों को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है और केंद्रीय अंशदान की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है।

भारतीय रुपए में ह्रास

2867. **श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:**
प्रो. के.बी. थॉमस:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान रुपए-डॉलर की दर क्या है;

(ख) क्या गत वर्षों की तुलना में रुपए के मूल्यों में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भारतीय रुपए के ह्रास के महत्वपूर्ण मुद्दे को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विमुद्रीकरण के पश्चात समाप्त किए गए काले धन की कुलराशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) विगत 5 वर्षों के दौरान रुपए डॉलर की औसत विनिमय दर तालिका 1 में दी गई है। रुपए की कीमत 2014 में 61 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर से 2018 में 19 दिसम्बर, 2018 तक औसतन 11 प्रतिशत अर्थात 68.36 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर तक घटी।

तालिका 1: औसत अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपया अग्रिम मूल्य

कैलेण्डर वर्ष	प्रति अमरीकी डॉलर रुपया
2014	61.03
2015	64.16
2016	67.19
2017	65.12
2018 (19 दिसम्बर, 2018 तक)	68.36

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमरीका में बढ़ती ब्याज दरों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चिंताओं और भौगोलिक - राजनैतिक मुद्दों के चलते वैदेशिक पोर्टफोलियो निवेश आउटफ्लो होने से 2018 के दौरान रुपए में अक्तूबर की शुरुआत में सामान्यतया एक घटता रुझान देखा गया।

11 अक्तूबर, 2018 को एक दिन में रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले 74.49 रुपए के निचले स्थान तक जा पहुंचा था। हालांकि 19 दिसम्बर, 2018 को रुपए में धीरे-धीरे सुधार हुआ और यह 70.40 रुपए पर बंद हुआ। अक्तूबर से रुपए का सामान्य बढ़ता रुझान अन्य कारकों के अलावा कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी कमी और निवल वैदेशिक पोर्टफोलियो इनफ्लो की ओर इंगित करता है।

(ग) रुपए का विनिमय दर बाजार आधारित होता है। यद्यपि आर.बी.आई. घरेलू मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है ताकि विनिमय दर हेतु बिना किसी निश्चित लक्ष्य या बैंड के अत्यधिक अस्थिरता का समाधान हो और व्यवस्थित स्थितियां बनाई जा सके।

(घ) काले धन में कमी का पता लगाने के लिए यह देखना आवश्यक है कि नोटबंदी की अवधि से पूर्व की तुलना में नोटबंदी के बाद प्रत्यक्ष कर राजस्व और प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। नोटबंदी से पूर्व और नोटबंदी के बाद के वर्षों में भरे गए कर और एकत्र प्रत्यक्ष कर के संबंध में विस्तृत विवरण तालिका-2 में दिया गया है:

तालिका 2: प्रत्यक्ष कर संग्रह और फाइल किए गए रिटर्नों की संख्या

वर्ष	प्रत्यक्ष कर संग्रह (रुपए करोड़ में)	प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि (प्रतिशत)	फाईल किए गए रिटर्नों की संख्या (सांशोधित रिटर्नों सहित)	फाईल किए गए रिटर्नों की संख्या में वृद्धि (प्रतिशत)
2014-15	695792	-	40433614	-
2015-16	741945	6.6	46304045	14.5
2016-17	849713	14.5	55709088	20.3
2017-18	1002741	18.0	68532510	23.0

वर्ष 2016-17 जिसमें नोटबंदी का कुल प्रभाव शामिल है, में 2014-15 की तुलना में प्रत्यक्ष कर संग्रह और प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2017-18 में भी वह बढ़त जारी है।

[हिन्दी]

पुराने करेंसी नोटों का मूल्य

2868. श्री लल्लू सिंह:
श्रीमती रेखा वर्मा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तिथि के अनुसार नवीन करेंसी नोटों द्वारा प्रतिस्थापितकी गई पुरानी करेंसी के कुल मूल्य का उनके रंग, आकार और तकनीकी विशेषताओं सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) देश की अर्थव्यवस्था पर इस कदम के अनुमानित लघु अवधि और दीर्घ अवधि प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में नकली नोटों को समाप्त करने हेतु उठाए गए प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) वित्तीय वर्ष 2016-17 में नष्ट किए गए बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.61 लाख

करोड़ रुपए तथा 2017-18 में नष्ट किए गए बैंक नोटों का कुल मूल्य 16.88 लाख करोड़ रुपए हैं।

पिछले दो वर्षों में आपूरित करेंसी का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	(संख्या मिलियन अदद में)										मूल्य करोड़ में
	रुपए 10	रुपए 20	रुपए 50	रुपए 100	रुपए 200	रुपए 500	रुपए 500	रुपए 1000	रुपए 2000	कुल	
2016-17	2,785	4,118	2,700	5,738	0	2,013	7,270	925	3,504	29,043	1,33,885
2017-18	4,313	2,051	2,793	3,170	2,832	0	9,693	0	151	25,003	6,25,570

नए बैंक नोट के रंग, बीमा और तकनीकी विनिर्देशन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट *http://rbi.org.in/scripts.ic_currency.aspx* में प्रेस विज्ञप्ति भाग देखें।

(ख) भारत सरकार ने कई उद्देश्यों के साथ 8 नवंबर 2016 को 1000 को 1000 और 500 रुपए के मूल्यवर्ग के नोटों की वैध मुद्रा स्थिति को रद्द करने का निर्णय लिया: (i) काले धन को बाहर निकालना, (ii) जाली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) को समाप्त करना। (iii) आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद के वित्तपोषण की जड़ पर प्रहार करने के लिए (iv) कर आधार और रोजगार का विस्तार करने के लिए गैर-औपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलने हेतु (v) भारत को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भुगतान के डिजिटलीकरण को एक बड़ा बढ़ावा देना।

(ग) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में जाली भारतीय करेंसी नोटों की तस्करी और परिचालन को रोकने के लिए बहुत से उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) केन्द्र और राज्यों की आसूचना और सुरक्षा एजेंसियां देश में जाली करेंसी के परिचालन में शामिल तत्वों पर कड़ी निगरानी रखती हैं तथा सूचित किए गए कानून के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कार्रवाई करती हैं।

(ii) गृह मंत्रालय द्वारा बनाया गया एफ.आई.सी.एन. समन्वय समूह (एफ.सी.ओ.आर.डी.) देश में जाली करेंसी नोटों के परिचालन की समस्या को रोकने के लिए राज्यों/केंद्र की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ आसूचना/सूचना साझा करता है।

(iii) जाली करेंसी नोटों की तस्करी और परिचालन का निवारण करने तथा उसे रोकने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

(v) वर्ष 2005-06 के दौरान बैंक नोटों में नई सुरक्षा विशेषताएं/नए डिजाइन शामिल करना।

(vi) नए संख्यात्मक पैटर्न के साथ महात्मा गांधी शृंखला-2005 में सभी मूल्यवर्गों में नोट जारी किए गए हैं जिनकी नकल करना कठिन है।

(vii) बैंकों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि 100 रुपए तथा उससे ऊपर के मूल्यवर्गों में बैंक नोट बैंकों द्वारा उनके काउंटरों पर उनके ए.टी.एम. के जरिए तभी पुन: जारी किए जाने चाहिए जब इन बैंक नोटों की प्रामाणिकता/असलियत और उपयुक्तता की मशीनों द्वारा विधिवत् रूप से जांच कर ली गई हो।

[अनुवाद]

बैंकों की वित्तीय मजबूती

2869. श्री गुत्था सुकेन्द्र रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बैंकों की वित्तीय मजबूती की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एन.पी.ए.) की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा एन.पी.ए. को घटाने और बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने हेतु उठाए जा रहे कदमों और तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (घ) सरकार बैंकों की वित्तीय क्षमता की नियमित आधार पर निगरानी करती है। स्वच्छ एवं पूर्ण प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्रों के लिए वर्ष 2015 में चलाई गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (ए.क्यू.आर.) से एन.पी.ए. की बड़ी घटनाओं का पता चला। दबावग्रस्त ऋणों पर संभावित हानियां जिनके लिए पुनर्संरचित ऋणों को दिए गए लचीलेपन के अन्तर्गत प्रावधान नहीं किए गए थे, को एन.पी.ए. के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया और उनके लिए प्रावधान किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) ने एन.पी.ए. की पंहचान करते हुए शोधन आरंभ किया और संभावित हानियों के लिए प्रावधान बनाए। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही के दौरान दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना के लिए ऐसी सभी योजनाएं बंद कर दी गयी थी। परिणामस्वरूप, जबकि पी.एस.बी. ने चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान 75,030 करोड़ रु का लाभ कमाया है, उनको हानियां मुख्यतया वर्ष 2015 में आरंभ की गई ए.क्यू.आर. के परिणामस्वरूप पहचान किए गए एन.पी.ए. के लिए लगातार बढ़ते प्रावधान तथा बैंकों द्वारा तदुपरान्त पारदर्शी पहचान किए जाने, आर.बी.आई. के परिपत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में पुनर्संरचना योजनाओं के बंद किए जाने के कारण हुई। पी.एस.बी. ने चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान एन.पी.ए. के लिए कुल प्रावधान तथा 85,791 करोड़ रु. की अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान बनाए। इसके अतिरिक्त बॉण्ड प्रतिफल (यील्ड) की सख्ती के कारण इन बैंकों को इसी अवधि के दौरान उनके निवेश पोर्टफोलियो पर प्रतिभूतियों का दैनिक बाजार मूल्य पर 20,384 करोड़ रुपए की कुल हानियां रहीं।

विगत साढ़े चार वित्तीय वर्ष के दौरान, सरकार ने अपनी 4आर कार्यनीति के अंतर्गत, एन.पी.ए. को काम करने तथा पी.एस.बी. की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सुनियोजित तरीके से व्यापक कदम उठाए हैं:

i. एन.पी.ए. की पारदर्शी पहचान करना;

ii. स्वच्छ एवं प्रभावी कानूनों तथा प्रक्रियाओं के माध्यम से दबावग्रस्त खातों का समाधान करना तथा मूल्य वसूल करना;

iii. बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करना; और

iv. पी.एस.बी. को उत्तरदायी तथा जवाबदेह बनाने के लिए पी.एस.बी. सुधार एजेंडा के माध्यम से बैंकों में सुधार करना।

सरकार के व्यापक 4आर दृष्टिकोण के परिणाम दिखाई पड़ रहें हैं:

1. पी.एस.बी. का सकल एन.पी.ए. कम होना प्रारंभ हुआ है जो मार्च, 2018 में अपनी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात्, मार्च, 2018 में 8,95,601 करोड़ रु. से 26,789 करोड़ रु. की कमी दर्ज करते हुए सितम्बर, 2018 में 8,68,812 करोड़ रु. रहा।

2. आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्शाते हुए पी.एस.बी. के 31 से 90 दिनों तक देनदारी वाले (विशेष उल्लेख खाते 1 और 2) गैर-एन.पी.ए. खातों में पिछली पांच क्रमिक तिमाहियों के दौरान 61% की कमी हुई जो जून, 2017 की स्थिति के अनुसार 2.25 लाख करोड़ रु. से सितम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार 0.87 लाख करोड़ रु. रही।

3. हानियों को अवशोषित करने के लिए बैंकों को गुंजाइश देते हुए, पी.एस.बी. का प्रावधान करवेज अनुपात (पी.सी.आर.) मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, 46.04% से तेजी से बढ़कर सितम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार 66.85% हो गया।

4. चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही में पी.एस.बी. द्वारा 60,726 करोड़ रु. की रिकार्ड वसूली की गयी, जो विगत वित्तीय वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान वसूली गई राशि के दोगुने से अधिक है।

5. सकल अग्रिम अनुपात के लिए क्रेडिट जोखिम-भारित आस्तियां विगत चार तिमाहियों के दौरान धीरे-धीरे घटकर सितम्बर, 2017 में 80.26% से सितम्बर, 2018 में 71.2% हो गयी।

6. विश्व बैंक की कारोबार करने की सुगमता इंडेक्स के अंतर्गत "क्रेडिट प्राप्त करने में" भारत की वैश्विक रैंक वर्ष 2016 में 44 से सुधरकर वर्ष 2018 में 22 हो गयी।

[हिन्दी]

कर-जी.डी.पी. अनुपात

2870. श्रीमती वीणा देवी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) के पश्चात कर जी.डी.पी. अनुपात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में जी.एस.टी. के प्रवर्तन से अक्टूबर 2018 तक कर-जी.डी.पी. अनुपात में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में कर-जी.डी.पी. अनुपात में वृद्धि हेतु टैक्स संग्रहण नियमों को सरल बनाने की आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष कर और सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के अनुपात तथा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सकल घरेलू उत्पाद के बीच अनुपारत का ब्यौरा निम्नवत है:

वित्त वर्ष	प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) अनुपात	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) अनुपात
2015-16	5.47 प्रतिशत	5.16 प्रतिशत
2016-17	5.57 प्रतिशत	5.65 प्रतिशत
2017-18	5.98 प्रतिशत*	5.43 प्रतिशत

*अनंतिम

(ग) अग्रिम कर की सांविधिक दरों और करदाताओं के अनुपालन व्यवहार के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष करों के संग्रहण में सामयिक उतार-चढ़ाव के कारण कर-सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का अनुपात पूरे एक वित्त वर्ष के संबंध में परिकलित किया जाता है न कि वर्ष के किसी भाग में। बजट अनुमान (बी.ई.) के अनुसार, 2018-19 हेतु अप्रत्यक्ष कर (सी.जी.एस.टी., आई.जी.एस.टी. और क्षतिपूर्ति उपकर सहित) का सकल घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात 5.96 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है।

(घ) और (ङ) कर-सकल घरेलू उत्पाद के बीच के अनुपात को बढ़ाने के लिए कर-संग्रहण संबंधी नियमों के सरलीकरण सहित अनेक विधायी कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं:

(क) व्यापार प्रयोजन हेतु कोयले, लिग्नाईट और लौह अयस्क जैसे खनिजों की बिक्री पर 1 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर-संग्रहण (टी.सी.एस.) को शुरू किया गया है।

(ख) 50 लाख रुपए अथवा इससे अधिक मूल्य वाली अचल संपत्ति (ग्रामीण कृषि भूमि के अलावा) के अधिग्रहण हेतु भुगतान पर 1 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) को शुरू किया गया है।

(ग) 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य की मोटर वाहन की बिक्री पर 1 प्रतिशत की दर से टी.सी.एस. की व्यवस्था करके टी.सी.एस. के दायरे का विस्तार किया गया है।

(घ) व्यावसायिकों के मामले में एक नई पूर्वानुमानित कराधान व्यवस्था को लाया गया है ताकि अनुपालन बोझ को कम करते हुए छोटे करदाताओं और असंगठित क्षेत्र के करदाताओं को कर के दायरे में लाया जा सके।

(ङ) ई-वाणिज्य लेन-देनों पर भुगतान की गई राशि पर 6 प्रतिशत की दर से "समकारणी उगाही" के रूप में एक नया कर लगाया गया है।

(च) लाभांश से 10 लाख रुपए से अधिक आय होने पर 10 प्रतिशत की दर से कर।

(छ) 2.5 लाख रु. से 5 लाख रु. की आय के स्लैब हेतु कर-दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया ताकि स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा मिल सके।

(ज) 250 करोड रु. तक का वार्षिक कारोबार (टर्नओवर) करने वाली घरेलू कम्पनियों की कर दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया ताकि कारोबारी संस्थाओं के निगमीकरण को बढ़ावा मिल सके।

(झ) 50,000/- रु. प्रति माह से अधिक किराए के भुगतान पर 5 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस।

(ञ) वित्तीय लेनदेन से संबंधित विवरण (एस.एफ.टी.) के अंतर्गत सौंपे जाने वाले सूचना-संग्रहण के दायरे का विस्तार किया गया ताकि और अधिक प्रकार की तृतीय पक्ष सूचना का संग्रहण किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, राजस्व संग्रहण में सुधार लाने हेतु जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें शामिल हैं। ई-वे बिल को शुरू करना, कर विवरणी दाखिल करने हेतु उपायों को सरल बनाना, लेन-देनों के इन-वॉयस विवरण को रिकॉर्ड में लेना ताकि उनका लिए गए उधार से मिलान किया जा सके और करदाताओं द्वारा लिए गए पारगमन ऋण से सत्यापन किया जा सके। जी.एस.टी. व्यवस्था में कर आधार काफी बढ़ गया है। वर्तमान में लगभग 11621024 करदाता जी.एस.टी. के तहत पंजीकृत हैं जिनमें नियमित करदाता और संयोजन योजना के करदाता दोनों शामिल है।

मुद्रास्फीति दर

2871. **श्री शरद त्रिपाठी**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छः माह के दौरान मुद्रास्फीति का ब्यौरा क्या है और इसके आर्थिक विकास दर और बाजार में मांग और कीमतों पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खाद्य पदार्थों की खुदरा कीमतें मुद्रास्फीति की दर की तुलना में उच्च दर पर बढ़ रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) पिछले छह महीनों के दौरान हेडलाइन और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सी.पी.आई.-सी.) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति नीचे सारणी-1 में प्रस्तुत की गई है। किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र आर्थिक वृद्धि अनेक कारकों पर निर्भर करती है जैसे ढांचागत, विदेशी, राजकोषीय और मौद्रिक और इस प्रकार जी.डी.पी. वृद्धि में किसी एक विशेष कारक के प्रभाव का ठीक-ठीक पता लगाना कठिन है;

सारणी 1: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सी.पी.आई.-सी.) पर आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत)

	जून-18	जुला-18	अग-18	सितं-18	अक्तू-18	नव-18 (अ.)
सी.पी.आई.-सी.	4.9	4.2	3.7	3.7	3.4	2.3
सी.एफ.पी.आई.	2.9	1.3	0.3	0.5	-0.9	-2.6

टिप्पणी: अ.-अनंतिम; सी.एफ.पी.आई.-उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक
स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ.)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री महिला शक्ति केन्द्र

2872. **श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**
श्री लखन लाल साहू:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लागत साझेदारी के आधार पर राज्य सरकार/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री महिला शक्ति केन्द्र योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने महिला केन्द्रित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अपने हिस्से की धनराशि का योगदान नहीं किया है और यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या कतिपय राज्यों ने योजना के अंतर्गत और अधिक संख्या में उक्त केन्द्रों की स्थापना करने के प्रस्ताव भेजे हैं और यदि हां, तो प्राप्त और अनुमोदित किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) क्या सरकार का आगे ग्राम स्तर पर महिला

सरपंचों के माध्यम से उक्त केन्द्रों को स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) भारत सरकार ने सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए महिला शक्ति केन्द्र स्कीम के क्रियान्वयन का अनुमोदन किया है। यह स्कीम केंद्र और राज्यों के बीच खर्च के 60:40 के अनुपात के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए क्रियान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर ओर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच निधियन का अनुपात 90:10 है। संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीम के लिए केन्द्र द्वारा शत प्रतिशत निधियन किया जाता है।

(ख) ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, केरल और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप से महिला शक्ति केन्द्र स्कीम के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित अनुमोदन लंबित है। तदनुसार, वीडियो कांफ्रेंसिंग और पत्रों के जरिए राज्य सरकारों से नियमित अंतराल पर अनुरोध किया जाता रहा है कि इस मामले में तेजी लाई जाए। पिछली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस 11-12 दिसंबर, 2018 को आयोजित की गई थी और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से 26 नवंबर, 2018 के पत्र के अनुसार अनुरोध किया गया था।

(ग) जी, नहीं। वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान महिला शक्ति केंद्र स्कीम के क्रियान्वयन के लिए स्कीम के अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार निधियां निर्मुक्त/प्राधिकृत की गई थी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, जिनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब भी शामिल हैं, निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव परिकल्पित नहीं है।

विवरण

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान महिला शक्ति केन्द्र (स्कीम) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्मुक्त निधियां

(रूपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	10.9	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	7.39	277.2
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	151.35
4.	असम	980	शून्य
5.	बिहार	1022.2	25.83
6.	चंडीगढ़	10.9	13.99
7.	छत्तीसगढ़	863.19	7.28
8.	दादरा और नगर हवेली	10.9	शून्य
9.	दमन और दीव	10.9	6.15
10.	दिल्ली (यूटी)	शून्य	शून्य
11.	गोवा	शून्य	शून्य
12.	गुजरात	49.1	206.63
13.	हरियाणा	शून्य	6.91
14.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	124.18
15.	जम्मू और कश्मीर	22.5	241.71
16.	झारखंड	1776.36	शून्य
17.	कर्नाटक	10.8	150.78
18.	केरल	शून्य	74.26
19.	लक्षद्वीप	10.9	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	शून्य	479.02
21.	महाराष्ट्र	शून्य	144.63
22.	मणिपुर	137.34	33.21
23.	मेघालय	61.31	158.85
24.	मिजोरम	117.82	155.70
25.	नागालैंड	95.13	176.00
26.	ओडिशा	शून्य	737.95
27.	पुदुचेरी	54.06	शून्य
28.	पंजाब	शून्य	87.50
29.	राजस्थान	74.9	278.24
30.	सिक्किम	शून्य	99.85
31.	तमिलनाडु	36.18	210.32
32.	तेलंगाना	13.2	288.62
33.	त्रिपुरा	19.9	125.50

1	2	3	4
34.	उत्तर प्रदेश	शून्य	362.13
35.	उत्तराखंड	18.89	226.14
36.	पश्चिम बंगाल	24.37	453.62
	कुल योग	5439.14	5303.55

एम्बुलेंस सेवा

2873. **श्रीमती रीती पाठक:**
श्री अभिजित मुखर्जी:
डॉ. किरीट सोमैया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी अपतालों में रोगियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवा की अनुपलब्धता के कारण गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने लोगों की मौतें हुई हैं;

(ग) क्या सरकार ने आपात स्थिति में रोगियों को लाइफ स्पोर्ट सिस्टम वाली हाई-टेक एम्बुलेंसों के लिए निधि आबंटित कर दी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में विभिन्न भागों में बाइक एम्बुलेंस शुरू करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में आंध्र प्रदेश में 104 और 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से गरीब रोगियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रत्येक सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है। एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) में किए गए प्रस्ताव के आधार पर एम्बुलेंस सेवाओं के लिए सहायता सहित उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एम्बुलेंस सेवाओं की गैर-उपलब्धता के कारण मरने वाले लोगों की संख्या के संबंध में डाटा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि एन.एच.एम. के तहत सहायता प्राप्त राज्य/संघ राज्यवार एम्बुलेंसों की संख्या की उपलब्धता दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उन्नत जीवन सहायता (ए.एल.एस.) और आधारभूत जीवन सहायता (बी.एल.एस.) एम्बूलेंस सहित विभिन्न आपात स्वास्थ्य यातायात सेवाओं के लिए आवंटित राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त अनुसार जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य का विषय है अतः राज्य में सरकारी अस्पतालों में एम्बूलेंस की उपलब्धता और बाइक एम्बुलेंस सेवाओं का आरंभ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

विवरण-I

एनएचएम के तहत सहायता प्राप्त एम्बुलेंसों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डायल 108	डायल 102/104	अन्य रोगी यातायात वाहन	एनएचएम के तहत कुल एम्बुलेंस
1	2	3	4	5	6
1	बिहार	10	1049	44	1103
2	छत्तीसगढ़	239	363	0	602
3	हिमाचल प्रदेश	200	126	0	326
4	जम्मू और कश्मीर	0	331	0	331

1	2	3	4	5	6
5	झारखंड	210	0	2581	2791
6	मध्य प्रदेश	606	750	0	1356
7	ओडिशा	470	491	0	961
8	राजस्थान	730	587	0	1317
9	उत्तर प्रदेश	1488	2270	150	3908
10	उत्तराखंड	139	106	0	245
11	अरुणाचल प्रदेश	0	123	0	123
12	असम	380	316	235	931
13	मणिपुर	0	43	0	43
14	मेघालय	43	0	0	43
15	मिजोरम	0	60	0	60
16	नागालैंड	0	80	0	80
17	सिक्किम	0	0	0	0
18	त्रिपुरा	0	0	0	0
19	आंध्र प्रदेश	439	0	0	439
20	गोवा	45	0	4	49
21	गुजरात	585	0	0	585
22	हरियाणा	352	0	0	352
23	कर्नाटक	711	0	200	911
24	केरल	43	0	0	43
25	महाराष्ट्र	937	2674	0	3611
26	पंजाब	242	0	0	242
27	तमिलनाडु	829	0	0	829
28	तेलंगाना	316	0	0	316
29	पश्चिम बंगाल	0	610	2943	3553
30	एक प्रायद्वीप	0	1	0	1
31	चंडीगढ़	6	9	0	15
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
33	दमन और दीव	7	4	0	11
34	दिल्ली	0	265	0	265

1	2	3	4	5	6
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	11	0	0	11
	अखिल भारतीय	9038	10258	6157	25453

स्त्रोत : जून, 2018 के अनुसार एनएचएम-एमआईएस रिपोर्ट

विवरण-II

एनएचएम के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाओं के लिए आवंटित राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा-स्वीकृति (लाख रू. में)			
		205-16	2016-17	2017-18	Total
1	2	3	4	5	6
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	25.00	7.00	32.00
2	आंध्र प्रदेश	1118.40	1190.40	1190.40	6431.60
3	अरूणाचल प्रदेश	65.80	220.68	375.95	739.51
4	असम	2946.56	2244.92	2445.33	9670.81
5	बिहार	6322.80	11764.10	13797.10	42534.03
6	चंडीगढ़	65.27	106.27	72.00	281.96
7	छत्तीसगढ़	4142.20	4409.05	5442.43	18022.52
8	दादरा और नगर हवेली	3.90	0.00	0.00	3.90
9	दमन और दीव	21.40	25.79	4.00	71.76
10	दिल्ली	988.00	528.00	875.80	3039.80
11	गोवा	203.60	130.70	207.00	790.90
12	गुजरात	0.00	1500.00	4688.00	6188.00
13	हरियाणा	3053.63	3023.49	3241.97	11337.36
14	हिमाचल प्रदेश	660.80	863.20	438.10	2612.25
15	जम्मू और कश्मीर	858.58	1129.12	2078.33	4122.79
16	झारखंड	2415.40	1122.00	2112.65	8630.05
17	कर्नाटक	1686.95	6444.32	3327.56	12716.47
18	केरल	612.60	737.58	126.94	3979.12
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	2497.69	2884.03	4133.80	13666.25
21	महाराष्ट्र	2028.38	1827.00	2248.80	8976.18

1	2	3	4	5	6
22	मणिपुर	318.32	377.75	280.68	1277.75
23	मेघालय	126.88	110.88	153.52	652.26
24	मिजोरम	142.31	136.52	71.72	520.68
25	नागालैंड	20.56	122.26	100.68	357.23
26	ओडिशा	1079.37	1096.72	1384.62	4971.91
27	पुदुचेरी	10.00	54.76	43.20	140.16
28	पंजाब	0.00	428.00	350.00	778.00
29	राजस्थान	3914.00	2140.00	2340.00	9178.72
30	सिक्किम	163.52	65.38	50.64	316.24
31	तमिलनाडु	2179.20	2372.00	3021.60	8980.85
32	त्रिपुरा	498.56	278.00	278.00	1054.56
33	तेलंगाना	758.40	758.40	758.40	4869.60
34	उत्तर प्रदेश	29228.92	29764.01	57225.17	133798.65
35	उत्तराखंड	477.60	842.40	778.90	2738.40
36	पश्चिम बंगाल	1250.00	400.00	5415.43	7065.43
	कुल	69859.61	79122.73	119065.72	330547.70

खोया-पाया वेब पोर्टल

2874. श्री मोहम्मद सलीम:
श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देशभर में गुमशुदा बच्चों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खोया-पाया वेब पोर्टल का उपयोग करते हुए पता लगाए गए और पाए गए बच्चों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा लोगों में वेब पोर्टल को लोक प्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में गुमशुदा बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (पुलिस द्वारा और नागरिकों द्वारा बाल खोज पोर्टल तथा खोया-पाया पोर्टल पर सूचित) इस प्रकार है:

खोया-पाया पर पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में गुमशुदा बच्चों की संख्या

(2 जून 2015 से 21 दिसम्बर 2018 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	खोया पाया मामलों की संख्या	बाल खोज गुमशुदा बच्चे
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	130
2.	आंध्र प्रदेश	47	2970
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	23
4.	असम	16	2145

1	2	3	4
5.	बिहार	85	3221
6.	चंडीगढ़	130	335
7.	छत्तीसगढ़	5	8451
8.	दादर और नगर हवेली	0	0
9.	दमन और दीव	23	49
10.	दिल्ली	82	22605
11.	गोवा	24	63
12.	गुजरात	12	37063
13.	हरियाणा	241	3252
14.	हिमाचल प्रदेश	26	377
15.	जम्मू और कश्मीर	3	12
16.	झारखंड	19	278
17.	कर्नाटक	46	14970
18.	केरल	9	2310
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	36	32925
21.	महाराष्ट्र	58	8283
22.	मणिपुर	0	0
23.	मेघालय	0	361
24.	मिजोरम	0	13
25.	नागालैंड	2	0
26.	ओडिशा	75	3589
27.	पुदुचेरी	0	4
28.	पंजाब	90	1778
29.	राजस्थान	29	3273
30.	सिक्किम	0	199
31.	तमिलनाडु	39	7234
32.	तेलंगाना	45	1355
33.	त्रिपुरा	01	32
34.	उत्तर प्रदेश	151	1158
35.	उत्तराखंड	06	7946
36.	पश्चिम बंगाल	30	25275
37.	अविनिर्दिष्ट	96	0
	कुल	1428	191679

(ख) खोया पाया वेब पोर्टल के प्रयोग द्वारा उक्त अवधि के दौरान खोजे गए बच्चों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या इस प्रकार है :

खोया पाया पर खोज कर पाए गए बच्चों की संख्या

(2 जून, 2015 से 21 दिसम्बर, 2018 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	बंद किए गए मामलों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	68
3.	अरूणाचल प्रदेश	0
4.	असम	3
5.	बिहार	23
6.	चंडीगढ़	9
7.	छत्तीसगढ़	1
8.	दादर और नगर हवेली	0
9.	दमन और दीव	7
10.	दिल्ली	361
11.	गोवा	14
12.	गुजरात	0
13.	हरियाणा	133
14.	हिमाचल प्रदेश	11
15.	जम्मू और कश्मीर	2
16.	झारखंड	7
17.	कर्नाटक	265
18.	केरल	0

1	2	3
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	4
21.	महाराष्ट्र	9
22.	मणिपुर	0
23.	मेघालय	0
24.	मिजोरम	0
25.	नागालैंड	1
26.	ओडिशा	18
27.	पुदुचेरी	0
28.	पंजाब	33
29.	राजस्थान	9
30.	सिक्किम	0
31.	तमिलनाडु	3
32.	तेलंगाना	6
33.	त्रिपुरा	1
34.	उत्तर प्रदेश	1973
35.	उत्तराखंड	0
36.	पश्चिम बंगाल	45
37.	अन्य	2822
	कुल	5828

(ग) मंत्रालय प्रिंट, रेडियो ओर सोशल मीडिया सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से इस पहल के बारे में नियमित रूप से सूचित करता रहा है। मंत्रालय ने इफको के सहयोग से कुछ गांवों की दीवारों पर इन पहलों का प्रचार भी किया था।

राष्ट्रीय जैव सामग्री केन्द्र

2875. **श्रीमती मौसम नूर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में एक राष्ट्रीय जैव सामग्री केन्द्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकांश अंगदान जीवित अंगदाताओं द्वारा किए जाते है और मात्र लगभग 23 प्रतिशत मृत लोगों द्वारा किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) और (ख) जी, हां। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत संगठन-राष्ट्रीय अंग और ऊत्तक प्रत्यारोपण संगठन (नोटो), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायोमैटीरियल सेंटर की स्थापना की गई है।

इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न ऊत्तकों की उपलब्धता में 'गुणवत्ता आश्वासन' के साथ-साथ 'मांग' और 'आपूर्ति' के बीच के अंतराल को भरना है। यह केंद्र निम्नलिखित ऊत्तक एलोग्राफ्ट्स की देख-रेख करेगा:

- हड्डी और हड्डी उत्पाद जैसे डीप फ्रोजन बोन एलोग्राफ्ट, फ्रीज ड्राइड बोन एलोग्राफ्ट, डोवेल एलोग्राफ्ट, ए.ए.ए. बोन, डूरामैटर, फेशिएलटा, फ्रेश फ्रोजन ह्यूमन एम्नियोटिक मेम्ब्रेन, उच्च तापमान पर उपचारित बोड कैडर्वारक ज्वाइंट्स जैसे घुटने, हिप और कंधे, कैडर्वारक क्रेनियम बोन ग्राफ्ट, लूजबोन फ्रैगमेन्ट, ऑर्थाडॉटिक्स में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के बोवाइन एलोग्राफ्ट।
- स्किन ग्राफ्ट
- कार्निया
- हाट वाल्व और वेसल्स

(ग) जी, हां। भारत मृतक व्यक्ति के अंगों के प्रत्यारोपण की अपेक्षा जीवित व्यक्ति के अंगों का प्रत्यारोपण अधिक कर रहा है। तथापि, स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते ब्यौरा कद्र के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) भारत सरकार देशभर में मृतक के अंगदान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एन.ओ.टी.पी.) का कार्यान्वयन कर रही है। इस प्रयोजन के लिए, एक शीर्ष स्तर के संगठन नामत: राष्ट्रीय अंग और ऊतक, प्रत्योरोपण संगठन (नोटो), नई दिल्ली और पांच अन्य क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (रोटो) की स्थापना की गई है और इन्हें संचालनरत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों (सोटो) की स्थापना के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल राज्य को निधियां भी मंजूर की गई हैं।

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोटो) को एक वेबसाइट है जिसमें अंगदान से संबंधित सभी जानकारी के बारे में सूचना है। एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (1800114770) के साथ इसका एक 24X7 कॉल सेंटर भी संचालनरत किया गया है। इसके अतिरिक्त, मृत व्यक्ति के अंगदान के संबंध में जागरूकता बढ़ाने तथा डॉक्टरों और प्रत्यारोपण समन्वयकों सहित प्रत्यारोपण गतिविधियां से संबद्ध सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई गतिविधियां चलाई जाती हैं। सूचना का प्रचार-प्रसार करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष भारतीय अंगदान दिवस का आयोजन, सेमिनार, कार्यशालाएं, वाद-विवाद, खेलकूद संबंधी आयोजनों, बाकाथोन, मैराथन व भाग लेने, नुक्कड़ नाटक आदि जैसी गतिविधियों का भी देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजन किया जाता है। दूरदर्शन तथा अन्य टी.वी. चैनलों पर मृत व्यक्ति के अंगदान को बढ़ावा देने के लिए ऑडियो-विजुअल संदेशों का भी प्रसारण किया जाता है।

[हिन्दी]

सेल्फीटिस विकार

2876. श्री ओम प्रकाश यादवः
श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा सेल्फीटिस विकार से ग्रसि लोगों के उपचार हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ख) अब तक बिहार में इस समस्या से प्रभावित लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) कितने लोगों ने उनके सेल्फीटिस विकार हेतु सहायता के लिए चिकित्सकों से संपर्क किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगों के अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार, सेल्फीटिज को किसी रोग के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। सेल्फी का अधिक उपयोग की सूचना देने वाले लोगों की संख्या तथा देश में सेल्फीटिज विकार के लिए सहायता हेतु थेरेपिस्ट से सम्पर्क करने वाले लोगों की संख्या का विवरण केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता।

आयुष प्रणाली को विदेशों में प्रचलित करना

2877. श्री कपिल मोरेश्वर पाटीलः क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की आयुष चिकित्सा पद्धति को वैश्विक स्तर पर प्रचलित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों के साथ संपर्क में रहने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार इस संबंध में विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी हां। विश्व स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए आयुष मंत्रालय ने सहयोगात्मक अनुसंधान शुरू करने और विदेश मंत्रालय के परामर्श व समन्वय से आयुष शैक्षणिक पीठों की स्थापना करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित किए हैं।

आयुष चिकित्सा पद्धतियों में सहयोगात्मक अनुसंधान शुरू करने के लिए अभी तक जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, डब्ल्यू.एच.ओ. जनेवा, यूनाइटेड स्टेट्स, अर्जेंटीना, इजराइल, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और तजाकिस्तान नामक देशों में स्थित विभिन्न विदेशी विद्यालयों के साथ 17 एम.ओ.यू हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं। हंगरी, त्रिनिदाद एवं टोबेगो, दक्षिण अफ्रीका, थाइलैंड, रूस, इंडोनेशिया, स्लोवेनिया, अर्मेनिया, लतविया, अर्जेंटीना, मलेशिया, बंगलादेश और मॉरीशस स्थित विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ आयुष शैक्षणिक पीठों की स्थापना के लिए तेरह (13) एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए गए हैं।

[अनुवाद]

विदेशी कंपनियों द्वारा कल्याणकारी गतिविधियां

2878. डॉ. रत्ना डे (नाग):
श्री हरि ओम पाण्डेयः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का उन विदेशी कंपनियों जो कि बिना लाभ के आधार पर कल्याणकारी परियोजनाओं हेतु अनुदान प्रदान कर रही है, को सहायता करने का कोई प्रस्ताव है और उन्हें विशेषकर पश्चिम बंगाल में एक एकली खिड़की प्रणाली प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक ऐसी कंपनियों की मौजूदा स्थिति और सूची के संबंध में क्या ब्यौरा है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) से (ग) गृह मंत्रालय ने 26 दिसम्बर, 2018 को सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जलवायु परिवर्तन

2879. श्री एम.के. राघवन:
श्री आर.पी. मरूदराजा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जलवायु परिवर्तन 2015 के संबंध में पेरिस समझौते की मौजूदा स्थिति क्या है और भारत के संबंध में इस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए निधियों को जुटाने की स्थिति क्या है;

(ख) जलवायु परिवर्तन के संबंध में पेरिस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से तत्संबंधी इस मुद्दे से निपटने के लिए कोई परियोजना स्वीकृत की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार जलवायु परिवर्तन के इस खतरे से निपटने के लिए और निधियां जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) पेरिस समझौते को वर्ष 2015 में अंगीकृत किया गया और वह दिनांक 4 नवम्बर, 2016 को प्रभावी हुआ। आज की तिथि तक, भारत सहित 184 पक्षकार देशों ने इस समझौते का अनुसमर्थन किया है। पेरिस समझौते का कार्यान्वयन और उसके लिए निधियों के जुटाने का कार्य वर्ष 2020 के बाद की अवधि में आरंभ किया जाएगा।

(ख) पेरिस समझौते में कुल 29 अनुच्छेद है। कन्वेंशन के उद्देश्य सहित उसके कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने में, इस समझौते का उद्देश्य सतत विकास के संदर्भ मे जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे से निपटने हेतु वैश्विक स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई को सुदृढ करने के साथ निम्नलिखित प्रयासों सहित गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को सुदृढ़ करना है: (i) वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को, यह मानते हुए कि इससे जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकेगा, पूर्व-औद्योगिक स्तरों से परे 2°C से नीचे बनाए रखना और तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से परे 1.5°C तक सीमित रखने का प्रयास करना; (ii) जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति अनुकूलन की क्षमता में वृद्धि करना एवं जलवायु के प्रति अनुकूल तथा कम मात्रा में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को इस तरीके से बढ़ावा देना कि उससे खाद्य उत्पादन के लिए कोई खतरा पैदा न हो; और (iii) कम मात्रा में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों तथा जलवायु के अनुकूल विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अनुरूप वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना । इस समझौते में उपशमन, अनुकूलन, जलवायु संबंधी कार्रवाई हेतु वित्तीय संसाधनों के प्रावधान, प्रौद्योगिकी अतरण, क्षमता निर्माण और कार्रवाई में पारदर्शिता और सहयोग सहित जलवायु संबंधी कार्रवाई के सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है और उसे साम्या के सिद्धान्तों तथा भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए साझा किंतु भिन्न-भिन्न उत्तरदायित्वों तथा संबंधित क्षमताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें 'जलवायु न्याय' तथा वहनीय जीवन-शैलियों के महत्व को स्वीकार किया गया है।

(ग) से (ङ) जलवायु परिवर्तन के मुद्दो से निपटने के लिए, भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) आरंभ की गई है, जिसमें सौर ऊर्जा संवर्धित ऊर्जा दक्षता, सतत पर्यावास, जल, हिमालयी पारि-प्रणाली के संधारण, हरित भारत, सतत कृषि एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक जानकारी के विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे आठ मिशन शामिल हैं। इसके अलावा, 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों

द्वारा उनके राज्य में जलवायु परिवर्तन की विशेष समस्याओं के समाधान के लिए एन.ए.पी.सी.सी. के उद्देश्यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजनाएं (एस.ए.पी.सीस) तैयार की गई हैं। भारत सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा, वनीकरण, ऊर्जा दक्षता, नियोजित शहरी विकास, कृषि, जल-संसाधन, तटीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में अनुकूलन उपायों के क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं। भारत सरकार द्वारा राज्यों एवं सघ राज्य क्षेत्रों के अनुकूलन कार्यकलापों में सहयोग प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एन.ए.एफ.सी.सी.) स्थापित की गई है। एन.ए.एफ.सी.सी. के तहत, कृषि, जल, वानिकी आदि के क्षेत्रों में अनुकूलन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए 26 राज्यों में 27 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऋणग्रस्त आई.डी.बी.आई. में एल.आई.सी. का निवेश

2880. **श्री राहुल शेवाले:**
श्री दिनेश त्रिवेदी:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) को ऋणग्रस्त भारतीय उद्योग विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) में निवेश करने के आदेश देने से पूर्व कोई जोखिम ऑकलन अध्ययन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) 2014 से एल.आई.सी. की शोधन अक्षमता अनुपात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक; वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एल.आई.सी. की गैर-निष्पादनकारी अस्तियों (एन.पी.ए.) में वृद्धि हो रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार/कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं

(घ) क्या एल.आई.सी. आई.डी.बी.आई. बैंक को जो सॅपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र में जिसका सकल एन.पी.ए. अनुपात सबसे अधिक है को उबार रही है जबकि इसकी अपने एन.पी.ए. में वृद्धि हो रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में एल.आई,सी. द्वारा आई.डी.बी.आई. और अन्य वित्तीय संस्थाओं को उबारने से पहले अपने एन.पी.ए. को दूर करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ङ) आई.डी.बी.आई. बैंक लि. में एल.आई.सी. के प्रस्तावित निवेश संबंधी सरकार के निर्णय के संबंध में ब्यौरे और कारणों में यह नोट किया जा सकता है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (2016) में यह घोषणा की थी कि "आई.डी.बी.आई. बैंक के रूपांतरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। सरकार इस कार्य को आगे बढ़ाएगी और अपनी शेयरधारिता को 50% से कम करने के विकल्प पर भी विचार करेगी।" इस पृष्ठभूमि में अपने बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात, एल.आई.सी. ने आई.डी.बी.आई. बैंक लि. में नियंत्रक शेयर अर्जित करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पालिसीधारकों की निधियों की रक्षा के लिए विभिन्न उपायों का उल्लेख किया गया। इरडाई के द्वारा एल.आई.सी. ने आई.डी.बी.आई. बैंक लि. को बैंक में नियंत्रक शेयर अर्जित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए पत्र लिखा है। इस संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि एल.आई.सी. और आई.डी.बी.आई. बैंक लि., दोनों बोर्ड द्वारा संचालित संस्थाएं हैं और ये मौजूदा नीति तथा विनियामकीय संरचना के अनुसार निर्णय लेते हैं। आई.डी.बी.आई. बैंक लि. के बोर्ड के द्वारा एल.आई.सी. के प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात बैंक ने इस संबंध में सरकार को निर्णय लेने का अनुरोध किया और मामले पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने अपेक्षित विनियामकीय अनुमोदनों तथा विधि अनुपालन के अध्यधीन आई.डी.बी.आई. बैंक में अपनी शेयरधारिता को कम करके 50% से कम करने के संबंध में अपनी अनापति की सूचना दी। तत्पश्चात् आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड ने यह सूचित किया कि एल.आई.सी. और आई.डी.बी.आई. बैंक लि. दोनों ने अब भारतीय रिजर्व बैंक, आई.आर.डी.ए.आई. भारत प्रतिस्पर्धा आयोग तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से अनुमोदन सहित विभिन्न अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं।

एल.आई.सी. के ऋण शोधन क्षमता अनुपात के ब्यौरे के संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष

2013-14 से 2017-18 तक के संबंध में एल.आई.सी. के कुल कारोबार का वर्ष-वार ऋण शोधन क्षमता अनुपात क्रमशः 1.55, 1.5, 1.59 तथा 1.59 है।

एल.आई.सी. के एन.पी.ए. में जोखिम है या नहीं तथा एन.पी.ए. को समाप्त करने के संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि एल.आई.सी. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान एल.आई.सी. के सकल एन.पी.ए. बढ़ने की प्रवृत्ति वर्तमान वित्तीय वर्ष के परिवर्तित हुई है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 31.10.2018 तक सकल एन.पी.ण्. में 1,114.63 करोड़ रुपए की कमी आई है और इसके अलावा, एन.आई.सी. का सकल एन.पी.ए. जो दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार 7,040.88 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.10.2018 को कम होकर 1,580.88 करोड़ रु. हो गया।

इसके अलावा आई.डी.बी.आई. बैंक लि. के संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि बैंक के कार्यनिष्पादन को विभिन्न मापदण्डों के आधार पर मापा जाता है, इनमें अन्य बातों के साथ-साथ कुल आस्ति अनुपात की तुलना में परिचालन लाभ, अनर्जक आस्ति अनुपात, प्रावधान कवरेज अनुपात, लागत आय अनुपात और कुल जमा की प्रतिशतता के रूप में निम्न लागत जमा (चालू खाता और चत खाता अर्थात सी.ए.एस.ए.) शामिल है। सितम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आई.डी.बी.आई. बैंक लि. अधिकांश मानदण्डों अर्थात आय अनुपात, प्रावधान कवरेज अनुपात तथा सी.ए.एस.ए. अनुपात के संदर्भ में औसत से ऊपर है जबकि लाभप्रदता और निवल एन.पी.ए. के संदर्भ में औसत से नीचे है।

घरेलू जानवरों को मारना

2881. **डॉ. थोकचोम मेन्याः** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विगत कुछ महीनों में मणिपुर राज्य के बहुत से भागों में जंगली जानवरों द्वारा कथित रूप से घरेलू जानवरों को हाल ही में अनियंत्रित रूप से मारे जाने के कारण एक बहुत बड़ा जन उन्माद बना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय या राज्य प्राधिकारियों ने इन परिस्थितियों की सटीक स्थिति का पता लगा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा)ः (क) से (घ) जैसाकि मणिपुर की राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, विगत दो महीनों में, मणिपुर के विभिन्न जिलों में संदिग्ध जंगली जानवरों द्वारा पशुधन को मारे जाने की रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। वन विभाग, मणिपुर सरकार के वन्यजीव विंग द्वारा कई कार्रवाइयां की गईं, जिसमें स्थिति को नियंत्रित करने हेतु जन-शिकायतों की सुनवाई करना, घटना स्थलों का निरीक्षण करना, साक्ष्य एकत्र करने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की तलाशी लेना, चारा डालकर जाल/पिंजरे लगाना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के एक फॉरेंसिक दल द्वारा विभिन्न संवेदनशील स्थानों में कैमरा ट्रैप संस्थापित किए गए और साथ ही, जंगली जानवरों के पद-चिन्हों, बाल, विष्ठा के नमूनों आदि सहित अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष साक्ष्यों को एकत्र किया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, उनके द्वारा सभी क्षेत्रों में कैमरा ट्रैपों से लिए गए तस्वीरों, जो पालतू कुत्तों/आवारा कुत्तों की तस्वीरें थीं, सहित साक्ष्य एकत्र किए गए। ये आवारा कुत्ते रात के समय अत्यधिक सक्रिय रहते थे। अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के रूप में जो कुछ एकत्र किए गए थे उनकी पुष्टि कैमरे में बंद तस्वीरों से हो गई। विभिन्न जिलों में पशुधन पर आक्रमण होने की घटनाएं स्वतंत्र प्रकृति की थीं और उन घटनाओं का वन्यजीवों के आक्रमण से कोई संबंध नहीं था।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि राज्य पुलिस विभाग सोशल मीडिया पर कृत्रिम रूप से तैयार किए गए फोटोग्राफ/वीडियो के परिचालन को रोकने हेतु चौकसी रखने और जांच-पड़ताल करने में शामिल था। राज्य के वन विभाग द्वारा वन अधिकारियों के दूरभाष नंबरों के साथ 'क्या करें' और 'क्या नहीं करें' के संबंध में सार्वजनिक नोटिस भी जारी किए गए। जन-शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने हेतु वन्यजीव मुख्यालयों में मुख्य वन्यजीव वार्डन के कार्यालय में इसी प्रयोजन के लिए सृजित दूरभाष नंबरों के साथ एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया।

दिनांक 08 दिसंबर, 2018 के बाद ऐसी घटनाओं की कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई थीं।

[हिन्दी]

स्वयं सहायता समूह

2882. **श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) के माध्यम से कार्यान्वित महिला सशक्तीकरण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान ऐसी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घरों में निर्माण करने और व्यापार गतिविधियों के अतिरिक्त सभी सामाजिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एस.एच.जी. को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) महिला और बाल विकास मंत्रालय में राष्ट्रीय महिला कोष जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी है, आजीविका सहायता तथा आय अर्जन की गतिविधियों के लिए मध्यवर्ती सूक्ष्म वित्त पोषण संगठनों (आई.एम.ओ./गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों या व्यक्तिगत महिलाओं (अंतिम लाभार्थियों) को रियायती ब्याज दर पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए शीर्ष सूक्ष्म वित्त संगठन है।

(ख) आर.एम.के. द्वारा निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन नहीं किया जाता है। 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान तथा वर्तमान वर्ष 2018-19 के दौरान आर.एम.के. द्वारा आई.एम.ओ./एन.जी.ओ./वी.ओ.को जारी किए गए ऋण का राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-। में दिया गया है।

(ग) और (घ) महिला और बाल विकास मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

तथापि, भारत सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु नवम्बर, 2017 में महिला शक्ति केंद्र (एम.एस.के.) स्कीम अनुमोदित की है। ब्लॉक स्तरीय पहल के अंग के रूप में 115 सर्वाधिक पिछड़े/अबाकांक्षी जिलों में छात्र स्वयं सेवकों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी की परिकल्पना है। इनमें से अधिक से अधिक 50% ब्लॉकों में एन.जी.ओ. महिलाओं को समूहों में संगठित करने की योजना संचालित करने में मदद करेंगे, जो उनके कौशलों मे वृद्धि करके अधिक स्व-रोजगार की दिशा में काम करेंगे।

साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला ई हाट लांच किया है, जो महिला उद्यमियों/एस.एच.जी./एन.जी.ओ. की सहायता के लिए एक अनोखा सीधा ऑनलाइन विपणन प्लेटफार्म है।

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान जारी किए गए ऋण (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार) का ब्यौरा इस प्रकार है:

2015-16 - शून्य

2016-17 (राशि लाख रूपये में)

राज्य	पुरानी संस्वीकृतियों के विरूद्ध जारी की गई राशि
पश्चिम बंगाल	55.00
कुल	55.00

2017-18 (राशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि
1.	असम	25.00
2.	महाराष्ट्र	10.00
3.	राजस्थान	19.00
4.	उत्तर प्रदेश	27.50
5.	पश्चिम बंगाल	36.00
	कुल	117.50
	2018-19	
1.	आंध्र प्रदेश	15.00
2.	असम	25.00
3.	बिहार	40.00
4.	हरियाणा	40.00

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि
5.	कर्नाटक	22.50
6.	मध्य प्रदेश	30.00
7.	महाराष्ट्र	30.00
8.	राजस्थान	34.00
9.	तमिलनाडु	105.00
10.	उत्तर प्रदेश	27.50
11.	उत्तराखंड	58.00
12.	पश्चिम बंगाल	129.50
	कुल	556.50

दृष्टिहीनता

2883. **श्री गोपाल शेट्टी:**
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व में दृष्टिहीनता के संबंध में सबसे अधिक प्रभावित है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ख) देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में दृष्टिहीन लोगों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में अभी तक दृष्टिहीनता की समस्या से निपटने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का पूर्व अवस्था में ही आंखों के रोगों का पता लगाने और लोगों में आंखें दान करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नि:शुल्क आंखें जांच आयोजन करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में दृष्टिहीनता के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) दृष्टि दुर्बलताओं के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) वैश्विक डाटा 2010 के अनुसार, डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा वर्गीकृत 6 क्षेत्रों में दृष्टिहीनता के कुल मामलों का 20.9 प्रतिशत चीन में और 20.5 प्रतिशत भारत में पाया गया है।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टि बाधा नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.बी., एवं वी.आई.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006-07 के दौरान आयोजित परिहार्य दृष्टिहीनता संबंधी त्वरित सर्वेक्षण (आर.ए.ए.बी.) के अनुसार, भारत में दृष्टिहीनता की व्याप्ति 1% पाई गई थी। (<6/60 दृष्टि तीक्षणता की दृष्टिहीनता की पूर्व परिभाषा के अनुसार)।

देश में विशाल जनसंख्या आधार, वृद्धि होती जनसंख्या एवं अर्ध-उष्ण क्षेत्रों में वृद्धि, जन-जागरूकता के अभाव, अंधविश्वास तथा आर्थिक अड़चनों आदि के कारण भी भारत में दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या अधिक है। भारत में दृष्टिहीनता के कारण निम्नलिखित हैं:

- मोतियाबिंद (62.6 प्रतिशत)
- अपवर्तन (रिफैक्टिव) दोष (19.7 प्रतिशत)
- ग्लूकोमा (5.80 प्रतिशत)
- कोर्नियल दृष्टिदोष (0.9 प्रतिशत)
- पोस्टेरियर सेगमेंट व्यतिक्रम (4.7 प्रतिशत)
- पोस्टेरियर कैप्सुलर ऑपेसिफिकेशन (0.9 प्रतिशत)
- सर्जिकल जटिलताएं (1.2 प्रतिशत)
- अन्य (4.1 प्रतिशत)

(ख) 2001-02 में किए गए विस्तृत दृष्टिहीनता सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों की अनुमानित संख्या का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

इन आंकड़ों का बेहतर आंख में <6/60 दृष्टिहीनता दृष्टि तीक्षणता की परिभाषा के अनुसार आकलन किया गया है जिसका अनुपालन 2001-02 सर्वेक्षण के समय एन.पी.सी.बी. एवं वी.आई. में किया गया था जबकि डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा दृष्टिहीनता की परिभाषा <3/60 दृष्टि तीक्षणता होना है। मई, 2017 से भारत में भी एन.पी.सी.बी. एवं वी.आई. के तहत डब्ल्यू.एच.ओ. की दृष्टिहीनता की परिभाषा को अपनाया गया है जिससे देश में दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या में काफी कमी आएगी।

(ग) राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एस.पी.आई.पी.) के अंतर्गत अनुमोदित निधियों और इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार व्यय की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) रिफ्रेक्टिव दोषों से पीड़ित बच्चों की पहचान करने के लिए एन.पी.सी.बी. एवं आई.वी. के अनतर्गत स्कूली नेत्र जांच एक सतत कार्रवाई है। इस कार्यक्रम के तहत संबंधित जिला स्वास्थ्य समुदाय द्वारा रिफ्रेक्टिव दोषों से पीड़ित बच्चों को नि:शुल्क उपचारात्मक चश्मे मुहैया कराए जाते हैं।

इसके अलावा, मोतियाबिंद और नेत्र संबंधी अन्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों की पहचान करने के लिए जिला स्तर पर झुग्गी-झोपड़ी सहित आम जनता के लिए विस्तृत नेत्र जांच शिविरों का आयोजन किया जाता है। मोतियाबिंद और नेत्र संबंधी अन्य रोगों से पीड़ित अभिज्ञात रोगियों को एन.पी.सी.बी. एवं वी.आई. के तहत जिला अस्पताल और अभिज्ञात एन.जी.ओ. नेत्र अस्पतालों में नि:शुल्क उपयुक्त निवारक सेवाएं/नेत्र सर्जरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

नेत्र स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने, जिसमें देश में कार्नियल दृष्टिहीनता से दृष्टि पुन: प्राप्त करने के लिए नेत्रदान को प्रोत्साहित करना सम्मिलित है, के लिए एन.वी.सी.वी. एवं वी.आई. के तहत सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आई.ई.सी.) भी एक सतत कार्रवाई है। नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक एक वार्षिक आयोजन अर्थात नेत्रदान पखवाड़े के दौरान एक राष्ट्रव्यापी अभियान भी चलाया जाता है।

(ङ) देश में दृष्टिहीनता के मामलों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए एन.पी.सी.बी. एवं वी.आई. के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- राज्य/जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से योजना का विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन;
- सक्रियतापूर्वक जांच करके नेत्र जांच शिविरों का आयोजन करके तथा ऑपरेशन योग्य मरीजों को सरकारी एवं निर्धारित गैर-सरकारी संगठनों के नेत्र अस्पतालों में ऑपरेशन/उपचार हेतु निर्धारित नेत्र-देखभाल केंद्रों तक पहुंचाकर पहले से दृष्टिहीन हुए लोगों की संख्या में कमी लाना;
- मोतियाबिंद के अतिरिक्त, मधुमेह जनित रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, कॉर्नियल दृष्टिहीनता, रेटिनल रोगों, समय पूर्व रैटिनापैथी सवहित बाल्यावस्था की दृष्टिहीनता आदि जैसे अन्य नेत्र रोगों का उपचार/प्रबंधन उपलब्ध करना;
- नेत्र परिचर्या सेवाओं में निजी प्रैक्शिनरों की भागीदारी;
- स्कूल नेत्र जांच कार्यक्रम के तहत बच्चों में अपवर्तन (रिफ्रेक्टिव) दोष्ज्ञ की जांच और उसका उपचार तथा अपवर्तन दोष्ज्ञ से पीड़ित बच्चोंको चश्मे का नि:शुल्क वितरण करना;
- कॉर्निया के प्रत्यारोपण के लिए दान किए गए नेत्रों का संग्रहण तथा नेत्र बैंकिंग सेवाओं का सुदृढ़ीकरण;
- नेत्र विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नेत्र सर्जनों के कौशल विकास के लिए उन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण देना;
- नेत्र परिचर्या सेवाओं के परिमाण और गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु विभिन्न स्तरों पर नेत्र परिचर्या संबंधी अवसंरचना सुदृढ़ करना;
- निवारक नेत्र परिचर्या को बढ़ावा देना और आई.ई.सी. कार्यकलापों के माध्यम से जागरूकता का सृजन करना।
- कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन करना।

विवरण-I

भारत में अनुमानित नेत्रहीन व्यक्ति- वर्ष 2001-02

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित नेत्रहीन व्यक्ति (दृष्टि तीक्ष्णता <6/60)
1	2	3
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3919
2	आंध्र प्रदेश	1075331
3	अरुणाचल प्रदेश	24877
4	असम	812471
5	बिहार	646455
6	चंडीगढ़	9099
7	छत्तीसगढ़	334815

1	2	3
8	दादरा और नगर हवेली	2359
9	दमन और दीव	1691
10	दिल्ली	155748
11	गोवा	20429
12	गुजरात	541388
13	हरियाणा	398468
14	हिमाचल प्रदेश	42541
15	जम्मू और कश्मीर	162126
16	झारखंड	379423
17	कर्नाटक	938664
18	केरल	178296
19	लक्षद्वीप	667
20	मध्य प्रदेश	700467
21	महाराष्ट्र	919146
22	मणिपुर	32963
23	मेघालय	17065
24	मिजोरम	6950
25	नागालैंड	20881
26	ओडिशा	513897
27	पुदुचेरी	7596
28	पंजाब	245322
29	राजस्थान	875333
30	सिक्किम	3513
31	तमिलनाडु	484465
32	त्रिपुरा	24572
33	उत्तर प्रदेश	1560897
34	उत्तराखंड	47486
35	पश्चिम बंगाल	954632
	कुल	12143952

*तेलंगाना सहित

स्त्रोत : दृष्टिहीनता सर्वेक्षण 2001-02

विवरण-II

वित्त वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय की तुलना में एसपीआईपी अनुमोदन का विवरण

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय	एसपीआईपी अनुमोदन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	**उच्च फोकस वाले राज्य**						
1	बिहार	1043.95	824.77	1379.16	618.16	1857.90	1182.84
2	छत्तीसगढ़	458.00	307.38	761.20	434.18	961.73	572.34
3	हिमाचल प्रदेश	100.00	151.92	127.00	90.15	243.51	31.35
4	जम्मू और कश्मीर	400.00	146.03	534.24	67.72	413.59	274.36
5	झारखंड	466.00	254.00	685.77	538.78	693.90	572.19
6	मध्य प्रदेश	1000.00	1672.04	1834.13	2420.69	2657.60	2320.32
7	ओडिशा	900.00	874.04	1384.09	846.88	1879.11	709.98

1	2	3	4	5	6	7	8
8	राजस्थान	904.57	1372.00	1708.13	1458.38	1809.38	1518.22
9	उत्तर प्रदेश	2200.00	1582.45	2481.94	1811.67	5065.15	2394.57
10.	उत्तराखंड	274.00	177.65	213.44	167.93	289.69	289.26
	उप योग	7746.52	7362.28	11109.10	8454.54	15871.56	9865.42
ख.	**पूर्वोत्तर राज्य**						
11	अरुणाचल प्रदेश	251.25	0.00	335.38	206.13	391.68	142.86
12	असम	1355.25	1073.30	1401.56	621.16	1598.67	808.34
13	मणिपुर	168.30	36.12	418.46	24.54	844.60	4.86
14	मेघालय	190.50	45.69	203.02	87.70	101.64	48.85
15	मिजोरम	297.00	128.78	214.31	113.36	368.79	156.56
16	नागालैंड	0.00	0.00	324.11	90.96	309.57	130.10
17	सिक्किम	198.21	114.08	79.96	82.79	69.15	52.65
18	त्रिपुरा	300.00	220.18	0.00	178.35	332.64	80.33
	उप योग	2760.51	1618.12	2976.80	1404.99	4016.74	1424.56
ग.	**गैर उच्च फोकस, वाले राज्य**						
19	आंध्र प्रदेश	539.00	1300.45	773.39	1140.19	1950.14	993.40
20	गोवा	145.00	75.54	142.74	58.91	73.82	33.41
21	गुजरात	569.00	2247.89	2238.79	2277.84	2302.19	2209.34
22	हरियाणा	234.00	241.79	365.12	219.48	208.99	85.28
23	कर्नाटक	1073.89	981.17	1959.73	1398.44	3232.88	2013.95
24	केरल	400.50	434.61	554.07	419.21	593.81	670.52
25	महाराष्ट्र	1840.41	1168.12	2160.83	1417.35	2978.67	1197.01
26	पंजाब	323.78	749.89	700.66	490.79	807.29	202.55
27	तमिलनाडु	991.32	1606.12	2013.90	2411.41	2350.04	2691.77
28	तेलंगाना	1520.00	415.04	770.01	575.25	1447.45	1227.76
29	पश्चिम बंगाल	950.00	697.20	1724.69	1056.59	2123.65	1627.78
	उप योग	8586.90	9917.82	13403.93	11465.47	18068.93	12952.74
घ.	**छोटे राज्य/संघ शासित प्रदेश**						
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.00	11.26	61.63	15.82	71.68	4.47
31	चंडीगढ़	68.13	53.29	74.09	52.12	65.10	19.27
32	दादरा और नगर हवेली	18.96	24.46	56.23	33.12	34.58	12.73

1	2	3	4	5	6	7	8
33	दमन और दीव	0.00	11.15	23.76	2.34	16.97	0.45
34	दिल्ली	199.50	143.19	261.10	90.91	569.54	105.16
35	लक्षद्वीप	10.26	0.00	16.07	0.00	22.43.7.71	
36	पुडुचेरी	75.00	26.83	97.18	90.76	80.75	50.20
	उप योग	381.85	270.17	590.06	285.08	861.05	199.99
	महा योग	19475.78	19168.39	28079.89	21610.07	38818.28	24442.71

टिप्पणी :1. एसपीआईपी का आशय राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना से है।

2. व्यय में केन्द्रीय रिलीज, राज्य अंश और वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष राशि शामिल है।

3. उक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई एफएमआर के अनुसार है।

[अनुवाद]

झीलों का संरक्षण

2884. डॉ. फारुख अब्दुल्ला: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन महत्वपूर्ण झीलें अन्चर्सर, खोशाल्सर और गिल्सर विलुप्ति की कगार पर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में अन्य झीलों के लिए आवंटित की गई निधियों की तर्ज पर इन झीलों के लिए कोई केंद्रीय निधियां आवंटित नहीं की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.) के अंतर्गत इन झीलों के जीर्णोद्धार की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) जम्मू और कश्मीर के झील एवं जलमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अन्चर्सर, खोशाल्सर और गिल्सर झीलें खराब स्थिति में हैं।

(ख) और (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में अभिज्ञात नमभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु वर्तमान में केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत साझा करने के आधार पर राष्ट्रीय जलीय पारि-प्रणाली संरक्षण योजना (एन.पी.सी.ए.) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम में विभिन्न कार्यकलाप शामिल है जैसे कि अपशिष्ट जल का अवरोधन, विपथन और शोधन; तटरेखा संरक्षण, झील तट के अग्र भाग का विकास, स्व:स्थाने सफाई अर्थात गाद हटाना और अपतृण हटाना, बरसाती पानी का प्रबंधन जैव-उपचार, आवाह क्षेत्र शोधन, झील सौंदर्यीकरण, सर्वेक्षण और सीमांकन, जैव-बाड़ लगाना, मत्स्य क्षेत्र विकास, अपतृण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता सृजन, समुदाय भागीदारी आदि।

राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दिशा-निर्देशों और बजट उपलब्धता के अनुरूप केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। तदनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अब तक देश में 15 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में 150 नमभूमियों के संरक्षण संबंधी परियोजनाएं मंजूर की हैं और इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के तौर पर 936 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है।

अन्चर्सर, खोशाल्सर और गिल्सर झीलों के प्रबंधन के संबंध में प्रस्तुत की गई पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को समस्त श्रीनगर शहर के लिए एकीकृत सीवरेज योजना प्रस्तुत करने के बारे में सूचित किया गया था, क्योंकि अशोधित नालों से होने वाला प्रदूषण इन जल निकायों की खराब होने का प्रमुख कारक है।

प्रसवपूर्व लिंग जांच

2885. **श्री पी. निवास रेड्डी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड्डयन न्यायालय ने ऑनलाइन सर्च इंजनों को प्रसव पूर्व लिंग जांच से संबंधित इन-हाउस तंत्र की पहचान करने और विज्ञापनों को रोकने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अनुपालन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) और (ख) जी, हां। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिका सं. 341/2008 डॉ. साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम संघ भारत व अन्य में दिनांक 16.02.2017 के आदेश में प्रतिवादी नामत: गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट को निर्देश दिया है कि वे इन-हाउस विशेषज्ञ निकाय नियुक्त करें जो पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी, अधिनियम की धारा 22 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय करे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, भारत संघ ने राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी का गठन किया है जहां लोगों से इलेक्ट्रानिक लिंग चयन विज्ञापन से जुड़ी शिकायतें प्राप्त की जा सके। मंत्रालय ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को इसी प्रकार नोडल एजेंसी गठित करने और सर्च इंजनों को प्रेषित शिकायतों का निपटान करने के लिए इसकी जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशील नोडल एजेंसी के साथ (वेबसाइट से गैर कानूनी सामग्री हटाना) हेतु साझा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दिनांक 13.12.2017 के निर्णय के अनुपालन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय ओर दूर संचार विभाग तथा गृह मंत्रालय के सदस्यों सहित अपर सचिव एवं मिशन निदेशक की अध्यक्षता और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सह-अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार (दिनांक 13.12.2017 का आदेश) विशेषज्ञ समिति की बैठक याचिकाकर्ता के वकील के साथ दिनांक 24.01.2018 को आयोजित की गई थी जिसके माध्यम से पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. अधिनियम की धारा 22 के उल्लंघन को स्वत: रोकने के लिए इन-हाऊस प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की प्रतिबद्धता और इस पर चर्चा करने हेतु सर्चइंजनों (गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट) के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था।

[हिन्दी]

उदर कृमि नाशन

2886. **श्री रमेश विधूड़ी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में ऐसे बच्चों की संख्या सबसे अधिक है जिनमें मिट्टी जनित उदर कृमि की बीमारी की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 11 राज्यों के 277 जिलों में उदर कृमि को मारने का कार्यक्रम लागू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत और डब्ल्यू.एच.ओ. ने बड़े स्तर पर उदर कृमि को मारने का कार्यक्रम चलाने के लिए कोई समझौता किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उदर कृमि मारने के कार्यक्रम को बड़े स्तर पर चलाने और इनमें 536 जिलों को शामिल करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु की भारतीय जनसंख्या का 64% भूमि जनित हेलमिन्थस संक्रमण (एस.टी.एच.) के जोखिम से ग्रस्त है।

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत फरवरी, 2015 में 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामत: असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा व नगर हवेली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा के 277 जिलों में राष्ट्रीय कृमि नाशन दिवस (एन.डी.डी.) शुरू किया गया था। अभियान के दौरान 1 से 19 वर्ष की आयु के 8.98 करोड़ बच्चों को कृमिनाशन उपचार प्रदान किया गया। 2016 से एन.डी.डी. कार्यक्रम को देश के सभी जिलों को कवर करते हुए इसके विस्तार किया गया है।

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन "डब्ल्यू.एच.ओ. फ्री ड्रग डोनेशन कार्यक्रम" के अंतर्गत कृमिनाशन औषधि (एल्बेंडाजॉल टेबलेट) प्रदान करके भारत सरकार को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर रहा है जो एन.डी.डी. कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए औषधि अपेक्षा की आंशिक पूर्ति करता है।

(ङ) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एन.सी.डी.सी.) द्वारा उपलब्ध कराए गए एस.टी.एच. प्रचलन डाटा के आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एन.डी.डी. कार्यक्रम द्वि-वार्षिक तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह वार्षिक आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

2016 से एन.डी.डी. राउंड बार कवरेज निम्नानुसार है:

एन.डी.डी. राउंड	कवर किए गए बच्चे (करोड़ों में)
फरवरी, 2016	25.0
अगस्त, 2016	11.96
फरवरी, 2017	27.8
अगस्त, 2017	22.80
फरवरी, 2018	26.68
अगस्त, 2018	22.70

[हिन्दी]

विकास परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय मंजूरी

2887. **श्री हरिनरायन राजभर:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुमोदन हेतु मंत्रालय के पास विगत तीन वर्षों से लंबित विद्युत, सिंचाई, आवास, खनन, सड़क परिवहन इत्यादि से संबंधित प्रमुख विकास परियोजनाओं की उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं के लंबन के परियोजना-वार कारण क्या हैं और ये परियोजनाएं कब से लंबित पड़ी हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को यथाशीघ्र मंजूरी देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ग) इस मंत्रालय के पास विगत तीन वर्षों से विद्युत, सिंचाई, आवास, खनन, सड़क परिवहन इत्यादि से संबंधित कोई भी प्रमुख विकास परियोजना अनुमोदन हेतु लंबित नहीं है।

राज्य महिला आयोग का वित्तपोषण

2888. **श्रीमती भावना गवली (पाटील):** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य महिला आयोग को निधियां आवंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य आयोग द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं और शुरू की गई गति-विधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इन आयोगों/निकायों द्वारा उपयोग की गई निधियों के संबंध में कोई आंकड़े रखती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी निवेशक

2889. **प्रो सौगत राय:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुचर्चित चीनी कार्यकारी की गिरफ्तारी के कारण विगत पांच व्यापार सत्रों में भारतीय स्टॉक बाजार से विदेशी निवेशकों ने लगभग 400 करोड़ वापस निकाल लिया है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार पैसे निकालना भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य

में ऐसे निकासी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ.पी.आई.) ने 12-18 दिसम्बर, 2018 के दौरान भारतीय स्टॉक बाजार से 4093 करोड़ रुपए निकाल दिए हैं। तथापि, इस बहिर्वाह के लिए किसी एकल कारक को कारण नहीं माना जा सकता है। एफ.पी.आई. निवेशों को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारकों में संबंधित एफ.पी.आई. के निवेश का उद्देश्य और अधिदेश, संबंधित अधिकारिता और इनके प्रतिस्पर्धियों के वित्तीय बाजार में प्रचलित परिस्थितियां, प्रस्तावित निवेश से प्रत्याशित भावी प्रतिफल, वैश्विक वृहद-आर्थिक और भू-राजनीतिक कारक आदि शामिल हैं।

(ग) विदेशी मुद्रा भंडार में किसी अवधि के दौरान सभी चालू खातों और पूंजी खातों के प्रवाह के निवल प्रभाव की सीमा तक बदलाव होता है। इसलिए, विदेशी निवेशकों द्वारा निकाले गए धन का प्रभाव भारत के भुगतान शेष में अन्य प्रवाहों की सीमा पर निर्भर करता है।

(घ) पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भारत सरकार के परामर्श से आकस्मिक आहरण पर रोक लगाने तथा स्थिर एवं बने रहने वाले एफ.पी.आई. निवेशकों के संवर्धन के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में निवेश संबंधी सीमाएं, दीर्घावधि निवेशकों के लिए तरजीही व्यवहार, ऋण में अल्पावधि निवेश संबंधी प्रतिबंध आदि शामिल है।

सिद्ध अनुसंधान केन्द्र

2890. श्री भोला सिंह:
श्री वी. पन्नीरसेलवम:
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:
डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चालू सिद्ध संस्थानों/अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ बनाने/उन्नयन करने और नवीन सिद्धा संस्थानों/अनुसंधान केंद्रों को खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आधारभूत ढांचागत विकास और अनुसंधान सुविधाओं के संवर्धन और चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान को निधियां प्रदान की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में कार्यरत चिकित्सकों की संख्या सहित गत चार वर्षों के दौरान सरकारी आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर आयुष के अंतर्गत सिद्ध और अन्य पद्धतियों को उपलब्ध करवाने के लिए ई-शासन और टेलीमेडिसिन के प्रोत्साहन हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की तर्ज पर अखिल भारतीय सिद्ध चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) देश में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निम्नलिखित सिद्ध संस्थान/अनुसंधान केंद्र क्रियाशील हैं:

(i) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एन.आई.एस.)

(ii) केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु

(iii) क्षेत्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी, पुदुचेरी

(iv) क्षेत्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान, तिरूवनंतपुरम, केरल

(v) नैदानिक सिद्ध अनुसंधान संस्थान, पलायमकोट्टई

(vi) नैदानिक सिद्ध अनुसंधान एकक, करोल बाग, नई दिल्ली

(vii) नैदानिक सिद्ध अनुसंधान एकक, बैंगलुरु, कर्नाटक

(viii) सिद्ध औषधीय पादप उद्यान, मेट्टूर बांध

उपर्युक्त के अलावा, केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद ने श्री वेंकटेश्वर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज

(एस.वी.आई.एम.एस.), तिरुपति, आंध्र प्रदेश के साथ हस्ताक्षर करके एक समझौता ज्ञापन किया है। सी.सी.आर.एस. जल्द ही तिरुपति में नए नैदानिक सिद्ध अनुसंधान एकक, का उद्‌घाटन करेगा।

राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई को मजबूत करने/उन्नत बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) 31.65 करोड़ रु. की लागत से एक नए ओ.पी.डी. ब्लॉक के निर्माण का अनुमोदन किया गया है। यह निर्माण कार्य चल रहा है।

(ii) शुरुआत में 120 बिस्तरों की संख्या के साथ आई.पी.डी. शुरू की गई और वर्ष 2014 में इसे बढ़ाकर 200 बिस्तर कर दिया गया।

(iii) 200 बिस्तर वाले अस्पताल में 2016-17 के दौरान बिस्तर धारिता 90% रही।

(iv) सी.सी.आई.एम. मानदंडों को पूरा करने के लिए वर्ष 2016 में अनुबंध के आधार पर 11 डॉक्टरों और 30 पराचिकित्सकों के पदों को मंजूरी दी गई।

(v) ओ.पी.डी. में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण वर्ष 2017 में अनुबंध के आधार पर पराचिकित्सा स्टाफ के 32 पद मंजूर किए गए।

(vi) वर्ष 2018 में, अनुबंध के आधार पर योग विशेषज्ञों के दो पद, वर्मम विशेषज्ञों के 2 पद और जर्राह का एक पद मंजूर किया गया है। इसी प्रकार संस्थान में फिजियोथेरेपिस्ट का एक पद और फार्मासिस्ट के 6 पदबाह्यस्रोत के आधार पर मंजूर किए गए हैं।

(vii) 10 - विशेष ओ.पी.डी. (मधुमेह, कार्डियक/ब्रों.अस्थमा, कॉस्मेटोलॉजी, मोटापा, गुर्दे/उच्च रक्तचाप, योगम और कायाकल्पम, जराचिकित्सा, पुटरु, बांझपन, प्रसूति/स्त्री रोग) और मौसमी डेंगू हेतु खोली गई हैं।

(viii) योग हॉल का निर्माण किया गया।

(ix) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों में रक्ताल्पता के लिए एक सिद्ध औषधि की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2015 में एक - पी.एच.आई. अध्ययन प्रारंभ किया गया।

(x) ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में पांच आउटरीच क्लिनिकों का आयोजन स्वास्थ्य रक्षण और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के रूप में किया गया है।

(xi) फरवरी 2018 में थिरुकाझुकुंदरम के जनजातीय क्षेत्र में एक ओ.पी.डी. शुरू की गई।

(xii) अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए ए.-एच.एम.आई.एस. नाम से टी.एच.ई.आर.ए.एन. सॉफ्टवेयर लागू किया गया है।

केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई के तहत अनुसंधान केंद्रों को मजबूत-उन्नत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

(i) 21.10.2017 को क्षेत्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान, तिरुवनन्तपुरम में नए सिद्ध खंड का उद्‌घाटन प्रयोगशालाओं और अंतरंग रोगी वार्डों के साथ नैदानिक अनुभाग के विकास के लए (किया गया है)।

(ii) अनुसंधान कार्यकलापों के लिए आवश्यकता के आधार पर 4.13 करोड़ रुपये की राशि के आधुनिक और अत्याधुनिक उपकरण खरीदे गए हैं।

(iii) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के सहयोग से 33 अंतर्वर्ती अनुसंधान (आई.एम.आर.) परियोजनाएं चल रही हैं।

(iv) केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.एस.) ने श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एस.सी.आई.एम.एस.), तिरुपति, आंध्र प्रदेश के साथ हस्ताक्षर करते हुए समझौता ज्ञापन किया है। सी.सी.आर.एस. जल्द ही तिरुपति में नए नैदानिक सिद्ध अनुसंधान एकक का उद्‌घाटन करेगा। इसके अलावा सी.सी.आर.एस. के तहत नए केंद्रों की स्थापना के लिए लक्ष्य स्थान गुवाहाटी, (असम) और गोवा हैं। केंद्रीय सिंह अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान उत्कृष्टता केंद्र की ओर अग्रसर है।

(v) अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए ए.-एच.एम.आई.एस. नाम से टी.एच.ई. आर.ए.एन. सॉफ्टवेयर लागू किया गया है

पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान और सी.सी.आर.एस., चेन्नई को आवंटित निधियां इस प्रकार हैं:

करोडों में

वर्ष	एन.आई.एस. चेन्नई हेतु सहायता अनुदान	सी.सी.आर.एस., चेन्नई हेतु सहायता-अनुदान
2015-16	26	19.57
2016-17	25	22.59
2017-18	28.84	26.94
2018-19	35.50	28.50

(ख) इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान को धनराशि संस्थान द्वारा प्रायोजित आवश्यकताओं और आयुष मंत्रालय के पास धन की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाती है।

(ग) पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान को आवंटित निधियां ऊपर (क) पर दर्शाई गई है।

(घ) आयुष मंत्रालय के तहत आयुष अस्पताल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक "आयुष-अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली" शुरू की गई है। इसमें सिद्ध पद्धति भी शामिल हैं। इस प्रणाली की मेजबानी राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान द्वारा की जाती है।

(ड.) और (च) जी नहीं।

नए एम्स के निर्माण में लागत और समयावधि में वृद्धि

2891. **श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:**
श्री राजीव सातव:
श्री धनंजय महाडीक:
श्री पी.आर. सुन्दरम:
डॉ. जे. जयवर्धन:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छह नए एम्स के निर्माण की लागत में 2928 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या छह नए एम्स के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की अवधि बढ़ गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने गत चार वर्षों के दौरान नए एम्स के निर्माण के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ऐसी परियोजनाओं के समय और लागत में वृद्धि को घटाने हेतु उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का वर्ष 2014 से अब तक वर्ष-वार, राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के मार्च, 2006 में प्रारंभिक अनुमोदन के अनुसार, छह एम्स की निर्माण लागत का अनुमान 1992.00 करोड़ रुपए लगाया गया था। तथापि सी.सी.ई.ए. द्वारा फरवरी, 2010 में इसे संशोधित करके 4920.00 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप लागत अनुमान में 2,928 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। सी.सी.ई.ए. नोट 2010 में इस लागत वृद्धि के लिए उल्लिखित कारण एवं परियोजना-वार ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) निम्नलिखित कारकों जैसे उपयुक्त समय पर भूमि की अनुलब्धता, डिजाइन डी.पी.आर. सलाहकारों, परियोजना सलाहकारों, निर्माण एजेंसियों की असफलता और संशोधित लागत अनुमानों को अंतिम रूप देने में विलंब, कुछ मामलों में अपर्याप्त बोलियां प्राप्त होना आदि के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में अधिक समय लगा है।

तथापि, वर्तमान में सभी छह एम्स सभी स्पेशलिटी और अधिकांश सुपर-स्पेशलिटिज के साथ कार्यात्मक हैं।

(ग) मंत्रालय मासिक रिपोर्टों, वरिष्ठ स्तर पर प्रगति बैठकों, डैसबोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी आदि के माध्यम से छ: नये एम्स के निर्माण कार्य की प्रगति की निगरानी आवधिक रूप में करता रहा है।

(घ) पी.एम.एस.एस.वाई. के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. निष्पादक एजेंसियों को सभी अनुबंधात्मक मामले संभालने

के अधिकार देकर निर्माण कार्य टर्न की आधार पर देने की प्रणाली प्रारंभ की गई है।

ii. कार्यात्मक एम्स को निर्माण, अधिप्रापण ओर प्रशासनिक मामलों में व्यापक शक्तियां प्रदान करने के साथ शक्तिसंपन्न बनाया गया है।

iii. चिकित्सा उपस्करों के अधिप्रपण की प्राप्ति को अधिप्रापण सहायक एजेंसी (पी.एस.ए.) में व्यापक अधिकार देकर अधिक सरल और कुशल बनाया गया है।

iv. राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध संकाय में सुधार लाने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं।

v. सभी पी.एम.एस.एस.वाई. परियोजनाओं की प्रगति की कड़ी निगरानी को सुकर बनाने के लिए एक ऑनलाइन डैसबोर्ड का सृजन किया गया है।

विवरण

एम्स की लागत में बढ़ोत्तरी के लिए उत्तरदायी कारक

वर्ष 2010 में सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित संशोधित लागत अनुमानों (आर.सी.ई.) के अनुसार लागत में बढ़ोत्तरी के कारण निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

क्र.सं.	लागत बढ़ोत्तरी हेतु विचारित मदें	बढ़ोत्तरी का औचित्य
(i)	वर्ष 2004 में ई.एफ.सी. द्वारा अनुमोदित लागत से ऊपर लागत सूचकांक में बढ़ोत्तरी	लागत सूचकांक में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप लगभग 70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रभाव पड़ा है।
(ii)	कार्यक्षेत्र में बदलाव	बिस्तरों की संख्या के 850 से बढ़कर 960 होना और प्रति बिस्तर की आवश्यकता 60-65 वर्ग मी. से बढ़कर 100 वर्ग मीटर होना जिसके परिणामस्वरूप लगभग 175 कोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय विवक्षा हुई।
(iii)	ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा में बेहतर परंपराओ को अपनाना और ऊर्जा संरचना बिल्डिंग कोड्स (ई.सी.बी.सी.) का अनुपालन	अतिरिक्त वित्तीय विवक्षा लगभग 45 करोड़ रुपये की है। तथापि, यह ऊर्जा की प्रति वर्ष 15-20 प्रतिशत बचत करके 3-4 वर्षों में बराबर हो जायेगी।
(iv)	मदो की वृद्धि जिनकी पूर्व ई.एफ.सी. में परिकल्पना नहीं की गई थी	अतिरिक्त मदों जिनकी पूर्व ई.एफ.सी. में परिकल्पना नहीं की गई थी के समावेशन पर अतिरिक्त प्रभाव लगभग 145 करोड़ रुपए का है।
(v)	कार्य संविदा कर	पूर्व ई.एफ.सी. प्रस्ताव में कार्य संविदा कर पर विचार नहीं किया गया था। 4 प्रतिशत पर, वित्तीय विवक्षा प्रति स्थल करीब 23 करोड़ रुपए होगा।
(vi)	चिकित्सा उपकरणों का संवर्धन	ई.एफ.सी./सी.सी.ई.ए. के अनुसार, चिकित्सा उपकरणों की लागत 104.50 करोड़ रुपये थी। तत्पश्चात एम्स नई दिल्ली/ पी.जी.आई.एम.ई.आर. (चंडीगढ़) के चिकित्सा विशेषज्ञों ने प्रत्येक संस्थान के लिए आवश्यक अन्य सेवा उपकरणों सहित चिकित्सा उपकरणों की न्यूनतम आवश्यकता की गणना की, जिसकी अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपये है।
(vii)	3 प्रतिशत के दर पर आकस्मिकताएं	उपरोक्त पहलुओं पर लागत के प्रभाव के कारण आकस्मिक व्यय में लगभग 9 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी होगी।

वर्ष 2010 की स्थिति अनुसार मंत्रिमंडल नोट में संशोधित अनुमानित लागत

क्र.सं.	विवरण	संशोधित कुल क्षेत्र (वर्ग मीटर)	आवास और होस्टल (करोड़ रूपये)	अस्पताल और कॉलेज (करोड़ रूपये)	चिकित्सा उपकरणों की लागत (करोड़ रूपये)	कुल लागत (करोड़ रूपये)
1	भोपाल	175052	110.342	507.28	200.00	817.70
2	भुवनेश्वर	191457	103.05	497.44	200.00	800.49
3	जोधपुर	167188	67.70	488.88	200.00	756.58
4	पटना	179839	125.28	513.15	200.00	838.43
5	रायपुर	184219	111.58	458.90	200.00	770.48
6	ऋषिकेश	178737	103.05	480.10	200.00	783.15
			621.002	2945.75	1200.00	4766.83

प्रति संस्थान 25 करोड़ रूपए के परामर्श शुल्क के साथ 4766+(25x6) 150= 4916 करोड़ रूपये होता है जो लगभग 820 करोड़ रूपये प्रति संस्थान है।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों को अप्राकृतिक रूप से पकाना

2892. श्रीमती रमा देवी:
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान मिलावट और रासायनिक यौगिकों के उपयोग से फलों और सब्जियों को अप्राकृतिक रूप से पकाने के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने मामले सामने आए हैं;

(ख) क्या ऐसी मिलावट और रासायनिक यौगिकों के उपयोग का लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और गुर्दे, यकृत और दिल की बीमारियां पैदा होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियानों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) फलों को एसेटिलीन गैस और आमतौर पर कार्बाइड गैस के नाम से प्रसिद्ध है, का प्रयोग करके कृत्रिम रूप से पकाना खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय का निषेध एवं प्रतिबंध) विनियमावली, 2016 के उप-विनियम, 2.3.5 के अंतर्गत वर्जित है। तथापि, उक्त विनियम के उपबंध के अंतर्गत फलों को एथेलीन गैस को 100 पी.पी.एम. तक की सघनता पर पकाने की अनुमति है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार ताजे फलों एवं सब्जियों विश्लेषित एवं अपुष्ट पाए गए नमूनों तथा पिछले दो वर्षों के दौरान की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण-I और विवरण-II पर दिए गए हैं। वर्ष 2015-16 का केवल सभी खाद्य उत्पादों से संबंधित समेकित डाटा ही उपलब्ध है, जो संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

(ख) फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसेटिलीन गैस निर्गत करने के लिए बेइमान व्यापारी कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं उसमें आरसेनिक और फासफोरस होते हैं, जो मनुष्य के लिए हानिकार होते हैं और जो चक्कर आने, निरंतर प्यास लगने, क्षोभ, कमजोरी, निगलने में परेशानी, उल्टी, चर्म अल्सर आदि का कारण होती है। फलों को पकाने के लिए इस रसायन का उपयोग करने पर भारत में प्रतिबंध है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने "आर्टीफिशियल राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स-एथिलीन गैस-अ सेफ फ्रूट राइपनर" शीर्षक से एक दिशानिर्देश नोट संख्या 4/2018 तैयार किया है और अपनी वेबसाइट अर्थात् *www.fssai.gov.in* तथा सामाजिक मीडिया हैंडल्स के माध्यम

से साझा किया है। इस दिशानिर्देश नोट का उद्देश्य खाद्य व्यवसाय प्रचालकों/व्यापारियों, उपभोक्ताओं और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों/कर्मचारियों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जागरूकता का सृजन करना है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के बारे में एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा एक सामाजिक मीडिया अभियान भी चलाया गया था। इस अभियान में कैल्शियम कार्बाइड के प्रयोग पर प्रतिबंध, उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के लिए सुझाव, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका आदि के बारे में सूचना के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने पर एक विज्ञापन 'जागो ग्राहक जागो' के संरक्षण में उपभोक्ता कार्य विभाग, भारत सरकार के सहयोग से एक संयुक्त अभियान देशभर के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

विवरण-I

ताजे फलों एवं सब्जियों का परीक्षण रिपोर्ट डाटा (1 अप्रैल 2016-31 मार्च 2017)

राज्य	विश्लेषित नमूनों की संख्या	अपुष्ट पाये गये नमूनों की संख्या	प्रारंभ किए गए मामलों की सं.		दोषसिद्धि/जुर्मानों की संख्या		
			आपराधिक	सिविल	दोषसिद्धि	जुर्मानों की संख्या	जुर्माना की राशि
अरुणाचल प्रदेश	3	–	–	–	–	–	–
दादरा और नगर हवेली	30	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	24	0	0	0	0	0	0
गोवा	89	2	–	–	–	–	–
हरियाणा	53	3		1	–	–	–
केरल	49	2	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	8	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	159	31	24	0	0	0	0
पुदुचेरी	5	1	–	–	–	–	–
पंजाब	38	9	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	16	8	3	4	4	5	46000
तेलंगाना	255	130	68	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	39	7	0	0	0	2	160000
कुल	767	193	95	5	4	7	206000

स्त्रोत : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विवरण-II

ताजे फलों एवं सब्जियों का परीक्षण रिपोर्ट डाटा (1 अप्रैल 2017-31 मार्च 2018)

राज्य	विश्लेषित नमूनों की संख्या	अपुष्ट पाये गये नमूनों की संख्या	प्रारंभ किए गए मामलों की सं.		दोषसिद्धि/जुर्मानों की संख्या		
			आपराधिक	सिविल	दोषसिद्धि	जुर्मानों की संख्या	जुर्माना की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	463	114	67	03	16	06	79500

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	21	01	01	--	--	--	--
चंडीगढ़	22	--	--	--	--	--	--
छत्तीसगढ़	04	02	--	--	--	--	--
गोवा	91	0	0	0	0	0	0
गुजरात	78	07	01	01	0	0	0
हरियाणा	24	--	--	02		02	8000
कर्नाटक	08	1	0	0	0	0	0
केरल	148	07	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	02	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	119	08	03	01	0	0	0
मणिपुर	10	1	--	--	--	--	--
ओडिशा	16	02	0	0	0	0	0
पंजाब	243	14	0	01	0	01	12000
राजस्थान	11	02	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	36	18	1	--	--	--	--
त्रिपुरा	03	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	49	22	01	03	01	03	24000
कुल	1348	199	74	11	17	12	123500

स्त्रोत : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विवरण-III

1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 के दौरान खाद्य उत्पादों के नमूनों की जांच की संख्या, अपुष्ट पाए गए मामलों और चलाए गए मुकदमों से संबंधित विवरण

वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	अपुष्ट पाए गए नमूनों की संख्या	चलाए गए सिविल/आपराधिक मामलों की संख्या	दोषसिद्धि	उन मामलों की संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया/राशि वसूली गई
2015-16	72499	16133	9979	540	3669/21,65,98,989 रुपये

स्त्रोत : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

सी.-सेक्शन प्रसव

2893. **श्री जय प्रकाश नारायण यादव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिजेरियन सेक्शन प्रसव मां और बच्चे के स्वास्थ्य को विपरीत रूप से प्रभावित करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में निजी अस्पतालों से अधिक प्रसव सिजेरियन सेक्शन के माध्यम से किया जा रहा है यदि

हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या निजी अस्पताल अपने वित्तीय लाभ के लिए बिना चिकित्सा संबंधी बाध्यताओं के भी सी-सेक्शन प्रसव करवा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या दंडात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) सीजेरियन प्रसूति से शिशु जन्म विश्व में सर्वाधिक सामान्य सर्जरियों में से एक है। माना जाता है कि 15 प्रतिशत गर्भावस्थाओं में जटिलताएं होंगी और सर्जरी अपेक्षित होगी।

हालांकि, अन्य सर्जरियों की भांति, सीजेरियन सेक्शन द्वारा की जाने वाली प्रसूतियों में भी सर्जिकल और एनेस्थिेटिक जटिलताएं होने का खतरा होता है।

(ख) राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण-IV (2015-16) के अनुसार, निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में सीजेरियन प्रसूति (%) में शिशु जन्म 40.9% है, जोकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की तुलना में अधिक है, जहां यह 11.9% है। सीजेरियन सेक्शन की उच्चतर दरों के कई कारण हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने अप्रैल 2015 में जारी अपने वक्तव्य में कहा है कि जनसंख्या स्तर पर 10% से अधिक सीजेरियन सेक्शन दर को मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी से नहीं जोड़ा जा सकता।

- इस संबंध में, सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों के समस्त राज्य प्रधान सचिवों और मिशन निदेशकों को उनके संबंधित राज्य में कार्यरत सभी प्रसूति विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञों के साथ डब्ल्यू.एच.ओ. वक्त्व को साझा करने का आग्रह करते हुए कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/182/2015-एम.सी.एच. के द्वारा एक पत्र भेजा गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों को सुझाव दिया गया है कि वे निजी क्षेत्र में आवधिक रूप से प्रेस्क्रपशन लेखा-परीक्षा आयोजित करें जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर भी लागू किया जा सकता है।
- भारत सरकार ने भारतीय प्रसूति एवं स्त्री रोग सोसाइटी संघ (एफ.ओ.जी.एस.आई.) को भी का. ज्ञा.सं.एम. 12015/182/2015-एम.सी.एच. के द्वारा एक पत्र लिखा है कि वे उनके साथ पंजीकृत सभी प्रसूति विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञों के साथ डब्ल्यू.एच.ओ. वक्तव्य को साझा करें।
- भारत सरकार ने निजी क्षेत्र सहित परिचर्या संस्थानों के पंजीकरण और विनियमन के उद्देश्य से नैदानिक स्थापना (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया है। चूंकि स्वास्थ्य राज्य संबंधी विषय है, अत: राज्यों से अधिनियम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है। तथापि, केन्द्र उच्च सीजेरियन सेक्शन दरों को विनियमित करने के लिए निरंतर मार्गदर्शन, कड़ी निगरानी और निर्देशन प्रदान करता है।
- सभी सी.जी.एस.एच. पैनलबद्ध अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे सीजेरियन सेक्शन से हुए प्रसवों की तुलना में सामान्य प्रसवों के अनुपात संबंधी सूचना भी प्रदर्शित करें। इस संबंध में सभी सी.जी.एच.एस. पैनलबद्ध अस्पतालों को कार्यालय ज्ञापन जैड-15025/2017 के द्वारा एक पत्र भेजा गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार को, ऐसी महिलाओं, जिनके लिए सीजेरियन सेक्शन से प्रसव अपेक्षित भी नहीं है, से पैसा बनाने और उन्हें सीजेरियन प्रसव के लिए बाध्य करने के लिए डॉक्टरों के अनैतिक कार्य के संबंध में लोक शिकायतों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

स्वास्थ्य राज्य संबंधी विषय होने के कारण, ऐसे मामलों में कार्रवाई करना राज्यों का दायित्व है।

जिला अस्पतालों में उपकरणों और टेक्नीशियनों की कमी

2894. श्री बोध सिंह भगत: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सहित देश के प्रत्येक सिविल अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन, सोनोग्राफी मशीन, और डिजिटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) मध्य प्रदेश सहित देश के प्रत्येक जिला अस्पताल में कब तक एम.आर.आई. मशीन और टेक्नीशियन उपलब्ध करवाये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार कैंसर रोगियों हेतु राज्यों

के डिविजनल मुख्यालयों में सभी नवीनतम उपकरण वाले अस्पताल खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार के द्वारा एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत ग्रामीण सामुदायिक अस्पताल में दंत चिकित्सकों की नियुक्ति की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो इसके कब तककिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) जन स्वास्थ्य और अस्पताल का विषय होने के कारण, अस्पतालों की स्थापना करने तथा उन्हें आवश्यकता के आधार पर सीटी स्कैन मशीन, सोनोग्राफी मशीन, एक्स-रे मशीन तथा एम.आर. मशीन जैसे उपकरणों से सुसज्जित करने सहित, अपने नागरिकों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचया/उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्यन योजनाओं (पी.आई.पी.) में दर्शाई गई आवश्यकता के आधार पर तकनीशियनों सहित स्वास्थ्य मानव संसाधन को भाड़े पर लेने के साथ-साथ ऊपर दर्शाए गए उपकरणों की खरीद करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश राज्य सहित उपकरणों की खरीद हेतु एन.एच.एम. के तहत अनुमोदित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग तथा अभिघात की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) जिसे राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है, के तहत जिला अस्पताल स्तर पर गैर-संचारी रोग क्लिनिक स्थापित किए जाते हैं। भारत सरकार भी कैंसर हेतु उच्च स्तरीय परिचर्या के सुदृढ़ीकरण हेतु एक कार्यक्रम चला रही है। जिसके तहत राज्य कैंसर संस्थान एवं उच्च स्तरीय परिचर्या कैंसर केन्द्र स्थापित किए जाते हैं। राज्य कैंसर केन्द्रों की स्थापना हेतु अभी तक 35 पस्तावों को अनुमोदित किया जा चुका है।

(ङ) और (च) जिला अस्पतालों एवं उससे निचले स्तर पर दंत चिकित्सा परिचर्या इकाइयां तथा मानव संसाधन स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में दर्शाए गए अंतराल विश्लेषण के आधार पर दंत चिकित्सकों के लिए सहायता सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्रों में निवारक, प्रोत्साहन और बेसिक रोगनाशक मुख स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य मोबाइल डेंटल वेन के लिए सहायता की मांग कर सकते हैं। जबकि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अभी तक इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया है, पुडुचेरी, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के लिए मोबाइल डेंटल वेन अनुमोदित की गई हैं। गोवा, महाराष्ट्र तथा दमन और दीव जैसे कुछ राज्य प्रयोजित मोबाइल डेंटल वैनों का परिचालन कर रहे हैं।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उपकरणों की खरीद हेतु एसपीआईपी अनुमोदन का विवरण

(लाख रूपये में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18
	क. उच्च फोकस वाले राज्य			
1	बिहार	7160.64	4401.43	2493.98
2	छत्तीसगढ़	451.24	2913.85	4133.56
3	हिमाचल प्रदेश	902.99	308.57	868.57
4	जम्मू और कश्मीर	620.98	1738.78	1336.64
5	झारखंड	1388.80	391.91	1787.62

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18
6	मध्य प्रदेश	2363.55	8337.85	5091.44
7	ओडिशा	1588.95	854.04	668.95
8	राजस्थान	5427.58	3506.38	4988.28
9	उत्तर प्रदेश	8455.38	1434.12	4372.94
10	उत्तराखंड	354.84	73.82	309.02
	उप योग	28714.95	23960.74	26051.00
	ख. उत्तर-पूर्व राज्य			
11	अरुणाचल प्रदेश	214.81	120.65	283.26
12	असम	5876.89	5753.08	7316.27
13	मणिपुर	41.20	713.56	692.53
14	मेघालय	301.79	73.39	644.17
15	मिजोरम	93.41	851.31	1844.93
16	नागालैंड	115.56	168.56	658.46
17	सिक्किम	565.34	68.59	212.40
18	त्रिपुरा	286.01	167.60	1241.73
	उप योग	7495.01	7916.74	12893.75
	ग. उच्च गैर-फोकस वाले राज्य			
19	आंध्र प्रदेश	1719.18	2747.03	4551.32
20	गोवा	67.61	82.81	144.79
21	गुजरात	1268.94	1437.13	2104.45
22	हरियाणा	713.32	96.57	259.03
23	कर्नाटक	652.27	1825.07	3400.49
24	केरल	1262.94	1668.28	1729.67
25	महाराष्ट्र	5173.52	8691.88	8555.82
26	पंजाब	531.85	389.78	7720.72
27	तमिलनाडु	4788.46	3064.26	4562.67
28	तेलंगाना	2410.18	657.49	2572.35
29	पश्चिम बंगाल	1102.33	7277.21	2350.60
	उप योग	19690.60	27937.51	37951.91
	घ. छोटे राज्य/संघ शासित क्षेत्र			
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	27.22	20.16	20.01

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18
31	चंडीगढ़	19.87	20.75	166.31
32	दादरा और नगर हवेली	26.44	28.05	27.21
33	दमन और दीव	17.14	15.57	26.84
34	दिल्ली	0.00	0.00	125.00
35	लक्षद्वीप	5.01	5.63	22.83
36	पुदुचेरी	105.70	222.53	516.55
	उप योग	201.38	312.69	904.75
	सकल योग	56101.94	60127.68	77801.41

टिप्पणी :

1. व्यय में केन्द्र द्वारा जारी राशि की तुलना में किया गया व्यय राज्य की हिस्सेदारी तथा वर्ष के प्रारंभ में अप्रयुक्त शेष राशियां शामिल हैं। इसे 30.9.2018 तक अद्यतन किया गया है, अत: अनंतिम हैं।
2. उपर्युक्त आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित की गई एफएमआर के अनुरूप हैं।
3. एसपीआईपी का अर्थ राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना से हैं।

आयुष केंन्द्र

2895. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री जॉर्ज बेकर:
श्री अनिल शिरोले:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित देशभर में आयुष केंद्रों के अंतर्गत कवर की आ रही बीमारियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों के अंतर्गत कवर नहीं की जा रही बीमारियों का ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन केंद्रों में नई बीमारियों को कवर करने की संभावनाओं का पता लगा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में आयुर्वेदिक दवाइयों का नैदानिक परीक्षण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परीक्षणों के अंतर्गत अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने का प्राथमिक दायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों का है। तथापि, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अस्पतालों/औषधालयों में देखे जाने/न देखे जाने वाले रोगों का विवरण केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता।

(घ) और (ड.) आयुर्वेदीय, सिद्ध एवं यूनानी औषधों पर नैदानिक परीक्षणों के आयोजन हेतु आदर्श नैदानिक अभ्यासों के दिशा-निर्देशों का एक सेट प्रकाशित किया गया है और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 158-ख के प्रावधानों के बारे में दिनांक 4 जुलाई, 2018 को राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारियों को स्पष्टीकरण जारी किया गया है जो प्रायोगिक अध्ययनों सहित प्रभावकारिता की सुरक्षा एवं साक्ष्य के प्रमाण के आधार पर आयुर्वेदीय, सिद्ध एवं यूनानी औषधों की विभिन्न श्रेणियों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु विनियामक दिशो-निर्देशों के संबंध में है। आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी पद्धतियों की अनुसंधान परिषदें नैदानिक परीक्षणों सहित अलग-अलग अनुसंधान कार्यकलाप करती हैं।

इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ स्वायत्त संगठन केंदीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.ए.एस.) शास्त्रीय आयुर्वेदीय औषधयोगों को विधिमान्य बनाने और नए औषध विकास करने हेतु भी नैदानिक अनुसंधान

आयोजित कर रही है। यह परिषद अभी तक राष्ट्रीय महत्व के रोगों के लिए लगभग 100 औषधयोगों की नैदानिक प्रभावकारिता एवं सुरक्षा के वैज्ञानिक साक्ष्य पैदा कर चुकी है।

सी.सी.आर.ए.एस. नए आयुर्वेदीय औषधों के विकास में भी सतत रूप से लगी हुई है। सी.सी.आर.ए.एस. ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन.आर.डी.सी.) के माध्यम से 11 प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। इनका ब्यौरा विवरण-I में दिया हुआ है।

शास्त्रीय आयुर्वेदीय औषधयोग को विधिमान्य बनाने और औषध विकास के लिए नैदानिक अनुसंधान के क्षेत्र में परिषद की उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन.आर.डी.सी.) के माध्यम से विकास के लिए केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.ए.एस.) द्वारा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की स्थिति

क्र.सं.	उत्पाद का नाम	प्रक्रिया
1.	आयुष-64	मलेरिया-रोधी संपाक।
2.	बाल रसायन	बच्चों में सामान्य प्रतिरोध का संपाक।
3.	आयुष घुट्टी	बच्चों की खांसी, सर्दी, बुखार और दस्त के लिए संपाक
4.	आयुष-56	मिरगी-रोधी संपाक।
5.	आयुष-एस.एस. दाने	कम दुग्ध स्राव वाली माताओं के स्तन दूध की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाने के लिए संपाक।
6.	आयुष एजी वटी	प्रसव पूर्व (रक्ताल्पता) के लिए संपाक।
7.	आयुष पीके अवलेह	प्रसवोपरांत परिचर्या (प्रसव के बाद शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और प्रासविक अवधि की अन्य जटिलताएं) के लिए संपाक।
8.	आयुष पीजी वटी	प्रसव पूर्व परिचर्या (शोफ) के लिए संपाक।
9.	आयुष बी आर लेहम	बाल चिकित्सा परिचर्या के लिए संपाक।
10.	आयुष 82	मधुमेह रोधी आयुर्वेदीय औषध योग।
11.	आयुष एस.जी.	संधिशोथ रोधी संपाक।

विवरण-II

केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.ए.एस.) द्वारा नैदानिक परीक्षणों के तहत की गई उपलब्धियों का सारांश

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सी.सी.आर.ए.एस.) ने परिषद के विभिन्न संस्थानों के माध्यम से 32 से अधिक बीमारियों/रोगदशाओं अर्थात् एलर्जी नेत्रश्लेष्मलाशोथ, ब्रोन्कियल अस्थमा, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस, संज्ञानात्मक कमी, सूखी आंख सिंड्रोम, डिस्लिप्लिडेमिया, टाइप ii मधुमेह मेलेटस, आवश्यक उच्च रक्तचाप, इर्रीटेबल बोवेल सिंड्रोम (आई.बी.एस.), लोह की कमी से रक्ताल्पता, रजोनिवृत्ति, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरायसिसि/ऑस्टियोपीनिया, संधिशोथ, बढ़ती उम्र में स्वस्थता हेतु रसायन, डिसमेनोरिया, सारायसिस, गाउट, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, बवासीर, मानसिक मंदता, सामान्यीकृत चिंता विकार और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आदि पर शास्त्रीय और नए औषधयोगों सहित लगभग 100 आयुर्वेदीय औषधयोगों की सुरक्षा और प्रभावकारिता पर नैदान्कि अनुसंधान में लगी पूरे देश की अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों के सहयोग से वैज्ञानिक साक्ष्य उत्पन्न किए हैं।

आयुर्वेदीय औषधयोग, जो प्रचलन में और बाजार में उपलब्ध हैं, उनकी नैदानिक प्रभावकारिता और सुरक्षा पर साक्ष्य चिकित्साभ्यासियों और उपभोक्ताओं के लिए उनके तर्कसंगत उपयोग के कारण अत्यधिक उपयोगी हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र का कार्य-निष्पादन

2896. **श्री सदाशिव लोखंडे**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में देश के विकास की स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह विकास चहुंमुखी है या एक पक्षीय है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आत्महत्याओं के बढ़ते हुए

मामले एक पक्षीय विकास को दर्शाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या चहुंमुखी विकास घरेलू निजी क्षेत्र द्वारा बेहतर प्रदर्श करने के कारण हुआ है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में, कुछ अपवादों को छोड़कर, अत्यधिक भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण हर जगह असफल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) देशभर में मिशन मोड स्वच्छता अभियानों, बेहतर टीकाकरण और विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन सहित सरकारी कल्याणकारी सेवाओं के बढ़ते उपयोग के कारण अर्थव्यवस्था के विकास संकेतकों जैसे कि प्रति व्यक्ति आय के स्तरों में वृद्धि, शिक्षा के स्तरों और स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों जैसे कि जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मातृ मुत्यु दर आदि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ.) से प्राप्त आंकड़ा अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय (वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति नैट राष्ट्रीय आय) 2004-05 में 25,987/- से 2011-12 में 63,462/- और 2017-18 में 1,12,835/- तक बढ़ी है। समग्र साक्षरता दर 2001 में 64.8% से 2011 में 74% तक बढ़ गई। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 1991-95 में 60.3 वर्षों से बढ़कर 2012-16 में 68.7 वर्ष हो गई।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा प्रकाशित हालिया उपलब्ध रिपोर्ट "भारत में दुर्घटना से मृत्यु और आत्महत्या" के अनुसार देश में किसानों और कृषक मजदूरों द्वारा आत्महत्याओं की संख्या 2015 में 12602 थी। वर्ष 2016 की रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है।

सरकार का प्राथमिक उददेश्य देश के सभी वर्ग के लोगों का विकास करना है। इसे प्राप्त करने के लिए सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सशक्तिकरण आदि के क्षेत्र में विभिन्न लक्षित गतिविधियां चला रही हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहयोग कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, लक्षित लोक वितरण प्रणाली/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू की है जोकि वित्तीय समावेशन हेतु एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें अब तक लगभग 33.6 करोड़ लाभार्थी हैं। सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी की सहायता से स्कीमों का बेहतर तौर पर लक्ष्य भेदन करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जैसे कि विभिन्न स्कीमों के लिए सापेक्ष लाभ अतरण का उपयोग, जिससे लोगों तक बेहतर रूप से सेवा पहुंचाने में मदद मिली है। इन गतिविधियों से उम्मीद है कि आगे वाले समय में संतुलित और सार्वभौम विकास के बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

[अनुवाद]

ध्वनि प्रदूषण

2897. श्री विष्णु दयाल राम:
प्रो. के.वी. थॉमस:
कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ध्वनि प्रदूषण के लिए सर्वाधिक आंकड़े दर्ज करने करने वाले शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश के मेट्रो शहरों में ध्वनि प्रदूषण को रोकने/नियंत्रित करने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या हॉर्न बजाने से चालकों/विशेषत: ऑटो रिक्शा चालकों के लिए व्यावसायिक दुष्प्रभाव हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए उनमें जागरूकता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ महेश शर्मा): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियुत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो (एस.पी.सी.बी.)/प्रदूषण नियंत्रण सिमितियों (पी.सी.सी.) के सहयोग से सात मेट्रो शहरों नामत: दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, हैदराबाद, बैंगलूरू और लखनऊ में राष्ट्रीय परिवेशी ध्वनि निगरानी कार्यक्रम (एन.ए.एन.एम.पी.) के तहत परिवेशी ध्वनि स्तरों की निगरानी की जाती है।

वर्ष 2017 के लिए तैयार किए गए शहर-वार ध्वनि स्तरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, वाहनीय यातायात, हॉर्न बजाना, रेलवे, मेट्रो ट्रेन, हवाई-जहाज, उद्योग, जेनरेटर, निर्माण कार्यकलाप, जन संबोधन प्रणालियों का उपयोग, पटाखे फोड़ना आदि शामिल हैं। मेट्रो शहरों में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत मोटर वाहनों, विमान-पत्तनों, जेनसेटों और निर्माण उपस्करों की कतिपय किस्मों के लिए ध्वनि सीमाएं अधिसूचित करना, पटाखे फोड़ने के दुष्प्रभावों को इंगित करते हुए पारि-हितैषी दीपावली मनाने के लिए परामर्शिकाएं जारी करना तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(ख) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निदेश जारी करना शामिल है। मेट्रो शहरों और नगरों में ध्वनि प्रदूषण को कम करने की रणनीति के भाग के रूप में सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के विनियमन और नियंत्रण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत ध्वनि के संबंध मेंपरिवेशी वायु गुणवत्ता मानक विनिर्दिष्ट करते हुए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 अधिसूचित किए हैं।

(घ) इस मंत्रालय या सी.पी.सी.बी. ने हॉर्न बजाने से चालकों, विशेषत: ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए व्यावसायिक दुष्प्रभावों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं कराया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के उपबंधों और इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों के तहत हॉर्न और वाहनों के संबंध में ध्वनि मानदण्डों को लागू करता है।

विवरण

सात मेट्रो शहरों में अनुपालन न करने वाले स्थान

(परिवेशी ध्वनि मानकों के संबंध में)

वर्ष 2017 के लिए ध्वनि केन्द्र के आंकड़े

क्षेत्र		आवासीय		वाणिज्यिक निर्धारित सीमा dB(A)		औद्योगिक		शांत	
		दिन	रात	दिन	रात	दिन	रात	दिन	रात
क्र.सं.	शहर का नाम	55 dB(A) अनुपालन न करने वाले/कुल केन्द्र	45 dB(A) अनुपालन न करने वाले/कुल केन्द्र	65 dB(A) अनुपालन न करने वाले/कुल केन्द्र	55 dB(A) अनुपालन न करने वाले/कुल केन्द्र	75 dB(A) अनुपालन न करने वाले/कुल केन्द्र	70 dB(A) अनुपालन न करने वाले/कुल केन्द्र	50 dB(A) अनुपालन न करने वाले/कुल केन्द्र	40 dB(A) अनुपालन न करने वाले/कुल केन्द्र
1	बेंगलुरू	2/3	3/3	2/3	3/3	0/2	0/2	2/2	1/2
2	चैन्ने	3/3	3/3	2/4	4/4	0/1	0/1	2/2	2/2
3	दिल्ली	2/2	2/2	3/4	3/4	0/0	0/0	4/4	4/4
4	हैदराबाद	2/2	2/2	2/4	3/4	2/2	2/2	2/2	2/2
5	कोलकाता	3/3	3/3	1/3	2/3	0/2	0/2	2/2	2/2
6	लखनऊ	1/2	2/2	2/3	2/3	0/2	0/2	3/3	3/3
7	मुम्बई	1/1	1/1	1/4	3/4	0/3	1/3	2/2	2/2
	कुल	14/16	16/16	13/25	20/25	2/12	3/12	17/17	16/17

[हिन्दी]

महिलाओं और बच्चों में कुपोषण

2898. श्री राजेन्द्र थेड्या गावीत:
श्रीमती सावित्री ठाकुर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या संपूर्ण देश में विशेषत मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों को समुचित पोषण प्रदान करने से तुलनात्मक स्थिति में कोई सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:;

(ग) क्या राज्य कुपोषण के विरुद्ध जंग में शामिल संगठनों की कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनके अंतर्गत कार्य कर रहे संगठनों का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है ओर पोषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनेक स्कीमें क्रियान्वित कर रही है। यह मंत्रालय देश में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए प्रत्यक्ष लक्षित उपायों के रूप में कई स्कीमें ओर कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है, जैसे आंगनवाड़ी सेवा, किशोरियों के लिए स्कीम, पधान मंत्री मातृ वंदना योजना, अम्ब्रैला समेकित बाल विकास सेवा स्कीम। सरकार ने पोषण अभियान भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य देश में 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में विकास अवरुद्ध, कम वजन और रक्ताल्पता, 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं में रक्ताल्पता और जन्म के समय कम वजनी बच्चों के मामलों को समयबद्ध तरीके से रोकना और कम करना है।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015-16 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु के 35.07 प्रतिशत बच्चे कम वजनी और 38.4 प्रतिशत बच्चे विकास अवरुद्ध हैं, जिससे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) के अनुसार पिछले स्तरों से कमी का पता चलता है, जिसमें 5 वर्ष से कम आयु के 42.5 प्रतिशत बच्चे कम वजनी और 48 प्रतिशत बच्चे विकास अवरुद्ध बताए गए थे। इसके अलावा, 15-49 वर्ग की 22.9 प्रतिशत महिलाएं ऊर्जा की चिरकालिक कमी (18.5 प्रतिशत से कम बी.एम.ई.) से ग्रस्त हैं, जबकि पिछले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 में ऐसी महिलाओं की संख्या 35.05 प्रतिशत थी, इससे ऐसी महिलाओं की संख्या में कमी का पता चलता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के 42.8 प्रतिशत बच्चे कम वजनी और 42 प्रतिशत बच्चे विकास अवरुद्ध हैं, जिससे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के आंकड़ों से कमी का पता चलता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 में 5 वर्ष से कम आयु के 60 प्रतिशत बच्चे कम वजनी और 50 प्रतिशत बच्चे विकास अवरुद्ध थे। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में 15-49 वर्ष आयु वर्ग की 28.3 प्रतिशत महिलाएं ऊर्जा की चिरकालिक कमी (18.5 प्रतिशत से कम बी.एम.ई.) से ग्रस्त हैं, जबकि पिछले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 में ऐसी महिलाओं की संख्या 40.07 प्रतिशत थी, इससे ऐसी महिलाओं की संख्या में कमी का पता चलना है।

(ग) और (घ) आंगनवाड़ी सेवा केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है और स्कीम का समग्र प्रबंधन, मानीटरिंग और क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारी द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने आई.सी.डी.एस. के निष्पादन में सुधार करने के लिए आंगनवाड़ी केद्रों की स्थिति की मानीटरिंग हेतु जन प्रतिनिधियों को शामिल करके विभिन्न स्तरों (राष्ट्रीय/राज्य/जिला/ब्लॉक/आंगनवाड़ी) पर पांच स्तरीय मानीटरिंग और समीक्षा तंत्र शुरू किया है। स्कीम के निष्पादन की समीक्षा तिमाही/वार्षिक आधार पर की जाती है, जिससे की कमियों का पता लगाकर उपचारात्मक उपाए किए जा सकें।

[अनुवाद]

तटरेखा का अपरदन

2899. श्री बलभद्र माझी: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा की तट रेखा पर अपरदन का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा की तट रेखा की अपरदन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस प्रयोजनार्थ बजटीय आवंटन कितना है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ग) तटीय अपरदन निदेशालय, जल संसाधन मंत्रालय और राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केन्द्र, चेन्नै द्वारा महासागर प्रबंधन संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय के सहयोग से कराए गए अध्ययन के अनुसार, ओडिशा की तट रेखा में समुद्र-तटीय परिवर्तन हो रहे हैं। ओडिशा की 436 किमी लम्बी तटरेखा में से लगभग 200 किमी लम्बे समुद्र-तट में उच्च से लेकर मध्यम अपरदन हो रहा है।

तटीय क्षेत्रों को संरक्षित और सुरक्षित करने के क्रम में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल के चयनित तटीय भागों में एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (आई.सी.जेड.एम.पी.) को क्रियान्वित कर रहा है। मुद्रा अपरदन से तटीय क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए आई.सी.जेड.एम.पी. के तहत अनेक पहलें की गई हैं जैसे कि कच्छ-वनस्पति रोपण और ओडिशा में पेंथा गांव में भू-नलिका तटबंध की स्थापना करना।

आई.सी.जेड.एम.पी. के तहत ओडिशा में तटीय अपरदन परियोजना के लिए आबंटित बजट 38 करोड़ रुपए है।

वायु प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य

2900. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री कमल नाथ:
श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में संपूर्ण देश में 100 से अधिक शहरों में 20 से 30 प्रतिशत तक वायु प्रदुषण कम करने का कोई लक्ष्य तय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने अधिकतर शहरों में वायु प्रदूषण के बढ़ने के जिम्मेदार कारकों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम संपूर्ण देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने/रोकने के लिए प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहा है जिसके परिणाम-स्वरूप नागरिकों को विभिन्न बीमारियां हो रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा जो समुचित ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं उन निकायों के कार्यकरण में समन्वयन के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) देश भर में बढ़ते वायु प्रदूषण का व्यापक रीति से निराकरण करने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अखिल भारतीय समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के तौर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन.सी.ए.पी.) तैयार किया है। एन.सी.ए,पी. के अंतर्गत उपशमन कार्रवाइयों को क्रियान्वित करने के लिए अभिज्ञात 102 अनुपालन न करने वाले शहरों के लिए शहर विशिष्ट कार्य योजना तैयार की जा रही है। उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों और राष्ट्रीय अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024 तक $PM_{2.5}$ और PM_{10} संकेद्रण को 20-30% कम करने का मध्यावधिक लक्ष्य एन.सी.ए.पी. का भाग है। इसके तहत संकेंद्रण की तुलना हेतु 2017 को आधार वर्ष रखा गया है।

(ख) और (ग) पिछले वर्षो के दौरान एन.ए.एम.पी. से उत्पन्न आंकड़ों से पता चलता है कि धूल कण PM_{10} तथा $PM_{2.5}$) प्रमुख चुनौतियां है जो समूचे देश में विशेषकर भारत-गांगेय मैदान के शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक से अधिक पाए जाते हैं। अन्य प्रदूषक जैसे SOx तथा NOx और ओजोन अधिकांशत: निर्धारित राष्ट्रीय मानकों के अंदर ही पाए जाते हैं। जबकि इस क्षेत्र के लिए वाहन, उद्योग, निर्माण, सड़क की धूल, बायोमास का जलाया जाना प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं, भारत-गांगेय मैदान के निर्माण, सड़क की धूल, बायोमास का जलाया जाना प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं, भारत-गांगेय मैदान के अंतर्निहित विषमताएं, जो इसकी भौगोलिक स्थिति तथा शुष्क कछारी मृदा संघटन के कारण से उत्पन्न होती हैं, इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि करती हैं। तापमान में विपरिवर्तन तथ स्थायी पवन स्थितियां, जो सर्दी के मौसम के दौरान उत्तरी भारत की प्रमुख विशेषताएं हैं, के कारण वायु प्रदूषण के स्तर में और वृद्धि हो जाती है।

(घ) और (ड.) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ-साथ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण को कम करने और वायू गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, दिल्ली और एन.सी.आर. में वायु प्रदूषण के विभिन्न

स्तरों के संबंध में ग्रेडिड रिस्पांस कार्य योजना को अधिसूचित करना; राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित करना; परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन हेतु निगरानी तंत्र की व्यवस्था करना; गैसीय ईंधन (सी.एन.जी., एल.पी.जी. आदि), इथनोल मिश्रण जैसे स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधनों की शुरुआत करना; राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत करना; वर्ष 2017 से बी.एस.-IV का सार्वभौमिकरण; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में 1 अप्रैल, 2018 से और शेष भारत में 1 अप्रैल, 2020 से बी.एस.-IV ईंधन मानकों के स्थान पर सीधे बी.एस.-IV ईंधन मानक लागू करना; निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित करना; बायोमस को जलाने पर रोक लगाना; सभी निर्माण और विध्वंस कार्यकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों के अनिवार्य क्रियान्वयन के संबंध में अधिसूचनाएं जारी करना; सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा देना; प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1)(ख) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निदेश जारी करना आदि शामिल हैं।

इन सभी पहलों के परिणामस्वरूप सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सी.ए.क्यू.एम.एस.) आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में वर्ष 2017 (जनवरी - 11 दिसम्बर, 2017) की तुलना में वर्ष 2018 (जनवरी - 11 दिसम्बर, 2018) में कुछ सुधार हुआ है, जैसे कि सामान्य मौसमी पैटर्न, जिसके अंतर्गत मानसून के दौरान प्रदूषण स्तर न्यूनतम और गर्मियों के दौरान मध्यम होता है तथा सर्दियों में प्रदूषकों का उच्च संकेंद्रण पाया जाता है, के बावजूद भी 'अच्छे' से 'मध्यम' दिनों की संख्या वर्ष 2017 में 151 थी, जो वर्ष 2018 में बढ़कर 158 हो गई और 'खराब' से 'अत्यंत खराब' दिनों की संख्या वर्ष 2017 में 194 थी, जो 2018 में कम होकर 187 हो गई। उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्र तथा राज्य स्तर पर संस्थागत कार्यढांचा एन.सी.ए.पी. के भाग हैं जो इसके प्रभावी कार्यान्वयन और एन.सी.ए.पी. की सफलता के लिए एजेंसियों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आयुष मिशन

2901. श्रीमती रेखा वर्मा:
श्री लल्लू सिंह:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.); के अंतर्गत की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या एन.ए.एम. के अंतर्गत कोई आदिवासी उप-योजना घटक को शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) भारत सरकार उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) के विकास और प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है। मिशन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।

(ii) एक मात्र राज्य राजकीय आयुष अस्पतालों और औषधालयो का उन्नयन।

(iii) 50 बिस्तर तक के एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना।

(iv) राज्य सरकार के स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थानों का उन्नयन।

(v) उन राज्यों में नए राजकीय आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना जहां ये सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं।

(vi) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (ए.एस.यू. एवं एच.) की राज्य सरकार:राज्य सरकार सहकारी समितियां/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की फार्मेसियों का सुदृढ़ीकरण।

(vii) ए.एस.यू. एवं एच. औषधों के लिए राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।

(viii) प्रसंस्करण और कटाई उपरात प्रबंधन सहित औषधीय पादपों की कृषि के लिए सहायता।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) के अधीन केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजना (एस.ए.ए.पी) में यथा प्रायोजित विभिन्न कार्यकलापों के लिए वर्ष 2015-16 से आज तक 262.18 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्रदान किया है।

(ख) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) के अधीर राज्य/संघ राज्य सरकारों को उनकी प्रस्तावित राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एस.ए.ए.पी.) के अनुसार सहायता अनुदान दिया जा रहा है। चूंकि इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, उनके अपेक्षा की जाती है कि वे एन.ए.एम. के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना संघटक के लिए कार्यकलाप की पहचान करें और उसे एन.ए.एम. दिशानिर्देशों के मद्देनजर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एस.ए.ए.पी. में शामिल करें।

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एन.ए.एम. के अधीन निमुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान एनएएम के तहत निर्मुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	36.146	87.842	91.739	102.190
2	अरुणाचल प्रदेश	--	--	--	--
3	असम	--	--	--	--
4	बिहार	--	--	--	--
5	छत्तीसगढ़	--	--	--	224.980
6	दिल्ली	--	--	--	--
7	गोवा	--	--	--	--
8	गुजरात	--	196.533	79.731	126.500
9	हरियाणा	--	--	--	--
10	हिमाचल प्रदेश	29.434	53.237	57.238	--
11	जम्मू और कश्मीर	56.905	149.819	--	--
12	झारखंड	89.047	--	--	--
13	कर्नाटक	36.147	87.645	--	95.020
14	केरल	7.746	14.607	116.590	141.890
15	मध्य प्रदेश	108.957	269.572	194.190	147.540
16	महाराष्ट्र	--	--	145.719	--
17	मणिपुर	--	--	--	--
18	मेघालय	--	--	--	--
19	मिजोरम	--	--	--	--
20	नागालैंड	--	--	--	--
21	ओडिशा	117.736	194.009	144.339	100.970
22	पंजाब	--	--	--	--
23	राजस्थान	69.712	167.321	244.306	--

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
24	सिक्किम	–	–	–	–
25	तमिलनाडु	–	13.279	139.231	98.210
26	तेलंगाना	36.147	118.090	58.407	44.470
27	त्रिपुरा	–	–	–	–
28	उत्तर प्रदेश	3.098	1.331	559.845	1,118.230
29	उत्तराखंड	14.975	53.678	83.617	–
30	पश्चिम बंगाल	29.950	73.037	142.048	–
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–
32	चंडीगढ़	–	–	–	–
33	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–
34	दमन और दीव	–	–	–	–
35	लक्षद्वीप	–	–	–	–
36	पुदुचेरी	–	–	–	–
	कुल	636.000	1,480.000	2,057.000	2,200.000

[अनुवाद]

अप्रत्यक्ष कर अपवंचन

2902. श्री दिनेश त्रिवेदी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल-अक्तूबर, 2018 के दौरान पता लगाए गए अप्रत्यक्ष कर अपवंचन और ऐसे अपवंचित किए गए करों की कुल वसूली का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या वसूले गए अपवंचित किए गए करों में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पता लगाई गई राशि भी शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) अप्रैल-अक्टूबर, 2018 के दौरान अपवंचित अप्रत्यक्ष कर और इस प्रकार अपवंचित कर की हुई वसूली का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हां, इस प्रकार वसूल किए गए अपवंचित कर में वह राशि भी शामिल है जो कि केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पता लगाई गयी है और जिसका ब्यौरा "अनुबंध" में दिया गया है।

विवरण

रू. करोड़ में

वित्त वर्ष	श्रेणी					
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क			सेवाकर		
	मामलों की सं.	पता लगी राशि	वसूली गई राशि	मामलों की सं.	पता लगी राशि	वसूली गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
2018-19 (अप्रैल से अक्टूबर)	398	3028.58	383.54	3922	16108.43	3188.09

वित्त वर्ष	श्रेणी					
	सीमा शुल्क			जी.एस.टी.		
	मामलों की सं.	पता लगी राशि	वसूली गई राशि	मामलों की सं.	पता लगी राशि	वसूली गई राशि
1	8	9	10	11	12	13
2018-19 (अप्रैल से अक्टूबर)	12711	6966.04	1600.84	6585	38895.97	9480.09

[हिन्दी]

सी.एस.आर. के लिए एन.जी.ओ. की स्थापना

2903. **श्री राजू शेट्टी:** क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों द्वारा व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि अनेक कंपनियों ने सी.एस.आर. के अंतर्गत राशि के व्यय के लिए गैर-सरकारी संगठनों की स्थापना की है और इस योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) एम.सी.ए. 21 रजिस्ट्री में 30.06.2018 तक कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर किया गया व्यय नीचे तालिकाबद्ध रूप से दिया गया है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	कंपनियों की संख्या	कुल सी.एस.आर. व्यय (करोड़ रु. में)
1.	2014-15	16,785	10,065
2.	2015-16	21,498	14,365
3.	2016-17	19,933	13,464

(ख) से (घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ पठित कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 4 में निर्धारित है कि कंपनी बोर्ड को उनके सी.एस.आर. संबंधी कार्यकलापों को स्वयं या अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी द्वारा स्थापित रजिस्ट्रीकृत संस्था या रजिस्ट्रीकृत न्यास के माध्यम से अपने हाथ में लेने की शक्ति प्रदान करता है। आगे, सी.एस.आर. की नीतियों को प्रतिपादित करने और सी.एस.आर. के कार्यकलापों की निगरानी तथा उसके निष्पादन का दायित्व कंपनी बोर्ड का है। जब कभी, सी.एस.आर. उपबंधों के उल्लंघन की सूचनां प्राप्त होती है, कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार गैर-अनुपालक कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की जाती है।

[अनुवाद]

प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि अधिनियम

2904. **श्री निनोंग इरिंग:**
श्री एम. वेंकटेश्वर राव:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संबंधित मंत्रालय में प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (सी.ए.एफ.) के अंतर्गत अनिवार्य नियमों को जारी किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सी.ए.एफ. के अंतर्गत नियम अभी भी बनाए जाने शेष हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त नियमों के कब तक अधिसूचित किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत एक वर्ष के दौरान नियमों को बनाने के संबंध में हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सिविल सोसायटी संगठनों के साथ कोई चर्चा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विगत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न

राज्यों में वनरोपण अभियान पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(च) क्या प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि की राशि का अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निर्माण हेतु विपथन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निधि से चल रही परियोजनाओं की सूची क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (घ) प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 [2016 का 38] को दिनांक 03 अगस्त, 2016 को अधिसूचित किया गया था और यह अधिनियम दिनांक 13 अगस्त, 2018 की राजपथ अधिसूचना के द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2018 से लागू हुआ।

प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम, 2018 को विभिन्न हितधारकों और राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किया गया था और दिनांक 10 अगस्त, 2018 को अधिसूचित किया गया था।

वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित प्रतिपूरक वनीकरण निधि (लेखांकन प्रक्रिया) नियम, 2018 को दिनांक 20 नवम्बर, 2018 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। गत एक वर्ष में इन नियमों के प्रतिपादन के संबंध में विभिन्न सिविल सोसायटियों के अवलोकन सहित विभिन्न हितधारकों के साथ 5 परामर्शदात्री बैठकें आयोजित की गई थी तथा बैठक में यथा सम्मत और राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सिफारिशों को इन नियमों में समाविष्ट किया गया था।

(ङ) गत 3 वर्षों में तदर्थ काम्पा द्वारा विभिन्न राज्य काम्पा को प्रतिपूरक वनीकरण तथा काम्पा दिशा-निर्देशों, 2009 के अंतर्गत अनुमेय संबद्ध कार्यकलाप करने के लिए जारी की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) तदर्थ काम्पा द्वारा जारी की गई निधि को राज्य काम्पा द्वारा कार्यकलापों पर काम्पा दिशा-निर्देश, 2009 के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। तदर्थ काम्पा को राज्य में वानिकी से असंबद्ध अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निर्माण हेतु काम्पा निधि के अपयोजन से संबंधित कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

गत तीन वर्षों में तदर्थ काम्पा द्वारा विभिन्न राज्य काम्पा को प्रतिपूरक वनीकरण तथा काम्पा दिशानिर्देशों 2009 के अंतर्गत अनुमेय संबद्ध कार्यकलाप करने के लिए जारी की गई निधि का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 15-16 जारी	वित्तीय वर्ष- 16-17 जारी	वित्तीय वर्ष- 17-18 जारी
आंध्र प्रदेश	850,000,000	890,000,000	970,000,000
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10,000,000		
अरुणाचल प्रदेश	620,000,000	1,500,000,000	
असम		300,000,000	700,000,000
बिहार	341,400,000	330,000,000	393,100,000
चंडीगढ़	21,179,000	10,000,000	11,300,000
छत्तीसगढ़	2,390,000,000	2,800,000,000	
दादरा और नगर हवेली			
दमन और दीव			
दिल्ली	39,100,000	40,000,000	
गोवा			
गुजरात	330,000,000	990,000,000	270,000,000
हरियाणा	640,000,000	180,000,000	800,000,000
हिमाचल प्रदेश	769,800,000	1,320,000,000	1,200,000,000

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 15-16 जारी	वित्तीय वर्ष- 16-17 जारी	वित्तीय वर्ष- 17-18 जारी
जम्मू और कश्मीर	310,000,000	1,020,000,000	690,000,000
झारखंड	1,410,000,000	1,490,000,000	2,340,000,000
कर्नाटक	600,000,000	875,200,000	860,000,000
केरल			
मध्य प्रदेश	2,130,000,000	1,400,000,000	2,000,000,000
महाराष्ट्र	1,550,000,000	2,050,000,000	1,990,000,000
मणिपुर	250,000,000	150,000,000	295,000,000
मेघालय	165,600,000		70,000,000
मिजोरम	100,000,000	77,300,000	68,500,000
ओडिशा	3,220,000,000	4,260,000,000	14,940,400,000
पंजाब	490,000,000	660,000,000	640,000,000
राजस्थान	480,000,000	1,410,600,000	1,790,000,000
सिक्किम	110,000,000	90,000,000	
तमिलनाडु	22,000,000	90,000,000	126,800,000
तेलंगाना	760,000,000	1,182,180,000	1,270,000,000
त्रिपुरा	760,000,000	1,182,180,000	1,270,000,000
उत्तर प्रदेश	1,770,000,000	1,320,000,000	1,230,000,000
उत्तराखंड	1,640,000,000	1,707,100,000	960,000,000
पश्चिम बंगाल		210,000,000	
कुल	21,129,079,000	26,472,380,000	33,702,200,000

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का प्रभाव

2905. **श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों के गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एन.पी.ए.) के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.) पर नकारात्मक प्रभाव का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बढ़ते एन.पी.ए. के कारण, ऋणदाय के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एम.एस.एम.ई. हेतु सुरक्षोपाय कड़े मानदण्ड अपनाए जाने को दृष्टिगत रखते हुए करने के लिए रूपरेखा तैयार हेतु की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंकों में धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला) : (क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.सी.बी.) के घरेलू परिचालनो के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के आंकड़ों के अनुसार, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) को वित्तपोषित किए गए कुल बकाया अग्रिमों की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, 6.86% से बढ़कर दिनांक 30.09.2018 की स्थिति के अनुसार 14.06% हो गयी, जबकि एस.सी.बी. की सकल अनुप्रयोज्य आस्तियां (एन.पी.ए.) दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार,

9,62,621 करोड़ रुपए से घटकर दिनांक 30.09.2018 की स्थिति के अनुसार, 9,46,062 करोड़ रुपए हो गई।

(ख) सरकार तथा आर.बी.आई. ने एम.एस.एम.ई. को उधार को सुकर बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

1. भुगतान में विलंब के समाधान के लिए बिल की तेजी से भुनाई हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों (पी.एस.बी.) का ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (टी.आर.ई.डी.एस.) प्लेटफार्म पर पंजीकरण;
2. जी.एस.टी. पंजीकृत एम.एस.एम.ई. के लिए कार्यशील पूंजी की वृद्धि करना;
3. एक कॉमन पोर्टल (*www.udyamimitra.com*) के माध्यम से एम.एस.एम.ई. ऋण प्रस्तावो को स्वचालित रूप से अगले चरण में भेजना;

(4) "59 उपदनजमे" पोर्टल (*www.psbloansin59minutes.com*) को आरंभ करना, जिसके माध्यम से आयकर रिटर्न, जी.एस.टी. डाटा, बैंक स्टेटमेंट और MCA21 पोर्टल के आधार पर पी.एस.बी. द्वारा 1 करोड़ रु. तक के ऋणों के लिए 59 मिनट के अन्दर सैद्धान्तिक अनुमोदन के निर्णय की सूचना देना है;

(5) 25 करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा वाले एम.एस.एम.ई. के पुनरुत्थान तथा पुनर्वास के लिए संरचना जारी की है; और

(6) आर.बी.आई. द्वारा दिनांक 07.02.2018 को बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को एन.पी.ए. के रूप में पात्र एम.एस.एम.ई. उधारकर्ताओं के ऋण खातों का वर्गीकरण करने के लिए समय-सीमा में कुछेक शर्तों के अध्यधीन 180 दिनों का विस्तार किया गया है।

(ग) बैंकों में धोखाधड़ी तथा दुर्विनियोजन रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के संबंध में बैंकों की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन संरचना सुदृढ़ करने तथा बैंकिंग धोखाधड़ियों पर उचित प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं।

1. सरकार ने पी.एस.बी. को बड़ें मूल्य वाली बैंक धोखाधड़ियों के संबंध में समय पर पहचान करने, रिपोर्टिंग, जांच करने आदि के लिए संरचना जारी की है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था है कि-

   i. अनुपयोज्य आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर 50 करोड़ रुपए से अधिक के सभी खातों की जांच बैंकों द्वारा संभावित धोखाधड़ी की दृष्टि से की जाए और इस जांच के निष्कर्षों के आधार पर एन.पी.ए. की समीक्षा हेतु बैंक की समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए;

   ii. आर.बी.आई. को धोखाधड़ी की सूचना देने के तुरंत बाद इरादतन चूक की जांच आरंभ की जाए; तथा

   iii. यदि खाता एन.पी.ए. बन जाता है तो केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के उधारकर्ता के संबंध में रिपोर्ट मांगी जाए।

2. भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर भारतीय विधि प्रक्रिया से बचने से आर्थिक अपराधियों को रोकने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 का अधिनियमन किया गया है। उसमें भगोड़ा आर्थिक अपराधी की संपत्ति की कुर्की, ऐसे अपराधी की संपत्ति की जब्ती और किसी सिविल दावे में बचाव करने के उसके हक को समाप्त करने की व्यवस्था है।
3. बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थाओं द्वारा दर्ज धोखाधड़ी निगरानी विवरिणयों के आधार पर आर.बी.आई द्वारा बैंकों के उपयोग हेतु एक पता लगाए जाने वाले ऑनलाइन केन्द्रीयकृत डाटा बेस के रूप में एक केन्द्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सी.एफ.आर.) तैयार की गई है।
4. लेखापरीक्षा मानकों को लागू करने तथा लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना की है।
5. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन तथा ऋण धोखाधड़ी की पहचान आरंभ में करने के लिए बैंकों को ध्यान देने हेतु निदेश देने तथा आर.बी.आई. और जांच एजेंसियों को इसकी सूचना तत्काल देने एवं कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित करने की प्रक्रिया समय पर आरंभ करने के लिए आर.बी.आई. ने 50 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक की ऋण धोखाधड़ी के संबंध में कार्रवाई करने, आरंभिक चेतावनी संकेतक सूचकांक की टिप्पणी/मूल्यांकन के आधार संभावित ऋण धोखाधड़ी वाले खातों को रेड फ्लैग्ड खातों

(आर.एफ.ए.). के रूप में वर्गीकृत करने को अनिवार्य बनाने के लिए एक संरचना जारी की है। किसी खाते की रेड फ्लैगिंग की सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म पर दी जाती है जहां सभी बैंक किसी संस्था/व्यक्ति को दिए गए बड़े एक्सपोजर की सूचना देते हैं ताकि अन्य बैंक धोखाधड़ी जोखिम के संबंध में पहले ही सचेत हो जाएं।

6. आर.बी.आई. ने कोर बैंकिंग समाधान/लेखांकन प्रणाली तथा स्विफ्ट संदेश देने की प्रणाली के बीच सीधी प्रक्रिया, स्विफ्ट में समयबद्ध निर्धारण को संभव बनाने, रोजनामचा की समीक्षा नियमित अंतराल पर करने, पुनर्मिलान आदि समयबद्ध पद्धति में करने जैसे प्रतिभूति तथा परिचालन नियंत्रण को लागू करने के लिए फरवरी 2018 में सभी बैंकों को एक परिपत्र जारी किया है।

7. आर.बी.आई. ने तीसरे पक्ष की सेवाओं (जैसे विधिक सर्च रिपोर्ट, संपत्ति, मूल्यांकनकर्ता, प्रतिवेदन आदि) में कमी, इन सेवाप्रदाताओं की सांठगांठ के विरुद्ध अप्रभावी कार्रवाई करने की धोखेबाजों की सूचना भारतीय बैंक संघ (आर.बी.ए.) को देने के लिए बैंकों को अनुदेश दिया है जो ऐसे सेवाप्रदाताओं की चेतावनी सूची तैयार करता है।

8. आर.बी.आई. के अनुदेशों तथा बैंकों की उनकी बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं की फोटो प्रकाशित करने के संबंध में निर्णय लेने तथा 50 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण सुविधा प्राप्त करने वाली कंपनियों के प्रमोटरों/निदेशकों तथा अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा पी.एस.बी. को अनुदेश/परामर्श जारी किए गए हैं।

दुर्लभ बीमारियों का उपचार

2906. श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री रोड़मल नागर:
श्रीमती संतोष अहलावत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक राष्ट्रीय नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे मरीजों की संख्या कितनी है जो इससे लाभान्वित हुए है;

(ख) क्या यह सच है कि दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए निधियों की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दुर्लभ बीमारियों के उपचार हेतु उपलब्ध निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो झारखंड सहित संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु वर्ष 2017 में एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया है। इसके बाद, नई सूचनाओं के संदर्भ में उक्त नीति की समीक्षा करते तथा इसके बेहतर कार्यान्वयन हेतु इसमें सुधार करने का निर्णय लिया गया। जब तक केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित नीति को जारी नहीं किया जाता तब तक उक्त नीति को रोके रखने के आशय का राजपत्र अधिसूचना 18.12.2018 को जारी की गई।

केन्द्रीय तकनीकी समिति को निर्णय हेतु कुल 185 मामले रेफर किए गए जो सी.सी.टी. द्वारा दिशानिर्देश निर्माण के संदर्भ में लंबित है। इस दौरान नीति को रोकने का निर्णय लिया गया था। इसलिए किसी भी रोगी को कोई राशि जारी नहीं की गई। तथापि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को निर्देशों के अनुपालन हेतु राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत झारखंड तथा महाराष्ट्र के एक एक रोगी तथा दिल्ली के दो रोगियों के उपचार हेतु राशि जारी की गई, जिसके विवरण विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत दुर्लभ रोगों के रोगियों हेतु जारी की गई राशि का विवरण

रोगी का नाम	जारी की गई राशि	टिप्पणियां
बेबी अर्शी दिल्ली	10 लाख रूपये	दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 31.8.2018 के आदेशानुसार
मास्टर उबेद, दिल्ली	10 लाख रूपये	दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 31.8.2018 के आदेशानुसार

रोगी का नाम	जारी की गई राशि	टिप्पणियां
मास्टर सूर्या सिंह, रांची	10 लाख रूपये	झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 8.2.2018 के आदेशानुसार
श्री चैतन्य पी. अवस्थरे, नागपुर	10 लाख रूपये	नागपुर उच्च न्यायालय के दिनांक 8.1.2018 के आदेशानुसार

तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध

2907. **श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में धुआंरहित तंबाकू सहित सिगरेट और बीड़ी के रूप में तम्बाकू की कितनी मात्रा उपभोग की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार गैर-संगठित धुआंरहित तंबाकू विनिर्माण क्षेत्रों को संगठित क्षेत्र में परिवर्तित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश में सभी प्रकार के चबाने वाले/धुआंरहित तंबाकू उत्पादों की बिक्री, खरीद और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है और यदि हां, तो राज्यों द्वारा इसे कार्यान्वित करने की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा धुआंरहित/चबाने वाले तंबाकू उत्पाद क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) मंत्रालय केन्द्रीय तौर पर इस प्रकार के विशिष्ट आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, तंबाकू बोर्ड, वाणिज्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न तंबाकू उत्पादों के विनिर्माण के लिए फल्यू वर्जिना (एफ.सी.डब्ल्यू.) तम्बाकू और गैर-एफ.सी.वी. तंबाकू के उपभोग का ब्यौरा निम्नवत् है जो तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं ने तंबाकू बोर्ड को अपने रिटर्नस में निम्नवत् बताया है:

वर्ष	विभिन्न तंबाकू उत्पादों के विनिर्माण हेतु खपत हुए तंबाकू की मात्रा (डिब्बा बंद वजन के साथ मिट्रिक टन में)
2015-16	69705.655
2016-17	64406-965
2017-18	66348.205

(ख) मंत्रालय में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) शीर्ष न्यायालय ने इस प्रकार का कोई विशिष्ट आदेश नहीं दिया है। तथापि, न्यायालय ने तंबाकू और/अथवा निकोटिन के साथ गुटखा और पान मसाला के विनिर्माण एवं बिक्री पर आरोपित प्रतिबंध के पूर्ण अनुपालना के लिए निर्देश दिया है।

(घ) कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, तंबाकू पैदा करने वाले किसानों को वैकल्पिक फसलों/फसल प्रणालियों की ओर स्थानांतरित करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए तंबाकू पैदा करने वाले राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वर्ष 2015-16 से फसल विविधीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वाई.) की एक उप-योजना है।

दोषपूर्ण कूल्हा प्रत्यारोपण

2908. **श्री पी. नागराजन:**
श्री मुथमसेटी श्रीनिवास (अवंती) राव:
श्री राजेश कुमार दिवाकर:
डॉ. सी. गोपालकृष्णन:
श्री कीति वर्धन सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दोषपूर्ण कूल्हा प्रत्यारोपण के संबंध में जानकारी है जिसके कारण मरीजों को असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस कंपनी का नाम क्या है जिसने भारत में इस दोषपूर्ण कूल्हा प्रत्यारोपण की आपूर्ति की है;

(ग) दोषपूर्ण कूल्हा प्रत्यारोपण के द्वारा प्रभावित/पीडा सहन करने वाले मरीजों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंद्ध में मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समूह/समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और निष्कर्ष क्या है और प्रत्येक मरीज को कितनी क्षतिपूर्ति की जानी प्रस्तावित है; और

(ङ) क्या सरकार ने दोषपूर्ण कूल्हा प्रत्यारोपण उत्पादित

करने वाली कंपनी पर कोई शास्ति लगाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) जी हां। मैसर्स डिप्यू मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड (अब जॉनसन एण्ड जॉनसन) द्वारा आयातित आर्टीक्यूलर सरफेस रिप्लेसमेंट (ए.एस.आर.) हिप प्रत्यारोपण के साथ प्रत्यारोपित उत्पाद, जिसमें रोगयों को दुबारा सर्जरी कराने की अधिक आवश्यकता होती है, संबंधी मुद्दे की सूचना कंपनी ने केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दी थी।

(ग) कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, जॉनसन एण्ड जॉनसन हेल्पलाईन पर 1058 मरीज पंजीकृत थे, जिनमें से 277 मरीजों की दुबारा शल्य चिकित्सा हो चुकी थी। इन 277 मरीजों में से 250 मरीज भारतीय थे। इन मरीजों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।;

(घ) और (ङ) सरकार ने दोषपूर्ण ए.एस.आर. हिप प्रत्यारोपण संबंधी मुद्दों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। विषय की विस्तृत जांच के पश्चात, समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने कुछ बदलावों के साथ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ क्षतिपूर्ति की मात्रा निश्चित करने के लिए डॉ. आर.के. आर्य, निदेशक, स्पोर्ट्स इंजरी सेन्टर की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रभावित मरीजों की जांच के लिए राज्य स्तरीय समितियों का गठन करने का अनुरोध किया है, ताकि मरीजों के लिए प्रक्रिया कम कठिन हो।

प्रभावित मरीजों के लिए क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के लिए एक फार्मूला भी तैयार किया गया है और उसे पब्लिक डोमेन में रखा गया है। प्रभावित मरीज अपनी सुविधानुसार केन्द्रीय विशेषज्ञ समिति या राज्य स्तरीय समिति से सम्पर्क कर सकते हैं।

मैसर्स जॉनसन एण्ड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड से समिति की सिफारिशों का पालन करने और मरीजों के हित में सरकार द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए कहा गया है। तथापि, मैसर्स जॉनसन एण्ड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड ने क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है।

इसके अलावा, नकारात्मक घटनाओं और स्मरणों की रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत तैयार नियम, 1945 के प्रावधानों के तहत मैसर्स डिप्सु मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड (अब जॉनसन एण्ड जॉनसन) का आयात लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	संख्या
1	आंध्र प्रदेश	9
2	असम	1
3	अरुणाचल प्रदेश	1
4	छत्तीसगढ़	1
5	गुजरात	17
6	हरियाणा	11
7	हिमाचल प्रदेश	2
8	जम्मू और कश्मीर	1
9	झारखंड	4
10	कर्नाटक	14
11	केरल	13
12	मध्य प्रदेश	4
13	महाराष्ट्र	65
14	मणिपुर	1
15	मेघालय	1
16	नई दिल्ली	7
17	ओडिशा	2
18	पंजाब	8
19	राजस्थान	6
20	सिक्किम	1
21	तमिलनाडु	39
22	तेलंगाना	5

क्र.सं.	राज्य	संख्या
23	त्रिपुरा	1
24	उत्तर प्रदेश	24
25	उत्तराखंड	2
26	उत्तरांचल प्रदेश	1
27	पश्चिम बंगाल	9

[हिन्दी]

एवरग्रीन ऋण

2909. **श्रीमती तबस्सुम बेगम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 2014 के पश्चात् सरकारी क्षेत्र के बैंकों से 25 करोड़ रुपए से अधिक कितने ऋणों को सरकार ने आज की तिथि तक एवरग्रीन घोषित किया है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जून, 2014 से किसी भी ऋण खाते, जिसमें 25 करोड़ रु. से अधिक बकाया है, को एवरग्रीन घोषित नहीं किया गया है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.) गांवों में बैंकों की शाखाएं/ए.टी.एम.

2910. **श्री कृपाल बालाजी लुभाने:**
श्री पंकज चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के गांव बधरा मीर सहित देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.) है; के अंतर्गत गांवों में भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) और अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) की शाखाएं और ऑटोमेटिक टेलर मशीन (ए.टी.एम.) खोलने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एस.बी.आई. और अन्य पी.एस.बी. ने इस संबंध में कोई राज्य-वार सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एस.ए.जी.वाई. योजना के अंतर्गत एस.बी.आई. और अन्य पी.एस.बी. द्वारा नई शाखाएं और ए.टी.एम. कब तक खुलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) शाखा प्राधिकार नीति के युक्तियुक्तकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) को प्रत्येक मामले में आर.बी.आई. की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना बैंक आउटलेट खोलने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान खोले गए कुल बैंक आउटलेट का कम से कम 25 प्रतिशत 10,000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों के खोले गए हों।

इसके अतिरिक्त, आर.बी.आई. के उक्त परिपत्र के माध्यम से बैंकों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों सहित उनके द्वारा चिन्हित केन्द्रों/स्थानों पर स्काज/स्थलेतर ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ए.टी.एम.) स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत बैंककारी सेवाएं प्रदान करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 12.12.2014 के अपने पत्र के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों को यह सुझाव दिया है कि प्रत्येक सांसद आदर्श ग्राम में बैंककारी सेवाएं मुहैया कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। इन सेवाओं को या तो शाखा के माध्यम से अथवा ऐसे मामले में जब कोई चयनित ग्राम, शाखा खोले जाने हेतु अर्थक्षम स्थान नहीं हो, उक्त सेवा निर्धारित स्थान ऑनलाइन अंतर-परिचालनीय व्यवसायिक प्रतिनिधि अथवा कियोस्क के माध्यम से मुहैया करायी जाए।

उत्तर प्रदेश, राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इलाहाबाद बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के बधरा मीर ग्राम में परिचालनरत है।

(ख) और (ग) आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कवर न किए गए क्षेत्रों में बैंकिंग आउटलेट लगाया जाना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसकी देखरेख राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एल.एल.बी.सी.) द्वारा संबंधित राज्य सरकार, सदस्य बैंकों तथा अन्य हित धारकों के परामर्श से की जाती है। बैंकों द्वारा बैंकिंग आउटलेट खोले जाने के प्रस्ताव पर आर.बी.आई. के अनुदेशों, उनकी व्यवसायिक योजना तथा उनकी वाणिज्यिक अर्थक्षमता के आलोक में विचार किया जाता है। बैंकिंग आउटलेट खोले जाने हेतु अर्थक्षमता का

और अधिक आकलन करने हेतु बैंकों द्वारा यथाअपेक्षित सर्वेक्षण कराया जाता है।

[अनुवाद]

चिकित्सा उपकरण

2911. श्री के. अशोक कुमार:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चिकित्सा उपकरण प्रतिकूल घटना (एम.डी.ए.ई.) रिपोर्ट के संबंध में एम्स में बड़े पैमाने पर विसंगतियों के संबंध में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट (आई.सी.आई.जे.) की मीडिया रिपोर्टों के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार उन चिकित्सा उपकरणों के सार्वजनिक आंकड़े रखती है जिन्हें कंपनियों द्वारा तकनीकी समस्याओं के कारण वापस ले लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) भारतीय फार्माकोपोइया आयोग को प्राप्त प्रतिकूल रिपोर्टों या चिकित्सा उपकरणों की खराबी का कंपनी-वार और उपकरण-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास इस मामले में कोई जांच करने या तथ्यों का पता लगाने के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का इरादा यह सुनिश्चित करने के लिए, कि मरीज यह जान पाए कि चिकित्सा पेशेवर जो शल्यक्रिया कर रहा है या किसी चिकित्सा उपकरण की सिफारिश कर रहा है, चिकित्सा उपकरण की उस सिफारिश में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं हे, कोई कदम उठाने का इरादा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने चिकित्सा उपकरण बाजार को विनियमित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं जो कि अब तक अविनियमित रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) सरकार को इंटरनेशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट द्वारा मीडिया में दी गई रिपोर्टों के बारे में जानकारी है। इस संबंध में, चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा और निष्पादन के सुदृढ़ीकरण हेतु भारतीय फार्माकोपिया आयोग द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत "भारतीय मैट्रियोविजिजेंस कार्यक्रम (एम.वी.पी.आई.)" चलाया जाता है।

(ख) भारत सरकार ने चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 को अधिसूचित किया है जो 01.01.2018 से लागू है। चिकित्सा उपकरण नियमावली के तहत, चिकित्सा उपकरणों को वापस लेने का प्रावधान है। यदि किसी निर्माता अथवा आयातक यह सोचता है अथवा उसके पास ऐसा निश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि इस चिकित्सा उपकरण से मरीजों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, तो निर्माता/आयातक संबंधित चिकित्सा उपकरण को बाजार तथा मरीजों से वापस लेने के लिए तत्काल प्रक्रिया शुरू कर देता है। निर्माताओं से प्राप्त हुई जानकारी का केन्द्रीय औषधी मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) द्वारा विश्लेषण किया जाता है तथा सी.डी.एस,सी.ओ. द्वारा अपनी वेबसाइट अर्थात् *www.cdsco.gov.in* पर चिकित्सा उपकरण एलर्ट्स जारी किए जाते हैं।

(ग) चिकित्सा उपकरणों में अनुचित उपयोग, अनुचित आकार, विद्युतीय एवं यांत्रिकीय समस्याओं और दोषपूर्ण चिकित्सा उपकरणों जैसे विभिन्न कारणों से प्रतिकूल प्रक्रियाएं/अप्रक्रियाएं हो सकती हैं। यह उपकरण से संबंधित हो सकती है अथवा नहीं भी। भारतीय मैट्रियोविजिलेंस कार्यक्रम के तहत प्राप्त रिपोर्टों का कम्पनी-वार तथा उपकरण-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार ने दोषपूर्ण आर्टिकुलर सर्फिस रिप्लेसमेंट (ए.एस.आर.) हिप इम्पलांटस से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था जिसने चिकित्सा उपकरणों के संबंध में मैट्रिओविजिलेंस, रजिस्ट्री तथा उपकरणों को वापस लेने की व्यवस्था से संबंधित विनियामक प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु विशेष तथा सामान्य सिफारिशें की हैं।

(ङ) और (च) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केन्द्रीय औषधी मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.जे.) औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत अधिसूचित चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, क्षमता और गुणवत्ता को विनियमित करता है।

चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 को 01.01.2018 से लागू कर दिया गया है जिसमें उक्त अधिनियम के तहत कवर किए गए चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उनके उत्पादन, आयात, बिक्री तथा वितरण के विनियमन हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। 350 से अधिक इनविट्रो नैदानिकों को विनियम के अंतर्गत लाया गया है।

विवरण

भारतीय मैट्रियोविजिलैंस कार्यक्रम के तहत प्राप्त रिपोर्टों का कम्पनी-वार और उपकरण-वार ब्यौरा

डिवाइस श्रेणी	उत्पादक
इंट्रा-यूटेराइन गर्भनिरोधक उपकरण	बेयर इंडिया, ठाणे
कैथेटर्स	बी.एल. लाइफसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
	कोविडियन मैन्यूफैक्चरिंग सोल्यूशन
	कुक इंडिया, चेन्नई
	अन्य (डेल्क्स सर्जिकल, कर्लवॉयंट बायोजेनिक प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्डिस कॉर्पोरेशन, आदि)
इंट्रा-वेनस कैनुला	वैगन इंडिया, गुरुग्राम
	(लैम्ड, रोमप्सन, पॉलिमेडिकेयर आदि)
कार्डिएक स्टेंट	एबॉट वैस्कुलर, मुंबई
	टेरुमो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम
	कुक इंडिया, चेन्नई
	बोस्टन वैज्ञानिक निगम, गुरुग्राम
हड्डी रोग प्रत्यारोपण	जॉनसन एंड जॉनसन प्रा.लि., मुंबई
	ज़िमर बायोमेट, गुरुग्राम
हर्निया ग्राफ्ट	कुक बायोटेक इंक
हृदय वाल्व	सेंट जूड मेडिकल इंडिया प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली
अन्य (दस्ताने, बी.पी. उपकरण, ड्रेसिंग सामग्री आदि)	अन्य (बापूजी सर्जिकल, जाम हेल्थकेयर, एथिकॉन, स्मिथ एंड नेफ्यू लिमिटेड आदि)

आंतरिक शिकायत समितियां

2912. **श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) और स्थानीय शिकायत समिति (एल.सी.सी.) द्वारा नियुक्त निकाय द्वारा निगरानी किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देशभर में आई.सी.सी. और एल.सी.सी. के कार्यान्वयन की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का ऐसा निकाय गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और शिकायत निपटान) अधिनियम 2013 सभी कार्यस्थलों को अधिदेशित करता है जिसमें ऐसा कोई भी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापना, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या इकाई, जो उपयुक्त सकार या स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी कम्पनी या निगम या सहकारी समिति द्वारा प्रदत्त निधि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित, स्वामित्व, नियंत्रित अथवा पूर्णत: या काफी हद तक वित्त पोषित है और जिसमें 10 से अधिक कामगार हैं, कि वह यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) का गठन करे। अधिनियम सभी नियोक्ताओं को आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के लिए बाध्य करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और शिकायत निपटान) अधिनियम, 2013 की धारा-23 उपयुक्त सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने तथा डाटा रखने के लिए दायित्वबद्ध करती है।

आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) अथवा स्थानीय शिकायत समिति (एल.सी.सी.) के डाआ को एकत्रित करने के लिए कोई केन्द्रीकृत तंत्र नहीं है।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र के माध्यम से वृक्षारोपण

2913. श्री उदय प्रताप सिंह: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में निजी क्षेत्र के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के संबंध में सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) जी, नहीं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से राज्य में निजी क्षेत्र के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि की मांग नहीं की है।

[अनुवाद]

पूर्व के डी.जी.आई. एंड आर. के कर्मचारी

2914. श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी: क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व के जांच और पंजीयन महानिदेशालय के नियमित अधिकारियों, जो केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं, का किसी अन्य मंत्रालय/विभाग/भारत सरकार के कार्यालय में उनकी योग्यता और अनुभवों के संदर्भ में उपयुक्त रूप से समामेलन कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे अधिकारियों और कर्मचारीगणों को जिनमें जिन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संगठनों में उनका समामेलित किया गया है उन्हें उनके नियमित संवर्ग में शामिल/विलय किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिस संवर्ग में समामेलित किया गया है उसमें उनकी पर्याप्त और समय पर पदोन्नति के अवसर प्रदान किए गए हैं;

(घ) क्या पहले के ऑफिस ऑफ डी.जी.आई. एण्ड आर. में कार्य कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग योजना, 1993 के अंतर्गत भी अस्थाई स्तर प्रदान किया गया है; और उनके नए संगठन में उन्हें नियमित किया गया है;

(ङ) क्या ऐसे अधिकारी और कर्मचारी केन्द्रीय सरकार कर्मचारी के रूप में अपने पेंशन ग्रेच्युटी के अधिकार और टर्मिरल लाभ बनाए रखेंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या समामेलन की उक्त योजना के लिए डी.ओ.पी.टी. की स्वीकृति ले ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) से (ग) तत्कालीन महानिदेशक, अन्वेषण ओर रजिस्ट्रीकरण (डी.जी.आई. एंड आर.) के कार्यालय के नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) के दिनांक 20.03.2010 के कार्यालय आदेश संख्या 5/56/2009-सी.एस. के तहत 01 अप्रैल, 2010 से महानिदेशक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (डी.जी., सी.सी.आई.) कार्यालय में स्थानांतरित कर दी गई हैं। तथापि, इन अधिकारियों और कर्मचारियों का केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का दर्जा बरकरार है, लेकिन इन्हें डी.जी., सी.सी.आई. कार्यालय के नियमित संवर्ग में शामिल/आमेलित नहीं किया गया है। तत्कालीन डी.जी.आई. एंड आर. के अधिकारी और कर्मचारी उनके द्वारा धारित पदों के साथ डी.जी,, सी.सी.आई कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी बन गए तथा जैसे ही जब कभी पदधारी सेवानिवृत्ति पर अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करता है अथवा किसी अन्य कारण से पद रिक्त रहता है, तो इन पदों को समाप्त कर दिया जाता है।

(घ) तत्कालीन डी.जी.आई. एंड आर. कार्यालय में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों की सेवाओं को दिनांक 29.03.2010 के एम.सी.ए. के कार्यालय आदेश सं. 5/56/2009 सी.एस. के तहत अस्थायी दर्जा किया गया था, किन्तु उन्हें नियमित नहीं किया गया था।

(ङ) और (च) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, तत्कालीन डी.जी.आई. एंड आर. के नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकार और

विशेषाधिकार जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी अन्य ऐसे मामले जो तब इन पर लागू थे, को बरकरार रखा गया है।

[हिन्दी]

चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन

2915. **श्री अजय निषाद:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री कृष्ण मेडिकल कालेज हास्पिटल, मुजफरपुर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के स्तर पर उन्नयन करने हेतु बिहार सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ग) जी नहीं।

तथापि, प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई) चरण-III के तहत 150 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय से (केन्द्रीय अंशदान 120 करोड़ तथा राज्य अंशदान - 30 करोड़ रुपए) श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर का मंत्रालय द्वारा उन्नयन कार्य शुरू किया गया है। इस उन्नयन कार्यक्रम में 210 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलियटी .ब्लॉक (एस.एस.बी.) का निर्माण शामिल है।

एम्स में नि:शुल्क जांच सुविधाएं

2916. **श्री भरत सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एम्स में उपचार के लिए आने वाले गरीब मरीजों को नि:शुल्क जांच सुविधाएं प्रदान करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) एम्स अस्पताल में कैज्यूअलटी में आने वाले सभी मरीजों को क्रिस्टलोयड्स के साथ-साथ जांच एवं नैदानिक प्रक्रियाओं सहित जीवन रक्षक एवं आपातकालीन औषधियां नि:शुल्क प्रदान की जा रही हैं अस्पताल में भर्ती मरीजों के संबंध में, बी.पी.एल. मरीजों के मामले में सभी दवाइयां और सर्जीकल कन्ज्यूमेबल्स जिस अवधि में वे भर्ती रहते हैं, के लिए नि:शुल्क प्रदान की जाती है

गरीब मरीज जो वैध वी.पी.एल. कार्ड धारक नहीं हैं, उन्हें भी उपचार करने वाले चिकित्सकों की सिफारिश और चिकित्सा सामाजिक सेवा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किए जाने पर मामला दर मामला आधार पर बिना किसी शुल्क के अस्पताल से उनके उपचार हेतु अपेक्षित सभी दवाइयां और सर्जीकल कन्ज्यूमेबल्स प्रदान किए जाते हैं।

आयुष्मान भारत पी.एम.जे.वाई. (प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना) के तहत अनुमोदित पैकेज के अनुसार पात्र मरीजों को सभी नैदानिक और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

निर्भया कोष

2917. **श्री गणेश सिंह:**
श्री जुगल किशोर:
श्रीमती रीती पाठक:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाने के लिए निर्भया कोष की स्थापना की है और यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसकी कायिक राशि कितनी है;

(ख) इसके आरंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सिफारिश की गई ओर स्वीकृत परियोजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितनी निधि प्रदान की गई है;

(ग) क्या निर्भया कोष के अंतर्गत योजनाएं सभी राज्यों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई हैं और यदि हां, तो विगत 3 वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त कोष के अंतर्गत उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी क्या परिणाम रहे;

(ङ) क्या निर्भया कोष के अंतर्गत वर्ष 2015 से आज की तिथि तक उपयोग में लाई गई निधि की राशि को दर्शाने वाला कोई आंकड़ा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां। निर्भया कोष देश में महिलाओं की सुरक्षा ओर संरक्षा में वृद्धि करने के उद्देश्य से पहलों के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में स्थापित एक समर्पित कोष है। यह गैर-व्यपगत राशि है, जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के पास है। इस समय इसकी कॉर्पस राशि वर्ष 2018-19 तक 3600 करोड़ रुपये है।

(ख) से (च) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्कीमों के सफल क्रियान्वयन के लिए पहले की हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है और उन्हें अनुस्मारक भेजे गए हैं कि ऐसे अभिनव प्रस्ताव भेजें, जिनसे महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में वृद्धि हो। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्भया कोष के लिए विकसित और क्रियान्वित फ्रेमवर्क के बारे में सभी राज्यों को सूचित किया गया है। निर्भया कोष के अंतर्गत निधियन के लिए राज्यों/केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने से पूर्व उनकी जांच की जाती है, जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जांच शामिल हैं। इसके पश्चात अधिकार प्राप्त समिति, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (नोडल मंत्रालय) के सचिव की अध्यक्षता में गठित तक अंतर-मंत्रालयी समिति है, द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन/सिफारिश की जाती है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मूल्यांकन/सिफारिश के पश्चात संबंधित मंत्रालय/विभाग प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करता है।

अधिकार प्राप्त समिति विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों/परियोजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन/सिफारिश और समीक्षा/मानीटरिंग करती है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्भया कोष के अंतर्गत वर्ष 2013 से आज तक मूल्यांकिन और संस्तुत प्रस्तावों की सूची और निर्मुक्त/प्रयुक्त निधियां संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

निर्भया कोष के अंतर्गत मूल्यांकित/संवितरित/प्रयुक्त निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा (21.12.2018 तक की स्थिति)

(रूपये करोड़ों में)

मंत्रालय/विभाग	क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	मू.स. द्वारा मूल्यांकित राशि	कुल निर्मुक्त 2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गृह मंत्रालय	1	आपात प्रत्युत्तर सहायता प्रणाली	321.69		217.97	55.39	19.71	293.07
	2	केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति कोष का सृजन	200.00		200.00			200.00
	3	संगठित अपराध जांच अभिकरण	83.20					0.00
	4	महिलाओं और बच्चों के साथ साइबर अपराधों की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यू)	195.83			94.59	5.89	100.48
		सीसीपीडब्ल्यू के अंतर्गत उप-परियोजना	28.93					0.00
	5	दिल्ली में जिला और उप-मंडल पुलिस स्टेशन स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं/परामर्शदाताओं की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव	5.07			0.82	1.24	2.06
	6	नानकपुरा में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष एकक तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष एकक के लिए महिला केंद्रित सुविधाओं के साथ नया भवन	23.53			2.35	0.97	3.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7	पुलिस आयुक्तालय, भुवनेश्वर, कटक, ओडिशा सरकार ने 'सुरक्षित शहर परियोजना' के क्रियान्वयन का प्रस्ताव	110.35					0.00
	8	दिल्ली पुलिस की 'महिला सुरक्षा' स्कीम के अंतर्गत अन्य विभिन्न गतिविधियां	10.20			2.43	1.59	4.02
	9	दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरू, अहमदाबाद तथा लखनऊ नामक 08 शहरों के लिए सुरक्षित शहर प्रस्ताव	2919.55				439.10	439.10
	10	सीएफएसएल, चंडीगढ़ में आधुनिक डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना	99.76				32.26	32.26
	11	यौन आक्रमण के मामलों में फॉरेंसिक किटों की खरीद का प्रस्ताव	107.19					0.00
रेल मंत्रालय	12	समेकित आपात प्रत्युत्तर प्रबंधन प्रणाली	500.00		50.00	100.00		150.00
	13	कोंकण रेलवे स्टेशन पर वीडियो निगरानी प्रणाली का प्रावधान	17.64					0.00
इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/ आईआईटी दिल्ली	14	महिलाओं की सुरक्षा में सहायता के लिए कारों और बसों में खतरे की घंटी पर आधारित सुरक्षा उपकरण का विकास और क्षेत्र परीक्षण	3.50		2.44	1.02		3.46
न्याय विभाग	15	बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई के लिए लंबित मामलों के निपटान के लिए त्वरित विशेष न्यायालयों की स्थापना	767.25					
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	16	महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का अभय परियोजना प्रस्ताव	138.49			58.64		58.64
	17	सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा, यूपीएसआरटीसी, उत्तर प्रदेश सरकार	83.50			40.20		40.20
	18	महिलाओं को भारी यात्री वाहनों का प्रशिक्षण, बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम, कर्नाटक सरकार	56.06					0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महिला एवं	19	वन स्टॉप सेंटर	867.74	11.02	40.29	30.03	55.69	137.03
बाल विकास	20	महिला हैल्पलाइन का सर्वसुलभीकरण	155.93	15.46	0.67	7.63	6.49	30.25
मंत्रालय	21	महिला पुलिस वॉलेंटियर, हरियाणा सरकार	27.76	0	1.52	9.12	0	10.64
	22	चिराली प्रस्ताव, महिला सशक्तीकरण निदेशालय	10.20		0.23	2.53	1.95	4.71
	23	महिलाओं और लड़कियों के साथ हिंसा से मुक्त स्मार्ट और सुरक्षित शहर कार्यक्रम, मध्य प्रदेश सरकार	1.74			1.05		1.05
	24	महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा, उत्तराखंड सरकार	0.72			0.32		0.32
	25	निर्भया आश्रय गृह, नागालैंड सरकार	2.84			2.55		2.55
	26	निर्भया डैशबोर्ड के विकास हेतु एनआईसीएसआई	0.24			0.24	0.00	0.24
		समग्र योग	6738.91	26.48	513.12	408.91	564.89	1513.40

[अनुवाद]

ठोस अपशिष्ट

2918. **श्री राजीव प्रताप रूडी:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रतिवर्ष उत्पन्न, एकत्रित, पाटन किए जाने वाले और उपचार किए जाने वाले ठोस अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(ख) क्या विगत चार वर्षों के दौरान सरकार ने अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कुल कितना प्लास्टिक अपशिष्ट राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उत्पन्न होता है;

(घ) देश में सिर्फ एक बार प्रयोग होने वाली प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में वर्ष 2016 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में प्रतिवर्ष 52.9 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट का सृजन होता है, जिसमें से 46% का प्रसंस्करण किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए सरकार ने 2016 में सभी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम.) नियमावली, 2016 को व्यापक रूप से संशोधित और अधिसूचित किया है। अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग, पुन:प्राप्ति तथा प्रसंस्करण को बढ़ावा देने; अपशिष्ट उठाने वाले को सभी तरह की कार्यनीतियों में शामिल करने, स्थानीय निकायों को प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा सहित सैनिटरी लैण्डफिल इत्यादि की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। विस्तृत उत्पादक जिम्मेदारी के सिद्धांतों को आधार अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए प्लास्टिक तथा ई-अपशिष्ट पर अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली यह जिम्मेदारी उत्पादकों, आयातकों तथा ब्रांड मालिकों पर डालती है। ऐसे अपशिष्टों का पुनर्चक्रण तथा पुन:उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन

नियमावली, 2018 में (10-20%) सामग्रियों की अधिप्राप्ति नगरपालिकाओं तथा सरकारी ठेकों से करना अनिवार्य बनाया गया है।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) ने भारत के 60 बड़े शहरों में अध्ययन कराया था। यह अनुमान लगाया गया कि इन शहरों से प्रतिदिन लगभग 4059 टन प्लास्टिक अपशिष्ट का सृजन होता है। देश में इन आंकड़ों का बर्हिवेशन करने पर यह अनुमान लगाया गया कि पूरे देश में लगभग 25,940 टन प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन होता है। नगरीय ठोस अपशिष्ट में प्लास्टिक अपशिष्ट की रेंज भिन्न-भिन्न 3.10% (चंडीगढ़) से 12.47% (सूरत) पर निर्भर करता है।

(घ) बहुत सी राज्य सरकारों ने प्लास्टिक कैरी/एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्णत: या आंशिक रूप से प्रतिबंध को अधिसूचित कर दिया है। 15 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने प्लास्टिक कैरी बैगों तथा/अथवा अन्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक आइटमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध के लिए अधिसूचनाएं/आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा, कुछ राज्यों/संघ क्षेत्रों राज्य क्षेत्रों ने कैरी बैगों या एकल उपयोग वाले आइटमों पर आंशिक प्रतिबंध को भी लागू किया है।

(ङ) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 2000 के अधिक्रमण में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए है। इन नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं तथा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा शोधन सुविधाओं, अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले सयत्रों की स्थापना करने, सैनेटरी लैण्डफिल के मानक और स्थल चयन सबधी मानदण्ड इत्यादि परिभाषित किए गए हैं। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, श्रेणीकरण, परिवहन तथा निपटान के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को भी कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत ठोस अपशिष्ट का पर्यावरणीय अनुकूल रीति से प्रबंधन करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2014-15 से 2019-20 की मिशन अवधि के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं के लिए 7424.24 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

विवरण

नवम्बर, 2018 तक उत्सर्जित और परिष्कृत ठोस अपशिष्ट की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल अपशिष्ट उत्सर्जन (एमटीपीए)	कुल अपशिष्ट प्रसंस्करण (%)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2,330,160	29%
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36.500	52%
3.	अरुणाचल प्रदेश	66,065	20%
4.	असम	413,910	35%
5.	बिहार	828,915	43%
6.	चंडीगढ़ यूटी	172,280	85%
7.	छत्तीसगढ़	601,885	84%
8.	दमन और दीव	11,680	65%
9.	दादरा और नगर हवेली	12,775	0%
10.	दिल्ली (एन.सी.टी.)	3,832,500	55%
11.	गोवा	94,900	65%
12.	गुजरात	3,702,925	57%
13.	हरियाणा	1,647,610	17%
14.	हिमाचल प्रदेश	124,830	40%
15.	जम्मू और कश्मीर	501,510	8%
16.	झारखंड	849,335	42%
17.	कर्नाटक	3,650,000	32%
18.	केरल	227,760	60%
19.	मध्य प्रदेश	2,344,760	65%
20.	महाराष्ट्र	8,238,050	44%
21.	मणिपुर	64,240	50%
22.	मेघालय	97,820	58%
23.	मिजोरम	73,365	4%
24.	नागालैंड	124,830	52%

1	2	3	4
25.	ओडिशा	992,800	12%
26.	पुदुचेरी	127,750	10%
27.	पंजाब	1,496,500	33%
28.	राजस्थान	2,372,500	55%
29.	सिक्किम	32,485	66%
30.	तमिलनाडु	5,601,655	55%
31.	तेलंगाना	2,690,415	73%
32.	त्रिपुरा	153,300	45%
33.	उत्तर प्रदेश	6,132,000	57%
34.	उत्तराखंड	513,190	38%
35.	पश्चिम बंगाल	2,810,500	5%
	कुल/औसत	52,971,720	46.03%

महिला यौनांगों को क्षति पहुंचाना

2919. श्री जगदम्बिका पाल : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में महिला यौनांगों को क्षति पहुंचाने (एफ.जी.एम.) की प्रथा से सरकार अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कार्य भारतीय दंड संहिता, 1860 या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दंडनीय अपराध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत छह वर्षों के दौरान किसी व्यक्ति को अवैध एफ.जी.एम. कराने के कारण सजा मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने एफ.जी.एम. की वैधता और उसके युवा लड़कियों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के बारे में जन जागरुकता हेतु कोई उपाय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) कुछ समुदायों में महिला जननांगों को विकृत करने (एफ.जी.एम.) की प्रथा के बारे में कुछ मामले बताए गए हैं।

(ख) मौजूदा भारतीय कानूनों, जिसमें भारतीय दंड संहिता आदि शामिल हैं, में बहुत से ऐसे प्रावधान हैं, जिनमें महिला के शरीर को विकृत करना/चोट पहुंचाना/भंग करना शामिल है। ब्यौरा इस प्रकार है:

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 321, 323 324 : जानबूझकर चोट पहुंचाना और खतरनाक हथियारों अथवा तरीकों से चोट पहुंचाना।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 322, 325 326 : जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना और खतरनाक हथियारों अथवा तरीकों से गंभीर चोट पहुंचाना।

बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7-8 : यौन आक्रमण।

इस धारा में यौन आक्रमण को 'जो कोई भी यौनाचार के इरादे से किसी बच्चे की योनि, शिश्न, मलद्वार या स्तन को छूता है अथवा ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को योनि, शिश्न, मलद्वार या स्तन को बच्चे से छुआता है अथवा यौनाचार के इरादे से ऐसा कोई अन्य कृत्य करता है, जिसमें वेधन के बिना शारीरिक संपर्क शामिल होता है, तो उसे यौन आक्रमण करना कहा जाता है' के रूप में परिभाषित किया गया है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसे कोई आधिकारिक आंकड़े (एन.सी.आर.बी. आदि द्वारा), जिनसे भारत में एफ.जी.एम. की मौजूदगी का पता चलता हो, नहीं हैं।

वन अधिकार अधिनियम

2920. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अनुसार जिन परियोजनाओं के लिए वन भूमि को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, उन परियोजनाओं की प्रारंभिक मंजूरी के लिए वन अधिकार अधिनियम (एफ.आर.ए.) का अनुपालन करना जरूरी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस पर चिंता व्यक्त की है और इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वन संरक्षण (एफ.सी.) अनुमोदन के प्रारंभिक चरण में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफ.आर.ए.) अनुमति जरूरी नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम (एफ.सी.ए.), 1980 के अनुसार एफ.सी. प्रक्रिया दो चरणों में होती है - पहले चरण में सैद्धांतिक मंजूरी और दूसरे चरण में अंतिम मंजूरी दी जाती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या एफ.आर.ए. के बाद चरण में आवश्यकताएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं क्योंकि द्वितीय चरण तक परियोजना घटक बढ़ चुके होते हैं और क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों को भारी नुकसान होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा एफ.आर.ए. की भावनाओं के अनुपालन हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के अपवर्तन वाले राज्य सरकारों के प्रस्तावों के लिए जिला कलेक्टर से प्राप्त एफ.आर.ए. प्रमाणपत्र अवश्य तौर पर मंत्रालय द्वारा अंतिम अनुमोदन दिए जाने से पूर्व प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। प्रमाणपत्र निर्धारित प्रोफार्मा में दिए जाते हैं जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के सभी अधिकारों का निपटान किया गया है और ग्राम सभा ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधान के अनुसार परियोजनाओं के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतग्रत सभी प्रस्तावों के लिए इन प्रमाणपत्रों को अनिवार्य बना दिया गया है।

(ग) और (घ) वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन स्वीकृति दो चरणों में प्रदान की जाती है। चरण-I में केन्द्रीय सरकार द्वारा वन परामर्श समिति/क्षेत्रीय अधिकार संपन्न समिति की सिफारिश पर सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया जाता है जिसके लए वन संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2016 दिनांक 6 मार्च, 2017 के अनुसार वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर का प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है तथपि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत चरण दो (अंतिम) अनुमोदन में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर से प्राप्त प्रमाणपत्र प्राप्त करना इन नियमों में अनिवार्य बनाया गया है।

(ङ) और (च) विकास परियोजनाओं के लिए राज्य में वन अपवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह वन अधिकार अधिनियम, 2006 का अनुपालन करें। चरण-I (सिद्धांततः मंजूरी) में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण करने एवं अनुपालन करने के अध्यधीन चरण-I (सिद्धांततः स्वीकृति प्रदान की जाती है।) चरण-II (अंतिम) अनुमोदन प्राप्त किए बिना और इस राज्य में वन भूमि के अपवर्तन के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए परवर्ती आदेश के बिना राज्य सरकार द्वारा वनभूमि के अपवर्तन से संबंधित कोई भी कार्यकलाप नहीं किया जा सकता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई वन भूमि के अपवर्तन संबंधी चरण-I स्वीकृति फैट एकम्पलाई स्थिति पैदा नहीं करती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई चरण-I और तत्पश्चात चरण-II स्वीकृति वन अधिकार अधिनियम की मूल भावना का उल्लंघन नहीं करती है। राज्य सरकार को राज्य की वन भूमि पर कार्यकलापों के उद्देश्य के लिए वन भूमि के अपवर्तन से पूर्ण वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

भारतीय आयुर्वेद उद्योग

2921. **श्री आर. गोपालकृष्णन** : क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय आयुर्वेद उद्योग द्वारा आगामी वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र जनशक्ति की कमी और गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की कमी का सामना कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा इस मामले के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) वैश्विक आयुर्वेद बाजार में लगभग 3.4 अरब अमरीकी डॉलर का व्यापार होता है और अनुमान लगाया गया है

कि इसकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि लगभग 16.2% की दर से बढ़ेगी। यह योजना बनाई गई है कि वर्ष 2022 तक यह 9.80 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाए। इसमें उत्पाद और सेवाएं दोनों शामिल हैं।

(ख) और (ग) आयुर्वेद क्षेत्र के लिए जनशक्ति की कमी का कोई विशेष मुद्दा नहीं बताया गया है। आयुर्वेद उत्पादों के विनिर्माण हेतु कच्ची सामग्री जंगलों और कृषि साधनों से आती है जिसके लिए सरकार ने औषधीय पादपों के समन्वय, योजना और स्व-स्थाने एवं बाह्य-स्थाने संरक्षण, कृषिकरण तथा संसाधन संवर्धन को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की हुई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन और केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के माध्यम से औषधीय पादपो के कृषिकरण, सतत विकास एवं प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। औषधीय पादपों के लिए कृषि-तकनीकें, कृषिकरण एवं फसल काटने के लिए आदर्श कृषि व क्षेत्र संग्रहण अभ्यास तथा कच्ची सामग्री के लिए गुणवत्ता प्रमाणन पद्धति विकसित की गई है और पणधारियों मे वितरित की गई है। कच्ची सामग्रियों और विभिन्न औषध योगों के गुणवत्ता मानक भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पी.सी.आई.एम. एंड एच.) तथा उनकी अपनी-अपनी भेषज संहिता समितियों द्वारा विकसित किए गए हैं। कच्ची सामग्रियों और विभिन्न औषधयोगों के गुणवत्ता मानकों के मोनोग्राफ भेषजसंहिताओ में प्रकाशित किए जाते हैं और मानकीकरण का कार्य चलता रहता है।

अवैध बाल परिचर्या संस्थान

2922. श्रीमती संतोष अहलावत :
श्री सुनील कुमार सिंह:
कुमारी सुष्मिता देव :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में 550 बाल गृह बंद कर दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनको बंद करने का क्या कारण है;

(ख) क्या यह सत्य है कि देशभर में बच्चों के लिए बड़ी संख्या में अपंजीकृत अवैध बाल परिचर्या संस्थान/घर मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अवैध बाल घरों के विरुद्ध केरल सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2014 से महिलाओं और बच्चों के लिए आश्रय घरों की सामाजिक संपरीक्षा कराई है और यदि हां, तो 2014 से 2018 के मध्य का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का देश के सभी सी.सी.आई. की सामाजिक संपरीक्षा कराने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट (18.09.2018 तक) के अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानो का अनुपालन न करने के कारण 439 संस्थएं बंद की गई, जैसा कि निरीक्षणों के दौरान निरीक्षण समिति द्वारा पाया गया था। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस मंत्रालय ने 2015 में बाल देखरेख संस्थाओं (सी.सी.आई.) की संख्या का पता लगाने के लिए मानचित्रण की कवायद शुरू की थी। मानचित्रण की रिपोर्ट के अनुसार शामिल किए गए 9589 गृहों में से केवल 3071 गृह जे.जे. अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत पाए गए। मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस मामले में आगे की कार्रवाई की। परिणामत: सितम्बर, 2018 में राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार जे.जे. अधिनियम, 2015 के तहत 8200 से अधिक सी.सी.आई. पंजीकृत हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) ने देश में सभी सी.सी.आई. की सामाजिक लेखा परीक्षा कराने का निदेश दिया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है। जहां तक महिला आश्रय गृहों का संबंध है, 2018 में स्वाधार गृह के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार को स्वाधार गृह स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन का सुनिश्चय करना चाहिए।

विवरण

बंद किए गए सी.सी.आई. की संख्या (सितम्बर 2018 को)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बंद की गई सी.सी.आई. की संख्या सरकारी	एन.जी.ओ.
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	1	
2.	आंध्र प्रदेश	78	
3.	छत्तीसगढ़	1	
4.	गुजरात	-	1

1	2	3	4
5.	झारखंड	0	4
6.	कर्नाटक	21	
7.	मध्य प्रदेश	4	
8.	महाराष्ट्र	377	
9.	तेलंगाना	32	
10.	त्रिपुरा	0	
11.	उत्तर प्रदेश	0	20
	कुल	539	

नदियों में प्रदूषण

2923. **डॉ. संजय जायसवाल** : क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में नदियों में प्रदूषण, मृत होती समुद्री जैव प्रणाली और पर्यावरण के खराब होने पर कोई जागरुकता अभियान आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शहरी क्षेत्रों में नदियों में जल प्रदूषण कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) समाज के सभी क्षेत्रों में पर्यावरण जागरुकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण, शिक्षा, जागरुकता तथा प्रशिक्षण योजना को कार्यान्वित कर रहा है। 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा था, 23 मई 2018 से 10 जून, 2018 तक "बीट प्लास्टिक पोलूशन" विषय पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान में विभिन्न राज्यों के स्कूली बच्चों, इको क्लब स्कूलों तथा आम जनता सहित सरकारी कर्मचारियों ने शामिल होकर चिह्नित 24 समुद्र तटों तथा 24 चिह्नित नदी मुहानों की सफाई की। उक्त आयोजन पर दिल्ली तथा देश के चार राज्यों नामत: बंगलुरू, भुवनेश्वर, शिलांग तथा गांधीनगर में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों तथा आम जनता ने भाग लिया। विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों, जिनमें नदियों में प्रदूषण, समुद्र तटीय पारिप्रणाली तथा शहरी क्षेत्रों मे पर्यावरण में गिरावट शामिल है, के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम को भी मंत्रालय के राष्ट्रीय हरित फसल कार्यक्रम के तहत चलाया गया।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) के तहत नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत हिस्सेदारी के आधार पर राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद कर रही है। अब तक इस योजना के तहत 14 राज्यों के 76 शहरों में 32 नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों को शामिल किया गया है तथा 2472.43 एम.एल.डी. मलजल शोधन क्षमता सृजित की गई है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

2924. **श्री अभिजित मुखर्जी:**
श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं (बी.बी.बी.पी.) योजना को विस्तारित करने की कोई योजना है है;

(ख) क्या बी.बी.बी.पी योजना में अपन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हितधारकों और महिलाओं हेतु क्षमता निर्माण और समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान है और यदि हां, ता सरकार द्वारा इसके अंतर्गत किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 2017-18 के दौरान बी.बी.बी.पी. योजना की शुरूआत होने के पश्चात् लिंग अनुपात में कोई सुधार आया है और यदि हां तो तत्संबंधी विशेषकर हरियाणा में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा नवजात बच्चियों की उत्तर जीविता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) वर्ष 2018-19 से देश से सभी 640 जिले (2011 की जनगणना के अनुसार) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बी.बी.बी.पी.) स्कीम में शामिल हैं। 640 जिलों में से 405 जिले बहु-क्षेत्रक अंत:क्षेप मीडिया और समर्थन के माध्यम से तथा 235 जिले सतर्क मीडिया तथा समर्थन आउटरीच के माध्यम

से शामिल हैं। बी.बी.बी.पी. स्कीम में ग्रामीण तथा शहरी महिलाएं शामिल हैं।

(ख) बेटी बचाओ बटी पढ़ाओ स्कीम में कार्यकर्ताओं और और संबंधित पक्षों को बाल लिंगानुपात के महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे सचेत करने के लिए उनकी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और संचेतना परिकल्पित है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 18 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1664 मास्टर प्रशिक्षकों के लिए अनेक क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। ये मास्टर प्रशिक्षक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला स्तर के अधिकारियों और अग्रणी कर्मियों की क्षमता निर्माण और सुद्दीढ़ीकरण का कार्य करेंगे। इसके अलावा निपसिड ने बी.बी.बी.पी. स्कीम के संबंध में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के प्रशिक्षकों और निवाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण का कार्य भी किया है। अब तक, चरण-I (2017-18) में 14 राज्यों के 414 जिलों में .486 मास्टर प्रशिक्षकों और 18.578 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। चरण-II 07 राज्यों के 72 जिलों में चलाया गया, जिसमें बी.बी.बी.पी. स्कीम के संबंध में 3,403 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़ों की उपलब्ध अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार बी.बी.बी.पी. स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान चुने गए 161 जिलों में से वर्ष 2015-16 और 2016-17 की अवधि में 104 जिलों (1 जिले में स्थिर रुख) सुधार का रुख दिखाई दिया है। बी.बी.बी.पी. स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में चरण-I में चुने गए 100 जिलों में वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 की अवधि में तथा वर्ष 2015-16 में चरण-II में चुने गए 61 जिलों मं, जिसमें हरियाणा राज्य भी शामिल है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एच.आई.एम.एस. आंकड़ों के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) बी.बी.बी.पी. स्कीम महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों का त्रि-मंत्रालयी अभिसरण प्रयास है, जिसमें लोगों की सोच में बदलाव लाने, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदादिक तकनीक अधिनियम के प्रवर्तन के संबंध में जागरूकता और समर्थन अभियान चलाने पर बल दिया जाता है, जिससे कि बालिकाओं की उत्तरजीविता, सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

विवरण

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत चरण-I में चुने गए 100 जिलों में वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 की अवधि में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एचआईएमएस आंकड़ों के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों के नाम	2014-15 (अप्रैल-मार्च)	2015-16 (अप्रैल-मार्च)	2016-17 (अप्रैल-मार्च)
1	2	3	4	5	6
1.	गुजरात (5)	सूरत	879	886	872
2.		महेसाणा	900	919	910
3.		गांधीनगर	885	883	902
4.		अहमदाबाद	873	903	915
5.		राजकोट	886	906	872
6.	हरियाणा (12)	महेन्द्रगढ़	791	809	859
7.		झज्जर	838	872	897
8.		रेवाड़ी	803	845	851
9.		सोनीपत	864	869	898
10.		अंबाला	870	877	915

1	2	3	4	5	6
11.		कुरुक्षेत्र	843	864	881
12.		रोहतक	915	881	893
13.		करनाल	758	883	854
14.		यमुनानगर	887	896	912
15.		कैथल	887	868	899
16.		भिवानी	822	859	860
17.		पानीपत	901	898	941
18.	हिमाचल प्रदेश (1)	ऊना	857	904	931
19.	जम्मू और कश्मीर (5)	जम्मू	911	886	908
20.		पुलवामा	983	949	1018
21.		कठुआ	862	873	852
22.		बड़गाम	972	988	968
23.		अनंतनाग	985	1000	976
24.	मध्य प्रदेश (4)	मोरेना	904	909	926
25.		ग्वालियर	888	918	906
26.		भिंड	919	898	929
27.		दतिया	887	880	895
28.	महाराष्ट्र (10)	बोली	913	898	925
29.		जलगांव	864	898	901
30.		अहमदनगर	904	906	895
31.		बुलढाणा	934	954	913
32.		औरंगाबाद	917	929	927
33.		वाशिम	974	903	910
34.		कोल्हापुर	889	903	881
35.		उस्मानाबाद	883	909	912
36.		सांगली	885	889	893
37.		जलना	901	887	900
38.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी	दक्षिण पश्चिम	878	881	875
39.	क्षेत्र (5)	उत्तर पश्चिम	898	899	911
40.		पूर्व	888	918	900

1	2	3	4	5	6
41.		पश्चिम	868	881	915
42.		उत्तर	913	904	930
43.	पंजाब (11)	तरण तारण	874	880	889
44.		गुरदासपुर	879	866	881
45.		अमृतसर	897	909	892
46.		मुक्तसर	899	896	889
47.		मनसा	857	925	894
48.		पटियाला	847	866	890
49.		संगरूर	864	848	879
50.		साहिबजादा अजीत सिंह नगर	955	936	910
51.		फतेहगढ़ साहिब	873	889	928
52.		बरनाला	855	836	893
53.		फिरोजपुर	876	859	871
54.	राजस्थान (10)	झुंझुनूं	893	903	952
55.		सीकर	939	923	963
56.		करौली	942	927	914
57.		गंगानगर	918	934	952
58.		धौलपुर	930	924	945
59.		जयपुर	912	904	928
60.		दौसा	930	921	932
61.		अलवर	915	912	931
62.		भरतपुर	933	922	914
63.		सवाई माधोपुर	947	913	908
64.	उत्तर प्रदेश (10)	बागपत	919	903	882
65.		गौतमबुद्ध नगर	844	873	875
66.		गाजियाबाद	899	977	908
67.		मेरठ	866	878	884
68.		बुलंदशहर	866	864	902
69.		आगरा	876	842	905
70.		मुजफ्फरनगर	884	909	931
71.		महामयान नगर	867	884	885

1	2	3	4	5	6
72.		झांसी	860	900	925
73.		मथुरा	900	913	876
74.	उत्तराखंड (2)	पिथौरागढ़	881	901	873
75.		चम्पावत	887	959	973
76.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	निकोबार	985	948	839
77.	आंध्र प्रदेश	वाई.एस.आर.	944	900	974
78.	अरुणाचल प्रदेश	दिगांग घाटी	1073	761	1176
79.	असम	कामरूप मेट्रोपॉलिटन	942	969	950
80.	बिहार	वैशाली	915	887	879
81.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	874	906	921
82.	छत्तीसगढ़	रायगढ़	926	928	934
83.	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली	942	951	934
84.	दमन और दीव	दमन	918	919	946
85.	गोवा	उत्तरी गोवा	916	910	951
86.	झारखंड	धनबाद	861	890	914
87.	कर्नाटक	बीजापुर	948	941	968
88.	केरल	त्रिशूर	959	965	942
89.	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	953	915	978
90.	मणिपुर	सेनापति	991	974	980
91.	मेघालय	रिभोई	949	975	940
92.	मिजोरम	सैहा	915	1022	898
93.	नागालैंड	लोंगलेंग	954	984	942
94.	ओडिशा	नयागढ़	845	883	860
95.	पुदुचेरी	यानम	1107	981	976
96.	सिक्किम	उत्तर जिला	831	1009	1011
97.	तमिलनाडु	कुड्डालोर	856	937	931
98.	तेलंगाना	हैदराबाद	946	938	967
99.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप	1000	832	955
100.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	922	929	939

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत चरण-II में चुने गए 61 जिलों में वर्ष 2015-16 और 2016-17 की अवधि में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एचआईएमएस आंकड़ों के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों के नाम	2015-16 (अप्रैल-मार्च)	2016-17 (अप्रैल-मार्च)
1.	गुजरात (4)	आनंद	924	931
2.		अमरेली	916	911
3.		पाटन	945	936
4.		भावनगर	902	873
5.	हरियाणा (8)	गुड़गांव	887	892
6.		जींद	866	913
7.		फरीदाबाद	890	894
8.		हिसार	910	927
9.		फतेहाबाद	895	927
10.		सिरसा	941	911
11.		पंचकुला	887	929
12.		पलवल	921	935
13.	हिमाचल प्रदेश (2)	कांगड़ा	887	897
14.		हमीरपुर	849	943
15.	जम्मू और कश्मीर (10)	सांबा	908	884
16.		बारामुला	948	994
17.		गांदरबल	985	992
18.		राजौरी	947	937
19.		श्रीनगर	957	980
20.		शुपियान	1062	959
21.		कुपवाड़ा	1027	961
22.		कुलगाम	1057	1087
23.		उधमपुर	880	881
24.		बांदीपुरा	964	885
25.	मध्य प्रदेश (2)	रीवा	913	917
26.		टीकमगढ़	917	917
27.	महाराष्ट्र (6)	हिंगोली	953	916
28.		सोलापुर	878	910
29.		पुणे	911	889

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों के नाम	2015-16 (अप्रैल-मार्च)	2016-17 (अप्रैल-मार्च)
30.		परभनी	941	911
31.		नासिक	922	913
32.		लातूर	929	940
33.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2)	ईशान कोण	920	960
34.		दक्षिण	916	899
35.	पंजाब (9)	फरीदकोट	899	909
36.		बठिंडा	885	888
37.		लुधियाना	881	935
38.		मोगा	919	928
39.		रूपनगर	920	927
40.		होशियारपुर	905	914
41.		कपूरथला	884	905
42.		जालंधर	919	892
43.		शहीद भगत सिंह नगर	918	904
44.	राजस्थान (4)	जैसलमेर	925	914
45.		हनुमानगढ़	971	973
46.		जोधपुर	948	949
47.		टोंक	926	978
48.	उत्तर प्रदेश (11)	इटावा	902	911
49.		अलीगढ़	814	854
50.		एटा	897	878
51.		फिरोजाबाद	890	940
52.		जालौन	884	905
53.		बिजनौर	894	873
54.		मैनपुरी	840	871
55.		हमीरपुर	818	839
56.		सहारनपुर	906	909
57.		फर्रूखाबाद	880	886
58.		महोबा	873	921
59.	उत्तराखंड	हरिद्वार	876	917
60.		देहरादून	933	923
61.		चमोली	944	894

[हिन्दी]

ऋण का प्रतिशत

2925. **श्री राम कुमार शर्मा**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अक्तूबर, 2015 से अक्तूबर, 2018 के मध्य प्रदान किए गए ऋण का प्रतिशत बैंकों द्वारा वितरित किए गए कुल ऋण से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या अक्तूबर 2015 में उक्त क्षेत्र को बैंक ऋण का 5.9 प्रतिशत दिया गया था जबकि अक्तूबर, 2018 में यह प्रतिशत घटकर 4.5 प्रतिशत रह गया है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, सकल बैंक उधार में सितम्बर, 2015 में 62,016 बिलियन रु. की तुलना में सितम्बर, 2018 में 80,250 बिलियन रु. की वृद्धि हुई जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.बी.बी.) द्वारा सूक्ष्म, लघु तथा माध्यम उद्यमों को दिए गए कुल अग्रिम में सितंबर, 2015 में 9,260 बिलियन रु. की तुलना में सितम्बर, 2018 में 10,998 बिलियन रु. की वृद्धि हुई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एन.बी.) द्वारा एम.एस.एम.ई. को दिया गया कुल अग्रिम सितम्बर, 2015 में 8,378 बिलियन रु. तथा सितम्बर, 2018 में 7,561 बिलियन रु. थे।

पी.एस.बी. द्वारा एम.एस.एम.ई. (उद्योग तथा सेवाएं) को दिए गए अग्रिम को निजी क्षेत्र के बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) के अग्रिमों एवं ऋणों से अनुपूरित किया गया है।

[अनुवाद]

वनों का क्षरण

2926. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वन जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पतियों में परिवर्तन होता है और इससे वन को नुकसान पहुंचता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं और वन जलवायु परिवर्तन को बचाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि मानसून के दौरान वर्षा की कमी और बेमौसमी बरसात ने फसल चक्र को प्रभावित किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किस कार्यक्रमक का कार्यान्वियन किया गया है;

(ङ) क्या जलवायु परिवर्तन के कारण देश के विभिन्न भागों में घटती जल आपूर्ति के संबंध में सरकार ने कोई अध्ययन किया है: और

(च) यदि, हां तो जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसे नुकसान से बचने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (च) भारत सरकार ने "जलवायु परिवर्तन और भारत: 4x4 मूल्यांकन-2030 के लिए आंचलिक तथा क्षेत्रीय विश्लेषण (रिपोर्ट 4X4 मूल्यांकन)" प्रकाशित किया है जिसमें 2030 के लिए भारत के चार मुख्य आर्थिक क्षेत्रों नामत: कृषि, जल, प्राकृतिक पारिप्रणाली एवं जैवविविधता तथा स्वास्थ्य का भारत के चार जलवायु संवेदी क्षेत्रों नामत: हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, तटीय क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र का मूल्यांकन किया गया है

रिपोर्ट 4x4 मूल्यांकन के अनुसार, चार परिसंवेदी क्षेत्रों के वन वनस्पति प्रकार अल्पावधि अर्थात् 2030 के दशक में संभावी जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। 1970 के दशक के संदर्भ में 2030 तक पश्चिमी घाट, पूर्वातर क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र में निवल प्राथमिक उत्पादकता में वृद्धि होने के अनुमान है।

इसके अतिरिक्त, भारत वनस्पति रिपोर्ट (आई.एस.एफ.आर.) 2017 में प्रकाशित वनावरण के नवीनकरण निर्धारण के अनुसार-देश का कुल वन तथा वृक्षावरण 8,02,088 वर्ग किमी है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% है। वन तथा वृक्षावरण में आई.एस.एफ.आर.-2015 अद्यतन की तुलना में

8,021 वर्ग कि.मी की वृद्धि दर्ज की गई है। अत: देश के वनावरण में निवल वृद्धि हुई है।

तथापि "वन संसाधन तथा जैव-विविधता" पर जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, उच्च स्थानों की ओर वनस्पति के बढ़ने की घटनाएं पाई गई हैं। अध्ययनों में यह पाया गया है कि कुछ प्रजातियां उत्तरी अथवा उच्चतर स्थानों की ओर जाती पाई गई हैं। पूर्वी हिमालय में ए.बी.एस. डेंसा में ऊपरी वितरण सीमा (>3900 मी.) पर उच्चतर नवारोहण दर्शाया गया और पश्चिमी हिमालय में बेतुला युटीलिस की प्रजातियों का उच्च स्थानों में जाना दर्शाया गया है।

रिपोर्ट 4x4 मूल्यांकन में 1970 के दशक की तुलना में 2030 तक सभी क्षेत्रों में सिंचित चावल के उत्पादन में वृद्धि मक्का तथा चारा के लिए सभी क्षेत्रों में कम उत्पादन: पश्चिमी तट में नारियल की उत्पादकता में वृद्धि और पूर्वी तटीय क्षेत्र में कमी और हिमालय क्षेत्र में उत्पादन में कमी का अनुमान भी लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त यह पाया जाता है कि मानसून की शुरूआत के दौरान, फसल चक्र में बाधा आती है और मानसून रूकने की स्थिति के दौरान सूखे का दौर आता है। मानसून की शुरूआत सामयिक के साथ-साथ स्थानिक तौर पर अलग-अलग होती है। शुरूआत में यह भिन्नता देश भर में विभिन्न प्रमुख खरीफ फसलों की बुआई को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और मानसून की वर्षा में रुकावट एक सप्ताह से 10 दिनों क लिए होना आम बात है। किंतु खरीफ फसल की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान लंबी रुकावट (10-55 दिन) से या तो फसल उत्पादन में कमी होती है या फिर फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट 4x4 मूल्यांकन के अनुसार 1970 के दशक की तुलना में 2030 के दशक में हिमालयी क्षेत्र में जल प्राप्ती में वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्र में 1970 के दशक की तुलना में जल की प्राप्ति में भिन्नता होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जल प्राप्ति में वृद्धि होने और कुछ स्थानों पर कमी होने का अनुमान है।

जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का निराकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) कार्यान्वित कर रही है जिसमें में 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल है। इन मिशनों का कार्यान्वयन हिमलायी पारितंत्र का संपोषण, सौर ऊर्जा, संवर्द्धित ऊर्जा दक्षता, सतत पर्यावास, जल हरित, भारत, वहनीय कृर्षि और जलवायु परिवर्त हेतु रणनीतक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है। राज्य के विशिष्ट सरोकारों का निराकरण करने के लिए 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों मं एन.ए.पी.सी.सी. के उद्देश्यों के अनुरूप अपनी-अपनी राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं (एस.ए.पी.सी.सी.) तैयार की गई हैं। सरकार भी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अनुकूलन प्रयासों को सहायता करने के लिए इस स्कीम अर्थात् राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि को कार्यान्वित कर रही है।

केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना

2927. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री संजय धेत्रों:
श्री राहुल शेदाले:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आई.) की स्थापना में कोई विलंब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) अब तक किन-किन राज्यों ने अपने-अपने यहां सी.आर.आई. की स्थावना के लिए केंद्र सरकार को नि:शुल्क भूमि प्रदान की है/प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(घ) सरकार द्वारा इन राज्यों में सी.आर.आई. की स्थापना के लिए प्रदान की गई निधि और इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विश्व भर में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और हॉम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक):

(क) और (ख) केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (योग और प्राकृतिक चिकित्सा), भुवनेश्वर, ओडिशा, की स्थापना को छोड़कर राज्यों में केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों (सी.आर.आई.) की स्थापना में कोई देरी नहीं हुई हैं। स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण सी.आर.आई. बिल्डिंग के निर्माण कार्य में देरी हो रही है।

(ग) और (घ) बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों ने अपने राज्यों में सी.आर.आई. की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध करा दी है। इनमें से, हरियाणा और कर्नाटक में दो सी.आर.आई. (योग व प्राकृतिक चिकित्सा) की स्थापना के लिए सिचित कार्य शुरू किए गए हैं।

मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त अनुसंधान परिषद् केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सी.सी.आर.वाई.एन.) को मंत्रालय द्वारा झज्जर, हरियाणा और नागमंगला, कर्नाटक में स्नातकोत्तर योग व प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पी.जी.आई.वाई.एन.ई.आर.) की स्थापना क लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार हैं:-

निधियां

क्र.सं.	वर्ष	प्रदत्त	प्रयुक्त	
			झज्जर, हरियाणा	नागमंगला, कर्नाटक
1.	2016-17	12,00,00,000	6,25,00,000	5,00,00,000
2.	2017-18	27,75,00,000	13,96,33,500	13,96,33,500
3.	2018-19	17,26,00,000	11,83,88,250	5,66,11,750

(ङ) सरकार द्वारा पूरे विश्व में योग व प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार है:-

आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम (आई.सी. स्कीम) के तहत, पूरे विश्व में योग व प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने/लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न उपाय करता है। मंत्रालय योग सहित आयुष के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के लिए पहुंच बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/रोड शो/व्यापार मेले आदि आयोजित करता है/भाग लेता है। मंत्रालय योग प्रदर्शन और व्याख्यान के लिए विदेश में विभिन्न मंत्रालयों और भारतीय मिशनों द्वारा आयोजित सम्मेलनों/संगोष्ठियों/मेलों कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए योग विशेषज्ञों को नियुकत करता है।

आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा एवं होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए 16 देशों के साथ दर देश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ आयुष चिकित्सा पद्धतियों में सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए 17 समझौता ज्ञापन किए गए हैं। आयुष शैक्षणिक पीठों की स्थापना के लिए विदेशी संस्थानों के साथ 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में प्रामणिक जानकारी का प्रसार करने के लिए 28 देशों में 31 आयुष सूचना एककों की स्थापना की गई है।

योग विशेषज्ञों के ज्ञान और कौशल की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, आयुष मंत्रालय ने योग व्यावसायिकों के स्वैच्छिक प्रमाणन के लिए एक स्कीम शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य प्रामाणिक योग को एक निवारक, पुनः स्वास्थ्य लाभकारी और स्वास्थ्य प्रोत्साहक दवा रहित चिकित्सा के रूप में बढ़ावा देना और देश के भीतर और बाहर उनकी तैनाती में मदद करने के लिए योग व्यावसायिकों की क्षमता स्तर को प्रमाणित करना है।

21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आई.डी.वाई.) के रूप में आयोजित करने के लिए परिणामस्वरूप, आयुष मंत्रालय पिछले 04 वर्षों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है। आयुष मंत्रालय ने 21-22 जून 2015 के दौरान समग्र स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर 'अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' 22-23 जून 2016 के दौरान काया और कायातीत के लिए योग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन: 10-11 अक्तूबर 2017 के दौरान 'स्वस्थता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' और

12-13 नवंबर 2018 के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

आयुष मंत्रालय की अध्येतावृत्ति स्कीम के तहत, भारत की आयुष संस्थाओं में योग सहित आयुष पद्धतियों के विभिन्न स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए पात्र विदेशी नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कर वृद्धि

2928. डॉ. के. गोपाल:
श्री भैरों प्रसाद मिश्र:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्षों की तुलना में वर्तमान में प्राप्त की गई आय कर की मात्रा में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आकलन वर्ष 2018-19 में करदाताओं की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सकल प्रत्यक्ष कर वृद्धि दर 16.5 प्रतिशत है और निवल प्रत्यक्ष कर वृद्धि दर 14.5 प्रतिशत है जो यह दर्शाता है कि विमुद्रीकरण से कराधार के विस्तार और इसे मजबूत बनाने में कोई सहायता नहीं मिली है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नए विनियमन के अनुसार पैन कार्ड के आवेदक को 4 घंटे में कार्ड मिलने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए दिनांक 20.12.2018 को निवल प्रत्यक्ष कर संग्रहण की राशि 7.35.803 करोड़ रूपए (अनंतिम) है जोकि पिछले विगत वर्ष की संगत अवधि के निवल प्रत्यक्ष कर संग्रण की तुलना में 14% की वृद्धि को दर्शाता है

(ख) दिनांक 06.12.2018 तक वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दायर की गई ई-विवरणी की संख्या 6.09 करोड़ थी जोकि पिछले वित्त वर्ष की संगत अवधि में दायर की गई ई-विवरणी की संख्या से 47% अधिक थी।

(ग) दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहण एवं निवल प्रत्यक्ष कर संग्रहण की वृद्धि दर क्रमश: 14.6% एवं 14.0% है।

विमुद्रीकरण वाले वर्ष (वित्त वर्ष 2016-17) में प्रत्यक्ष कर राजस्व में 14.6% की एवं 14.0% वृद्धि, वित्त वर्ष 2017-18 में 18% की वृद्धि और मौजूदा वित्त वर्ष में 14% की वृद्धि, राजस्व वृद्धि पर विमुद्रीकरण के सकारात्मक प्रभाव का सूचक है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2018-19 तक के दौरान दायर की गई ई-विवरणी की संख्या में तगड़ा इजाफा भी इस तथ्य को दर्शाता है कि विमुद्रीकरण ने अर्थव्यवस्था को सहज और कानूनी रूप प्रदान करने के माध्यम से कर अनुपालन में वृद्धि करने में मदद की है।

(घ) और (ङ) आयकर विभाग द्वारा आवंटन प्रक्रिया और तकनीकी बुनियादी ढांचे को उन्नयन बनाकर पैन के आवंटन में लगने वाले समय को और कम करने के लिए, विशेष रूप से 'आधार आधारित ई-केवाईसी' माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए, विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

आर्द्रभूमि का सरंक्षण

2929. श्री दुष्यंत चौटाला: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में आर्द्रभुमि पर गतिविधियों के प्रतिबंध के उद्देश्य से आर्द्रभुमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी आर्द्रभुमि को चिन्हित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने आर्द्रभुमि के अनुरक्षण हेतु राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है स्वस्थ जैव-विविधता को बनाए रखने के लिए पूर्व आर्द्रभुमि के पुनरुद्धार हेतु कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) देश में आर्द्रभूमि के प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय मंत्रालयों तथा अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके आर्द्रभूमि (संरक्षण और

प्रबंधन) नियमावली, 2010 का अधिक्रमण करते हुए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियमावली, 2017 को अधिसूचित किया है।

नियमावली, 2017 केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित रमसार संरक्षण तथा आर्द्रभूमियों के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व, की आर्द्रभूमियों के रूप में श्रेणीबद्ध आर्द्रभूमियों पर लागू है। यह नियमावली भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 राज्य वन अधिनियम तथा समय-समय पर यथा संशोधित तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011, के अंतर्गत आने वाली आर्द्रभूमियों के क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी। नियम 4 के अंतर्गत आर्द्रभूमि में प्रतिबंधित कार्यकलाप निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के माध्यम से राज्य/संघ क्षेत्र (यू.टी.) आर्द्रभूमि प्राधिकरण गठित किए गए है और राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों को आर्द्रभूमियों की अधिसूचना के लिए शक्तियां प्रत्योजित की गई हैं।

(ग) और (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत सहभाजन आधार पर देश में अभिज्ञात आर्द्रभूमियों के सरंक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जलीय पारिप्रणालियों की संरक्षण योजना (एन.पी.सी.ए.) नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। स्कीम में विभिन्न कार्यकलाप जैसे अपशिष्ट जल का अंतरावरोधन, अपवर्तन और शोधन तटीय सुरक्षा, झील फ्रंट विकास, स्वस्थाने सफाई अर्थात् गाद निकालना एवं खरपतवार हटाना, बाढ़ जल प्रबंधन, बायोरिमेडियेशन आवाह क्षेत्र उपचार, झील सौन्दर्यीकरण, सर्वेक्षण एवं सीमांकन जैव घेराबंदी, मत्स्य विकास, खरपतवार निमंत्रण, जैव विविधता संरक्षण शिक्षा और जागरूकता सृजन, सामुदायिक प्रतिभागिता इत्यादि शामिल हैं।

दिशानिर्देशों के अनुरूप और बजट उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। तदनुसार, अभी तक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में 15 राज्यों और 1 संघ शामिल क्षेत्र में 150 आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है और स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय हिस्से के रूप में 936 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

इसके अलावा, जल संसाधन विकास और प्रबंधन से संबंधित कार्य राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार, नियोजित, वित्तपोषित, निष्पादित और अनुरक्षित किए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए भारत सरकार (जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के माध्यम से) द्वारा विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एस.ई.बी.पी.) और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण, और पुन:बहाली (आर.आर.आर.) योजना के माध्यम से जल संसाधनों के सतत विकास और कारगर प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जल निकायों की आर.आर.आर योजना के बहुविध उद्देश्य हैं जैसे जल निकायों का व्यापक सुधार एंव पुन:बहाली जिसके टैंक भंडारण क्षमता बढ़ती है, भूमि जल पुन: भरण, पेय जल की वृद्धि उपलब्धता, टैंक कमांडों के आवाह में सुधार आदि शामिल हैं।

जल निकायों की आर.आर.आर. स्कीम के अंतर्गत 1,697.63 करोड़ रू. की अनुमानित लागत से 1964 जल निकाय हैं। राज्यों द्वारा की गई सूचना के अनुसार इनमें मार्च 2018 तक 664 जल निकायों का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। मार्च, 2018 तक कुल केंद्रीय सहायता 344.315 करोड़ रु. जारी की गई थी। वर्तमान में वित्तीय वर्ष में अभी तक 3 राज्यों को इस योजना के अंतर्गत सी.ए. के रूप में 22.095 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। स्कीम के अंतर्गत जारी सी.ए. राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और केंद्रीय स्तर पर बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

योग स्कूल

2930. **श्री सुखवीर सिंह जौनापुरिया:** क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश भर में योग विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा राजस्थान में किन योग स्कूलों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या उक्त स्कूलों को टोंक और सवाई माधोपुर जिले में स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) कोई नया योग विश्वविद्यालय स्थापित करने का आयुष मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) से (ड़) मंत्रालय के पास इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण

2931. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:**
श्री मलयाद्रि श्रीराम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गरीब विद्यार्थियों के लिए ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण को रद्द कर दिया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण है; और

(ख) सरकार द्वारा इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सी.एस.आई.एस.) नामक एक ब्याज सब्सिडी योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत 7.50 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋणों पर अनुसूचित बैंकों से मॉडल शिक्षा ऋण योजना के तहत लिए गए ऋणों पर अधिस्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है।

जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता

2932. **श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती):** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता में 2030 तक जी.डी.पी. की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 स्तर के नीर्च 33 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक कटौती करने और इसी वर्ष तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से इसके विद्युत उत्पादन क्षमता के 40 प्रतिशत प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की राह पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए वैश्विक तापपमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ग) पेरिस समझौते के तहत भारत ने 2021-2030 तक के लिए राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान में आठ (8) लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 33 से 35% तक कम कम करना है और (पप) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहित हरित जलवायु निधि की मदद से 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से लगभग 40% तक समग्र विद्युतीय शक्ति क्षमता स्थापित करना है। इन लक्ष्यों को 2021 से 2030 के बीच प्राप्त करना है तथा देश इन लक्ष्यों को हासिल करने के पथ पर अग्रसर है।

(घ) जलवायु कार्य सूची के हिस्से के रूप में, सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यान्वित कर रही है जिसमें आठ मिशन-राष्ट्रीय सोलर मिशन, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि के लिए राष्ट्रीयमिशन, संवहनीय पर्यावासों पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयन पारिप्रणाली के लिए संवहनीय परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन के नाम से शामिल है। इसके अलावा 32 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने एन.ए.पी.सी.सी. के उद्देश्य के अनुरूप जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एस.ए.पी.सी.सी.) तैयार की है जिससे उनके राज्य विशेष के कार्यकलापों को किया जा सके। सरकार जलवायु परिवर्तन क लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के माध्यम से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सहायता के लिए अनुकूलन कार्यों में भी मदद कर रही है।

[हिन्दी]

जिला परिषद/ब्लॉक समितियों के लिए निधि को बंद करना

2933. **श्री हरि मांझी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर राजस्व में अपनी साझेदारी बढ़ने से राज्यों को लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में झारखंड तथा अन्य राज्यों को प्रदान किए गए राजस्व की मात्रा का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में जिला परिषद् के सदस्यों/ब्लॉक विकास समिति के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली निधि पर रोक लगा दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) जी हां, राज्य अपने केंद्रीय करों एवं शुल्कों के विभाज्य पूल के हिस्से में हुई वृद्धि से लाभान्वित हुए हैं। 14वें वित्त आयोग द्वारा अपनी अधिनिर्णय अवधि (2015-20) के लिए की गई सिफारिश के अनुसार करों एवं शुल्कों के विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। 13वें वित्त आयोग और 14वें वित्त आयोग (2017-18) की अधिनिर्णय अवधि क लिए राज्यों को केंद्रीय करों एवं शुल्कों के विभाज्य पूल में से कुल कर अंतरण के राज्य-वार ब्यौरे जिनमें झारखंड राज्य शामिल है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां। 14वें वित्त आयोग ने पैरा 9.72 के तहत सिफारिश की थी कि 'जिन अनुदानों की हम सिफारिश करते हैं वे अनुदान, अन्य स्तरों के लिए किसी हिस्से के बिना, ग्राम पंचायतों को जाने चाहिए जो कि मूलभूत सेवाएं प्रदान किए जाने के लिए सीधे उत्तरदायी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें अन्य स्तरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगी।

विवरण

13वें और 14वें वित्त आयोगों के दौरान राज्य सरकारों को जारी राज्यों के केन्द्रीय करों एवं शुल्कों के हिस्से को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रूपये)

क्र.सं.	राज्य	13वां वित्त आयोग					14वां वित्त आयोग		
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	15236.74	17751.14	20270.77	22131.88	13692.42	21893.79	26263.88	29001.27
2	अरूणाचल प्रदेश	720.18	838.97	957.94	1045.85	1109.98	7075.58	8388.30	9238.77
3	असम	7968.61	9283.53	10601.26	11574.52	12283.71	16784.88	20188.64	22301.53
4	बिहार	23978.38	27935.33	31900.39	34829.12	36963.07	48922.68	58880.59	65083.19
5	छत्तीसगढ़	5425.19	6320.44	7217.60	7880.22	8363.03	15716.47	18809.16	20754.83
6	गोवा	584.21	680.59	777.21	848.53	900.54	1923.76	2299.20	2544.26
7	गुजरात	6679.35	7781.55	8886.10	9701.93	10296.35	15690.43	18835.39	20782.28
8	हरियाणा	2301.75	2681.55	3062.12	3343.24	3548.09	5496.22	6597.47	7297.54
9	हिमाचल प्रदेश	1715.35	1998.37	2282.02	2491.52	2644.17	3611.17	4343.70	4801.30
10	जम्मू और कश्मीर	3066.98	3495.11	3870.37	4142.10	4477.23	7813.48	9488.60	11911.67
11	झारखंड	6154.35	7169.93	8187.62	8939.32	9487.01	15968.75	19141.92	21143.64
12	कर्नाटक	9506.31	11075.04	12647.14	13808.28	14654.25	23983.34	28759.94	31751.97
13	केरल	5141.85	5990.36	6840.65	7468.68	7926.29	12690.67	15225.02	16833.10
14	मध्य प्रदेश	15638.51	18219.13	20805.16	22715.27	24106.99	38397.84	46064.10	50853.06
15	महाराष्ट्र	11419.23	13303.61	15191.95	16586.70	17602.97	28105.95	33714.90	37203.28
16	मणिपुर	990.57	1154.03	1317.83	1438.79	1526.95	3142.42	3757.13	4154.31
17	मेघालय	896.27	1044.19	1192.45	1301.96	1381.69	3276.46	3911.05	4323.13
18	मिजोरम	590.78	688.26	785.96	858.08	910.67	2348.11	2800.63	3097.05

19	नागालैंड	689.46	803.20	917.14	1001.27	1062.69	2540.72	3032.63	3353.15
20	ओडिशा	10496.86	12229.09	13964.94	15247.09	16181.21	23573.75	28321.49	31272.02
21	पंजाब	3050.87	3554.31	4058.81	4431.47	4702.97	8008.90	9599.73	10616.93
22	राजस्थान	12855.62	14977.04	17102.84	18673.07	19817.14	27915.93	33555.86	37028.02
23	सिक्किम	524.99	611.65	698.48	762.62	809.33	1870.28	2233.30	2470.54
24	तमिलनाडु	10913.97	12714.95	14519.69	15852.76	16824.03	20353.86	24537.76	27099.72
25	तेलंगाना					9795.40	12350.72	14876.61	16420.07
26	त्रिपुरा	1122.36	1307.56	1493.18	1630.25	1730.13	3266.02	3909.12	4322.57
27	उत्तर प्रदेश	43219.05	50350.95	57497.85	62776.68	66622.91	90973.66	109427.46	120940.10
28	उत्तरांचल	2460.07	2866.04	3272.88	3573.38	3792.30	5333.19	6411.57	7084.90
29	पश्चिम बंगाल	15954.95	18587.81	21226.27	23175.02	24594.93	37163.93	44625.16	49321.09
	जोड़	219302.81	255413.63	291546.62	318229.60	337808.45	506192.96	608000.31	673005.29

[अनुवाद]

स्वास्थ्य बीमा कवर

2934. श्री कंभमपति हरिबाबू:
डॉ. बंशीलाल महतो:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चिकित्सा बीमा के अंतर्गत कितने लोगों को कवर किया गया है तथा चिकित्सा बीमा प्रदान कर रही कंपनियों का राज्य/कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार स्वास्थ्य बीमा पर कर दर में कटौती जैसे हतोत्साहनों आदि को हटाकर स्वास्थ्य बीमा कवर बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी को प्रीमियम की राशि में बिना परिवर्तन किए किसी अन्य बिना बीमाकर्ता तक अंतरित कर सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस चिकित्सा बीमा में परिवर्तन को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वर्तमान, में आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कोई निरुत्साहन नहीं है। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को अधिनियम की धारा 80घ के अंतर्गत कटौती के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) और (घ) पॉलिसीधारक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को एक कंपनी से दूसरे में पोर्ट कर सकते हैं। तथापि, प्रीमियम दरें उत्पाद विशिष्ट तथा कंपनी विशिष्ट होती हैं तथा ये उत्पाद-दर-उत्पाद एवं कंपनी-दर-कंपनी भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। पोर्टेबिलिटी विकल्प को आई.आर.डी.ए.आई. के 10 फरवरी, 2011 के परिपत्र संदर्भ आई.आर.डी.ए./एच.एल.टी./एम.आई.एस.सी./सी.आई.आर./030/02/2011 के माध्यम से शुरू किया गया था।

साधारण एवं स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी आई.आर.डी.ए.आई. (स्वास्थ्य बीमा) विनियम 2016 की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पोर्टेबिलिटी नियमों के अध्यधीन होंगी।

विवरण

वि.व. 2017-18 हेतु स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय (यात्रा - घरेलू/विदेशी तथा वैयक्तिक दुर्घटना को छोड़कर) के अंतर्गत कवर किए गए व्यक्तियों की बीमाकर्ता-वार संख्या

बीमा कंपनी का नाम	व्यक्तियों की संख्या (लाख में)
1	2
एको जनरल इंश्योरेंस लि.	--
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	115.15
भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.85
चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	18.55
डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	0.62
एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.00035
फ्यूचर जेनरेली इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	62.84
गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.	--
एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	23.83
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	105.85
इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	203.90
कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.71
लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5.52
मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.52
रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.19
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	245.16
रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10.81
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	51.88
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.00006
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	8.25
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	10.15
निजी कुल	867.61
नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1422.13
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	801.12

1	2
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	161.58
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1378.24
सार्वजनिक कुल	3763.07
आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7.39
अपोलो न्यूनिख हेल्थ बीमा कं लिमिटेड	34.30
सिगना टीटीके स्वास्थ्य बीमा कंपनी लि.	6
मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	24.9
रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	26.18
स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि.	90.4
स्टैंड अलोन हेल्थ कुल	189.18
कुल योग	4819.86

वर्ष 2017-18 के लिए स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय (यात्रा तथा वैयक्तिक दुर्घटना व्यवसाय को छोड़कर) के अंतर्गत कवर किए गए व्यक्तियों की राज्य.-वार संख्या

राज्य/सं.रां. क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या (लाख में)
1	2
आंध्र प्रदेश	34.13..
अरुणाचल प्रदेश	6.12
असम	3.96
बिहार	3.86
छत्तीसगढ़	204.86
गोवा	26.20
गुजरात	230.11
हरियाणा	58.75
हिमाचल प्रदेश	16.13
जम्मू और कश्मीर	0.79
झारखंड	3.76
कर्नाटक	385.46
केरल	176.02
मध्य प्रदेश	18.03
महाराष्ट्र	1500.12
मणिपुर	2.19
मेघालय	7.55
मिजोरम	0.02
नागालैंड	0.21
ओडिशा	319.36
पंजाब	93.86
राजस्थान	346.91
सिक्किम	0.08
तमिलनाडु	741.29
तेलंगाना	55.19
त्रिपुरा	0.61
उत्तर प्रदेश	46.84
उत्तराखंड	4.26
पश्चिम बंगाल	440.19
अं. और नि. द्वीप समूह	0.03
चंडीगढ़	2.35
दादर और नगर हवेली	3.44
दमन और दीव	2.52
दिल्ली	83.61
लक्षद्वीप	0.36
पुदुचेरी	0.68
कुल योग	4819.86

टिप्पणी : 1. इन आंकड़ों में सरकार प्रायोजित योजनाओं, समूह पॉलिसी तथा व्यक्तिगत पॉलिसियों के अंतर्गत कवर किए गए जीवन शामिल हैं।
2. ये आंकड़े सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (पीए तथा यात्रा बीमा को छोड़कर) के अंतर्गत कवर किए गए कुल जीवन का द्योतक है।

[हिन्दी]

महिलाओं का ऑनलाइन उत्पीड़न

2935. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने मीटू आंदोलन, यौन उत्पीड़न के मामलों से उत्पन्न मामलों की देख-रेख के लिए एक न्यायिक पैनल बनाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह पैनल कब तक बनेगा है;

(ख) क्या सरकार को गत चार वर्षों के दौरान महिलाओं के ऑनलाइन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने मामले दर्ज किए गए और निपटाए गए हैं तथा इन मामलों के शीघ्र निवारण के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचों को सुदृढ़ बनाने के लिए 24 अक्टूबर, 2018 के अपने आदेशानुसार मंत्री समूह का गठन किया है।

(ख) और (ग) पिछले चार वर्षों के दौरान महिलाओं के साथ साइबर अपराधों की श्रेणी में राष्ट्रीय महिला आयोग में प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	प्राप्त	निपटाई गई
2014	209	53
2015	223	86
2016	311	119
2017	370	250

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन शिकायतों को पुलिस प्राधिकारियों सहित संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्भया कोष के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के साथ साइबर अपराध निवारण परियोजना पर अपनी टिप्पणियां दी थीं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव की अध्यक्षता में गठित अधिकार-प्राप्त समिति ने गृह मंत्रालय की महिलाओं और बच्चों के साथ साइबर अपराध निवारण परियोजना का पहले ही अनुमोदन कर दिया है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने महिलाओं के ऑनलाइन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए महिलाओं और बच्चों के साथ साइबर अपराध निवारण, परियोजना के अंतर्गत साइबर अपराध रिर्पोटिंग पोर्टल तैयार किया है।

आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज

2936. **श्री रोजश रंजन:** क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की गुणवत्ता पर ध्यान दे रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में आयुर्वेद में परास्नात्क डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेजों का ब्यौरा क्या है: और

(ग) सरकार द्वारा बिहार में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों के लिए किए जाने वाले संभावित वित्तीय योगदान का ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (सी.सी.आई.एम.). आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों क लिए विनियमावली और न्यूनतम मानक निर्धारित किए हुए है और आयुर्वेद कॉलेजों द्वारा उनके अनुपालन की जांच करने के लिए उनका दौरा करती है।

आयुर्वेद कॉलेजों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित विनियम निर्धारित किए गए हैं:-

(i) भारतीय चिकितसा केंद्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम 2016 एवं 2018 जिनका संशोधन क्रमश: 07.11.2016 और 07.12.2018 को किया गया।

(ii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम 2016 एवं 2018 जिनका संशोधन क्रमश: 07.11.2016 और 07.12.2018 को किया गया।

(iii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (आयुर्वेद कॉलेजों एंव संबद्ध अस्पतालों की न्यूनतम मानक अपेक्षाएं) 2012 दिनांक 07.11.2016

(ख) देश में 140 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें आयुर्वेद की मास्टर डिग्री उपलब्ध है। इनका विवरण पब्लिक डोमेन पर है और *http:/ayush.gov.in/list-ayurved-siddha-unanai-and-homeopathy-colleges* पर देखा जा सकता है।

(ग) राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्य सरकारों को नई आयुष शैक्षिक संस्थाएं खोलने और उनके उन्नयन क लिए भी वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) के अधीन इस उद्देश्य के लिए सहायता-अनुदान प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

जानवरों के हमले से हुई मौतें

2937. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तनमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2014 से जानवरों, के हमले, शिकारियों, इमारती लकड़ियों और बालू माफिया तथा अवैघ खनिजों के हाथों, हत्या, वाहन, दुर्घटनाओं, डूबने और दावानलों के कारण वर्ग-वार कितने फ्रंटलाइन वन कार्मिकों की मौतें रिपोर्ट की गई है;

(ख) देश भर के 769 संरक्षित क्षेत्रों में कितने वन औषधालय हैं;

(ग) शिकारियों, पेड़ काटने वालों और खनिजों के विरुद्ध रेंजरों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) मारे गए रेंजरों के परिवारों को भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है और भारत में कितने रेंजर है तथा 2014 से रेंजरों के लिए कितने प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का फ्रंटलाइन वन कार्मिकों के लिए एक सांस्थानिक अखित भारतीय जीवन या स्वास्थ्य बीमा योजना करने का विचार है और यदि हां, तो क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं: और

(च) मंत्रालय के अंतर्गत फ्रंटलाइन वन कार्मिकों के कल्याण के लिए समिति द्वारा किए गए अध्ययनों, कार्यो का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) वन्यजीवों का प्रबंधन और वन कर्मिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र की सरकारों की है। वन कार्मिकों (रेंजर्स) की मौत की रिपोर्ट सहित संरक्षित क्षेत्रों में वन औषधालयों की संख्या मंत्रालय में संग्रहित नहीं की जाती।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मारे मए रेंजर्स के परिवार को प्रतिपूर्ति का भुगतान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। मंत्रालय राज्य/संघ क्षेत्र की सरकारों को केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों वन्यजीवों के पर्यावासों का विकास, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना के लिए विभिन्न कार्यकलापों सहित वन्यजीवों एवं इनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस मदद में वन्यजीवों द्वारा विध्वंस के लिए प्रतिपूर्ति सहित जीवन और संपत्ति की क्षति की प्रतिपूर्ति भी शामिल है।

(ङ) और (च) फ्रंटलाइन कर्मचारियों के प्रशासन का प्रबंधन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा किया जाता है। विभिन्न राज्य सरकारों ने न फ्रंटलाइन कर्मियों के लिए उपाय किए हैं। उनमें से कुछ महत्पवूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:

(i) बेहतर गतिशीलता के लिए संचार उपकरणों का प्रावधान,

(ii) सुरक्षा के लिए अस्त्र एवं शस्त्र का प्रावधान,

(iii) फ्रंटलाइन वन कर्मियों के बच्चों के लिए आस-पास के गांवों में आवासीय सुविधाएं, मिट्टी के तेल, चिकित्सा किट, मच्छरदानी, टार्च, इत्यादि की आपूर्ति है।

भारतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग

2938. **श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रक में प्रतिभावान और प्रख्यात चिकित्सकों को आकर्षित करने के लिए भारतीय चिकित्सा सेवाओं को एक अलग से वर्ग बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा के सृजन के मामलें को अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा के सृजन की आवश्यकता की जांच करने हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सी.एच.एस.) की संवर्ग समीक्षा के लिए गठित समिति को हस्तान्तरित किया था।

संवर्ग समीक्षा समिति की सिफारिश का अनुसरण करते हुए, मंत्रालय ने अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा के सृजन के प्रस्ताव पर अपनी राय देने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है ताकि मंत्रालय अपने प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे सकें।

अभी तक 06 राज्यों, यथा, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, सिक्किम, गोवा और मिजोरम तथा 02 संघ राज्य क्षेत्रों तथा, दादर और नगर हवेली और अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। यद्यपि, गोवा, मिजोरम सरकार, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ने प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन केरल तथा सिक्किम सरकारों ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एक व्यापक प्रस्ताव का अनुरोध किया है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा सेवाओं के दो क्षेत्रों में जनशक्ति की आवश्यकताओं के समाधान के लिए अन्य देशों की बेहतर परम्पराओं को शामिल किया जाए।

चिकित्सा पेशेवरों की कमी

2939. डॉ. कुलमणि सामल:
श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चिकित्सक-मरीज अनुपात में बहुत अंतर है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में अस्पतालों/पी.एच.सी./सी.एच.सी./औषधालयों में चिकित्सकों/परा-चिकित्सकों की रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए आवश्यक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास आम आदमी द्वारा किए गए निजी खर्चे को कम करने हेतु लोक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में सुधार/सहायता के लिए कोई कार्य योजना है;

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त कमी को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी/निजी चिकित्सा पेशेवरों/परा-चिकित्सकों की सहायता लेने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के लिए आबंटित संवितरित और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एम.सी.आई) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 30 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार, राज्य आयुर्विज्ञान परिषद/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीकृत डॉक्टरों की कुल संख्या एलोपैथिक डॉक्टर 11,15,835 है। यह मानते हुए प्रतिशत उपलब्धता 80, यह अनुमान लगाया गया है कि सक्रिय सेवा के लिए वास्तविक रूप से लगभग 8.9 हैं। उपलब्ध लाख डॉक्टर 3 इससे 1.35 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या अनुमान के अनुसार डॉक्टर/आबादी का अनुपात 15:11 प्राप्त होता है जो डब्ल्यू.एच.ओ. के 1:के मानक की तुलना में कम है। इसके अलावा देश में 7 लाख आयुर्वेदिक 63, यूनानी और हॉम्योपैथी उपलब्धता 80 प्रतिशत हैं। डॉक्टर (ए.यू.एच.) मानते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि सक्रिय सेवा के लिए वास्तविक रूप से लगभग 6, हैं और इन्हें उपलब्ध एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्यो डॉक्टरों के साथ माना जाता है। एलोपैथिक डॉक्टर इससे डॉक्टर 1 आबादी का अनुपात : 898 प्राप्त होता है।

सरकार ने देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) सभी एम.डी., एम.एस. संकायों के लिए शिक्षकों और छात्रों के अनुपात को /:1 से संशोधित कर 1:किया 2 सियोलोजी गया है और देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों में एनेस्थे., फोरेंसिक मेडिसिन, रेडियो थेरेपी, मेडिकल ऑकोलोजी, सर्जिकल ऑकोलोजी और मनोरोग विषयों में 1:1 से संशोधित कर 1:3 कर दिया। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सभी गया है। इसके अलावा प्रोफेसर के लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 1 छात्र के अनुपात को नैदानिक विषयों में शिक्षक:1 से बढ़ाकर 2: कर दिया गया 2 रूप देश में हैं। इसके परिणामस्वरूप पी.जी. सीटों की संख्या में वृद्धि होगी।

(ii) संकायों की कमी दूर करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति हेतु डी.एन.बी. अर्हता को मान्यता दी गई है।

(iii) एम.बी.बी.एस. स्तर पर अधिकतम दाखिला क्षमता को 150 से बढ़ाकर 250 करना।

(iv) भूमि, संकाय, कर्मचारी, बिस्तर कता के अवसंरचना सुविधाओं की आवश्यकता और अन्य की संख्या बिस्त/ पना के मानदंड में छूट मामले में मेडिकल कॉलेजों की स्थिति

(v) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पी. (सी) के अंतर्गत यथा अधिसूचित अनुसार महानगरों में चिकितसा कॉलेजों की स्थापना के लिए भूमि की अपेक्षा को पूरा किया गया है।

(vi) नए पी.जी. पाठ्यक्रमों को आरंभ करने सरकार ने मेडिकल पी.जी. सीटों में वृद्धि करने के लिए राज्य/कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन।

(vii) देश के अधिमानततालों के साथ जुड़े नए मेडिकल रेफरल/अस्प/सेवित जिलों में जिला अस्पताल कॉलेजों की स्थापना।

(viii) एम.बी.बी.एस. सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के मौजूदा कॉलेजों का/ उन्नयन/सुदृढ़ीकरण।

(ix) मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/चर्या:पुन/रीकार्यकाल में बढ़ोत्तरी/निर्देशक के पदों के लिए नियुक्ति/ आयु सीमा को 65 से बढ़ाकर 70 साल कर दिया गया है।

(ख) जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में डॉक्टरों/ पराचिकित्सा की रिक्तियों को भरने का प्रमुख दायित्व राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है जिनमें शामिल है:- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके समग्र संसाधन क्षमता के अंदर उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पी.आई.पी.) में दर्शाई गई आवश्यकता के आधार पर संविदा आधार पर डॉक्टरों की नियुक्ति हेतु सहायता।

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई) एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 01.04.2015 से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों और असंगठित कामगारों (यू.ओ.डब्ल्यू) की 11 अन्य श्रेणियां नामत: मनेगा कामगारों, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगारों, सफाई कर्मचारियों, खदान कामगारों, लाइसेंसधारी रेलवे कुलियों फेरी वालों, बीड़ी कामगारों, रिक्शा वालों, कूड़ा बीनने वालों और ऑटो टैक्सी चालकों के लिए स्वास्थ्य बीमा कबरेज का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम में नार्मिकत प्रत्येक परिवार सरकारी और पैनलब्ध निजी अस्पतालों में 30.000/- प्रति वर्ष तक का अस्पतालीकरण लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। आर.बी.एस.वाई. के उद्देश्यों में से एक जेब से होने वाले खर्च को कम करना है।

वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम (एस.सी.एच.आई.एस.) मौजूदा आर.एस.बी.वाई. के ऊपर 60 वर्ष और उनसे अधिक आयु वाले परिष्ठ नागरिकों के लिए 01.04. 2016 से कार्यान्वित की जा रही स्कीम है।एस.सी.एच.आई.एस. में आर.बी.एस.वाई. के अंतर्गत नामांकित परिवार में 30.000 रुपए प्रति वरिष्ठ नागरिक का संवर्धित पैकेज प्रदान किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान आर.एस.बी.वाई. के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को जारी निधियों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

इसके अलावा, दनांक 23.09.2018 को प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पी.एम.जे.ए.वाई.) शुरू की गई, जिसमें लगभग, 10 करोड़ निर्धन और संवेदनशील परिवारों को मध्यम और उत्तम परिवारों और अस्पतालीकरण हेतु 5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार का लाभ कवरेज प्रदान किया जाता है। इस स्कीम में सामाजिक आर्थिक जाति जनसंख्या (एस.ई.सी.सी.) डाटा के अनुसार वंचित और व्यावसायिक मानदण्ड के आधार पर गरीब और संवेदनशील परिवारों को शामिल किया गया है। पी.एम.जे.ए.वाई में भारत भर में किसी भी पैनलबद्ध अस्पताल में लाभार्थी को घर पर ही सेवा प्रदान करने के लिए नगद रहित और कागजरहित सेवा का प्रावधान किया गया है।,

जिन राज्यों में पी.एम.जे.ए.वाई कार्यान्वित की जा रही है उनें पी.एम.जे.ए.वाई. स्कीम की शुरूआत होने से आर.एस.बी.वाई. और एस.सी.एच.आई.एम. स्कीमों को इसमें ही सम्मिलित माना जाए। पी.एम.जे.ए.वाई. के तहत जारी निधियों का राज्य/संघ राजय क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्रक-II में दिया गया है

(घ) जैसा कि उपर्युक्त (ख) में उल्लेख किया गया है, यह मामला राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान आरएसबीवाई के तहत जारी निधियां (करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18
1	असम	23.24	54.72	0.00
2	बिहार	--	0\00	0\00
3	छत्तीसगढ़	88.77	114.09	171.38
4	गुजरात	74.24	22.34	15.07
5	हरियाणा	4.67	0.60	0.00
6	हिमाचल प्रदेश	13.90	12.30	6.15
7	झारखंड	--	0.00	0.00
8	कर्नाटक	94.99	45.89	7.39
9	केरल	112.37	73.29	77.53
10	मध्य प्रदेश	1.00	0.00	0.00
11	मणिपुर	1.17	2.20	0.00
12	मेघालय	4.10	4.10	0.00
13	मिजोरम	9.43	14.13	12.96
14	नागालैंड	--	0.00	4.87
15	ओडिशा	59.55	31.70	55.75
16	पुदुचेरी	0.17	0.00	0.00
17	पंजाब	2.80	0.00	0.00
18	राजस्थान	53.57	0.00	0.00
19	त्रिपुरा	15.64	10.83	0.04
20	उत्तर प्रदेश	11.91	0.00	0.00
21	उत्तराखंड	10.20	0.00	9.15
22	पश्चिम बंगाल	93.38	50.47	95.01
	सकल योग	675.10	436.66	455.30

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी धनराशि (करोड़ में) (10.12.2016 के अनुसार)
1	छत्तीसगढ़	114.44
2	उत्तर प्रदेश	32.71
3	हिमाचल प्रदेश	7018
4	मणिपुर	7.18
5	त्रिपुरा	12.81
6	मिजोरम	5.05
7	बिहार	188.27
8	झारखंड	48.48
9	गुजरात	77.50
10	पश्चिम बंगाल	193.35
11	हरियाणा	26.81
12	मध्य प्रदेश	27.57
13	दादरा और नगर हवेली	0.94
14	दमन और दीव	0.29
15	तमिलनाडु	11.66
16	सिक्किम	1.03
17	महाराष्ट्र	12.55
18	नागालैंड	4.72
19	असम	21.08
20	जम्मू और कश्मीर	20.64
21	अरुणाचल प्रदेश	2.31
22	लक्षद्वीप	0.00
23	चंडीगढ़	0.18
24	पुदुचेरी	0.16
25	गोवा	0.64
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.05
27	उत्तराखंड	0.12
	कुल	817.73

विवरण-III

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक एनआरएचएम के तहत राज्यवार आवंटन, जारी और व्यय दर्शाता विवरण

करोड़ रू. में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	37.55	25.83	44.90	28.51	33.94	32.48
2	आंध्र प्रदेश	615.90	1,072.78	585.58	1,223.42	832.96	1,438.78
3	अरुणाचल प्रदेश	163.80	146.57	159.50	163.54	258.83	163.04
4	असम	997.59	1,200.73	1,033.63	1,322.02	1,374.95	1,458.14
5	बिहार	1,253.53	1,726.92	1,040.59	1,610.81	1,557.40	1,808.01
6	चंडीगढ़	17.53	16.62	19.98	19.00	15.53	25.47
7	छत्तीसगढ़	409.32	750.03	568.42	967.47	812.44	1,144.16
8	दादरा और नगर हवेली	14.24	15.31	16.99	16.87	18.25	19.39
9	दमन और दीव	10.55	10.14	11.35	10.22	10.67	10.54
10	दिल्ली	122.53	105.00	195.88	121.12	204.35	204.34
11	गोवा	17.30	24.62	25.64	36.41	25.68	42.00
12	गुजरात	665.41	1,198.44	820.35	1,295.88	1,104.79	1,491.18
13	हरियाणा	294.18	482.76	314.30	506.75	337.16	602.93
14	हिमाचल प्रदेश	248.33	283.67	212.13	345.52	370.60	376.86
15	जम्मू और कश्मीर	364.12	419.05	362.42	404.34	545.65	514.04
16	झारखंड	410.92	597.12	454.64	629.58	735.99	744.53
17	कर्नाटक	772.15	1,145.49	689.29	1,192.38	1,263.51	1,913.09
18	केरल	288.69	618.65	434.68	709.25	572.41	899.94
19	लक्षद्वीप	5.72	2.75	3.83	4.33	5.54	6.20
20	मध्य प्रदेश	1,092.97	2,036.16	1,490.75	2,035.74	1,696.56	2,282.87
21	महाराष्ट्र	1,142.64	1,729.61	1,181.52	1,722.74	1,650.92	2,081.85
22	मणिपुर	115.19	107.19	77.13	80.70	161.65	109.96
23	मेघालय	107.50	134.64	158.45	148.92	185.17	163.58
24	मिजोरम	91.06	92.90	76.33	98.54	122.58	108.40
25	नागालैंड	102.30	80.88	91.47	92.46	132.94	91.40
26	ओडिशा	645.18	1,179.59	711.07	1,232.88	1,176.64	1,441.63

1	2	3	4	5	6	7	8
27	पुदुचेरी	17.54	20.32	41.16	35.48	32.91	35.57
28	पंजाब	289.08	606.04	271.36	639.42	468.52	605.95
29	राजस्थान	1,280.78	1,769.92	1,218.03	1,636.74	1,615.29	1,807.21
30	सिक्किम	41.54	50.68	40.78	50.15	54.72	42.89
31	तमिलनाडु	998.32	1,496.93	749.14	1,729.71	1,278.53	2,143.28
32	त्रिपुरा	136.94	120.57	121.27	141.91	155.89	200.56
33	उत्तर प्रदेश	2,892.77	4,417.65	3,269.48	4,968.91	3,913.26	6,387.94
34	उत्तराखंड	277.66	332.21	259.04	342.07	351.35	443.51
35	पश्चिम बंगाल	1,000.58	1,552.93	806.98	1,805.20	1,250.35	2,183.84
36	तेलंगाना	399.08	509.64	375.00	635.83	468.34	917.43
	उप योग	17,340.50	26,080.34	17,933.08	28,004.80	24,796.26	33,943.01

नोट :

1. उपर्युक्त जारी धनराशि केन्द्रीय सरकार से संबद्ध है तथा इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।
2. व्यय में केन्द्र द्वारा जारी, राज्य द्वारा जारी और वर्ष के शुरू में अव्ययित शेष की तुलना में व्यय शामिल है।

एकल महिला अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच

2940. **श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:**
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल कितनी एकल महिलाएं हैं तथा सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र सहित संवेदनशील परिस्थितियों में एकल महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु बुंदेलखंड क्षेत्र सहित राज्य/संघ क्षेत्र/वार क्या कदम उठाए गए है;

(ख) क्या राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच (एन.एफ.एस. डब्लयू.आर.) ने एकल महिलाओं, सभी उम्र की विधवाओं के साथ-साथ अविवाहित, तलाकशुदा, अलग हो चुकी और परित्यक्ता महिलाओं से संबंधित मुद्दे उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.एफ.एस.डब्ल्यू.आर. ने केंद्र और राज्य सरकारों को कराधन सीमा से नीचे के आय वाली सभी एकल महिलाओं के लिए 3000 रूपये की मासिक पेंशन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा एकल महिलाओं को पेंशन संबंधी लाभ में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) महिला होंस्टलों की संख्या बढ़ाने के लिए आबंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है तथा पहले से उपलब्ध सुविधाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) भारत के महापंजीयक द्वारा जनगणना के आंकड़े जनगणना के समय देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के आधार पर इकट्ठे किए गए थे, जिनमें एकल महिलाओं के संबंध में आंकड़े भी शामिल थे। जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 में एकल महिलाओं की संख्या 59.36.636. थी। मंत्रालय पूरे देश में महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए वन स्टॉप सेंटर, महिला हैल्पलाइन, स्वाधार गृह कामकाजी, महिला हॉस्टल, राष्ट्रीय महिला कोष, महिला शक्ति केंद्र

जैसी विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है, जिनका लाभ स्कीमों की निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करने पर एकल महिलाओं द्वारा भी उठाया जा सकता है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय एकल महिला अधिकार मंच ने अपनी वार्षिक सलाहकार बैठक में सभी आयु वर्ग की एकल महिलाओं, विधवाओं तथा अविवाहित, तलाकशुदा, पृथक रह रही और परित्यक्त महिलाओं से संबंधित मुद्दे उठाए हैं, जिनमें कम आमदनी वाली एकल महिलाओं को 3,000/- रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का मुद्दा भी शामिल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अनुरोध दरों और मापदंड में परिवर्तन करके राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम स्कीम में संशोधन के लिए तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सलाहकार समिति का गठन किया है।

(ङ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ऐसी महिलाओं को सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए कामकाजी महिला हॉस्टल स्कीम क्रियान्वित कर रहा है, जो अपने आवास दूर कार्यरत है। कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कामकाजी महिला हॉस्टलों में सुरक्षा गार्ड तैनत करने और सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का प्रावधान किया गया है। कामकाकजी महिलाओं को रहने की स्तरीय सुविधा प्रदान करने क लिए स्कीम के दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया है, ताकि संवासिनों के बच्चों के लिए साफ-सुथरे और हवादार दिवस देखभाल केंद्रों, प्राथमिक उपचार और वॉशिंग मशीन/सोलर वॉटर हिटिंग सिस्टम के साथ महिलाओं को सुरक्षित और सस्ता आवास उपलब्ध कराया जा सकें। विगत तीन वर्षों के दौरान आबंटित और निर्मुक्त निधियां इस प्रकार हैं:

वर्ष	बजट आबंटन (रूपये करोड़ों में)	निर्मुक्त निधियां (रूपये करोड़ो में)
2015-16	28.00	12.19
2016-17	28.00	23.13
2017-18	50.00	26.96
2018-19	52.00	20.14 (26.12.2018 तक की स्थिति)

वायु प्रदूषण संबंधी शिकायतें

2941. श्री मलयाद्रि श्रीराम: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने वायु प्रदूषण की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) को अपने कर्मचारियों पर अभियोग चलाने के लिए कहा है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह आदेश सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित किया जाएगा और यह आदेश सी.पी.सी.बी. के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दिया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उन अधिकारियों, जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लघंन किया है, के विरुद्ध क्या कार्रवाई शुरू की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं कि सी.पी.सी.बी. के सभी कार्यालय पूर्व-सक्रिय बनें और नागरिकों की सहायता करें?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्र् के मामले में, रिट याचिका (ग) सं. 13.29/1985 में अपने आदेश दिनांक 26/11/2108 के द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.) और श्रेणीबद्ध अनुक्रिया कार्य योजना के अंतर्गत उत्तरदायी प्राधिकरणों को उन नोडल एजेन्सियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए जो प्रदूषण के मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रहीं है अविलम्ब कार्रवाई करने का निदेश दिया है। यह आदेश दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) के संबंध में पारित किया गया है।

(ग) सी.पी.बी.बी. द्वारा चार एजेन्सियों, नामत: उत्तर रेलेवे, दिल्ली औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लि. (डी.एस.आई.आई.डी.सी.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 12.11.2018 को और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार को 03.12.2018 को अभियोजन के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किये गए हैं।

(घ) दिल्ली और एन.सी.आर. में वायु प्रदूषण कारी क्रियाकलापों, जैसे कचरे के ढेर लगाना/जलाना यातायात की भीड़-भाड़, संनिर्माण क्रियाकलाप, सनिर्माण सामग्री का खुले में भंडारण कच्ची, सड़कें, निर्माण और विध्वंस (सी.एण्ड.डी.) अपशिष्ट का खुले में ढेर लगाना और सड़क की धूल के हवा में उड़ने इत्यादि के संबंध में व्यापक क्षेत्रीय प्रतिपुष्टियां प्राप्त करने के लिए सी.पी.सी.बी. के अधिकारियों के अधिकारियों

से युक्त 52 दलों का गठन किया गया है। जहां- जहां उल्लंघन पाये गए, उन मामलों को संबंधित परिपालन एजेन्सियों को अग्रेषित किया गया है। सी.पी.बी.बी. में सोशल मीडिया, जैसे- फेसबुक, ट्विटर तथा ई-मेलों और सी.पी.बी.बी. की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाया गया है। दिल्ली और एन.सी.आर. के नगरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही के बारे चर्चा तथा समीक्षा करने हेतु समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है।

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों के घाटे

2942. **श्री अशोक महादेवराव नेते:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक सहकारी बैंक, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में स्थित सहकारी बैंक, घाटे में चल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक उक्त प्रत्येक बैंक को कितनी राशि का घाटा हुआ और इसके क्या कारण हैं: और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों के प्रशासनिक व्यय का ब्यौरा क्या है और इस हानि को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है/प्रस्तावित है?;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 33 राज्य सहकारी बैंकों (एस.टी.सी.बी.) में से 02 एस.टी.सी.बी. घाटे में थीं और 363 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.) में से 49 डी.सी.सी.बी. को हानि हुई। विगत तीन वर्ष के लिए घाटे में चल रहे एस.टी.सी.बी. एवं डी.सी.सी.बी. द्वारा वार्षिक हानि और हुए प्रशानसिक व्ययों को दर्शाते हुए बैंक-वार स्थिति, संलग्न विवरण-I II और III में दी गई है।

सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनरूद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(i) वर्ष 2011-12 के दौरान 13596 करोड़ रुपए की वित्तीय लागत के साथ अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एस.टी.सी.सी.एस.) के लिए पुनरूज्जीवन पैकेज को कार्यान्वित किया गया था, जिसमें उनकें पुनर्पूंजीकरण और एच.आर.डी. तथा विशेष लेखापरीक्षा, कम्प्यूटरीकरण, तकनीकी सहायता इत्यादि जैसे व्ययों के लिए भारत सरकार 9245.28 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी शामिल है। यह योजना दिनांक 30.06.2011 को बंद हो गयी थी।

(ii) वर्ष 2014-15 के दौरान 4 राज्यों में 23 गैर लाइसेन्सीकृत डी.सी.सी.बी. (उत्तर प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 03, जम्मू और कश्मीर में 03 तथा पश्चिम बंगाल में 01) के पुनरूद्धार के लिए भारत सरकार की 673.29 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी सहित 2375.42 करोड़ रुपए की वित्तीय आवश्यकता के साथ एक विशेष योजना कार्यान्वित की गई थी।

(iii) नाबार्ड ने बताया है कि अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एस.टी.सी.सी.एस.) के अंतर्गत सभी बैंकों को कोर बैकिंग प्रणाली (सी.बी.एस.) प्लेटफॉर्म के तहत लाया गया है।

(iv) एस.टी.सी.बी और डी.सी.सी.बी. के वित्तीय कार्य-निष्पादन की समीक्षा के लिए नाबार्ड द्वारा नियमित रूप से केंद्र स्तरीय एवं राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। बैंकों को अपनी वित्तीय लाभप्रदाता सुधारने के उपायों के संबंध में परामर्श/मार्गदर्शन किया जा रहा है।

विवरण-I

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार डी.सी.सी.बी. में हानि

राशि लाख में

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	बैंक का नाम	वर्ष के लिए हानि	प्रशासनिक व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मरियादित, भिंड	273.30	788.05

1	2	3	4	5	6
2.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मरियादित, दतिया	1699.06	415.74
3.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मरियादित, रीवा	2666.47	612.54
4.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मरियादित, सतना	2417.78	609.73
		मध्य प्रदेश कुल		7056.61	2426.06
5.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तराखंड	उत्तरकाशी जिला सहकारी बैंक लि., उत्तरकाशी	1689.78	1108.65
		उत्तराखंड कुल		1689.78	1108.65
6.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद जिला को-ऑपरेटिक बैंक लि.	781.75	1186.42
7.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	बहराइच जिला सहकारी बैंक लि.	268.93	357.93
8.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	बदायुं जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	269.83	517.47
9.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	देवरिया कसिया सहकारी बैंक लि.	333.30	713.99
10.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, वाराणसी	131.34	655.35
11.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	1632.26	750.24
12.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	1221.82	899.58
13.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, आजमगढ़	347.20	454.26
14.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, गाज़ीपुर	300.98	523.61
15.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बलिया	83.42	433.77
16.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बस्ती	347.73	519.50
17.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, जौनपुर	652.01	409.55
18.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, लखीमपुर खीरी	4348.98	3256.58
19.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	37.84	361.06
		उत्तर प्रदेश कुल		10757.39	11039.31
20.	पूर्वी क्षेत्र	बिहार	औरंगाबाद जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	524.09	153.91
21.	पूर्वी क्षेत्र	बिहार	कटिहार जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	464.53	187.25
22.	पूर्वी क्षेत्र	बिहार	नवादा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	83.98	200.31
23.	पूर्वी क्षेत्र	बिहार	रोहिका मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, मधुबनी	109.87	273.93
		बिहार कुल		1182.47	815.40
24.	पूर्वी क्षेत्र	झारखंड	गिरिडीह मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	114.24	277.95
		झारखंड कुल		114.24	277.95
25.	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	बलगेरिया मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	501.31	670.88
26.	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	बांकुरा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	727.00	1763.93
27.	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	बीरभूम जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	2722.67	307.55

1	2	3	4	5	6
28.	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	60.26	708.22
		पश्चिम बंगाल कुल		4011.24	3449.88
29.	उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा	अम्बाला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	323.67	1506.43
30.	उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा	फतेहाबाद मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	288.95	1327.52
31.	उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा	महेन्द्र गढ़ मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	131.22	811.65
32.	उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा	सिरसा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	800.83	2157.47
33.	उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा	यमुनानगर मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	33.85	1158.59
		हरियाणा कुल		1578.52	6961.66
34.	उत्तरी क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर	बारामूला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	1126.28	1501.61
35.	उत्तरी क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	1304.75	1070.46
		जम्मू और कश्मीर कुल		2431.03	2572.07
36.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	मानसा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., मानसा	267.06	904.55
37.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	संगरूर मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., संगरूर	465.56	2971.14
		पंजाब कुल		732.62	3875.69
38.	उत्तरी क्षेत्र	राजस्थान	बरन सहकारी बैंक लि.	274.36	1102.66
39.	उत्तरी क्षेत्र	राजस्थान	मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., टोंक	500.87	436.01
40.	उत्तरी क्षेत्र	राजस्थान	कोटा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	552.61	728.06
		राजस्थान कुल		1327.84	2266.73
41.	दक्षिणी भाग	आंध्र प्रदेश	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, विजयनगरम	1392.65	642.80
		आंध्र प्रदेश कुल		1392.65	642.80
42.	दक्षिणी भाग	तमिलनाडु	कन्याकुमारी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	43.22	1923.48
43.	दक्षिणी भाग	तमिलनाडु	वेल्लोर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	12250.23	2587.70
		तमिलनाडु कुल		12293.45	4511.18
44.	पश्चिमी क्षेत्र	गुजरात	कच्छ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	59.33	624.42
		गुजरात कुल		59.33	624.42
45.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	बीड जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	1292.94	3570.38
46.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	बुलढाणा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	2087.16	1644.15
47.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	धुले एंड नंदुरबार जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	406.34	3173.72
48.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	1106.46	2410.20
49.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	नासिक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	6163.59	7792.64
50.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	जलगांव जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	287.24	7633.60

1	2	3	4	5	6
51.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	वर्धा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	774.91	1307.83
		महाराष्ट्र कुल		12118.64	27532.52
		सकल योग		56745.81	68104.32
		31.03.2016 की स्थिति के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों में हानि			
1.	पूर्वी क्षेत्र	झारखंड	झारखंड राज्य सहकारी बैंक लि.	508.52	555.98
2.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	मणिपुर	मणिपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	7357.43	942.71
3.	उत्तरी क्षेत्र	नई दिल्ली	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि.	1255.51	6051.45
4.	दक्षिणी क्षेत्र	पुदुचेरी	पांडिचेरी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	1506.11	2399.77
5.	पश्चिमी क्षेत्र	गोवा	गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	755.53	4912.95
		कुल योग		11383.10	14862.86

विवरण-II

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार डी.सी.सी.बी. में हानि

राशि लाख में

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	बैंक का नाम	वर्ष के लिए हानि	प्रशासनिक व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	भोपाल सहकारी सेंट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल	1484.41	3267.01
2.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मरियादित, दतिया	3319.23	429.46
3.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मरियादित, सतना	472.04	693.79
4.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मरियादित, सिद्धी	1316.07	516.20
5.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मरियादित, टीकमगढ़	506.88	582.87
		मध्य प्रदेश कुल		7098.63	5489.33
6.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तराखंड	जिला सहकारी बैंक लि., हरिद्वार	346.05	1339.08
		उत्तराखंड कुल		346.05	1339.08
7.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	297.81	596.81
8.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद जिला सहकारी बैंक लि.	1049.35	1140.05
9.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	बहराइच जिला सहकारी सहकारी बैंक लि.	25.30	421.02
10.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	बदायुं जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	37.21	514.18
11.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, वाराणसी	350.63	717.24
12.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड	2621.14	933.75

1	2	3	4	5	6
13.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर जिला सहकारी बैंक लि.	976.99	788.50
14.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बरेली	299.58	1173.09
15.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, कानपुर	7.45	833.13
16.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, लखीमपुर खीरी	4557.91	4224.52
17.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, शाहजहांपुर	680.70	1104.33
18.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सीतापुर	523.52	683.31
19.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	235.63	150.72
		उत्तर प्रदेश कुल		11663.22	13580.65
20.	पूर्वी क्षेत्र	बिहार	सासाराम बहाबुआ मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	149.31	452.38
21.	पूर्वी क्षेत्र	बिहार	औरंगाबाद जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	199.06	221.62
22.	पूर्वी क्षेत्र	बिहार	कटिहार जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	301.47	187.04
23.	पूर्वी क्षेत्र	बिहार	मुंगेर-जमुई मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	3939.29	478.09
24.	पूर्वी क्षेत्र	बिहार	मुजफ्फरपुर मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	138.94	435.11
		बिहार कुल		4728.07	1774.24
25.	पूर्वी क्षेत्र	झारखंड	देवघर आमतारा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	928.46	525.05
26.	पूर्वी क्षेत्र	झारखंड	गिरिडीह मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	273.07	205.88
27.	पूर्वी क्षेत्र	झारखंड	गुमला-सिमडेगा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	273.34	482.22
		झारखंड कुल		1474.87	1213.15
28.	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	बालागेरिया मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	264.48	702.25
29.	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	बांकुरा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	700.80	1746.66
30.	पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	बीरभूम जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	90.42	546.55
		पश्चिम बंगाल कुल		1055.70	2995.46
31.	उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा	सिरसा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	974.86	1623.55
		हरियाणा कुल		974.86	1623.55
32.	उत्तरी क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर	बारामूला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	1474.91	1059.23
33.	उत्तरी क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	705.60	1013.57
34.	उत्तरी क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर	जम्मू मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	2942.05	5925.46
		जम्मू और कश्मीर कुल		5122.56	7998.26
35.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	अमृतसर मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, अमृतसर	663.92	3384.29
36.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	फरीदकोट मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, फरीदकोट	76.21	1030.26
37.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	फतेहगढ़ साहिब मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, सरहिंद	465.56	2971.14

1	2	3	4	5	6
38.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	फाजिल्का मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., फाजिल्का	489.99	1694.77
39.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	फिरोजपुर मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., फिरोजपुर	100.41	908.74
40.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	मानसा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., मानसा	178.06	862.80
41.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	मुक्तसर मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, मुक्तसर	2262.09	781.99
42.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	पटियाला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, पटियाला	110.99	2169.77
43.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	संगरूर मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., संगरूर	358.75	2846.30
44.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	तरन तारण मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., तरन तारण	554.33	2112.17
		पंजाब कुल		4902.04	17183.30
45.	उत्तरी क्षेत्र	राजस्थान	मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, टोंक	1030.32	507.11
46.	उत्तरी क्षेत्र	राजस्थान	चुरू मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	470.01	816.21
47.	उत्तरी क्षेत्र	राजस्थान	गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	226.71	1683.94
		राजस्थान कुल		1727.04	3007.26
48.	दक्षिणी भाग	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम जिला सहकारी मध्यवर्ती बैंक लिमिटेड	46.62	1789.00
		आंध्र प्रदेश कुल		46.62	1789.00
49.	दक्षिणी भाग	केरल	तिरूवनंतपुरम जिला सहकारी बैंक लि.	13135.33	7681.32
		केरल कुल		13135.33	7681.32
50.	पश्चिमी क्षेत्र	गुजरात	कच्छ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	93.52	639.84
		गुजरात कुल		93.52	639.84
51.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	धुले एंड नंदुरबार जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	828.63	2930.36
52.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	नासिक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	5886.44	10875.79
53.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	शोलापुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	6155.98	7489.54
54.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	जलगांव जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	744.82	7364.55
55.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	वर्धा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	9769.97	1432.13
		महाराष्ट्र कुल		23385.84	30092.37
		सकल योग		75754.35	96406.81

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों में हानि

1.	पूर्वी क्षेत्र	झारखंड	झारखंड राज्य सहकारी बैंक लि.	315.02	1042.13
2.	पश्चिमी क्षेत्र	गोवा	गोवा राज्य सहकारी बैंक लि.	1485.06	6236.65

विवरण-III

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार डी.सी.सी.बी. में हानि

राशि लाख में

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम का नाम	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	बैंक का नाम	वर्ष के लिए हानि	प्रशासनिक व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	भोपाल सहकारी मध्यवर्ती बैंक लिमिटेड	840.61	3278.55
2.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दतिया	2826.40	396.79
3.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, ग्वालियर	7207.0	462.17
4.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, होशंगाबाद	547.56	1225.68
5.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रीवा	2510.41	533.21
6.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सतना	2568.56	562.54
7.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, शहडोल	919.83	476.39
8.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सीधी	2367.60	562.78
9.	केन्द्रीय क्षेत्र	मध्य प्रदेश	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, टीकमगढ़	181.53	564.97
		मध्य प्रदेश कुल		19970.40	8062.08
10.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तराखंड	नैनीताल जिला सहकारी बैंक लि., हल्द्वानी	241.80	2332.01
		उत्तराखंड कुल		241.80	2332.01
11.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	157.56	604.15
12.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद जिला सहकारी बैंक लि.	890.40	1043.88
13.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	बांदा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	204.75	938.69
14.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	बदायुं जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	635.93	599.04
15.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, वाराणसी	1960.62	707.51
16.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	ऐटा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	573.51	1071.43
17.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	468.01	887.58
18.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	हरदोई जिला सहकारी बैंक लि.	191.12	487.79
19.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मऊ	107.63	346.21
20.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, गाज़ीपुर	147.32	528.51
21.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बलिया	742.15	379.90
22.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बाराबंकी	396.21	960.77
23.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बस्ती	408.64	345.64
24.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, प्रतापगढ़	427.79	963.94
25.	केन्द्रीय क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	370.76	541.31
		उत्तर प्रदेश कुल		7682.40	10406.36

1	2	3	4	5	6
26.	पूर्वी क्षेत्र	बिहार	नवादा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	814.37	943.47
27.	पूर्वी क्षेत्र	बिहार	रोहिका मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	202.60	408.74
28.	पूर्वी क्षेत्र	बिहार	समस्तीपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	385.09	502.95
		बिहार कुल		1402.06	1855.16
29.	उत्तरी क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर	बारामूला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	5404.84	887.58
30.	उत्तरी क्षेत्र	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	786.59	1122.50
		जम्मू और कश्मीर कुल		6191.43	2010.08
31.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	अमृतसर मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, अमृतसर	245.65	3001.72
32.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	भटिंडा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, भटिंडा	270.90	1723.59
33.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	फरीदकोट मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, फरीदकोट	98.61	1071.42
34.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	फतेहगढ़ साहिब मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, सरहिंद	172.32	1546.22
35.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	फाजिलका मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, फाजिलका	941.68	1535.89
36.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	फिरोजपुर मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., फिरोजपुर	265.87	935.79
37.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	मानसा मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., मानसा	665.62	973.73
38.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	मुक्तसर मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड, मुक्तसर	782.52	831.40
39.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	संगरूर मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., संगरूर	213.21	2776.37
40.	उत्तरी क्षेत्र	पंजाब	तरन तारण मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि., तरन तारण	486.50	2034.53
		पंजाब कुल		4142.88	16430.66
41.	उत्तरी क्षेत्र	राजस्थान	जैसलमेर मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	837.16	621.58
		राजस्थान कुल		837.16	621.58
42.	दक्षिणी भाग	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम जिला सहकारी मध्यवर्ती बैंक लि.	350.79	2359.76
		आंध्र प्रदेश कुल		350.79	2359.76
43.	दक्षिणी भाग	केरल	तिरूवनंतपुरम जिला सहकारी बैंक लि.	36235.87	12006.29
		केरल कुल		36235.87	12006.29
44.	पश्चिमी क्षेत्र	गुजरात	कच्छ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	89.40	682.69
		गुजरात कुल		89.40	682.69
45.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	औरंगाबाद जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	905.85	6393.52
46.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	नासिक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लिमिटेड	903.21	8831.16
47.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	ओसमानाबाद जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	5062.07	3581.39
48.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	शोलापुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	2754.15	6840.59
49.	पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र	वर्धा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लि.	1235.56	989.46
		महाराष्ट्र कुल		10860.84	26636.12
		सकल योग		88005.03	83402.78

1	2	3	4	5	6
			31.03.2017 की स्थिति के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों में हानि		
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	असम	असम सहकारी अपैक्स बैंक लि.	734.70	9523.42
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	मणिपुर	मणिपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	97.89	674.33
		सकल योग		832.59	7197.75

* (i) अलेखापरीक्षित आंकड़े

(ii) ई.एन.एस.यू.आर.ई. में 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार 363 डी.सी.सी.बी. में से 353 डी.सी.सी.बी. ने वित्तीय स्थिति सूचित की है।

(iii) ई.एन.एस.यू.आर.ई. में 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार 33 राज्य सहकारी बैंकों में से 32 ने वित्तीय स्थिति सूचित की है।

[हिन्दी]

वन क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान

2943. प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वन विभाग के सभी अधिकारियों को स्वच्छ भारत अभियान कार्यान्वित करने का अनुदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत कुल कितनी निधि जारी की गई और उपयोग की गई है;

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन के लिए देश में वन विभाग के सभी कार्यालयों को निदेश दिए हैं। भारत में संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्यों) और चिड़ियाघरों में स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रयास शुरू किए गए हैं:-

1. भारत के सभी सुरक्षित क्षेत्रों को स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ाने के लिए सफाई और स्वच्छता जागरूकता सृजन कार्यकलाप शुरू करने के परामर्श दिए गए हैं।
2. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्रों में और उनके आसपास के क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी परामर्शिकाएं जारी की गई हैं।
3. राज्यों को 'हरित शपथ' लेने और वन विभाग के कर्मचारियों, विद्यार्थियों और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करके सुरक्षित क्षेत्रों के आस-पास स्थित गांवों में जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान शुरु करने का परामर्श दिया गया है।
4. प्रत्येक वर्ष पूरे देश के वन विभागों में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया जाता है।

(ग) मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत व्यय के लिए अलग से बजट शीर्ष सृजित किया गया है। आज की तारीख तक 7.00 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से स्वच्छ कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए 6.01 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक चिकित्सा दिवस

2944. एडवोकट नरेन्द्र केशव सावईकर: क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गोवा सहित देश में कुछ स्थानों पर प्राकृतिक चिकित्सा भवनों के निर्माण करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(घ) सरकार के भारत में प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित अन्य उपाय क्या हैं?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और

होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां। आयुष मंत्रालय ने पहला 'प्राकृतिक चिकित्सा दिवस' 18 नवम्बर, 2018 को मनाया था। मंत्रालय के दो स्वायत्त निकायों नामत: केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सी.सी.आर.वाई.एन.), नई दिल्ली और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एन.आई.एन.) पुणे ने इसके आयोजन में मुख्य भूमिका निभाई थी। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का आयोजन देश के विभिन्न भागों में व्याख्यानों, वाताओं, वॉक, दौड़ और प्रदर्शनियों के आयोजन द्वारा किया गया था।

(ख) और (ग) प्राकृतिक चिकित्सा भवनों का निर्माण करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं हैं। तथापि, गोवा में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा का अखिल भारतीय संस्थान स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। इस संस्थान की परिकल्पना आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा की चिकित्सा सेवाओं, अनुसंधान और शिक्षा के एक केंद्र के रूप में की गई है। इसके लिए शिलान्यास 13 नवंबर, 2018 को किया गया था।

(घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा का बड़े स्तर पर संवर्धन करने के लिए उपाय करना संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

तथापि, आयुष मंत्रालय ने भी इस मामले में केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (सी.सी.आर. वाई.एन.) नई दिल्ली नामक अपने स्वायत्त निकाय के अधीन उपाय किए हैं। इस संस्थान ने भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित अलग-अलग सरकारी अस्पतलों/संस्थाओं में योग व प्राकृतिक चिकित्सा के बहिरंग रोगी विभाग तथा स्वस्थता केंद्र स्थापित किए हैं। बहिरंग रोगी विभागों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सी.सी.आर.वाई.एन. द्वारा संचालित बहिरंग रोगी विभागों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ओ.पी.डी. का नाम और पता
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	"सहज" श्री सत्यदेवयोग-प्रकृति चिकित्सालयम श्री वीरा वेंकट सत्यनारायण स्वामी वीरा देवस्थानम, अन्नवारम, पूर्वी गोदावरी (जिला), आन्ध्र प्रदेश
2.	दिल्ली	ओ.पी.डी. (योग व प्राकृतिक चिकित्सा) केन्द्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नं. 61-65, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
3.	-तदैव-	ओ.पी.डी. (योग व प्राकृतिक चिकित्सा) कमरा नं. 20, मनोचिकित्सा स्कंध, डॉ. आर.एम.एल. अस्पताल नई दिल्ली-110001
4.	-तदैव-	ओ.पी.डी. (योग व प्राकृतिक चिकित्सा) शरीर विज्ञान विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली-110001
5.	-तदैव-	ओ.पी.डी. (योग व प्राकृतिक चिकित्सा) कमरा सं. 340 व 341, नया ओ.पी.डी. ब्लॉक, सफदरजंग अस्पताल और वी.एम.एम.सी., नई दिल्ली-110029
6.	-तदैव-	ओ.पी.डी. (योग व प्राकृतिक चिकित्सा) शरीर विज्ञान विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095
7.	-तदैव-	ओ.पी.डी. (योग व प्राकृतिक चिकित्सा) चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान, खेड़ा डाबर, नजफगढ़, दिल्ली-110073
8.	हरियाणा	ओ.पी.डी. (योग व प्राकृतिक चिकित्सा) पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा
9.	हरियाणा	एच.एस.के.एम. सरकारी चिकित्सा कॉलेज, मेवात, हरियाणा
10.	झारखंड	योग व प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थता केंद्र, राज्य योग केंद्र, रांची
11.	केरल	एंगंडियुर ग्राम पंचायत, त्रिशूर, केरल
12.	मध्य प्रदेश	सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, भोपाल, मध्य प्रदेश
13.	ओडिशा	ओ.पी.डी. (योग व प्राकृतिक चिकित्सा), आयुष केंद्र, एम्स, सीजुआ-751019, भुवनेश्वर उड़ीसा

1	2	3
14.	त्रिपुरा	क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान, खुमुलवंग, जिरीनिया, अगरतला, त्रिपुरा

स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की कमी

2945. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य परिचर्या सेवा सुपुर्दगी के लिए गहन मानव संसाधन आदानों की आवश्यकता होती है तथा यदि हां, तो सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने मानव संसाधनों की आवश्यकता संबंधी आंकड़ों को संकलित किया है तथा यदि हां, तो सामान्य ड्युटी चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञों पैरामेडिक्स (संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर), ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स (ए.एन.एम.), स्टाफ नर्स, जल स्वास्थ्य प्रबंधकों एवं कार्यक्रम प्रबंधन कर्मचारियों आदि की वर्तमान कुल आवश्यकता कितनी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम हैं एवं उक्त कर्मचारियों की वर्तमान उपलब्धता क्या है; और

(ग) मानव संसाधनों के अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ग) जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण, जन स्वास्थ्य सुविधाओं के विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रमुख दायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का है। किंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पी.आई.पी.) में प्रस्तावित आवश्यकताओं के आधार पर उनकी समग्र संसाधन सीमा के भीतर विशेषज्ञ संविदा आधारित डॉक्टरों के नियोजन हेतु सहयोग सहित उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है।

देश में 499 मेडिकल कॉलेज, 313 दंत चिकित्सा कॉलेज, 70.000 से अधिक एम.बी.बी.एस., लगभग 45.000 स्नातकोत्तर मेडिकल सीटे, लगभग 27000 दंतशल्य चिकित्सा स्नातक (बी.डी.एस.) तथा 6300 दंतशल्य चिकित्सा स्नातकोत्तर (एम.डी.एस.) सीटें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 8.000 नर्सिंग संस्थान हैं, जहां से प्रत्येक वर्ष लगभग 2.9 लाख नर्सिंग कार्मिक तैयार हो रहे हैं।

इसके अलावा, संबंधित परिषदों के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 8.93 लाख एलोपैथिक डॉक्टर, 2.01 लाख दंतचिकित्सक और 19.10 लाख उपचर्या कार्मिक वास्तविक रूप से सक्रिय सेवाओं के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

देश में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाये हैं, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) सभी एम.डी/एम.एस. विषयों के लिए छात्रों की तुलना में अध्यापकों का अनुपात 1:1 से बढ़ाकर 1:2 और संवेदनाहरण, न्यायिक औषधी, रेडियोथेरेपी, चिकित्सा ऑकोलॉजी, सर्जिकल ऑकोलॉजी और मनश्चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में 1:1 से बढ़ाकर 1:3 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, प्रोफेसरों के लिए सार्वजनिक निधि सहायता प्राप्त सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में अध्यापक: छात्र के अनुपात को सभी नैदानिक विषयाासें में 1:2 से 1:3 और यदि एसोसिएट प्रोफेसर कोई यूनिट अध्यक्ष है तो 1:1 से बढ़ाकर 1:2 कर दिया गया है। इसे निर्धारित शर्तो के साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी लागू कर दिया गया है। इससे देश में स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में वृद्धि होगी।

(ii) संकाय की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय डिप्लोगा बोर्ड (डी.एन.बी.) की योग्यता को संकाय के रूप में नियुक्ति के रूप में मान्यता दी गई है।

(iii) एम.बी.बी.एस. स्तर पर दाखिला लेने की अधिकतम क्षमता 150 से बढ़ाकर 250 करना।

(iv) भूमि संकाय, स्टाफ, बिस्तर, बिस्तरों की संख्या और अन्य अवसंरचना की आवश्कता के संबंध में चिकित्साास कॉलेजों की स्थापना करने के मानदंडों में छूट।

(v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 पी(सी) के तहत अधिसूचित किए गए महानगर शहरों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता पूरी की जा चुकी है।

(vi) नये स्नोतकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने/स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने के लिए राज्य सरकारी चिकित्सा कॉलेजों को सुदृढ़/उन्नत करना।

(vii) देश के मुख्य रूप से अल्पसेवित जिलों में जिला/रेफरल अस्पतालों को उन्नत करके नये चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना करना।

(viii) राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. सीटों में वृद्धि करने के लिए उनका सुदृढ़ीकरण/उन्नयन करना।

(ix) चिकित्सा कॉलेजों में अध्यापकों/डीन/प्रिंसिपल/निदेशक के पदों पर नियुक्ति विस्तार/पुन: रोजगार के लिए आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना।

(x) उपचर्या सेवाओं (ऑक्जिलरी नर्सेस मिडवाइफ (एन.एन.एम.)/सामान्य नर्स मिडवाइफ (जी.एन.एम.)) के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत सरकार ने देश में 128 ए.एन.एम. और 137 जी.एन.एम. स्कूल स्थापित करने को अनुमोदित कर दिया है।

ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आर.एच.एस.) बुलेटिन, 2017-I8 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सामान्य ड्यूटी चिकितसा अधिकारी (जी.डी.एम.ओ.), विशेषज्ञों, प्रयोगशाला तकनीशियनों, फार्मासिस्टों, रेडियोग्राफरों, ए.एन.एम. और स्टाफ नर्स की आवश्यकता एवं उपलब्धता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सीएचसी पर एलोपैथिक के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी - (जीडीएमओ)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(31 मार्च, 2018 के अनुसार)		
		स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	247	203	44
2	अरूणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	119	उपलब्ध नहीं
3	असम	उपलब्ध नहीं	493	उपलब्ध नहीं
4	बिहार	उपलब्ध नहीं	714	उपलब्ध नहीं
5	छत्तीसगढ़	453	546	*
6	गोवा	12	19	*
7	गुजरात	1151	792	359
8	हरियाणा	494	317	177
9	हिमाचल प्रदेश	234	165	69
10	जम्मू और कश्मीर	751	586	165
11	झारखंड	849	704	145
12	कर्नाटक	255	218	37
13	केरल	781	10.19	*
14	मध्य प्रदेश	1854	881	973
15	महाराष्ट्र	512	486	26
16	मणिपुर	97	93	4

1	2	3	4	5
17	मेघालय	91	82	9
18	मिजोरम	उपलब्ध नहीं	16	उपलब्ध नहीं
19	नागालैंड	42	42	0
20	ओडिशा	405	731	
21	पंजाब	282	408	
22	राजस्थान	1403	1150	253
23	सिक्किम	उपलब्ध नहीं	5	उपलब्ध नहीं
24	तमिलनाडु	4942	4942	0
25	तेलंगाना	184	145	39
26	त्रिपुरा	0	65	
27	उत्तराखंड	117	94	23
28	उत्तर प्रदेश	778	778	0
29	पश्चिम बंगाल	1330	1150	180
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13	13	0
31	चंडीगढ़	0	0	0
32	दादरा और नगर हवेली	0	6	
33	दमन और दीव	12	5	7
34	दिल्ली	0	0	0
35	लक्षद्वीप	14	14	0
36	पुदुचेरी	18	18	0
	अखिल भारत/कुल	17321	17019	2510

नोट :

वर्ष 2015 के लिए स्वीकृत डाटा प्रयुक्त

रिक्तियों की संख्या प्रतिशत की गणना करने के लिए उन राज्यों संघ शासित प्रदेशों के लिए जहां कार्मिक शक्ति के पद उपलब्ध नहीं है को शामिल नहीं किया गया है।

पीएचसी और सीएचसी में प्रयोगशाला तकनीशियन

(31 मार्च, 2018 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यक (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	आंध्र प्रदेश	1340	1185	789	396	551
2	अरूणाचल प्रदेश	206	उपलब्ध नहीं	123	उपलब्ध नहीं	83
3	असम #	1118	860	1390		

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यक (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
4	बिहार ##	2049	683	611	72	1438
5	छत्तीसगढ़	962	1063	823	240	139
6	गोवा	29	40	40	0	*
7	गुजरात	1837	1837	1658	179	179
8	हरियाणा	481	504	356	148	125
9	हिमाचल प्रदेश	667	300	131	169	536
10	जम्मू और कश्मीर	721	826	798	28	*
11	झारखंड	469	640	264	376	205
12	कर्नाटक	2565	1790	1532	258	1033
13	केरल	1076	324	365	*	711
14	मध्य प्रदेश	1480	1808	1238	570	242
15	महाराष्ट्र	2184	1474	1296	178	888
16	मणिपुर	114	102	70	32	44
17	मेघालय $	136	118	155	*	*
18	मिजोरम	66	92	83	9	*
19	नागालैंड	147	72	87	*	60
20	ओडिशा	1665	497	567	*	1098
21	पंजाब	583	616	585	31	
22	राजस्थान	2666	3644	2091	1553	575
23	सिक्किम	26	उपलब्ध नहीं	21	उपलब्ध नहीं	5
24	तमिलनाडु	1806	2222	967	1255	839
25	तेलंगाना	734	749	597	152	137
26	त्रिपुरा	130	0	105	*	25
27	उत्तराखंड	324	135	78	57	246
28	उत्तर प्रदेश	4443	2054	1644	410	2799
29	पश्चिम बंगाल	1261	966	874	92	387
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	26	23	19	4	7
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
32	दादरा और नगर हवेली	11	7	17	*	*
33	दमन और दीव	6	9	5	4	1
34	दिल्ली	5	5	4	1	1

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यक (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
35	लक्षद्वीप	7	13	13	0	*
36	पुदुचेरी	27	10	38	*	*
	अखिल भारत/कुल	31367	24668	19434	6214	12354

नोट : # वर्ष 2013 के लिए स्वीकृत डाटा

वर्ष 2011 के लिए स्वीकृत डाटा

$ वर्ष 2015 के लिए स्वीकृत डाटा

^ राज्य में कुल 32 प्रयोगशाला तकनीशियन स्वीकृत किए गए।

t आईपीएचएस के मानदंडों के अनुसार, प्रति पीएचसी एवं सीएचसी पर एक।

अधिशेष रिक्तियों तथा कमी से संबंधित अखिल भारतीय आंकड़े राज्यवार रिक्तियों और कमी की कुल संख्या के योग हैं तथा कुछ राज्यों में कमियों तथा अधिकता को अनदेखा किया गया है।

पीएचसी एवं सीएचसी में फार्मासिस्ट

(31 मार्च, 2018 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यक (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	आंध्र प्रदेश	1340	1384	1004	380	336
2	अरूणाचल प्रदेश	206	उपलब्ध नहीं	89	उपलब्ध नहीं	117
3	असम #	1118	1284	1735	*	*
4	बिहार ##	2049	989	287	702	1762
5	छत्तीसगढ़	962	1107	936	171	26
6	गोवा	29	48	53	*	*
7	गुजरात	1837	1847	1584	263	253
8	हरियाणा	481	504	397	107	84
9	हिमाचल प्रदेश	667	594	378	216	289
10	जम्मू और कश्मीर	721	1137	974	163	*
11	झारखंड	469	469	241	228	228
12	कर्नाटक	2565	2674	2523	151	42
13	केरल	1076	1036	1102	*	*
14	मध्य प्रदेश	1480	1905	1778	127	*
15	महाराष्ट्र	2184	2355	2055	300	129
16	मणिपुर	114	145	152	*	*
17	मेघालय $	136	135	149	*	*
18	मिजोरम	66	99	53	46	13
19	नागालैंड	147	135	116	19	31

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यक (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
20	ओडिशा	1665	1741	1623	118	42
21	पंजाब	583	841	790	51	*
22	राजस्थान	2666	1127	1172	*	1494
23	सिक्किम	26	उपलब्ध नहीं	11	उपलब्ध नहीं	15
24	तमिलनाडु	1806	2656	2097	559	*
25	तेलंगाना	734	763	700	63	34
26	त्रिपुरा	130	0	133	*	*
27	उत्तराखंड	324	408	282	126	42
28	उत्तर प्रदेश	4443	5697	4717	980	*
29	पश्चिम बंगाल	1261	1459	1422	37	*
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	26	53	49	4	*
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
32	दादरा और नगर हवेली	11	10	12	*	*
33	दमन और दीव	6	16	9	7	*
34	दिल्ली	5	6	4	2	1
35	लक्षद्वीप	7	16	16	0	*
36	पुदुचेरी	27	42	37	5	*
	अखिल भारत/कुल	31367	32682	28680	4825	4938

नोट : # वर्ष 2013 के लिए स्वीकृत डाटा

वर्ष 2011 के लिए स्वीकृत डाटा

$ वर्ष 2015 के लिए स्वीकृत डाटा

^ राज्य में कुल 99 फार्मासिस्ट स्वीकृत किए गए।

t आईपीएचएस के मानदंडों के अनुसार, प्रति एक प्रति पीएचसी एवं सीएचसी।

अधिशेष रिक्तियों तथा कमी से संबंधित अखिल भारतीय आंकड़े राज्यवार रिक्तियों और कमी की कुल संख्या के योग हैं तथा कुछ राज्यों में कमियों तथा अधिकता को अनदेखा किया गया है।

सीएचसी में रेडियोग्राफर

(31 मार्च, 2018 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यक (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	आंध्र प्रदेश	193	160	72	88	121
2	अरूणाचल प्रदेश	63	उपलब्ध नहीं	7	उपलब्ध नहीं	56
3	असम #	172	145	82	63	90
4	बिहार ##	150	89	1	88	149

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यक (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
5	छत्तीसगढ़	169	177	161	16	8
6	गोवा	4	4	4	0	0
7	गुजरात	363	363	118	245	245
8	हरियाणा	113	82	47	35	66
9	हिमाचल प्रदेश	91	85	24	41	67
10	जम्मू और कश्मीर	84	305	224	81	*
11	झारखंड	171	171	59	112	112
12	कर्नाटक	206	206	167	39	39
13	केरल	227	16	18	*	209
14	मध्य प्रदेश	309	312	261	51	48
15	महाराष्ट्र	361	140	107	33	254
16	मणिपुर	23	13	13	0	10
17	मेघालय $	28	19	18	1	10
18	मिजोरम ^	9	5	3	2	6
19	नागालैंड	21	1	1	0	20
20	ओडिशा	377	57	55	2	322
21	पंजाब	151	171	123	48	28
22	राजस्थान	588	787	250	537	338
23	सिक्किम	2	उपलब्ध नहीं	2	उपलब्ध नहीं	0
24	तमिलनाडु	385	246	92	154	293
25	तेलंगाना	91	87	57	30	34
26	त्रिपुरा	22	0	12	*	10
27	उत्तराखंड	67	31	8	23	59
28	उत्तर प्रदेश	822	230	0	230	822
29	पश्चिम बंगाल	348	280	131	149	217
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	0	0	0	4
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
32	दादरा और नगर हवेली	2	0	0	0	2
33	दमन और दीव	2	4	3	1	*
34	दिल्ली	0	0	0	0	0

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यक (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
35	लक्षद्वीप	3	5	5	0	*
36	पुदुचेरी	3	3	3	0	0
	अखिल भारत/कुल	5624	4174	2128	2069	3639

नोट : # वर्ष 2013 के लिए स्वीकृत डाटा

वर्ष 2011 के लिए स्वीकृत डाटा

$ वर्ष 2015 के लिए स्वीकृत डाटा

^ राज्य में कुल 5 रेडियोग्राफर स्वीकृत किए गए।

t आईपीएचएस के मानदंडों के अनुसार, प्रति एक प्रति पीएचसी एवं सीएचसी।

अधिशेष रिक्तियों तथा कमी से संबंधित अखिल भारतीय आंकड़े राज्यवार रिक्तियों और कमी की कुल संख्या के योग हैं तथा कुछ राज्यों में कमियों तथा अधिकता को अनदेखा किया गया है।

पीएचसी और उप-केन्द्रों में एएनएम/स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)

(31 मार्च, 2018 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यक (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	आंध्र प्रदेश	8605	14317	13698	619	*
2	अरूणाचल प्रदेश	455	उपलब्ध नहीं	481	उपलब्ध नहीं	*
3	असम #	5590	5962	10230	*	*
4	बिहार	11848	उपलब्ध नहीं	23390	उपलब्ध नहीं	*
5	छत्तीसगढ़	5993	5993	6799	*	*
6	गोवा	239	150	273	*	*
7	गुजरात	10627	10627	8340	2287	2287
8	हरियाणा	2957	4106	4374	*	*
9	हिमाचल प्रदेश	2660	2267	1846	421	814
10	जम्मू और कश्मीर	3604	4886	4582	304	*
11	झारखंड	4146	7994	6632	1362	*
12	कर्नाटक	11802	9919	7156	2763	4646
13	केरल	6229	7929	7950	*	*
14	मध्य प्रदेश	12363	13720	12353	1367	10
15	महाराष्ट्र	12461	18636	14605	4031	*
16	मणिपुर	520	1065	923	142	*
17	मेघालय #	551	1118	1080	38	*
18	मिजोरम ##	427	405	629	*	*

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यक (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
19	नागालैंड #	522	539	913	*	*
20	ओडिशा	7976	7686	8108	*	*
21	पंजाब	3382	5011	4525	486	*
22	राजस्थान	16483	23859	18257	5602	*
23	सिक्किम #	171	219	227	*	*
24	तमिलनाडु	10133	10133	7854	2279	2279
25	तेलंगाना	5387	8996	7679	1317	*
26	त्रिपुरा #	1128	476	601	*	527
27	उत्तराखंड	2104	2218	1760	458	344
28	उत्तर प्रदेश	24142	27410	25751	1659	*
29	पश्चिम बंगाल	11270	20386	17583	2803	*
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	145	290	274	16	*
31	चंडीगढ़	17	उपलब्ध नहीं	33	उपलब्ध नहीं	*
32	दादरा और नगर हवेली	80	86	90	*	*
33	दमन और दीव	30	41	34	7	*
34	दिल्ली	17	36	33	3	*
35	लक्षद्वीप	18	17	51	*	*
36	पुदुचेरी	78	88	212	*	*
	अखिल भारत/कुल	184160	216665	219326	27964	10907

नोट : # वर्ष 2015 के लिए स्वीकृत डाटा

राज्य में कुल 405 एएनएम स्वीकृत किए गए।

अधिशेष रिक्तियों तथा कमी से संबंधित अखिल भारतीय आंकड़े राज्यवार रिक्तियों और कमी की कुल संख्या के योग हैं तथा कुछ राज्यों में कमियों तथा अधिकता को अनदेखा किया गया है।

1 आईपीएचएस के मानदंडों के अनुसार, प्रति पीएचसी एवं सीएचसी पर एक।

2 रिक्तियों की समग्र प्रतिशत की गणना करने के लिए उन राज्यों संघ शासित प्रदेशों के लिए जहां कार्मिक शक्ति के पद उपलब्ध नहीं हैं को शामिल नहीं किय गया है।

पीएचसी और सीएचसी पर नर्सिंग स्टाफ

(31 मार्च, 2018 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यक (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	आंध्र प्रदेश	2498	4518	3505	1013	*
2	अरूणाचल प्रदेश	584	उपलब्ध नहीं	498	उपलब्ध नहीं	86

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यक (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
3	असम #	2150	2798	3203	*	*
4	बिहार ##	2949	1662	1211	451	1738
5	छत्तीसगढ़	1976	2809	2458	351	*
6	गोवा	53	126	146	*	*
7	गुजरात	4015	4391	3160	1231	855
8	हरियाणा	1159	1894	1797	97	*
9	हिमाचल प्रदेश	1213	837	452	385	761
10	जम्मू और कश्मीर	1225	1710	1405	305	*
11	झारखंड	1495	2179	1182	997	313
12	कर्नाटक	3801	2667	3339	*	462
13	केरल	2438	3610	3969	*	*
14	मध्य प्रदेश	3334	4624	3308	1316	26
15	महाराष्ट्र	4350	3218	2296	922	2054
16	मणिपुर	252	484	400	84	*
17	मेघालय $	304	413	596	*	*
18	मिजोरम ^	120	570	198	372	*
19	नागालैंड	273	175	394	*	*
20	ओडिशा	़3927	1666	2327	*	1600
21	पंजाब	1489	2189	2029	160	*
22	राजस्थान	6194	12712	9887	2825	*
23	सिक्किम	38	उपलब्ध नहीं	48	उपलब्ध नहीं	*
24	तमिलनाडु	4116	7963	6360	1603	*
25	तेलंगाना	1280	2208	2027	181	*
26	त्रिपुरा	262	0	581	*	*
27	उत्तराखंड	726	623	359	264	367
28	उत्तर प्रदेश	9375	17974	20546	*	*
29	पश्चिम बंगाल	3349	6981	6464	517	*
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	50	138	129	9	*
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
32	दादरा और नगर हवेली	23	14	45	*	*

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यक (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
33	दमन और दीव	18	64	49	15	
34	दिल्ली	5	5	6		
35	लक्षद्वीप	25	54	54	0	
36	पुदुचेरी	45	131	139		
	अखिल भारत/कुल	65111	91407	84567	13098	8262

नोट : # वर्ष 2013 के लिए स्वीकृत डाटा

वर्ष 2011 के लिए स्वीकृत डाटा

$ वर्ष 2015 के लिए स्वीकृत डाटा

^ राज्य में कुल 570 नर्सिंग स्टाफ को स्वीकृति दी गई।

t आईपीएचएस के मानदंडों के अनुसार, प्रति पीएचसी एवं सीएचसी पर एक।

अधिशेष रिक्तियों तथा कमी से संबंधित अखिल भारतीय आंकड़े राज्यवार रिक्तियों और कमी की कुल संख्या के योग हैं तथा कुछ राज्यों में कमियों तथा अधिकता को अनदेखा किया गया है।

केरल को जी.एस.टी. का हिस्सा

2946. श्री एंटो एन्टोनी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के बाद से प्राप्त माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि संबंधी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार के पास जी.एस.टी. के अंश के रूप में केरल को प्रदत्त धनराशि संबंधी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के बाद से नवंबर, 2018 तक केरल से संग्रहित माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि निम्नलिखित है:-

सी.जी.एस.टी.-6726 करोड़ रु,

एस.जी.एस.टी.-10717 करोड़ रु.

आई.जी.एस.टी.-3599 करोड़ रु.

उपकर- 105 करोड़ रु.

नवंबर, 2018 तक केरल के लिए आई.जी.एस.टी. से 15533 करोड़ रु, निस्तारण किया गया है जिसमें 2671 करोड़ रु. का तदर्थ समाधान शामिल है।

राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान

2947. श्री एम. मुरली मोहन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बढ़ते कैंसर मामलों के आलोक में आंध्र प्रदेश में राजामहेन्द्रवर्मन (राजामुंदी) में राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) से (ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बंदर और कुत्तों का आंतक

2948. श्री लक्ष्मी नारायण यादव: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में बंदरों और कुत्तों के आंतक को रोकने के लिए किए गए प्रयास असफल रहे हैं और इनका आतंक दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनेक राज्यों में छोटे बच्चों को कुत्तों द्वारा कांटे गए हैं और मार दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) दिल्ली में उक्त आंतक को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) वन और वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और सभी नागरिक एजेन्सियां शहर में बंदरों और कुत्तों के आंतक को कम करने के लिए अपना भरसक प्रयास कर रहीं हैं।

(ख) यह मंत्रालय ऐसा अभिलेख नहीं रखता है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य/क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को , मानव-वन्यजीव संघर्ष के संदर्भ में, दिनांक 24.12.2014 और 01.06.2015 को दिशानिर्देश/परामर्शिकाएं जारी की हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने, फसलों को क्षति पहुंचाने तथा उनका विनाश करने वाले वन्यजीवों नामत: हाथी, जंगली सुअर, बंदर और नीलगाय की संख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरक्षा-गर्भनिरोध से संबंधित एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.), 'वन्यजीव पर्यावास का विकास' के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, एन.सी.टी. दिल्ली को मानव-पशु (बंदर) संघर्ष के उपशमन के लिए, 542.97 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

इस मंत्रालय ने पशु सन्तति निरोध (श्वान) नियम, 2001 बनाए हैं, जिनके अधीन आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकायों को सौंपी गई है, जो पशु कल्याण संगठनों, व्यक्तियों और स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए, उनकी नसबंदी और टीकाकरण करा पाएंगे और रेबीज की घटनाओं का निवारण करेंगे।

पेंशन योजनाएं

2949. **श्री शेर सिंह गुबाया:**
श्री रवीन्द्र कुमार राय:
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
श्री रामदास सी. तडस:
श्री विद्युत वरण महतो:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही पेंशन योजनाओं के प्रकारों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा गत चार वर्षों के दौरान कोई नई पेंशन योजनाओं के प्रकारों सहित तत्संबंधी यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) को सरल बनाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में वर्तमान में पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किए गए/अंशदाता व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय दो पेंशन योजनाएं, नामत: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) और अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) चला रहा है। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) (पूर्व में नई पेंशन योजना के नाम से जानी जाती थी) की शुरूआत की थी और इसे दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके बाद नई भर्ती होने पर सेवा में आने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) अनिवार्य कर दिया कर गया था। इसके अतिरिक्त, पी.एफ.आर.डी.ए. अधिनियम, 2013 की धारा 12(4) के अंतर्गत राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को एन.पी.एस. हेतु अधिसूचित करने के लिए सशक्त हैं। एक अंशदायी पेंशन योजना होने के कारण एन.पी.एस. के टियर-। खाते में कर्मचारी द्वारा उसके मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10 प्रतिशत की दर से मासिक अंशदान और सरकार द्वारा उसके समकक्ष का अंशदान करना होता है। टियर-।। खाता कर्मचारी की ओर से एक स्वैच्छिक खाता होता है जो कि सक्रिय टियर-। खाते से जुड़ा होता है।

अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) की शुरूआत मई, 2015 में की गई थी। 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के भारतीय नागरिक अपने बचत बैंक खाते अथवा डाकघर बचत बैंक खाते के माध्यम से ए.पी.वाई. में जुड़ने हेतु पात्र हैं। चुनी गई पेंशन योजना के आधार पर ए.पी.वाई के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता 60 वर्ष की आयु के बाद अपनी मृत्यु तक 1.000 रुपये प्रतिमाह अथवा, 2.000 रुपये प्रतिमाह अथवा 3.000 रुपये प्रतिमाह अथवा 4.000 रुपये प्रतिमाह अथवा 5.000 रुपये प्रतिमाह की गांरटीशुदा न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) ने सूचित किया है कि ई.पी.एफ.ओ. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

(ई.पी.एस. 1995) लागू कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि ई.पी.एफ.ओ. ने पिछले चार वर्ष में किसी नई पेंशन योजना की शुरूआत नहीं की है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि वह सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के प्रावधानों के अनुरूप सेवानिवृत्त हो रहे केंद्रीय सिविल सरकारी कर्मचारियों हेतु पेंशन योजना का अभिशासन करता है। अर्हक सेवा जो कि 10 वर्ष से कम नहीं होगी को पूरा करने के उपरांत एक कर्मचारी अपने अंतिम वेतन की 50 प्रतिशत अथवा पिछले 10 माह के औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से, जो भी उसके लिए अधिक लाभकारी, लाभकारी हो, पेंशन हेतु पात्र है।

(ग) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) ने एन.पी.एस. का अभिशासन करते हुये पी.एफ. आर.डी.ए. (एन.पी.एस. के अंतर्गत बहिगर्मन और निकासियां) विनियमन, 2015 के तहत एन.पी.एस. के अंतर्गत और आहरण मानदण्डों को सरलीकृत किया है। अभिदाताओं की आकस्मिक वित्तीय जरूरतों की संभावना को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के अंतर्गत अभिदाता के अनिवार्य टियर-I खाते से आंशिक आहरण की सुविधा प्राप्त करने हेतु न्यूनतम अवधि की आवश्यकता को 10 अगस्त, 2017 से योजना में जुड़ने की तिथि से 10 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। 10 अगस्त, 2017 से योजना में जुड़ने की तिथि से 10 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। 10 अगस्त, 2017 से दो आंशिक आहरणों बीच 5 वर्ष के न्यूनतम अंतराल को भी समाप्त कर दिया गया है। एन.पी.एस. के अंतर्गत अभिदान की अवधि के दौरान एक अभिदाता 3 आंशिक आहरणों के लिए पात्र है, प्रत्येक आहरण अभिदाता द्वारा किये गये अंशदानों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा इसमें नियोक्ता द्वारा किये गये अंशदान शामिल नहीं होंगे तथापि, अभिदाता, के टियर-II खाते में से आहरणों पर कोई सीमा नहीं है।

(घ) दिनांक 30.11.2018 की संलग्न विवरण स्थिति के अनुसार एन.पी.एस. के अंतर्गत कवर हुए अभिदाताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। दिनांक 22.12.2018 की स्थिति के अनुसार एन.पी.वाई. के अंतर्गत कवर हुए अभिदाताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। दिनांक 01.03.2018 की स्थिति के अनुसार ई.पी.एस. 1995 के अंतर्गत कवर हुए अभिदाताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

दिनांक 30.11.2018 की स्थिति के अनुसार एनपीएस के अंतर्गत कवर हुए अभिदाताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिदाताओं की कुल संख्या
1	2	3
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12644
2	आंध्र प्रदेश	829337
3	अरुणाचल प्रदेश	27379
4	असम	428986
5	बिहार	537274
6	चंडीगढ़	31644
7	छत्तीसगढ़	532023
8	दादरा और नागर हवेली	1995
9	दमन और दीव	1656
10	रक्षा*	22136
11	दिल्ली	311774
12	गोवा	47629
13	गुजरात	569689
14	हरियाणा	337498
15	हिमाचल प्रदेश	124498
16	जम्मू और कश्मीर	195702
17	झारखंड	298344
18	कर्नाटक	1179258
19	केरल	544611
20	लक्षद्वीप	2074
21	मध्य प्रदेश	769664
22	महाराष्ट्र	1065386
23	मणिपुर	56411
24	मेघालय	22623

1	2	3
25	मिजोरम	10589
26	नागालैंड	35871
27	एनआरआई**	3340
28	ओडिशा	353951
29	पुदुचेरी	20439
30	पंजाब	271728
31	राजस्थान	712793
32	सिक्किम	18482
33	तमिलनाडु	561747
34	तेलंगाना	92482
35	त्रिपुरा	47320
36	उत्तर प्रदेश	1175011
37	उत्तरांचल	144506
38	पश्चिम बंगाल	504379
	कुल	11902873

रक्षा*- सरकारी क्षेत्र के अभिदाता मुख्यत: अर्द्धसैनिक बलों से हैं जिन्होंने अपना पता 88, एपीओ अथवा 56, एपीओ इत्यादि दिया है।
एनआरआई**- अभिदाताओं ने विदेशी पता दिया है।

विवरण-II

दिनांक 22.12.2018 की स्थिति के अनुसार एपीवाई के अंतर्गत कवर हुए अभिदाताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	पीआरएएन की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,478
2	आंध्र प्रदेश	8,85,412
3	अरुणाचल प्रदेश	9,311
4	असम	2,53,914
5	बिहार	13,35,211
6	चंडीगढ़	19.774
7	छत्तीसगढ़	2,18,078
8	दादरा और नागर हवेली	15,880
9	दमन और दीव	27,586
10	दिल्ली	2,37,564
11	गोवा	45,452
12	गुजरात	6,44,648
13	हरियाणा	2,84,405
14	हिमाचल प्रदेश	90,577
15	जम्मू और कश्मीर	50,529
16	झारखंड	2,92,976
17	कर्नाटक	9,55,083
18	केरल	3,03,402
19	लक्षद्वीप	4,512
20	मध्य प्रदेश	6,73,887
21	महाराष्ट्र	10,55,596
22	मणिपुर	16,245
23	मेघालय	26,060
24	मिजोरम	17,564
25	नागालैंड	50,350
26	ओडिशा	4,45,788
27	पुदुचेरी	30,238
28	पंजाब	4,16,245
29	राजस्थान	6,31,685
30	सिक्किम	50,450
31	तमिलनाडु	11,44,028
32	तेलंगाना	3,82,464
33	त्रिपुरा	40,330
34	उत्तर प्रदेश	19,84,083
35	उत्तरांचल	1,15,654
36	पश्चिम बंगाल	8,41,045
	कुल	136,00,504

विवरण-III

दिनांक 01.03.2018 की स्थिति के अनुसार ईपीएस, 1995 के अंतर्गत कवर हुए अभिदाताओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	नामांकित कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	9928
2	आंध्र प्रदेश	955073
3	असम	271709
4	बिहार	324582
5	चंडीगढ़	362662
6	छत्तीसगढ़	368575
7	दिल्ली	2403857
8	गोवा	169712
9	गुजरात	2729742
10	हरियाणा	2061353
11	हिमाचल प्रदेश	281111
12	झारखंड	411698
13	कर्नाटक	4718860
14	केरल	968118
15	मध्य प्रदेश	932616
16	महाराष्ट्र	8074067
17	ओडिशा	651682
18	पंजाब	615150
19	राजस्थान	94430
20	तमिलनाडु	4571867
21	तेलंगाना	2418466
22	त्रिपुरा	29833
23	उत्तर प्रदेश	1785647
24	उत्तराखंड	481445
25	पश्चिम बंगाल	2434253
	कुल	3,89,76,313

चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता

2950. **श्री सुमेधानन्द सरस्वती:**
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
श्री विद्युत वरण महतो:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

देश में वर्ष 2014 से आज की तारीख तक मान्यता प्रदान किए गए चिकित्सा महाविद्यालयों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): 2014 से आज की तारीख तक 77 मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मेडिकल कॉलेजों का विवरण, 2014 से दी गई मान्यता, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	कॉलेज का नाम	मान्यता का वर्ष
1	आंध्र प्रदेश	1	फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कडपा	2016
		2	ग्रेट ईस्टर्न मेडिकल स्कूल और अस्पताल, श्रीकाकुलम	2015
		3	एनआरआई आयुर्विज्ञान संस्थान, विशाखापट्टनम	2017
		4	राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ओंगोल, एपी	2016
2	असम	5	फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज, बारपेटा, असम	2016
		6	जोरहाट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जोरहट	2014

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	कॉलेज का नाम	मान्यता का वर्ष
3	बिहार	7	इंदिरा गांधी मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट, शेखपुरा, पटना	2016
		8	नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सासाराम	2014
4	दिल्ली	9	हमदर्द आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान, नई दिल्ली	2018
		10	उत्तरी दिल्ली नगर निगम मेडिकल कॉलेज, दिल्ली	2018
5	गुजरात	11	अहमदाबाद नगर निगम मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद	2014
		12	जीसीएस मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद	2016
		13	जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज, गांधी नगर	2017
		14	जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज, धारपुर, पाटन	2017
		15	जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज, गोत्री, बड़ोदरा	2016
		16	जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज, सोला, अहमदाबाद	2016
		17	जीएमईआरएस मेडिकल क़ॉलेज, वलसाड	2017
		18	गुजरात अदानी आयुर्विज्ञान संस्थान, भुज	2014
6	हरियाणा	19	बीपीएस गवर्नमेंट महिला मेडिकल कॉलेज महिलाओं, सोनीपत	2016
		20	चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान संकाय, गुड़गाव	2014
		21	शहीद हसन खां मेवाती सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय	2018
7	हिमाचल प्रदेश	22	महर्षि मार्कण्डेश्वर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सोलन	2017
8	कर्नाटक	23	मेडिकल साइंसेज बीजीएस ग्लोबल इंस्टिट्यूट, बैंगलोर	2018
		24	कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर	2017
		25	कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज, गुलबर्गा	2018
		26	आयुर्विज्ञान संस्थान सप्तगिरि और अनुसंधान केन्द्र, बैंगलोर	2016
		27	मेडिकल रिसर्च सेंटर, श्रीनिवासनगर	2017
		28	सुब्बैया आयुर्विज्ञान संस्थान, शिमोगा, कर्नाटक	2017
9	केरल	29	मालाबार मेडिकल कॉलेज, कोझीकोड, कालीकट	2015
		30	श्री नारायण आयुर्विज्ञान संस्थान, चलक्का, एर्नाकुलम	2014
		31	बावणकोर मेडिकल कॉलेज, कोल्लम	2014
10	मध्य प्रदेश	32	बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, सागर	2014
		33	चिरायु मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बैरागढ़, भोपाल	2016
		34	एल.एन. मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, भोपाल	2014
11	महाराष्ट्र	35	अश्विनी ग्रामीण मेडिकल कॉलेज, हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सोलापुर	2017
		36	भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, जालना	2018
12	मणिपुर	37	जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान, पोरोमपेट, इम्फाल	2015

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	कॉलेज का नाम	मान्यता का वर्ष
13	पुदुचेरी	38	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी	2014
14	पंजाब	39	आयुर्विज्ञान संस्थान पंजाब, जालंधर	2016
		40	चिंतापूर्णी मेडिकल कॉलेज, पठानकोट (सशर्त)	2016
15	ओडिशा	41	हाई टेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, राउरकेला	2018
16	तमिलनाडु	42	एसीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल केवल एक बैच (2009-2010) के लिए मान्यता प्राप्त	
		43	अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सलेम	2016
		44	धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पेराम्बलुर	2016
		45	ईएसआई-पीजीआईएमएसआर, ईएसआई अस्पताल, केके नगर, चेन्नई	2018
		46	शिवांगाई सरकारी मेडिकल कॉलेज, शिवांगाई	2017
		47	थिरूवन्नमलाई सरकारी मेडिकल कॉलेज, थिरूवन्नमलाई	2018
		48	विल्लुपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज, विल्लुपुरम	2018
		49	कर्पगम आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संकाय, कोयंबटूर	2017
		50	कर्पागा विनायगा आयुर्विज्ञान संस्थान, मदुरंगथागम	2014
		51	श्री मुत्थुकुमारन मेडिकल कॉलेज, चेन्नई	2015
		52	टैगोर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चेन्नई	2015
		53	थिरूवरूर सरकारी मेडिकल कॉलेज, थिरूवरूर	2015
		54	त्रिची एसआरएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, त्रिची	2014
		55	वेल्लामल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मदुरै	2018
		56	श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान	2014
		57	मेलवारुवथूर आदि प्रशक्ति आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, मेलवारूवथूर	2016
		58	माढा मेडिकल कॉलेज, चेन्नई (सशर्त)	2016
17	तेलंगाना	59	अपोलो आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	2017
		60	डॉ वीआरके महिला मेडिकल कॉलेज, अजीजनगर	2015
		61	कमिनेनी आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र अकादमी, हैदराबाद	2018
		62	मल्ला रेड्डी आयुर्विज्ञान संस्थान, हैदराबाद	2017
18	उत्तर प्रदेश	63	कैरियर आयुर्विज्ञान एवं अस्पताल संस्थान, लखनऊ	2016
		64	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कन्नौज	2017
		65	हिंद आयुर्विज्ञान संस्थान, बाराबंकी	2014
		66	महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर	2016
		67	रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हापुड़	2016
		68	मेडिकल साइंसेज मेथो संस्थान, बाराबंकी	2018

क्र.सं.	राज्य	क्र.सं.	कॉलेज का नाम	मान्यता का वर्ष
		69	स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा	2014
		70	मेजर एसडी सिंह मेडिकल कॉलेज, फर्रूखाबाद (सशर्त)	2016
19	पश्चिम बंगाल	71	चिकित्सा कॉलेज और जेएनएम अस्पताल, कल्याणी, नादिया	2015
		72	चिकित्सा कॉलेज और सागौर दत्ता अस्पताल, कोलकाता	2016
		73	कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज, जोका, कोलकाता	2018
		74	बुद्धि-सिटी मेडिकल कॉलेज, बर्द्धवान	2018
		75	मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मालदा	2016
		76	मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुर्शिदाबाद	2017
		77	आईसीएआरई आयुर्विज्ञान संस्थान, हल्दिया	2018

[अनुवाद]

जराचिकित्सा हेतु उत्कृष्टता केन्द्र

2951. **श्री प्रताप सिम्हा:**
कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य स्वास्थ्य सेवा सुपुर्दगी प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित, विशेषीकृत और व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु कोई कार्यक्रम लागू कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वृद्ध जनों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित नई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख में और चालू वित्त वर्ष के दौरान परिचर्या सेवाओं जराचिकित्सा हेतु विशिष्ट परिचर्या और प्रशिक्षण हेतु चयनित स्वीकृत जिलों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने जराचिकित्सा हेतु उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में राष्ट्रीय वृद्धावस्था केद्र (एन.सी.ए.) स्थापित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) वृद्धजनों को समर्पित, विशेषातापूर्ण एवं व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम (एन.पी.एच.सी.ई.) को कार्यान्वित कर रही है। यह कार्यक्रम राज्य उन्मुखी है और कार्यक्रम का मूल बल आउटरीच सेवाओं सहित प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के विभिन्न स्तर पर वृद्ध जनों (60 वर्ष से अधिक आयु के) को समर्पित स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है। एन.पी.एच.सी.ई. के मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार है:-

(i) चिह्नित क्षेत्रीय जरा रोग केंद्रों (आर.जी.सी.) में ओ.पी.डी. परिचर्या सेवाओं और अंतरंग सेवाएं प्रदान करने हेतु 30 बिस्तरों वाले जरा-रोग वार्ड सहित जरा रोग विभाग की स्थापना करना। मानव संसाधन का विकास करने हेतु प्रत्येक आर.जी.सी. प्रति वर्ष 2 स्नातकोत्तर (एम.डी-जरा रोग विज्ञान) तैयार करेगा।

(ii) सी.एच.सी. एवं पी.एच.सी. से डॉक्टरों और स्टॉफ का प्रशिक्षण एवं सभी जिला अस्पतालों में 10 बिस्तरों वाले जरा-रोग एककों की स्थापना करना जो वृद्धजनों का अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान अंतरंग सेवाएं प्रदान करेंगे।

(iii) सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.) में पुनर्वास एककों की स्थापना और सप्ताह में दो बार जरा-रोग क्लीनिक चलाना।

(iv) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी.एच.सी.) में प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा साप्ताहित जरा-रोग क्लीनिक संचालित करना।

(v) स्वास्थ्य वृद्धावस्था, घरों में रहने वाले/शैय्याग्रस्त वृद्ध जनों का ध्यान रखने/परिचर्या हेतु मूल निवास स्थान भ्रमण विकलांग वृद्ध जनों की देखभाल

करने में पारिवारिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं को प्रशिक्षण देना।

कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धजनों को उक्त उल्लिखित स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए अब तक 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 599 जिलों और 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 19 क्षेत्रीय जरा-रोग केन्द्रों (आर.जी.सी.) को स्वीकृति दी गई है।

(ख) मंत्रालय ने, 60 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वर्तमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई. के स्थान पर दिनांक 01.04.2016 से वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना(एस.सी.एच.आई.एस.) कार्यान्वित कर रहा है। एस.सी.एच.आई.एस. आर.एस.बी.वाई. के अंतर्गत पंजीकृत परिवार में प्रति वरिष्ठ नागरिक को 30 हजार रु. का कवरेज प्रदान कर रहा है। लगभग 18 लाख परिवारों 23.09.2018 तक एस.सी.एच.आई.एस. के अंतर्गत कवर किया गया।

सरकार ने 23.09.2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी.एम.जे.ए.वाई) प्रारम्भ की है। यह योजना, सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार वंचन तथा व्यवसायिक मानदण्ड के आधार पर 10 करोड़ से अधिक गरीब एंव कमजोर परिवारों को द्वितीयक तथा तृतीयक परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने हेतु प्रति वर्ष 5 लाख रु. प्रति परिवार तक का कवरेज देती है। पी.एम.जे.ए.वाई. के प्रारंभ होने के बाद आर.एस.बी.वाई. और एस.सी.एच.आई.एस. का उसमें विलय कर दिया गया है। पी.एम.जे.ए.वाई हेतु निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाले वरिष्ठ नागरिक पी.एम.जे.ए.वाई हेतु निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाले वरिष्ठ नागरिक पी.एम.जे.ए.वाई के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ग) एन.पी.एच.सी.ई. के अंतर्गत स्वीकृत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार जिलों का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारत सरकार दो राष्ट्रीय जरा रोग केंद्रों (एन.सी.ए.) की स्थापना करने में सहायता कर रही है- पहला एम्स, नई दिल्ली में दूसरा मद्रास चिकित्सा महाविद्यालय, चेन्नई में ये एन.सी.ए. 200 बिस्तरों की सुविधा वाले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे और इनका उद्देश्य देश में जरा-रोग परिचर्या हेतु अध्ययन, अनुसंधान तथा रैफरल संस्थान की स्थापना करना है।

विवरण

एनपीएचसीई के अंतर्गत राज्य संघ/राज्यवार सस्वीकृत जिलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत जिलों की संख्या					
		2014-15 तक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	2	0	0	3
2	आंध्र प्रदेश	8	0	0	5	0	13
3	अरूणाचल प्रदेश	0	2	10	0	0	12
4	असम	5	9	13	0	0	27
5	बिहार	6	10	0	22	0	38
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	3	6	0	0	18	27
8	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0	0	1
9	दमन और दीव	1	0	0	1	0	2
10	दिल्ली	0	11	0	0	0	11

1	2	3	4	5	6	7	8
11	गोवा	0	2	0	0	0	2
12	गुजरात	6	4	4	5	6	25
13	हरियाणा	4	9	8	0	1	22
14	हिमाचल प्रदेश	3	9	0	0	0	15
15	जम्मू और कश्मीर	5	0	8	8	0	21
16	झारखंड	3	10	11	0	0	24
17	कर्नाटक	5	5	20	0	0	30
18	केरल	5	2	7	0	0	14
19	लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	1
20	मध्य प्रदेश	5	0	5	0	0	10
21	महाराष्ट्र	6	7	15	0	0	28
22	मणिपुर	0	2	0	5	0	7
23	मेघालय	0	0	0	5	5	10
24	मिजोरम	2	0	2	1	4	9
25	नागालैंड	0	0	4	7	0	11
26	ओडिशा	5	3	22	0	0	30
27	पुदुचेरी	0	1	0	0	1	2
28	पंजाब	3	8	11	0	0	22
29	राजस्थान	7	5	5	5	0	22
30	सिक्किम	2	2	0	0	0	4
31	तमिलनाडु	0	5	3	23	0	31
32	तेलंगाना	0	5	0	0	0	5
33	त्रिपुरा	0	0	2	2	4	8
34	उत्तर प्रदेश	9	0	26	0	40	75
35	उत्तराखंड	2	0	11	0	0	13
36	पश्चिम बंगाल	3	5	6	13	0	27
	कुल	99	124	195	102	79	599

सिंह सफारी

2952. **श्री पी.आर. सुन्दरम:**
श्री धनंजय महाडीक:
डॉ. जे. जयवर्धन:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री राजीव सातव:
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार की गई सिंह सफारी की संख्या कितनी है;

(ख) सिंह पर्यावास हेतु संरक्षित क्षेत्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सिंहों द्वारा मारे गए व्यक्तियों के संबंध में कोई डाटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सिंहों द्वारा मारे गए लोगों के परिवारों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बाघ परियोजना की तर्ज पर सिंह परियोजना भी प्रारंभ करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(च) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सिंहों के संरक्षण हेतु आवंटित/स्वीकृत और प्रयुक्त राशि कितनी है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) गुजरात राज्य सरकार राज्य में दो सिंह सफारियों का संचालन करती हैं। एक सफारी "देवलिया इंटरप्रिटेशन सेंटर" और दूसरी गुजरात में 'अम्बार्डी इंटरप्रिटेशन सेंटर" में संचालित की जा रही है।

सिंह सफारी चिड़ियाघरों में भी संचालित की जाती हैं, जिन्हें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सी.जे.डी.ए.) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-ज के तहत मान्यता प्राप्त विभिन्न चिड़ियाघरों में संचालित की जा रही सिंह सफारियों की राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र वार सूची इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	चिड़ियाघर जहां सिंह सफारी है	स्थान	श्रेणी
1.	छत्तीसगढ़	नंदनवन जंगल सफारी	नया रायपुर	मध्यम चिड़ियाघर
2.	दादरा और नगर हवेली	सिंह सफारी - वसोना	वसोना	लघु चिड़ियाघर
3.	गुजरात	अंबार्डी वन्यजीव व्याख्या क्षेत्र (अंबार्डी सफारी पार्क)	धारी	छोटा चिड़ियाघर
4.	कर्नाटक	बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान	बेंगलुरू	बड़ा चिड़ियाघर
5.	कर्नाटक	बाघ और सिंह सफारी	शिमोगा	छोटा चिड़ियाघर
6.	केरल	नैय्यर बांध में सिंह सफारी पार्क (नैय्यर लघु चिड़ियाघर)	तिरूवनन्थपुरम	लघु चिड़ियाघर
7.	महाराष्ट्र	संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान-चिड़ियाघर	बोरीवली	छोटा चिड़ियाघर
8.	ओडिशा	नंदनकानन जैविक उद्यान	भुवनेश्वर	बड़ा चिड़ियाघर
9.	पंजाब	महेंद्र चौधरी प्राणि उद्यान	छतबीर, चंडीगढ़	बड़ा चिड़ियाघर
10.	तमिलनाडु	अरिगनार अन्ना प्राणि उद्यान	चेन्नई	बड़ा चिड़ियाघर
11.	तेलंगाना	नेहरू प्राणि उद्यान पार्क	हैदराबाद	बड़ा चिड़ियाघर
12.	उत्तर प्रदेश	सिंह प्रजनन केन्द्र और बहु सफारी उद्यान, इटावा	इटावा	लघु चिड़ियाघर

(ख) गुजरात राज्य में सिंह पर्यावास के लिए संरक्षित क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्रों का नाम	क्षेत्र (वर्ग किमी. में)	संरक्षित क्षेत्र (पीए) घोषित किए जाने का वर्ष
1	गिर राष्ट्रीय उद्यान	258.71	1975
2	गिर वन्यजीव अभयारण्य	1153.42	1965
3	बर्दा वन्यजीव अभयारण्य	192.31	1979
4	पनिया वन्यजीव अभयारण्य	39.64	1989
5	मित्याला वन्यजीव अभयारण्य	18.22	2004
6	गिरनार वन्यजीव अभयारण्य	178.87	2008

(ग) गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान में सिंहों द्वारा मानव मृत्यु निम्नानुसार है:

क्र.स.	वर्ष	सिंह द्वारा मानव मृत्यु की संख्या
1	2015-16	3
2	2016-17	4
3	2017-18	0
4	2018-19 (25/12/2018 तक)	2
	कुल	9

(घ) गुजरात राज्य सरकार ने मानव, मृत्यु क्षतियों और मवेशियों की मृत्यु के लिए मुआवजे के संबंध में एक नीति बनाई है। राज्य सरकार सिंह द्वारा मानव मौत के लिए 4.00 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान करती है।

(ङ) एशियाई सिंहों को बेहतर और केंद्रित संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने 3 साल के लिए 9784.50 लाख की धनराशि और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना वन्यजीव पर्यावास का विकास (सी.एस.एस.-डी.डब्लयू.एच.) से केन्द्र राज्य की हिस्सेदारी क्रमश: 60:40 के योगदान अनुपात में निधीयन के साथ 'एशियाई सिंह संरक्षण परियोजना' प्रारंभ की है।

यह परियोजना अत्याधुनिक तकनीकी/उपकरणों, नियमित वैज्ञानिक अनुसंधान अध्ययन, रोग प्रबंधन, आधुनिक निगरानी/गश्त तकनीक आदि की सहायता से एशिआई सिंह के संरक्षण और बहाली के लिए किये जा रहे वर्तमान उपायों को मजबूत करेगी।

इस परियोजना में देश में स्थिर और जीवनक्षम सिंह आबादी को सुनिश्चित करने के लिए वनक्षेत्रीय जनसंख्या के लिए पर्याप्त पारि विकास कार्यों के साथ पर्यावास सुधार, वैज्ञानिक हस्तक्षेप, रोग नियंत्रण और पशु चिकित्सा देखभाल क्रियाकलापों की परिकल्पना की गई है।

(च) केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना विवरण-वन्यजीव पर्यावास का विकास (सी.एस.एस.-डी.डब्लयू.एच.) के तहत सिंहों के संरक्षण के लिए गुजरात राज्य सरकार राज्य सरकार को जारी किए गए धन और उपयोग किए गए धन का विवरण इस प्रकार हैं:

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19
		जारी की गई धनराशि	धन राशि का उपयोग किया	जारी की गई धनराशि	धन राशि का उपयोग किया	जारी की गई धनराशि	धन का उपयोग किया	जारी की गई धनराशि
1	गिर एनपी/वन्य जीव अभयारण्य	41.68	26.33	58.74	30.88	233.64	139.15	188.57*
2	पनिया वन्यजीव अभयारण्य	4.80	4.80	6.24	5.73	एपीओ प्राप्त नहीं हुआ		एपीओ प्राप्त नहीं हुआ
3	मित्याला वन्यजीव अभयारण्य	2.80	2.80	3.60	3.31	एपीओ प्राप्त नहीं हुआ		एपीओ प्राप्त नहीं हुआ
4	गिरनार वन्य	32.78	19.83	31.51	18.55	एपीओ प्राप्त नहीं हुआ		57.92*

*उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त नहीं हुआ

यू.एन.एफ.सी.सी.सी. का 24वां पक्षकार सम्मेलन

2953. श्री शिवकुमार उदासि:
श्री अधीर रंजन चौधरी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोलोड के केटोविस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा संबंधी समझौते (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के पक्षकारों के सम्मेलन की 24वीं बैठक (सी.ओ.पी-24) के क्या परिणाम रहे हो;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2030 तक उसकी स्थापित विद्युत क्षमता का 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि इस संबंध में सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता से विकासगत आवश्यकताओं के प्रभावित होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) संयुक्त राष्ट्र जलवायु संबंधी फ्रेमवर्क कन्वेन्शन के, पक्षकारों की 24वीं बैठक (सी.ओ.पी. 24) में 2020 के पश्चात इसे प्रचालन में लाने के उद्देश्य से पेरिस समझौते के विभिन्न घटकों के लिए निर्धारित दिशानिर्देश अंगीकृत किये गए हैं। इन निर्णयों में उपशमन और राष्ट्रीय स्तर पर अवधारित योगदानों (एन.डी.सी.)-अनुकूलन, जलवायु वित्तपोषण प्रौद्योगिकी विकास और अन्तरण: पारदर्शिता ढांचा, वैश्विक समीक्षा: कार्यान्वयन और अनुपालन को सुकर बनाने से संबंधित मामले शामिल हैं।

(ख) और (ग) यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर अवधारित योगदानों (एन.डी.सी.) के लक्ष्यों में से एक, 2030 तक विद्युत ऊर्जा की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता का लगभग 40 प्रतिशत भाग गैर-जीवाश्म आधारित ईंधन संसाधनों से प्राप्त करने का है। 2022 तक नवीकरण ऊर्जा के 175 गीगावाट के लक्ष्य के मद्देनजर भारत 2020 के पश्चात् उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर हैं। भारत के एन.डी.सी. में विकास अनिवार्यताओं यथा गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा सब के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा उपलब्ध कराने इत्यादि को ध्यान में रखा गया है।

नेशनल पेंशन सिस्टम

2954. श्री एल.आर. शिवराम गौड़ा:
श्री तेज प्रताप सिंह यादव:
श्रीमती अंजू बाला:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री डी.के. सुरेश:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश भर में कर्मचारियों की भारी मांग पर केंद्रीय सरकार कर्मचारियों हेतु वैकल्पिक आधार पर पुरानी पेंशन स्कीम पर पुनर्विचार करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों और कर्मचारी संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्मचारी संघों द्वारा अन्य क्या मुख्य मांगें की गई और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एन.पी.एस.) में सरकारी योगदान को वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे सरकार पर कितना वित्तीय भार बढ़ेगा;

(घ) केंद्रीय सरकार के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को अब तक स्वीकृत पारिवारिक पेंशन के मामलों और एन.पी.सी. के अंतर्गत अंशदान की विलंबित जमा हेतु क्षतिपूर्ति के भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने सरकार/सरकारी क्षेत्र उपक्रमों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम को रोकने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है:और

(च) देश में सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पेंशन के भुगतान के लिए प्रति वर्ष उपयोग किए जाने वाले बजट की राशि/प्रतिशतता कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पुरानी परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में बदलने की मांग किया जाना भी शामिल है। तथापि, बढ़ते एवं गैर-सम्पोषणीय पेंशन बिल तथा राजकोष पर बढ़ते दावों के कारण, दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात भर्ती केन्द्रीय कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय

पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी हां, एन.पी.एस. के अंतर्गत कवर किए गए उसके कर्मचारियों के टियर-I खातों के लिए केन्द्रीय सरकार के अनिवार्य अंशदान को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। कर्मचारी के अंशदान की, दर मौजूदा 10% बनी रहेगी। व्यय विभाग द्वार दी गई सूचना के अनुसार, एन.पी.एस. के अंतर्गत कवर किए गए उसके कर्मचारियों के लिए सरकार के अनिवार्य अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% किए जाने के कारण सरकारी कोष पर आगामी वित्तीय वर्ष (2019-20) में केन्द्र सरकार पर 2840 करोड़ रुप्ये का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ने का अनुमान है।

(घ) दिनांक 30.11.2018 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-अतिरिक्त राहत (एन.पी.एस.ए.आर) के अंतर्गत अधिकृत बैंक द्वारा केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी.पी.ए.ओ.) के माध्यम से फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों की संख्या 4.779 है।

(ङ) भारत सरकार ने दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) (पूर्व में नई पेंशन योजना के नाम से जानी जाती थी) लागू की है तथा दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात केन्द्रीय सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में भर्ती होने वाले सभी नए रिक्रुटों (कर्मचारियों) के लिए इसे अनिवार्य बनाया है। सरकार ने दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात् सेवा में आने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए पुरानी परिभाषित लाभ योजना को बंद कर दिया था। केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) व्यय विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पेंशनभोगियों की पेंशन का भुगतान करने के लिए वर्ष 2017-18 के लिए बजट का बयौरा निम्नानुसार है:-

लेखा शीर्ष	राशि (करोड़ रू. में) (अनंतिम)
2071 पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ	145745.07
3001-101 भारतीय रेलवे पेंशनरी प्रभार	366.85
3002-11 भारतीय रेलवे पेंशनरी प्रभार	1996.97
3003-11 भारतीय रेलवे पेंशनरी प्रभार	21.07
3201-07 पेंशन पोस्टल सेवाएं	8511.33
कुल	156641.29

एनपीएस-एआर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बजट निम्नानुसार है:

बजट अनुमान	व्यय 2018-19	बजट अनुमान 2017-18	व्यय 2017-18
90.20 करोड़ रूपये	59.71 करोड़ रूपये (दिनांक 30.11.2018 की स्थिति के अनुसार)	66.21 करोड़ रूपये	65.65 करोड़ रूपये

टीकाकरण में लैंगिक अंतर

2955. कुमारी सुष्मिता देव:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्रीमती एम. वसन्ती:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पूर्ण टीकाकरण की प्रक्रिया के लैंगिक अंतर को समाप्त करने में सफल नहीं हो पाई है, चूंकि निर्धन क्षेत्रों में प्रति 100 पुरुषों पर सिर्फ 78 महिलाएं ही पूर्ण रूप से टीकाकृत हो पाई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्ण टीकाकरण हेतु सरकार द्वारा बिना किसी लैंगिक भेदभाव के क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) वर्ष 2014 से 2018 तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की अतिसार और निमोनिया के कारण हुई मौतों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.)-4 (2015-126) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों की प्रतिरक्षण कवरेज 62.1 प्रतिशत और महिलाओं का 61.9 प्रतिशत है, जो दर्शाता है कि इसमें कोई लिंगभेद नहीं है।

(ख) वैश्विक प्रतिरक्षण कार्यक्रम एक समानता आधारित

कार्यक्रम है, किसके तहत सभी लाभार्थियों को उनके, धर्म, जाति, क्षेत्र तथा लिंग से भेदभाव किए बिना प्रतिरक्षण सेवा प्रदान किया जाता है।

(ग) वर्ष 2010-2013 के नमूना पंजीकरण प्रणाली (एस.आर.एस.) आंकड़ों के अनुसार, 1-4 वर्ष तक के बच्चों में 18.2 प्रतिशत मौतों का कारण न्यूमोनिया है तथा 17.9 प्रतिशत मौतों का कारण डायरिया है। इन मौतों के राज्य-वार विवरण को सूचना नहीं मिलती है।

निजी बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना का कार्यान्वयन

2956. श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री निहाल चन्द:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सहित देश में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई\) से युवाओं को लाभ मिला है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार/श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को ऋण सुविधाएं देने से इन्कार करने या बैंकों द्वारा समय पर ऋण वितरण न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या निजी बैंकों ने इस योजना के कार्यान्वयन में रुचि नहीं ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) योजना की शुरुआत से लेकर दिनांक 14.12.2018 की स्थिति के अनुसार प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा राजस्थान सहित पूरे देश में सभी आयु वर्ग को 7.25 लाख करोड़ से अधिक राशि के 15.19 करोड़ ऋण मंजूर किए गए हैं। पीएमएमवाई के अंतर्गत, जिन उधारकर्ता को ऋण दिया गया है, उनके आयु प्रोफाइल से संबंधी सूचना नहीं रखी जाती है।

राजस्थान सहित सभी आयु समूहों को एमएलआई द्वारा मंजूर ऋणों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार को समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही है जिसमें बैंकों द्वारा ऋण सुविधाएं देने से मना करना तथा ऋणों का समय संवितरण शामिल है। संबंधित बैंकों से समन्वयन कर इनका समाधान किया जाता है।

(ग) और (घ) पीएमएमवाई में निजी क्षेत्र के बैंक सक्रिय रूप से भागीदार रहे हैं। योजना की शुरुआत से दिनांक 14.12.2018 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 1.43 लाख करोड़ की राशि के 3 करोड़ से अधिक ऋण मंजूर किए गए हैं।

विवरण

08.04.2015 से 14.12.2018 तक पीएमएवाई के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मंजूर ऋणों की संख्या

राशि करोड़ रूपये में

क्र.सं.	राज्य का नाम	एससी खातों की संख्या	एसटी खातों की संख्या	ओबीसी खातों की संख्या	अल्पसंख्यक खातों की संख्या	स्त्री खातों की संख्या	कुल (सामान्य सहित सभी श्रेणी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3160	1155	15052	4646	5922	33819
2	आंध्र प्रदेश	290179	54575	635717	160814	734840	2603415
3	अरुणाचल प्रदेश	1506	4890	896	2164	2394	30779
4	असम	261023	169365	783809	522242	2639561	4725749
5	बिहार	1940572	535124	7151293	1528718	10676598	13246570
6	चंडीगढ़	9907	368	5197	5715	20614	71925
7	छत्तीसगढ़	389737	382858	1210157	76762	2167464	3050287

1	2	3	4	5	6	7	8
8	दादरा और नागर हवेली	1012	955	374	273	5280	8165
9	दमन और दीव	220	58	506	209	793	3334
10	दिल्ली	144617	27983	174036	88057	545754	1048416
11	गोवा	2403	11307	26503	21548	64079	137919
12	गुजरात	364233	317910	1367587	259758	2853919	4550744
13	हरियाणा	1093072	63825	595226	86784	1882048	2795561
14	हिमाचल प्रदेश	58844	10486	32049	9570	111528	325148
15	जम्मू और कश्मीर	9267	6558	3504	63186	70984	338402
16	झारखंड	446361	244849	1735740	661084	2994683	3916966
17	कर्नाटक	1859939	868808	4071109	2786494	11920684	15739352
18	केरल	725502	145888	2167295	1036407	3773639	5084652
19	लक्षद्वीप	25	1630109	1495	573	2686	
20	मध्य प्रदेश	1798589	1101971	3919320	600006	7516839	9865627
21	महाराष्ट्र	2137076	860425	4122908	1186670	10459263	12990878
22	मणिपुर	4542	12745	13716	5517	58511	124181
23	मेघालय	4411	31640	2943	20147	47695	91026
24	मिजोरम	2239	24660	325	4500	19021	37126
25	नागालैंड	331	7877	292	5415	23994	39238
26	ओडिशा	1835513	837010	5086970	320450	9261718	10799346
27	पुदुचेरी	62123	4177	208897	40472	375488	473953
28	पंजाब	1437677	87181222079	411994	1586844	2789258	
29	राजस्थान	1083626	689370	1552621	463862	3622929	5417903
30	सिक्किम	2422	4057	3082	3635	24077	67938
31	तमिलनाडु	3138326	214738	5539448	1656218	14309417	19424130
32	तेलंगाना	273729	107482	590275	70583	905683	2011279
33	त्रिपुरा	181822	164620	13206370554	671395	901152	
34	उत्तर प्रदेश	4037942	456146	4405888	1598486	8548765	13135123
35	उत्तराखंड	264346	47579	256582	194396	714198	1055798
36	पश्चिम बंगाल	2958881	421091	1709978	3875788	12666587	15005384
	कुल	26825174	7921361	47743546	17844619	111283781	151943229

स्रोत : मुद्रापोर्टल पर सदस्य उधारदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार

बैंकों द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर जी.एस.टी.

2957. श्री धर्मेंद्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों को उनके द्वारा दी जाने वाली "नि:शुल्क सेवाओं" जैसे चैक बुक व अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड जारी करना, ए.टी.एम. का उपयोग और ईंधन संबंधी अधिभारत की प्रतिपूर्ति, इत्यादि पर जी.एस.टी. लगाने के संबंध में कर विभाग द्वारा प्राथमिक नोटिस प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार का कर-रहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त जी.एस.टी. न केवल बैंक में न्यूनतम जमा रखने की अनिवार्यता के साथ ग्राहकों पर लागू होना, बल्कि बेसिक बचत बैंक जमा (बी.एस.बी.डी.) खातेदारों के अलावा प्रत्येक संबंधित व्यक्ति पर भी लागू होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या इस कदम से सरकार की डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को आघात पहुंचने की संभावना होगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही नि:शुल्क सेवाओं पर जी.एस.टी. लगाने संबंधी कोई ऐसे नोटिस जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) से (ङ) जी.एस.टी., जी.एस.टी. अधिनियम तथा जी.एस.टी. परिषद् की सिफारिशों के अनुसार, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों और अधिसूचनाओं के उपबंधों के आधार पर प्रभारित की जाती है। सीबीआईसी की दिनांक 22.12.2018 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जीएसटी परिषद ने दिनांक 22.01.2018 को नई दिल्ली में संपन्न अपनी 31वीं बैठक में यह निर्णय लिया है कि बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) के अंतर्गत मूल बचत बैंक जमा (बी.एस.बी.डी.) खाता धारकों को प्रदान की जा रही सेवाओं को जी.एस.टी. से छूट प्राप्त होगी।

बच्चों से यौन-दुर्व्यवहार

2958. श्री राजेश पाण्डेय:
श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री निशिकान्त दुबे:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2014 से 2016 के दौरान बच्चों से यौन-दुर्व्यवहार के मामलों की संख्या का आकलन किया है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान पंजीकृत अथवा रिपोर्ट किए गए मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में कठोर कानूनों के बावजूद भी, हाल ही के वर्षों में बच्चों से यौन-दुर्व्यवहार/हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सिलसिले में निपटान किए गए मामलों के साथ लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या ऐसे मामलों के निपटान के लिए संसाधनों की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में बच्चों से यौन-दुर्व्यवहार/हिंसा के मामले में संसाधनों की कमी से निपटने और बाल-संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2014, 2015 और 2016 यौन शोषण/बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के कुल क्रमश: 34,449, 34,505 और 36,022 मामले दर्ज किए गए, जो कि वर्ष 2014 की तुलना में 2015 में दर्ज मामलों में 0.2% और 2015 की तुलना में 2016 में दर्ज मामलों में 0.4% की वृद्धि दर्शाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत/निर्णीत/लंबित मामलों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) और (ङ) मामलों के शीघ्र निपटान को सुगम बनाने के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का अधिदेश है। पोक्सो अधिनियम, 2012 में शीघ्र सुनवाई के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। पोक्सो अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के

30 दिनों की अवधि के भीतर बच्चे का साक्ष्य रिकार्ड किया जाएगा और विशेष न्यायालय द्वारा विलंब, यदि कोई हो, के कारण दर्ज किए जाएंगे। जहां तक संभव हो, विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी कर ली जाएगी।

विवरण

वर्ष 2014-16 के दौरान पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों, सुनवाई पूरी कर चुके मामलों, दोष सिद्ध की दर, वर्ष के अंत में सुनवाई के लिए लंबित मामलों और गिरफ्तार व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014					
		सी.आर.	सी.टी.सी.	सी.वी.	सी.वी.आर.	सी.पी.टी.ई.वाई.	पी.ए.आर.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	932	290	29	10.0	1110	1163
2.	अरुणाचल प्रदेश	56	2	1	50.0	75	57
3.	असम	506	20	8	40.0	203	489
4.	बिहार	191	72	17	23\6	462	228
5.	छत्तीसगढ़	1684	548	191	34.9	2491	1804
6.	गोवा	107	8	3	37.5	226	116
7.	गुजरात	613	45	5	11.1	1115779	1609
8.	हरियाणा	707	535	103	19.3	554	826
9.	हिमाचल प्रदेश	209	69	25	36.2	423	246
10.	जम्मू और कश्मीर	45	17	1	5.9	58	46
11.	झारखंड	112	22	13	59.1	84	136
12.	कर्नाटक	1380	131	27	20.6	1458	1538
13.	केरल	1392	141	48	34.0	3104	1483
14.	मध्य प्रदेश	4995	2205	721	32.7	7025	5888
15.	महाराष्ट्र	3926	721	112	15.5	11264	4623
16.	मणिपुर	50	0	0	-	24	24
17.	मेघालय	118	7	7	100.0	377	122
18.	मिजोरम	165	41	37	90.2	135	140
19.	नागालैंड	17	2	2	100.0	4	15
20.	ओडिशा	1126	104	14	13.5	1695	1193
21.	पंजाब	652	290	114	39.3	334	763
22.	राजस्थान	1327	375	133	35.5	2558	1228
23.	सिक्किम	70	29	19	65.5	49	66

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	1065	232	73	31.5	1318	1158
25.	तेलंगाना	924	232	35	15.1	1182	1332
26.	त्रिपुरा	245	40	9	22.5	292	228
27.	उत्तर प्रदेश	8009	570	302	53.0	10147	12753
28.	उत्तराखंड	189	42	16	38.1	155	186
29.	पश्चिम बंगाल	1291	183	22	12.0	1337	1062
	कुल राज्य	32103	6973	2087	29.9	49259	39702
30.	दमन और दीव	29	7	4	57.1	131	34
31.	चंडीगढ़	49	45	21	46.7	35	54
32.	दादरा और नगर हवेली	2	0	0	-	7	3
33.	दमन और दीव	1	3	1	33.3	7	1
34.	दिल्ली	2240	459	162	35.3	2841	1917
35.	लक्षद्वीप	1	0	0	-	1	3
36.	पुदुचेरी	24	0	0	-	27	18
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	2346	514	188	36.6	3049	2030
	कुल (अखिल भारतीय)	34449	7487	2275	30.4	52308	41732

स्रोत : भारत में अपराध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015					
		सी.आर.	सी.टी.सी.	सी.वी.	सी.वी.आर.	सी.पी.टी.ई.वाई.	पी.ए.आर.
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1054	466	78	16.7	1344	1233
2.	अरुणाचल प्रदेश	54	0	0	-	113	63
3.	असम	819	40	15	37\5	616	802
4.	बिहार	187	52	22	42\3	545	187
5.	छत्तीसगढ़	1656	1087	524	48.2	2985	2085
6.	गोवा	79	36	13	36.1	287	79
7.	गुजरात	59	8	13.6	2371	1886	1408
8.	हरियाणा	988	451	137	30.4	893	1041
9.	हिमाचल प्रदेश	206	86	27	31.4	531	264

1	2	9	10	11	12	13	14
10.	जम्मू और कश्मीर	30	22	1	4.5	63	49
11.	झारखंड	182	50	28	56.0	170	175
12.	कर्नाटक	1526	234	32	13.7	2489	1800
13.	केरल	1486	204	83	40.7	4165	1505
14.	मध्य प्रदेश	4624	2636	791	30.0	8928	5634
15.	महाराष्ट्र	4816	892	195	21श्9	14147	5589
16.	मणिपुर	43	4	1	25.0	52	23
17.	मेघालय	167	7	2	28.6	482	153
18.	मिजोरम	169	114	101	88.6	222	171
19.	नागालैंड	15	6	4	66.7	10	16
20.	ओडिशा	1372	289	39	13.5	2608	1324
21.	पंजाब	169	38.4	400	769	596	292
22.	राजस्थान	1311	336	130	38.7	3207	1210
23.	सिक्किम	55	29	16	55.2	39	55
24.	तमिलनाडु	1544	390	133	34.1	2196	1869
25.	तेलंगाना	1394	411	39	9.5	1799	1343
26.	त्रिपुरा	133	48	12	25.0	359	141
27.	उत्तर प्रदेश	4541	1335	874	65.5	13147	7469
28.	उत्तराखंड	168	119	79	66.4	168	207
29.	पश्चिम बंगाल	1504	106	21	19.8	3047	1928
	कुल राज्य	32398	9949	3574	35.9	67383	39070
30.	दमन और दीव	39	0	0	-	168	38
31.	चंडीगढ़	62	37	15	40.5	57	72
32.	दादरा और नगर हवेली	15	1	0	0\0	17	13
33.	दमन और दीव	5	0	0	-	11	8
34.	दिल्ली	1936	509	218	42.8	3884	1847
35.	लक्षद्वीप	1	0	0	-	1	1
36.	पुदुचेरी	49	2	2	100\0	31	41
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	2107	549	235	42.8	4169	2020
	कुल (अखिल भारतीय)	34505	10498	3809	36.3	71552	41090

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016					
		सी.आर.	सी.टी.सी.	सी.वी.	सी.वी.आर.	सी.पी.टी.ई.वाई.	पी.ए.आर.
1	2	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	830	548	51	9.3	1550	58
2.	अरुणाचल प्रदेश	59	1	0	0.0	101	58
3.	असम	821	122	43	35.2	1005	824
4.	बिहार	233	49	23	46.9	653	292
5.	छत्तीसगढ़	1570	959	354	36.9	2562	1778
6.	गोवा	75	55	13	23.6	288	82
7.	गुजरात	65	5	7.7	3606	1677	
8.	हरियाणा	1020	451	94	20.8	1275	1125
9.	हिमाचल प्रदेश	205	108	25	23.1	596	255
10.	जम्मू और कश्मीर	25	16	1	6.3	71	30
11.	झारखंड	348	85	17	20.0	307	363
12.	कर्नाटक	1565	283	55	19.4	3529	1641
13.	केरल	1848	249	47	18.9	5637	2671
14.	मध्य प्रदेश	4717	2462	641	26.0	10950	5678
15.	महाराष्ट्र	4815	1054	250	23.7	17338	5092
16.	मणिपुर	43	9	1	11.1	85	28
17.	मेघालय	151	34	28	82.4	563	153
18.	मिजोरम	167	56	54	96.4	307	174
19.	नागालैंड	27	11	6	54.5	24	27
20.	ओडिशा	1928	331	38	11.5	3843	1721
21.	पंजाब	94	32.2	509	659		
22.	राजस्थान	1479	386	151	39.1	4011	1479
23.	सिक्किम	92	17	9	52.9	97	100
24.	तमिलनाडु	1583	734	199	27.1	2711	1866
25.	तेलंगाना	1158	315	25	7.9	2507	1625
26.	त्रिपुरा	156	55	24	43.6	411	165
27.	उत्तर प्रदेश	4954	1444	714	49.4	15938	8452
28.	उत्तराखंड	218	42	38	90.5	284	238

1	2	15	16	17	18	19	20
29.	पश्चिम बंगाल	2132	225	48	21.3	4316	1209
	कुल राज्य	34223	10458	3048	29.1	85074	40317
30.	दमन और दीव	49	5	1	20.0	196	51
31.	चंडीगढ़	51	42	19	45.2	45	61
32.	दादरा और नगर हवेली	11	7	2	28\6	23	14
33.	दमन और दीव	10	0	0	-	17	11
34.	दिल्ली	1620	372	156	41.9	4769	1692
35.	लक्षद्वीप	5	0	0	-	6	4
36.	पुदुचेरी	53	0	0	-	75	46
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1799	426	178	41.8	5131	1879
	कुल (अखिल भारतीय)	36022	10884	3226	29.6	90205	42196

[हिन्दी]

बैंक घोटाले और जालसाजी

2959. **श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:**
श्री राम टहल चौधरी:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बैंक घोटालों और धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार ने बैंकों में घोटालों/धोखाधड़ी के लिए बैंक कर्मियों/अधिकारियों की भूमिका की जांच की है और उन्हें दोषी पाया है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी पद-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा बैंक धोखाधड़ी में शामिल कर्मियों/अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और उसके परिणाम रहे है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (घ) बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं के विवरणों के संबंध में यह बताया जाता है कि आर.बी.आई. को सूचित धोखाधड़ी के आंकड़े सूचना दिये जाने तथा न कि धोखाधड़ी होने वाले वर्ष अथवा ऋण की स्वीकृति, वचन पत्र (एल.ओ.यू.) इत्यादि के वर्ष के अनुसार हैं जो कि पूर्व की अवधि के भी हो सकते हैं। परिणामस्वारूप इस आंकड़े से बैंकिंग धोखाधड़ियों में वर्षवार वृद्धि का निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। तथापि, एक लाख रुपये तथा उससे अधिक अंतर्ग्रस्त राशियों वाली धोखाधड़ियों के संबंध में बैंकों द्वारा सूचित किये गये वर्ष के अनुसार आर.बी.आई. का आंकड़ा संलग्न विवरण-I दिया गया है।

बैंकों में धोखाधड़ियों के कारणों के संबंध में धोखाधड़ियों पर आर.बी.आई. मास्टर परिपत्र में धूर्त उधारकर्ताओं द्वारा विभिन्न तरीकों से की गई धोखाधड़ियों में अन्य बातों के साथ-साथ. लिखतों को धोखाधड़ी पूर्ण रूप से भुनाना, बंधक और गिरवी रखे गये स्टाक का धोखाधड़ी पूर्ण निपटान, निधियों का विपथन, आपराधिक लापरवाही और उधारकर्ताओं की ओर से दुभार्वनापूर्ण प्रबंधकीय असफलता शामिल हैं। मास्टर परिपत्र में कुछ अन्य तरीकों का भी हवाला दिया गया है, जिसमें जाली लिखते, फेर बदल वाली खाता बहिया, जाली खाते, आपराधिक ऋण सुविधाएं धोखाधड़ी पूर्ण विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन, "बहु बैंकिंग सुविधा" का दुरुपयोग और ऋण स्वीकृति/संवितरण की भूमिका वाले तृतीय पक्षकारों की ओर से त्रुटियां शामिल हैं।

बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों में उत्तरदायी बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों की भूमिका तथा उनकी जवाबदेही और बैंक धोखाधड़ियों में यथासंलिप्त पहचाने गये कार्मिकों के विरूद्ध की गई कार्रवाही के संबंध में पी.एस.बी. से यथा प्राप्त जानकारी के अनुसार, पी.एस.बी. से यथा प्राप्त जानकारी के अनुसार, पी.एस.बी. दोषी कार्मिकों के विरूद्ध सम्यक प्रक्रिया के उपरांत शास्ति लगाते हैं जिनमें सेवा में बर्खास्तगी/हटाना/अनिवार्य सेवानिवृत्ति इत्यादि शामिल हैं तथा इसके अतिरिक्त, जहां धोखाधड़ी पाई जाती है, पुलिस अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों में शिकायत दर्ज की जाती है। पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान पी.एस.बी. ने धोखाधड़ी मामलों में पी.एस.बी. द्वारा यथासूचित स्टाफ जवाबदेही के बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया हैं।

बैंकों में धोखाधड़ियों की घटना की प्रतिक्रिया के संबंध में सरकार तथा आर.बी.आई. ने बैंकों के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन ढ़ांचे को सुदृढ़ बनाने तथा बैंकिंग धोखाधड़ियों पर उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कई कदम उठाये हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) आर.बी.आई ने धोखाधड़ियां-वर्गीकरण और सूचित करना पर मास्टर निदेश जारी किये हैं जिनमें बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक अवसीमा राशि से अधिक की धोखाधड़ियां की सूचना पुलिस को दें, विशेष समिति द्वारा मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करें, बैंक बोर्डों की लेखापरीक्षा समितियों के समक्ष सूचना को त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करें, तथा बैंकों द्वारा धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा की जाये। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ रोकथामी उपाय, धोखाधड़ी पहचान प्रणालियां, प्रणालीगत खामियां, उपचारी कार्रवाई, जांच और वसूली की प्रगति की निगरानी तथा स्टाफ जवाबदेही कवार होती हैं।

(2) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) को "बढ़े मूल्य वर्ग की बैंक धोखाधड़ियों की समय से पहचान, सूचना देना, जांच इत्यादि से संबंधित ढ़ांचा" जारी किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि-

(i) 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी खाते, यदि अनुपयोज्य आसितयों (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत होते हैं तो, बैंकों द्वारा उनकी धोखाधड़ी दृष्टिकोण से जांच की जाये एवं इस जांच के निष्कर्षों पर रिपोर्ट को एन.पी.ए. की समीक्षा हेतु बैंक की समिति के समक्ष रखा जाये;

(ii) आर.बी.आई. को धोखाधड़ी के बारे में तत्काल सूचित करने के उपरांत इरादतन चूक के लिए जांच प्रारंभ की जाये; तथा

(iii) यदि खाता एन.पी.ए. बन जाता है तो केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों से उधारकर्ता पर रिपोर्ट मंगाई जाये।

(3) भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर भारतीय विधि प्रक्रिया से बचने के लिए आर्थिक अपराधियों को रोकने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम, 2018 को अधिनियमित किया गया है। इसमें भगौड़ा आर्थिक अपराधी की संपत्ति की कुर्की, ऐसे अपराधी की संपत्ति को जब्त करने तथा अपराधी की किसी सिविल दावे की पैरवी करने के हक को वंचित करने की व्यवस्था है।

(4) आर.बी.आई. द्वारा बैंकों तथा चुनिन्दा वित्तीय संस्थाओं द्वारा दायर किये गये धोखाधड़ी निगरानी विवरणियों पर आधारित केन्द्रीय धोखाधड़ी रजिस्टरी (सी.एफ.आर.) की स्थापना की गई है जिसका बैंकों द्वारा एक सर्चेबल ऑनलाइन केन्द्रीयकृत डाटा बेस के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

(5) लेखापरीक्षा मानकों के प्रवर्तन तथा लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में राष्ट्रीय वित्तीय रिर्पोटिंग प्राधिकरण की स्थापना की है।

(6) धोखाधड़ी जोखिम के प्रबंधन तथा बैंकों के ध्यान को ऋण धोखाधड़ियों की शीघ्र पहचान, आर.बी.आई. तथा जांच एजेंसियों को तत्परता से सूचित करने और स्टाफ जवाबदेही कार्यवाहियों को समय से प्रारंभ करने हेतु केन्द्रित करने के लिए 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक की ऋण धोखाधड़ियों से निपटने हेतु आर.बी.आई. ने ऋण धोखाधड़ियों

तथा रेड फ्लेग खातों (आर.एफ.ए.) से निपटने बैंक की ओर से अपेक्षित कार्रवाईयों के लिए समय सीमा सहित एक ढांचा जारी किया है जिसमें बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे जानकारी में आये शीघ्र चेतावनी संकेतों को देखने/मूल्यांकन करने के आधार पर संभावित धोखाधड़ी खातों को आर.एफ.ए. के रूप में वर्गीकृत करें। रेड फ्लैगिंग एक सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर की जाती है जहां पर सभी बैंक कंपनियों। व्यक्तियों को बड़े एक्सपोजरों की सूचना देते हैं ताकि अन्य बैंकों को धोखाधड़ी जोखिम के बारे में पूर्व में चेतावनी दी जा सके।

(7) आर.बी.आई. ने फरवरी, 2018 में सभी बैंकों को कोर बैंकिंग समाधान/प्रलेखाकरण प्रणाली तथा स्विफ्ट संदेश प्रणाली के बीच स्ट्रेट-थ्रू प्रक्रिया, स्विफ्ट में समय आधारित प्रतिबंध सक्षम बनाना, नियमित अंतरालों पर लाग्स की समीक्षा, पुनिर्मिलान करना, इत्यादि जैसे सुरक्षा और परिचालनात्मक नियंत्रणों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है।

(8) आर.बी.आई. ने बैंकों को अनुदेश दिया है कि वे त्रटिपूर्ण तृतीय पक्षकार सेवाएं (जैसे कि विधिक जांच रिपोर्टे, संपत्ति मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्टे इत्यादि) तथा ऐसे प्रदाताओं की धोखाधड़ीकर्ताओं के साथ मिली भगत के विरूद्ध अप्रभावी कार्रवाई की सूचना भारतीय बैंक परिसंघ, जो कि ऐसे सेवा प्रदाताओं के विरूद्ध चेतावनी सूची बनाता है, को सूचित करें।

(9) अनुदेश/चेतावनियां जारी की गई है-

(i) सरकार द्वारा पी.एस.बी. को आर.बी.आई. के अनुदेशों और उनकी बैंक अनुमोदित नीति के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं की तस्वीरें प्रकाशित करने पर निर्णय लेने हेतु,

(ii) सरकार द्वारा पी.एस.बी. को 50 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की ऋण सुविधाएं प्राप्त करने वाली कंपनियों के प्रवर्तकों/निदेशकों तथा अन्य प्राधिकृत हस्तारक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु,

(iii) आर.बी.आई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ए.टी.एम./डेबिड/क्रेडिट कार्डों की स्किमिंग की रोकथाम के लिए आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु,

(iv) आर.बी.आई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को बड़े मूल्य वर्ग के ऋण खातों के संबंध में मालिकाना दस्तावेजों की विधिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु, तथा

(v) आर.बी.आई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अधिकारियों/कर्मचारियों के रोटेशनल ट्रांसफर को कड़ाई से सुनिश्चित करने हेतु।

विवरण-I

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा सूचित धोखाधड़ियां जिनमें अंतग्रस्त राशि एक लाख रूपये या उससे अधिक है

वित्तीय वर्ष	सूचित धोखाधड़ियों की संख्या**	
	एससीबी	पीएसबी
2015-16	4,693	2,789
2916-17	5,076	2,718
2017-18	5,917	2,885

**आरबीआई को सूचित धोखाधड़ी के आंकड़े सूचना दिए जाने तथा न कि धोखाधड़ी होने वाले वर्ष अथवा ऋण की स्वीकृति, वचन पत्र (एलओयू) इत्यादि के वर्ष के अनुसार हैं जो कि पूर्व की अवधि के भी हो सकते हैं। परिणामस्वरूप इस आंकड़े से बैंकिंग धोखाधड़ियों में वर्षवार वृद्धि का निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। तथापि, एक लाख रूपये तथा उससे अधिक अंतग्रस्त राशियों वाली धोखाधड़ियों के संबंध में बैंकों द्वारा सूचित किए गए वर्ष के अनुसार आरबीआई का आंकड़ा दिया गया है।

स्त्रोत : आरबीआई

विवरण-II

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी मामलों में स्टाफ जवाबदेही का विवरण

बैंक	वित्तीय वर्ष 2015-16		वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2017-18	
	वर्ष के दौरान बैंक द्वारा सूचित धोखाधड़ियों की संख्या	बैंक द्वारा उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	वर्ष के दौरान बैंक द्वारा सूचित धोखाधड़ियों की संख्या	बैंक द्वारा उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या	वर्ष के दौरान बैंक द्वारा सूचित धोखाधड़ियों की संख्या	बैंक द्वारा उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या
इलाहाबाद बैंक	27	70	63	177	44	60
आंध्रा बैंक	49	105	66	129	54	67
बैंक आफ बड़ौदा	286	106	240	121	178	108
बैंक ऑफ इंडिया	168	140	176	79	170	36
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	49	76	80	88	62	46
केनरा बैंक	99	295	121	317	111	289
सेंट्रल बैंक ऑफ	118	111	115	61	96	39
कॉर्पोरेशन बैंक	199	256	166	105	99	131
देना बैंक	22	73	43	111	28	72
आईडीबीआई बैंक	445	61	392	41	964	63
भारतीय बैंक	103	134	133	108	94	112
इंडियन ओवरसीज	119		106	180	74	118
ओरिएंटल बैंक ऑफ	117	130	62	72	274	47
पंजाब एंड सिंध बैंक	12	22	16	39	23	45
पंजाब नेशनल बैंक	212	342	185	445	213	436
सिंडीकेट बैंक	299	694	191	358	187	197
यूको बैंक	55	15	58	32	74	54
यूनियन बैंक ऑफ	165	169	127	94	128	44
यूनाइटेड बैंक ऑफ	171	93	35	68	81	135
विजय बैंक	21	40	61	129	19	2
भारतीय स्टेट बैंक	1,180	199	1,119	178	1,789	172

स्त्रोत : पीएसबी

[अनुवाद]

कृषि ऋण माफी योजना

2960. **श्री आर.पी. मरुदराजा:**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्रीमती नीलम सोनकर:
श्री पी.के. बिजू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान किसानों को कितना कृषि ऋण प्रदान किया गया है और किसानों पर ऋण की राज्य-वार/वर्ष-वार/बैंक-वार कितनी राशि बकाया है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आत्महत्या करने वाले किसानों की वर्ष-वार/राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने देश में किसानों के ऋण को माफ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितना ऋण माफ किया गया है और देश में इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) देश के उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें किसानों के लिए ऋण-माफी की घोषणा की गई है और क्या उन राज्यों में किसानों के ऋण-माफी की घोषणा की गई है और क्या उन राज्यों में किसानों के ऋण को पूरी तरह माफ कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऋण को माफ किए जाने के पश्चात् बैंकों को किसानों द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान राज्य सरकारों अथवा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किसानों हेतु माफ किए गए कृषि ऋण में बैंकों की क्या भूमिका है: और

(च) क्या ऋण माफी की उक्त घोषणाओं को पूरा करने और इनकी निगरानी करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सूचित किए गए अनुसार विगत पांच वर्ष के दौरान बकाया कृषि ऋण से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (च) गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) आत्महत्याओं के संबंध में सूचना संकलित करता है और 'भारत में दुर्घटना से होने वाली मृत्यु और आत्महत्या (ए.डी.एस.आई.)' नामक अपने प्रकाशन में प्रदर्शित करता है। एन.बी.आर.बी. ने कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग को वर्ष 2016 के लिए आत्महत्याओं से संबंधित आंकड़े (अनंतिम) उपलब्ध कराए हैं। वर्ष 2014, 2015, 2016 (अनंतिम) के लिए ए.डी.एस.आई. रिपोर्टों के अनुसार, किसानों और कृषि मजदूरों द्वारा 'दिवालियापन अथवा ऋणग्रस्तता' सहित अन्य कारणों से की गयी आत्महत्याओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, वर्ष 2014 से विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी योजनाओं की घोषणा की है जिनमें, अन्य बातों के साथ, किसानों के ऋण माफी के लिए हैं। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को ऋण माफी हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गयी है।

बैंक संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण माफी योजनाएं लागू करते हैं।

नाबार्ड द्वारा सूचित किए गए अनुसार ऋण माफी की घोषणा के पश्चात् संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से बैंकों द्वारा प्राप्त क्षतिपूर्ति से संबंधित विवरण केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखते जाते हैं।

विवरण-I

विगत पांच वर्ष के दौरान बकाया कृषि ऋण सामान्य ऋण (राशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिल्ली	14,13,276.73	13,81,642.31	1,61,697.40	13,13,761.49	10,78,852.21

1	2	3	4	5	6	7
2.	हरियाणा	41,81,404.36	45,31,368.63	53,31,688.56	56,47,357.19	61,33,877.22
3.	हिमाचल प्रदेश	5,81,573.54	6,84,266.45	6,90,160.55	7,33,661.44	7,78,070.08
4.	जम्मू और कश्मीर	4,72,880.60	1,26,126.66	6,47,267.96	6,62,285.74	6,99,402.26
5.	पंजाब	57,89,261.21	69,44,975.08	79,88,127.64	83,76,990.52	86,05,138.81
6.	राजस्थान	59,32,506.56	72,69,656.84	79,17,531.51	91,43,184.25	100,13,960.96
7.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	1,97,842.90	1,67,665.62	2,40,969.91	2,49,366.04	2,25,168.13
8.	अरुणाचल प्रदेश	13,794.61	16,169.57	17,528.12	26,560.25	28,705.39
9.	असम	6,49,388.06	6,36,412.63	8,43,078.16	10,86,065.01	12,02,433.52
10.	मणिपुर	37,546.52	25,966.95	32,410.09	43,203.60	62,939.50
11.	मेघालय	58,502.20	56,795.17	67,185.37	83,091.65	76,288.55
12.	मिजोरम	27,793.78	33,657.47	29,498.85	32,571.18	50,569.70
13.	नागालैंड	24,043.09	28,223.85	38,571.27	38,736.30	46,832.76
14.	सिक्किम	9,781.67	11,708.02	16,486.97	19,300.12	22,281.15
15.	त्रिपुरा	1,22,334.47	1,27,038.67	1,40,082.58	2,35,663.70	3,37,805.54
16.	अंडमान और निकोबार द्वीप	16,964.34	12,991.71	30,295.82	14,797.63	14,710.40
17.	बिहार	26,78,689.43	41,48,351.00	31,37,017.09	34,89,403.00	39,29,116.22
18.	झारखंड	5,07,378.43	5,95,777.45	7,32,952.19	7,30,658.43	7,85,050.79
19.	ओडिशा	18,47,733.97	20,39,823.74	23,80,299.26	26,85,322.99	28,59,359.34
20.	पश्चिम बंगाल	27,35,205.93	31,30,319.87	40,89,135.73	38,46,261.43	43,89,006.00
21.	छत्तीसगढ़	8,33,386.48	10,35,671.97	11,35,537.55	12,52,886.77	13,89,910.19
22.	मध्य प्रदेश	51,99,579.66	63,41,638.12	66,59,013.28	73,71,362.63	82,89,880.91
23.	उत्तराखंड	19,60,997.43	7,70,442.33	8,83,236.73	9,22,090.57	36,37,995.33
24.	उत्तर प्रदेश	90,46,031.10	116,85,447.73	124,80,062.22	205,30,099.54	114,27,537.78
25.	गोवा	95,794.73	98,179.39	90,363.36	1,53,598.79	1,64,889.03
26.	गुजरात	43,35,568.27	52,99,292.19	61,62,672.47	70,57,541.94	76,61,026.70
27.	महाराष्ट्र	108,26,757.11	189,11,735.83	163,44,663.81	169,14,930.65	161,16,901.73
28.	दादरा और नागर हवेली	3,478.20	5,218.22	6,104.37	5,834.62	5,197.03
29.	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	1,257.07	3,391.04	2,009.92	2,007.56	4,455.21
30.	आंध्र प्रदेश	119,79,715.39	97,33,577.79	101,86,047.56	111,32,260.73	115,66,191.91
31.	तेलंगाना	12,88,003.99	41,60,340.77	50,14,660.79	62,25,752.27	61,53,067.28
32.	कर्नाटक	70,21,859.08	92,34,472.66	127,37,867.30	122,14,101.39	124,96,607.36

1	2	3	4	5	6	7
33.	केरल	52,98,627.23	63,87,201.59	60,60,363.93	69,21,243.13	76,51,249.57
34.	पुदुचेरी	1,53,958.93	1,70,430.83	1,90,200.55	2,24,220.60	2,42,711.90
35.	तमिलनाडु	110,73,589.37	126,03,878.38	134,25,780.28	142,93,141.68	171,68,887.83
36.	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	657.14	1,72,712.41	3,876.05	633.16	1,772.17
	कुल	964,17,163.57	1185,82,568.93	1259,14,445.20	1436,79,947.99	1453,17,851.47

स्त्रोत : नाबार्ड

विवरण-II

फार्मिंग/कृषि में स्वनियोजित व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014			2015		
	किसान	श्रमिक	कुल	किसान	श्रमिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	160	472	632	516	400	916
अरुणाचल प्रदेश	0	3	3	7	3	10
असम	21	38	59	84	54	138
बिहार	0	10	10	0	7	7
छत्तीसगढ़	443	312	755	854	100	954
गोवा	0	0	0	0	0	0
गुजरात	45	555	600	57	244	301
हरियाणा	14	105	119	28	134	162
हिमाचल प्रदेश	32	31	63	0	46	46
जम्मू और कश्मीर	12	25	37	0	21	21
झारखंड	0	4	4	0	21	21
कर्नाटक	321	447	763	1197	372	1569
केरल	107	700	807	3	207	210
मध्य प्रदेश	826	372	1198	581	709	1290
महाराष्ट्र	2568	1436	4004	3030	1261	4291
मणिपुर	0	0	0	1	0	1
मेघालय	0	2	2	2	1	3
मिजोरम	0	5	5	0	1	1
नागालैंड	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
ओडिशा	5	97	102	23	27	50
पंजाब	24	40	64	100	24	124
राजस्थान	0	373	373	3	73	76
सिक्किम	35	0	35	15	3	18
तमिलनाडु	68	827	895	2	604	606
तेलंगाना	898	449	1347	1358	42	1400
त्रिपुरा	0	32	32	1	48	49
उत्तर प्रदेश	63	129	192	145	179	324
उत्तराखंड	0	0	0	0	2	2
पश्चिम बंगाल	0	230	230	0	0	0
कुल राज्य	5642	6694	12336	8007	4583	12590
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	0	8	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
पुडुचेरी	0	15	15	0	12	12
कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	8	16	24	0	12	12
कुल (अखिल भारत)	5650	6710	12360	8007	4595	12602

वर्ष 2016 के दौरान कृषि क्षेत्र के लोगों द्वारा की गई आत्महत्या की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या (अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि मजदूर	किसान/ खेतीहर	कृषि क्षेत्र में आत्महत्या (कुल)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	565	239	804
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	6	6
3.	असम	64	06	70
4.	बिहार	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	97	585	683
6.	गोवा	1	0	1
7.	गुजरात	378	30	408
8.	हरियाणा	159	91	250
9.	हिमाचल प्रदेश	14	0	14
10.	जम्मू और कश्मीर	21	0	21
11.	झारखंड	0	3	3

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	867	1212	2079
13.	केरल	298	23	321
14.	मध्य प्रदेश	722	599	1321
15.	महाराष्ट्र	1111	2550	3661
16.	मणिपुर	0	1	1
17.	मेघालय	3	2	5
18.	मिजोरम	7	0	7
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	ओडिशा	101	20	121
21.	पंजाब	49	222	271
22.	राजस्थान	39	4	43
23.	सिक्किम	2	12	14
24.	तमिलनाडु	345	36	381
25.	तेलंगाना	13	632	645
26.	त्रिपुरा	18	4	22
27.	उत्तर प्रदेश	115	69	184
28.	उत्तराखंड	3	0	3
29.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	3	3
31.	चंडीगढ़	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
33.	दमन और द्वीव	0	0	0
34.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0
36.	पुदुचेरी	27	2	29
	कुल (अखिल भारत)	5019	6351	11370

स्त्रोत : एनसीआरबी

एन.एच.एम. और एन.आर.एच.एम.

2961. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री लल्लू सिंह:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री अरविंद सावंत
श्री अजय निषाद:
श्री धनंजय महाडीक:
श्री अभिजित मुखर्जी:
श्री पी.आर. सुन्दरम:
डॉ. जे. जयवर्धन:
श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)/ राष्ट्रीय मिशन (एन.एच.एम.) का ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने एन.आर.एच.एम/एन.एच.एम. शुरू करने के पश्चात् सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना प्रदान करने में हुई प्रगति का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को देश में विभिन्न भागों में एन.आर.एच.एम/एन.एच.एम. के कार्यान्वयन के संबंध में कोई शिकयतें प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों की एजेंसियों द्वारा एन.आर.एच.एम/एन.एच.एम. के अन्तर्गत औषधियों की खरीद और वितरण में फर्जी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है: और

(च) ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) में इसके दो उप-मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिश (एन.यू.एच.एम.) शामिल हैं। एन.एच.एम. में उचित, किफायती

और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच की उपलब्धि की परिकल्पना की गई है जो लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी और प्रतिक्रियाशील है। एन.एच.एम. के तहत, पाँच महत्वपूर्ण कार्यात्मक घटकों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग प्रदान किया जाता है:

- स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना जिसमें अवसंरचना, मानव संसाधन, औषधी एवं उपकरण, एम्बुलेंस एम.एम.यू. आशा कर्मी आदि शामिल हैं।
- प्रजननीय, मातृत्व, नवजात, बाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य सेवाएं (आर.एम.एन.सी.एच.+ए.)
- संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम
- जिला अस्पताल स्तर तक गैर-संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप
- ए.एन.एम. और एल.एच.वी. आदि के वेतन में सहयोग हेतु अवसंरचना अनुरक्षण।

एन.एच.एम. के उद्देश्यों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नवत है:

- बाल एवं मातृ मृत्यु संख्या में कमी करना।
- स्थानीय स्थानिक रोगों सहित संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण।
- एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुँच।
- जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंग और जनसांख्यिकीय सन्तुलन।
- स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं और मैन्स्ट्रीम आयुष को और मजबूत बनाना।
- खाद्य एवं पोषण, सफाई एवं स्वच्छता के लिए सार्वजनिक सेवाओं हेतु सार्वभौमिक पहुँच और महिला एवं बाल स्वास्थ्य तथा सार्वभौमिक प्रतिरक्षण संबंधी सेवाओं पर बल देते हुए जन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच।
- स्वस्थ जीवन पद्धति की प्रोत्साहन देना।

(ख) देश ने एम.एम.आर. की कमी के मिलिनियम विकास लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है और एच.आई.बी./एड्स, मलेरिया तथा अन्य रोगों का सामना कर रहा है तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी की एम.जी.डी. का लगभग प्राप्त कर लिया है (एम.डी.जी. के तहत 42 के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2915 में यह संख्या घटकर 43 हो गई जो वर्ष 1990 में 126 थी) क्रियान्वयन के लिए एन.एच.एम. फ्रेमवर्क के मुख्य और उपलब्धियों (वर्ष 2012-2017) का ब्यौरा का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) स्वास्थ्य के राज्य का विषय होने के चलते जल स्वास्थ्य अवसंरचना का मूल्यांकन राज्यों द्वारा किया जाता है। राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं (पी.आई.पी.) के जरिए, एन.एच.एम. के जन स्वास्थ्य अवसंरचना के नए निर्माताओं और नवीकरण/संवर्धन को सहयोग प्रदान किया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य के राज्य का विषय होने के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) का क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। इसलिए जब एन.एच.एम./एन.आर.एच.एम. के क्रियान्वयन के संबंध में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन्हें जांच और उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य को अग्रेषित कर दिया जाता है। दवाईयों की खरीद में पारदर्शिता को सुविधाजनक बनाने और राज्यों में दवाइयों के स्टॉक आऊट/अपव्यय को रोकने के लिए, एन.एच.एम. के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संसाधन एनवलप के भीतर उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पी.आई.पी.) में उनमें प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आई.टी. समर्पित औषधी वितरण प्रणाली, शिकायत समाधान तंत्र और प्रिस्क्रिपशन ऑडिट की स्थापना के लिए तकनीकि और वित्तीय सहयासेग प्रदान किया जाता है।

(च) सार्वभौमिक स्वास्थ्य परिचर्या की प्राप्ति और आऊट-ऑफ पॉकेट प्राइवेट (ओ.ओ.पी.ई.) व्यय को कम करने के लिए केन्द्र सरकार एन.एच.एम. के तहत मातृत्व स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक, प्रतिरक्षण कार्यक्रम जैसी सेवाओं और क्षय रोग, एच.आईवी./एड्स जैसे बड़े रोगों एवं मलेरिया, डेंगू एवं काला-बाजार, कुष्ठरोग आदि जैसे वेक्टर जनित रोगों की निःशुल्क मेजबानी के प्रावधान हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग प्रदान कर रही है। अन्य पुरूष पहले जिनके लिए राज्यों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है, उनमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.), राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के.), एन.एच.एम. का क्रियान्वयन, निःशुल्क औषधी एवं निःशुल्क नैदानिक सेवा पहल, पी.एम. राष्ट्रीय डायलासिस कार्यक्रम और राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन शामिल है।

आयुष्मान भारत के भाग के रूप में, सरकार व्यापक प्राथमिक परिचर्या की व्यवस्था के लिए उप-केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के रूप में सुदृढ़ बनाने के लिए सहयोग प्रदान कर रही है। जिसमें परिचर्या दृष्टिकोण को सातत्य के साथ सामुदायिक स्तर पर रोकथाम तथा स्वास्थ्य संवर्धन शामिल है।

विवरण-I

क्रियान्वयन हेतु एन.एच.एम. फ्रेमवर्क के अनुसार मुख्य लक्ष्यों और उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	लक्ष्य (2012-17)	उपलब्धियां
1.	आई.एम.आर. को घटाकर 25/1000 जीवित जन्म करना	वर्ष 2016 में आई.एम.आर. झाटकर 34 हो गई है (एस.आर.एस.)। वर्ष 1990-2016 के दौरान भारत में शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) 61 प्रतिशत गिर गई थी जबकि समान अवधि के दौरान वैश्विक गिरावट 52 प्रतिशत हुई।
2.	एम.एम.आर. को घटाकर100/1,00,000 जीवित जन्म करना	भारत ने वर्ष 2015 तक 139प्रति लाख जीवित जन्म के मातृत्व मृत्यु औसत के मिलिनियम विकास लक्ष्यों (एम..डी.जी.) को प्राप्त कर लिया है।
3.	टी.एफ.आर. को घटाकर 2.1 करना	वर्ष 2016 में टी.एफ.आर. घटकर 2.3 हो गई है (एस.आर.एस.)। वर्ष 1990-2016 के दौरान भारत में टी.एफ.आर. में 43 प्रतिशत की गिरावट हुई जबकि समान अवधि के दौरान वैश्विक गिरावट 27 प्रतिशत थी। 24 राज्यों ने 2.1 अथवा कम के टी.एफ.आर. प्रतिस्थापना स्तर को प्राप्त कर लिया है।
4.	वार्षिक व्यापकता और क्षय रोग से मृत्युओं की संख्या को घटाकर आधी करना	वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में क्षय रोग की व्यापकता और मृत्यु संख्या घटकर आधी हो गई है। वर्ष 2017 में मामलों की संख्या घटकर 204/लाख हो गई है जो वर्ष 1990 में 300/लाख थी। वर्ष 2017 में मृत्यु संख्या घटकर 31/लाख हो गई है जो वर्ष 1996 में 76/लाख थी। आंकड़ों का स्रोत : डब्ल्यू.एच.ओ. ग्लोबल टी.बी. रिपोर्ट, 2017
5.	सभी जिलों में कुष्ठ रोग की व्यापकता की दर को घटाकर to<1/10000 जनसंख्या करना	दिनांक 31 मार्च, 2018 की 571 जिलों में कुष्ठ रोग की व्यापकता की दर घटकर 1/10000 जनसंख्या से भी कम हो गई है।
6.	मलेरिया के वार्षिक मामलों को <1/1000 करना	वर्ष 2018 में मलेरिया के वार्षिक मामले 0.17 है।
7.	सभी जिलों में माइक्रो फिलेरिया की व्यापकता को 1 प्रतिशत से कम करना	वर्ष 2018 की रिपोर्टों के अनुसार 256 स्थानिक जिलों में से, 99 जिलों ने 1 प्रतिशत से कम एम.एफ. दर की रिपोर्ट दी है।
8.	वर्ष 2015 तक काला-आजार का उन्मूलन, सभी ब्लॉकों में प्रति 10000<01 से कम मामले	वर्ष 2018 तक 633 स्थानिक ब्लॉकों में से, 48 ने उन्मूलन को प्राप्त कर लिया है।

विवरण-II

एनएचएम के तहत स्वास्थ्य अवसंरचना

सुविधा केन्द्र	नया विनिर्माण		नवीकरण/उन्नयन	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
एससी	26953	20610	15751	14385
पीएचसी	2518	2037	11983	11117
सीएचसी	555	346	6162	5264
एसडीएच	166	123	1048	938
डीएच	139	97	2726	2195
कुल	30331	23213	37670	33899

स्त्रोत : जून, 2018 की स्थितिनुसार एनएचएम-एमआईएस रिपोर्ट

[हिन्दी]

विषरोधी इंजेक्शन

2962. श्री जुगल किशोर:
श्रीमती रीती पाठक:
श्रीमती सावित्री ठाकुर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्प विषरोधी इंजेक्शन/टीके प्रदान करने के लिए कोई नीति/योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सर्प विषरोधी इंजेक्शन और रेबीजरोधी इंजेक्शन की अनुपलब्धता के कारण देश भर में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी मौतें दर्ज की गई हैं; और

(घ) उक्त स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) से (घ) जी नहीं। स्वास्थ्य केंद्रों तथा ग्रामीण अस्पतालों में एंटी-वेनम इंजेक्शनों की आपूर्ति हेतु अलग से कोई नीति/योजना नहीं है। फिर भी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य की आवश्यक औषधियों की सूची में एंटी स्नेक वेनम सीरम (ए.एस.वी.एस.) तथा टिशू कल्चर एंटी रेबीज वैक्सीन (टी.सी.ए.आर.वी.) को शामिल करने, जरुतमंद लोगों के उपयोग हेतु स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आपूर्ति हेतु इन औषधियों की स्थानीय रूप से खरीद करने तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध निधियों से व्यय को आरक्षित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश जारी किए हैं।

रेबीज वायरस से संक्रमित पशुओं (कुत्तों, बिल्लियों, बन्दरों, नेवला इत्यादि) के काटने से रेबीज मनुष्यों में संचारित होता है। रेबीज के कारण होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए भारत सरकार देश में राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार है:

(i) रेबीज के कारण होने वाली मानव मौतों को रोकना।

(ii) कुत्तों की आबादी में रेबीज वायरस के संचरण को रोकना।

(iii) कुत्तों का सामूहिक टीकाकरण।

(iv) कुत्तों की आबादी का प्रबंधन।

(v) निगरानी एवं प्रतिक्रिया का सुदृढ़ीकरण।

मानव रेबीज के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए जो कार्य योजना अपनाई गई है, उसके तहत सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के सभी मुख्य एंटी-रेबीज क्लीनिकों में श्रेणी-II और श्रेणी-III के अंश के उपचार हेतु एंटी-रेबीज टीकों के लिए बहुत ही किफायती इंट्रा-डर्मल (आई.डी.) टीका विधि तथा श्रेणी-III के सभी देशों में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन प्रतिरक्षण को कार्यान्वित किया जाता है।

पशु देश प्रबंधन और एंटी-रेबीज टीकाकरण की आई.डी. विधि, पशुओं के काटने पर क्या करें और क्या न करें, के बारे में जन जागरूकता हेतु आई.ई.सी. क्रियाकलापों, मानव रेबीज, की निगरानी के सुदृढ़ीकरण. तथा रेबीज के लिए प्रयोगशाला नैदानिकों के सुदृढ़ीकरण के संबंध में स्वास्थ्य व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए राज्यों को कहा गया है।

एंटी-वेनम और एंटी-रेबीज, इंजेक्शनों की अनुपलब्धता के कारण होने वाली मौतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में

सांप के काटने और रेबीज के कारण होने वाली मौतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण-I और II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2015-2017 के दौरान संसूचित सांप के काटने से हुई मौतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2015	2016	2017 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	46	28	84
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	21	11	14
5.	छत्तीसगढ़	32	60	52
6.	गोवा	0	1	8
7.	गुजरात	78	72	49
8.	हरियाणा	8	4	6
9.	हिमाचल प्रदेश	25	23	9
10.	जम्मू और कश्मीर	2	0	1
11.	झारखंड	4	15	0
12.	कर्नाटक	53	46	29
13.	केरल	18	12	11
14.	मध्य प्रदेश	114	113	95
15.	महाराष्ट्र	37	67	32
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	1	0	2
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	ओडिशा	261	120	83
21.	पंजाब	11	8	3
22.	राजस्थान	58	32	44
23.	सिक्किम	0	2	0
24.	तमिलनाडु	74	44	37
25.	तेलंगाना	53	96	2
26.	त्रिपुरा	0	1	1
27.	उत्तराखंड	1	3	0
28.	उत्तर प्रदेश	78	118	125
29.	पश्चिम बंगाल	171	138	235
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12	0	1
31.	चंडीगढ़	16	36	9
32.	दादरा और नगर हवेली	3	9	7
33.	दमन और दीव	1	0	0
34.	दिल्ली	6	4	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0
36.	पुदुचेरी	35	5	9
	कुल	1219	1068	948

विवरण-II

वर्ष 2015-2017 के दौरान संसूचित रेबीज के कारण हुई मौतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2015	2016	2017 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	0	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	1	4	2
5.	छत्तीसगढ़	3	0	1
6.	गोवा	0	0	1
7.	गुजरात	8	6	0
8.	हरियाणा	0	0	1
9.	हिमाचल प्रदेश	2	0	2
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0

1	2	3	4	5
11.	झारखंड	0	1	8
12.	कर्नाटक	9	22	15
13.	केरल	7	2	3
14.	मध्य प्रदेश	11	0	4
15.	महाराष्ट्र	0	1	9
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	1	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	ओडिशा	6	3	2
21.	पंजाब	0	0	0
22.	राजस्थान	1	0	0
23.	सिक्किम	3	0	0
24.	तमिलनाडु	1	1	3
25.	तेलंगाना	0	0	0
26.	त्रिपुरा	0	3	3
27.	उत्तराखंड	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	47	47	26
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0
34.	दिल्ली	12	3	12
35.	लक्षद्वीप	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल	113	93	97

[अनुवाद]

कुपोषण के कारण बच्चों का अवरुद्ध विकास

2963. **श्री राजेश कुमार दिवाकर:**
श्रीमती मौसम नूर:
श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में शिशु कुपोषण की दर विश्व में सबसे अधिक है और यदि हां, तो इस रिपोर्ट में शामिल तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ग्लोबल न्यूट्रीशन, रिपोर्ट, 2018 और इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि भारत में कम वजन वाले कमजोर/अविकसित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यूनिसेफ के अनुसार, भारतीयों में बड़े पैमाने पर फैली उक्त कमजोरी के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विकास विरूद्ध बच्चों की संख्या को कम करने और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में इस स्थिति का समाधान करने हेतु प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करने के लिए किसी लक्षित योजना का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2018 शीर्षक से एफ.ए.ओ., डब्ल्यू.एच.ओ., यूनिसेफ की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के 38.4 प्रतिशत बच्चे विकास अवरूद्ध हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक नहीं हैं।

(ख) विश्व पोषण रिपोर्ट, 2018 के अनुसार विश्व के विकास अवरूद्ध बच्चों के लगभग एक तिहाई बच्चे भारत में रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कुपोषण के विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले विभिन्न कारण होते हैं, जिनमें जल, स्वच्छता और साफ-सफाई की सुविधाओं की सुविधाओं तक पहुंच, आमदनी, शिक्षा, स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं और अल्प-आहार (शिशुओं के लिए अपर्याप्त स्तनपान सहित) शामिल हैं। अन्य कारणों में महिलाओं की निम्न बी.एम.आई. मातृ

शिक्षा, विवाह के समय आयु, प्रसव पूर्व देखेरेख, बच्चों का आहार, खुले शौच आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और पोषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए राज्यों-संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनेक स्कीमें क्रियान्वित कर रही है। यह मंत्रालय देश में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए प्रत्यक्ष लक्षित उपायों के रूप में कई स्कीमें और कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है, जैसे आंगनवाड़ी सेवा, किशोरियों के लिए स्कीम, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवा स्कीम। सरकार ने पोषण अभियान भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य देश में 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में विकास अवरूद्ध, कम वजन और रक्ताल्पता, 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं में रक्ताल्पता और जन्म के समय कम वजनी बच्चों के मामलों को समयबद्ध तरीके से रोकना और कम करना है।

भारत में तस्करी रिपोर्ट

2964. श्री एस. राजेन्द्रनः
श्री अशोक शंकरराव चव्हाणः
श्री टी. राधाकृष्णनः
श्री एस.आर. विजय कुमारः
कुंवर हरिवंश सिंहः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय (डी.आर.आई.) ने हाल ही में 2017-18 की भारत में तस्करी रिपोर्ट जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 2017-18 वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अनुसार जब्त किए गए सोने में 103 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए सोने की कुल मात्रा/राशि कितनी रही है;

(घ) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और सरकार द्वारा उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ङ) सरकार द्वारा सोने तथा विदेशी मुद्रा और अन्य वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी, हां। राजस्व आसूचना निदेशालय (डी.आर.आई.) ने भारत में तस्करी रिपोर्ट 2017-18 जारी की है। रिपोर्ट में सोना एवं विदेशी मुद्रा, नशीले पदार्थ, प्राचीन वस्तुओं तथा वन्य जीवन जैसे निषिद्ध सामान की जब्ती के ब्यौरे तथा प्रवृत्ति के विश्लेषण शामिल हैं।

(ख) जी हां, 2017-18 में भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त किए गए मामलों की संख्या के अनुसार सोने की तस्करी में 103% की वृद्धि हुई है। आसूचना इंपुट्स के विश्लेषण के अनुसार जब्ती के मामलों में वृद्धि के कारणों में तस्करी के प्रयासों की संख्या में बढ़ोत्तरी (जो मांग में वृद्धि, भारत तथा विदेश में सोने के मूल्य में अंतर इत्यादि के कारण है) और सीमाशुल्क/डी.आर.आई. अधिकारियों के ठोस प्रयास शामिल हैं।

(ग) वर्ष 2017-18 में जब्त किए गए सोने की कुल मात्रा 3223 किलोग्राम है।

(घ) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अपराधों के लिए 960 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अनुसार जब्ती, शुल्क की वसूली, जुर्माना या शास्ति एवं अभियोजन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने जैसी अन्य कार्रवाईयां की जा चुकी हैं।

(ङ) सोने एवं विदेशी मुद्रा की तस्करी के खतरे से निपटने के लिए सचेतक/कार्यविधि संबंधी परिपत्र जारी किए जाते हैं। तस्करी से लड़ने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को भी अत्यंत सतर्क रहने के लिए संवेदनशील बनाया जाता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

2965. श्री टी. राधा कृष्णनः
श्री अशोक शंकरराव चव्हाणः
श्री एस. राजेन्द्रनः
श्री एस.आर. विजय कुमारः
श्री कुंवर हरिवंश सिंहः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एड्स, कैंसर और हेपेटाइटिस जैसे रोगों के उपचार में अन्य देशों से सहयोग के लिए समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार

द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.)/समझौतों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन समझौता ज्ञापनों के माध्यम से देश-वार क्या मौद्रिक और चिकित्सा सहायता दी गई है;

(घ) उक्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की देश में प्राणघातक रोगों की चुनौतियों का किस सीमा तक समाधान करने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा विश्व में घातक रोगों के लिए नवीनतम अनुसंधान/उपचार का लाभ प्राप्त करने और उन्हें रोगियों तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) रोगों के उपचार में सहयोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने अन्य देशों के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, संचारी एवं गैर-संचारी रोगों सहित स्वास्थ्य एवं औषधियों के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए सहयोग हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पचपन (55) अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों (एमओयू)/करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। जिन देशों के साथ समझौता ज्ञापनों/ करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उन देशों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) द्वितीय समझौता ज्ञापनों/करारों में वित्तीय सहायता देने या चिकित्सा सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) और (ङ) समझौता ज्ञापनों/करारों का उद्देश्य समानता, पारस्परिक लाभों के आधार पर स्वास्थ्य परिचर्या, प्रशिक्षण और अनुसंधान में निहित मानव सामग्री एवं अवसंरचना स्रोतों की गुणवत्ता एवं व्याप्ति को उन्नत करने के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के साथ व्यापक अंतर मंत्रालयी एवं अंतर सांस्थानिक सहयोग स्थापित करना है। ये सहयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहलों और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहन देते हैं।

सहयोग के विवरणों पर अधिक प्रकाश डालने और समझौता ज्ञापनों/करारों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए पारस्परिक रूप में यथानिर्णित उपयुक्त समय तक संयुक्त बैठकें आयोजित की जाती हैं। जन स्वास्थ्य चुनौतियों को दूर करने के लिए यह एक-दूसरे से श्रेष्ठ प्रक्रियाओं और शिक्षा को साझा और आदान-प्रदान करने के अवसर देते हैं।

विवरण

उन देशों की सूची जिनके साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने समझौतों/समझौता ज्ञापन (एमओयू)/ सहयोग मापन/सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

क्र.सं	देश का नाम	हस्ताक्षर करने की तिथि
1.	अफगानिस्तान	28-08-2005
2.	ऑस्ट्रेलिया	10-04-2017
3.	ऑस्ट्रिया	17-02-2005
4.	बांग्लादेश	12-02-2013
5.	बहरीन	15-07-2018
6.	ब्राजील	05-05-1998
7.	ब्रुनेई	02-02-2016
8.	बुल्गारिया	28-11-2011
9.	बुरुंदी	18-09-2012
10.	क्यूबा	06-12-2017
11.	साइप्रस	08-10-2002
12.	चीन	03-09-1994
13.	कोलम्बिया	19-01-2010
14.	क्रोएशिया	09-06-2010
15.	मिस्र	18-11-2008
16.	फिजी द्वीप समूह	1-10-2005
17.	जर्मनी	01-06-2017
18.	ईरान	17-02-2018
19.	(क) जापान	01-09-2014
19.	(ख) जापान	29-10-2018
20.	जॉर्डन	01-03-2018
21.	हंगरी	18-01-2008
22.	इंडोनेशिया	11-10-2013
23.	इजराइल	09-09-2003
24.	इटली	29-11-2017
25.	कजाखिस्तान	16-04-2011
26.	कुवैत	23-04-2012

क्र.सं	देश का नाम	हस्ताक्षर करने की तिथि
27.	लातविया	28-02-2012
28.	मालावी	03-11-2010
29.	मालदीव	02-01-2014
30.	मॉरीशस	12-03-2013
31.	मंगोलिया	14-09-2009
32.	मोरक्को	14-12-2017
33.	मोजाम्बिक	22-02-2004
34.	म्यांमार	06-09-2017
35.	नीदरलैंड	30-01-2014
36.	न्यूजीलैंड	26-10-2016
37.	ओमान	11-02-2018
38.	फिलीस्तीन	16-05-2017
39.	पापुआ न्यूगिनी	29-04-2016
40.	फिलीपींस	05-10-2007
41.	पोलैंड	24-04-2009
42.	कतर	05-06-2016
43.	रवांडा	12-11-2010
44.	सऊदी अरब	20-11-2006
45.	सेशेल्स	10-09-2003
46.	स्पेन (डीटीई जीएचएस)	31-05-2017
47.	स्वाजीलैंड	09-04-2018
48.	स्वीडन	24-02-2009
50.	तंजानिया (जंजीबार)	16-12-2002
51.	तिमोर-लेस्ते	07-04-2018
52.	यूनाइटेड किंगडम	19-05-2013
53.	यूएसए	25-06-2015
54.	वियतनाम	03-09-2016
55.	यमन	09-06-2013

[हिन्दी]

थायराइड डिस्फंक्शन

2966. **श्री अर्जुन लाल मीणा:**
श्री कपिल मोरेश्वर पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश विशेषकर दिल्ली में थायराइड डिस्फंक्शन के मामलों में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या सरकार ने थायराइड विकृति को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ग) थायराइड डिस्फंक्शन के मामलों में केंद्रीय स्तर पर सूचना नहीं रखी जाती है तथा इस विषय में सरकार द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) से (ङ) थायराइड में आयोडीन अल्पता विकार सहित अन्य रोगों के स्पेक्ट्रम भी शामिल होते हैं।

आयोडीन अल्पता विकारों के नियंत्रण तथा निवारण हेतु, भारत सरकार द्वारा सबके लिए पूरे देश में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एन.आई.डी.डी.सी.पी.) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिला आई.डी.डी. सर्वेक्षण/पुन:सर्वेक्षण स्वास्थ्य शिक्षा तथा आई.डी.डी. के प्रति जागरुकता लाने हेतु प्रचार-प्रसार, पर्याप्त रूप से आयोडीनयुक्त नमक के उपभोग को प्रोत्साहित करने तथा घरेलू/सामुदायिक स्तर पर नमक परीक्षण किट के माध्यम से आयोडीन की मात्रा की निगरानी हेतु आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत आयोडीनयुक्त नमक की उत्पादन तथा वितरण के स्तर पर जांच की जाती है।

[अनुवाद]

हर्बल गार्डेन

2967. श्री हरि ओम पाण्डेय:
डॉ. रत्ना डे (नाग):
श्री रामसिंह राठवा:
श्री मनोज तिवारी:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली/रा.रा. क्षे., पश्चिम बंगाल सहित देश में किसी एम.एन.सी. के सहयोग से प्रसिद्ध औषधीय प्लांट के साथ हर्बल गार्डेन विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और देश में हर्बल गार्डेन की सूची क्या है;

(ङ) क्या सरकार हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कोई प्रोत्साहन दे रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके लिए सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एन.एम.पी.बी.) आयुष मंत्रालय के पास किसी भी बहु-राष्ट्रीय कम्पनी (एम.एन.सी.) के सहयोग से जड़ी-बूटीय उद्यान विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) वर्तमान में, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एन.एम.पी.बी.) आयुष मंत्रालय, भारत सरकार पूरे देश में "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन की केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम" क्रियान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जड़ी-बूटीय उद्यानों के विकास हेतु विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को परियोजना आधारित सहायता प्रदान करने का प्रावधान है (अर्थात गृह जड़ी-बूटीय उद्यान, स्कूल जड़ी-बूटीय उद्यान, सांस्थानिक/सार्वजनिक जड़ी/बूटीय उद्यान, एवं राज्य और राष्ट्रीय स्तर के जड़ी बूटीय उद्यान)।

तथापि, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की उपर्युक्त उक्त केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के कार्यात्मक दिशा निर्देशों के अनुसार, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों (एम.एन.सी.) के सहयोग से जड़ी-बूटीय उद्यान विकसित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) और (च) जी हाँ। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार अपनी राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) के केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत देशभर में जड़ी बूटियों/औषधीय पादपों की कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

एन.ए.एम स्कीम के अंतर्गत, 'औषधीय पादप' का एक घटक है जिसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तायुक्त पादप सामग्री की आपूर्ति के लिए पौधशालाओं की स्थापना, के माध्यम से पश्चवर्ती संबंधों और फसलोंपरांत प्रबंधन के लिए अग्रवर्ती संबंधों सहित किसानों की भूमि पर जड़ी/बूटीय औषधीय पादपों की कृषि के लिए सहायता करना है। वर्तमान में देशभर में 140 औषधीय पादप प्रजातियों को कृषि सहायता हेतु प्राथमिकता दी गई है जिसके लिए किसानों को कृषि लागत की 30%, 50% और 75% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। एन.ए.एम योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इस घटक के अंतर्गत निधि केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाती है जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र के राज्यों में यह 90:10 के अनुपात में और केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में 100% वित्त पोषित की जाती है। कृषि कार्यक्रम को संबंधित राज्य की चुनिंदा कार्यान्चयन एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है और संबंधित राज्य के लिए वित्तीय सहायता राज्य वार्षिक कार्य योजना के अनुसार प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

पुनर्वास हेतु जी.एस.टी. उपकर

2968. श्री सी.एन. जयदेवन:
श्री एम.बी. राजेश:
श्री एंटों एन्टोनी:
श्री वी. एलुमलाई:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) संबंधी उपकर की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या जी.एस.टी. परिषद ने उक्त निवेदन को स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा यदि हां,तो उपकर से कितनी अनुमानित राशि सृजित होने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो निवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या जी.एस.टी. परिषद् ने प्राकृतिक आपदा के पश्चात् पुनर्वास के वित्तपोषण हेतु अतिरिक्त कर लगाने हेतु योजना का सुझाव देने के लिए एक सात-सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या जी.एस.टी. उपकर संबंधी निर्णय के लिए राज्य से कई प्रकार के विचार मिले हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ङ) केरल सरकार ने राज्य में बाढ़ की स्थिति से उबरने के लिए जी.एस.टी. के अंतर्गत माल एवं सेवा कर विक्रय पर राज्य सरकार द्वारा उपकर लगाए जाने के माध्यम से निधि को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। तदनुसार 28 सितंबर, 2018 को आयोजित जी.एस.टी. परिषद् की 30वीं बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई है। जी.एस.टी. परिषद् की सिफारिश के अनुसार एक मंत्री-समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया गया है ताकि प्राकृतिक आपदाओं वं विपदाओं हेतु राजस्व साधन जुटाने के तौर-तरीकों की जांच की जा सके। श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्य मंत्री, बिहार सरकार इस मंत्री-समूह (जी.ओ.एम.) के संयोजक है तथा असम, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब एवं उत्तराखंड के वित्त मंत्री इस जी.ओ.एम. के सदस्य हैं। 15.10.2018 को जी.ओ.एम. द्वारा की गई चर्चा/विचार-विमर्श के अनुसार एक पूरी प्रश्नावली तैयार की गई है और इस मामले पर विचार/सुझाव मांगने के लिए सभी राज्यों को भेजी गई है ताकि प्राकृतिक आपदा एवं विपदा की स्थिति में जी.एस.टी. व्यवस्था के तहत राज्य की सहायता करने के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने हेतु समग्र रूप से कार्रवाई संबंधी निर्णय लिया जा सके। मंत्री समूह की बैठक के दौरान राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय रखी। कुछ विशेष मामलों पर राज्यों की राय मांगी गई हैं। अब तक गुजरात और कर्नाटक ने अपनी राय विधिवत भेजी है।

[अनुवाद]

संचारी रोग

2969. श्री निशिकान्त दुबे:
प्रो. सौगत राय:
श्री राजेश पाण्डेय:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्यमान संचारी रोगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा संचारी रोग की रोकथाम के लिए क्या पहलें की गई हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी मौतों की सूचना मिली है;

(ग) क्या कुछ राज्य आवश्यक एहतियाती उपाय करने के लिए अनिच्छुक हैं तथा यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में उक्त रोगों को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ग) देश में प्रचलित मुख्य संचारी रोगों जैसे मलेरिया डेंगू चिकुनगुनिया जापानी एंसेफेलाइटिस कुष्ट रोग, क्षयरोग एचआईवी/एड्स एवं इनसे बताई गई मौतों का (ब्यौरा संलग्न विवरण)-। (क) से (ग) में दिया गया है। किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने चिकुनगुनिया के कारण हुई किसी भी मौत की रिपोर्ट नहीं दी है। चूंकि कुष्ठ रोग जानलेवा नहीं है इसलिए किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इस संबंध में किसी मौत की सूचना नहीं दी गई है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए संचारी रोगों सहित स्वास्थ्य स्थितियों के लिए उपचार उपलब्ध कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय वेक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.बी.बी.डी.सी.पी.), संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाव देती है। इन सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की पयूरे देश में व्यापक व्याप्तता (आउटरीच)

है। इन रोगों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न की गई हैं जो निम्नानुसार हैं:

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.)

क्षय रोग को 2025 तक समाप्त करने के उद्देश्य से मंत्रालय आर.एन.टी.सी.पी. को कार्यान्वित कर रही है।

मुख्य संकेद्रण क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- सभी क्षयरोगियों की शीघ्र पहचान, सहायता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त रोगी सहायता प्रणाली सहित गुणवत्ता पूर्ण निश्चित औषधियों और उपचार पथ्यापथ्य से उपयुक्त उपचार।
- निजी क्षेत्र में परिचर्या लेने के इच्छुक रोगियों की सहायता करना।
- अत्यधिक जोखिम वाले/कमजोर जनसंख्या में मामलों की सक्रिय पहचान करने और संपर्क का पता लगाने सहित रोकथाम कार्य नीतियां।
- वायु वाहित संक्रमणस नियंत्रण
- सामाजिक निर्धारक घटकों को समाप्त करने हेतु बहु -क्षेत्रक उपाय।

राष्ट्रीय वेक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी.)

देश में वेक्टर वाहित 6 रोग- मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, कालाअजार, लिम्फेटिक फिलेरियासिस और जापानी एन्सीफेलाइटिस **प्रचलित हैं।**

सरकार द्वारा की गई पहल निम्नानुसार हैं:

मलेरिया :

- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन फ्रक वर्क (एनएफएमई) 2016-2030 तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्य-नीति योजना (एन.एस.पी.) (2017-22) तैयार की गई है एवं चलाई गई है।
- मलेरिया मामलों की प्रभावी पहचान एवं उपचार हेतु त्वरित पहचान परीक्षण (आर.डी.टी.) एवं प्रभावी मलेरिया प्रतिरोधी औषधियां प्रदान की जा रही हैं।
- मेलरिया संचरण की रोकथाम के लिए देश को उच्च स्थानिक क्षेत्रों को एल.एल.आई.एन. (लम्बे समय तक चलने वाली मच्छरदानी) उपलब्ध कराई गई गई हैं।

डेंगू/चिकनगुनिया

- मामलों की शीघ्र पहचान तथा रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उच्चतर स्तर पर समीक्षाओं और वीडियों कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से निगरानी एवं पर्यवेक्षण।
- राज्यों सुग्राह्य बनाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई हैं।
- मामला प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश व्यापक परिचालन हेतु तैयार किए गए हैं और राज्य सरकारों के साथ साझा किए गए हैं।
- प्रहरी निगरानी अस्पतालों और शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं के माध्यम से समूचे देश में नि:शुल्क नैदानिक सुविधाओं की पहचान की गई है। भारत सरकार द्वारा जांच किटों की नि:शुल्क आपूर्ति की जाती है।

जापानी इन्सेफेलाइटिस:

- 31 अभिशप्त जिलों मे बाल चिकित्सा आई.सी.यू. की स्थापना करके संवेदनशील परिचर्या सेवाओं की सुदृढ़ बनाना।
- जेई के निदान हेतु उन 139 प्रहरी स्थलों की पहचान की गई है जहां जेई नैदानिक किटें नि:शुल्क उपलब्ध होती हैं।
- निवारण हेतु अभिशप्त जिलों में जेई टीकाकरण

लिम्फेटिक फिलारियासिस (एलएफ):

- एल.एफ. स्थनिकुमारी जिलों में नए संक्रमणों की रोकथाम के लिए वार्षिक व्यापक औषधियां प्रदानगी।
- एल.एफ. स्थनिकुमारी राज्यों में राज्यों में राष्ट्रीय फिलेरिया नियंत्रण इकाइयां कार्यशील हैं जो फिलेरिया के मामलों की पहचान कर उनका कर उनका उपचार करती हैं तथा वैक्टर नियंत्रण कार्यकलाप करती हैं।
- लिन्फेटिक फिलेरियासिस के उन्मूलन हेतु ग्लोबल एलाइंस की 13.06.2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई 10वीं बैठक में माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा प्रारंभ की गई लिम्फेटिक फिलारियासिस के उन्मूलन हेतु त्वरित योजना।
- पांच चयनित जिलों अर्थात अरवाला (बिहार), सिमडेगा (झारखंड), नागपुर (महाराष्ट्र), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), यादगीर (कर्नाटक) में तीन औषधीय चिकित्सा आई.डी.ए. (आईवरमेक्टीन+डी.ई.सी.+एलबेंडा जोल) की नई नहल की शुरूआत की कजा रही है। अटवाल (बिहार) जिले में आई.डी.ए. के साथ 20.12.2018 को एम.डी.ए. पहले से ही प्रारंभ हो चुका है।

काला-आजार:

- लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी से काला-अजार का एक दिन में एक खुराक से उपचार।
- सिन्थेटिक पाइरेथ्रोइड का इन्डोर रेजिडेंशिअल छिड़काव।

- काला-आजार के मामलों के उपचार को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशाकर्मियों) के प्रोत्साहनों की राशि 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी है।
- भारत सरकार ने काला-आजार के पश्चात डर्मल लैशक्तनियासिस मामलों के संपूर्ण उपचार के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की राशि का रुपए 2000 से बढ़ाकर रुपए 4000 कर दिया है।
- काला-आजार प्रभावित गांवों में संतुष्टिकरण सेंटर तक पक्के मकानों का प्रावधान

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मुलन कार्यक्रम:

कुष्ठ की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: **मामले की शीघ्र पहचान करना:** तीन स्तरीय कार्यनीति अर्थात (i) कुष्ठ रोग मामला पहचान अभियान (एल.सी.डी.सी) (विशेष रूप से उच्च स्थानिकमारी जिलों के लिए), (ii) संकेतिक कुष्ठ रोग अभियान (महत्वपूर्ण स्थानों अर्थात उन ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों के लिए जहां जी 2 डी की पहचान की गई है), (iii) दुर्गम से पहुँच वाले क्षेत्रों में मामले की पहचान हेतु विशेष योजना।

शीघ्र मामला रिपोर्टिंग में वृद्धि:

(i) स्पर्श कुष्ठरोग जागरूकता अभियान

(ii) कुष्ठरोग के संदिग्ध मामलों के लिए आशा आधारित निगरानी

(iii) **कुष्ठ रोग की रोकथाम/बाधित संचरण:** एल.सी.डी.सी. जिलों में पहचान किए गए नए मामलों से संपर्क के लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस प्रदानगी।

(iv) **कार्यक्रम का समग्र सुदृढ़ीकरण:**

(i) मरीज पहचान तंत्र के साथ निकुष्ठ एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली,

(ii) श्रेणी-II दिव्यांगता मामलों की जांच

उपरोक्त उल्लिखित क्रियाकलापों ने कार्यक्रम हेतु, आवश्यक गति प्रदान की है और इसके प्रभाव के रूप में ग्रेड-II की दिव्यांगता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति गिरावट का प्रदर्शन कर रही है, ग्रेड-II की दिव्यांगता जो मार्च 2015 की स्थितिनुसार 4.48/ मिलियन जनसंख्यसा थी, मार्च, 2017 की स्थितिनुसार घटकर 3.34/मिलियन जनसंख्या हो गई है जबकि इसकी तुलना में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) वैश्विक कुष्ठरोग कार्य योजना, 2016-2020 द्वारा (ग्रेड II की दिव्यांगता का 01 से कम मामला/मिलियन जनसंख्या का लक्ष्य प्रदान किया गया है।)

एच.आई.वी/एड्स

एच.आई.वी./एड्स देश में संक्रामक रोगों में से एक है। एच.आई.वी. अनुमान, 2017 के अनुसार देश में 21.20 लाख एच.आई.वी. संक्रमित लोगों के साथ भारत से 0.22 प्रतिशत वयस्क एच.आई.वी. व्यापकता होने का अनुमान है। स्वास्थ्य एवं परिचार कल्याण मंत्रालय, सरकार एच.आई.वी संक्रमण की रोकथाम, पता लगाने उपचार के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना पके तहत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करता है। राज्य एड्स नियंत्रण समितियों के जरिए इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन देश के सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने देश में एच.आईवी/एड्स रोग के समाधान के लिए जांच एवं उपचार नीति, एच.आई.वी/ एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, समुदाय आधारित जांच एवं नियमित वायरल लोड परीक्षण का क्रियान्वयन किया है।

(घ) उपरोक्त रोगों के संबंध में पिछले तीन वर्षों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III (क) से (घ) पर दिया गया है।

(ङ) जागरुकता बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना शिक्षा संचार (आई.ई.सी)/ व्यवहार परिवर्तन संचार (बी.सी.सी.) क्रियाकलाप निम्न्वल है:

- ग्रामीण और आउटडोर मिडिया
- रेडिया, टेलीविजन, सिनेमा स्लाईड के जरिए जन संपर्क अभियान
- प्रिंट मीडिया, और
- सोशल मीडिया

विवरण-1 क

वेक्टर जनित बीमारियों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मलेरिया के मामले			मलेरिया के कारण हुई मृत्यु		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	23613	16972	5571	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	3128	1546	591	2	0	0
3.	असम	7826	5281	3497	6	0	2
4.	बिहार	5189	4020	918	0	2	0
5.	छत्तीसगढ़	148220	140727	57611	61	81	0
6.	गोवा	742	653	357	0	1	0
7.	गुजरात	44783	38588	19880	6	7	2
8.	हरियाणा	7866	5696	3100	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	106	96	93	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	242	226	150	0	0	0
11.	झारखंड	141414	94114	46322	15	0	4
12.	कर्नाटक	11078	7381	4592	0	0	0
13.	केरल	1547	1192	799	2	2	0
14.	मध्य प्रदेश	69106	47541	17310	3	5	1
15.	महाराष्ट्र	23983	17710	9322	26	20	10
16.	मणिपुर	122	80	12	0	0	1
17.	मेघालय	35147	16454	6012	45	12	5
18.	मिजोरम	7583	5715	3724	9	4	0
19.	नागालैंड	828	394	108	0	1	0
20.	ओडिशा	444843	347860	59769	77	24	4
21.	पंजाब	693	805	628	0	0	0
22.	राजस्थान	12741	10607	3136	5	0	0
23.	सिक्किम	15	14	3	0	0	0
24.	तमिलनाडु	4341	5444	3337	0	0	0
25.	तेलंगाना	3512	2688	1520	1	0	0
26.	त्रिपुरा	10546	7051	10925	14	6	5
27.	उत्तराखंड	961	508	388	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	40700	32345	56782	0	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	35236	31265	23012	59	29	6
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप	485	505	229	0	0	0
31.	चंडीगढ़	157	114	44	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	दादरा और नगर हवेली	375	290	170	0	0	0
33.	दमन और दीव	48	38	22	0	0	0
34.	दिल्ली	31	577	438	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	2	1	4	0	0	0
36.	पुदुचेरी	76	60	45	0	0	1
	कुल	1087285	844558	340421	331	194	41

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कालाजार के मामले			काला-अजार के कारण हुई मृत्यु		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	4773	4127	3012	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	1185	1358	656	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	2	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0

1	2	9	10	11	12	13	14
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	1	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
25.	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	2	2	2	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	107	115	93	0	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	179	156	76	0	0	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
34.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल	6249	5758	3837	0	0	0

वेक्टर जनित बीमारियों की स्थिति - *जारी*

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जेई के मामले			जेई की वजह से मौत		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	0	1	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	5	0	0	0	0
3	असम	427	604	497	92	87	94
4	बिहार	100	74	54	25	11	10
5	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
6	गोवा	1	0	3	0	0	0
7	गुजरात	0	0	0	0	0	0
8	हरियाणा	2	4	0	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	00
11	झारखंड	47	29	64	5	1	0
12	कर्नाटक	11	26	16	0	2	0
13	केरल	2	1	5	0	0	2
14	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0
15	महाराष्ट्र	12	27	6	1	0	1
16	मणिपुर	47	186	57	1	10	3
17	मेघालय	47	48	90	4	4	6
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	10	1	0	2	0
20	ओडिशा	242	79	64	42	0	0
21	पंजाब	1	1	0	0	0	1
22	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	51	127	100	0	2	0
25	तेलंगाना	4	11	6	0	0	0
26	त्रिपुरा	98	90	35	1	0	0
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	410	693	310	73	93	13
29	पश्चिम बंगाल	174	165	50	39	40	9
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल	1676	2181	1358	283	254	138

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	डेंगू के मामले			डेंगू की वजह से मौत			चिकनगुनिया के संदिग्ध मामले		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आंध्र प्रदेश	3417	4925	3793	2	0	0	960	1162	570
2	अरुणाचल प्रदेश	13	18	1	0	0	0	239	133	507
3	असम	6157	5024	139	4	1	0	40	41	2
4	बिहार	1912	1854	2002	0	0	0	566	1251	152
5	छत्तीसगढ़	356	444	2635	0	0	10	0	0	0
6	गोवा	1	235	406	0	0	1	337	509	397
7	गुजरात	8028	4753	5844	14	6	4	3285	7953	8712
8	हरियाणा	2493	4550	1558	0	0	0	5394	220	62
9	हिमाचल प्रदेश	322	452	4653	0	0	6	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	79	188	162	1	0	0	1	0	0
11	झारखंड	414	710	418	1	5	1	47	269	3267
12	कर्नाटक	6083	17844	3427	8	10	4	15666	32831	16661
13	केरल	2	19994	3933	13	37	37	129	78	62
14	मध्य प्रदेश	3150	2666	4265	12	6	5	2280	2477	3131
15	महाराष्ट्र	6792	7829	9451	33	65	46	7570	8110	8188
16	मणिपुर	51	193	13	1	1	0	0	0	2
17	मेघालय	172	52	16	0	0	0	360	236	38
18	मिजोरम	580	136	65	0	0	0	0	0	93
19	नागालैंड		142	357	369	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	8380	4158	5116	11	6	5	51	0	0
21	पंजाब	10439	15398	13760	15	18	0	4407	3251	571
22	राजस्थान	5292	8427	8490	16	14	10	2506	1612	239
23	सिक्किम	82	312	145	0	0	0	30	130	147
24	तमिलनाडु	2531	23294	3636	5	65	5	86	131	198
25	तेलंगाना	4037	5369	4026	4	0	2	611	1277	1201
26	त्रिपुरा	102	127	90	0	0	0	311	574	589
27	उत्तराखंड	2146	849	689	4	0	3	35	0	29
28	उत्तर प्रदेश	15033	3092	3454	42	28	2	2458	102	57

1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	92	18	23	0	0	0	18	93	76
31	चंडीगढ़	1246	1125	274	0	0	0	2857	1810	328
32	दादरा और नगर हवेली	4161	2064	451	2	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	89	59	36	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	4431	9271	6214	10	10	1	12279	940	384
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	490	4568	420	2	7	2	463	475	1493
	कुल	129166	188401	89974	245	325	144	64057	67769	47208

नवंबर तक का अनंतिम डेटा

विवरण-I (ख)

भारत में टीबी के कारण सूचित राज्य-वार मौतें

राज्य	2014	2015	2016
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	38	17	21
आंध्र प्रदेश	3089	2764	4537
अरुणाचल प्रदेश	68	74	39
असम	1759	1785	1588
बिहार	1914	1800	1415
चंडीगढ़	48	65	68
छत्तीसगढ़	1350	1436	1596
दादरा और नगर हवेली	18	18	15
दमन और दीव	9	14	14
दिल्ली	1281	1296	1370
गोवा	52	45	49
गुजरात	4312	4657	5087
हरियाणा	1709	1700	1543
हिमाचल प्रदेश	537	539	547
जम्मू और कश्मीर	292	316	342
झारखंड	1465	1192	994
कर्नाटक	4348	4192	3958
केरल	1084	953	961

राज्य	2014	2015	2016
लक्षद्वीप	2	1	1
मध्य प्रदेश	3574	3761	3816
महाराष्ट्र	7629	6904	6121
मणिपुर	75	77	54
मेघालय	190	214	164
मिजोरम	87	93	56
नागालैंड	77	44	49
ओडिशा	2451	2380	2162
पुदुचेरी	64	55	63
पंजाब	1989	1786	1799
राजस्थान	3428	3667	3877
सिक्किम	222	38	44
तमिलनाडु	4095	4205	4118
तेलंगाना	2050	1926	0
त्रिपुरा	141	162	113
उत्तर प्रदेश	8736	10233	8256
उत्तराखंड	537	512	443
पश्चिम बंगाल	4506	4376	4448
कुल	63226	63297	59728

विवरण-I (ग)

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एआरटी केन्द्रों पर सूचित मौतें

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018 अक्टूबर
1	आंध्र प्रदेश	14129	12169	10901	6836
2	अरूणाचल प्रदेश	5	3	5	4
3	असम	134	178	186	122
4	बिहार	1288	1483	1746	1113
5	चंडीगढ़	181	139	181	93
6	छत्तीसगढ़	403	375	532	412
7	दिल्ली	673	557	697	414
8	गोवा	103	96	120	59
9	गुजरात	2627	2640	2819	1647
10	हरियाणा	407	827	656	137
11	हिमाचल प्रदेश	142	137	124	47
12	जम्मू और कश्मीर	65	87	78	45
13	झारखंड	293	446	407	216
14	कर्नाटक	6889	7741	8126	4249
15	केरल	269	291	330	212
16	मध्य प्रदेश	1019	1085	1038	743
17	महाराष्ट्र	8097	8247	10061	5776
18	मणिपुर	431	258	572	195
19	मेघालय	54	49	71	45
20	मिजोरम	122	147	254	204
21	नागालैंड	189	185	267	127
22	ओडिशा	540	813	710	365
23	पुदुचेरी	42	47	59	22
24	पंजाब	896	1022	910	733
25	राजस्थान	1620	1708	1811	1282
26	सिक्किम	8	6	8	1
27	तमिलनाडु	4433	4540	4314	2747
28	त्रिपुरा	723	41	54	38
29	उत्तर प्रदेश	2721	3066	3723	2060

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018 अक्टूबर
30	उत्तराखंड	143	150	142	93
31	पश्चिम बंगाल	947	1097	1017	639
	कुल	49593	49630	51919	30676

विवरण-2 (क)

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में राज्य-वार आवंटन, निर्मुक्तियां और व्यय (नकद और सामग्री) (आरएनटीसीपी)

(रू. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	2015-16			2016-17		
		आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	2200.34	2315.49	2002.85	2194.68	2194.68	2043.35
2	अंडमान और निकोबार	90.9	90.9	110.86	90.9	101.79	110.48
3	अरूणाचल प्रदेश	552.32	552.32	585.22	564.48	440.64	644.34
4	असम	2527.13	2527.13	2622.95	2776.33	2776.33	2897.69
5	बिहार	2963.81	2464.15	2757.19	2962	2962	2268.8
6	चंडीगढ़	156.14	158.14	144.07	156.14	265.49	148.01
7	छत्तीसगढ़	1401.08	1152.24	1587.32	1398.15	1398.15	2169.45
8	दादरा और नगर हवेली	72.03	64.3	67.59	72.03	72.03	62.65
9	दमन और दीव	45.98	45.98	43.21	45.98	35.09	39.28
10	दिल्ली	1705.12	1705.12	1605.19	1018.43	1044	1694.01
11	गोवा	127.78	72.77	105.25	127.61	98.48	121.87
12	गुजरात	3298.04	3423.41	5056.34	3282.1	4079.91	5100.79
13	हरियाणा	1207.93	1261.1	1093.27	1204.96	1354.96	1206.81
14	हिमाचल प्रदेश	837.57	852.38	834.98	833.82	814.82	974.19
15	जम्मू और कश्मीर	1038.26	829.1	892.45	1036.78	1036.78	700.61
16	झारखंड	1512.16	1216.61	1302.31	1511.23	1511.23	1366.24
17	कर्नाटक	3186.19	2011.15	3591.43	3177.65	4141.93	4006.63
18	केरल	1395.33	1365.74	1056.88	1393.01	1083.37	1082.1
19	लक्षद्वीप	37.95	37.95	27.31	37.95	28.6	24.22
20	मध्य प्रदेश	2880.71	3031.22	3287.48	2878.14	2790.18	3989.98
21	महाराष्ट्र	9085.75	8438.54	8058.82	8059.4	8059.4	8143.71

1	2	3	4	5	6	7	8
22	मणिपुर	524.57	524.57	398.77	548.31	444.9	485.79
23	मेघालय	427.62	427.62	441.28	453.95	453.95	523.35
24	मिजोरम	392.75	392.75	341.42	402.29	315.27	452.72
25	नागालैंड	460.49	460.49	445.42	477.38	382.03	520.47
26	ओडिशा	1991.54	1664.56	2053.24	1986.79	2524.08	2276.98
27	पुदुचेरी	187.88	204.88	163.47	110.57	85	206.31
28	पंजाब	1273.22	1332.87	1135.85	1270.01	1005.85	1028.68
29	राजस्थान	2792.23	2934.77	2741.05	2781.23	2268.95	2842.78
30	सिक्किम	426.92	426.92	442.29	474.88	474.88	511.46
31	तमिलनाडु	3367.31	3515.37	4028.96	3353	3197	4191.06
32	त्रिपुरा	290.2	290.2	259.18	300.38	300.38	322.72
33	उत्तर प्रदेश	7350.9	10455.95	11610.11	7337.9	11477.58	13863.35
34	उत्तराखंड	651.62	672.4	930.21	650.44	1030.44	707.86
35	पश्चिम बंगाल	3187.7	3383.41	3513.61	3183.1	3524.65	4128.96
36	तेलंगाना	1672.53	1429.96	2462.18	1667	1342.2	2040.75
	कुल	60320.00	61730.46	67800.01	59819.00	64579.73	72245.55

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम	2015-16			2016-17		
		आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आवंटन	निर्मुक्ति	व्यय
1	2	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	2514.13	5465.48	4290.25	4461.00	2169.32	2033.86
2	अंडमान और निकोबार	100.02	199.00	134.28	202.00	2.24	43.4
3	अरूणाचल प्रदेश	532.69	883.11	618.50	1944.00	999.46	137.78
4	असम	2686.39	6670.90	5037.60	5622.00	2704.23	1546.17
5	बिहार	3414.67	4167.39	2463.95	6102.00	3169.00	433.2
6	चंडीगढ़	171.40	230.00	245.05	348.00	247.88	66.09
7	छत्तीसगढ़	1603.87	3548.66	2095.38	2851.00	1986.69	126.69
8	दादरा और नगर हवेली	79.20	118.00	73.08	160.00	115.50	24.69
9	दमन और दीव	50.53	74.00	49.35	102.00	73.07	16.94
10	दिल्ली	2968.43	4179.00	2495.08	3951.00	1750.50	91.5

1	2	9	10	11	12	13	14
11	गोवा	146.78	218.21	144.88	263.00	129.10	64.34
12	गुजरात	3732.47	10878.13	8843.69	6567.00	2610.82	1094.57
13	हरियाणा	1380.86	2377.47	2118.43	2454.00	1695.69	686.03
14	हिमाचल प्रदेश	949.33	2200.67	1774.88	1675.00	944.96	564.9
15	जम्मू और कश्मीर	1192.09	2333.06	1414.01	2125.00	1519.57	350.88
16	झारखंड	1742.07	2521.98	2076.94	3115.00	1615.00	376.35
17	कर्नाटक	3638.79	8040.87	6338.90	6454.00	4365.38	1725.35
18	केरल	1600.44	2770.91	2317.63	2850.00	2110.16	749.6
19	लक्षद्वीप	41.85	37.00	46.28	84.00	62.37	8.21
20	मध्य प्रदेश	3314.81	4774.87	4242.70	5920.00	4520.00	320
21	महाराष्ट्र	8215.12	16517.90	14910.62	16313.00	7516.88	1826.24
22	मणिपुर	520.94	986.90	707.89	1583.00	888.87	236.87
23	मेघालय	433.80	1101.60	725.86	1235.00	875.53	291.36
24	मिजोरम	379.25	749.56	419.54	1427.00	707.30	137.25
25	नागालैंड	452.13	972.97	531.42	1409.00	819.03	305.63
26	ओडिशा	5664.30	4223.37	4042.00	1943.01	1161.55	
27	पुदुचेरी	225.57	314.00	237.18	300.00	131.98	73.06
28	पंजाब	1455.13	2514.71	2042.26	2584.00	1788.82	535.11
29	राजस्थान	3172.06	6814.31	6067.29	5602.00	2475.71	1293.95
30	सिक्किम	461.48	837.63	723.11	759.00	411.95	48.35
31	तमिलनाडु	3820.34	10270.49	9165.76	6737.00	4094.42	1593.93
32	त्रिपुरा	284.32	401.00	512.05	962.00	582.60	208.4
33	उत्तर प्रदेश	8432.42	24831.26	18679.92	15007.00	773365.65	6417.67
34	उत्तराखंड	746.93	1298.50	1141.19	1329.00	938.85	152.06
35	पश्चिम बंगाल	3659.55	5383.23	5329.60	6522.00	4951.36	1540.8
36	तेलंगाना	1905.16	4567.60	3453.40	3372.00	2221.24	664.02
	कुल	69302.00	144,914.67	115,691.32	126,433.00	70672.14	26946.80

विवरण-II (ख)

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए कुष्ठ रोग से संबंधित बजट आवंटन और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा किया गया व्यय

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	नाम राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2015-16		2016-17		2017-18	
		बजट आवंटन	उपयोग किया (व्यय)	बजट आवंटन	उपयोग किया (व्यय)	बजट आवंटन	उपयोग किया (व्यय मार्च, 2017 तक (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	190.00	140.13	190	44.68	183	104
2	तेलंगाना	150.00	92.35	150	19.20	150	102.812
3	अरुणाचल प्रदेश	44.09	4.68	59	43.33	88	18.20
4	असम	89.83	117.62	110	104.59	224	81
5	बिहार	400.00	181.33	300	423.85	300	335.83
6	छत्तीसगढ़	174.00	45.58	174	37.48	188	135
7	गोवा	6.00	4.96	6	4.71	6	5.89
8	गुजरात	250.00	293.55	150	259.5	113	119
9	हरियाणा	53.00	71.73	53	53.37	40	69
10	हिमाचल प्रदेश	30.00	30.31	30	12.15	16	3.22
11	झारखंड	220.00	104.62	220	84.24	110	93
12	जम्मू और कश्मीर	38.00	27.25	38	24.95	42	13
13	कर्नाटक	100.00	257.69	100	249.01	200	200
14	केरल	28.00	12.87	28	14	14	20
15	मध्य प्रदेश	225.00	324.44	225	149	240	203
16	महाराष्ट्र	472.00	357.06	500	481.08	556	383
17	मणिपुर	20.41	8.70	20	0.55	53	4.29
18	मेघालय	32.47	22.32	35	15.26	42	13
19	मिजोरम	28.52	23.77	30	12	37	11
20	नागालैंड	37.22	11.30	40	41.29	27	57.01
21	ओडिशा	250.00	190.06	250	676.17	600	360
22	पंजाब	75.00	118.20	75	71.16	82	72.55
23	राजस्थान	72.00	68.68	72	65.51	77	66
24	सिक्किम	23.38	28.43	30	8.65	29	9
25	तमिलनाडु	159.00	251.40	200	197.47	221	144

1	2	3	4	5	6	7	8
26	त्रिपुरा	14.08	14.61	20	8.31	14	13
27	उत्तर प्रदेश	480.00	977.09	480	574.8	680	629.5
28	उत्तरांचल	18.00	4.48	18	30.67	13	2.45
29	पश्चिम बंगाल	245.00	360.95	222	518.64	583	138
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	21.16	13.76	21.16	12.25	11	3.34
31	चंडीगढ़	15.50	16.65	15.5	20.79	21	7
32	दादरा और नगर हवेली	30.72	47.46	30.72	33.44	43	21.28
33	दमन एवं दीव	15.12	2.64	15.12	1.65	11	3
34	दिल्ली	68.68	101.32	69	98.74	171	31
35	लक्ष्यद्वीप	15.50	5.32	15.50	4.29	7	2
36	पुदुचेरी	6.32	7.76	6.00	6.03	10	5
	कुल	4098.00	4371.07	3998	4402.81	5202	3478.37

विवरण-II (ग)

वेक्टर जनित बीमारियों के संबंध में आवंटन, निर्मुक्तियां और व्यय

(लाख में रू.)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आवंटन			विज्ञप्ति			व्यय		
		2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19 (अनंतिम)
1	आंध्र प्रदेश	728.00	909.95	1041.60	790.62	676.29	688.92	999.62	1079.29	988.92
2	अरुणाचल प्रदेश	1183.00	1183.00	918.80	1319.93	6678.16	0.00	2166.68	6688.16	0.00
3	असम	2395.10	2335.10	2548.09	1835.00	5198.83	883.00	2863.00	4519.83	883.00
4	बिहार	3534.00	3673.50	1795.00	3742.14	2659.08	0.00	6113.96	4164.08	0.00
5	छत्तीसगढ़	908.00	3364.50	1086.00	3299.88	13300.10	1633.83	5525.93	12695.10	1633.83
6	गोवा	102	106.76	165.40	48.50	52.00	0.00	35.00	29.00	0.00
7	गुज़रात	1100.00	1259.00	1313.00	1119.22	953.73	349.00	1370.21	1679.73	349.00
8	हरियाणा	200.00	52.00	477.00	0.00	0.00	281.00	111.00	102.00	281.00
9	हिमाचल प्रदेश	26.00	45.00	264.00	0.00	0.00	155.00	40.00	9.00	155.00
10	जम्मू और कश्मीर	94.20	99.62	352.50	71.12	100.28	207.00	82.47	20.28	207
11	झारखंड	3390.00	3370.91	1904.00	3254.48	14489.12	0.00	3445.98	15517.12	0.00
12	कर्नाटक	1759.00	970.06	1232.40	1325.23	210.30	242.03	1556.23	639.30	242.03
13	केरल	644.00	509.41	687.00	540.41	499.00	396.00	516.00	431.00	396.00
14	मध्य प्रदेश	2118.00	1657.15	20413.00	1618.60	2363.63	3829.16	1673.10	1748.63	3829.16
15	महाराष्ट्र	1320.00	705.80	1104.70	753.24	767.23	221.86	263.24	447.23	221.86
16	मणिपुर	1005.00	905.00	697.68	604.65	909.91	0.00	452.65	1357.91	0.00
17	मेघालय	915.00	864.00	473.80	514.06	3306.18	0.00	745.56	3203.18	0.00
18	मिजोरम	1104.00	1364.00	337.62	934.25	1928.81	132.00	765.25	1662.81	132.00
19	नागालैंड	1117.00	1117.00	534.11	432.63	3283.97	0.00	351.63	3301.97	0.00

20	ओडिशा	10037.00	10177.00	994.60	7644.12	28528.67	0.00	4227.11	29314.67	0.00
21	पंजाब	402.00	1038.83	272.00	461.99	422.00	0.00	598.00	257.00	0.00
22	राजस्थान	2180.80	1388.65	694.00	784.54	5.78	303.51	960.19	410.78	303.51
23	सिक्किम	90.90	41.90	50.00	22.00	0.00	0.00	22.05	19.00	0.00
24	तमिलनाडु	1409.00	1410.55	883.70	1379.00	1690.00	0.00	3006.00	2112.00	0.00
25	तेलंगाना	685.00	628.33	1549.20	643.50	667.25	524.40	588.17	387.25	524.40
26	त्रिपुरा	1617.00	1617.00	732.90	793.07	2558.26	0.00	867.07	2586.26	0.00
27	उत्तर प्रदेश	3650.00	3343.80	3350.60	2971.52	1583.32	121.01	3852.02	3181.32	121.01
28	उत्तराखंड	266.00	249.38	308.50	156.94	48.19	0.00	126.94	29.19	0.00
29	पश्चिम बंगाल	1910.00	1600.00	1807.80	1685.73	1282.21	0.00	2459.18	2115.21	0.00
30	दिल्ली	169.00	168.17	204.50	0.00	0.00	0.00	136.00	5.00	0.00
31	पुदुचेरी	51.00	51.83	204.50	36.20	97.25	72.00	82.22	34.25	72.00
32	अंडमान और निकोबार द्वीप	349.00	373.00	395.70	304.56	295.75	0.00	110.56	184.03	0.00
33	चंडीगढ़	77.00	60.00	90.80	92.65	76.36	53.00	97.51	53.36	53.00
34	दादरा और नगर हवेली	107.00	100.00	147.00	100.66	102.00	87.00	91.00	91.00	87.00
35	दमन और दीव	71.00	66.00	103.00	35.50	35.00	61.00	13.00	25.00	61.00
36	लक्षद्वीप	36.00	41.00	63.50	18.00	20.00	25.00	0.00	19.00	25.00
	कुल	46750.00	46847.00	49198.00	39333.94	94786.66	10565.72	46314.58	100119.94	10565.72

विवरण-II (घ)

एचआईवी\एड्स के संबंध में वार्षिक कार्य योजना का राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों-वार आवंटन एवं उपयोग

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2015-16		2016-17		2017-18	
		आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अहमदाबाद एमसीएसीएस	568.35	गुजरात एसएसीएस के तहत जारी निधियां शामिल हैं।				
2	अंडमान और निकोबार एस.ए.सी.एस.	165.82	95.91	127.98	167.52	130.82	146.50
3	आंध्र प्रदेश एस.ए.सी.एस.	5337.7	2179.94	4907.37	4096.09	4981.27	6053.64
4	अरुणाचल प्रदेश एस.ए.सी.एस.	945.49	586.65	851.59	1092.26	838.33	826.76
5	असम एस.ए.सी.एस.	2003.05	1667.26	1968.06	1753.26	1864.93	1106.85
6	बिहार एस.ए.सी.एस.	3303.78	3150.16	2842.73	2208.41	2913.01	2541.51
7	चंडीगढ़ एस.ए.सी.एस.	692.42	629.48	574.11	.590.94	617.51	593.53
8	छत्तीसगढ़ एस.ए.सी.एस.	2265.42	1767.90	2003.01	2051.39	1968.44	1496.06
9	चेन्नई एम.सी.ए.सी.एस.	72.02	तमिलनाडु एसएसीएस के तहत जारी निधियां शामिल हैं।				
10	दादरा और नगर हवेली	99.98	82.20	79.91	122.31	88.41	96.83
11	दमन और दीव एस.ए.सी.एस.	255.33	189.29	195.06	259.90	195.65	71.41
12	दिल्ली एस.ए.सी.एस.	3558.14	2358.16	3278.34	4270.58	3342.27	3044.97
13	गोवा एस.ए.सी.एस.	604.45	478.13	521.67	491.15	543.46	517.05
14	गुजरात एस.ए.सी.एस.	5674.9	4224.42	5568.94	5538.94	5270.8	4570.37
15	हरियाणा एस.ए.सी.एस.	2338.01	1609.89	1484.02	1612.65	1228.42	1218.55
16	हिमाचल प्रदेश एस.ए.सी.एस.	1411.98	771.09	974.33	969.91	1026.9	905.18
17	ज़म्मू और कश्मीर एस.ए.सी.एस.	1026.18	898.72	815.14	673.87	792.8	665.35
18	झारखंड एस.ए.सी.एस.	1945.54	1328.91	1594.05	1169.77	1539.28	798.65
19	कर्नाटक एस.ए.सी.एस.	7731.38	6163.69	6997.84	7297.04	7067	5833.62
20	केरल एस.ए.सी.एस.	2874.4	2275.83	2639.95	2678.76	2675.83	2364.11
21	लक्षद्वीप एस.ए.सी.एस.	20.42	6.96	19.74	17.42	23.28	
22	मध्य प्रदेश एस.ए.सी.एस.	4448.42	3352.07	3914.00	3516.84	3818.74	3056.51
23	महाराष्ट्र एस.ए.सी.एस.	10409.62	7863.76	9509.55	8915.97	9968.83	10377.4
24	मणिपुर एस.ए.सी.एस.	2401.12	1787.95	2485.74	3193.74	2565.31	2505.69
25	मेघालय एस.ए.सी.एस.	591.21	438.31	543.09	575.43	551.81	563.78
26	मिजोरम एस.ए.सी.एस.	1478.22	1438.64	1483.39	1493.20	1466.43	1480.95

1	2	3	4	5	6	7	8
27	मुम्बई एम.सी.ए.सी.एस.	2431.55	1937.79	2077.86	1888.38	2051.74	2007.53
28	नागालैंड एस.ए.सी.एस.	1960.2	1935.89	1985.24	1886.54	1937.63	2178.37
29	ओडिशा एस.ए.सी.एस.	3373.66	2713.91	2959.00	3014.95	3011.73	2831.54
30	पुदुचेरी एस.ए.सी.एस.	382.55	378.99	321.17	370.64	330.42	349.09
31	पंजाब एस.ए.सी.एस.	3031.15	2808.70	2775.84	3116.08	2788.36	2694.6
32	राजस्थान एस.ए.सी.एस.	4117.16	3142.72	3394.91	3255.72	3196.44	2667.69
33	सिक्किम एस.ए.सी.एस.	491.4	474.71	421.92	380.83	438.68	357.37
34	तमिलनाडु एस.ए.सी.एस.	7366.04	5827.10	6488.65	7238.79	6933.36	6973.1
35	तेलंगाना	3814.73	3443.79	3533.48	3194.65	3511.04	3525.83
36	त्रिपुरा एस.ए.सी.एस.	757.72	744.70	759.97	695.05	742.6	753.41
37	उत्तर प्रदेश एस.ए.सी.एस.	7117.02	5237.47	6170.00	6074.51	6120.52	5965.45
38	उत्तराखंड एस.ए.सी.एस.	1463.06	1286.43	1210.97	1035.47	1230.22	822.91
39	पश्चिम बंगाल एस.ए.सी.एस.	4282.66	3880.13	3834.56	3780.86	3747.14	2509.36
	कुल	102812.25	79157.65	91313.18	90689.78	91519.41	84471.52

[अनुवाद]

विश्व एड्स दिवस

2970. **डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़:**
श्री भोला सिंह:
श्री वी. पन्नीरसेलवम:
श्री मोहनभाई कल्याणजी भाई कुंदरिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विश्व एड्स दिवस मनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयोजन को सफल बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या पहल की गई और आयोजन का विषय क्या था;

(ग) इस प्रयोजन हेतु आयोजित किए गए आयोजनों की संख्या और व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) के अंतर्गत अब तक चिन्हित की गई मुख्य चुनौतियों, किये गये क्रियाकलापों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट, आबंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में एच.आई.वी एड्स की रोकथाम, नियंत्रण और वहनीय उपचार हेतु क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने विश्व एड्स दिवस को यादगार बनाने के लिए 01 दिसम्बर, 2018 को नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया। इस समारोह का थीम "लिव लाइफ पोजिटीवली नो यूअर एच.आई.वी. स्टेटस" था। एच.आई.वी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण में भारत द्वारा की गई प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए, इस समारोह में एच.आई.वी. (पी.एल.एच.आई.वी. के साथ जीने वालो लोगों, विकास भागीदारों, सिविल समाज के संगठनों छात्रों, मीडिया विशेषज्ञों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा मंत्रालयों/विभागों के स्टाफ तथा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों ने भाग लिया। आयोजन हेतु 15,51,936/- रुपए की व्यय स्वीकृति दी गई।

(घ) आभिज्ञात की गई मुख्य चुनौतियों चयनित पूर्वोत्तर

राज्यों में इस महामारी को जारी रहना है तथा गर्भवती महिलाओं की एच.आई.वी. की संबंधी जांच से चयनित राज्यों में आगे सुधार होने की गुंजाइश है।

चुनौतियों का सामना करने के लिए शुरू की गई नई पहलों में शामिल हैं, - 'जांच और उपचार' कार्यनीति शुरू करना, सभी पी.एल.एच.आई.वी. के लिए वायरल लोड जांच, मिशन संपर्क शुरू करना तथा एच.आईवी एवं एड्स (रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2017 का अधिनियमन)।

इन पहलों के परिणामस्वरूम, देश में एचआईसी संक्रमण के नए मामलों में 80 प्रतिशत से अधिक की कमी आई जबकि 1995 में 47% की वैश्विक औसत की तुलना में यह सर्वाधिक था। इस प्रकार से, एड्स के कारण होने वाली की संख्या में भी कमी आई जबकि वर्ष 2005 में यह सर्वाधिक पीक और इस समय इसका वैश्विक औसत 51% था।

राज्य/संघ क्षेत्र-वार निर्दिष्ट, आवंटित और उपयोग की गई निधियों की ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का पूर्ण निधियन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है तथा इसमे एच.आई.वी से ग्रस्त सभी लोगों के लिए मुफ्त एंटी-रेट्रोवायरल उपचार का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा एच.आई.वी. संक्रमण का जल्द पता लगाने, माता-पिता से बच्चों में संचरण सो रोकथाम के लिए एच.आई.वी. संबंधी परामर्श तथा जांच सेवाओं और एच.आई.वी. संबंधी परामर्श और जांच केंद्रों के माध्यम से एच.आई.वी.टी.बी. सामूहिक कार्य-कलापों का प्रावधान किया गया है।

एच.आई.वी/एड्स के संबंध में जागरूकता सृजित करने तथा देशभर में सेवाओं/सुविधाओं का संवर्धन करने के लिए मल्टीमीडिया अभियान चलाए गए हैं। इसके अलावा, कर्मशियल सैक्स वर्करों, पुरूषों के साथ यौन संबंध, टीके द्वारा ड्रम लेने वालों, हिजड़ो और ट्रक चालकों तथा माइग्रेंट्स सहित उच्च जोखित समूहों के बीच रोकथाम का देशभर में लक्षित कार्रवाई परियोजनाओं के एक भाग के रूप में विशिष्ट रूप से निराकरण किया गया हो।

विवरण

राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश-वार आवंटित निर्मुक्त और उपयोग की गई निधि (लाख में रूपये)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2015-16			2016-17		
		आबंटन (लाख में)	रिलीज (लाख में)	उपयोगिता (लाख में)	आबंटन (लाख में)	रिलीज (लाख में)	उपयोगिता (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अहमदाबाद एम.सी.ए.सी.एस.	568.35	जारी की गई राशि गुजरात एसएसीएस में शामिल है।				
2	अंडमान और निकोबार एस.ए.सी.एस.	165.82	109.21	95.91	127.98	127.98	167.52
3	आंध्र प्रदेश एस.ए.सी.एस.	5337.7	3904.86	2179.94	4907.37	4889.20	4096.09
4	अरुणाचल प्रदेश एस.ए.सी.एस.	945.49	855.49	586.65	851.59	851.59	1092.26
5	असम एस.ए.सी.एस.	2003.05	2003.04	1667.26	1968.06	1968.06	1753.26
6	बिहार एस.ए.सी.एस.	3303.78	2017.81	3150.16	2842.73	2829.76	2208.41
7	चंडीगढ़ एस.ए.सी.एस.	692.42	549.33	629.48	574.11	574.11	590.94
8	छत्तीसगढ़ एस.ए.सी.एस.	2265.42	1130.76	1767.90	2003.01	2003.01	2051.39
9	चेन्नई एम.सी.ए.सी.एस.	72.02	जारी की गई राशि में टीएन एसएसीएस शामिल है।				
10	दादरा और नगर हवेली	99.98	66.56	82.20	79.91	79.91	122.31
11	दमन और दीव एस.ए.सी.एस.	255.33	216.28	189.29	195.06	195.06	259.90
12	दिल्ली एस.ए.सी.एस.	3558.14	3558.14	2358.16	3278.34	3278.34	4270.58

1	2	3	4	5	6	7	8
13	गोवा एस.ए.सी.एस.	604.45	452.3	478.13	521.67	521.67	491.15
14	गुजरात एस.ए.सी.एस.	5674.9	4149.98	4224.42	5568.94	5568.94	5538.94
15	हरियाणा एस.ए.सी.एस.	2338.01	1269.27	1609.89	1484.02	1484.02	1612.65
16	हिमाचल प्रदेश एस.ए.सी.एस.	1411.98	1034.02	771.09	974.33	974.33	969.91
17	जम्मू और कश्मीर एस.ए.सी.एस.	1026.18	748.18	898.72	815.14	803.06	673.87
18	झारखंड एस.ए.सी.एस.	1945.54	1242.65	1328.91	1594.05	1594.05	1169.77
19	कर्नाटक एस.ए.सी.एस.	7731.38	6077.38	61.69	6997.84	6983.89	7297.04
20	केरल एस.ए.सी.एस.	2874.4	2138.36	2275.83	2639.95	2639.95	2678.76
21	लक्षद्वीप एस.ए.सी.एस.	20.42	20.28	6.96	19.74	19.74	17.42
22	मध्य प्रदेश एस.ए.सी.एस.	4448.42	3247.78	3352.07	3914.00	3914.00	3516.84
23	महाराष्ट्र एस.ए.सी.एस.	10409.62	7000.09	7863.76	9509.55	9509.55	8915.97
24	मणिपुर एस.ए.सी.एस.	2401.12	2401.12	1787.95	2485.74	2485.74	3193.74
25	मेघालय एस.ए.सी.एस.	591.21	591.21	438.31	543.09	543.09	575.43
26	मिजोरम एस.ए.सी.एस.	1478.22	1478.22	1438.64	1483.39	1483.39	1493.20
27	मुम्बई एम.सी.ए.सी.एस.	2431.55	1596.25	1937.79	2077.86	2077.86	1888.38
28	नागालैंड एस.ए.सी.एस.	1960.2	1930.2	1935.89	1985.24	1985.24	1886.54
29	ओडिशा एस.ए.सी.एस.	3373.66	2160.04	2713.91	2959.00	2959.00	3014.95
30	पुदुचेरी एस.ए.सी.एस.	382.55	382.55	378.99	321.17	321.17	370.64
31	पंजाब एस.ए.सी.एस.	3031.15	2604.64	2808.70	2775.84	2775.84	3116.08
32	राजस्थान एस.ए.सी.एस.	4117.16	2779.82	3142.72	3394.91	3394.91	3255.72
33	सिक्किम एस.ए.सी.एस.	491.4	441.4	474.71	421.92	421.92	380.83
34	तमिलनाडु एस.ए.सी.एस.	7366.04	5613.07	5827.10	6488.65	6488.65	7238.79
35	तेलंगाना	3814.73	2784.77	3443.79	3533.48	3533.48	3194.65
36	त्रिपुरा एस.ए.सी.एस.	757.72	592.72	744.70	759.97	759.97	695.05
37	उत्तर प्रदेश एस.ए.सी.एस.	7117.02	5709.4	5237.47	6170.00	6170.00	6074.51
38	उत्तराखंड एस.ए.सी.एस.	1463.06	969.49	1286.43	1210.97	1210.97	1035.47
39	पश्चिम बंगाल एस.ए.सी.एस.	4282.66	8184	3880.13	3834.56	3834.56	3780.86
	कुल	102812.25	77010.67	79157.65	91313.18	91256.01	90689.78

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2017-18			2018-19	
		आबंटन (लाख में)	रिलीज (लाख में)	उपयोगिता (लाख में)	आबंटन (लाख में)	रिलीज (लाख में)
1	2	9	10	11	12	13
1	अहमदाबाद एम.सी.ए.सी.एस.					
2	अंडमान और निकोबार एस.ए.सी.एस.	130.82	144.82	146.50	146.74	105.21
3	आंध्र प्रदेश एस.ए.सी.एस.	4981.27	4787.04	6053.64	5360.57	3932.54
4	अरुणाचल प्रदेश एस.ए.सी.एस.	838.33	939.65	826.76	855.14	609.29
5	असम एस.ए.सी.एस.	1864.93	1185.46	3106.85	1853.39	986.51
6	बिहार एस.ए.सी.एस.	2913.01	2288.45	2541.51	2892.78	1576.93
7	चंडीगढ़ एस.ए.सी.एस.	617.51	614.25	593.53	674.63	444.52
8	छत्तीसगढ़ एस.ए.सी.एस.	1968.44	1845.80	1496.06	2124.56	1147.83
9	चेन्नई एम.सी.ए.सी.एस.					
10	दादरा और नगर हवेली	88.41	88.41	96.83	94.08	69.55
11	दमन और दीव एस.ए.सी.एस.	195.65	195.65	71.41	205.69	85.65
12	दिल्ली एस.ए.सी.एस.	3342.27	3154.04	3044.97	3651.92	2525.28
13	गोवा एस.ए.सी.एस.	543.46	539.81	517.05	604.69	406.2
14	गुजरात एस.ए.सी.एस.	5270.8	5169.86	4570.37	5470.33	3503.6
15	हरियाणा एस.ए.सी.एस.	1228.42	1188.40	1218.55	1795.54	1028.55
16	हिमाचल प्रदेश एस.ए.सी.एस.	1026.9	1010.93	905.18	983.36	472.26
17	जम्मू और कश्मीर एस.ए.सी.एस.	792.8	777.04	665.35	860.78	518.48
18	झारखंड एस.ए.सी.एस.	1539.28	1021.09	798.65	1553.3	532.39
19	कर्नाटक एस.ए.सी.एस.	7067	6585.56	5833.62	7512.92	5172.13
20	केरल एस.ए.सी.एस.	2675.83	2675.83	2364.11	2768.09	1927.34
21	लक्षद्वीप एस.ए.सी.एस.	23.28	7.76		20.71	7.16
22	मध्य प्रदेश एस.ए.सी.एस.	3818.74	3703.09	3056.51	3837.19	1687.8
23	महाराष्ट्र एस.ए.सी.एस.	9968.83	9769.89	10377.4	10250.58	7034.22
24	मणिपुर एस.ए.सी.एस.	2565.31	2839.71	2505.69	2667.58	1854.99
25	मेघालय एस.ए.सी.एस.	551.81	618.22	563.78	566.59	252.9
26	मिजोरम एस.ए.सी.एस.	1466.43	1635.71	1480.95	1557.75	1038.71
27	मुम्बई एम.सी.ए.सी.एस.	2051.74	2018.59	2007.53	2147.62	1265.36
28	नागालैंड एस.ए.सी.एस.	1937.63	2165.48	2178.37	2010.93	1470.38
29	ओडिशा एस.ए.सी.एस.	3011.73	2926.36	2831.54	3197.98	2205.33

1	2	9	10	11	12	13
30	पुदुचेरी एस.ए.सी.एस.	330.42	325.28	349.09	368.16	269.03
31	पंजाब एस.ए.सी.एस.	2788.36	2726.44	2694.6	3067.74	1937.22
32	राजस्थान एस.ए.सी.एस.	3196.44	3141.76	2667.69	3204.11	1839.34
33	सिक्किम एस.ए.सी.एस.	438.68	491.15	357.37	470.73	295.21
34	तमिलनाडु एस.ए.सी.एस.	6933.36	6903.74	6973.1	7297.78	5093.85
35	तेलंगाना	3511.04	3307.10	3525.83	3725.33	2420.18
36	त्रिपुरा एस.ए.सी.एस.	742.6	831.73	753.41	764.48	424.57
37	उत्तर प्रदेश एस.ए.सी.एस.	6120.52	5979.46	5965.45	6020.74	3865.17
38	उत्तराखंड एस.ए.सी.एस.	1230.22	1191.83	822.91	1194.11	632.5
39	पश्चिम बंगाल एस.ए.सी.एस.	3747.14	3747.14	2509.36	4058.07	2549.97
	कुल	91519.41	88542.53	84471.52	95836.69	61288.25

किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना

2971. **श्री वी. पन्नीरसेलवम:**
श्री भोला सिंह:
डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना के लक्ष्य, उद्देश्य और मुख्य विशेषताओं और इसके अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों सहित बजटीय आवंटन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार योजना की पहुंच को और अधिक जिलों तक विस्तारित करने में कठिनाई का सामना कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि 56.2 प्रतिशत किशोर बालिकाओं में खून की कमी है और शिक्षा की कमी और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत विद्यालयों और समुदायों में किशोर महिला स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) केंद्र द्वारा प्रायोजित किशोर बालिकाओं के लिए स्कीम (जिसका नाम पहले राजीव गांधी स्कीम था) का उद्देश्य किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु 11-14 वर्ष की आयु वाली स्कूल बाह्य किशोरियों के पोषण तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना तथा इन लड़कियों को औपचारिक स्कूल शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण में वापिस लौटने के लिए प्रेरित करना है। इस स्कीम के दो घटक पोषण तथा गैर-पोषण हैं। स्कीम के पोषण घटक के तहत एक वर्ष में 300 दिन के लिए किशोरियों को प्रति लाभार्थी 9.50 रु. की दर से 600 कैलोरीज, 18-20 ग्राम प्रोटिन तथा सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। स्कीम के गैर-पोषण घटक में स्कूल बाह्य लड़कियों को औपचारिक स्कूल शिक्षा या कौशल प्रशिक्षण में वापिस लौटने में लिए प्रेरित करने हेतु अन्तर्निर्मित फेक्टर है। गैर-पोषण घटक की अन्य सेवाएं आई.एफ.ए. पूरक, स्वास्थ्य जांच एवं रैफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच पर परामर्श देना/मार्ग-दर्शन करना है

(ख) सुधारात्मक उपाए करने के लिए खामियों की पहचान

करने हेतु सरकार तिमाही/वार्षिक आधार पर नियमित अंतरात पर स्कीम के निष्पादन की समीक्षा करती है। स्कीम की प्रगति का जायजा लेने तथा संबंधित विभागों के मध्य समन्वय तथा अभिसरण को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक स्तर (राष्ट्रीय राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर) पर निगरानी समितियां गठित हैं।

(ग) पिछले प्रत्येक तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान स्कीम के बजटीय आंवटन, स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निर्मुक्त निधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताई गई उपयोगिता निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(घ) स्कीम अखिल भारतीय है तथा 01-04-2018 से इसे देश के सभी जिलों तक विस्तारित कर दिया गया है।

(ङ) और (च) जी हां, सरकार ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.-4) के निष्कर्षों को नोट कर लिया है जिसमें 15-49 वर्ष की आयु वाली 53.1% महिलाओं में खून की कमी बताई गई है। किशोरियों के लिए स्कीम के तहत एक उद्देश्य आई.एफ.ए. पूरक पोषण मुहैय्या कराना भी है जिसके लिए संबंधित राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रत्येक लाभार्थी को वयस्क टेबलेट्स की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण स्थापित करता है। इसके अलावा, स्कीम के तहत खाद्य संपुष्टिकरण, आहार विविधता, आई.एफ.ए. टेबलेट्स पूरक पोषण तथा आई.एफ.ए. की कमी को पूरा करने के लिए इसे भोजन के साथ लेने के फायदे के बारे में लाभार्थियों को जानकारी प्रदान की जाती है।

विवरण-I

विगत प्रत्येक तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान बजटीय आवंटन निर्मुक्त/उपयोगित निधि इस प्रकार है :

(रूपए करोड़ों में)

वर्ष	आवंटित बजट	निर्मुक्त निधि	उपयोगित निधि
2015-16	475.5	470.40	494.51
2016-17	460	477.00	507.22
2017-18	460	446.29	358.02
2018-19	500	136.25	15.93

विवरण-II

किशोर बालिकाओं के लिए स्कीम के तहत विगत प्रत्येक तीन वर्ष तथा चालू वर्ष दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार निर्मुक्त/उपयोगित निधि

(रूपये लाख में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		निर्मुक्त	उपयोगित	निर्मुक्त	उपयोगित	निर्मुक्त	उपयोगित	निर्मुक्त	उपयोगित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	675.68	762.79	762.99	1710.10	2259.52	2050.18	941.71	35.60
2	अरूणाचल प्रदेश	78.41	152.86	126.25	83.49	87.96	42.76	*0.00	एनआर
3	असम	817.44	1429.75	1356.94	149.18	341.92	0.00	*0.00	एनआर
4	बिहार	875.28	1090.17	2696.83	2315.55	4003.74	2742.76	25.54	एनआर
5	छत्तीसगढ़	2072.23	2203.10	1389.69	2772.50	2792.61	1795.87	596.66	एनआर
6	गोवा	337.91	337.91	131.50	259.21	302.77	302.76	0.20	0.10
7	गुजरात	2234.25	6023.25	8443.18	6323.17	2690.09	2936.50	3929.30	एनआर
8	हरियाणा	812.47	564.41	104.74	573.65	589.97	363.75	37.41	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	956.78	958.74	720.45	1349.14	1129.42	371.94	*0.00	एनआर
10	जम्मू और कश्मीर	156.27	227.13	194.63	184.69	255.91	26.67	533.70	एनआर
11	झारखंड	193.31	1056.64	145.57	1465.35	1495.55	154.54	*0.00	एनआर
12	कर्नाटक	3164.54	2672.50	740.73	2642.58	2466.93	1819.93	906.95	एनआर
13	केरल	1201.84	1165.99	1057.73	893.89	692.91	632.13	*0.00	एनआर
14	मध्य प्रदेश	8746.45	8199.59	5302.02	8466.04	8641.18	7125.70	3480.89	1418.07
15	महाराष्ट्र	1531.25	5252.78	5334.42	3541.02	3995.68	3530.70	1798.61	एनआर
16	मणिपुर	95.82	49.65	49.65	161.87	170.28	62.34	*0.00	एनआर
17	मेघालय	232.04	232.04	919.65	919.65	528.83	540.36	9.09	0.00
18	मिजोरम	90.65	103.49	91.78	103.40	123.95	123.15	54.79	एनआर
19	नागालैंड	188.39	173.95	206.31	206.31	193.14	191.61	47.01	47.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	ओडिशा	3477.67	3657.00	2867.25	3443.78	2442.60	2345.40	866.77	एनआर
21	पंजाब	814.70	0.00	0.00	448.77	40.60	440.65	26.30	एनआर
22	राजस्थान	3275.09	8.85	0.00	22.49	39.38	0.00	*0.00	एनआर
23	सिक्किम	48.20	32.54	32.54	16.90	15.42	2745	*0.00	0.00
24	तमिलनाडु	4131.91	3896.38	2655.26	3076.85	3196.22	1556.44	*0.00	एनआर
25	तेलंगाना	1242.82	1144.78	572.39	0.00	81.40	0.00	*0.00	एनआर
26	त्रिपुरा	417.25	358.74	334.81	819.62	674.38	185.59	*0.00	92.28
27	उत्तर प्रदेश	8823.48	6031.14	10932.99	7631.00	4486.13	4815.01	*0.00	0.00
28	उत्तरांचल	14.12	39.25	43.02	3.77	3.30	0.00	*0.00	एनआर
29	पश्चिम बंगाल	*0.00	1221.44	40.41	340.08	282.47	992.63	31.10	एनआर
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	44.14	42.49	107.05	50.65	51.35	15.52	3.18	0.00
31	चंडीगढ़	14.01	9.33	12.11	7.84	12.68	5.81	2.33	एनआर
32	दमन और दीव	0.00	0.00	14.14	15.94	14.14	14.07	4.53	एनआर
33	दादरा और नागर हवेली	228.43	317.17	276.66	687.49	490.19	570.32	320.31	0.17
34	दिल्ली	228.43	317.17	276.66	687.49	490.19	570.32	320.31	0.17
35	लक्षद्वीप	12.03	3.30	2.20	1.80	11.65	2.82	3.11	0.05
36	पुदुचेरी	19.27	17.97	17.72	18.67	8.81	4.74	0.51	0.04
	योग	47040.57	49451.53	47700.06	50722.88	44629.53	35802.74	13624.94	1593.32

* राज्यों के पास वचन उपलब्ध होने के कारण राज्यों को निधि रिलीज नहीं की गई है।

एनआर : सूचना प्राप्त नहीं हुई।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

2972. **श्री गौरव गोगोई :**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण देने पर रोक और संकटग्रस्त आस्तियों की मान्यता के आलोक में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रावधान में वृद्धि और आय में कमी के साथ अत्यधिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देयता वाले अधिकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को कम करने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सकारात्मक परिणाम नहीं दिखाएं है तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों का नुकसान बढ़ता जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या रणनीति बनाई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधीनाकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (ए.क्यू.आर.) से अनुपयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। ए.क्यू.आर तथा पी.एस.बी. द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप दबावग्रस्त खातों को एन.पी.ए. के रूप पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में अनुमानित हानियों, जिनके लिए पूर्व में पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष (एफ.वाई.) 2017-18 की चौथी तिमाही के दौरान दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप जब कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान पी.एस.बी. द्वारा 75,024 करोड़ रुपये समग्र परिचालन लाभ हासिल किया गया था, वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई ए.क्यू.आर. के परिणामस्वरूप पहचाने गये एन.पी.ए. के लिए सतत् पुराने प्रावधान करने के कारण अधिकतर को निवल हानियां हुई थी। चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वाध के दौरान पी.एस.बी. ने एन.पी.ए. और अन्य आकस्मिकताओं के लिए 85,791 करोड़ रुपये का समग्र प्रावधान किया था। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान बांड प्रतिफलों के कम होने के कारण, इन बैंकों को उनके निवेश पोर्टफोलियों पर 20,384 करोड़ रुपये की समग्रास्तियों पर वर्तमान मूल्य (मार्क टू मार्केट) में हानियां हुई थी।

पी.एस.बी. के लिए देयताएं मुख्यत: जुटायी गई माराशियां तथा उनका पूंजी आधार था। दिनांक 30.09.2018 की स्थिति के अनुसार (आंकड़े अनंतिम) 101.03 लाख करोड़ रुपये की समग्र जमा राशि के साथ पी.एस.बी. का ठोस जमा आधार और सतत् रूप से ऊपर की ओर जाता हुआ रुझान पी.एस.बी. में जमाकर्ताओं के विश्वास और भरोसे को प्रतिबिंबित करता है।

(ग) और (घ) सरकार ने एन.पी.ए. मे कटौती करने के लिए पिछले साढ़े चार वर्ष में व्यापक प्रयास किये हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता के मामलों के समाधान हेतु एक एकीकृत ढांचे के सृजन के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आई.बी.सी.) को अधिनियमित किया गया है। इसके अंतर्गत, आरंभ में ही अंतरित समाधान पेशेवर के द्वारा कार्पोरेट उधारकर्ता के कार्यों का प्रबंधन अपने हाथ लेने के साथ उधारदाता को नियंत्रक बनाने संबंधी दृष्टिकोण को अपनाते हुए विधिक प्रणाली का दुरूपयोग करके लाभ प्राप्त करने की सुविधा समाप्त कर दी गई है। इसके साथ, इरादतन चूककर्ताओं और एन.पी.ए. खातों के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों को समाधान प्रक्रिया से प्रतिबंधित करके उधारदाता-उधारकर्ता संबंध में मूलभूत परिवर्तन किया गया है। आई.बी.सी. के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए बैंकों को निदेश जारी करने हेतु आर.बी.आई. को प्राधिकार देने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियमों, 1949 को संशोधित किया गया है। आर.बी.आई. के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, (एन.सी.एल.टी.) के समक्ष आई.बी.सी. के अंतर्गत 41 उधारकर्ताओं, जिनमें से 12 की दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार संचित बकाया राशि 1,97,769 करोड़ रुपए थी और दिनांक 30.06.2017 की स्थिति के अनुसार शेष 29 की बकाया राशि 1,35,846 करोड़ रुपए थी, के संबंध में मामले दायर किये गये हैं।

(2) अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरुफ़ासीव अधिनियम 2002 को संशोधित किया गया है, जिसमें उधारकर्ता द्वारा आस्ति विवरण न दिये जाने के मामले में तीन माह के कारावास तथा उधारदाता द्वारा बंधक रखी संपत्ति पर 30 दिन के भीतर कब्जा प्राप्त करने का प्रावधान है। साथ ही, वसूली में तेजी लाने के लिए छह नये ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना की गई है।

(3) इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के सुधार एजेंडे के अंतर्गत, पी.एस.बी. ने सख्ती से वसूली के लिए दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल्स का सृजन किया है, स्वच्छ और प्रभावी निगरानी हेतु स्वीकृति पूर्व और स्वीकृति पश्चात् अनुवर्ती भूमिकाओं को अलग-अलग किया है, ऑनलाइन एकबारगी निपटान प्लेटफार्मों का सृजन प्रारंभ किया है और विशेषीकृत निगरानी एजेंसियों के माध्यम से उच्च मूल्य खातों की निगरानी के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

वैश्विक परिचालनों पर आर.बी.आई. के आंकड़ों के अनुसार, उपर्युक्त प्रयासों में सकारात्मक परिणाम दर्शाये हैं जो कि पिछले साढ़े तीन वित्तीय वर्ष के दौरान 2,21,984 करोड़ रुपये की वसूलियों के कारण पी.एस.बी. के एन.पी.ए. की घटोतरी के रूप में प्रतिबिंबित हुई है तथा पी.एस.बी. के सकल एन.पी.ए. में गिरावट होनी प्रारंभ हुई है जो कि मार्च, 2018 में 8,95,601 करोड़ रुपये के शीर्ष आंकड़े से 26,789 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज करते हुये सितम्बर, 2018 में 8,68,812 करोड़ रुपये हो गई है।

स्मोग और गंभीर प्रदूषण

2973. श्री रमेश चंद्र कौशिक:
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:
श्री कीर्ति आजाद:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली और कई अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में दिवाली के त्यौहार के पश्चात् स्मोग और गंभीर प्रदूषण के लिहाज से अत्यधिक गंभीर स्थिति का सामना किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सुभेद्य वर्ग को राहत प्रदान करने हेतु दिल्ली और उत्तर भारतीय राज्यों में वायु प्रदूषण को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवेन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली और अन्य उत्तर भारत के राज्यों में खास तौर पर सर्दियों के महीनों/दिवाली के दौरान विविक्त कण के संबंध में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर देखे गए हैं।

(ग) केंद्रीय सरकार ने दिल्ली और एन.सी.आर. में वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण एवं उपशमन के लिए व्यापक कार्य योजना (सी.ए.पी.) अधिसूचित की है। केंद्रीय सरकार ने व्यापक रीति से देशभर में बढ़ती हुई वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए दीर्घावधि समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में केंद्रीय क्षेत्र की 'प्रदूषण नियंत्रण' स्कीम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन.सी.ए.पी.) को अंतिम रूप भी दिया है। एन.सी.ए.पी. के तहत शहरी विशिष्ट कार्रवाई योजना के प्रतिपादन और कार्यान्वयन के लिए एक सौ दो (102) गैर-अनुपालकर्ता शहरों का चयन किया गया है।

सरकार ने वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के लिए ग्रेडिड अनुक्रिया कार्य योजना की अधिसूचना वैकल्पिक ईंधन की जैसे गैसीय ईंधन (सी.एन.जी. एल.पी.जी. आदि), इथनोल मिश्रण की शुरूआत; 2017 से बी.एस-IV का सार्वभौमिकरण; 1 अप्रैल, 2018 से एन.सी.टी. दिल्ली में और 1 अप्रैल, 2020 से पूरे देश में बी.एस.-IV से सीधे बी.एस-IV ईंधन मानकों को लागू करना; निर्माण एवं विंध्वस अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित करना; बायोमास को जलाने पर प्रतिबंध लगाना; निर्माण एवं विध्वंस के लिए धूल के शमन उपायों के कार्यान्वयन के बारे में अधिसूचनाएं; सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा; प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करने को सुव्यवस्थित करना; 1151.80 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेष के यथा प्रबंधन के लिए 'कृषि संबंधी यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू करना शामिल है।

[अनुवाद]

पैन कार्ड सूचना

2974. श्री रोड़मल नागर:
श्री पी. नागराजन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल्द से जल्द पैन कार्ड प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बड़ी संख्या में पैन कार्ड की सूचना की चोरी की गई है और उसका दूरुपयोग किया गया है और इन

चोरी किए गए पैन कार्ड धारकों के बैंक खातों से करोड़ों रुपए की चोरी सूचित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) जल्द से जल्द पैन कार्ड प्रदान करने के लिए आधार आधारित ई-के.वाई.सी. सत्यापन के माध्यम से किए गए आवेदन में पैन आबंटन के लिए गए आवेदन में पैन आबंटन हेतु लिये गए समय को मौजूदा बुनियादी ढांचे और आबंटन प्रक्रिया के उन्नयन के माध्यम से आगे और कम किया जा रहा है।

(ग) ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

(घ) उपरोक्त दिए गए उत्तर के दृष्टिकोण से लागू नहीं है।

क्रिप्टो मुद्रा

2975. **श्री फिरोज़ वरुण गांधी:**
कुंवर भारतेन्द्र सिंह
श्री अरविंद सांवत:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्रिप्टो मुद्राओं में व्यापार की वैधता के संबंध में सरकार का रुख क्या है;

(ख) क्रिप्टो मुद्राओं को शासित करने के लिए विनियमन प्रारुपों को तैयार करने हेतु करने हेतु स्थापित पैनल की संरचना का ब्यौरा क्या है और पैनल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और विनियमों के जारी करने का अनुमानित समय क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी क्रिप्टो मुद्राओं के संभावित खतरों के संबंध में आम जनता को आगाह करने के लिए कोई जागरुकरता अभियान चलाए हैं और धनशोधन और आंतकवादियों के लिए वित्त पोषण के संबंध में इसके दुरुपयोग के विरुद्ध उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार भारतीय नागरिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में लाई गई क्रिप्टो मुद्राओं के मूल्य की जानकारी रख रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार बिटकॉइन्स के स्थान पर अपनी स्वंय की क्रिप्टों मुद्रा शुरु करने का विचार कर रही है और एसी योजना या बिटकॉइन से निपटने के लिए या कोई वर्चुअल मुद्रा चलाने के लिए इकाई या कंपनी को लाइसेंस या प्राधिकृत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को वैध मुद्रा नहीं माना है। क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करने के लिए अनुमति देने का मुद्दा अंतर-मंत्रालयी समिति के विचारधीन है।

(ख) सरकार ने बिटकॉइन सहित क्रिप्टो करेंसी और आस्तियों के सभी पक्षों के अध्ययन हेतु सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की है जिसमें संबंधित विभागों के प्रातिनिधि शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रातिनिधित्व वाली यह समिति क्रिप्टो करेंसियों के विनिमयन हेतु रुपरेखा विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। तथापि, विश्वव्यापी स्वीकार्य समाधान के अभाव में तथा तकनीकि व्यवहार्थ समाधान निकालने की जरुरत को देखते हुए, यह विभाग उचित सावधानी बरतते हुए इस मामले की पैरवी कर रहा है। स्पष्ट सिफारिशें करने के लिए विशिष्ट समयरेखा निर्धारित करना कठिन है।

(ग) सरकार तथा आर.बी.आई ऐसी आभासी मुद्राओं द्वारा प्रस्तुत खतरों के बारे में क्रिप्टो करेंसी के उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देती रही है। सरकार ने दिनांक 29.12.2017 की प्रेस विज्ञप्ति के जरिए यह स्पष्ट किया है कि आभासी मुद्रा/ क्रिप्टो करेंसी वैध मुद्रा नहीं है तथा क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से होने वाले जोखिमों के खिलाफ लोगों को सतर्क किया है। भारतीय बैंक ने दिनांक 24/12/2013, 1/2/2017 और 5/12/2017 की प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए लोगों को आभासी मुद्राओं के जोखिमों और खतरों के बारे में खतरों के बारे में सतर्क किया है जिसमें वित्तीय, प्रचालनात्मक, विधिक, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित जोखिम शामिल हैं जो वे बिटकॉइन और/अथवा अन्य आभासी मुद्राओं में निवेश करके उठा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसने किसी निकाय/कंपनी का ऐसा कोई लाइसेंस/प्राधिकार नहीं दिया है कि वह ऐसी योजनाओं का प्रचालन करे अथवा बिटकॉइन या किसी आभासी मुद्रा में लेनदेन करे। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 6/4/2018 के पत्र के जरिए इसके द्वारा विनयमित सभी निकायों को यह सलाह दी है कि वे आभासी मुद्राओं में लेनदेन न करें अथवा आभासी मुद्रा में लेनदेन करने अथवा उन्हें निपटाने सभी निकाय

को सुविधा देने के लिए सेवा प्रदान न करे। तदनुसार, यह प्रतिबंध 6/7/2018 से प्रभावी हुआ है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति सभी मुद्दों पर विचार कर रही है जिसमें भारत में अधिकारिक डिजिटल मुद्रा प्रारम्भ करने के गुणावगुण शामिल हैं। ऐसी योजनाओं का प्रचालन करने अथवा बिटकॉइन अथवा किसी आभासी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए किसी निकाय अथवा कंपनी को लाइसेंस देने और प्राधिकार देने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अत्यधिक गंभीर कुपोषण

2976. श्री बी.वी. नाईक:
श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने बच्चों में अत्यधिक गंभीर कुपोषण (एस.ए.एम.) से निपटने के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में एस.ए.एम. से पीड़ित बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू.एच.ओ. ने एस.ए.एम. से पीड़ित बच्चों के लिए कोई आहार संबंधी मानक बनाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2018 में एस.ए.एम. के संबंध में मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देश डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा तय किए गए आहार संबंधी मानकों को पूरा करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि केंद्र सरकार ने ऐसे पीड़ित बच्चों को तैयार थेरेप्युटिक भोजन (आर.यू.टी.एम.) प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को स्वीकृति दे दी है: और

(ङ) क्या सरकार ने एस.ए.एम से पीड़ित बच्चों के प्रबंधन में (आर.यू.टी.एफ.) के उपयोग के संबंध में चिंता जाहिर की है जिसके कारण सरकार को अपनी पोषण नीति बदलनी पड़ेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेंद्र कुमार): (क) से (ग) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु वाले 7.5% बच्चे अत्यधिक गंभीर कुपोषण से पीड़ित है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अत्यधिक गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चे, जो चिकित्सीय रूप से ठीक हैं, का उपचार आउटडोर रोगी के रूप में तथा जो चिकित्सा जटिलता वाले हों, उनका उपचार इन्डोर रोगी के रूप में किया जाए।

तदनुसार, देश में चिकित्या जटिलता वाले अत्यधिक गंभीर कुपोषण से बच्चों को सुविधा केंद्रों पर प्रबन्धित किया जाता है, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह दस्तावेज़ उन सिद्धांतों के एक सुसंगत सेट के लिए आधार प्रदान करता है जिसका उपयोग सभी राज्यों द्वारा अत्यधिक गंभीर कुपोषण वाले बच्चों के सुविधा आधारिता प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। परिचालन दिशा-निर्देश, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संशोधित इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आई.ए.पी.) प्रोटोकॉल पर आधारित 5 वर्ष से कम उम्र वाले अत्यधिक गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों के प्रबंधन के लिए सुविधा/अस्पताल आधारित दृष्टिकोण पर फोक़स करते हैं।

सामुदायिक स्तर पर बिना चिकित्सा जटिलता वाले अत्यधिक गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों के प्रबंधन के लिए मंत्रालय ने देश में उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य और कार्यक्रम अनुभव पर विचार करने के आधार पर और राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श तथा राष्ट्रीय पोषण तकनीकी बोर्ड से परामर्श करके नीति आयोग के प्रतिनिधियों, संबद्ध मंत्रालयों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के तकनीकी समूह की सिफारिशों के आधार पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने, फिलहाल, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया है कि गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों के प्रबंधन के लिए आर.यू.टी.एफ. प्रदान करने का निर्णय सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण तकनीकी बोर्ड से परामर्श करके संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लिए जाए।

विवरण

पांच वर्ष से कम आयु वाले अत्यधिक गंभीर कुपोषण वाले 7.5% बच्चों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	अत्यधिक गंभीर कुपोषण (प्रतिशत)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.5

1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	4.5
3.	अरुणाचल प्रदेश	8
4.	असम	6.2
5.	बिहार	7
6.	चंडीगढ़	3.9
7.	छत्तीसगढ़	8.4
8.	दिल्ली	4.6
9.	दादरा और नगर हवेली	11.4
10.	दमन और दीव	11.9
11.	गोवा	9.5
12.	गुजरात	9.5
13.	हरियाणा	9
14.	हिमाचल प्रदेश	3.9
15.	जम्मू और कश्मीर	5.6
16.	झारखंड	11.4
17.	कर्नाटक	10.5
18.	केरल	6.5
19.	लक्षद्वीप	2.9
20.	मध्य प्रदेश	9.2
21.	महाराष्ट्र	9.4
22.	मणिपुर	2.2
23.	मेघालय	6.5
24.	मिजोरम	2.3
25.	नागालैंड	4.2
26.	ओडिशा	6.2
27.	पंजाब	5.6
28.	पुदुचेरी	8.0
29.	राजस्थान	8.6
30.	सिक्किम	5.9
31.	तमिलनाडु	7.9
32.	तेलंगाना	4.8
33.	त्रिपुरा	6.3
34.	उत्तर प्रदेश	6
35.	उत्तराखंड	9
36.	पश्चिम बंगाल	6.5
	भारत	7.5

सुकन्या समृद्धि योजना

2977. **श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:**
श्री अभिजित मुखर्जी:
श्री जितेन्द्र चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुकन्या समृद्धि योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके लिए बजटीय आवंटन कितना है;

(ख) इसके आरंभ से उक्त योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं/प्राप्त किए गए हैं और इसके अंतर्गत, विशेषकर पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के संदर्भ में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधियां आवंटित और उपयोग की गई हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत विशेषकर पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के शिमोगा जिले में कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या उक्त योजनाओं को शुरु करने से बाल विवाह रोकने या कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में सहायता मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) सुकन्या समृद्धि खाता योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

खाता बालिका के नाम पर माता-पिता अथवा कानूनी अभिभावक द्वारा बालिका के जन्म से उसके दस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक किसी भी वित्त वर्ष में दो सौ पचास रुपये की प्रांरभिक राशि तथा एक लाख पचास हजार रुपये की अधिकतम राशि से खेला जा सकता है। उच्चतर शिक्षा के प्रयोजनों के लिए खाते में से आहरण किया जा सकता है। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर

खाता परिपक्व होगा। स्कीम के ब्यौरे *http:nsiindia.gov.in/writereaddata/fileuploads/ssa2016rules.pdf* पर देखे जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता स्कीम के लिए कोई विशिष्ट आबंटन नहीं है।

(ख) सुकन्या समृद्धि खाता स्कीम सरकारी बचत स्कीमों के अंतर्गत एक स्वैच्छिक बचत स्कीम है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं।

(ग) अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में और कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्कीम के अंतर्गत शामिल लाभानुभोगियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण-I

वित्त वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान एस.एस.ए. स्कीम के अंतर्गत खोले गए खातों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1,817	478
2.	आंध्र प्रदेश	4,49,379	1,30,280	1,09,082
3.	अरुणाचल प्रदेश	6,343	3,282	2,397
4.	असम	1,47,604	36,591	26,884
5.	बिहार	2,66,432	1,55,710	1,48,992
6.	चंडीगढ़	0	5,274	3,799
7.	छत्तीसगढ़	1,44,383	1,11,849	1,19,087
8.	दादरा और नगर हवेली	0	453	393
9.	दमन और दीव	0	645	484
10.	दिल्ली	1,15,455	82,604	60,448
11.	गोवा	23,915	6,576	5,695
12.	गुजरात	1,87,260	1,70,297	1,09,226
13.	हरियाणा	2,57,389	1,13,557	75,302
14.	हिमाचल प्रदेश	1,28,625	41,588	43,872
15.	जम्मू और कश्मीर	1,17,880	15,421	10,319
16.	झारखंड	4,24,891	1,04,032	44,819
17.	कर्नाटक	8,95,766	1,33,000	1,34,903
18.	केरल	3,00,976	57,104	58,402
19.	लक्षद्वीप	0	0	10
20.	मध्य प्रदेश	3,26,107	1,58,176	1,17,524
21.	महाराष्ट्र	5,93,791	2,90,877	2,41,222
22.	मणिपुर	17,804	4,787	3,656
23.	मेघालय	2,893	4,090	2,474
24.	मिजोरम	2,000	1,415	529
25.	नागालैंड	3,358	1,295	704
26.	ओडिशा	2,91,535	1,27,160	98,798
27.	पुदुचेरी	0	4,580	3,575
28.	पंजाब	2,11,635	83,263	66,347
29.	राजस्थान	3,00,840	1,32,601	1,98,545
30.	सिक्किम	5,077	1,905	1,267
31.	तमिलनाडु	12,35,234	1,71,507	1,58,396
32.	तेलंगाना	2,96,963	95,621	86,351
33.	त्रिपुरा	13,720	7,752	3,841
34.	उत्तर प्रदेश	9,78,263	2,49,120	2,38,317
35.	उत्तराखंड	2,32,492	51,846	50,398
36.	पश्चिम बंगाल	5,53,472	1,29,545	1,01,134
	कुल	85,31,482	26,85,620	23,27,670

विवरण-II

जिला शिमोगा, कर्नाटक में वित्त वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान एस.एस.ए. स्कीम के अंतर्गत खोले गए खातों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	वर्ष	खोले गए खातों की संख्या
1.	2015-16	17,915
2.	2016-17	3,048
3.	2017-18	3,480

मुखौटा कंपनियों पर कार्रवाई

2978. श्रीमती वी. सत्यबामा:
श्री पी.आर. सेनथिलनाथन:
श्रीमती आर. वनरोजा:
श्री आर.के. भारती मोहन:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमुद्रीकरण के पश्चात् कई हजार मुखौटा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मौजूदा स्थिति क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और इस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) और (ख) 'शैल कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) में परिभाषित नहीं है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(ग) के अनुसार यदि कोई कंपनी व्यापार या कारोबार 2(दो) तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की अवधि के दौरान संचालित नहीं करती है और अधिनियम की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी का दर्जा पाने के लिए इस अवधि के दौरान कोई आवेदन नहीं करती है, तो ऐसी कंपनी का नाम कंपनी रजिस्ट्रर से हटाने का प्रावधान है। उल्लिखित उपबंधों के आधार पर तारीख 31.3.2017 तक 2.97 लाख ऐसी कम्पनियों की पहचान की गई थी और तारीख 31.12.2017 तक आगे सम्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 2.26 लाख कंपनियों के नाम कंपनी रजिस्ट्रर से हटा दिए गए थे इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अधिनियम की धारा 248 के तहत कार्रवाई के लिए कुल 2,25,910 कंपनियों के नाम को हटाया गया है यह निरंतर प्रक्रिया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम की धरा 216 के साथ पठित धारा 210(1)(ग) के तहत 68 कंपनियों के वास्तविक स्वामित्व अधिकार की जॉच के आदेश दिए हैं।

बेबी पाउडर संबंधी मुकदमा

2979. श्री जैदेव गल्ला: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यू.एस. न्यायालय की एक रिपोर्ट कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बेबी टेलकम पाउडर के उपयोग से महिलाओं में कैंसर हुआ है, का संज्ञान लिया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत के संदर्भ में इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) मीडिया की ऐसी रिपोर्टें थी कि यू.एस.ए. में लुईस जूरी ने इस वर्ष जुलाई में 22 महिलाओं और उनके परिवारों को उनके द्वारा यह दावा करने के पश्चात कि जॉनसन एंड जॉनसन टेलकम पाउडर में उपस्थित एस्वेस्टास के कारण ही उन्हें डिबाशय कैंसर हुआ था, लगभग 4.7 बिलियन डॉलर की कुल क्षतिपूर्ति की थी।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने आंचलिक कार्यालयों से मामले की जांच करने तथा मानकों की अनुपालना को सत्यापित करने के लिए औषधि एवं सोन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत नमूने लेने के लिए कहा है।

अनाथालय

2980. श्री कंवर सिंह तंवर:
श्री विजय कुमार हांसदाक:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अनाथ बच्चों को चिन्हित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ख) देश में कुल कितने अनाथालय चल रहे हैं और विगत 3 वर्षों के दौरान उनमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषत: झारखंड में कितने बच्चे रह रहे है;

(ग) क्या सरकार का अनाथालय में रह रहे बच्चों के शिक्षा और विकास के लिए कोई नई योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत 3 वर्षों के दौरान ऐसे अनाथालयों को चलाने के लिए कितनी निधि आवंटित/जारी और उपयोग में लाई गई है;

(ङ) क्या अनाथालय में रह रहे अनाथों के कल्याण और इनके संचालन के संबंध में झारखंड राज्य सरकार से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन सुझावों पर क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(42) के अनुसार 'अनाथ' का अर्थ है, ऐसा बच्चा जिसके जैविक अथवा दत्तक माता-पिता या कानूनी अभिभावक न हों; अथवा जिसका कानूनी अभिभावक बच्चे की देखभाल करने का दच्छुक न हो या देखभाल करने के लिए सक्षम न हो। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2(14) (vi) मे देखरेख और संरक्षण के जरुरतमंद बच्चों को ऐसे बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनके माता-पिता न हो और कोई भी व्यक्ति उनकी देखभाल करने का इच्छुक न हो अथवा जिनके माता-पिता ने छोड़ दिया हो या परित्याग कर दिया हो। अत:, देखरेख और संरक्षण के जरुरतमंद बच्चों में अन्य बच्चों के साथ-साथ अनाथ बच्चे शमिल हैं। अधिनियम में ऐसे बच्चों के लिए संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख अधिदेशित है। सरकार बाल संरक्षण सेवाएं क्रियान्वित कर रही है, जो कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत परिकल्पित सुरक्षा तंत्र प्रदान करने की स्कीम है। तथापि, अधिनियम के निष्पादन का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निधियन प्राप्त बाल देखरेख संस्थाओं की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले सुभेद्य बच्चों की देखरेख और संरक्षण के प्रावधान किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और क़िशोर न्याय मॉडल नियमावली, 2016 में परिभाषित किए गए हैं। बच्चों को संघ सरकार के सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है।

(घ) मंत्रालय किसी बाल देखरेख संस्था को सीधे निधियां निर्मुक्त नहीं करता। निधियों की निर्मुक्ति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके द्वारा संस्तुत संस्थाओं के प्रबंधन के लिए की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान सी.पी.एस. के अंतर्गत निर्मुक्त राज्य-वार निधियां विवरण-II में दी गई है।

(ङ) झारखंड सरकार से कोई विशिष्ट सुझाव मंत्रालय के नोटिस में नहीं आए हैं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

सी.पी.एस. स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निधियन प्राप्त बाल देखरेख संस्थाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	गृह			
		संरकार द्वारा संचालित	लाभार्थी	एन.जी.ओ. द्वारा संचालित	लाभार्थियों
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	80	2460	13	342
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	7	4	72
3.	असम	10	222	53	1213
4.	बिहार	16	1013	49	1129
5.	छत्तीसगढ़	22	641	50	1652
6.	गोवा	1	35	27	1547
7.	गुजरात	35	712	33	1350
8.	हरियाणा	8	374	47	1719
9.	हिमाचल प्रदेश	11	386	26	851
10.	जम्मू और कश्मीर	12	569	2	142
11.	झारखंड	13	531	43	1401

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	78	2709	67	1549
13.	केरल	29	759	17	194
14.	मध्य प्रदेश	27	849	74	2546
15.	महाराष्ट्र	34	775	62	1893
16.	मणिपुर	5	63	58	1448
17.	मेघालय	27	224	27	878
18.	मिजोरम	20	320	21	918
19.	नागालैंड	13	25	33	492
20.	ओडिशा	13	901	118	6425
21.	पंजाब	13	463	4	99
22.	राजस्थान	52	812	72	2516
23.	सिक्किम	4	65	20	550
24.	तमिलनाडु	45	3669	177	10886
25.	त्रिपुरा	14	430	17	394
26.	उत्तर प्रदेश	59	2376	61	3555
27.	उत्तराखंड	18	193	4	161
28.	पश्चिम बंगाल	20	2210	100	4803
29.	तेलंगाना	47	1580	6	105
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	8	367
31.	चंडीगढ़	6	193	2	46
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	20	790	24	1164
36.	पुदुचेरी	6	161	26	1032
	कुल	759	26517	1345	53439

*बच्चों की संख्या बदल सकती है, क्योंकि बच्चे इन संस्थाओं में आते-जाते रहते हैं।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटित/निर्मुक्त तथा उनके द्वारा उपयोग की गई निधियां

10.12.2018 तक की स्थिति के अनुसार विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों सहित बाल संरक्षण सेवाओ के अंतर्गत निर्मुक्त और उपयोग किए गए अनुदान की स्थिति

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	238.58	500.52	110.74	586.32	1469.88	1537.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	571.68	92.02	52.29	179.54	643.71	180.00
3.	असम	597.90	1025.07	413.64	1112.98	2932.68	1787.53
4.	बिहार	2687.89	1896.52	2787.92	1923.33	541.56	1633.69
5.	छत्तीसगढ़	3955.55	2086.26	527.77	1683.25	3181.97	2486.27
6.	गोवा	235.25	39.68	36.83	98.27	728.53	54.44
7.	गुजरात	2328.90	1510.37	769.95	1526.53	590.11	1767.24
8.	हरियाणा	496.44	350.89	0.00	1224.85	1858.22	2500.00
9.	हिमाचल प्रदेश	604.04	1255.12	2345.48	2390.26	1835.01	1833.11
10.	जम्मू और कश्मीर	113.35	0.00	43.12	114.71	807.48	807.48
11.	झारखंड	369.88	387.42	840.11	842.14	1714.57	1641.76
12.	कर्नाटक	1845.24	2193.66	3720.80	3709.53	3272.45	1364.04
13.	केरल	944.39	660.25	260.50	216.96	1849.45	1275.72
14.	मध्य प्रदेश	1116.03	2373.81	2503.88	2535.83	3262.77	2582.87
15.	महाराष्ट्र	3138.75	1975.29	2272.33	1569.37	608.15	608.15
16.	मणिपुर	3082.18	1163.81	241.34	709.47	1886.33	2103.00
17.	मेघालय	1469.55	1497.88	2060.33	2060.33	1846.60	1846.60
18.	मिजोरम	2079.44	2079.44	1949.55	1949.55	1917.51	1917.51
19.	नागालैंड	2257.65	1473.21	1350.37	1447.50	1457.45	1457.45
20.	ओडिशा	3309.07	2669.74	1089.22	2580.78	2599.30	2782.53
21.	पंजाब	820.81	515.57	581.67	718.31	143.24	875.43
22.	राजस्थान	3258.92	2929.43	0.00	2267.52	4752.30	2890.87
23.	सिक्किम	562.00	303.74	601.18	365.87	662.76	125.43
24.	तमिलनाडु	825.04	4282.78	13039.37	3648.55	2013.12	5512.50

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	354.88	93.94	195.64	1823.98	894.82	633.08
26.	उत्तर प्रदेश	710.63	680.20	676.04	415.30	446.81	499.00
27.	उत्तराखंड	2884.18	3293.57	3207.19	3109.82	1830.67	4222.98
28.	पश्चिम बंगाल	66.88	3.89	15.54	187.54	907.57	731.40
29.	तेलंगाना	508.67	1067.29	6763.87	3522.60	5073.56	4232.67
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36.03	36.03	36.88	36.76	31.66	93.36
31.	चंडीगढ़	357.82	324.15	245.44	278.53	194.32	172.73
32.	दादरा और नगर हवेली	58.66	5.84	177.59	59.11	24.82	69.90
33.	दमन और दीव	82.82	57.69	126.42	80.33	21.89	83.00
34.	लक्षद्वीप	1363.40	931.53	978.64	1024.94	354.33	907.88
35.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
36.	पुदुचेरी	559.60	622.75	826.33	768.69	114.35	426.20
	कुल	43892.10	40379.36	50847.97	46769.35	52469.95	53642.93

[हिन्दी]

केंद्र प्रायोजित योजनाएं

2981. **श्री लखन लाल साहू:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु राज्यों को धनराशि प्रदान करती और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न प्रस्तावित योजनाओं हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत और जारी किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार को आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (ग) केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 28 केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए धनराशि प्रदान करती है। केंद्र सरकार/वित्त मंत्रालय प्रत्येक केंद्र प्रायोजित स्कीम के लिए भिन्न-भिन्न मंत्रालयों/विभागों को मांग-वार बजट राशि आबंटित करता है और फिर मंत्रालय/ विभाग संबंधित राज्यों की समेकित निधियों के माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की केंद्र प्रायोजित स्कीम का केंद्र सरकार का हिस्सा आंबटित करते हैं। केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए धनराशि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा अलग-अलग स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीम-वार जारी की जाती है। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को धनराशि का जारी किया जाना कतिपय कारकों पर भी निर्भर करता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना, उपलब्धियों की प्राप्ति आदि शामिल हैं। पिछले चार वर्षों में 28 केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए भारत सरकार के व्यय बजट में परिव्यय की नीचे दर्शाई गई प्रवृत्ति से 2015-16 के वास्तविक की तुलना में 2018-19 के बजट प्राक्कलन में लगभग 40% वृद्धि का पता चलता है।

(करोड़ रुपए में)

वास्तविक 2015-16	वास्तविक 2016-17	ब्र.प्रा. 2017-18	सं.प्रा. 2017-18	ब.प्रा. 2018-
2,03,740	2,41,296	2,78,433	2,85,581	3,05,517

[अनुवाद]

अंबिलिकल कोर्ड ब्लड बैंक

2982. **श्री नारामल्ली शिवप्रसाद:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में स्टेम सेल बैंकिंग के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत अंबिलिकल कोर्ड ब्लड बैंको की संख्या कितनी है और विगत तीन वर्षों के दौरान इस सुविधा को प्राप्त करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार की अंबिलिकल कोर्ड शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) जी नहीं। तथापि, स्टेम सेल्स से प्राप्त नाभि रज्जु रक्त के संकलन, प्रसंस्करण, परीक्षण, भंडारण, बैकिंग तथा निर्गत हेतु आवश्यकताएं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची 'च' भाग XII-'घ' में दी गयी हैं।

(ख) अनुमोदित नाभिरज्जू रक्त बैंकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सुविधा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का कोई डाटा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) को ऐसे अनुमोदित नाभि रज्जू रक्त बैंकों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

क्र.सं.	यू.सी.बी. बैंक का नाम व पता	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
1	2	3
1.	मैसर्स पैथ केयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, सर्वे नं. 34, गीतांजलि इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे, गांव चिरियाल, कीसारा मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
2.	मैसर्स स्टेसाइट भारत थैराप्यूटिक प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 1क, भट जी.आई.डी.सी. एस्टेट, गांधी नगर, गुजरात	गुजरात
3.	कैसर्स बेस्ट वेलकेयर मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि. (इंदु स्टेम सेल बैंक), तीसरा तल, विनराज प्लाजा, सरकारी प्रेस के पीछे, कोठी, वडोदरा, गुजरात	गुजरात
4.	मैसर्स लाइफसेल इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नं. 26, सेक्टर 4, ई.एम.टी. मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा	हरियाणा
5.	मैसर्स यूनिस्टेम बायो साइंसेज प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नं. 62, उद्योग विहार, फेज-1, गुड़गांव, हरियाणा	हरियाणा
6.	मैसर्स क्रायोवीवा बायोटेक प्रा. लिमिटेड, 129, फेज सिटी-1, सेक्टर 37, गुड़गांव, हरियाणा (पूर्वी क्रायोबैंक इंटरनेशनल प्रा.लि.)	हरियाणा
7.	मैसर्स टोटीपोटेंट आर.एक्स. सेल थैरेपी प्रा. लिमिटेड, फॉर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टिट्यूट,. सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा	हरियाणा
8.	मैसर्स क्रायो सेव (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, 183, गायत्री टेक पार्क, ई.पी.आई.पी., सड़क आई.बी., व्हाइटफील्ड, बंगलौर 560066	कर्नाटक
9.	मैसर्स इंटरनेशनल स्टेमसेल सर्विसेज लिमिटेड, टॉवर 5, 9/1, मिशन रोड, सुब्बैया सर्किल, बंगलौर 560027	कर्नाटक
10.	मैसर्स नारायण हृदयालय ऊतक बैंक और स्टेम सेल रिसर्च सेंटर, 258, बोम्मासंदरा सर्किल, बैंगलोर-99	कर्नाटक
11.	मैसस क्रायोवोल्ट बायोटेक इंडिया प्रा. लिमिटेड, 06, आर्डेन फेयर, चौथी मंजिल, पाय लेआउट, ओल्ड मद्रास रोड, टिन फैक्टरी, बेंगलुरू-560016, कर्नाटक	कर्नाटक
12.	मैसर्स स्टेम सेल अनुसंधान एवं पुनर्योजी औषधि विश्वविद्यालय केंद्र (एन.यू.सी.एस. आर.ई.एम.), के.एस. हेगड़े मेडिकल	कर्नाटक

1	2	3
	अकादमी, निथियानंद नगर, डेरालाकट्टे, मैंगलुरु-575018, कर्नाटक	
13.	मैसर्स क्रायो स्टेमसेल कर्नाटक प्रा. लिमिटेड, नं. 437, 40वीं क्रॉस, टी.एच. ब्लॉक, जयनगर, बैंगलोर	कर्नाटक
14.	मैसर्स रिलायंस लाइफ साइंसेज प्रा. लिमिटेड, धीरूभाई अंबानी लाइफ साइंस सेंटर, आर-282, टी.टी.सी. औद्योगिक क्षेत्र, ठाणे बेलापुर रोड, रबेले, नई मुंबई-400071	महाराष्ट्र
15.	मैसर्स रिग्रो बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, 22, शाह औद्योगिक एस्टेट, नगरगांव, लोनावाला, मावल, पुणे, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
16.	मैसर्स री लेबोरेट्रीज प्रा. लिमिटेड, यूनिट नंबर 3, अंधेरी औद्योगिक एस्टेट, वीरा देसाई रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-53	महाराष्ट्र
17.	मैसर्स साईसेवा बायोटेक प्रा. लिमिटेड, मनारया हाउसिंग सोसायटी का प्रथम तल, सर्वे नं. 384/क/1क/1, शाहूपुरी, सतारा-415002, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
18.	मैसर्स स्टेम प्लस क्रायोप्रिजर्वेशन प्रा. लिमिटेड, प्रथम तल, कार्यालय संख्या एफ1, एफ2 और एफ3, संगली-मिराज-कुपाड़ प्रतिमा, एस.टी. रोड, खान भाग, संगली	महाराष्ट्र
19.	मैसर्स लाइफसेल इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड, क्र.सं. 48, ग्राम कीलाकोट्टय्यूर, बंदलूर रोड़, चेन्नई-48	तमिलनाडु
20.	मैसर्स जीवन ब्लडबैंक एवं रिसर्च सेंटर, (प्रौद्योगिकी, शिक्षा और अनुसंधान के लिए लिस्टर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित) 22/11, दूसरा तल, ब्हीट क्रॉफ्ट्स रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नई-600034	तमिलनाडु
21.	मैसर्स कॉर्ड लाइफ साइंसेज इंडिया प्रा. लिमिटेड, पीएल ड्यूटी रोड के पीछे, डायमंड हार्बर रोड, बिष्णुपुर, दक्षिण 24, परगना, पश्चिम बंगाल-743503	पश्चिम बंगाल
22.	मैसर्स कॉर्ड ब्लड बैंक, ट्रॉपिकल मेडिसिन स्कूल, तीसरा और चौथा तल, सी.ओ.ई. बिल्डिंग, 108 सी.आर. एवेन्यू, कोलकाता 700073, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल

वनों में लगने वाली आग

2983. **कुमारी शोभा कारान्दलाजे**
श्री प्रताप सिम्हा:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत के वनों में लगने वाली आग के प्रबंधन को मजबूत बनाने हेतु एक रिपोर्ट जारी की है और यदि हां, तो रिपोर्ट की सिफारिशें तथा मुख्या विशेषताएं क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वनों में लगने वाली आग को नियंत्रित करने हेतु एक राष्ट्रीय योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का समुदायों और वन विभाग को प्रोत्साहन देने का विचार है और वनों में लगने वाली आग को नियंत्रित करने हेतु जनजागरण की शुरुआत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार वन में आग से बचाव और प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन कर रही है और यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत कितनी निधि आवंटित की गई है और विगत दो वर्षों के दौरान 45-65 प्रतिशत निधि आवंटित नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में वनों में लगने वाली आग की घटनाओं को कम करने हेतु क्या सक्रिय और आक्रामक कार्यनीति अपनाई गई?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) मंत्रालय ने विश्व बैंक के सहयोग से वन में लगने वाली आग पर स्थिति विश्लेषण पर एक अध्ययन किया है और एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक "भारत में वनाग्नि प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण करना" है जिसमें कई सिफारिशें जैसे की आग की रोकथाम, जांच, दमन, आग लगने के बाद प्रबंधन, समुदायों का सहयोग, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय आदि

की गई है। मंत्रालय द्वारा अध्ययन के इनुपटस का उपयोग राष्ट्रीय वनाग्नि कार्य योजना को बनाने हेतु किया गया था।

(ख) मंत्रालय ने राष्ट्रीय वनाग्नि कार्य योजना तैयार की है और वन में लगने वाली आग की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सभी राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकार को यह परिचलित कर दी है।

(ग) राज्य/संघ शासित प्रदेशों के वन विभागों में स्थानीय समुदायों, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जी.एफ.एम.सी.) और पारि-विकास समितियों (ई.डी.सी.) को वन में लगने वाली आग की रोकथाम और नियंत्रण सहित विभिन्न वन संरक्षण और सुरक्षा उपायों में शामिल किया जाता है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित दावानल निवारण और प्रबंधन (एफपीएम) स्कीम के तहत वन में लगी आग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। पूर्व की वन प्रबंधन की तीव्रीकरण स्कीम (आई.एफ.एम.एस.) और चालू दावाग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन स्कीम (एफ.पी.एम.) के तहत पिछले दो वर्षों में वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन सहित अनेक वन सुरक्षा उपायों के लिए राज्य/संघ राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्यों से वार्षिक कार्य योजना और उपयोग प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेज प्राप्त होने के बाद निधियां जारी की जाती है। राज्य सरकारों से समय पर यूसी और दस्तावेज न मिलने पर विलंब होता है।

मंत्रालय ने वन में लगी आग पर राष्ट्रीय वनाग्नि कार्य योजना प्रतिपादिय की है और वन में लगी आग की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को यह परिचालित कर दी है। वन में लगी आग की रोकथाम और प्रबंधन की जिम्मेदारी पूर्णत: संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों की होती है।

विवरण-I

पिछले दो वर्षों में वनाग्नि की रोकथाम और प्रबंधन स्कीम

क्र.सं.	राज्य का नाम	2016-17 (जारी की गई)	2017-18 (जारी की गई)
1	2	3	4
अन्य राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00
2.	बिहार	88.59	75.00
3.	छत्तीसगढ़	211.04	168.00
4.	गुजरात	122.26	75.00
5.	गोवा	0.00	0.00
6.	हरियाणा	93.91	75.00
7.	हिमाचल प्रदेश	331.36	276.70
8.	जम्मू और कश्मीर	95.61	75.00
9.	झारखंड	199.63	105.00
10.	कर्नाटक	203.27	105.00
11.	केरल	163.65	234.53
12.	मध्य प्रदेश	281.15	168.00
13.	महाराष्ट्र	372.58	321.58
14.	ओडिशा	266.14	168.00
15.	पंजाब	0.00	75.00
16.	राजस्थान	174.22	105.00
17.	तमिलनाडु	74.29	105.00
18.	तेलंगाना	0.00	105.00
19.	उत्तर प्रदेश	139.72	75.00
20.	उत्तराखंड	304.03	168.00
21.	पश्चिम बंगाल	92.83	75.00
	कुल	3214.28	2554.81
पूर्वोत्तर और सिक्किम			
1.	असम	0	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	181.34	102.00
3.	मणिपुर	125.02	219.88
4.	मेघालय	126.57	104.63
5.	मिजोरम	131.29	90.59
6.	नागालैंड	170.01	92.56
7.	सिक्किम	119.73	148.59
8.	त्रिपुरा	190.76	66.00
	कुल	1044.72	824.25

1	2	3	4
संघ शासित प्रदेश			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	56.23	9.00
2.	चंडीगढ़	74.52	8.00
3.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00
4.	दमन और दीव	0.00	0.00
5.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
6.	नई दिल्ली	50.00	30.00
7.	पुदुचेरी	0.00	30.00
	कुल	180.75	77.00
	कुल योग	4439.75	3456.06

भारत में पोषण की स्थिति

2984. **श्री एम.बी. राजेश:**
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री के. अशोक कुमार:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कुपोषण के कारण महाराष्ट्र सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने बच्चों की मौत हुई है;

(ख) ऐसी मौतों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उपाय किए गए है;

(ग) क्या विगत चार वर्षों के दौरान बाल कुपोषण पर कोई व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण/अध्ययन किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन के पर्यवेक्षण में देश में पोषण की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार का बाल कुपोषण से निपटने हेतु आंगनवाड़ी की पहुंच बढ़ाने हेतु कोई प्रयास किए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का बाल कुपोषण से निपटने हेतु समयबद्ध ढंग से आई.सी.डी.एस. का सार्वभौमिकीकरण सुनिश्चित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) देश में बच्चों की मृत्यु की संख्या के संबंध में आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, कुपोषण एक बहु-आयामी समस्या है और यह मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण नहीं है, लेकिन संक्रमणों के खिलाफ लड़ने की क्षमता को कम करके रुग्णता और मृत्यु-दर में इसका योगदान होता है।

(ख) सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और पोषण से संबंधित विभिन्न मुद्दों मंत्रालयों/विभागों की अनेक स्कीमें क्रियान्वित कर रही है। यह मंत्रालय प्रत्यक्ष लक्षित उपायों के रूप आंगनवाड़ी सेवा, किशोरियों के लिए स्कीमें, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना, अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस) स्कीम क्रियान्वित कर रहा है।

इसके अलावा, सरकार ने पोषण अभियान भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य देश में 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में विकास अवरुद्ध, कम वजन और रक्ताल्पता, 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं में रक्ताल्पता और जन्म के समय का वजनी बच्चों के मामलों को समयबद्ध तरीके से रोकना और कम करना है।

(ग) पोषण संसूचकों के संबंध में आंकड़े स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के अंतर्गत इकट्ठे किए जाते हैं। पिछली बार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वक्षेण-4 वर्ष 2015-16 में आयोजित किए गया था।

(घ) जी, नहीं। ये आंकड़े राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों में शामिल होते हैं।

(ङ) और (च) अम्ब्रेला आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं देश के सभी जिलों में पूरे भारत मे क्रियान्वित की जाती हैं। कुल 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए जा चुके हैं, जिनमें से 01.06.2018 तक की स्थिति के अनुसार 13.63 लाख आंगनवाड़ी केंद्र प्रचालित हैं। आंगनवाड़ी सेवाएं सर्वसुलभ हैं और सभी पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध हैं।

तिरुपति में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

2985. **श्री कोनाकल्ला नारायण राव:** क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तिरुपरति में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संस्थान को कब तक स्थापित किए जाने की सांभावना है और इस उद्देश्य हेतु कितनी निधि आवंटित की गई है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) इस समय तिरुपति में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

जानबूझकर चूक करने वाले किसान

2986. श्री असादुद्दीन ओवैसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों में किसानों के व्यापक आंदोलन के कारण किसानों के लिए 15000 करोड़ से 20,339 करोड़ के सस्ते क्या लेकर आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंकों ने अपनी बढ़ती हुई गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एन.पी.ए.) के कारण किसानों को दिए जाने वाले सस्ते ऋण के कदम का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमुख बिंदु क्या है;

(घ) क्या देश में कई किसान जानबूझकर ऋण चुकाने में चूक करते हैं जो ऋण चुकाने की स्थिति में हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की बैंकों की बढ़ती हुई एन.पी.ए. से बचाने के लिए ऐसे किसानों की पहचान करने और लाभ को जरुरतमंद किसानों तक पहुंचाने के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) किसानों को 7% प्रतिवर्ष की कम ब्याज दर कृषि उपलब्धता सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डी.एसी. एंड एफ.डब्ल्यू), भारत सरकार 3.00 लाख रुपये तक के अल्पवधि फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित करता है। इस योजना में बैंकों को उनके संसाधनों के उपयोग के लिए 2% की ब्याज सहायता दी जाती है। इसके अलावा, ऋण का तत्परता से भुगतान करने पर किसानों को 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, इससे ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4% हो जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 15000 करोड़ रुपये की राशि आंबटित की गई और योजना की कार्यान्वयन एजेंसियों को 13,045,72 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(घ) और (ड) आर.बी.आई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों के संबंध में पिछले तीन वर्ष की सकल अनर्जक आस्तियों (जी.एन.पी.ए.) के आंकड़े निम्नानुसार है:

कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप - जी.एन.पी.ए.

(करोड़ रुपए में)

31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2018
51,964	62,321	85,482

आर.बी.आई. के 01 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र के अनुसार, 'इरादतन चूक' के रूप में वर्गीकृत किया जाने वाला 'चूक' इरादतन, सुविचारित और परिकलित होना चाहिए। 'इरादतन चूक' का होना तब माना जाएगा जब यह नोट किया जाए कि भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्व को पूरा करने में चूक के साथ-साथ उक्त मास्टर परिपत्र में उल्लिखित कोई घटना हो, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, उधार ली गई निधियों का अन्यत्र उपयोग तथा गलत तरीके से निकासी, उधारदाता/बैंक आदि की जानकारी के बिना प्रतिभूति के रूप में रखी गई चल निर्धारित आस्ति अथवा अचल संपत्ति को बेचना या उसे हटाना आदि शामिल है। उक्त मास्टर परिपत्र में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षा की गई है कि वे इरादतन चूककर्ताओं की पहचान करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया लागू करें तथा इसके अंतर्गत संगत उपबंधों के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।

इरादतन चूककर्ता संबंधी दिशानिर्देश कार्रवाई के अनुसार इसमें (i) बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ऐसे चूककर्ताओं को दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं को प्रतिबंधित करना (ii) ऐसे उधारकर्ताओं को संस्थागत वित्त से वंचित करना। (iii) आपराधिक कार्रवाई करना (iv) बोर्ड से ऐसी कंपनियों के निदेशकों को हटाना और (v) प्रबंधन में बदलाव करना शामिल है। इसके अलावा, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को 25 लाख रुपए तथा इससे अधिक के बाद दायर/गैर वाद दायर इरादतर चूक वाले खातों की सूचना चार ऋण सूचना कंपनियों (सी.आई.सी.) को कम से कम मासिक आधार पर दिया जाना अपेक्षित है।

आर.बी.आई. ने 29 सितंबर, 2016 के परिपत्र के द्वारा इरादतन चूककर्ताओं की फोटो संबंधित वित्तीय संस्था की बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराई है।

राष्ट्रीय न्यूनतम दिशानिर्देश

2987. **श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर**: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के अंतर्गत क्रेच (शिशु देखभाल घर) चलाने और स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट *http://wcd.nic.in./sites/default/files/National%20Minimum%20Guidelines.pdf.* पर उपलब्ध है।

हाथियों का खतरा

2988. **श्री आर. ध्रुवनारायण**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने हाथियों के खतरे को रोकने के लिए वनों के चारों ओर रेल बाड़ा लगाने के लिए केन्द्रीय निधि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितना अनुदान जारी किया गया है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) जी नहीं। हालांकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मानव हाथी संघर्ष का उपशमन करने के लिए रेल बाड़ा बनाने हेतु राज्य सरकारों को प्रयुक्त रेल-बाड़ा प्रदान करने की व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के साथ परामर्श किया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नकली नोटों की पहचान करना और जब्त करना

2989. **श्री राजन विचारे**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने नकली नोटों की पहचान करने और उन्हें जब्त करने के इसके निर्देश का पालन नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक केन्द्रीय बैंक की ओर से इस प्रकार का कृत्य नकली नोट मानकों की विनियामक अनुपालना में एस.बी.आई. की खामियां पाए जाने के परिणामस्वरूप हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एस.बी.आई. के अलावा कुछ अन्य पी.एस.बी. भी इस मामले में दोषी पाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि 'जाली नोटों की पहचान करने और जब्त करने' के संबंध में आर.बी.आई. अनुदेशों के उल्लंघन एस.बी.आई. की एटा और मौरानीपुर शाखाओं द्वारा 157 जाली नोटों को सुरक्षित नहीं रखने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

(ग) और (घ) आर.बी.आई. ने सूचित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य बैंक के संबंध में इस प्रकार के किसी अन्य मामले का निपटान नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

नैदानिक स्थापन अधिनियम का कार्यान्वयन

2990. **श्री एम. चन्द्रकाशी**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के कार्यान्वयन के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त अधिनियम को कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा जनहित में सभी राज्यों में इस अधिनियम

के उपबंधों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने के लिए क्या कदम जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) से (ग) क्लिनिकल स्थापना (पंजीकरण तथा विनियमन) अधिनियम, 2010 दिल्ली को छोड़कर सभी संघ शासित राज्यों सहित 11 राज्यों में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, उत्तराखण्ड, असम तथा हरियाणा में लागू है, जिन्होंने इस अधिनियम को अपनाया है। अन्य राज्यों सहित संघ शासित राज्य दिल्ली ने अब तक इस अधिनियम को नहीं अपनाया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत इस अधिनियम को सभी अन्य राज्यों द्वारा अपनाया जाना है। शेष राज्यों में इस अधिनियम के प्रावधान इसके अपनाए जाने पर ही लागू होंगे।

स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, क्लिनिकल स्थापना अधिनियम, 2010 के प्रवर्तन तथा लागू करने की जिम्मेदारी राज्य/संघ शासित राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार का प्रयत्न है कि राज्य सरकारें क्लिनिकल स्थापना अधिनियम, 2010 को अपनाएं तथा समय-समय पर सख्ती से इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें।

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

(**माननीय अध्यक्ष** पीठासीन हुईं)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): मैडम, मैं बिहार में बढ़ रहे अपराधों पर बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: राजेश जी, आप अपना विषय पत्रों के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

12.0½ बजे

इस समय, श्रीमती वी. सत्यबामा और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 10168/16/18]

(2) (एक) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 10169/16/18]

(3) (एक) सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल

पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** सं. एल.टी. 10170/16/18]

(5) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10171/16/18]

(6) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38क के अंतर्गत पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पेट शॉप) नियम, 2018, जो 6 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 844(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 28 नवम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1141(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10172/16/18]

(7) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 5799(अ), जो 19 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 23 मार्च, 2015 की अधिसूचना सं. 814(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, कि एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10173/16/18]

(8) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018, जो 10 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 766(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (लेखाकरण प्रक्रिया) नियम, 2018, जो 20 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1133(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10174/16/18]

(9) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 5120(अ), जो 3 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण के संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10175/16/18]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बेंगलुरु के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बेंगलुरु के वर्ष 2017-2018 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10176/16/18]

(2) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10177/16/18]

(3) (एक) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेंजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष

2017-2018 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10178/16/18]

(4) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वार्षिक 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वार्षिक 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10179/16/18]

(5) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10180/16/18]

(6) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10181/16/18]

(7) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, जो 13 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/29 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2018 जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4825(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10182/16/18]

(8) सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) किसान विकास पत्र (संशोधन नियम), 2018 जो 3 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 955(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि. 956(अ), जो 3 अक्तूबर, 2018 के भारत में राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचित किया गया है कि 1 अक्तूबर, 2018 को या उसके पश्चात् लोक भविष्य निधि में किए गए अभिदायों तथा उपभोक्ता के खाते में जमा शेष राशि पर प्रतिवर्ष 8.0 की दर से ब्याज का वहन किया जाएगा।

(तीन) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन नियम), 2018 जो 3 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 957(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय बचत आवधिक निक्षेप (संशोधन) नियम, 2018 जो 3 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 958(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) राष्ट्रीय बचत आवर्ती निक्षेप (संशोधन) नियम, 2018 जो 3 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 959(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) राष्ट्रीय बचत (मासिक आय लेखा) संशोधन नियम, 2017 जो 3 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 960(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2018 जो 3 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 962(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम, 2018 जो 3 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1003(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10183/16/18]

(9) वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 128 के अंतर्गत जारी वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 2018, जो 6 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1091(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10184/16/18]

(10) सुकन्या समृद्धि लेखा नियम, 2016 के नियम 7 के उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 961(अ), जो 3 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि 1 अक्तूबर, 2018 को या उसके पश्चात् निधि में किए गए अभिदायों तथा उपभोक्ता खाते में जमा शेष राशि पर प्रतिवर्ष 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का वहन किया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10185/16/18]

(11) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 30 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 823(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा कार्यालय या संपर्क कार्यालय या परियोजना कार्यालय या कारोबार के किसी अन्य स्थान की स्थापना) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 31 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 827(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 9 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1093(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10186/16/18]

अपराह्न 12.02 बजे

इस समय, श्री राजेश रंजन और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: राजेश जी, मैंने बोला है कि मैं यह मामला बाद में उठाने दूंगी। अभी आप अपनी सीट पर चले जाइए। इस समय पेपर लेड हो रहा है।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने सहयोगी श्री शिव प्रताप शुक्ला की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) आयकर अधिनियम, एक प्रति के अंतर्गत अधिसूचनाओं की एक 296 की धारा 1961 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2018 जो 19 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1128(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (9वां संशोधन) नियम, 2018 जो 30 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 4213(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (10वां संशोधन) नियम, 2018 जो 23 अक्तूम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1054(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (विवाद समाधान तालिका) (पहला संशोधन)

नियम, 2018 जो 23 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1015(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (11वां संशोधन) नियम, 2018, जो 25 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1068(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2018, जो 9 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 5149(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 5608(अ), जो 1 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पी.एम.एल.ए. की धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकार का अधिनिर्णयन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत उल्लिखित अपीलीय अधिकरण, न्यायनिर्णयन प्राधिकार अपीलीय अधिकार के कृत्यों का निर्वहन करेगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध (कठिनाइयों का निराकरण) दूसरा आदेश, 2018, जो 31 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 5602(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 5323(अ), जो 16 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदभिहित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 5575(अ), जो 12 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के द्वारा प्रदत्त अधिकारिता शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए नई दिल्ली में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ. 5523(अ), जो 16 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केन्द्रीय सरकार के विनिर्देशन के बारे में है कि बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकरण की नई दिल्ली खंडपीठ, उस अधिनियम के जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर अधिकारिता का प्रयोग करेगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ. 5677(अ), जो 12 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नई दिल्ली में अपीलीय अधिकरण की स्थापना किए जाने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10187/16/18]

(2) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) बीमा लोकपाल (संशोधन) नियम, 2018, जो 20 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 785(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा लोकपाल नियम, 2017, जो 27 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10188/16/18]

(3) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (दूसरा संशोधन) नियम, 2018, जो 19 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1129(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10189/16/18]

(4) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.नि.का. 742(अ) जो 6 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाता, जिन्हें अनंतिम पहचान पत्र प्राप्त हुए हैं लेकिन जो प्रवास प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाये हैं, को प्रवास प्रक्रिया पूरी करने के लिए विशेष प्रक्रिया विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.नि.का. 743(अ) जो 6 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30.09.2019 तक सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(4) के अंतर्गत कर के संदाय से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.नि.का. 759(अ) जो 10 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाताओं, जिनका माह जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक का कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, द्वारा प्रारूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.नि.का. 760(अ) जो 10 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाताओं, जिनका माह जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक का कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, द्वारा प्रारूप जीएसटीआर-1 तिमाही रूप से प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.नि.का. 761(अ) जो 10 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माह जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक प्रारूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.नि.का. 792(अ) जो 21 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माह जुलाई, 2018 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.नि.का. 801(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माह जुलाई, 2018 और अगस्त, 2018 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.नि.का. 802(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाताओं, जिनका माह जुलाई, 2018 और अगस्त, 2018 के लिए कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.नि.का. 802(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे करदाताओं, जिनका माह जुलाई, 2018 से सितम्बर, 2018 तक की तिमाही का कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2018 जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 831(अ) प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.नि.का. 832(अ) जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-04 में घोषणा करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.नि.का. 833(अ) जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-3ख, जीएसटीआर-4 और जीएसटीआर-6 में करदाताओं के विशिष्ट

वर्गों को विलंब शुल्क चुकाने से माफी देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.नि.का. 834(अ) जो 4 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-01 में करदाताओं के विशिष्ट वर्गों के लिए घोषणा करने की को समय-सीमा को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.नि.का. 854(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रपत्र जीएसटीआर-1 आईटीसी-01 में करदाताओं जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक था, को छूट देने की देय तिथि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.नि.का. 855(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय करदाताओं के लिए जिनका कुल कारोबार 1.5 करोड़ रुपए तक है, को देय तिथि को प्रापत्र जीएसटीआर-1 दाखिल करने की देय तिथि विस्तारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.नि.का. 856(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नए माइग्रेटेड (जिन्होंने दिनांक 6.8.2018 की अधिसूचना सं. 31/2018-केन्द्रीय कर के माध्यम से जीएसटीआईएन प्राप्त किया) में करदाताओं हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-3ख दाखिल करने की तिथि का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.नि.का. 857(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नए माइग्रेटेड (जिन्होंने दिनांक 6.8.2018 की अधिसूचना सं. 31/2018-केन्द्रीय कर के माध्यम से जीएसटीआईएन प्राप्त किया) में करदाताओं हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-3ख दाखिल करने की देय तिथि का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.नि.का. 858(अ) जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हाल में प्रवास किए (जिन्होंने दिनांक 6.8.2018 की अधिसूचना सं. 31/2018-केन्द्रीय कर के माध्यम से जीएसटीआईएन प्राप्त किया) में करदाताओं हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-3ख को फाइल करने के लिए नियत तारीख का विस्तार करना है तथा एक व्याख्या ज्ञापन।

(उन्नीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2018 जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 859(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम, 2018 जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 867(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.नि.का. 868(अ) जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम (टीडीएस से संबंधित उपबंध) की धारा 51 को 01.10.2018 से प्रवृत्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाइस) सा.नि.का. 869(अ) जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम (टीसीएस से संबंधित उपबंध) की धारा 52 को 01.10.2018 से प्रवृत्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.नि.का. 900(अ) जो 20 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रत्येक इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य आपरेटर द्वारा राज्यों के बीच करादेय आपूर्तियों के लिए संगृहीत किए जाने वाले स्रोत पर कर संग्रहण की दर को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 9 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 1007(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन)

नियम, 2018 जो 9 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 1011(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.नि.का. 1050(अ) जो 22 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सभी करदाताओं के लिए सितम्बर, 2018 के माह में प्रपत्र जीएसटीआर-3ख को फाइल करने की अंतिम तारीख को 25.10.2018 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.नि.का. 1056(अ) जो 23 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 32/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 15.09.2017 का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.नि.का. 1057(अ) जो 23 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पोस्ट ऑडिट प्राधिकरणों को टीडीएस के अनुपालन से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.नि.का. 1070(अ) जो 26 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय करदाताओं, जिनका रजिस्ट्रेशन 30 सितम्बर, 2018 को या उससे पूर्व रद्द किया गया है, को प्रपत्र जीएसटीआर-10 में अंतिम रिटर्न फाइल करने के लिए 31 दिसम्बर, 2018 तक का समय दिया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.नि.का. 1071(अ) जो 26 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2018 की अवधि के लिए प्रपत्र जीएसटी आईटीसी-04 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को 31 दिसम्बर, 2018 तक बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकत्तीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2018 जो 30 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 1075(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.नि.का. 1084(अ) जो 5 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तक आपूर्ति को टीडीएस से संबंधित उपबंधों के लागू होने से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा.नि.का. 1146(अ) जो 29 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले और तमिलनाडु के 11 जिलों में करदाताओं के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-3ख को फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सा.नि.का. 1147(अ) जो 29 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले और तमिलनाडु के 11 जिलों में करदाताओं के लिए 1.5 करोड़ रुपए से अधिक कुल आवर्त के करदाताओं हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-1 को फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा.नि.का. 1148(अ) जो 29 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में करदाताओं के लिए, माह जुलाई, 2018 से सितम्बर, 2018 तक की तिमाही के लिए, कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक के कुल आवर्त के करदाताओं हेतु प्ररूप जीएसटीआर-1 फाइल करने की नियत तारीख को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा.नि.का. 1149(अ) जो 29 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में करदाताओं के लिए जुलाई से सितंबर, 2018 तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में ब्यौरे भरने के लिए समयावधि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) सा.नि.का. 1150(अ) जो 29 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अक्तूबर, 2018 से दिसंबर, 2018 के महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-7 में ब्यौरे भरने के लिए समयावधि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** सं. एल.टी. 10190/16/18]

(5) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.नि.का. 744(अ) जो 6 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(4) के अंतर्गत 30.09.2019 तक कर संदाय से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.नि.का. 901(अ) जो 20 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अंतर्राज्यीय करादेय आपूर्ति के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा कर संग्रहण की दर अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.नि.का. 1052(अ) जो 22 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 14.09.2017 की अधिसूचना सं. 8/2017-एकीकृत कर का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** सं. एल.टी. 10191/16/18]

(6) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.नि.का. 745(अ) जो 6 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(4) के अंतर्गत 30.09.2019 तक कर संदाय से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** सं. एल.टी. 10192/16/18]

(7) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 8 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.नि.का. 1116(अ) जो 15 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधिनियमों को अधिसूचित करना है, जिनके अंतर्गत माल और सेवा कर में विनिर्दिष्ट कर सम्मिलित किए जा रहे हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** सं. एल.टी. 10193/16/18]

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.नि.का. 1180(अ) जो 6 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा भारत में उत्पादित तथा निर्यातित माल पर वापसी की सभी औद्योगिक दरों को अधिसूचित किया गया है तथा ये दरें निर्यातित माल के विनिर्माण में आदानों के रूप में प्रयुक्त, क्रमशः किसी आयातित सामग्रियों या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्रियों पर प्रभारित, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रिबेट की संगणना के लिए औसत दरें हैं और यह अधिसूचना 19.12.2018 से प्रभावी है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** सं. एल.टी. 10194/16/18]

(9) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत भारत गणराज्य तथा सिंगापुर गणराज्य के बीच हुए व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अधीन माल के उद्गम का सीमा शुल्क अवधारण (संशोधन) नियम, 2018 जो 14 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 881(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** सं. एल.टी. 10195/16/18]

(10) सा.नि.का. 1203(अ) जो 13 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कराई गई जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां

से निर्यातित "जियोलाइट 4ए (डिटर्जेंट ग्रेड)", के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को अधिरोपित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** सं. एल.टी. 10196/16/18]

(11) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.नि.का. 1212(अ) जो 15 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.नि.का. 1214(अ) जो 17 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 37/2017-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.नि.का. 3442(अ) जो 13 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना संख्या 63/2018-सी.शु. (एनटी) 19 जुलाई, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारित के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधन विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 3762(अ) जो 31 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) अधिसूचना संख्या 67/2018-सी.शु. (एनटी) 2 अगस्त, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 3976(अ) जो 14 अगस्त, 2018 के भारत में राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) अधिसूचना संख्या 72/2018-सी.शु. (एनटी) 14 अगस्त, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) अधिसूचना संख्या 74/2018-सी.शु. (एनटी.) 16 अगस्त, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 4236(अ) जो 31 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) अधिसूचना संख्या 77/2018-सी.शु. (एनटी) 6 सितंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ. 4869(अ) जो 14 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.नि.का. 80/2018/सी.शु.(एनटी) 19 सितंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) अधिसूचना संख्या 81/2018-सी.शु. (एनटी) 20 सितंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारित के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) अधिसूचना संख्या 83/2018-सी.शु. (एनटी) 28 सितंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारित के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 5014(अ) जो 28 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) अधिसूचना संख्या 85/2018-सी.शु. (एनटी) 4 अक्तूबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारित के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.नि.का. 5312(अ) जो 15 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) अधिसूचना संख्या 87/2018-सी.शु. (एनटी) 18 अक्तूबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.नि.का. 5601(अ) जो 31 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) अधिसूचना संख्या 90/2018-सी.शु. (एनटी) 1 नवंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का.आ. 5743(अ) जो 15 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) अधिसूचना संख्या 93/2018-सी.शु. (एनटी) 15 नवंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.नि.का. 5880(अ) जो 30 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) अधिसूचना संख्या 96/2018-सी.शु. (एनटी) 6 दिसंबर, 2018 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को

विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.नि.का. 1176(अ) जो 6 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** सं. एल.टी. 10197/16/18]

(12) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.नि.का. 1177(अ) जो 6 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) को निर्देश को हटाये जाने का उपबंध किया गया है क्योंकि जीएसटी के पश्चात् ये अधिनियम अस्तित्व में नहीं है; छूट और अन्य तकनीकी संशोधनों के रूप में प्राप्त किए गए उत्पाद शुल्क के संदाय पर, 30.06.2017 से पूर्व उत्पाद शुल्क के संदाय के बिना उपाप्त किए गए माल की निकासी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.नि.का. 1178(अ) जो 6 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क नियम, 2017 के सुसंगत नियमों के अंतर्गत जीएसटीआईएन, विद्यमान एफटीपी उपबंधों तथा 31.03.2003 की अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क आदि को निर्देश के साथ एक संशोधित बी-17 (सामान्य प्रतिभूतिसुरक्षा/) बंधपत्र अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** सं. एल.टी. 10198/16/18]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10199/16/18]

(2) (एक) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10200/16/18]

(3) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10201/16/18]

(4) (एक) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10202/16/18]

(5) (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आईजोल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आईजोल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10203/16/18]

(6) (एक) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10204/16/18]

(7) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10205/16/18]

(8) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10206/16/18]

(9) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) तेरहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 20 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एस.टी.डी.एस. अधिसूचना/एम. एंड एम.पी./(02)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 20 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एस.टी.डी.एस./(03)/अधिसूचना/(सी.एफ.ओ.आई. एंड वाई.सी.)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) बारहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 20 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एस.टी.डी.एस. अधिसूचना/ओ. एंड एफ./(7)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 जो 20 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-94/एफ.एस.एस.ए.आई.एस.पी./(दावे और विज्ञापन)/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पंद्रहवां संशोधन विनियम, 2018 जो 20 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-116/वैज्ञानिक समिति (अधि.)/2010-एफ.एस.एस.ए.आई. में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10207/16/18]

(10) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) दि कंटीन्यूइंग डेंटल एजूकेशन रेग्यूलेशन्स 2018 जो 18 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संडीई-226-2017 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स (दूसरा संशोधन) रेग्यूलेशन्स 2018 जो 18 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संडीई.-87(2)-2018 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दि "डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया स्क्रीनिंग टेस्ट (दूसरा संशोधन) रेग्यूलेशन्स 2018 जो 19 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संडीई.-147/प्रकीर्ण-1/2018 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10208/16/18]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10209/16/18]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10210/16/18]

(3) (एक) चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10211/16/18]

(4) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10212/16/18]

(5) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10213/16/18]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) : महोदया, मैं निम्नलिखित केंद्रों के संबंध में वर्ष 2017-2018 के लिए निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा पटल पर रखती हूं:

(1) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, (जेएसएस आर्थिक अनुसंधान संस्थान) धारवाड़।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10214/16/18]

(2) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, (सांख्यिकी विभाग, पटना, विश्वविद्यालय) पटना।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10215/16/18]

(3) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सामान्य और प्रकार्यात्मक भूगोल विभाग, डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय), सागर।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10216/16/18]

(4) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, (आन्ध्र विश्वविद्यालय) विशाखापत्तनम।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10217/16/18]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो 27 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 104/38/ लेखा-एक/इंट्रोडक्शन में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि. 1001(अ) जो 8 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 490(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10218/16/18]

(2) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो 8 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सीडब्ल्यूए/9/2018 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा.का.नि. 5808(अ) जो 20 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 3 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1693(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10219/16/18]

(3) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे जो 28 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सी.ए. (5)/69/ 2018 में प्रकाशित हुए थे तथा 26 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना सं. 1-सी.ए. (5)/69/2018 में प्रकाशित हुए थे तथा 26 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना सं. 1-सी.ए.(5)/69क/2018 में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र।

(दो) चार्टर्ड अकाउंटेंट (परिषद का निर्वाचन) संशोधन नियम, 2018 जो 23 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 796(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चार्टर्ड अकाउंटेंट (पेशेवर और अन्य कदाचार की जांच की प्रक्रिया तथा मामले का संचालन) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो 29 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1072(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सा.का.नि. 1155(अ) जो 30 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10220/16/18]

(4) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 जो 5 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी. 032 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 11 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.बी.बी.आई./ 2018-19/जी.एन./आर.ई.जी. 033 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इन्फोर्मेशन यूटिलिटीज) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 11 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी. 034 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (मॉडल बाइ-लॉज एंड गवर्निंग बोर्ड ऑफ इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 11 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी. 035 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (इनसोल्वेंसी प्रोफेशनल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 11 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.036 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (लिक्विडेशन प्रोसेस) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जो 22 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.037 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (विनियम जारी करने के लिए प्रक्रिया तंत्र) विनियम, 2018 जो 22 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.038 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो 5 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1083(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10221/16/18]

(5) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10222/16/18]

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2018 जो 27 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 708(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (लेखे) संशोधन नियम, 2018 जो 13 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 725(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (विवरणिका और प्रतिभूतियों का आवंटन) दूसरा संशाधन नियम, 2018 जो 7 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 725(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) पांचवां संशोधन नियम, 2018 जो 23 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 798(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (रजिस्ट्रेशन कार्यालय और फीस) चौथा संशोधन नियम, 2018 जो 23 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 797(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (विवरणिका और प्रतिभूतियों का आवंटन) तीसरा संशोधन नियम, 2018 जो 10 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 853(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (प्रबंध कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2018 जो 13 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 875(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (भारतीय लेखा मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो 20 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 903(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) छठा संशोधन नियम, 2018 जो 20 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 904(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) कंपनी (रजिस्ट्रेशन कार्यालय और फीस) पांचवां संशोधन नियम, 2018 जो 20 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 905(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) तीसरा संशोधन नियम, 2018 जो 26 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 925(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) चौथा संशोधन नियम, 2018 जो 13 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1108(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नियम, 2018 जो 14 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1111(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2018 जो 3 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1157(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) उपर्युक्त (54) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10223/16/18]

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उपधारा (2) के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना सं. 463(अ) के साथ पठित प्रारूप अधिसूचना सं. एफ.सं. 07/19/2012-सी.एल. 5 (भाग 5) जो सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की तीन धाराओं अर्थात् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 का खंड (45), धारा 4 की उपधारा (1) का खंड (क) और धारा 188 की उपधारा (1) से छूट प्रदान करने/प्रतिस्थापन करने के बारे में है, को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10224/16/18]

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) का.आ. 4822(अ) जो 13 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 5 में संशोधन के बारे में है।

(दो) सा.का.नि. 1022(अ) जो 11 अक्तूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ थे और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय 3 में संशोधन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** सं. एल.टी. 10225/16/18]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:

"मुझे लोकसभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्यसभा ने शुक्रवार, 3 अगस्त, 2018 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:

"कि यह सभा लोकसभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्यसभा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में श्री शरद यादव के दिनांक 04.12.2017 से राज्यसभा की सदस्यता से निरर्ह होने और श्री नरेश अग्रवाल और श्री सी.पी. नारायणन के क्रमश: 02.04.2018 और 01.07.2018 को सभा की सदस्यता से सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्यसभा के तीन सदस्यों को निर्वाचित करे और यह संकल्प करती है कि सभा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार रिक्तियों को भरने के लिए उक्त संयुक्त समिति में सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों को निर्वाचित करें।"

2. "मुझे लोकसभा को यह सूचना भी देनी है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, श्री आनंद शर्मा, श्री जावेद अली खान और श्री बशिष्ठ नारायण सिंह, सदस्य राज्यसभा को उक्त समिति के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित किया गया।"

अपराह्न 12.02½ बजे

लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अधीन अध्यक्ष लोकसभा के निर्देशों का संशोधन

महासचिव: महोदया, मैं लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अधीन प्रश्नों की संख्या की सीमा के

बारे में माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी निदेश 10ख में संशोधन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

विशेषाधिकार समिति
10वां प्रतिवेदन

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): मैं विशेषाधिकार समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: क्या हुआ? बाद में अभी पहले पेपर ले कर लूं, वह तो कमेटी की रिपोर्ट है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.04 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति
34वें से 37वां प्रतिवेदन

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): महोदया, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2018-2019) का चौतीसवां प्रतिवेदन (मूल) पैंतीसवां, छत्तीसवां और सैंतीसवां प्रतिवेदन (की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन) (हिन्दी या अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति
विवरण

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनंतपुरम): अध्यक्ष महोदया, मैं 'भारत-पाक संबंधी' विषय के बारे में सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा और आगे की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति
45वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदया, मैं अनुसूचित/गैर-अनुसूचित/टेस्ट फ्लाईंग एअर ऑपरेटर्स/अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहॉल (एम.आर.ओ.) कंपनियां/विमानपत्तन/विमानपत्तन प्रचालक-विशेष रूप से वायुयान की उड़ान से जुड़े उनके कर्मकारों/कर्मचारियों के संदर्भ में सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपाय के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 45वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति
291वें से 294वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

1. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 287वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 291वां प्रतिवेदन।
2. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 286वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 292वां प्रतिवेदन।
3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 288वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 293वां प्रतिवेदन।
4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2018 के बारे में 294वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति
111वें से 114वां प्रतिवेदन

डॉ. के. कामराज (कल्लाकुरिची): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

1. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई.) के अंतर्गत नए एम्स (चरण-1) के कार्यकरण के बारे में 111वां प्रतिवेदन।
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 106वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 112वां प्रतिवेदन।
3. स्वास्थ्य और अनुसंधान विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 107वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 113वां प्रतिवेदन।
4. आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में समिति के 108वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 114वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06½ बजे

'नकली मुद्रा' के बारे में दिनांक 20.7.2018 के अतारांकित प्रश्न सं. 571 के उत्तर में शुद्धि करने और शुद्धि करने में विलंब के कारण दर्शाने वाला वक्तव्य*

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री और पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): महोदया, मैं आप की अनुमति डॉ. सी. गोपालकृष्णन और श्री विष्णुदयाल राम, संसद सदस्य द्वारा 'नकली मुद्रा' के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 571 के 20.7.2018 को दिए गए उत्तर (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में विलंब के कारण बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

अधिप्रमाणित
(श्री पोन राधाकृष्णन)
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पोन राधाकृष्णन का डॉ. सी. गोपालकृष्णन और श्री विष्णु दयाल राम द्वारा 'नकली मुद्रा' के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 571 के संबंध में लोक सभा में दिनांक 20.7.18 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया **देखिए** सं. एल.टी.-10226/16/18

डॉ. सी. गोपालकृष्णन और श्री विष्णुदयाल एम. द्वारा 'नकली मुद्रा' के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 571 के दिनांक 20.7.18 को दिए गए उत्तर में, विमुद्रीकरण के पश्चात देश के विभिन्न भागों में जाली भारतीय मुद्रा पकड़ने से संबंधित घटनाओं/मामलों की कुल संख्या को इस प्रकार पढ़ा जाए:-

पुलिस ने दिनांक 9.11.2016 से 30.6.2018 तक 29,47,42,784 रुपए की कुल राशि के 4,27,858 जाली भारतीय करेंसी नोट जब्त किए हैं।

विलंब के कारण: विमुद्रीकरण के पश्चात पकड़े गए जाली भारतीय करेंसी नोट की कुल संख्या और मूल्य संबंधी भाग (क) में दिए गए उत्तर में, उत्तर बनाते समय क्षेत्रीय इकाई द्वारा सही आंकड़े प्राप्त करने में हुए विलंब के कारण ब्यौरे में अनजाने में गलती हो गई।

संशोधित उत्तर

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 571
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 जुलाई, 2018/29 आषाढ़, 1940 (शक) को दिया जाना है)

नकली मुद्रा

*571. **डॉ. सी. गोपालकृष्णन:**
श्री विष्णु दयाल राम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विमुद्रीकरण के पश्चात देश के विभिन्न भागों में जाली मुद्रा पकड़ने से संबंधित दर्ज घटनाओं/मामलों की संख्या कितनी है तथा जब्त किए गई उक्त नोटों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या नए नोटों में डाली गई सुरक्षा विशेषताएं देश में असली और नकली नोटों में अंतर की पहचान करने के लिए अपर्याप्त हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों के पास आम जनता को कोई भी हानि होने से बचाने के लिए नकली नोटों या सड़े-गले या हस्तलिखित नए नोटों को बदलने के लिए कोई नीति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) पुलिस ने दिनांक 9.11.2016 से 30.6.2018 तक 29,47,42,784 रुपए की कुल राशि के 4,27,858 जाली भारतीय करेंसी नोट जब्त किए हैं।

(ख) जालसाजी से दो कदम आगे रहने के लिए बैंक नोटों में नई सुरक्षा विशेषताएं/डिजाइनों को समाहित करना एक सतत प्रक्रिया है। नोटों की जालसाजी रोकने के लिए सुरक्षा विशेषताएं समय-समय पर सुदृढ़ की जाती हैं। बैंक नोटों की नई श्रृंखला में विभिन्न सुरक्षा विशेषताएं समाहित हैं जिसकी जालसाजी कर पाना कठिन है। 2000 रुपये तथा 500 रुपये तथा 200 रुपये मूल्यवर्ग की नई श्रृंखला के नोटों की मुख्य सुरक्षा विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- नोट को रोशनी के सामने रखने पर मूल्यवर्ग संख्या दोनों ओर छपे चिह्नों से सटीक
- बैंक नोट को आंख के स्तर पर 45 डिग्री के कोण में रखने पर मूल्यवर्ग संख्या गुप्त प्रतिमा के साथ देखी जा सकती है।
- माइक्रो अक्षर 'RBI' 'भारत' 'India' और 'मूल्यवर्ग संख्या'।
- कलर बदलाव सहित 'भारत', 'RBI' और 'मूल्यवर्ग संख्या' के साथ विंडोड सुरक्षा धागा। नोट को तिरछा करके देखने पर धागे का रंग हरे से नीला हो जाता है।
- महात्मा गांधी चित्र और इलेक्ट्रोटाइप वॉटरमार्क।
- संख्या पैनल जिसमें ऊपर बाईं तरफ और नीचे दाहिने तरफ छोटे से बड़े होते जाने वाले अंक।
- इंटैग्लियो अथवा उभरी हुई छपाई का महात्मा गांधी चित्र, अशोक स्तंभ प्रतीक, ब्लीड रेखाएं और पहचान चिह्न।
- रुपए प्रतीक के साथ मूल्यवर्ग संख्या, नीचे दाहिने और रंग बदलने वाली स्याही में (हरा से नीला)
- उभरी छपाई में बाएं और दाएं तरफ कोणीय ब्लीड रेखाएं।

(ग) और (घ) जाली नोटों को प्रतिस्थापित करने के लिए कोई भी नीति नहीं बनी है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक अपने सभी निर्गम कार्यालयों और वाणिज्यिक बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखाओं में कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहा है। नोट वापसी नियमावली को आसानी से समझने तथा लागू करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 को व्यापक रूप से संशोधित एवं सरल किया गया है ताकि जनता के पास रखे हुए कटे-फटे नोटों को बदलने में उनकी मदद की जा सके।

मूल उत्तर

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 571

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 जुलाई, 2018/29 आषाढ़, 1940 (शक) को दिया जाना है)

नकली मुद्रा

571. **डॉ. सी. गोपालकृष्णन:**

श्री विष्णु दयाल राम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विमुद्रीकरण के पश्चात देश के विभिन्न भागों में जाली मुद्रा पकड़ने से संबंधित दर्ज घटनाओं/मामलों की संख्या कितनी है तथा जब्त किए गई उक्त नोटों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या नए नोटों में डाली गई सुरक्षा विशेषताएं देश में असली और नकली नोटों में अंतर की पहचान करने के लिए अपर्याप्त हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों के पास आम जनता को कोई भी हानि होने से बचाने के लिए नकली नोटों या सड़े-गले या हस्तलिखित नए नोटों को बदलने के लिए कोई नीति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) पुलिस ने दिनांक 9.11.2016 से 31.5.2018 तक 39,18,63,862 रुपए की कुल राशि के 5,20,534 जाली भारतीय करेंसी नोट जब्त किए हैं।

(ख) जालसाजों से दो कदम आगे रहने के लिए बैंक नोटों में नई सुरक्षा विशेषताएं/डिजाइनों को समाहित करना एक सतत प्रक्रिया है। नोटों की जालसाजी रोकने के लिए सुरक्षा विशेषताएं समय-समय पर सुदृढ़ की जाती हैं। बैंकों

नोटों की नई श्रृंखला में विभिन्न सुरक्षा विशेषताएं समाहित हैं जिसकी जालसाजी कर पाना कठिन है। 2000 रुपये तथा 500 रुपये तथा 200 रुपये मूल्यवर्ग की नई श्रृंखला के नोटों की मुख्य सुरक्षा विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- नोट को रोशनी के सामने रखने पर मूल्यवर्ग संख्या दोनों ओर छपे चिह्नों से सटीक।
- बैंक नोट को आंख के स्तर पर 45 डिग्री के कोण में रखने पर मूल्यवर्ग संख्या गुप्त प्रतिमा के साथ देखी जा सकती है।
- माइक्रो अक्षर 'RBI' 'भारत' 'India' और 'मूल्यवर्ग संख्या'।
- कलर बदलाव सहित 'भारत', 'RBI' और 'मूल्यवर्ग संख्या' के साथ विंडोड सुरक्षा धागा। नोट को तिरछा करके देखने पर धागे का रंग हरे से नीला हो जाता है।
- महात्मा गांधी चित्र और इलेक्ट्रोटाइप वॉटरमार्क।
- संख्या पैनल जिसमें ऊपर बाईं तरफ और नीचे दाहिने तरफ छोटे से बड़े होते जाने वाले अंक।
- इंटैग्लियो अथवा उभरी हुई छपाई का महात्मा गांधी चित्र, अशोक स्तंभ प्रतीक, ब्लीड रेखाएं और पहचान चिह्न।
- रुपए प्रतीक के साथ मूल्यवर्ग संख्या, नीचे दाहिने ओर रंग बदलने वाली स्याही में (हरा से नीला)
- उभरी छपाई में बाएं और दाएं तरफ कोणीय ब्लीड रेखाएं।

(ग) और (घ) जाली नोटों की प्रतिस्थापित करने के लिए कोई भी नीति नहीं बनी है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक अपने सभी निर्गम कार्यालयों और वाणिज्यिक बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखाओं में कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहा है। नोट वापसी नियमावली को आसानी से समझने तथा लागू करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 को व्यापक रूप से संशोधित एवं सरल किया गया है ताकि जनता के पास रखे हुए कटे-फटे नोटों को बदलने में उनकी मदद की जा सके।

अपराह्न 12.07 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.-आई.आर.), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 305वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन): महोदया, आपकी अनुमति से, मैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 305वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.07½ बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) कॉफी बोर्ड

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं श्री सुरेश प्रभु की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

"कि कॉफी बोर्ड नियमावली, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उप धारा (2) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि कॉफी बोर्ड नियमावली, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उप धारा (2) (ख) के अनुसरण में, इस सभा के

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया **देखिए** सं. एल.टी.-10227/16/18

सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) रबड़ बोर्ड

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): महोदया, श्री सुरेश प्रभु की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

"कि रबड़ नियमावली, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन श्री बी.एस. येदियुरप्पा जिन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि रबड़ नियमावली, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): महोदया, श्री सुरेश प्रभु की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली, 1972 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली, 1972 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.08 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 58वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, खान मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव पेश करता हूं "कि यह सभा 27 दिसंबर, 2018 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 58वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 27 दिसंबर, 2018 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 58वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.08½ बजे

कतिपय वस्तुओं पर मूलभूत सीमा शुल्क (बी.सी.डी.) में वृद्धि के बारे में सांविधिक संकल्प

वित्त मंत्री और कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा एतदद्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अनुसरण में, 26 सितंबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 67/2018-सीमाशुल्क [दिनांक 26 सितंबर, 2018 का सा.का.नि. 927 (अ)] जिसका आशय निम्नलिखित वस्तुओं पर मूलभूत सीमाशुल्क (बी.सी.डी.) में वृद्धि करना है, का अनुमोदन करती है:

टैरिफ शीर्ष/ उपशीर्ष/मद	विवरण	से	तक
1	2	3	4
3922	बाथ, शावर, बाथा, सिंक, वाश बेसिन, बिडेट, लेबोटरी, पैन, सीट और कवर, फलिंशग सिस्टर्न तथा प्लास्टिक के ऐसे ही अन्य सैनेटरी उत्पाद	10%	15%
3923	उत्पादों की पैकिंग अथवा कनवेयेंस हेतु वस्तुएं, प्लास्टिक की, स्टापर, लिड, कैप तथा अन्य क्लोजर, प्लास्टिक के	10%	15%
3924	टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू वस्तुएं तथा हाईजिनिक अथवा टायलेट वस्तुएं, प्लास्टिक की	10%	15%
3926	प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं तथा शीर्षक 3901 से 3914 तक अन्य सामग्री की वस्तुएं (प्लास्टिक की चूड़ियां, प्लास्टिक के बीडस तथा फीडिंग बोतलें, टैरिफ मद 3926 90 91 तथा 3926 90 99 पर 15% बी.सी.डी. लगेगा)	10%	15%
4011 10 10	रेडियल कार टायर	10%	15%
6401	आउटर सोल के साथ वाटर प्रूफ फुटवियर तथा रबर अथवा प्लास्टिक के अपर्स, जिसके अपर्स न तो तलवे से चिपके हुए हों और न ही सिलाई, रिवर्टिंग, कील ठोंकने, पेंच कसने, प्लगिंग अथवा सामान प्रक्रियाओं द्वारा असेम्बल किए गए हों।	20%	25%
6402	बाहरी तलवों वाले अन्य फुटवियर तथा रबर अथवा प्लास्टिक वाले अपर्स	20%	25%
6403	रबर, प्लास्टिक, चमड़ा अथवा कम्पोजिशन चमड़ा वाले बाहरी तलवों वाले फुटवियर तथा टैक्सटाइल सामग्री वाले अपर्स।	20%	25%
6404	रबर, प्लास्टिक, चमड़ा अथवा कम्पोजिशन चमड़ा वाले बाहरी तलवों वाले फुटवियर तथा चमड़े के अपर्स।	20%	25%
6405	अन्य फुटवियर	20%	25%
7113	कीमती धातु अथवा कीमती धातु द्वारा आवृत्त धातु से बने हुए आभूषण वस्तुएं अथवा चांदी की वस्तुएं तथा इनके टुकड़े।	15%	20%

1	2	3	4
7114	स्वर्ण अथवा चांदी से बनी हुई वस्तुएं तथा कीमती धातु अथवा कीमती धातु द्वारा आवृत्त धातु से बने हुए आभूषण वस्तुएं अथवा इनके टुकड़े।	15%	20%
8414 30 00	रैफ्रीजरेटिंग उपकरणों में प्रयुक्त कंप्रेसर्स के प्रकार।	7.5%	10%
8414 80 11	एयर कंडिशनिंग उपकरणों में प्रयुक्त गैस कंप्रेसर्स के प्रकार।	7.5%	10%
8415 10	किसी खिड़की, दीवार, छत अथवा फर्श पर लगाए जाने वाले, सेल्फ कंटेंड अथवा "स्पलिट-सिस्टम" वाले डिजाइन युक्त एयर कंडिशनिंग मशीन।	10%	20%
8415 20	मोटर वाहनों में व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त एयर कंडिशनिंग मशीन का प्रकार	10%	20%
8415 81	कूलिंग अथवा हीट साइकल को रिवर्स करने वाले वाल्व (रिवर्सेबल हीट पंप) तथा रैफ्रीजरेटिंग यूनिट युक्त एयर कंडिशनिंग मशीन।	10%	20%
8415 82	रैफ्रीजरेटिंग यूनिट युक्त अन्य एयर कंडिशनर।	10%	20%
8415 83	अन्य एयर कंडिशनर, जिसमें रैफ्रीजरेटिंग यूनिट मौजूद नहीं है।	10%	20%
8418 10 90	कम्बाईंड रैफ्रीजरेटर-फ्रीजर, अलग बाहरी दरवाजों के साथ	10%	20%
8418 21 00	कंप्रेशन वाले घरेलू रैफ्रीजरेटर।	10%	20%
8418 29 00	अन्य घरेलू रैफ्रीजरेटर।	10%	20%
8450 11 00	पूर्णता ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, जिसकी ड्राई लिनिन क्षमता 10 किग्रा. से अधिक न हो।	10%	20%
8450 12 00	सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर युक्त अन्य वॉशिंग मशीन, जिसकी ड्राई लिनिन क्षमता 10 किग्रा. से अधिक न हो।	10%	20%
8450 19 00	अन्य वॉशिंग मशीन, जिसकी डाई लिनिन क्षमता 10 किग्रा. से अधिक न हो।	10%	20%

माननीय अध्यक्ष: आज अरुण जेटली का जन्मदिन भी है तो हम सब की तरफ से आपको शुभकामनाएं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और अच्छे से कार्य करते रहें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा एतदद्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अनुसरण में, 26 सितंबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 67/2018-सीमाशुल्क [दिनांक 26 सितंबर, 2018 का सा.का.नि. 927 (अ)] जिसका आशय निम्नलिखित वस्तुओं पर मूलभूत सीमाशुल्क (बी.सी.डी.) में वृद्धि करना है, का अनुमोदन करती है:

टैरिफ शीर्ष/ उपशीर्ष/मद	विवरण	से	तक
1	2	3	4
3922	बाथ, शावर, बाथा, सिंक, वाश बेसिन, बिडेट, लेबोटरी, पैन, सीट और कवर, फ्लिशिंग सिस्टर्न तथा प्लास्टिक के ऐसे ही अन्य सैनेटरी उत्पाद	10%	15%
3923	उत्पादों की पैकिंग अथवा कनवेयेंस हेतु वस्तुएं, प्लास्टिक की, स्टापर, लिड, कैप तथा अन्य क्लोजर, प्लास्टिक के	10%	15%
3924	टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू वस्तुएं तथा हाईजिनिक अथवा टायलेट वस्तुएं, प्लास्टिक की	10%	15%
3926	प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं तथा शीर्षक 3901 से 3914 तक अन्य सामग्री की वस्तुएं (प्लास्टिक की चूड़ियां, प्लास्टिक के बीडस तथा फीडिंग बोतलें, टैरिफ मद 3926 90 91 तथा 3926 90 99 पर 15% बी.सी.डी. लगेगा)	10%	15%
4011 10 10	रेडियल कार टायर	10%	15%
6401	आउटर सोल के साथ वाअर प्रूफ फुटवियर तथा रबर अथवा प्लास्टिक के अपर्स, जिसके अपर्स न तो तलवे से चिपके हुए हों और न ही सिलाई, रिवर्टिंग, कील ठोंकने, पेंच कसने, प्लगिंग अथवा सामान प्रक्रियाओं द्वारा असेम्बल किए गए हों।	20%	25%
6402	बाहरी तलवों वाले अन्य फुटवियर तथा रबर अथवा प्लास्टिक वाले अपर्स	20%	25%
6403	रबर, प्लास्टिक, चमड़ा अथवा कम्पोजिशन चमड़ा वाले बाहरी तलवों वाले फुटवियर तथा चमड़े के अपर्स।	20%	25%
6404	रबर, प्लास्टिक, चमड़ा अथवा कम्पोजिशन चमड़ा वाले बाहरी तलवों वाले फुटवियर तथा टैक्सटाइल सामग्री वाले अपर्स।	20%	25%
6405	अन्य फुटवियर	20%	25%
7113	कीमती धातु अथवा कीमती धातु द्वारा आवृत्त धातु से बने हुए आभूषण वस्तुएं अथवा चांदी की वस्तुएं तथा इनके टुकड़े।	15%	20%
7114	स्वर्ण अथवा चांदी से बनी हुई वस्तुएं तथा कीमती धातु अथवा कीमती धातु द्वारा आवृत्त धातु से बने हुए आभूषण वस्तुएं अथवा इनके टुकड़े।	15%	20%
8414 30 00	रैफ्रीजरेटिंग उपकरणों में प्रयुक्त कंप्रेसर्स के प्रकार।	7.5%	10%
8414 80 11	एयर कंडिशनिंग उपकरणों में प्रयुक्त गैस कंप्रेसर्स के प्रकार।	7.5%	10%
8415 10	किसी खिड़की, दीवार, छत अथवा फर्श पर लगाए जाने वाले, सेल्फ कंटेंड अथवा "स्पलिट-सिस्टम" वाले डिजाइन युक्त एयर कंडिशनिंग मशीन।	10%	20%

1	2	3	4
8415 20	मोटर वाहनों में व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त एयर कंडिशनिंग मशीन का प्रकार।	10%	20%
8415 81	कूलिंग अथवा हीट साइकल को रिवर्स करने वाले वाल्व (रिवर्सेबल हीट पंप) तथा रैफ्रीजरेटिंग यूनिट युक्त एयर कंडिशनिंग मशीन।	10%	20%
8415 82	रैफ्रीजरेटिंग यूनिट युक्त अन्य एयर कंडिशनर।	10%	20%
8415 83	अन्य एयर कंडिशनर, जिसमें रैफ्रीजरेटिंग यूनिट मौजूद नहीं है।	10%	20%
8418 10 90	कम्बाईंड रैफ्रीजरेटर-फ्रीजर, अलग बाहरी दरवाजों के साथ	10%	20%
8418 21 00	कंप्रेशन वाले घरेलू रैफ्रीजरेटर।	10%	20%
8418 29 00	अन्य घरेलू रैफ्रीजरेटर।	10%	20%
8450 11 00	पूर्णता ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, जिसकी ड्राई लिनिन क्षमता 10 किग्रा. से अधिक न हो।	10%	20%
8450 12 00	सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर युक्त अन्य वॉशिंग मशीन, जिसकी ड्राई लिनिन क्षमता 10 किग्रा. से अधिक न हो।	10%	20%
8450 19 00	अन्य वॉशिंग मशीन, जिसकी डाई लिनिन क्षमता 10 किग्रा. से अधिक न हो।	10%	20%

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कार्य सूची की मद संख्या 24 के कॉलम-4 में थोड़ी-सी गलती हो गई है जिसमें दोनों स्थानों पर 15 प्रतिशत बताया गया है जबकि इसे 20 प्रतिशत पढ़ा जाना चाहिए। कॉलम संख्या-4 में कुछ गलती है।

श्री अरुण जेटली: महोदया, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा एतदद्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अनुसरण में, 11 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 74/2018-सीमाशुल्क [दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 का सा.का.नि. 1027 (अ)] जिसका आशय निम्नलिखित वस्तुओं पर मूलभूत सीमाशुल्क (बी.सी.डी.) में वृद्धि करना है, का अनुमोदन करती है:-

टैरिफ शीर्ष/ उपशीर्ष/मद	विवरण	से	तक
8517 61 00	बेस स्टेशन	10%	20%
8517 69 90	आवाज, तस्वीरों अथवा अन्य डेटा के ट्रांसमिशन अथवा रिसेप्शन हेतु अन्य अप्रेटस, जिसमें किसी वायर्ड अथवा वायरलेस नेटवर्क (जैसे कि स्थानीय अथवा बृहद क्षेत्र नेटवर्क) में संचार हेतु अप्रेटस शामिल हैं।	10%	20%"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा एतदद्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उप-धारा (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अनुसरण में, 11 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 74/2018-सीमाशुल्क [दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 का सा.का.नि. 1027 (अ)] जिसका आशय निम्नलिखित वस्तुओं पर मूलभूत सीमाशुल्क (बी.सी.डी.) में वृद्धि करना है, का अनुमोदन करती है:

टैरिफ शीर्ष/ उपशीर्ष/मद	विवरण	से	तक
8517 61 00	बेस स्टेशन	10%	20%
8517 69 90	आवाज, तस्वीरों अथवा अन्य डेटा के ट्रांसमिशन अथवा रिसेप्शन हेतु अन्य अप्रेटस, जिसमें किसी वायर्ड अथवा वायरलेस नेटवर्क (जैसे कि स्थानीय अथवा बृहद क्षेत्र नेटवर्क) में संचार हेतु अप्रेटस शामिल हैं।	10%	20%"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.14 बजे

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018*

संस्कृति मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. महेश शर्मा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

श्री महेश शर्मा: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.15 बजे

जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

[हिन्दी]

गृहमंत्री (राजनाथ सिंह): मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 19 दिसंबर, 2018 को जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 19 दिसंबर, 2018 को जारी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: यह आएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: वह बाद में आएगा। आप अपनी सीट पर जाओ। ऐसे बोलने के लिए नहीं मिलेगा। आप यहां खड़े होकर बोलेंगे क्या?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब 'शून्य काल' को लिया जाए।

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर): अध्यक्ष महोदया, महिला आरक्षण विधेयक पर मुझे कुछ बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको अनुमति दूंगी, परंतु आना और आकर वेल में खड़े हो जाना उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर: महोदया, हम गहरी निराशा के साथ आपका ध्यान पुन: संसद की कार्यसूची में महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रति सरकार के लचीले रवैये की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

हम यह मुद्दा उठाना चाहते हैं कि बी.जे.पी. ने इस देश की महिलाओं से अपने चुनावी घोषणापत्र में दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि इस विधेयक को पारित कराने के लिए निष्ठा दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारी बहुमत वाली सरकार को सत्ता में आए अब लगभग साढ़े चार वर्ष बीत चुके हैं। यद्यपि सार्वजनिक वक्तव्यों में महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण की श्रेष्ठ भावना से मंत्रियों और पार्टी नेतृत्व में वर्षों तक प्राय: भाषणा दिए, परंतु महिला विधेयक मामले में इन्हें कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, लोक सभा में महिलाओं की उपस्थिति 11.7 प्रतिशत और राज्य सभा में 11.4 प्रतिशत है। राज्य विधान सभाएं भी ऐसी ही लैंगिक असमानता को उजागर करती हैं।

महोदया, 16वीं लोक सभा की अध्यक्ष के रूप में, अपने प्राय: महिला अधिकारों की रक्षा के बारे में कहा है जिसमें उच्च निर्णय निर्माता निकायों में उनके न्यूनतम प्रतिनिधित्व का अधिकार भी शामिल है। अत: हम अपील करते हैं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें जैसाकि आप जानती हैं यह मुद्दा 20-25 वर्षों से अभी तक लंबित है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप सत्ताधारी एन.डी.ए. सरकार से इस विषय पर बात करें तथा यह सुनिश्चित करें कि महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, जो सभी स्तरों पर परामर्श की लंबी प्रक्रिया से गुजर चुका है, इसे संसद और राज्य विधान सभाओं में लाया जाए तथा बगैर किसी विलंब के पारित किया जाए।

1 जनवरी, 2019 को हम केरल में महिला सशक्तीकरण संबंधी नारे लिखने तथा महिलाओं के अधिकारों का प्रचार करने के लिए महिला दीवार बनाने जा रहे हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि संसद में इसी सत्र में सरकार महिला आरक्षण बिल पारित करे।

माननीय अध्यक्ष: श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री पी.के. बिजू, डॉ. पी. वेणुगोपाल, श्री राजीव सातव, डॉ. प्रभास कुमार सिंह, श्री धर्मवीर गांधी, डॉ. शशि थरुर, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, श्री गोपाल शेट्टी, श्रीमती रीता तराई, श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी, श्रीमती सुप्रिया सुले और श्री जय प्रकाश नारायण यादव को श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

आप सभी लोग इस तरह से खड़े होंगे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आयेगा। आप सभी लोग इस विषय पर सपोर्ट करना चाहेंगे। हर कोई इस विषय पर नहीं बोल सकता है। सभी लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): *...(व्यवधान)*

संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण के संबंध में, हमारे मुख्य मंत्री जी ने सभी दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखे थे और 24-27 दलों के अध्यक्ष मुख्य मंत्री जी से मिले भी थे।*...(व्यवधान)* जो कुछ श्रीमती टीचर ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं और मेरा आपसे अनुरोध है कि महिलाओं को इस 33 प्रतिशत अथवा एक तिहाई आरक्षण देने पर चर्चा करने हेतु इस सत्र में समय निर्धारित करें।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप सभी इसके सपोर्ट में रहिए। आप सभी स्लिप पर नाम लिखकर दे दीजिए। सभी लोग इस पर नहीं बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डी (महबूबनगर): राज्य सभा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है तथा मैं श्रीमती टीचर से सहमत हूं और सरकार से इसे तुरंत कार्यसूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: आप सभी जो इस मुद्दे से संबद्ध होना चाहते हैं, हो सकते हैं। ठीक है। मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर): महोदया, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* आदिवासी जनजाति में एक मुंडरी भाषा है।...*(व्यवधान)* प्राचीन काल से ही पूर्वी भारत में मुंडारी भाषा बोली जाती है।...*(व्यवधान)* भगवान बिरसा मुंडा इसी समाज एवं भाषा से आते हैं।...*(व्यवधान)* उन्होंने आदिवासियों के अधिकार एवं स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जान की आहूति दी थी।...*(व्यवधान)* अभी तक इस भाषा को मान्यता नहीं मिली है।...*(व्यवधान)* उक्त भाषा देश के विभिन्न राज्य जैसे झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में बोली जाती है।...*(व्यवधान)* इस भाषा को बोलने वाले लोगों की जनसंख्या लगभग 6-7 करोड़ है।...*(व्यवधान)* लगभग 300 स्कूलों में मुंडारी भाषा में पढ़ाई होती है।...*(व्यवधान)* झारखंड के रांची में स्थित विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट से पी.जी. तक की पढ़ाई मुंडारी भाषा में होती है।...*(व्यवधान)* आदिवासी भाई-बहनों की यह वर्षों पुरानी मांग है कि मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करते हुए इसे द्वितीय राज्य भाषा की मान्यता दी जाए।...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करते हुए इसे द्वितीय राज्य भाषा की मान्यता दिलाने की कृपा की जाए।...*(व्यवधान)* धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरो प्रसाद मिश्र, श्री लखन लाल साहू, श्री रवीन्द्र कुमार जेना और श्री निशिकांत दुबे को श्री विद्युत वरण महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम): महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया है।...*(व्यवधान)* मैं झारखंड राज्य के सिंहभूम लोक सभा क्षेत्र से आता हूं।...*(व्यवधान)* इस क्षेत्र की 'हो' भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में हमेशा से मांग रही है...*(व्यवधान)* झारखंड राज्य के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम और बिहार आदि राज्यों में 'हो' भाषा का प्रयोग बोलचाल एवं पठन-पाठन में किया जाता है।...*(व्यवधान)* इस सभी राज्यों में लगभग 40 लाख से भी ज्यादा लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं।...*(व्यवधान)* संविधान की 8वीं अनुसूची में 'हो' भाषा के शामिल होने से 'हो' समाज के सामाजिक उत्थान के साथ-साथ आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी और राज्य भाषा के साथ 'हो' भाषा भी संपर्क भाषा का काम करेगी।...*(व्यवधान)*

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि सिंहभूम लोक सभा सहित सभी राज्यों से जो मांग 'हो' भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग है, इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।...*(व्यवधान)* मैं ऐसा आपसे निवेदन करता हूं।...*(व्यवधान)* बहुत-बहुत धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरो प्रसाद मिश्र और श्री निशिकांत दुबे को श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री रामचंद्र हांसदाक (मयूरभंज): हमारे यहां बहुत-सी भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं जिसका एक साथ सह-अस्तित्व है। यह कहा जाता है-"भाषा संस्कृति की वाहक होती है और हमारे देश के समावेशी चरित्र को प्रकट करने के लिए, हमें हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ और भाषाओं को स्थान देने की आवश्यकता है। यद्यपि प्रारंभिक रूप से, 14 भाषाएं हैं, परंतु बाद में कुछ संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा 8 और भाषाएं जोड़ी गई और सूची में 22 भाषाएं हो गईं। एक मिलियन से अधिक लोगों द्वारा 29 प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं।"...*(व्यवधान)*

विभिन्न वर्ग उन प्रमुख भाषाओं को जोड़ने की मांग कर रहे थे, जो आठवीं अनुसूची में नहीं थी। ओडिशा के माननीय मुख्य मंत्री ने भी बार-बार केंद्र सरकार को पत्र भेजे जो 'हो' और 'कोसाली' भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए थे।

मेरे क्षेत्र के जनजातीय लोगों के द्वारा बोली जाने वाली 'हो' और 'मुंडारी' भाषाएं दो प्रमुख भाषाएं हैं। इन लोगों की तरफ से बड़ी मांग थी कि उनकी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए। इसीलिए महोदया, मैं आपके समक्ष यह प्रश्न उठा रहा हूं ताकि केंद्र सरकार इन भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री रामचंद्र हांसदा द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध होने की अनुमति हो जाती है।

[हिन्दी]

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।...*(व्यवधान)*

मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के महुदा एवं रामटेक ताल्लुका में बड़ी मात्रा में धान का उत्पादन होता है।...*(व्यवधान)* सूपर फाइन जेसिला नाम के धान का टैस्ट अच्छी होने के कारण पूरे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में इसकी ज्यादा खपत होती है।...*(व्यवधान)* अभी देखा जाता है और आप भी जानती है कि यूरिया, सल्फेट तथा मज़दूरी के दाम काफी बढ़ जाने के कारण उत्पादन की लागत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: अब आपका समय पूरा हो गया।

...*(व्यवधान)*

श्री कृपाल बालाजी तुमाने: अभी जो धान की फसल आयी है, उसको खरीदने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। उस धान का एम.एस.पी. 1750 रुपये है, लेकिन उसको भी कोई खरीद नहीं रहा है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मैं आप सभी को बोलने के लिए समय दूंगी। आप सभी बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कृपाल बालाजी तुमाने: मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि किसानों के उत्पादन लागत का हिसाब किया जाए। ...*(व्यवधान)* सरकार कम से कम ढाई हजार रुपये के भाव से चावल खरीदने की व्यवस्था करें। मैं सरकार से ऐसी मांग करता हूं। धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री रवीन्द्र कुमार जेना और श्री भैरो प्रसाद मिश्र को श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री विनसेंट एच. पाला - उपस्थित नहीं

डॉ. प्रभास कुमार सिंह (बारगढ): अध्यक्ष महोदया, महिला आरक्षण विधेयक लाने की आवश्यकता के संबंध में मैं श्रीमती टीचर से पूर्णतया संबद्ध हूं। वर्ष 2004 और 2009 में यू.पी.ए. सरकार और वर्ष 2014 में एन.डी.ए. सरकार ने राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वायदा किया था। ओडिशा राज्य विधानसभा ने राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया और ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार से इस संबंध में संकल्प पारित करने का आग्रह किया।...*(व्यवधान)*

महोदया अब मैं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्त पोषण स्वरूप में केंद्र सरकार द्वारा अचानक किए गए परिवर्तन का मुद्दा उठाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

...*(व्यवधान)*

ओडिशा सरकार समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को सर्वाधिक प्राथमिकता देती है। मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसमें 2016-17 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लगभग 90 प्रतिशत राशि प्रदान कर रहा था, जबकि राज्य सरकार वास्तविक व्यय का शेष 10 प्रतिशत वहन कर रही थी...*(व्यवधान)*

तथापि, हाल ही में वित्त पोषण स्वरूप को बदला गया है। उपर्युक्त संदर्भ में, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के मध्य 90:10 के वित्त पोषण स्वरूप को बहाल किया जाए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: बस अब हो गया। आप सभी एक-एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): अध्यक्ष महोदया, ओडिशा

में मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना से अनुसूचित जाति के लगभग दो लाख छात्रों को लाभ मिला है। केंद्र सरकार 240 करोड़ रुपए की राशि दे रही थी और राज्य लगभग 25 करोड़ रुपए व्यय कर रहा था...*(व्यवधान)* परंतु अचानक से केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसमें बदलाव किया गया है, जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ कर 250 करोड़ रुपए हो गया है और केंद्र सरकार का बोझ घटकर 20 करोड़ रुपए हो गया है...*(व्यवधान)*। मैं भारत सरकार और संबंधित मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि 90:10 के वित्त पोषण स्वरूप को पुन: लागू करें ताकि ओडिशा राज्य के अनुसूचित जाति के छात्र इस सुविधा से वंचित न हों और वे उच्च शिक्षा जारी रख सकें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप सभी बैठिए। मैं सभी को बोलने के लिए एक-एक मिनट समय दूंगी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. थोकचोम मेन्या (आंतरिक मणिपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं जन महत्व के एक तत्काल मुद्दे को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह 18 दिसंबर, 2018 को सभा पटल पर रखे गए मेरे अतारांकित प्रश्न 1274 के संबंध में गृह राज्य मंत्री श्री अहीर द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में है...*(व्यवधान)*

यह प्रश्न कुख्यात मणिपुर विलय समझौता 1949 के अंतर्गत भूतपूर्व मणिपुर राज्य के भारत संघ के साथ विलय की संवैधानिक स्थिति के संबंध में है...*(व्यवधान)*

प्रश्न यह है;

क्या यह सच है कि भूतपूर्व मणिपुर राज्य का भारत संघ के साथ विलय 1949 में एक विलय समझौते के तहत किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; क्या यह भी सच है कि उक्त विलय समझौता तत्कालीन मणिपुर विधान सभा द्वारा ठुकरा दिया गया था; यदि हां, तो क्या इस विलय समझौते को तत्कालीन भारतीय संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ था; और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?...*(व्यवधान)*

माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर था; "जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।" मैंने पहले भी यह प्रश्न कई बार उठाया है और हर बार यही उत्तर दिया गया था...*(व्यवधान)*

मैं केंद्र सरकार, विशेष रूप से गृह मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि जानकारी तुरंत एकत्र की जाए और चालू शीतकालीन सत्र में इसे सभा के समक्ष रखा जाए...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष महोदया, मैं पंजाब के किसानों का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हाउस में रखना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार पंजाब के किसानों की मदद करे। आलू के दाम पिछले तीन वर्षों से किसानों को न मिलने के कारण सड़कों पर फेंका जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जैसे 22 फसलों को एम.एस.पी. में लिया गया है, आलू और बासमती को भी उसमें लिया जाना चाहिए। आलू और बासमती समय भी कम मांगते हैं और पानी भी कम मांगते हैं। बासमती और आलू के लिए कोई कार्पोरेशन बनानी चाहिए, ताकि उनको दाम मिल पाएं।

मैडम, किसान 15 रुपये प्रति किलो दुकानों से खरीदता है। जब किसान उसको बेचता है, तो 2 रुपये प्रति किलो बिकता है। कम से कम कोई मूल्य तय होना चाहिए। खेती तो पहले ही घाटे में जा रही है। जब देश आजाद हुआ था, तब 52 पर्सेंट जी.डी.पी. में इसका हिस्सा था, जो अब केवल 12 पर्सेंट रह गया। मैं चाहता हूं कि 3 दिन खेती के मामले में यहां पर डिस्कशन होना चाहिए कि खेती कैसे प्रॉफिटेबल बन सकती है और किसान खेत मजदूर की आमदनी कम से कम तय होनी चाहिए, यह व्यवस्था बने। हमारी सरकार बहुत सी पालिसीज लाई है। उन पालिसीज में कहां कमी रही है? उसे कैसे दूर किया, रिव्यू होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह विनती करता हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरो प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री सुमेधानंद सरस्वती को श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री वीरेंद्र सिंह (भदोही): मैडम, यह किसानों का सवाल है।

माननीय अध्यक्ष: वीरेन्द्र जी, आप अपनी सीट पर नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री वीरेंद्र सिंह: मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि किसानों पर एक बार चर्चा का समय निर्धारित करें...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: कर देंगे। श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदया, मैं महबूबनगर, तेलंगाना में एच.आई.वी.-एड्स अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता का मुद्दा उठाना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

मुझे हाल ही में पश्चिमी देशों में एच.आई.वी., एड्स के संक्रमण और प्रसार को रोकने के लिए पश्चिमी देशों में बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जा रहे प्री-एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस (पी.आर.ई.पी.) उपचार की ज़ानकारी मिली...*(व्यवधान)* मुख्यत: इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है, जिन्हें एच.आई.वी. नहीं है, परंतु जिन्हें इसके होने का अत्यधिक खतरा है, वे एक गोली रोज लेते हैं। जब लगातार जाती है, तो जो लोग एच.आई.वी. संक्रमण के अत्यधिक जोखिम में होते हैं, पी.आर.ई.पी. उनमें यह एच.आई.वी. इन्फेक्शन के खतरे को 92 प्रतिशत तक कम कर देता है...*(व्यवधान)*

तथापि भारत में यह उपचार इतना लोकप्रिय रूप से उपलब्ध नहीं है। न ही लोगों को इसकी जानकारी है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र महबूबनगर, तेलंगाना में एच.आई.वी. एड्स के अध्ययन और समाधान के लिए समर्पित अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए...*(व्यवधान)* इस केंद्र में भारत में पी.आर.ई.पी. के उपयोग की व्यवहारिकता का अध्ययन किया जाए और यदि इसे प्रभावी पाया जाए, तो इसे खुदरा बाजार में रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाए और एच.आई.वी. एड्स के विरुद्ध अभियान का भाग...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डी द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री गोपाल शेट्टी जी

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी (मुंबई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, आपने चौथी बार जीरो ऑवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं। पूरे देश भर में साढ़े पांच करोड़, मुंबई शहर में फेरी वाले और दिल्ली में ठेले वाले हैं, जो अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में काम करते हैं, उनकी आवाज को उठाने का प्रयास कर रहा हूं।1985 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि इसके बारे में एक गाइडलाइन बनाइए, हॉकिंग जोन बनाइए। 1985 से लेकर 1999 तक कोई काम इस पर नहीं हुआ। अटल जी की जब सरकार आई, तो उन्होंने इसके लिए कायदा बनाया। साहिब सिंह वर्मा जी जब श्रम मंत्री थे, तो उन्होंने इसको अंत तक ले जाने का प्रयास किया। राम नाईक जी के नेतृत्व में हमने मुंबई शहर में उनका अभिनंदन भी किया। इसके बाद सरकार बदल गई, फिर काम रुक गया, कोई काम नहीं हुआ। आज 33 साल पूरे हो गए। वर्ष 1985 में सुप्रीम ने जो कहा था, वह तो अमल में नहीं आया, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी फिर वापस कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने एक नया आदेश निकाला कि रेलवे स्टेशन के अगल-बगल 150 मीटर की रेडियम में कोई फेरी वाले, ठेले वाले नहीं बैठेंगे। वर्ष 1985 के आदेश का अभी तक अमल नहीं हुआ, लेकिन इस आदेश को महानगर पालिका ने अमल में लाते हुए, महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा मशीन लाकर भाजी-पालक, फल-फ्रूट को कुचला जा रहा है।

यह बहुत ही गंभीर बात है इसलिए हम फेरी वालों के ब्लैंकेट समर्थन में नहीं हैं, कोई रोड पर नहीं बैठे, जंक्शन पर नहीं बैठे, लेकिन सुप्रीम कोट ने वर्ष 1985 में जो आदेश दिया था, उस आदेश को अमल में लाया जाए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरो प्रसाद मिश्र को श्री गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जुगल किशोर (जम्मू): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में उठाने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं उन लाचार और बेबस लोगों की बात करूंगा जो 70 वर्षों से दर-बदर की ठोकर खा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी जो 70 वर्षों से जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं...*(व्यवधान)* लेकिन आज तक उनको नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। आप नागरिकता की बात रहने दीजिए उन बच्चों को कॉलेजों में पढ़ाई भी नहीं करने दी जाती, वहां की सुविधाएं और छोटी-मोटी नौकरियां या कोई साधन उनको नहीं दिया जाता।...*(व्यवधान)* मेरा आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना

है कि वेस्ट पाकिस्तान के जो रिफ्यूजी जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं उनको रेलवे, दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी और हर एजेंसी में उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। उनके बच्चों को प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप में भी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए ताकि वे बच्चे पढ़ सकें और अपनी रोजी-रोटी भी कमा सकें और मान-सम्मान के साथ जम्मू-कश्मीर में रह सकें।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री भैरो प्रसाद मिश्र और श्री निशिकांत दुबे को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री विनसेंट एच. पाला मैंने पहले आपका नाम पुकारा था, परंतु आप उस समय सभा में नहीं थे

श्री विनसेंट एच. पाला (शिलौंग): मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद महोदया जैसा कि आप जानती हैं, उत्तर पूर्व क्षेत्र लैंडलॉक क्षेत्र है। उत्तर पूर्व क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हमें भारत और बांग्लादेश के मध्य अनेक भूमि सीमा शुल्क केंद्र खोलने की आवश्यकता है। डॉव्की ऐसे ही केंद्रों में से एक है, जहां समेकित चैक पोस्ट का निर्माण किया गया है, जहां समेकित चैक पोस्ट का निर्माण किया गया है, परंतु इसमें बहुत समय लगता है...*(व्यवधान)*

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि डॉव्की के भूमि सीमा शुल्क केंद्र में यथा शीघ्र कार्य आरंभ किया जाए और कुलियांग और महेसकोला में नए भूमि सीमा शुल्क केंद्र खोले जाए ताकि पूर्वोत्तर-पूर्व विशेष रूप से मेघालय की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री भरत सिंह (बलिया) - उपस्थित नहीं। श्री चंद्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) - उपस्थित नहीं।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले आपके संयम की दाद देता हूं कि इतने शोर-शराबे के बीच में भी आपने सभी सदस्यों को शून्यकाल में अपनी बात रखने का मौका दिया।...*(व्यवधान)* मेरा नम्बर भी चार बार आया है लेकिन आज शून्यकाल में हमें बोलने का मौका दिया जा रहा है। ये सभी सदस्य गैर-जिम्मेदार ढंग से चिल्लाते हैं,...*(व्यवधान)* जिन्हें इनकी जनता चुन कर भेजती है, मगर ये लोग उनकी आवाज उठाने के बजाए ये सदन की कार्रवाई को डिस्ट्रब करते हैं।

मैं आपका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर दिलाना चाहता हूं। आज दिल्ली मैट्रो दिल्ली की धड़कन बन चुकी है। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी और कई केंद्रीय मंत्री भी कभी दिल्ली के कार्यक्रम में जाते हैं तो दिल्ली मैट्रो का उपयोग करते हैं।...*(व्यवधान)* दिल्ली की परिवहन व्यवस्था के बारे में हम सभी को मालूम है, वह खराब होती जा रही है। दिल्ली के दो विभाग दिल्ली पुलिस और डी.टी.सी. को दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं।...*(व्यवधान)* भारत सरकार और दिल्ली सरकार जिनका दिल्ली मैट्रो में 50:50 की पार्टनशिप है।...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस और डी.टी.सी. के सारे कर्मचारियों को दिल्ली मैट्रो में फ्री पास किया जाए ताकि दिल्ली मैट्रो में दिल्ली पुलिस वाले घुमेंगे तो इससे दिल्ली मैट्रो में सुरक्षा भी बढ़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरो प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भैरो प्रसाद मिश्र (बांदा): अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन में रखना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दो जनपद बांदा और चित्रकूट आते हैं। बांदा जनपद में सेतु निगम द्वारा अवगाछी का पुल वर्षों से बनाया जा रहा है। जिसमें कभी काम बंद हो जाता है और कभी शुरू हो जाता है और कभी-कभी तो महीनों काम बंद रहता है।...*(व्यवधान)* उसकी लागत काफी बढ़ चुकी है। इसी तरह से चित्रकुट जनपद में मऊ के पास यमुना नदी पर महिला घाट पर एक सेतु निगम द्वारा पुल बनाया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

मान्यवर वह पुल वर्ष 2011 से बन रहा है। उसको बनाने में बहुत लेट किया जा रहा है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है, वहां हजारों लोगों का नाव द्वारा आवागमन होता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार से बातचीत करके सेतु निगम के दोषी कर्मचारियों को दंडित कराएं और यथाशीघ्र उन पुलों को पूरा किया जाए। धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन (कोल्लम): अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं सबरीमाला तीर्थ स्थान के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाना चाहता हूं। महोदया सबरीमाला तीर्थयात्रा केंद्र राष्ट्रीय महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पूजा केंद्रों में से एक है।

महोदया, आप यह देख सकती हैं कि बाढ़ के कारण केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर में बुनियादी ढांचा पूरी तरह से नष्ट हो गया है और पुनरुद्धार की प्रक्रिया हमारी आशानुसार आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सबरीमाला मंदिर के अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय सहायता दे।

आगे, माननीय 10 और 50 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं के लिए मंदिर में प्रवेश के संबंध में उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय ने स्थिति को इतना बदतर बना दिया कि कहा जा रहा है कि सबरीमाला नीलकमल और पंबा में आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश ने स्थिति को इतना बदतर बना दिया है कि सबरीमाला मंदिर में पूजा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए, मैं भारत सरकार से सबरीमाला मंदिर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान करने का आग्रह करता हूं।

मैं भारत सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि शांति बहाल करने और सबरीमाला मंदिर में उचित पूजा करने के लिए एक अध्यादेश जारी करके सबरीमाला तीर्थस्थल में एक शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए हस्तक्षेप करे (व्यवधान) महोदया, भारत सरकार के पास इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त विधायी क्षमता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): मैडम खास तौर पर यह शहीदी सप्ताह चल रहा है।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने और सारे हाउस ने साहबजादो को यहां श्रद्धाजलि दी है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि हम आपके कितने शुक्रगुजार हैं।...*(व्यवधान)* गुरु गोबिंद सिंह जी, जिनको सत्कार से हम कलगियां वाला, बाजों वाला और दशम पातशाह भी कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सत्कार से हम उन्हें सरबंस दानी कहते हैं, जिन्होंने अपना सारा परिवार चार दिन के अंदर, जब वे खास तौर पर चमकौर की जंग चल रही थी...*(व्यवधान)* वहां दो बड़े साहबजादे खुद तैयार करके लड़ाई में भेजे और वे लड़ाई में शहीद हुए और सिरसा नदी में उनका सारा परिवार अलग-अलग हो गया। छोटे साहबजादे और माताजी वहां से अलग होते हुए मरिण्डे में गिरफ्तार कर लिये गये। आपने ऐसी दास्ता कभी नहीं सुनी होगी, वहां के सुबासरंग वजीद खां के अहलकार एक नौ साल के और एक साल के साहबजादे को पकड़ कर ले गए।...*(व्यवधान)* साहबजादों को कहा गया कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करें। जैसी आज ठंड है, उस समय भी बहुत ज्यादा ठंड थी। इतनी ठंड में साहबजादों को कोड़े मारे गए और उसके बाद जब वे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए नहीं माने, तब उन्हें पेड़ के साथ बांध कर गुलेल के साथ उनके ऊपर हमला किया गया। छोटे साहबजादे की आंखों से खून बहने लग गया, फिर भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया।...*(व्यवधान)* उसके बाद वजीद खां ने हुकम किया कि इन्हें दीवार में चुनवा दिया जाए। जब साहबजादों को दीवार में चुनवाने लगे, तब तीन बार वह दीवार गिरी। दीवार बनाने वाले ने कहा कि साहबजादों के घुटनों की वजह से दीवार गिर रही है, तब उनके घुटनों को काटने का काम भी किया गया। जब फिर भी वह दीवार खड़ी नहीं हुई, तो जल्लाद को हुकम किया कि इनकी गर्दनें काट दी जाएं।...*(व्यवधान)* मासूम बच्चे देखकर जल्लाद ने मना कर दिया और कहा कि मैं यह काम नहीं करूंगा। फिर दो जल्लाद और बुलाए गए। उन जल्लादों ने नीचे पड़े हुए साहबजादों की गर्दनें काटीं। ये शहादत गुरु गोबिंद सिंह जी की है।...*(व्यवधान)*

महोदया, मुझे याद है जब मेरे दादा जी सरदार बेअंत सिंह मुख्य मंत्री बने, उन्होंने मुख्य मंत्री बनते ही फतेहगढ़ साहब को डिस्ट्रिक्ट बनाया था। यदि हम वहां सोने की सड़कें भी बना दें, तो वह भी कम है।...*(व्यवधान)* आज उस जिले को खास तौर पर प्रधान मंत्री जी और हमारे मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जितना ज्यादा से ज्यादा फंड दिया जा सकता है, जरूर दें।...*(व्यवधान)* श्री फतेहगढ़ साहब को पवित्र नगरी घोषित करें, तो मैं समझता हूं कि सिख जगत में और दुनिया में मैसेज जाए कि इससे बड़ी कोई गुरु की कुर्बानी नहीं है।...*(व्यवधान)*

मैं दोबारा उनके प्रति शीश झुकाता हूं और उनके सामने श्रद्धा से नमन पेश करता हूं। धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आप एसोसिएट कर सकते है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरो प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री संतोख सिंह चौधरी को श्री रवनीत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा (सुरेंद्रनगर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। गुजराती हमारी मातृभाषा है।

[अनुवाद]

*माननीय अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र सुरेन्द्रनगर (गुजरात) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र सुरेंद्रकुमार शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पिछड़े वर्ग जैसे बंजारा जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां और अन्य पिछड़े वर्ग इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रहे हैं। इस जिले में स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम विकास हुआ है। सुरेन्द्र नगर जिले में सामान्य विषयों में और विज्ञान विषय में शिक्षा की सुविधा है, परंतु कोई भी सरकारी मेडीकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। नमक किसानों (अगरिया) के बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने राजकोट या अहमदाबाद जाते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं संबंधित मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि सुरेन्द्रनगर जिले में सरकारी मेडीकल और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया जाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरो प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को श्री देवजीभाई गोविन्दभाई फतेपारा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, बिहार में अभी गुंजन खेमका, बी.जे.पी. के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई।...*(व्यवधान)* इससे पहले अखिलेश जायसवाल को मारने की धमकी दी गई और पांच करोड़ रुपये की मांग की गई।...*(व्यवधान)* अखिलेश जायसवाल एक बड़े व्यवसायी हैं। प्रियांशु पटेल को बेरगनियां में, आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार करे मार दिया गया उसी तरह लड्डू सिंह का केस है।...*(व्यवधान)* अभी सुपौल में दो दिनों के अंदर लगातार चार हत्याएं हुई हैं।...*(व्यवधान)* सहरसा में लगातार ऐसा हो रहा है।...*(व्यवधान)* मैं बहुत गंभीर मसले पर बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)* वहां से लगातार इतने बड़े व्यवसायियों का पलायन हो रहा है।...*(व्यवधान)* बिहार में लगातार व्यवसासियों की हत्या हो रही है।...*(व्यवधान)* वहां डेली ऐसा हो रहा है। अभी कुशवाहा छात्रावास में बच्चों पर जुल्म हुआ।...*(व्यवधान)* अभी वैशाली में गुंजन खेमका के साथ तीन हत्याएं हो गईं। पटना के एक बड़े ठेकेदार की हत्या दो दिन पहले हो गई।...*(व्यवधान)* इसी तरीके से, आप इसे देखेंगे, बिहार में लगातार अपराधियों द्वारा ऐसा हो रहा है, वहां बालू माफिया और जमीन माफिया ने किस तरीके से सहरसा में उमेश शाह के घर में घुसकर मार दिया।...*(व्यवधान)* इसी तरीके से जमीन माफिया समीर सिंह की हत्या की गई।...*(व्यवधान)* समीर सिंह की हत्या करने वाले पिंटू सिंह हैं, पिंटू सिंह ए.के.-47 देता है।...*(व्यवधान)* उसकी विधायक, एम.पी. मंत्री के साथ और एक बड़ी पार्टी के नेताओं के साथ फोटो आती है। उसमें तत्कालीन मंत्री होते हैं और तत्कालीन कई विधायक होते हैं।...*(व्यवधान)*

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आपकी बात हो गई है।

श्री भर्तृहरि महताब।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, मैं विश्व के आश्चर्य कोणार्क मंदिर से संबंधित तत्काल जन महत्व का मामला उठाना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों से यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है...*(व्यवधान)* परंतु सैंड स्टोन (रेतीले पत्थर) से रेत के कण प्रतिदिन झड़ रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उन्हें कलात्मक पत्थर से प्रति स्थापित न करके उनके स्थान पर प्लेन पत्थर लगा रहा है। यह बात न केवल ओडिशा में अनेक मीडिया में सामने आई है, अपितु राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में भी आई है...*(व्यवधान)*

जो मंदिर कुछ शताब्दियों पहले नष्ट किया गया था दिनो-दिन नष्ट होता जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंदिर के पुनरुद्धार के लिए उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है...*(व्यवधान)*

*मूलतः गुजराती में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

कुछ स्थानों का संरक्षण यूनेस्को द्वारा जाता है। हुमायूं का मकबरा ऐसा ही एक संरक्षित स्मारक था जिसका पुनरुद्धार आगाखान ट्रस्ट द्वारा किया गया था और इसका पूर्ण रूप से पुनरुद्धार किया गया है। जब हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्राधिकारियों के पास गए तथा संस्कृति मंत्रालय के पास गए, उन्होंने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह एक संरक्षित स्मारक है।

महोदया, सरकार से मेरा अनुरोध है कि उन्हें बचाने के लिए नए कानून की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

जो हमारी धरोहर है, उनको उसी तरह लगाना चाहिए।

[अनुवाद]

प्लेन पत्थरों की तरह नहीं।

यह कहा जाता है कि "हम ऐसा नहीं कर सकते।" तो हमें कानून बदलना चाहिए, जो औपनिवेशिक काल से प्रचलित है...*(व्यवधान)* इसे बचाना आवश्यक है...*(व्यवधान)* हम दूसरा कोणार्क मंदिर नहीं बना सकते...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरो प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री पी.के. बिजू और श्री निशिकांत दुबे को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति दी जाती ह।

अब प्रो. ए.एस.आर. नायक

...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.एस.आर. नायक (महबूबाबाद): मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद महोदया...*(व्यवधान)*। मैं जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित मुद्दे को उठाता रहा हूं। पुनर्गठन विधेयक में यह उल्लेख किया गया है और कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री, श्री के. चंद्रशेखर राव ने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री से इस मुद्दे के संबंध में मुलाकात की। परंतु सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है...*(व्यवधान)*। महोदया, कृपया मुझे एक मिनट दे...*(व्यवधान)* देश में एक जनजातीय विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के नाम से चल रहा है...*(व्यवधान)* यह विश्वविद्यालय जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए है, परंतु प्रवेश में आरक्षण मात्र 7.5 प्रतिशत है...*(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि प्रवेश में आरक्षण का अनुपात बढ़ाया जाए। धन्यवाद...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: डॉ. पी.के. बिजू को प्रो. ए.एस.आर. नायक द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देश में, बिहार में और मेरे संसदीय क्षेत्र बांका में आंगनवाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने हेतु संघर्षरत हैं। सेविकाओं को थर्ड क्लास एवं सहायिकताओं को फोर्थ क्लास के रूप में समायोजित किया जाए। ये सभी बिहार एवं बांका में एक माह से संघर्षरत हैं। हमारी सभी महिला बहनें, जिनमें आशा कार्यकर्ताएं भी हैं, सभी 15 सूत्री मांगों के साथ आंदोलनरत हैं और कई लोग धरने पर बैठे हैं, कई लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं।

मैं मांग करता हूं कि आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के रूप में समायोजित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सुप्रिया सुले तथा श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपराह्न 12.52 बजे

सांविधिक संकल्प: जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उद्‌घोषणा के अनुमोदन के संबंध में...*जारी*

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, आप कृपया सुनें, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूं। स्टैच्यूटरी रिजोल्यूशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर को हम पास कर चुके हैं। रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया है, लेकिन यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय पर कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। मुझे पहले इस विषय पर बोलने के लिए किसी नाम की सूचना मिली थी, इसलिए एडॉप्ट कर लिया गया है, लेकिन यह इश्यू महत्वपूर्ण होने के कारण एज ए स्पेशल केस कुछ सदस्यों को बोलने की इजाजत दे रही हूं। इसके बाद माननीय गृह मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। रिजोल्यूशन पहले ही एडॉप्ट किया जा चुका है, लेकिन यह महत्वपूर्ण इश्यू है, इसलिए मैं कुछ माननीय सदस्यों को बोलन की अनुमति दे रही हूं।

[अनुवाद]

अब श्री शशि थरूर जी।

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनंतपुरम): अध्यक्ष महोदया, मुझे

अपनी और अपनी पार्टी की जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की पुष्टि करने हेतु पारित किए गए सांविधिक संकल्प के प्रति हमारे विरोध को अभिलिखित करवाने अवसर देने के लिए धन्यवाद...*(व्यवधान)*। जैसा कि हम जानते हैं राज्यपाल ने धारा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल का शासन कोई आधारभूत मत परीक्षण किए बिना कि क्या नेशनल कांफ्रेंस, पी.डी.पी. और कांग्रेस सहयोगी दलों का कश्मीर में बहुमत है, लागू कर दिया...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आपकी पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे है, आप अपनी सीटों पर वापिस चले जाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर: अध्यक्ष महोदया, यह एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का घोर उल्लंघन है और यहां मैं वास्तविक फैसला उद्धृत करूंगा- "मंत्रालय की संख्या जांच करने की उचित प्रक्रिया सभा के भीतर परीक्षण करना होता है। केवल यही संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त विधिसम्मत मंच है जहां इस संबंध में खुले तौर पर निष्पक्ष रूप से इस संबंध में दावे और प्रतिदावे प्राप्त किए जा सकते हैं"...*(व्यवधान)*

महोदया, उच्चतम न्यायालय ने कहा: "मंत्रालय की शक्ति का आकलन किसी व्यक्ति के निजी विचार का मामला नहीं है, चाहे वह राज्यपाल हो या राष्ट्रपति"...*(व्यवधान)*

"ऐसा व्यक्तिगत आकलन व्यक्तिगत दुर्भावनापूर्ण गंभीर आपत्तियों के लिए खुला होने के साथ-साथ लोकतांत्रिक सिद्धांत के लिए अभिशाप है। यह संभव है कि कुछ दुर्लभ अवसरों पर सभा में मत परीक्षण असंभव हो, हालांकि ऐसी स्थिति की परिकल्पना करना कठिन है। यह मान भी लें कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का यह दायित्व बन जाता है कि सभा में परीक्षण न किए जाने के कारण लिखित में बताए।"

अध्यक्ष महोदया, यह एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के वास्तविक शब्द है...*(व्यवधान)*। मैं माननीय गृह मंत्री से यह प्रश्न करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* क्या राज्यपाल ने सभा में मत परीक्षण (फ्लोर टेस्ट) न करने के संवैधानिक आधार बताते हुए लिखित कारण प्रस्तुत किए हैं?...*(व्यवधान)* यदि ऐसा है, तो माननीय गृह मंत्री का कर्तव्य है कि उन लिखित कारणों को सभा को भी बताएं...*(व्यवधान)*

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकार की कार्रवाई केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के द्वारा विहित दिशा निर्देशों का उल्लंघन भी है...*(व्यवधान)* इसमें कहा गया है:

"संविधान का अनुच्छेद 356, उन स्थितियों में उपचार प्रदान करता है, जहां राज्य का संवैधानिक तंत्र पूर्णत: चरमरा जाता है, इस प्रबल शक्ति का दुरुपयोग हमारे संविधान के ताने बाने को हानि पहुंचाता है। जबकि इस अनुच्छेद का उद्देश्य संघ को उपचारात्मक कार्यवाही करने में समर्थ बनाना है। मंत्रालय को सभा में मत परीक्षण के माध्यम से अपना बहुमत समर्थन दर्शाने का अवसर दिए बिना मात्र विषयपरक आकलन पर कि मंत्रालय को अब विधानसभा में विश्वास नहीं प्राप्त है राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना और और लागू करना अनुच्छेद 356 का गलत उपयोग है।"

महोदया, राज्यपाल की यह कार्यवाही असंवैधानिक थी...*(व्यवधान)* इसके अतिरिक्त, राज्यपाल ने मीडिया को अपने वक्तव्यों में कहा कि उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पी.डी.पी. के राज्य सरकार बनाने के दावे को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया था कि विचारधारा की भिन्नता वाली पार्टियां सरकार नहीं बना सकती...*(व्यवधान)* सरकार ऐसा राजनैतिक निर्णय कैसे ले सकती है?...*(व्यवधान)* यदि इन पार्टियों की सैद्धांतिक विभिन्नता हैं तो बी.जे.पी. और पी.डी.पी. की पूर्ववर्ती सरकार अपने आप में उन पार्टियों का अप्राकृतिक गठजोड़ था जिनमें कुछ भी एक दूसरे के समान नहीं था और फिर भी राज्यपाल को उनके साथ कार्य करना ठीक लगा। वह किस आधार पर राजनैतिक निर्णय ले सकते है?...*(व्यवधान)*

अत: मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह हमें राज्यपाल द्वारा सभा में मत परीक्षण न करवाने के कारण लिखित में दें और साथ ही वे हमें यह भी बताएं कि राज्यपाल के राजनैतिक निर्णय का क्या औचित्य है...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय (दमदम): अध्यक्ष महोदया, मैं जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 19 दिसंबर, 2018 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा का विरोध करता हूं...*(व्यवधान)*

मैं सोचता हूं कि राष्ट्रपति शासन का लगाया जाना

एकतरफा और असंवैधानिक है...*(व्यवधान)* जम्मू और कश्मीर सरकार जून, 2018 में गिर गई जब भा.जा.पा. जिसके सदन में 25 सदस्य के, ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया...*(व्यवधान)* जम्मू और कश्मीर के संविधान के अंतर्गत राज्यपाल शासन को जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 92 के अंतर्गत लगाया गया था...*(व्यवधान)* इसके पश्चात्, सभी धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा सरकार बनाने का प्रयास किया गया था और पी.डी.पी., नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाने के लिए सहमत हुईं...*(व्यवधान)* केन्द्र में सरकार और भा.ज.पा. ने मुख्यमंत्री के रूप में सज्जाद लोन जिसके पास केवल दो सदस्य थे, को आगे लाने का प्रयास किया था...*(व्यवधान)* राज्यपाल ने स्वीकार किया था कि यदि उन्होंने दिल्ली की ओर देखा होता तो उन्हें सज्जाद लोन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता...*(व्यवधान)*

महोदया, और एक बहुसंख्यक सरकार जम्मू और कश्मीर के लिए विधान सभा आधारित सरकार अनिवार्य की...*(व्यवधान)* राष्ट्रपति शासन को एक असंवैधानिक ढंग से लगाकर, बोम्मई मामले में निर्णय के विरुद्ध जाकर राज्यपाल ने संविधान का उल्लंघन किया और केंद्र ने राज्यपाल के प्रयास में मिली भगत की...*(व्यवधान)* यह तब किया गया जब कश्मीर जल रहा था।...*(व्यवधान)* केन्द्रीय सरकार पूर्णतया विफल सिद्ध हुई है।...*(व्यवधान)* लगभग 200 लोग वर्ष 2018 में अब तक आतंकवाद-संबंधी घटनाओं में मरे हैं...*(व्यवधान)* परंतु तब भी केंद्र ने राज्य में बड़े दलों द्वारा गठित एक बहुसंख्यक सरकार बनने नहीं दी क्योंकि भा.ज.पा. का अपना सीमित सांप्रदायिक एजेंडा था।

अपराह्न 01.00 बजे

यही कारण है कि सभा को राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा और सज्जाद लोन को अन्य दलों से अलग हुए नेताओं के साथ मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाने के भा.ज.पा. के प्रयासों का पूर्णतया विरोध करना चाहिए। मौजूदा राज्यपाल बहुत बोल रहे हैं, परंतु सुंदर रमणीय राज्य जम्मू और कश्मीर में शांति लाने में सफल नहीं हो पाए हैं। आग्रह करता हूं कि चूंकि उद्घोषणा पहले ही पारित की जा चुकी है, इसलिए सरकार को जम्मू और कश्मीर में तुरंत चुनाव कराने की घोषणा करनी चाहिए, ताकि इस संकटग्रस्त राज्य में लोकतंत्र वापस आ सके और लोगों का विश्वास राज्य में स्थापित किया जा सके...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): हम सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर एक संकटग्रस्त राज्य है और यह संकट राज्य में हाल ही में काफी समय से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यह अनुच्छेद 356 की राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद ही शुरू हुआ है। यह जम्मू और कश्मीर के हमारे देश में विलय के समय से चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि इस राज्य में चल रही आतंकवादी गतिविधि ही वह कारण है कि शेष राष्ट्र को कश्मीर की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यही आवश्यकता है। महोदया, अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा का विरोध संबंधित क्षेत्रीय दलों द्वारा देश भर में हमेशा से ही किया जाता रहा है और इसके पीछे एक लम्बा इतिहास रहा है। पहले अकाली दल का, जो अनुच्छेद 356 से पीड़ित था। हमारा राज्य भी अनुच्छेद 356 का शिकार रहा था। तमिलनाडु में भी, अनुच्छेद 356 को कतिपय राजनीतिक दलों को खुश करने के लिए ही और संबंधित राज्यों में क्षेत्रीय दल की सरकारों को सत्ता से बाहर करने के लिए भी लगाया गया था। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 का अधिकांश क्षेत्रीय दलों द्वारा हमेशा ही विरोध किया जाता है।

साथ ही, एक सर्वसम्मति बनाई गई और बाद में, उच्चतम न्यायालय ने भी एक निदेश दिया कि जब अनुच्छेद 356 लगाया जाता है तो इसको लोक सभा या संसद द्वारा समवेत होने पर तत्काल प्रभाव से अनुमोदित किया जाना होगा। यही कारण है कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा आज इस सभा के समक्ष है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस राज्य में हुए पिछले विधान सभा चुनाव में एक खंडित जनादेश मिला और इस प्रकार का जनादेश पहले जम्मू और कश्मीर में कभी नहीं मिला। घाटी के एक भाग ने एक दल के लिए वोट किया और शेष राज्य ने अन्य दल के लिए वोट किया और यह मुफ्ती साहब की दरियादिली ही थी कि वे सरकार बनाने के लिए दोनों राजनीतिक दलों भा.ज.पा. और पी.डी.पी. को साथ लाए और यही उस समय की आवश्यकता थी। कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी, कांग्रेस ने प्रतिपक्ष का नेतृत्व किया। परंतु बाद में क्या हुआ? मुफ्ती साहब की मृत्यु के पश्चात, दोनों दल एक साथ नहीं रह सके और यही कारण है कि सरकार गिर गई।

आज, क्या हो रहा है? पिछले दो से तीन माह के समय में, सरकार ने घोषणा की कि हमें पंचायती राज चुनाव करवाने चाहिए, परंतु पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार किसने किया? ये जम्मू और कश्मीर के वही क्षेत्रीय दल थे, जिन्होंने खुले-आम कहा कि वे पंचायती राज चुनावों में भाग नहीं लेंगे। कांग्रेस ने इनमें भाग लिया, भा.ज.पा. ने

भाग लिया और कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों ने भी भाग लिया। मैं यह भी जोर दूंगा कि हमें जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों का नेतृत्व भी स्थापित किया जा सके। नेतृत्व को जम्मू या श्रीनगर तक सीमित नहीं रखना चाहिए।

मेरी यह राय है कि आज राष्ट्रपति शासन लगाना आवश्यक हो गया है। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि जब अगले लोक सभा चुनावों का समय आए तो लोक सभा चुनावों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर विधान सभा चुनाव भी करवाए जाएं। तदनुसार, निर्वाचन आयोग को अवगत कराया जाए। मैं अनुच्छेद 356 लगाए जाने का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: डॉ. पी. वेणुगोपाल, यदि आप बोलना चाहते हैं तो कम-से-कम आपके सांसदों को अपने स्थानों पर वापस जाना चाहिए। यदि कोई नेता बोलना चाहता है तो उसके दल के आसन के समीप सभी सांसदों का अपने स्थानों पर वापस जाना चाहिए।

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरूवल्लुर): महोदया, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको बोलने की अनुमति दे रही हूं। परंतु उन्हें अपने स्थानों पर वापस जाने दें। आप अपने दल के नेता हैं; और आसन के समीप मौजूद आपके सांसदों को अपने स्थानों पर वापस जाना चाहिए। तभी आप बोल सकते हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि आपके सांसद आसन के समीप हैं और इसके साथ ही आप बोलना भी चाहते हैं? दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं।

अपराह्न 01.06 बजे

इस समय श्रीमती वी. सत्यबामा और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरूवल्लुर): अध्यक्ष महोदया, हमारी पार्टी ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से, हम हमेशा देश के किसी भी राज्य में राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ हैं। यह हमारे देश की संघीय संरचना और लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांत के खिलाफ है।

महोदया, चुनी हुई सरकारें सर्वोच्च होती हैं और केंद्र को किसी निर्वाचित सरकार को बर्खास्त नहीं करना चाहिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. अन्ना और स्वर्गीय डॉ. जे. जयललिता जी हमेशा राज्यों अधिकारों के लिए और देश के किसी भी हिस्से में निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के खिलाफ थे।

अध्यक्ष महोदया, जम्मू और कश्मीर के मामले मे यह एक अलग स्थिति हो सकती है। सरकार को इस तरह के निर्णय थोपने से पहले सभी परिस्थितियों तथा इसके हानि-लाभ पर विचार कर लेना चाहिए था। सरकार उस स्थिति की व्याख्या करे, जिसने उसे यह कदम उठाने के लिए विवश किया। इसलिए सार यह है कि हम देश के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ हैं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: अब, श्रीमती सुप्रिया सुले।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): जय प्रकाश नारायण यादव जी खड़े हैं। वे प्राय: मुझसे पहले बोलते हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं है। जब मैं आपको बोलने की अनुमति दे रही हूं, तो आप बोल सकती हैं। उनकी बारी भी आएगी।

श्रीमती सुप्रिया सुले: महोदया, इस अति संवेदनशील विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए, मैं आपकी आभारी हूं। मैं यहां दुखी मन से खड़ी हूं क्योंकि जम्मू और कश्मीर उन सबसे सुंदर राज्यों में से एक है जो हमारे पास हैं तथा जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह पिछले कुछ वर्षों से अशांत है। मैं इस संबंध में, माननीय गृह मंत्री जी से एक अनुरोध करूंगी। मैं उनसे दो प्रश्न पूछना चाहती हूं। पहला तो यह कि वहां पर राष्ट्रपति शासन थोपे जाने का वास्तविक कारण क्या है? कारण यह रहा है कि हमने वार्ताकार की रिपोर्ट नहीं देखी है। न तो हमने श्री वोहरा का प्रतिवेदन देखा है और न ही हमने स्वर्गीय श्री दिलीप पडगांवकर जी का प्रतिवेदन देखा है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सरकार को जम्मू और कश्मीर की स्थिति के बारे में राज्यपाल से रिपोर्ट मिली होंगी जो अत्यंत कठिन समय से गुजर रहा है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं इस ओर बैठी थी और राजनाथ जी उस ओर बैठे थे तथा सुषमा जी यहां से कह रही थी कि "अगर वे हमारा एक मारेंगे तो हम उनके 10 या 100 मारेंगे।" मुझे आज भी यह याद है। मैं बहुत प्रभावित हुई थी जब उन्होंने कहा था कि अगर वे हमारा एक बच्चा भी मारेंगे तो आप यहां से कुछ करेंगे। उसी अपेक्षा से हम आज आपको पूछे कि आर्टिकल 356 की जरूरत

क्या है? पिछले टाइम मुझे याद है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट था, अभी जम्मू-कश्मीर में सरपंचों का इलेक्शन हुआ था, तब प्रधान मंत्री जी ने सरपंचों से मिलने के बाद ट्वीट किया था कि "यह चुनावों का सर्वश्रेष्ठ उपस्थिति वाला मतदान रहा।"

अतः यदि सरपंचों के चुनाव अच्छी तरह से हो सकते हैं, तो हमे अनुच्छेद 356 की आवश्यकता क्यों है? हमें वहां पर राष्ट्रपति शासन की जरूरत क्यों है? इसलिए हम वहां पर चुनाव कराने क्यों नहीं जा रहे हैं? जनरल हुड्डा और पूर्व डी.जी.पी. राजेंद्र सिंह के इसे असफलता करार देने से पहले मैं डॉ. अबदुल्ला से ही बातचीत कर रही थी। ये कदम सार्वजनिक हुए हैं। इसलिए, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि यह गोलियों का समय नहीं है; हमें एक अच्छे चुनाव की जरूरत है। मैं इस अवसर का लाभ लेना चाहूंगी। मैं बोम्मई जजमेंट और उस सब के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं वापस डॉ. बी.आर. अंबेडकर के उस छोटे कथन पर बात करूंगी जो उन्होंने कहा था। जब अनुच्छेद 356 पर चर्चा हो रही थी और उन्होंने इसे पुरःस्थापित किया था उस समय, पंडित हृदय नाथ कुंजरू ने कहा "क्या मैं अपने माननीय मित्र से इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कह सकता हूं? क्या अनुच्छेद 278 और 278(क) का उद्देश्य केंद्र सरकार को प्रांत की भलाई के लिए प्रांतीय मामलों में हस्तक्षेप करने में समक्ष बनाना है?"

डॉ अम्बेडकरजी ने कहा था: "नहीं, नहीं। संविधान में केंद्र को कोई अधिकार नहीं दिया गया है।"

एक और सीमित बिंदु है। जब उनसे फिर पूछा गया: "यदि सार्वजनिक शांति को खतरे में डालने वाली ऐसी अव्यवस्थित सरकार प्रदेश में आ जाए तो क्या करें?", फिर डॉ. अंबेडकर ने कहा था- "इसे संभालने के दो तरीके हैं। पहले, राज्यपाल चेतावनी दे-(मैं अभी इसे संक्षेप में पढ़ रही हूं) - दूसरा, चुनाव का आदेश दे जो प्रांत के लोगों को खुद से इस मामले का निपटान करने की अनुमति दे।"

इसलिए, जब संविधान और डॉ. बाबासाहेब ने इसे स्पष्ट किया है, तब इसे थोपने का क्या कारण था जबकि निर्वाचित सदस्य सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, विशेष रूप से जबकि जम्मू और कश्मीर एक बहुत ही संवेदनशील राज्य है। जितनी जल्दी उनकी अपनी सरकार बनती है, उतना ही हमारे और पूरे देश की स्थिरता के लिए अच्छा है।

धन्यवाद

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदया, आपका धन्यवाद। अभी तक जितनी भी चर्चा हुई है, कुल मिलाकर के शिष्टाचार के दायरे में ही हुई है। जैसा कि सुप्रिया जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जम्मू-कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है। और निश्चय ही इनकी बात की तस्दीक करते हुए मैं यह भी कहूंगा कि इस बात की पीड़ा सबको महसूस होती है। हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ भी हो, विचारधारा कुछ भी हो, पिछले 20-25 वर्षों से न जाने जम्मू-कश्मीर राज्य को क्या नजर लग गई कि हमें इस प्रकार के वातावरण से गुजरना पड़ा। बेचैनी और उग्रता का एक दुःस्वप्न। जैसे एक शायर ने कश्मीर घाटी में जो गुजरा है, उस संदर्भ में कहा था कि-

मेरे बुजुर्गों ने जन्नत जिसे बनाया था,
उस जन्नत को दोजख बना दिया तुमने।

इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका विश्लेषण इतिहास करेगा, इतिहासकार करेंगे। परंतु सुप्रिया जी की ही बात में बात को जोड़ते हुए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, किसी भी प्रकार से हमारी निष्ठा और संकल्प में जम्मू-कश्मीर के प्रति कोई कमी नहीं रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एक तरह से जम्मू-कश्मीर के साथ जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी और उससे पूर्व भारतीय जनसंघ की स्थापना की प्रेरणा हमें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हुए उस बलिदान से मिली, जो बलिदान जम्मू-कश्मीर की धरती पर हुआ। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस विषय को लेकर के कुछ और विडंबनाएं या कुछ और बहस की आवश्यकता है। जहां तक हमारी प्रतिबद्धता का सवाल है, बहुत समय न लेते हुए, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वर्ष 2015 में एक सरकार बनी, उससे पूर्व वर्ष 2014 में एक इलेक्शन हुआ। मैं सीधे ही वर्तमान पर आऊंगा। महताब साहब ने ठीक कहा है कि यह खंडित जनादेश था। हमसे बहुत सारे सवाल किए गए। उस समय भी सवाल हुए कि बी.जे.पी. ने किस प्रकार का गठबंधन कर दिया। हमारे ऊपर ताने भी लगाए गए कि श्यामा प्रसाद जी की विरासत को क्या हुआ? आप तो एक विधान की बात करते थे, एक निशान की बात करते थे, एक प्रधान की बात करते थे। अब आपने ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन कर दिया, जो सेल्फरूल की

बात करती है और इत्यादि-इत्यादि करती है। आज ये अवसर है, यह कहने का कि यह आदेश लोगों द्वारा दिया गया। हम तो उतरे थे मैदान में यह कहकर कि हमें 44 प्लस दीजिए, हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। लेकिन जनता को यह मंजूर नहीं था। हमें खंडित जनादेश मिला। दो पार्टियां लगभग एक ही संख्या में सामने आईं, एक पी.डी.पी. और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। यह लोगों का जनादेश था कि हमें एकजुट होना चाहिए और एक सरकार बनानी चाहिए क्योंकि यह आम तौर पर ऐसी स्थितियों में होता है, जहां आप न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम या गठबंधन सरकार के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए, हमें ऐसा करना पड़ा। अगर हमने नहीं कहा, तो, अगर हमने नहीं कहा होता, तो वही लोग जो हम पर यह आरोप लगाते हैं कि आपने क्यों गठबंधन किया। हम पर यह आरोप लगाते कि आप लोगों का मैन्डेट लेकर भाग गए। आप सरकार बनाने से पीछे हट गए।

...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम, वह ईश्यू नहीं है। ईश्यू यह है,...*(व्यवधान)*

डॉ. जितेन्द्र सिंह: हम इसी पर आएंगे, क्योंकि...*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, किसी पार्टी का इतिहास बोलते गए हैं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: किसी पार्टी का नहीं, आपका और अपना बोलूंगा।...*(व्यवधान)* आपका भी इतिहास बोलूंगा। मैं पांच मिनट से अधिक नहीं लेने वाला हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप मुझसे बात कीजिए। उन्हें अनुमति नहीं दी गई है।

...*(व्यवधान)*

डॉ. जितेन्द्र सिंह: मैडम, चूकि शशी थरूर साहब ने यह बात उठाई है, तो मैं उस बात का ही स्पष्टीकरण दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़-प्लीज़ आपस में बात नहीं करें।

...*(व्यवधान)*

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अगर आप चाहेंगे तो मैं वहां से भी जाऊंगा। कश्मीर आज नेहरूवादी भूलों से शुरू होने वाली क्रमिक कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए भूलों की श्रृंखला का परिणाम है। कुख्यात नेहरूवादी भूलों ने हमें यहां तक पहुंचाया। आप ही ने कहा कि इतिहास बताओ।...*(व्यवधान)* अगर नेहरू ने सरदार पटेल को कश्मीर उसी प्रकार हैण्डल करने दिया होता, जैसे बाकी प्रदेशों को किया है, तो आज भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अलग होता।...*(व्यवधान)* उस समय के प्रधान मंत्री ने गृह मंत्री के क्षेत्र में घुसपैठ की और उन्हें गृह मंत्री के रूप में कार्य करने नहीं दिया जहां तक जम्मू और कश्मीर का संबंध है और आज यह परिणाम है।

इसलिए, मुझे लगता है कि मैं जल्दी रुक जाऊंगा और इतिहास से वापस आऊंगा। सन् 2015 में सरकार बनी, शशी जी ने ठीक कहा कि कुछ लोगों का यह मानना था कि यह एक अप्राकृतिक विवाह है। मैं कहूंगा कि यह ठेठ भारतीय विवाह था, यह एक अप्राकृतिक विवाह नहीं था। हिन्दुस्तान में कितने विवाह होते हैं, कहीं वर-वधू ने एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखी होगी, बाद में पता चलता है कि स्वभाव ही अलग है। परिवार के व्यापक हित में और सामाजिक जिम्मेदारियों के व्यापक हित में उन्होंने साथ रहना सीखा। हम, हमारे बोध और अपने लोकतांत्रिक दायित्वों के व्यापक हित में भी साथ रहने में कामयाब रहे। आप हमारी दाद दीजिए कि विचारधारा अलग होने पर भी, विचार अलग होने पर भी, भेदभाव होने पर भी, मतभेद होने पर भी, हमने इकट्ठे सरकार चलाने का प्रयास किया, यह तो आपको शबासी देनी चाहिए। हमने भारत की परंपरा को निभाया और प्रजातंत्र की परंपरा को निभाने का प्रयास किया, फिर 19 जून, 2018 में सीधे राष्ट्रपति शासन मुद्दे पर आ रहा हूं। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि कम से कम श्री शशी जी मुझे सुन रहे हैं। 19, जून, 2018 को बीच में एक अंतराल दो-तीन वर्ष का आया, जबकि हमें ऐसा लगा, क्योंकि उस वक्त एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया गया था, जिसमें यह तय हुआ कि हम सहमत और असहमत में से जैसे कि हम भारतीय विवाह के मामले में होते हैं। यही कारण है कि मैंने कहा था इसे भारतीय परंपरा के साथ रखना चाहिए। हम आदर्श के मुद्दे पर भी सहमत और असहमत होते हैं और उन्हें एक तरफ रखते हैं तथा विकास के मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

प्रो. सौगत राय (दमदम): तो डायवोर्स क्यों हुआ?

डॉ जितेन्द्र सिंह: वही बता रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: प्लीज ऐसे टोका-टाकी मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. जितेन्द्र सिंह: मैं उसी पर आ रहा हूं, डॉयवोर्स आपने करवाया, वह भी मैं बता रहा हूं कि वह कैसे हुआ। अब हम इकट्ठे चल पड़े, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया कि भाई बाल-बच्चों का ध्यान रखना, समाज का ध्यान रखना, बाकी अपना कर्म अदा करना, अपना विचार तुम्हें मुबारक और मेरा विचार तुम्हें मुबारक। तो यहां पर, इस विवाह में क्या था? विकास हमारा परिवार था। हमने उस पर फोकस किया। तीन साल गुज़र जाने के बाद, हमारे मतदाताओं ने; हमारे लोगों ने, हमारी जनता ने यह शिकायत करना शुरू किया, और बहुत जोर-शोर से तथा प्रत्यक्षत: कि यह जो एजेंडा ऑफ एलायंस बना है, यह उस तरह से आप नहीं निभा पा रहे हैं, जिस तरह से होना चाहिए था। क्योंकि दोनों पार्टियों में उस तरह का समन्वय नहीं हैं और विशेष कर जम्मू और लद्दाख से इस प्रकार की आवाज़ आने लगी। और ज़ाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं के लिए जवाबतलब है और इसीलिए 19 जून को यह निर्णय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन से बाहर आएगी। प्रो. सौगत राय एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं उन्हें बहुत सम्मान देता हूं। मैं मुश्किल से ही यह कहने की साहस कर सकता हूं कि जब आप सत्ता में बैठे और आपने वाक आऊट कहने का निर्णय लिया। हमें किसी ने मजबूर नहीं किया था, बहुमत हमारे पास था।

डॉ. शशि थरूर: लेकिन जनता आपके पास नहीं थी।

श्री जितेन्द्र सिंह: नहीं, जनता के लिए इलेक्शन को तीन साल पड़े थे। यहां तो दो महीने पहले तैयारी की जाती है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है।

शायद दूसरी पार्टियों को इसलिए समझ नहीं आती कि यह भिन्न है। हमने कहा कि जिन्होंने हमें डिक्टेट किया कि हम गठबंधन में आएं, यदि उनकी यह मंशा है कि हम गठबंधन से बाहर आएं, तो हम गठबंधन से बाहर आए। इसलिए जनादेश के कारण हमने गठबंधन किया। लोगों की इच्छा के अनुरूप ही हम गठबंधन से बाहर आए। इस तरीके की कहानी है।

अब गवर्नर रूल आ गया। जम्मू-कश्मीर का जो संविधान है, उसमें यह व्यवस्था है कि पहले छह महीने गवर्नर रूल होना चाहिए और वह लागू हुआ। उसी छह महीने के दौरान वहां पंचायत का इलेक्शन भी हुआ। जैसा सुप्रिया जी ने कहा, प्रधान मंत्री जी एवं गृह मंत्री जी ने उसकी सराहना भी की। सरकार के शासन में, शांति पूर्ण मतदान हुआ। गवर्नर साहब ने इलेक्शन करवाया और यह उनकी दाद है। लेकिन उसमें कोई हिंसा नहीं हुई। वहां से लगभग 40 हजार पंच चुनकर आए हैं। वहां अफरातफरी पैदा करने के लिए अलगाववादियों की तरफ से बायकॉट कॉल हुआ। मुझे लगता है कि इसकी हमें सराहना करनी चाहिए।

वहां पोलिटिकली क्या हुआ? इस पंचायत इलेक्शन में कुछ राजनैतिक दल एक्स्पोज़ हुए। अब अचानक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कुछ पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया, इसका बायकॉट किया। जैसा महताब साहब कह रहे थे, उसमें नेशनल कांफ्रेंस थी, उसमें पी.डी.पी. थी। शुरू में कांग्रेस थोड़ी-सी डगमगाई कि करें या नहीं करें। बाद में उन्हें लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको सारे देश में चुनाव लड़ना है, इसलिए शायद ठीक नहीं रहेगा। अंतत: वे भी आए। वहां इलेक्शन हुआ और उसका परिणाम निकला। भारतीय जनता पार्टी को व्यापक तौर पर बहुत अच्छा परिणाम मिला। अब तो यह आंकड़े बताते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता यदि हम जीत गए। लोगों ने हमें जिताया। हम दोनों कारपोरेशन में जीते। जम्मू में हमारा मेयर बना और श्रीनगर में हमारे समर्थन से पहली बार कोई मेयर बना। स्थानीय निकाय में, बहुमत बी.जे.पी. के साथ था।

इसी प्रकार से पंचायतों का भी परिणाम आया, हालांकि यह नॉन-पार्टी था। फिर भी, मैं आंकड़ों पर जाऊंगा। आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके बारे में हमारे गृह मंत्री जी बताएंगे, लेकिन मैं केवल राजनीतिक बात रखूंगा। जिन पार्टियों ने इलेक्शन का बहिष्कार किया था, जिनमें नेशनल कांफ्रेंस तथा पी.डी.पी. थी, उन्होंने कहा कि उस समय 35-ए को लेकर बहस चल रही थी। हालांकि वह न कोई मुद्दा है और न ही हम उसमें जाएंगे। हमने 35-ए को प्रोटेक्ट करने के लिए बहिष्कार किया और हम इलेक्शन तब तक नहीं लड़ेंगे, जब तक 35-ए का फैसला न हो। अब वही पार्टी इसके उलट विधानसभा चुनाव कराने के लिए इच्छुक है। जब इलेक्शन हो जाता है, तो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास स्वीप किया है। इसलिए, वे घबरा गए। अब वे कहते हैं कि आप तुरंत इलेक्शन करवाइए। पहले वे 35-ए को बचाने के लिए इलेक्शन का बहिष्कार करते हैं और अब वे इलेक्शन की मांग करते हैं। उनका असली स्टैंड क्या है, यही किसी को पता नहीं है।

वास्तव में, वे अपने मतदाताओं के प्रति भी वफादार नहीं रहे थे वे दल हैं जिनका संसदीय क्षेत्र कश्मीर घाटी

है। धोखा दिया गया है। उन्होंने स्थानीय निकाय का परिणाम आने के बाद अपना उद्देश्य बदलकर उन्हें धोखा दिया है। अब वे कहते हैं कि वे अनुच्छेद 35क की रक्षा के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि वे अनुच्छेद 35क को बचाने के लिए चुनाव का बहिष्कार करना चाहते हैं। अब इस गड़बड़ाहट में, यह सब शुरू हुआ। उन्होंने साथ आना शुरू किया, उन्होंने कहा था कि नेशनल कांफ्रेंस जुड़ जाएगी, पी.डी.पी. जुड़ जाएगी, कांग्रेस भी एक साथ हो जाएगी और हम एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, ताकि बी.जे.पी. सामने न आएं। अभी जैसा शशी जी कह रहे थे कि पी.डी.पी. और बी.जे.पी. अलग-अलग विचारधाराओं के थे। यहां पर तीन पार्टियां हैं, जिनमें विचारधारा तो दूर, शायद कभी एक-दूसरे की सूरत देखना भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वे इकट्ठे आ गए कि कहीं बी.जे.पी. न आ जाए। लोकल बॉडीज़ के परिणाम ने उनको इस कदर खौफज़दा कर दिया कि उनको असेम्बली की शक्ल दिखायी देने लगी।...*(व्यवधान)* मैं वहीं आ रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: आप उनका जवाब मत देना।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं लाया जा रहा है। केवल मंत्री जी का वक्तव्य ही रिकॉर्ड में जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अभी मेरा आधा मिनट बाकी है। उसमें मैं बात करूंगा।...*(व्यवधान)* उसी में बात समाप्त हो जाएगी। अगर आप आधा मिनट इंतजार करेंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आप लोग आपस में टोका-टाकी मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ जितेन्द्र सिंह: इस दौरान आप और भड़केंगे।...*(व्यवधान)*

प्रतिस्पर्धी अलगाव का चरण था। कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस तथा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं की ओर से खतरनाक बयान आने शुरू हुए।...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय: वे सरकार बनाना चाहते थे।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: कृपया बैठ जाइए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

डॉ जितेन्द्र सिंह: मैं आपको बताता हूं।...*(व्यवधान)* कभी वे फौज को गाली देने लगे, कभी एयरफोर्स को गाली देने लगे, कभी वे भारत की प्रभुसत्ता को गाली देने लगे।...*(व्यवधान)* वास्तवे में, यह इन कुछ पार्टियों की परंपरा रही है कि जब वे सत्ता में भागी हैं तो भारत की शपथ खाते हैं और जब सत्ता से बाहर होते हैं, अलगाव की भाषा का प्रयोग करते हैं। अलगाववाद उनके लिए एक सुविधाजनक माध्यम है, उनका आदर्श नहीं।...*(व्यवधान)*

मैं कहना चाहता हूं कि तथाकथित मुख्यधारा के राजनीतिक दल जोकि कश्मीर में सक्रिय हैं चाहे वह नेशनल कांफ्रेंस हो अथवा पी.डी.पी. अथवा कांग्रेस, वे अलगाववादी लॉबी से अधिक खतरनाक भूमिका निभाते हैं क्योंकि अलगाववादी चिह्नित हैं। वे छलावरण में कार्य कर रहे हैं और मुख्य धारा में अलगाववाद का प्रसार कर रहे हैं और मात्र किसी अपनी कांस्टीट्यूएंसी के अपीजमेंट के लिए। इलेक्शन क्यों नहीं कराया, मैं इस बात को कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। हमने यह कभी नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते।

भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे, 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम हर समय इलेक्शन मोड में है। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखिए, एक चुनाव समाप्त होता है और दूसरा चुनाव किसी प्रदेश में 8 माह के बाद होना होता है, वे उसी दिन सायंकाल उसकी बैठक ले लेते हैं। हम कोई रसोईघर की पार्टी नहीं हैं। मैं उससे ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि फिर भड़क जाएंगे। यहां ऐसा नहीं होता कि खाना परोसते-परोसते मां-बेटा फैसला करते हैं। हमारी एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात कहिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: गणेश सिंह जी, बैठिए।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, कृपया अपना भाषण समाप्त करिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ जितेन्द्र सिंह: मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यह एक व्यवस्था के अधीन, एक अनुशासन के अधीन काम करने वाली पार्टी है, 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। मैं फिर कहूंगा कि यहां खाना परोसते-परोसते मां-बेटा फैसला नहीं करते हैं।...*(व्यवधान)*

अब बात आती है इलेक्शन की, हम तो कह रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन हों तो हम आज भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अगर आप अभी से एनाउंस करें। हम हमेशा चुनाव के मोड में होते हैं। इलेक्शन किसने नहीं होने दिया और क्या किया? खड़गे साहब ने उस समय टोका था, मैं इन्हें याद दिला देता हूं। जम्मू-कश्मीर इलेक्शंस की अगर खिलाफवार्दी हुई और एब्यूज हुआ है तो वह भी उसी पार्टी ने किया है, जिसने 50 साल वहां सत्ता की।

1987 के चुनावों में हेराफेरी जम्मू और कश्मीर के इतिहास में बड़ी घटना रही। उसके बाद ये सब लोग जो आज अलगाववाद चला रहे हैं या उसके नेता बने हैं, पाकिस्तान के हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, ये उस समय इलेक्शन में खड़े हुए थे। यही गठबंधन था, इन्हीं पार्टियों का गठबंधन था। जिन्होंने रिगिंग किया, उनको हराया, ताकि विपक्ष कहीं सामने न आए और उसका नतीजा आज सामने हैं।

हम चुनाव में चुनावों की भावना में विश्वास करते हैं, उस प्रकार के चुनाव नहीं वैसा कि आप जम्मू और कश्मीर में करवा रहे हैं। वास्तविक प्रजातंत्र देने का अगर प्रयास और संकल्प किसी दल ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके अतिरिक्त गृह मंत्री जी उत्तर देंगे, लेकिन जहां तक प्रेसीडेंट रूल आया, उसके उपरांत विकास कार्यों की गति भी बढ़ी है और लोगों को भी इस बात की तसल्ली है कि उस प्रकार के अफरातफरी के वातावरण से उनको मुक्ति प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी सदा चुनाव के लिए तैयार है। आज कहें, तो आज तैयार है, लेकिन हम उस तरह का चुनाव न लड़ेंगे, न करवायेंगे, न प्रोत्साहित करेंगे, जैसा कांग्रेस पार्टी करती रही है।

माननीय अध्यक्ष: मोहम्मद सलीम जी।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): धन्यवाद। अच्छा हुआ, मंत्री जी को आपने बुलवा दिया।

श्री मुलायम सिंह यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष जी, यह एक बहुत अच्छे विषय पर उन्होंने बहस की।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मुलायम सिंह जी, मैंने मोहम्मद सलीम का नाम लिया। उनके बाद आपको अवसर दूंगी।

श्री मोहम्मद सलीम: मैडम, मंत्री जी बोल दिए, यह अच्छा हुआ, वरना बिना चर्चा के ही पास हो जाता।

मैंने आपको लिखित रूप से दिया था, यह भी एक अच्छी परंपरा है, मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था कि लोकतंत्र में हम पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद पास करते हैं। आप नयी परंपरा डाल रहे हैं, पहले पास करते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। यह हमारी संसदीय परंपरा नहीं थी, एक नई परंपरा डाली जा रही है। आपके मुंह से बुलावाया, मैंने नहीं बोला।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: क्या?

श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, आपने एक्सेपशनली यह मौका दिया है।

दूसरी बात, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। भारत राज्यों का संघ है। हम किस तरह से देश चला रहे हैं, उसका यह नमूना है। मंत्री जी, बहुत अच्छे मंत्री हैं। उनको यहां बोलने का मौका मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोकतंत्र और चुनाव में पूरे वर्ष व्यस्त रहती है। 70 सालों में यह पहली बार हुआ, जनसंघ से लेकर भा.ज.पा. तक, अभी पांच राज्यों में असेम्बली के चुनाव हुए, किसी भी भाषण में कश्मीर की चर्चा किसी नेता ने नहीं की। कश्मीर दिखा कर वोट मांगते थे।...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही): मध्य प्रदेश के चुनाव में कश्मीर की बात करेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, बिहार में पाकिस्तान बोलते थे, मध्य प्रदेश में कश्मीर नहीं बोलेंगे, यह अच्छा हुआ। इससे पता चलता है कि पिछले चार सालों में आपने देश को कैसे चलाया। यहां हमारे पूर्व लौह पुरुष आडवाणी जी मौजूद हैं।...*(व्यवधान)* आडवानी जी अभी भी हैं, लौह पुरुष पहले थे। अभी तो चीन का आयरन लाकर पुराने लौह पुरुष की मूर्ति बना रहे हैं, हम देशी लौह पुरुष की बात कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: आप क्या बात कर रहे हैं, आप पर्सनल बात क्यों कर रहे हैं?

श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, हम जानते हैं वे डिस्टर्ब

करेंगे, वे कश्मीर के मामले पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष: आप पसर्नल बात नहीं कीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, आखिर ऐसी क्यों हालत हुई? मंत्री जी मैं पुराने इतिहास की बात नहीं सुनना चाह रहा था। आज कश्मीर की क्या हालत है? जहां इतने अच्छे ढंग से चुनाव हुए, सदन में हमने वाह-वाह किया, विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनी। आज ये महानता दिखा रहे हैं कि हमारी टर्म बाकी थी, फिर भी हम गठबंधन से बाहर आ गए। ये मैंने नहीं कहा, विवाह और तलाक को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। मैं मंत्री जी की बात कह रहा हूं। वे जो भी कहें, इसका मतलब है यह सुविधा का विवाह था। कोई भारतीय या विदेशी कुछ नहीं था। आपने मैरेज ऑफ कन्विनिएंस कहा, आपने जो कहा उसका मैंने हिन्दी शब्द का अंग्रेजी शब्द कहा। इंडियन मैरिज में कहते हैं, जनम जनम का साथ है, सात फेरे लेकर साथ जिन्दगी का होता है, आपने कहा कि नहीं यह दो साल के अंदर हो सकता है। आप नयी भारतीय परंपरा भी डाल रहे हैं, ठीक है। मामला यह है कि अभी हमारे गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी आई, चूंकि प्रेसिडेंट रूल का मतलब है छद्म शासन कश्मीर का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा है। अभी सुप्रिया सुले जी ने कहा कि इसका समाधान सिर्फ बुलेट से नहीं बल्कि बैलट से होना चाहिए। जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, इसमें लोगों की हिस्सेदारी घट गई, सिर्फ राजनीतिक दल की नहीं घटी। हमने अपने लोगों को नेता बना दिया, लेकिन वे आर्टिफिशिएल नेता हैं। कश्मीर का मामला आपका नहीं है, यह पहले से परेशानी हो रही है कि हम अगर बाई प्रोक्सी चलाते हैं, अपने पसंदीदा लोगों को नीचे से लेकर ऊपर तक बैठाते हैं तो जो कश्मीर का अलगाव है, जो आतंकी हैं, सीमा पर के लोग हैं जो हमारी देश विरोधी ताकतें हैं, वे जो करना चाहते हैं उनको ज्यादा बल मिल जाता है।

कश्मीर में अभी नवम्बर के महीने में इतनी बर्फबारी हुई, अगले हफ्ते कोई बर्फबारी नहीं है, किसानों के लिए ऐसी बर्फबारी अच्छी होती है। लेकिन एपल ग्रोअर बहुत परेशान हुआ। उनकी परेशानी के लिए असेम्बली में चर्चा होनी चाहिए। हम पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करेंगे, राष्ट्रपति शासन ले आएंगे, आज यहां तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्य यहां बोल रहे हैं, सभी जगह कभी न कभी 356 लगाया गया था और उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारी पार्टी वर्ष 1957 से 356 का विरोध कर रही है। आपको यह भलीभांति मालूम है। यह इस सरकार या उस सरकार का मामला नहीं है। गृह मंत्री जी, आपकी सरकार आने के बाद आपने कहा था कि हम कश्मीर में पोलिटीकल प्रोसेस शुरू करेंगे, आज कश्मीर की जो समस्या है वह गलत नीति बनाना अथवा नीति का न होना, प्रारूप का न होना, कश्मीर मुद्दे को गलत तरीके से और अकुशलता से हैंडल करना है। अभी यह आपके ऊपर थोपा जा रहा है, गलतियां दिग्गज नेताओं ने की, मैरेज ऑफ कन्विनिएंस करके, अभी यह आपके सिर थोपी जा रही है।

मामला इतना बुरा नहीं था। आप इलेक्शन की बात कर रहे थे, हम अनंतनाग में बाय इलेक्शन नहीं करा पाए। 1996 के बाद पहली बार अनंतनाग में हम बाय इलेक्शन नहीं करा पाए क्योंकि सिचुवेशन साथ नहीं दे रही थी। इन्होंने पार्टीसिपेट नहीं किया, उन्होंने पार्टीसिपेट नहीं किया इसके लिए नहीं था। ग्राउंड रियलिटी, आपका एसेसमेंट, हम अगर वहां पर कश्मीर में, देश में लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म फंक्शनिंग नहीं करेगा, जम्मू-कश्मीर के लोग जो भारत के साथ सेक्युलर डेमोक्रेसी के लिए आए थे, अगर वह सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी थ्रेटेंड होता है, तो फिर उनके लिए उनका अपना जो सवाल है, जिसके लिए वे भारत के अटूट अंग है, केवल भाषण देने से नहीं होगा। वहां हमारी सिक्योरिटी फोर्स अपना खून बहा रही है। पिछले चार वर्षों में सुरक्षा बलों के शहीद होने की संख्या में 72 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। आपने इसीलिए चर्चा नहीं की। सिक्योरिटी फोर्सेज की हत्या में 72 फीसदी का इजाफा हुआ है। सिविलियन मर रहे हैं। प्लीज मैडम, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, इस जगह कश्मीर की बात नहीं होगी तो कहां होगी? आपने असेम्बली को भंग किया, चूंकि आपकी पसंद की सरकार है, ठीक है। मेघालय से लेकर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में आपने ऐसा किया। एक-दो सदस्य लेकर सरकार बनाएंगे। मंत्री जी, एक नयी परंपरा डाल रहे हैं। कह रहे हैं कि सूरत ऐसी बनी, संविधान ने सूरत देखकर फैसला करने को नहीं कहा। बोम्मई जजमेंट की बात आई, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट की बात आयी। यहां हमने बार-बार चर्चा की। बिहार में आपको एक बार राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद वापस लेना पड़ा था, ऐसी भी स्थिति बनी थी। आपको यह समझना चाहिए कि पोलिटिकल फायदे के लिए कश्मीर जैसे मामले को आप अगर अपनी राजनीतिक परेशानी को, राजनीतिक हथकंडे को देश की समस्या बनाएंगे तो आपको यह देश कभी माफ नहीं करेगा। जम्मू-कश्मीर के लोगों का मामला एवं उनकी मांगों की चर्चा यहां पर होनी चाहिए

जब तक असेम्बली नहीं है। आपको यहां पर जगह निकलनी पड़ेगी जैसे अगर आप किसानों के मामलों पर यहां चर्चा नहीं कराते हैं, तो किसान सड़क पर उतरते हैं। कश्मीर के मामलों पर अगर यहां चर्चा नहीं कराएंगे, तो सड़क पर कश्मीर के लोग उतरेंगे और पैलेट गन से मामला हल होने वाला नहीं है। आप कितनी कोशिश करेंगे, आपको यह समझना पड़ेगा कि भारत मतदान के पक्ष में है, गोलियों के नहीं। पूरे देश में हमारी पहचान है।

श्री मुलायम सिंह यादव (आजमगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आज जम्मू-कश्मीर मामले में बहस की शुरुआत की है। जब मैं रक्षा मंत्री था, तो जम्मू-कश्मीर के मामले को हल करने के लिए वहां दस दिन रहा। वहां सभी पक्ष के लोग आए, माननीय राजनाथ सिंह जी को पता है, आप वहां बाद में पी.ए.सी. कैम्प तक गए थे, फिर वहां से वापस आए थे, लेकिन हम वहीं सीमा पर चले गये। हमें वहां के एयर चीफ एवं आर्मी चीफ ने रोका था, मैं नहीं रुका। वहां रोजाना बर्फ पड़ती है। आज वहां फौज काम कर रही है। मैं रक्षा मंत्री था, फौज हमारा विभाग था। वहां फौज ज्यादा लगा दी तो, मैंने मना किया कि इतना मत लगाइए। लेकिन, वहां के लोग जो मिले थे वे पूरी तरह चाहते थे कि समस्या हल हो जाए। जो लोग उसके खिलाफ हैं, वे लोग भी और जो उसके पक्ष में हैं, वे लोग भी। फिर दोनों को मैंने बुलाया, दोनों की हमारे सामने बातचीत हुई। बातचीत में यह निकला कि आप जो फैसला करेंगे हम उसे मानेंगे। फैसला करने के लिए, मैंने कहा कि मुझे उस जगह घूमा दो, जहां लोग जाना नहीं चाहते हैं। वहां एक तालाब है, हम उस तालाब के पास गए। तालाब में हम घूमे, परंतु किसी ने हम पर हमला नहीं किया। फिर एक दूसरी जगह है, जहां कोई नहीं जा सकता था, वहां हम तीन दिन तक ठहरे थे।

जब मैं वहां तीन दिन ठहरा तो सभी लोग मुझसे बात करने आए। हमने बातचीत की। सच्चाई यह है कि सभी लोग पूरी तरह से तैयार थे कि हम एक है और हममें किसी तरह का मतभेद न रहे। उसके बाद जब हम वहां अधिकारियों को लेकर हेलीकॉप्टर से गए, मैंने तीन जगह हेलीकॉप्टर उतारा, तीनों जगहों पर हमारा स्वागत हुआ और कहा कि हम लोगों के बीच कोई भी मतभेद नहीं हो सकता है, अगर कोई मतभेद कराता है तो वह दिल्ली की सरकार है। वे उस समय की सरकार पर आरोप लगा रहे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह ऐसा मामला है, यह मामला हल हो सकता है, लेकिन अगर सरकार में हिम्मत हो तो। गृह मंत्री जी, आपको पता है, आप पी.ए.सी. के कैम्प से ही वापस आ गए थे। मुझे पता है, आपको आगे जाने नहीं दिया होगा। मैंने किसी की बात नहीं मानी और हम वहां चले गए। किसी की बात नहीं मानी। आपको पता है कि हम वहां तक गए, जहां पर 24 घंटे बर्फ बरसती है। ऐसी स्थिति में हमारी फौज काम कर रही है। उस समय फौज का विभाग हमारे ही पास था। वहां जब मैंने सभी अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार इजाजत दे तो हम यह समस्या हल कर देंगे। जो दो हिस्सों में वह क्षेत्र है, हमारी मांग रहती है कि वह हमारा है, वह सब समस्या खत्म कर देंगे। मैंने यहां यह बात ...* से कही। कृपया करिए, अगर ...* जैसे कमजोर लोग होंगे तो देश में कभी भी समझौता नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि वे तैयार हैं बातचीत के लिए।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: ...* का नाम नहीं रखना, यह ठीक नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष जी, ...* इतना डर गए कि वह नहीं गए। वह कुछ दो किलोमीटर तक गए, लोगों ने समझाया कि आप जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी गए थे। मुलायम सिंह यादव ने अपने को जोखिम में डाला था, लेकिन किसी ने हमारे खिलाफ नहीं कहा, सभी ने स्वागत किया। सभी पक्षों के लोग वहां आए, सब एक हो गए कि हम सब एक हो जाएंगे। लेकिन असलियत यह है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वे चाहते थे कि झगड़ा अच्छा है, इससे हमारी पूछ होगी। यह नहीं हो पाया है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मुलायम जी, धन्यवाद ठी है।

श्री मुलायम सिंह यादव: अगर सरकार की ओर से एक होकर, पूरे प्रयास किए जाएं तो ऐसा संभव हो सकता है। गृह मंत्री जी, आप कोशिश करिए, हम आपको सहयोग करेंगे और मैं आपको कुछ बताऊंगा भी। इसलिए मुझे खुशी है कि आज आप इस पर बहस करवा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष: अरविंद सावंत जी, बहुत संक्षेप में बोलिए। लंबी चर्चा नहीं करनी है।

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण): अध्यक्ष महोदया, यह एक अतिशय महत्वपूर्ण विषय है। कश्मीर हमारा सिर है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वहां जब भी कोई गंभीर स्थिति आती है तो बहुत दर्द होता है। इतिहास तो सभी जाते हैं। आप भी जानती हैं कि वंदनीय हिन्दू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी कार्टून निकालते थे और कश्मीर के कार्टून बहुत अलग से निकालते थे। कितना भी दूध पिलाओ, तब भी ज़हर निकलकर आएगा, इस तरह के कार्टून वह निकालते थे। यह दर्द भी बात है कि हम संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, हालांकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी चाहते थे कि इसका इस्तेमाल कम से कम हो, कभी न हो तो ज्यादा अच्छा होगा। एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से अच्छा है कि अगर हम अंतर्मुख होकर देखें तो कितनी बार आपने अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया होगा, वह आपको पता चलेगा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दो अलग विचारधाराओं के लोग इकट्ठे आकर सरकार बनाई। माननीय जितेन्द्र साहब ने बता दिया कि क्या स्थिति थी और इसलिए हम लोग इकट्ठे आए थे, लेकिन एक चीज जाननी चाहिए थी कि इनके साथ में जाकर भी कुछ नहीं बनेगा। अभी सलीम जी चले गए, मैं उनसे दो-तीन सवाल पूछने वाला था।

क्या आपको दर्द नहीं होता, जब वहां छोटे-छोटे बच्चे हमारे जवानों पर पत्थराव करते हैं? वहां राज्य की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, उसके बावजूद हमारे जवानों की हत्या हो रही थी। उसके बावजूद जवानों पर पथराव हो रहे थे। ऐसी स्थिति में क्या सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी? उसके ऊपर जो भी राजनीति करनी है या टीका-टिप्पणी करनी है, कर लो, हम उस बात में नहीं जानना चाहते हैं। हमें दर्द इस बात का है कि सरकार आने के बाद भी हमने इतने सालों से पीड़ितों को वापस लाने की बात नहीं कही। क्या इनमें से कोई बोला कि जम्मू-कश्मीर में पंडित थे? हरि सिंह से इतिहास निकालेंगे, तो वह बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन वहां से पीड़ितों के जाने के बाद क्या किसी एक सरकार ने प्रयास किया कि पंडितों को वहां वापस लाया जाए? हमें उम्मीद थी कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद हमारी सरकार कुछ कदम उठाएगी। यहां भी हमारी सरकार आई है तो हमने सोचा कि पंडित वहां वापस आ जाएंगे। अब वहां राष्ट्रपति शासन है, इसलिए मैं राजनाथ सिंह जी से मांग करता हूं कि आप बहुत कठोर और सक्षम हैं, इसमें भी आपको सक्षम होना चाहिए। एक बहुत गंदा इल्जाम लगा है कि प्रॉक्सी गवर्नमेंट है। राष्ट्रपति का शासन यानी प्रॉक्सी शासन होगा। वल्लभ भाई पटेल की याद आई, उन्होंने सही कहा था कि उस वक्त गलतियां हुई हैं। वहां राज्य का अलग ध्वज है, वहां की नीतियां अलग हैं। यह जो धारा 370 है, हम बार-बार बता रहे हैं, आप इससे क्यों डरते हैं? डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में यही कहना था कि वे मुख्यधारा में आने चाहिए। जम्मू-कश्मीर को हम यदि अलग रखेंगे और मुख्यधारा में आने नहीं देंगे, तब तक ये बातें चलती रहेंगी।

वहां जितने भी संकट आए, चाहे कोई भी सरकार रही हो, इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। यह नहीं सोचा कि किसकी सरकार है। उनकी आपत्ति पर वहां दौड़कर गई और जितनी मदद चाहिए, दे दी। फिर भी आतंकवाद बढ़ रहा है। क्या आपको अच्छा लगा कि अनंतनाग में चुनाव नहीं हुआ? आप भी जो अनुशासन लाने की बात कर रहे हैं, मैं अपेक्षा करता हूं कि उसमें पहला कदम पंडितों को वापस लाने का किया जाए। दूसरा कदम धारा 370 खत्म करो और जम्मू-कश्मीर की जनता को कहो कि आपको भी हम मुख्यधारा में लाना चाहते हैं। सरकार "सबका साथ सबका विकास" की बात करती है, इसलिए हमें उनका साथ भी चाहिए। हम जम्मू-कश्मीर का भी विकास चाहते हैं और उन्हें मुख्यधारा में लाना चाहते हैं।

श्री भगवंत मान (संगरूर): महोदया, बहुत गंभीर विषय पर बात चल रही है। माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। जम्मू-कश्मीर में धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हमारी सरकार, हमारे प्रधान मंत्री "एक राष्ट्र-एक चुनाव" की बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि पहले दो इलेक्शन एक साथ हुए थे, उसके बाद बैलेंस बिगड़ा और धारा 356 को मिसयूज करने का सिलसिला शुरू हुआ। पंजाब में भी बहुत बार धारा 356 को यूज किया गया और चुनिंदा सरकारें तोड़ी गईं। आज भी ऐसा चल रहा है चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो। कर्नाटक के लिए अलग रूल है, 24 घंटों के लिए बड़ी पार्टी का मुख्य मंत्री बना दिया जाता है, वही चीज गोवा में नहीं होती है। दिल्ली में भी ऐसे ही हो रहा है कि चुनिंदा सरकार के मुख्य मंत्री को नौ-नौ दिन, दस-दस दिन एलजी के घर पर धरना देना पड़ रहा है। राज्यपालों के जरिए चुनिंदा सरकारों को तंग करने का सिलसिला संघीय ढांचे के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। एक तरफ मंत्री जितेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि कि बी.जे.पी. अनुशासन पसंद पार्टी है और लोकतांत्रिक कीमतों को निभाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप दिल्ली को देश का हिस्सा नहीं मानते हैं? जिस घर में एलजी साहब रहते हैं, अंग्रेजों

के समय वहां वायसराय रहते थे। शायद उनकी आत्मा एलजी साहब में घुस गई है कि वे लोट साहब के डंडे से दिल्ली चलाते हैं और जो जनता के पक्ष की स्कीमें हैं, उनकी फाइलें क्लीयर नहीं करते हैं और हड़तालें, धरने देने पड़ते हैं। चुने हुए मुख्य मंत्री के घर पर कभी सी.बी.आई. छापा डालती है, कभी दरोगा भेजकर तंग करते हैं। मैं चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर भारत का स्वर्ग है, इसलिए वहां धारा 356 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

महोदया, मैं आखिर में राहत इंदौरी की दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा-

"सरहद पर तनाव है क्या,
पता करो देश में चुनाव है क्या"

महोदया, तनाव को चुनाव के लिए देश में यूज किया जाता है। जम्मू-कश्मीर में धारा 356 का मैं विरोध करता हूं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका): माननीय अध्यक्ष महोदया, जम्मू-कश्मीर में जो स्थिति उत्पन्न हुई और उसके फलस्वरूप वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया, इस विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद में मुहर लगेगी कि बहुमत किसका है, इसका फैसला फ्लोर पर तो नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी पंचायत संसद आज उस पर मुहर लगा देगी।

मैं मानता हूं कि यह असंवैधानिक है। राष्ट्रपति शासन लगाना असंवैधानिक है और जम्मू-कश्मीर में संसदीय लोकतंत्र के पैर को कतरने का काम किया गया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति शासन लगाकार बहुमत को नकारा गया और लोकतंत्र की हत्या की गई, मैं यह मानता हूं।

माननीय मंत्री आदरणीय जितेन्द्र सिंह जी ने अभी कहा कि हम लोग हमेशा इलेक्शन के मूड में रहते हैं। आप जब इलेक्शन के मूड में रहते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि वहां जो असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो कितने दिनों के अंदर इलेक्शन की तिथि की घोषणा करके वहां पर इलेक्शन कराना चाहते हैं। मैं माननीय जितेन्द्र बाबू से यह पूछना चाहूंगा।

ढाई वर्ष पहले माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुझे जम्मू-कश्मीर जाने का मौका मिला। हमारी समिति वहां गई थी। आदरणीय शरद यादव जी, जो सदन में नहीं हैं और श्री येचुरी सहित कुछ और माननीय सदस्य साथ में थे। उस समय कहा गया था कि वहां पर कहीं घूमने के लिए जाना उचित नहीं है। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करके हम सभी लोग जम्मू-कश्मीर से निकल गये। कई लोगों ने कहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जहां-जहां गये, हमें मना भी किया गया कि यहां नहीं जाइए, उनके दरवाजे पर नहीं जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग क्या हैं, यह आप लोग देख लीजिए। आप आये, तो कौन आपका कत्ल कर रहा है, आपको कौन मार रहा है? हम इसी हिन्दुस्तान के हैं, इसी भारत के हैं, इसी मिट्टी-गिट्टी के हैं। हम यहीं कफ़न लेते हैं, यही दफ़न लेते हैं, इसी हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए हमारा खून बहा है। हम ऐसा नहीं करते हैं।

माननीय गृह मंत्री जी, मैं उन बातों की याद दिला रहा हूं। इसीलिए मैं मानता हूं कि पूर्ण बहुमत को नकारा गया है, संसदीय लोकतंत्र की हत्या की गई है, बहुमत को साबित नहीं करने दिया गया है, डेमोक्रेसी को बुलडोज़ किया गया है और संस्थाओं पर ग्रहण लगाने का काम किया गया है। संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसका फ्लोर पर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन यह टेस्ट आपने नहीं किया। हम माननीय जितेन्द्र बाबू से चाहेंगे, जैसा कि वे कहते हैं कि वह हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं, तो वहां कब इलेक्शन कराएंगे, उसकी तिथि तो बता दीजिए। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वहां पर लोकतंत्र बहाल होना चाहिए और संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचंदन (कोल्लम): अध्यक्ष महोदया, अवसर देने के लिए धन्यवाद सांविधिक प्रस्ताव, जिसे पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, के विरोध में खड़ा हूं। मैं केवल विधिक बिंदुओं तक सीमित रहूंगा।

संविधान के अनुच्छेद 356 में विनिर्दिष्ट है जब किसी प्रदेश विशेष में संवैधानिक ढांचा काम करना बंद कर देता है। उस समय ही अनुच्छेद 356 को लागू करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। सदन में इस सांविधिक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य में राजनीतिक स्थिति/हालात कैसे है। वहां पी.डी.पी. एवं भाजपा गठबंधन की एक लोकप्रिय सरकार चल रही हैं। यह नैतिक गठबंधन है या अनैतिक है, इसका संवैधानिक सरोकार नहीं है।

केवल इस प्रश्न पर विचार करना है कि जब भारतीय

जनता पार्टी ने गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो राज्यपाल का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या कोई वैकल्पिक सरकार बनाने की स्थिति है? क्या जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील प्रदेश में कोई दूसरी लोकप्रिय सरकार बनाने की स्थिति है? राज्य की राजनीतिक स्थिति से देश काफी चिंतित है। राज्यपाल को यह जानने के लिए राय लेनी चाहिए कि क्या जम्मू कश्मीर राज्य में वैकल्पिक लोकप्रिय सरकार गठित करने की स्थिति है।

महोदया, आप कृपया ध्यान दें जम्मू कश्मीर राज्य में 3 प्रमुख राजनीति पार्टियां-नेशनल कांफ्रेंस, पी.डी.पी. और कांग्रेस इन तीनों पार्टियों ने लिखकर दिया कि वे गठबंधन सरकार बनाने के लिए तैयार है ताकि जम्मू-कश्मीर राज्य में सरकार बनाई जा सके।

यह राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है कि वो शक्ति प्रदर्शन कराए या गठबंधन सरकार बनाने का मौका दे। एस.आर. बोम्मई केस में यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में शक्ति प्रदर्शन (फ्लोर टेस्ट) आवश्यक है। मेरा बिंदु यह है कि एस.आर. बोम्मई निर्णय में ये स्पष्ट है कि यदि सदन में बहुमत परीक्षण संभव नहीं है तो राज्यपाल को इस बारे में लिखकर देना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों है।

इसलिए मैं माननीय गृहमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने लिखित रिपोर्ट सौपी है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में सदन में बहुमत परीक्षण कराना संभव नहीं था। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो इस तरह की सूचना इस सदन में रखें कि जम्मू-कश्मीर राज्यपाल ने ऐसी स्थिति के बारे में कोई लिखित रिपोर्ट दी है?

डॉ. फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर): मैं खुश हूं कि सम्माननीय गृहमंत्री यहां मौजूद हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य काफी कष्ट से गुजर रहा है। दुर्भाग्य से, यह कष्ट समाप्त होता नहीं दिख रहा है। वहां अभी भी आतंकवाद है इसमें कोई संदेह नहीं है और हमें इससे निपटना है लेकिन इसका केवल समाधान सेना और पुलिस नहीं है। मान्य गृहमंत्री ने संसदीय दल के साथ राज्य का दौरा किया और ऐसे लोगों से मिले जिनका हुर्रियत से संबंध नहीं था। अच्छा होता यदि वह उन लोगों से भी मिलते ताकि वे लोग अपने विचार रख पाते और कुछ निष्कर्ष निकलता। लोगों से बात किए बिना हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे।

जैसा कि अन्य सम्मानित सदस्यों ने बोला कि स्वर्गीय पड़गांवकर जी एवं उनकी टीम ने 2 साल तक जम्मू-कश्मीर राज्य में हर जगह का दौरा किया और लोगों से मिले। उनकी रिपोर्ट को सरकार ने संसद में प्रस्तुत नहीं किया, इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जिससे सभी को यह पता चलता है उन्होंने क्या देखा और उनके क्या विचार थे लेकिन कुछ नहीं किया गया।

आज की स्थिति में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन में केंद्र यानी दिल्ली से शासन चलता है। वह भी जम्मू-कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं है। आपको वहां शीघ्रताशीघ्र चुनाव कराना चाहिए, जिससे चुनी हुई सरकार राज्य के मामलों की देखरेख करे। उस चुनी हुई सरकार को भारत सरकार की काफी मदद चाहिए जिससे वर्षों से हुए नुकसान की भरपाई करके प्रदेश का विकास किया जा सके।

महोदया, जम्मू-कश्मीर राज्य में तीन विशिष्ट क्षेत्र लद्दाख, जम्मू और कश्मीर है। अगर सभी को जोड़ दें तो यह लघु भारत बन जाता है। अगर हम इस लघु भारत में सभी को संरक्षित नहीं करेंगे तो राज्य के लोगों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्भाग्यवश राज्य में हत्या की घटनाएं हो रही हैं। जब तक आप आतंकवादियों को मारते हैं हममें से कोई भी इसके विरोध में नहीं है लेकिन जब कोई नागरिक मारा जाता है। इससे बहुत बड़ा धक्का लगता है और हममें से जो देश के साथ खड़े होते हैं उन्हें पीछे मुडना पड़ता है। इसलिए, भारत सरकार से मेरी प्रार्थना है हमें शीघ्र ही कुछ करना है लंबे इंतजार के बाद नहीं अभी।

राज्य में बहुत सारी परियोजनायें प्रारंभ नहीं की गई हैं। मंत्री, महोदय ने स्वयं देखा है जोजी-ला दर्रे पर जो सुरंग बहुत पहले शुरू होनी थी अभी भी नहीं हुई है। रेलमार्ग जिसे 2015 में बहाल हो जाना चाहिए था अभी भी नहीं हुआ है। 2015 में इन्होंने कहा था कि इसे देखेंगे। रामवन और बनिहाल के बीच 30 कि.मी. सड़क खराब है। यह हमारे लिए समस्या पैदा करती है। हल्की वर्षा में भी यह सड़क बह जाती है।

अपराह्न 02.00 बजे

महोदया, जैसा कि आप जानती है यह धरती पर स्वर्ग कहलाता था। दुर्भाग्य से इसे नर्क में बदल दिया गया है। अभी स्थिति को सुधारा जा सकता है।

आपमें से बहुत लोगों को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे पड़ोसी के पास हमारी भूमि का एक हिस्सा है।

आप सभी को पता है वह भूमि का हिस्सा अभी भी उसके पास है। उस भूमि का एक हिस्सा, अक्साई चीन और अन्य क्षेत्र, चीन को दिया गया है। जिसे देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि उस मुल्क से बात किए बगैर आतंकवाद की समस्या का कोई हल नहीं होगा। वैसे भी आप देख रहे हैं आपने सरदारों के करतारपुर जाने के लिए एक कोरिडोर बनाया। ठीक इसी तरह कश्मीरी पंडित भाई शारिका देवी के दर्शन हेतु जाना चाहते हैं। इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गये जिससे ये लोग शारिका मंदिर जा पाते। इसे करने की आवश्यकता है।

मेरी प्रार्थना है कि एक दूसरे के प्रति नफरत छोड़कर आगे बढ़ना है। मुझे आपकी बहुत नीतियां नापसंद हो सकती है और आपको मेरी। लेकिन यदि भारत को अस्तित्व में रहना है तो कश्मीर मसले को वह प्राथमिकता देने की जरूरत है जो इसे चाहिए।

मेरी आपसे विनती है अब और कष्ट नहीं उठा सकेंगे जैसे आज .उठा रहे हैं। बहरहाल आप जितना भी कहें कि हर गांव का विद्युतीकरण हो गया है, जब हमारे पास बिजली ही नहीं होगी तो क्या विद्युतीकरण करेंगे? आज तक हम कष्ट उठा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 साल के बाद भी हमारे पास पर्याप्त विद्युत नहीं है।

अध्यक्ष महोदया: अब पूरा करें।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला: मुझे केवल एक मिनट और चाहिए।

मैं इस सदन के सभी दलों के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे जम्मू कश्मीर राज्य में शांति बहाली में मदद करें हत्याओं से नहीं लोगों के दिल जीतकर।

प्रधानमंत्री ने लालकिला की प्राचीर से स्वयं उद्घोषणा की थी कि हमें लोगों के दिलों को जीतना है। मैं कहना चाहता हूं कि बाजपेई जी ने पाकिस्तान की सीमा के समीप यह बात की थी और जो कहा गया उन्होंने सुना। उन्होंने कहा था "मित्र बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते।" इसीलिए हम या तो मित्रता के साथ रहें और प्रगति करें या अशांति में रहे और अपनी और उनकी उन्नति में रोड़े अटकाएं।

मेरी इस सदन और प्रत्येक भारतवासी से यह अपील है कि वह जम्मू-कश्मीर को अपना समझें। हम न तो पाकिस्तानी है न ही आतंकवादी। हम इस जमीन के हिस्से हैं जिसमें हम सम्मिलित हुए। कृपया हमें इस त्रासदी से बचायें जिसका हम आज सामना कर रहे है।

महोदया, समय देने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदया, पहले तो मैं सदन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस सदन ने राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 19 दिसंबर, 2018 को संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है, उसको अनुमोदित किया है, इसलिए उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो अपना स्टेट्युटरी मोशन मूव कर दिया, स्टेट्यूटरी मोशन बिना चर्चा के पास हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि मैं भी चाहता था कि इस पर चर्चा हो। ज्यों ही आपने मुझसे पूछा कि अब यह मोशन पास हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग बोलना चाहते हैं तो मैंने सहज रूप से अपनी सहमति दे दी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। जिन माननीय सदस्यों ने इस संबंध में विचार व्यक्त किए हैं, बहुत ही गंभीर विचार व्यक्त किए हैं, सबके विचारों को हमने अच्छी तरह से सुना भी है। मैं यह मानता हूं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस है, इससे किसी को बचना नहीं चाहिए। जहां तक जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा का प्रश्न है, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जून में जिस समय वहां पर राज्यपाल शासन की घोषणा हुई थी, उसके पहले वहां के तत्कालीन राज्यपाल वोहरा साहब थे। वोहरा साहब ने वहां की सिचुएशन के बारे में एक लिखित जानकारी राष्ट्रपति महोदय को भेजी है। यदि मैं उस जानकारी का उल्लेख करूंगा तो लंबा समय लगेगा। इसलिए मैं बहुत डिटेल में उसका उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन कुछ सेंटेंसिस कोट करना चाहूंगा। गवर्नर ने कहा है कि-

> *[अनुवाद]* "मैंने श्री कविंदर गुप्ता जी से फोन पर बात की। वह यह पुष्टि करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं कि क्या भा.ज.पा. किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का दावा करेगी और उन्हें बताया गया कि भा.ज.पा. का ऐसा कोई इरादा नहीं है।" *[हिन्दी]* यह बी.जे.पी. के बारे में कहा है।

उसके बाद कहा है कि, *[अनुवाद]* "मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के बाद, मैंने जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री जी.ए. मीर से पुष्टि करने के लिए बात की

कि पी.डी.पी-भा.ज.पा. सरकार गिराने के बाद उनके दल की क्या स्थिति है। उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जम्मू और कश्मीर के पास राज्य में अकेले या किसी अन्य राजनैतिक दल के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा करने के लिए आवश्यक संख्या नहीं है। उन्होंने राज्य में राज्यपाल शासन लागू किए जाने का समर्थन किया।" *[हिन्दी]* उस समय कांग्रेस पार्टी ने भी इसको समर्थन अपना लिया।

आगे गवर्नर लिखते हैं कि, *[अनुवाद]* "उपरोक्त संदर्भ में, यह देखा जाएगा कि आज, 19 जून, 2018 तक जम्मू और कश्मीर में कोई राजनैतिक दल या दलों का गठबंधन राज्य में सरकार बनाने का दावा करने की स्थिति में नहीं है।" *[हिन्दी]* इन परिस्थितियों में जून में वहां पर राज्यपाल शासन की घोषणा करनी पड़ी। बीच में वहां पर लगातार लगभग 5.5-6 महीने तक असेम्बली को डिजॉल्व नहीं किया गया था, इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। हो सकता है कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के साथ एलाइंस करके यदि गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो राज्यपाल उसके लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई क्लेम नहीं किया था। वहां पर कोई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बननी चाहिए। इन परिस्थितियों में मजबूर होकर राज्यपाल महोदय को राष्ट्रपति शासन के लिए अपनी रिपोर्ट भेजनी पड़ी है।...*(व्यवधान)*

डॉ. फारूख अब्दुल्ला: जब ये परिस्थिति हुई तब हमने एक शख्स को देखा कि ये कोशिश कर रहे थे कि वह लोगों को खरीद कर हुकूमत बनाए। आपके सामने ईमानदारी से बात रख रहा हूं।...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि आप नहीं मानेंगे, वे जो आपके पीछे बैठे हैं, मैं जानता हूं, वे क्या हैं।...*(व्यवधान)* मैं आपको सुनाता हूं कि महबूब जी की पार्टी पी.डी.पी. है, उन्होंने हमसे कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, क्या आप हमारा साथ देंगे? उसके बाद नेशनल कांफ्रेंस ने यह फैसला किया कि हम साथ आने के लिए तैयार हैं। हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन साथ देंगे। कांग्रेस ने भी यही कहा, मगर आपको याद होगा कि गवर्नर साहब को फैक्स भेजा गया था, उनकी फैक्स मशीन काम नहीं कर रही थी। कमाल ये देखिए कि फैक्स मशीन काम नहीं करती है, उनका फोन भी काम नहीं करता है, मगर उसके बाद भी मैं आपसे यह कहूंगा और मैं यह कहने के लिए माफी मांगता हूं कि गवर्नर का घर यह साबित करने के लिए नहीं है कि बहुमत किसका है? असेम्बली है, जहां पर ये साबित हो कि किसकी गवर्नमेंट बन सकती है और किसकी गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। उन्होंने उसका इंतजार नहीं किया, उन्होंने सीधा डिजॉल्व कर दिया, जो गलत था। मैं मानता हूं, जो गलत था।

श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, यह बात सच है कि गवर्नर के घर पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा। वह तो सदन में ही सिद्ध हो सकता है कि किसके पास मेजोरिटी है, कौन गवर्नमेंट बनाएगा और कौन गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। अभी-अभी हमने जो गवर्नर की रिपोर्ट पढ़ी है, गवर्नर ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत करने के बाद यह रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजी है।...*(व्यवधान)* जून की बात मैं कर रहा था।

अध्यक्ष महोदया, अब मैं दिसंबर पर आता हूं। जब 19 दिसंबर को राज्यपाल शासन समाप्त हो रहा था, स्वाभाविक है कि उसके एक दिन पहले की गवर्नर को इस बात का फैसला करना था कि आगे प्रेसीडेंट रूल इंपोज करने के लिए, प्रोक्लेम करने के लिए यहां पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाए। उन्होंने कार्यवाही प्रारंभ कर दी। मैंने स्वयं भी एक बार पूछा था कि क्या वहां कोई गवर्नमेंट बनाने को तैयार नहीं है? एक बार अखबारों में मैंने यह खबर पढ़ी कि नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस और पी.डी.पी., ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर वहां पर गवर्नमेंट बनाना चाहती हैं। मैंने सोचा कि हो सकता है कि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट चाहती हों, उसी दिन सुबह मैंने कांग्रेस पार्टी के राज्य सभा में लीडर ऑफ अपोज़ीशन गुलाम नबी आजाद साहब का स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में इस प्रकार की कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहेंगे। मेरी भी यह धारणा बन गयी कि शायद वहां पर कोई भी अपनी गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं है।...*(व्यवधान)* एक मिनट, मेरी पूरी बात सुनिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात कंप्लीट करिए।

श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, उसके बाद भी गवर्नर साहब से मैंने पूछा कि क्या कोई सरकार बनाने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कोई सरकार नहीं

बनाना चाहता है और किसी ने अपना क्लेम भी हमारे पास पेश नहीं किया है। तब ऐसी सूरत में राज्यपाल के सामने और कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचता है। तब उन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजी है। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, जैसे शशी थरूर साहब ने कहा कि यह अननैचुरल मैरिज थी। अब इसको अननैचुरल मैरिज कहिए अथवा अननैचुरल अलाइंस कहिए, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं। इसे नेचुरल मैरिज कहते हैं, इसको भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं। इसे अननैचुरल मैरिज कहते हैं, उसे भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि जिसे नेचुरल मैरिज कहा जाता है, वह नेचुरल मैरिज कब टूट जाएगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं शशी थरूर साहब से कहना चाहूंगा कि इसका फैसला आप...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर: यह राज्यपाल का अधिकार नहीं था कि वे दलों की राजनैतिक विचारधारा की व्यक्तिपरक सुसंगतता का निर्धारण करें; यह निर्धारण सभा भवन में किया जाना चाहिए था।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आप क्या इनको एक्सपर्ट ऑफ मैरिज मानते हैं? क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं होता है।

...*(व्यवधान)*

श्री राजनाथ सिंह: मैं लगातार बोलता रहूं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: बीच में ऐसा नहीं होता है।

श्री राजनाथ सिंह: जब मैं समाप्त नहीं कर रहा हूं...*(व्यवधान)* उसके बाद भी सदस्य बोले जा रहे हैं, *[अनुवाद]* यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। *[हिन्दी]*...*(व्यवधान)*

डॉ. फारूख अब्दुल्ला: आप हंस रहे हैं।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: ये कश्मीर पर नहीं हंस रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राजनाथ सिंह: वे इस हाउस के एक सीनियर मेंबर हैं। एक सीनियर लीडर हैं, यदि कोई बात उन्होंने कह दी है, तो उस पर रियेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, शांत रहिए।

अध्यक्ष महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कृपया इस गवर्नमेंट की इन्टेंशन पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि हमारी इंटेंशन खराब होती, हम कुछ और जम्मू-कश्मीर में करना चाहते अथवा हम किसी और की सरकार बनाना चाहते, तो हमें राज्यपाल शासन का पूरे छः महीने का समय मिला हुआ था। उसमें कह कर सकते थे। उसमें यह तोड़-फोड़ करनी थी, भारतीय जनता पार्टी को अगर गवर्नमेंट बनानी होती, तो दूसरों के साथ बातचीत करके इस काम को कर सकती थी। लेकिन छः महीने तक हम लोगों ने बिल्कुल नहीं किया।...*(व्यवधान)* अंत में भी नहीं किया। मैं ईमानदारी की बात कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि एक दो लोगों ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ एफर्ट किया हो, लेकिन हमारी तरफ से अथवा हमारी सरकार की तरफ से...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): यह राज्यपाल का वक्तव्य है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा; केवल मंत्री जी का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप बात करिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह: जहां तक कश्मीर की समस्या के समाधान का प्रश्न है, कश्मीर की समस्या पर कोई यह नहीं कह सकता है कि पांच साल, दस साल, पंद्रह साल या बीस साल की समस्या है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया, कश्मीर की समस्या बहुत ही पुरानी और गंभीर समस्या है। मैं समझता हूं कि भारत का हर व्यक्ति चाहता है कि कश्मीर की समस्या हो। कश्मीर के लोग हमसे अलग नहीं है। कश्मीर के लोग भी हमारे परिवार के ही हैं। कश्मीर के ऐसे हालात देखकर हर व्यक्ति को तकलीफ होती है। चार, साढ़े चार वर्षों में जनाब फारूख अब्दुल्ला साहब इस बात के साक्षी हैं और जम्मू-कश्मीर के लोग भी इस बात के साक्षी हैं कि बार-बार मैंने यह अपील की है कि मैं सभी के सहयोग से इस समस्या का समाधान करना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर की किसी भी पालिटिकल पार्टी का कोई लीडर यदि मिलता है, तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि यह बताइए कि जम्मू-कश्मीर की प्राबलम्स को रिज़ाल्व करने के लिए क्या-क्या स्टैप्स लिए जाने चाहिए? दो बार ऑल पार्टी डेलिगेशन भी लेकर जम्मू-कश्मीर में गए, कुछ लोगों ने कहा कि वहां पर जो स्टेक्होल्डर्स हैं, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, फारूख अब्दुल्ला साहब इस बात के साक्षी हैं, जम्मू-कश्मीर के हर पालिटिकल पार्टी का लीडर इस बात का साक्षी है। मैंने कहा कि हमे किसी से बात करने में कोई परहेज़ नहीं है, जो भी बात करना चाहेगा उससे हम बात करने को तैयार हैं। मैं एक और चीज़ यहां पर डिसक्लोज़ करना चाहता हूं कि जिस समय ऑल पार्टी डेलिगेशन जम्मू-कश्मीर में गया था तो जयप्रकाश जी यहां पर बैठे हैं, लोगों ने मुझसे पूछा कि हम लोग वहां के कुछ अलगाववादी नेताओं से मिलने जाना चाहते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, वे वहां पर गए और उन लोगों को किस तरीके से वापस होना पड़ा, उसकी चर्चा करना भी यहां पर उचित नहीं है। वहां की मुख्य मंत्री महबूबा मुफ्ती जी से भी जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। हमारे भाईसाहब, डॉ. फारूख अब्दुल्ला साहब जब-जब मिले हैं, तब-तब मैंने कोशिश की है। आपको लगता है तो आप ही कुछ ऐसा इनीशिएटिव लीजिए, ताकि वहां की समस्या का समाधान हो सके। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह विडम्बना है कि वह नहीं हो पाया, लेकिन जम्मू-कश्मीर के हालात के बारे में मैं जरूर यह कहना चाहूंगा कि कश्मीर के हालात एक समय में बहुत ही नाजुक थे। लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की हम लोग अपनी तरफ से अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ग्रासरूट डैमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से जो एफर्ट्स किए हैं, अर्बन-लोकल बॉडीज के इलैक्शंस, पंचायत इलैक्शंस, ये सब सारे हुए हैं, इसकी चर्चा हमारे सहयोगी डॉ. जितेन्द्र सिंह जी ने की है। मैं कह सकता हूं कि पोलिंग पर्सेंटेज भी बहुत अच्छा था, लेकिन ऐसे दो-तीन चार जिले थे, जहां पर कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप पोल पर्सेंटेज नहीं था। इतना ही नहीं, वहां की अर्बन-लोकल बॉडीज के जो हमारे इलैक्टिड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और पंचायत के हैं, उनको अधिकतर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर्स भी हम दे रहे हैं।, पहले कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर भी नहीं थी न तो उनके पास कोई फाइनेंशियल पॉवर थी। फाइनेंशियल पॉवर भी हमने दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर दे दिया है। हम चाहते हैं कि सरकारें गांव में भी, जो उन लोगों की बेसिक नीड्स हैं, जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए उनकी डिपेंडेंस राज्य सरकारों के ऊपर रहे, उनकी डिपेंडेंस केंद्र सरकारों के ऊपर रहे, स्वयं वे अपनी सरकार चलाएं। स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान करें तो उनको हर प्रकार की, एडमिनस्ट्रिेटिव पॉवर भी हम लोगों ने उनको दी हैं। वहां के नौजवानों के रोजगार के लिए भी कई स्टेप्स उठाए हैं, यदि अध्यक्ष महोदया चाहेंगी तो मैं इसको पढ़ भी सकता हूं, इसमें लंबा समय लगेगा। 255 करोड़ रुपये की लागत से पांच नई इंडिया रिज़र्व बटालियन की मंजूरी दी है। दो साल के अंदर यह हुआ है, जिसमें लगभग पांच हजार लोगों की भर्ती की जाएगी और राज्य सरकार ने भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। दो बॉर्डर बटालियन भी मंजूरी प्रदान की गई है और इन दोनों बटालियनों में भर्ती, लाइन ऑफ कंट्रोल से जीरो से लेकर 10 किलोमीटर दूरी तक के क्षेत्रों में रहने वाले युवकों से ही की जानी है। भारत सरकार द्वारा 105 करोड़ रुपये धनराशि की सहायता से दो महिला बटालियन के लिए भी 13 जून को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 60 प्रतिशत पद जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों की महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत भी लगभग 90 हजार से ज्यादा नौजवानों को रोजगार का अवसर दिया है। खड़गे साहब, हमने क्या-क्या काम किए हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग में दस हजार एस.पी.ओज....*(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): सर, यह मुद्दा नहीं है। डेवल्पमेंट तो चुनी हुई सरकार करेगी, पहले आप इलेक्शन कराओ।...*(व्यवधान)* आप तो एक एंटी-नेशनल एलिमेंट है, उसको वहां के चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे थे।...*(व्यवधान)* आपके गवर्नर ने क्या कहा है कि केंद्रीय

सरकार का यह आदेश है कि मैं लोन को चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री राजनाथ सिंह: खड़गे साहब, आपने गवर्नर का वह स्टेटमेंट भी देखा होगा कि गवर्नर ने जो कुछ भी पब्लिश हुआ था, उसको कोंट्राडिक्ट भी किया है।...*(व्यवधान)* उसको भी आपको देखना चाहिए।...*(व्यवधान)* यह भी किया है।...*(व्यवधान)* लेकिन खड़गे साहब, आप आश्वस्त रहिए कि कोई भी गलत और अनैतिक काम जम्मू-कश्मीर में इस सरकार के रहते नहीं होने पाएगा।...*(व्यवधान)* आप इतना आश्वस्त रहिए।...*(व्यवधान)* मैं तो यह जानकारी देना चाहता था, लेकिन अब खड़गे साहब का कहना है कि वहां के विकास से उनको कोई लेना-देना नहीं है।...*(व्यवधान)* इसलिए उसकी चर्चा न की जाए।...*(व्यवधान)* आपने कहा कि विकास की चर्चा मत कीजिए।...*(व्यवधान)* आपने कहा विकास की चर्चा मत करिए, क्यों कह रहे हैं?...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: प्लीज आप बात करिए।

श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग में लगभग 10 हजार एस.पी.ओज. की नियुक्ति के लिए भी सारी मंजूरी दे दी गई है। इनमें से बहुत सारे लोगों की नियुक्ति हो गई है, मॉर देन 35 थाउजंड एस.पी.ओज. की भी वहां पर नियुक्ति की गई हैं। बहुत सारे नौजवानों के लिए अन्य भी कई, जैसे जम्मू-कश्मीर शिक्षा विभाग के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 9 हजार विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। उनका इंट्रेक्शन भी कराया जाता है। ऐसे सिविल एक्शन प्रोग्राम बराबर वहां की सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: प्लीज बार-बार टोको मत।

...*(व्यवधान)*

श्री राजनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी एफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, वह पूरी तरह से एफर्ट हो रहा है। वहां की सिचुएशन को...*(व्यवधान)* इलेक्शन हमको नहीं कराना है क्या? लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार है। यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कहीं से भी इलेक्शन कमीशन यदि सिक्योरिटी मांगेगा तो हम सिक्योरिटी भी होम मिनिस्ट्री से प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं। हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के प्रति हम पूरी तरह से कमिटेड हैं...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात को बहुत लंबी न करते हुए...*(व्यवधान)* मैं पुन: आपके माध्यम से इस सदन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस स्टेच्युटॉरी मोशन को सर्वसम्मति से पास किया है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा अपराह्न 03.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 02.22 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 03.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 03.32 बजे

लोक सभा अपराह्न 03.32 बजे पुन: समवेत हुई।

(**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 44वें और 45वें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया (अंबाला): उपाध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा:

1. 13 दिसंबर, 2018 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 44वें प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत है कि परिशिष्ट-एक में क्रम सं. 66 पर विधेयक वर्गीकरण और विधेयक के लिए समय के नियतन का लोप किया जाए।
2. 19 दिसंबर, 2018 को सभा में प्रस्तुत समिति के 45वें प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत हैं कि संकल्पों के लिए समय के नियतन से संबंधित उसकी सिफारिशों के पैरा 4 और पैरा 5 के उप-पैरा(दो) का लोप किया जाए।"

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा:

1. 13 दिसंबर, 2018 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

के 44वें प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत है कि परिशिष्ट-एक में क्रम सं. 66 पर विधेयक वर्गीकरण और विधेयक के लिए समय के नियतन का लोप किया जाए।

2. 19 दिसंबर, 2018 को सभा में प्रस्तुत समिति के 45वें प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत हैं कि संकल्पों के लिए समय के नियतन से संबंधित उसकी सिफारिशों के पैरा 4 और पैरा 5 के उप-पैरा(दो) का लोप किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 03.34 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुर:स्थापित

(एक) अम्ल हमलों का निवारण और अम्ल हमलों के पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक, 2018*

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार (बारासात): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अम्ल या अन्य ऐसे संक्षारकों की बिक्री, आपूर्ति और उपयोग की निगरानी द्वारा अम्ल हमलों के निवारण और अम्ल हमले के पीड़ितों के पुनर्वास तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि अम्ल या अन्य ऐसे संक्षारकों की बिक्री, आपूर्ति और उपयोग की निगरानी द्वारा अम्ल हमलों के निवारण और अम्ल हमले के पीड़ितों के पुनर्वास तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार : मैं विधेयक को पुर:स्थापित **करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: अब, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आपने जो विधेयक दिया है उसका संपूर्ण पाठ न पढ़ें। आप केवल पाठ का शीर्षक पढ़ें। वही पर्याप्त होगा क्योंकि बहुत से सदस्य जाना चाहते हैं और साथ ही, आज हमें 134 विधेयक पुर:स्थापित करने हैं। इसलिए, मैं आप सभी से अत्यंत संक्षेप में बात करने का अनुरोध करता हूं। पूरा पाठ पढ़ने के स्थान पर, आप पाठ का शीर्षक और शीर्षक संख्या पढ़ें।

अपराह्न 03.35 बजे

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018*

(नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे: मैं विधेयक को पुर:स्थापित **करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 03.35½ बजे

(तीन) वैदिक शिक्षा (शैक्षिक संस्थाओं में अनिवार्य शिक्षण) विधेयक, 2018*

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि शैक्षिक संस्थाओं में वैदिक शिक्षा के शिक्षण को अनिवार्य बनाए जाने और तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

"कि शैक्षिक संस्थाओं में वैदिक शिक्षा के शिक्षण को अनिवार्य बनाए जाने और तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 03.36 बजे

(चार) गौ संरक्षण विधेयक, 2018*

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि गौ (बॉस इंडिकस) की संख्या का स्थिरीकरण सुनिश्चित करने और गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेदों 37 और 48 का अनुपालन करने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक प्राधिकरण गठित करने और गौ-हत्या करने पर रोक लगाने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि गौ (बॉस इंडिकस) की संख्या का स्थिरीकरण सुनिश्चित करने और गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेदों 37 और 48 का अनुपालन करने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक प्राधिकरण गठित करने और गौ-हत्या करने पर रोक लगाने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे: मैं विधेयक को पुर:स्थापित **करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[अनुवाद]

अपराह्न 03.36½ बजे

(पांच) अपराधों के साक्षियों और पीड़ितों का अनिवार्य संरक्षण विधेयक, 2018*

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य द्वारा अपराधों के साक्षियों और पीड़ितों, या उनके परिवार के सदस्यों या उनके सगे-संबंधियों, जिन्हें अपराधों के आरोपियों या उनके सहयोगियों या मित्रों या संबंधियों या सह-आरोपियों या उनसे सहानुभूति रखने वालों द्वारा पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों या उनके सगे-संबंधियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष अपराध करके विभिन्न तरीकों से धमकाया, उत्पीड़ित, शारीरिक हमला किया जाता है, के अनिवार्य संरक्षण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि राज्य द्वारा अपराधों के साक्षियों और पीड़ितों, या उनके परिवार के सदस्यों या उनके सगे-संबंधियों, जिन्हें अपराधों के आरोपियों या उनके सहयोगियों या मित्रों या संबंधियों या सह-आरोपियों या उनसे सहानुभूति रखने वालों द्वारा पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों या उनके सगे-संबंधियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष अपराध करके विभिन्न तरीकों से धमकाया, उत्पीड़ित, शारीरिक हमला किया जाता है, के अनिवार्य संरक्षण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[अनुवाद]

अपराह्न 03.37 बजे

(छह) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017*

(धारा 41 का संशोधन)

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चंपारण): मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 03.37½ बजे

(सात) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017*

(धारा 358 का संशोधन)

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चंपारण): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 03.38 बजे

(आठ) संपर्क-विच्छेद का अधिकार विधेयक, 2018*

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्रत्येक कर्मचारी को कार्यसमय से परे छुट्टियों में कार्य से संबंधित टेलीफोन कॉल तथा ई-मेल से संपर्क-विच्छेद तथा कार्यसमय से परे कॉल उठाने और ई-मेल का जवाब देने का इंकार करने हेतु अधिकार प्रदान करने के लिए कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि प्रत्येक कर्मचारी को कार्यसमय से परे छुट्टियों में कार्य से संबंधित टेलीफोन कॉल तथा ई-मेल से संपर्क-विच्छेद तथा कार्यसमय से परे कॉल उठाने और ई-मेल का जवाब देने का इंकार करने हेतु अधिकार प्रदान करने के लिए कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण की स्थापना करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): मैं विधेयक को **पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 03.38½ बजे

(नौ) क्षयरोग (निवारण और उन्मूलन) विधेयक, 2018*

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि क्षयरोग का निवारण और पूर्ण उन्मूलन करने के लिए क्षयरोग निवारण प्राधिकरण का गठन करने तथा

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक सभी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि क्षयरोग का निवारण और पूर्ण उन्मूलन करने के लिए क्षयरोग निवारण प्राधिकरण का गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक सभी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): मैं विधेयक को **पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 03.39 बजे

(दस) लैंगिक संवेदीकरण (प्रशिक्षण एवं शिक्षा) विधेयक, 2018*

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि व्यक्तित्व विकास के एक भाग के रूप में, विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से लैंगिक संवेदीकरण शिक्षा प्रदान करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि व्यक्तित्व विकास के एक भाग के रूप में, विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से लैंगिक संवेदीकरण शिक्षा प्रदान करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): मैं विधेयक को** पुर:स्थापित करती हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 03.39½ बजे

(ग्यारह) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2018*

(धारा 2 का संशोधन आदि)

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 03.40 बजे

(बारह) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक*

(धारा 66क का लोप)

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 03.40½ बजे

(तेरह) सशस्त्र बल कानून (संशोधन) विधेयक, 2018*

(धारा 45 का संशोधन, आदि)

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियांगज): मैं प्रस्ताव करता हूं कि समलैंगिक, गे उभयलिंगी और विपरीतलिंगी समुदाय के सदस्यों को देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने और सशस्त्र बलों में सेवा करने के समान अधिकार और अवसर देने के लिए थल सेना अधिनियम, 1950 नौसेना अधिनियम, 1957 और वायुसेना अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि समलैंगिक, गे उभयलिंगी और विपरीतलिंगी समुदाय के सदस्यों को देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने और सशस्त्र बलों में सेवा करने के समान अधिकार और अवसर देने के लिए थल सेना अधिनियम, 1950 नौसेना अधिनियम, 1957 और वायुसेना अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 03.41 बजे

(चौदह) आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018*

(नई धारा 46क का अंतःस्थापन)

श्री शशि थरूर (तिरुवनंतपुरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. शशि थरूर: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.41½ बजे

(पंद्रह) साहित्यिक स्वतंत्रता विधेयक, 2018*

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनंतपुरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में साहित्यिक स्वतंत्रता की गारंटी और संरक्षण के लिए कतिपय अधिनियमितियों का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि देश में साहित्यिक स्वतंत्रता की गारंटी और संरक्षण के लिए कतिपय अधिनियमितियों का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. शशि थरूर: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 03.42 बजे

(सोलह) खेलकूद (ऑनलाइन गेमिंग तथा कपट निवारण) विधेयक, 2018*

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनंतपुरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खेलकूद कपट के दांडीकरण और निवारण ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेमिंग के विनियमन द्वारा भारत में खेलकूद की समग्रता बनाए रखने हेतु एक प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खेलकूद कपट के दांडीकरण और निवारण ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेमिंग के विनियमन द्वारा भारत में खेलकूद की समग्रता बनाए रखने हेतु एक प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शशि थरूर: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.42½ बजे

(सत्रह) महिला लैंगिक, प्रजनन और ऋतुस्राव अधिकार विधेयक, 2018*

श्री शशि थरूर (तिरुवनंतपुरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महिलाओं के लैंगिक और प्रजनन अधिकारों में उनके अधिकार-क्षेत्र पर बल प्रदान करने तथा राज्य द्वारा सभी महिलाओं के लिए ऋतुस्राव साम्या की गारंटी देने के लिए कतिपय अधिनियमितियों का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि महिलाओं के लैंगिक और प्रजनन अधिकारों में उनके अधिकार-क्षेत्र पर बल प्रदान करने तथा राज्य द्वारा सभी महिलाओं के लिए ऋतुस्राव साम्या की गारंटी देने के लिए कतिपय अधिनियमितियों का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शशि थरूर: महोदय, मैं विधेयक का पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 03.43 बजे

(अठारह) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय (राजभाषा का प्रयोग) विधेयक, 2018*

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी (मुंबई उत्तर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों की कार्यवाहियों में राजभाषाओं का प्रयोग और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों की कार्यवाहियों में राजभाषाओं का प्रयोग और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 03.43½ बजे

(उन्नीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018*

(अनुच्छेद 44 का लोप, आदि)

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी (मुंबई उत्तर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 03.44 बजे

(बीस) अनन्नास बोर्ड विधेयक, 2018*

एडवोकेट जोएस जॉर्ज (इडुक्की): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनन्नास के निर्यात के विकास के लिए और अनन्नास उद्योग के नियंत्रण के लिए, जिसके अंतर्गत अनन्नास की खेती का नियंत्रण है, बोर्ड का गठन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि अनन्नास के निर्यात के विकास के लिए और अनन्नास उद्योग के नियंत्रण के लिए, जिसके अंतर्गत अनन्नास की खेती का नियंत्रण है, बोर्ड का गठन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.44½ बजे

(इक्कीस) कटहल बोर्ड विधेयक, 2018*

एडवोकेट जोएस जॉर्ज (इडुक्की): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कटहल के निर्यात के विकास के लिए और कटहल उद्योग के नियंत्रण के लिए, जिसके अंतर्गत कटहल की खेती का नियंत्रण है, बोर्ड का गठन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि कटहल के निर्यात के विकास के लिए और कटहल उद्योग के नियंत्रण के लिए, जिसके अंतर्गत कटहल की खेती का नियंत्रण है, बोर्ड का गठन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.45 बजे

(बाईस) कृषक (गारंटीकृत आय एवं कल्याण) विधेयक, 2018*

एडवोकेट जोएस जॉर्ज (इडुक्की): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राकृतिक आपदा या मूल्यों में कमी का विचार किए बिना कृषकों के लिए गारंटीकृत आय सुनिश्चित करने हेतु कृषक कल्याण निधि के गठन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि प्राकृतिक आपदा या मूल्यों में कमी का विचार किए बिना कृषकों के लिए गारंटीकृत आय सुनिश्चित करने हेतु कृषक कल्याण निधि के गठन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.45½ बजे

(तेईस) मिर्च का उत्पादक (कल्याण) विधेयक, 2018*

एडवोकेट जोएस जॉर्ज (इडुक्की): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मिर्च उत्पादकों के लिए कतिपय कल्याणकारी उपायों और अन्य सुविधाओं तथा तत्संसक्त विषयों का उपबंध

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि मिर्च उत्पादकों के लिए कतिपय कल्याणकारी उपायों और अन्य सुविधाओं तथा तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.46 बजे

(चौबीस) औद्योगिक नियोजन और पर्यावरणीय संरक्षण विधेयक, 2018*

श्री धर्मवीर गांधी (पटियाला): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी क्षेत्र में जहां कोई उद्योग स्थापित किया गया है अथवा स्थापित किया जाना है, के स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने, सभी कर्मकारों की मूलभूत आय सुनिश्चित करने और ऐसे क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के कारण किसी प्रतिकूल प्रभाव से पर्यावरण के संरक्षण के लिए विनियामक तंत्र स्थापित करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि किसी क्षेत्र में जहां कोई उद्योग स्थापित किया गया है अथवा स्थापित किया जाना है, के स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने, सभी कर्मकारों की मूलभूत आय सुनिश्चित करने और ऐसे क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के कारण किसी प्रतिकूल प्रभाव से पर्यावरण के संरक्षण के लिए विनियामक तंत्र स्थापित करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री धर्मवीर गांधी: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.46½ बजे

(पच्चीस) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018*

(धारा 171 का संशोधन, आदि)

श्री धर्मवीर गांधी (पटियाला): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री धर्मवीर गांधी: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 03.47 बजे

(छब्बीस) भिक्षावृत्ति उत्सादन और भिखारियों का पुनर्वास विधेयक, 2018*

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव (शिरूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भिक्षावृत्ति के उत्सादन और भिखारियों के पुनर्वास और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भिक्षावृत्ति के उत्सादन और भिखारियों के पुनर्वास और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 03.47½ बजे

(सत्ताईस) महिला (कार्यस्थल में आरक्षण) विधेयक, 2018*

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव (शिरूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्थापनों में महिलाओं हेतु पदों के आरक्षण और तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि स्थापनों में महिलाओं हेतु पदों के आरक्षण और तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.48 बजे

(अट्ठाईस) नि:शुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विधेयक, 2018*

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव (शिरूर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालकों में निरक्षरता का उन्मूलन करने और उनके समग्र विकास की दृष्टि से प्रत्येक बालक के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा तथा बालकों को स्कूल जाने तथा अध्ययन करने से किसी भी प्रकार से निवारित करने वाले व्यक्तियों के लिए भयोपदायी दंड का उपबंध करने और तत्संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि बालकों में निरक्षरता का उन्मूलन करने और उनके समग्र विकास की दृष्टि से प्रत्येक बालक के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा तथा बालकों को स्कूल जाने तथा अध्ययन करने से किसी भी प्रकार से निवारित करने वाले व्यक्तियों के लिए भयोपदायी दंड का उपबंध करने और तत्संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.48½ बजे

(उनतीस) मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2018*

(नई धारा 207क का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री विनोद कुमार सोनकर: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 03.49 बजे

(तीस) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (सेवा का नियमितीकरण और कल्याण) विधेयक, 2018*

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन (कोल्लम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं का नियमितीकरण करने और ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्रीय सरकार के समूह 'ग' कर्मचारियों से अन्यून दर्जा प्रदान करने का

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं का नियमितीकरण करने और ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्रीय सरकार के समूह 'ग' कर्मचारियों से अन्यून दर्जा प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.49½ बजे

(इकतीस) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2018*

(धारा 3 का संशोधन, आदि)

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन (कोल्लम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.50 बजे

(बत्तीस) आशा कार्यकर्ता (सेवा और अन्य प्रसुविधाओं का नियमितीकरण) विधेयक, 2018*

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन (कोल्लम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आशा कार्यकर्ताओं की सेवाओं के नियमितीकरण, उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि आशा कार्यकर्ताओं की सेवाओं के नियमितीकरण, उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एन.के. प्रेमचंदन: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.50½ बजे

(तैंतीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018*

(अनुच्छेद 142 का संशोधन)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 03.51 बजे

(चौंतीस) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018*

(नई धारा 35क और 35ख का प्रतिस्थापन)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं और विलंब कारित करने के मामलों में न्यायालयों द्वारा दंडात्मक लागतों का अधिरोपण तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने की दृष्टि से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं और विलंब कारित करने के मामलों में न्यायालयों द्वारा दंडात्मक लागतों का अधिरोपण तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने की दृष्टि से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 03.51½ बजे

(पैंतीस) नियोजन अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2018*

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विधिसम्मत अधिभोग में शामिल नियोजकों के साथ रोजगार, शिक्षुता या प्रशिक्षुता की खोज कर रहे घरेलू कर्मियों, प्रशिक्षुओं और दूसरे कर्मचारियों की सहायता के लिए नियोजन एजेंसियों को और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विधिसम्मत अधिभोग में शामिल नियोजकों के साथ रोजगार, शिक्षुता या प्रशिक्षुता की खोज कर रहे घरेलू कर्मियों, प्रशिक्षुओं और दूसरे कर्मचारियों की सहायता के लिए नियोजन एजेंसियों को और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 03.52 बजे

(छत्तीस) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018*

(धारा 160 का संशोधन)

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 03.52½ बजे

(सैंतीस) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2018*

(नए अध्याय 3क का अंतःस्थापन)

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 03.53 बजे

(अड़तीस) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2018*

(धारा 7 का संशोधन, आदि)

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का और

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 03.53½ बजे

(उनतालीस) भू-संपदा (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2018*

(धारा 7 का संशोधन, आदि)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री किरिट पी. सोलंकी: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 03.54 बजे

(चालीस) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2018*

(धारा 2 का संशोधन, आदि)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

"कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.54½ बजे

(इकतालीस) भारतीय सुखाचार (संशोधन) विधेयक, 2018*

(धारा 7 का संशोधन, आदि)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 03.55 बजे

(बयालीस) खेलकूद का अधिकार विधेयक, 2018*

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक बालक को खेलकूद में भाग लेने का अधिकार प्रदान करने एवं तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि प्रत्येक बालक को खेलकूद में भाग लेने का अधिकार प्रदान करने एवं तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.55½ बजे

(तैंतालीस) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018*

(धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 03.56 बजे

(चवालीस) शैक्षाणिक संस्थाओं में भारत की ज्ञान परंपराओं और प्रथाओं अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2018*

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में विद्यालयी शिक्षा में कक्षा सात से दस तक सह पाठ्यक्रम के रूप में भारत की ज्ञान परंपराओं और प्रथाओं के अनिवार्य शिक्षण के लिए उपबंध करना ताकि छात्रों को भारत की गौरवशाली संस्कृति और परंपराओं को जानने और समझने और भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यता की क्षमता को पोषित करने, मजबूत करने और बनाए रखने के लिए सक्षम किया जा सके और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

"कि भारत में विद्यालयी शिक्षा में कक्षा सात से दस तक सह पाठ्यक्रम के रूप में भारत की ज्ञान परंपराओं और प्रथाओं के अनिवार्य शिक्षण के लिए उपबंध करना ताकि छात्रों को भारत की गौरवशाली संस्कृति और परंपराओं को जानने और समझने और भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यता की क्षमता को पोषित करने, मजबूत करने और बनाए रखने के लिए सक्षम किया जा सके और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.56½ बजे

(पैंतालीस) संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2018*

(अनुसूची का संशोधन)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 03.57 बजे

(छियालीस) आधिकारिक सरकारी बैठक और समारोह (मांसाहारी भोजन परोसने का प्रतिषेध) विधेयक, 2018*

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): मैं प्रस्ताव

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

करता हूं कि जीव-जंतु संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव के प्रयोजनार्थ भारत सरकार की आधिकारिक बैठकों और समारोहों में मांसाहारी भोजन परोसे जाने का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि जीव-जंतु संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव के प्रयोजनार्थ भारत सरकार की आधिकारिक बैठकों और समारोहों में मांसाहारी भोजन परोसे जाने का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 03.57½ बजे

(सैंतालीस) छावनी (संशोधन) विधेयक, 2018*

(नए अध्याय चार-क अंत:स्थापन)

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं कि छावनी अधिनियम, 2006 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि छावनी अधिनियम, 2006 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चंद्रकांत खैरे: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.58 बजे

(अड़तालीस) भारत में एक-समान नागरिक संहिता विधेयक, 2018*

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक-समान नागरिक संहिता तैयार करने और संपूर्ण भारत के राज्यक्षेत्र में इसके कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच समिति के गठन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि एक-समान नागरिक संहिता तैयार करने और संपूर्ण भारत के राज्यक्षेत्र में इसके कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच समिति के गठन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चंद्रकांत खैरे: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.58½ बजे

(उनचास) महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर संभाजी नगर करना विधेयक, 2018*

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर संभाजी नगर करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर संभाजी नगर करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चंद्रकांत खैरे: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 03.59 बजे

(पचास) व्यथित विधवाएं और एकल महिलाएं (संरक्षण, पुनर्वासन और कल्याण) विधेयक, 2018*

श्री गजानन कीर्तिकर (मुंबई उत्तर पश्चिम): मैं प्रस्ताव

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

करता हूं कि व्यथित, अशक्त, उपेक्षित और अन्-अंगीकृत विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए कल्याण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता, पेंशन, चिकित्सा देखरेख, आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करके ऐसी विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले आवश्यकता आधारित पुनर्वासन और कल्याण सहित संरक्षणकारी उपायों तथा तत्संबंधी और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध् करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि व्यथित, अशक्त, उपेक्षित और अन्-अंगीकृत विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए कल्याण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता, पेंशन, चिकित्सा देखरेख, आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करके ऐसी विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले आवश्यकता आधारित पुनर्वासन और कल्याण सहित संरक्षणकारी उपायों तथा तत्संबंधी और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध् करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गजानन कीर्तिकर: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 03.59½ बजे

(इक्यावन) गुमशुदा बालक/बालिका (शीघ्र खोज और पुनर्मिलन) विधेयक, 2018*

श्री गजानन कीर्तिकर (मुंबई उत्तर पश्चिम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपहरण, व्यपहरण, प्रलोभन दिए जाने या अपने घरों से पलायन करने के कारण गुमशुदा होने वाले बालकों/बालिकाओं की शीघ्र खोज करने और उन्हें उनके माता-पिता के साथ पुन: मिलाने; गुमशुदा बालकों/बालिकाओं का पता लगाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों सहित पुलिस स्थापनों में विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना करने; दूरदर्शन, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया से गुमशुदा बालकों/बालिकाओं की फोटो और ब्यौरा प्रदर्शित करने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट का तत्काल रजिस्ट्रीकरण करने, ताकि गुमशुदा बालकों/बालिकाओं का पता लगाने के लिए समुचित तंत्र स्थापित किया जा सके और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि अपहरण, व्यपहरण, प्रलोभन दिए जाने या अपने घरों से पलायन करने के कारण गुमशुदा होने वाले बालकों/बालिकाओं की शीघ्र खोज करने और उन्हें उनके माता-पिता के साथ पुन: मिलाने; गुमशुदा बालकों/बालिकाओं का पता लगाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों सहित पुलिस स्थापनों में विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना करने; दूरदर्शन, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया से गुमशुदा बालकों/बालिकाओं की फोटो और ब्यौरा प्रदर्शित करने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट का तत्काल रजिस्ट्रीकरण करने, ताकि गुमशुदा बालकों/बालिकाओं का पता लगाने के लिए समुचित तंत्र स्थापित किया जा सके और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गजानन कीर्तिकर: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.59¾ बजे

(बावन) गौ हत्या पर पाबंदी विधेयक, 2018*

श्री गजानन कीर्तिकर (मुंबई उत्तर पश्चिम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि गौ और गौ-वंश के वध का प्रतिषेध और उससे संसक्त विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि गौ और गौ-वंश के वध का प्रतिषेध और उससे संसक्त विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री गजानन कीर्तिकर: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

(तिरेपन) जनसंख्या स्थिरीकरण विधेयक, 2018*

श्री गजानन कीर्तिकर (मुंबई उत्तर पश्चिम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनों और निरुत्साहनों के माध्यम से परिवार नियोजन के उपायों को बढ़ावा देने, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनसंख्या देश के सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य विकास कार्यों तथा पारिस्थितिकीय संतुलन के अनुरूप रहे और निर्धन वर्गों के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सके और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि देश जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनों और निरुत्साहनों के माध्यम से परिवार नियोजन के उपायों को बढ़ावा देने, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनसंख्या देश के सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य विकास कार्यों तथा पारिस्थितिकीय संतुलन के अनुरूप रहे और निर्धन वर्गों के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सके और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गजानन कीर्तिकर: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.0½ बजे

(चौवन) सरल भाषा में विधि का प्रारूपण विधेयक, 2018*

श्री राजीव सातव (हिंगोली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की विधियों तक नागरिकों की पहुंच और समझ बढ़ाने की दृष्टि से आसान निर्वचन के माध्यम से पठनीयता, अस्पष्टता को दूर करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करके सभी सरकारी विधेयकों और अधिनियमों का प्रारूपण किए जाने की आज्ञापक बनाने संबंधी विधिक ढांचे की स्थापना तथा तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत की विधियों तक नागरिकों की पहुंच और समझ बढ़ाने की दृष्टि से आसान निर्वचन के माध्यम से पठनीयता, अस्पष्टता को दूर करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करके सभी सरकारी विधेयकों और अधिनियमों का प्रारूपण किए जाने की आज्ञापक बनाने संबंधी विधिक ढांचे की स्थापना तथा तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजीव सातव: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.01 बजे

(पचपन) महिला (विकास और कल्याण) प्राधिकरण विधेयक, 2018*

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव (हिंगोली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि योजनाओं के निर्माण के लिए एवं महिला सशक्तिकरण के लिए उपायों के बारे में समुचित सरकार को सिफारिश करने के लिए महिला विकास और कल्याण प्राधिकरण के गठन का उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयकों को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

"कि योजनाओं के निर्माण के लिए एवं महिला सशक्तिकरण के लिए उपायों के बारे में समुचित सरकार को सिफारिश करने के लिए महिला विकास और कल्याण प्राधिकरण के गठन का उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयकों को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 04.1½ बजे

(छप्पन) कृषि कामगार कल्याण कोष विधेयक, 2018*

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव (हिंगोली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कामगारों के कल्याण तथा विकास और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए कृषि कामगार कल्याण कोष की स्थापना करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि कृषि कामगारों के कल्याण तथा विकास और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए कृषि कामगार कल्याण कोष की स्थापना करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[अनुवाद]

अपराह्न 04.02 बजे

(सत्तावन) बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2018*

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव (हिंगोली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि पात्र नागरिकों को लाभकारी नियोजन प्रदान किए जाने तक बेरोजगार भत्ता प्रदान करने एवं लाभकारी नियोजन का अधिकार सुनिश्चित करने और तत्संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि पात्र नागरिकों को लाभकारी नियोजन प्रदान किए जाने तक बेरोजगार भत्ता प्रदान करने एवं लाभकारी नियोजन का अधिकार सुनिश्चित करने और तत्संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 04.02½ बजे

(अट्ठावन) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018*

(8वीं अनुसूची का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पूरे पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पूरे पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 04.03 बजे

(उनसठ) संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2018*

(अनुसूचियों का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला): मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश), 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश), 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.03½ बजे

(साठ) चिकित्सकों, चिकित्सा वृत्तिकों और चिकित्सा संस्थाओं के विरुद्ध हिंसा निवारण विधेयक, 2018*

श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): मैं प्रस्ताव करता हूं कि चिकित्सकों, चिकित्सा वृत्तिकों और चिकित्सा संस्थाओं के विरुद्ध हिंसा निवारण और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि चिकित्सकों, चिकित्सा वृत्तिकों और चिकित्सा संस्थाओं के विरुद्ध हिंसा निवारण और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: मद संख्या 38, श्री पी. करुणाकरन - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 41, श्री पी. करुणाकरन - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 42, श्री पी. करुणाकरन - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 43, श्री पी. करुणाकरन - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 48, श्री फिरोज़ वरुण गांधी - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 49, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 50, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 51, श्री सी.पी. जोशी - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 52, एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 53, श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी - उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.04 बजे

(इकसठ) महिला (सशक्तिकरण और कल्याण) विधेयक, 2018*

[हिन्दी]

श्री भैरो प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इक्कीस वर्ष की आयु तक लड़कियों के विवाह को लंबित करने के लिए मासिक प्रोत्साहन योजनाएं, महिलाओं के लिए यदि पति अमद्यसारिक हो, वार्षिक बोनस सहित उच्च ब्याज दर प्रदान करने वाली विशेष बचत योजनाएं, सूक्ष्म ऋण योजनाओं के लिए विशेष निधि, कृषि कर्मकारों के लिए चल स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं हेतु दिशा-निर्देश, निजी नियोजन अभिकरणों का विनियमन, विधवाओं हेतु योजनाओं का उपबंध करने के लिए तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए महिला संशक्तिकरण और कल्याण प्राधिकरण का गठन करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"इक्कीस वर्ष की आयु तक लड़कियों के विवाह को लंबित करने के लिए मासिक प्रोत्साहन योजनाएं, महिलाओं के लिए यदि पति अमद्यसारिक हो, वार्षिक बोनस सहित उच्च ब्याज दर प्रदान करने वाली विशेष बचत योजनाएं, सूक्ष्म ऋण योजनाओं के लिए विशेष निधि, कृषि कर्मकारों के लिए चल स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं हेतु दिशा-निर्देश, निजी नियोजन अभिकरणों का विनियमन, विधवाओं हेतु योजनाओं का उपबंध करने के लिए तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए महिला संशक्तिकरण और कल्याण प्राधिकरण का गठन करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री भैरो प्रसाद मिश्र: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.04½ बजे

(बासठ) शहरी क्षेत्र (साम्यापूर्ण विकास और विनियमन) विधेयक, 2018*

[हिन्दी]

श्री भैरो प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्थलों के स्वच्छ और स्वास्थ्यकर रख-रखाव का उपबंध करने, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का समुचित आवासों में पुनर्वास करने, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लागों को पुनर्निर्माण कार्यकलापों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु दिशानिर्देश जारी करने, नागरिकों के बीच स्व-प्रबंधन की प्रणाली को सुकर बनाने, भूमिगत जलनिकासी और नालियों का समुचित नेटवर्क बनाने, पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए समर्पित पथ का निर्माण करने, साइकिलों को सब्सिडीकृत करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन के संवर्धन हेतु नीतियां तैयार करने, फेरीवालों के लिए सामुदायिक बाजारों का सृजन करने, फेरीवालों को लाइसेंस जारी करने, निजी हॉस्टलों और सशुल्क अतिथि आवासों द्वारा पालन किए जाने योग्य न्यूनतम मानकों का उपबंध करने और उनके अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की संस्तुति करने, शहरी क्षेत्रों में आर्थिक और रोजगार अवसरों के समान पुनर्वितरण को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए एक शहरी क्षेत्र साम्यापूर्ण विकास प्राधिकरण की स्थापना करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्थलों के स्वच्छ और स्वास्थ्यकर रख-रखाव का उपबंध करने, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का समुचित आवासों में पुनर्वास करने, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लागों को पुनर्निर्माण कार्यकलापों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु दिशानिर्देश जारी करने, नागरिकों के बीच स्व-प्रबंधन की प्रणाली को सुकर बनाने, भूमिगत जलनिकासी और नालियों का समुचित नेटवर्क बनाने, पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए समर्पित पथ का निर्माण करने, साइकिलों को सब्सिडीकृत करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन के संवर्धन हेतु नीतियां तैयार करने, फेरीवालों के लिए सामुदायिक बाजारों का सृजन करने, फेरीवालों को लाइसेंस जारी करने, निजी हॉस्टलों और सशुल्क अतिथि आवासों द्वारा पालन किए जाने योग्य न्यूनतम मानकों का उपबंध करने और उनके अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की संस्तुति करने, शहरी क्षेत्रों में आर्थिक और रोजगार अवसरों के समान पुनर्वितरण को सुनिश्चित

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए एक शहरी क्षेत्र साम्यापूर्ण विकास प्राधिकरण की स्थापना करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री भैरो प्रसाद मिश्र: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: मद संख्या 64, श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 65, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 66, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 67, श्री देवजी एम. पटेल - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 68, डॉ. उदित राज - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 69, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 70, कुमारी सुष्मिता देव - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 71, श्री रतन लाल कटारिया - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 72, श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 75, श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 76, श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 77, श्री निनोंग इरिंग - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 78, श्री निनोंग इरिंग - उपस्थित नहीं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

अपराह्न 4.05 बजे

(तिरेसठ) राष्ट्रीय कृषि नीति आयोग विधेयक, 2018*

[हिन्दी]

श्री निहाल चंद (गंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में कृषि सुधार और विकास नीतियां बनाने संबंधी एक राष्ट्रीय कृषि नीति आयोग की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि देश में कृषि सुधार और विकास नीतियां बनाने संबंधी एक राष्ट्रीय कृषि नीति आयोग की स्थापना करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री निहाल चंद: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.05½ बजे

(चौंसठ) जल (सुगमता और संरक्षण) विधेयक, 2018*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक महत्वपूर्ण और संकटग्रस्त प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल के वितरण, संरक्षण विनियमन और प्रबंधन के लिए सिद्धांतों के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय विधिक रूपरेखा, जिसमें शासन के सभी स्तरों पर जल के संबंध में विधायी और कार्यकारी कार्रवाई, व्यक्तियों और उनके संगमों, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं तथा सभी प्रकार के निगमित निकायों द्वारा जल-उपयोग और जल-संबंधी कार्रवाइयां भी हो सकती हैं और उससे संसक्त

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि एक महत्वपूर्ण और संकटग्रस्त प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल के वितरण, संरक्षण विनियमन और प्रबंधन के लिए सिद्धांतों के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय विधिक रूपरेखा, जिसमें शासन के सभी स्तरों पर जल के संबंध में विधायी और कार्यकारी कार्रवाई, व्यक्तियों और उनके संगमों, सार्वजनिक और निजी संस्थाओं तथा सभी प्रकार के निगमित निकायों द्वारा जल-उपयोग और जल-संबंधी कार्रवाइयां भी हो सकती हैं और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: मद संख्या 85, डॉ. ए. सम्पत - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 86, डॉ. करण सिंह यादव - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 87, श्री दुष्यंत चौटाला - उपस्थित नहीं।

अपराह्न 4.06 बजे

(पैंसठ) जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2018*

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दो संतानों वाले दंपतियों के बीच स्वैच्छिक बंध्यीकरण का संवर्धन तथा विवाह के लिए न्यूनतम आयु का नियतन करने, छोटा परिवार संत्रियम का संवर्धन करने जैसे कतिपय उपायों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि दो संतानों वाले दंपतियों के बीच स्वैच्छिक बंध्यीकरण का संवर्धन तथा विवाह के लिए न्यूनतम आयु का नियतन करने, छोटा परिवार संत्रियम का संवर्धन करने जैसे कतिपय उपायों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विष्णु दयाल राम: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.06½ बजे

(छियासठ) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) विधेयक, 2018*

(धारा 56 का संशोधन, आदि)

श्री भानु प्रसाद सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.07 बजे

(सड़सठ) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018*

(धारा 135 का संशोधन)

श्री भैरो प्रसाद मिश्र (बांदा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भैरो प्रसाद मिश्र: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.07½ बजे

(अड़सठ) न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 2018*

(धारा 2 का संशोधन)

श्री भैरो प्रसाद मिश्र (बांदा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भैरो प्रसाद मिश्र: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: मद संख्या 92, श्री रामचंद्र हांसदा - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 100, श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल।

अपराह्न 4.08 बजे

(उनहत्तर) इलाहाबाद उच्च न्यायालय (महोबा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2018*

कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की महोबा में स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की महोबा में स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.08½ बजे

(सत्तर) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018*

(अनुच्छेद 51क का संशोधन)

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.09 बजे

(इकहत्तर) शैक्षणिक संस्थाओं में भारतीय आध्यात्मिक और मानव सेवा दर्शन शास्त्र की शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2018*

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शैक्षणिक संस्थाओं में भारतीय आध्यात्मिक और मानव सेवा दर्शन शास्त्र की शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि शैक्षाणिक संस्थाओं में भारतीय आध्यात्मिक और मानव सेवा दर्शन शास्त्र की शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.09½ बजे

(बहत्तर) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018*

(अनुच्छेद 309 का संशोधन)

कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल (हमीरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.10 बजे

(तिहत्तर) युवाओं में आत्महत्या निवारण विधेयक, 2018*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि यथासमय हस्तक्षेप के द्वारा तथा मानसिक रोग के बारे में सूचना देने के संबद्ध कलंक के निवारण पर ध्यान देते हुए समुदाय-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर देश में विशेषकर युवाओं में बढ़ रही आत्महत्या के प्रचलन का समाधान करने और संचार व्यवस्था में वृद्धि करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यथासमय हस्तक्षेप के द्वारा तथा मानसिक रोग के बारे में सूचना देने के संबद्ध कलंक के निवारण पर ध्यान देते हुए समुदाय-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर देश में विशेषकर युवाओं में बढ़ रही आत्महत्या के प्रचलन का समाधान करने और संचार व्यवस्था में वृद्धि करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.10½ बजे

(चौहत्तर) एकल उपयोग प्लास्टिक (विनियमन) विधेयक, 2018*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत को वर्ष 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक का उन्मूलन करने के लक्ष्य को हासिल करने के ढांचे का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत को वर्ष 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक का उन्मूलन करने के लक्ष्य को हासिल करने के ढांचे का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 4.11 बजे

(पचहत्तर) जनसंख्या (स्थिरीकरण और नियोजन) विधेयक, 2018*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि गर्भनिरोध की पद्धतियों का स्वैच्छिक और सुरक्षित पहुंच देकर, जनसंख्या नियोजन अभिकरण की स्थापना, छोटे परिवार के प्रचलन को प्रोत्साहन देने की योजना के संप्रवर्तन, परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता सृजन और प्रत्येक बालिका को सशक्त करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था के द्वारा देश की जनसंख्या को स्थिर करने की एक व्यापक नीति का उपबंध करने तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक सभी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि गर्भनिरोध की पद्धतियों का स्वैच्छिक और सुरक्षित पहुंच देकर, जनसंख्या नियोजन अभिकरण की स्थापना, छोटे परिवार के प्रचलन को प्रोत्साहन देने की योजना के संप्रवर्तन, परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता सृजन और प्रत्येक बालिका को सशक्त करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था के द्वारा देश की जनसंख्या को स्थिर करने की एक व्यापक नीति का उपबंध करने तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक सभी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.11½ बजे

(छिहत्तर) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2018*

(नई धारा 28क का अंत:स्थापन)

डॉ. प्रभास कुमार सिंह (बारगढ़): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. प्रभास कुमार सिंह: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.12 बजे

(सतहत्तर) राष्ट्रीय खेल विकास आयोग विधेयक, 2018*

श्री निहाल चंद (गंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में खेलों के समग्र विकास, मूलभूत खेल सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु राष्ट्रीय खेल विकास आयोग की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि देश में खेलों के समग्र विकास, मूलभूत खेल सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु राष्ट्रीय खेल विकास आयोग की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निहाल चंद (गंगानगर): महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.12½ बजे

(अठहत्तर) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018*

(नई धारा 24क का अंत:स्थापन, आदि)

डॉ. प्रभास कुमार सिंह (बारगढ़): मैं प्रस्ताव करता हूं

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. प्रभास कुमार सिंह: मैं विधेयक प्रस्तुत** करता हूं।

अपराह्न 04.13 बजे

(उनासी) जिम्मेदार अभिभावक विधेयक, 2018*

[हिन्दी]

डॉ. संजीव बालियान (मुजफ्फरनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकों और विशेषत: महिलाओं के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देश के संसाधनों के अनुरूप विकास लक्ष्य हेतु जनसंख्या को स्थिर करने, भावी पीढ़ियों के लिए सुंदर, सुरक्षित एवं अभावमुक्त जीवन प्रदान करने के लिए संविधान की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु शुद्ध जल, स्वच्छ वायु एवं शुद्ध भोजन प्रदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"नागरिकों और विशेषत: महिलाओं के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देश के संसाधनों के अनुरूप विकास लक्ष्य हेतु जनसंख्या को स्थिर करने, भावी पीढ़ियों के लिए सुंदर, सुरक्षित एवं अभावमुक्त जीवन प्रदान करने के लिए संविधान की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु शुद्ध जल, स्वच्छ वायु एवं शुद्ध भोजन प्रदान करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. संजीव बालियान: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 04.13½ बजे

(अस्सी) सौंदर्य प्रसाधनों में माइक्रोबीड्स के प्रयोग पर पाबंदी विधेयक, 2018*

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सौंदर्य प्रसाधनों में माइक्रोबीड्स के प्रयोग पर पाबंदी लगाने और उससे संबंधित का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि सौंदर्य प्रसाधनों में माइक्रोबीड्स के प्रयोग पर पाबंदी लगाने और उससे संबंधित का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 04.14 बजे

(इकयासी) आभ्यासिक अपराधी विधियों को शून्य घोषित करना विधेयक, 2018*

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि यायावरी जाति, अर्ध-यायावरी जाति और प्रवास करने वाली जनजातियों को जन्म से आभ्यासिक अपराधों या अपराधी होने की कतिपय अधिनियमितियों को अप्रवर्तनीय बनाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यायावरी जाति, अर्ध-यायावरी जाति और प्रवास

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

करने वाली जनजातियों को जन्म से आभ्यासिक अपराधों या अपराधी होने की कतिपय अधिनियमितियों को अप्रवर्तनीय बनाने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.14½ बजे

(बयासी) प्लास्टिक की पैकेजिंग (विनियमन) विधेयक, 2018*

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्लास्टिक की पैकेजिंग और एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की मदों के विनिर्माण, संग्रहण, उपयोग, बिक्री, आयात, परिवहन और वितरण पर प्रतिबंध लगाने तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रशोधन के लिए किए जाने वाले उपायों को नियंत्रित करने हेतु एक निकाय गठित करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि प्लास्टिक की पैकेजिंग और एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की मदों के विनिर्माण, संग्रहण, उपयोग, बिक्री, आयात, परिवहन और वितरण पर प्रतिबंध लगाने तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रशोधन के लिए किए जाने वाले उपायों को नियंत्रित करने हेतु एक निकाय गठित करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करती हूं।

अपराह्न 4.15 बजे

(तिरासी) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018*

(नए अनुच्छेद 31 का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.15½ बजे

(चौरासी) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018*

(नए अनुच्छेद 275क आदि का अंत:स्थापन, आदि)

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.15¾ बजे

(पचासी) अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक, 2018*

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): मैं प्रस्ताव करता हूं

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

कि समर्थ शरीर वाले सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करने और तत्संबंधी विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि समर्थ शरीर वाले सभी नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करने और तत्संबंधी विषयों के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 04.16 बजे

(छियासी) अनिवासी भारतीय (मतदान अधिकार और कल्याण) विधेयक, 2018*

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान करने और उन देशों में, जहां वे निवास करते हैं और कार्य करते हैं, सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन से एक राष्ट्रीय अनिवासी भारतीय आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान करने और उन देशों में, जहां वे निवास करते हैं और कार्य करते हैं, सहायता उपलब्ध कराने के प्रयोजन से एक राष्ट्रीय अनिवासी भारतीय आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.16½ बजे

(सत्तासी) राष्ट्रीय कुपोषण नीति आयोग विधेयक, 2018*

श्री निहाल चंद चौहान (गंगानगर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय नीति आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय नीति आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निहाल चंद चौहान: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 4.16¾ बजे

(अठासी) मानवाधिकार रक्षकों का संरक्षण विधेयक, 2018*

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रता के संरक्षण और संप्रवर्तन में लगे हुए व्यक्तियों, समूहों, संघों के संरक्षण सुनिश्चित करने और तत्संबंधी मामले या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने को अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रता के संरक्षण और

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 28.12.2018 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

संप्रवर्तन में लगे हुए व्यक्तियों, समूहों, संघों के संरक्षण सुनिश्चित करने और तत्संबंधी मामले या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने को अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.17 बजे

उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2014

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब है मद सं. 174 जो उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2014 के बारे में है और यह राज्य सभा से पारित हो चुका है। इस संबंध में, मुझे यह सूचित करना है कि उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2018 के नाम से यह सरकारी विधेयक इस सदन से 17 दिसंबर, 2018 को ही पारित हो चुका है।

नियम 112 के उपनियम (2) के अनुसार, लोकसभा में लम्बित किसी विधेयक को लम्बित विधेयकों के रजिस्टर से उस स्थिति में हटा दिया जाएगा जब कोई काफी हद तक मिलता जुलता विधेयक उसी सभा से पारित किया गया हो। राज्य सभा में पुरःस्थापित व उससे पारित तथा लोक सभा के सभा पटल पर रखा गया विधेयक लम्बित विधेयक की परिभाषा में नहीं आता है। हालांकि, इस परिभाषा में उन मामलों के संदर्भ में कुछ नहीं बताया गया है जहां लोकसभा के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात राज्य सभा से आए उस विधेयक पर लोकसभा में चर्चा चल रही हो। विगत में लोकसभा में पुरःस्थापित व लम्बित-गैर सरकारी विधेयकों को लंबित विधेयकों के रजिस्टर से उस स्थिति में हटा दिया है जब उन विधेयकों के उद्देश्य को सरकारी विधेयकों के पारित होने के परिणामस्वरूप हासिल कर लिया गया है।

यह प्रतीत होता है कि विगत में ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं रहा है जिससे कि एक ऐसे गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में कोई कार्रवाई हुई होगी जो राज्य सभा से पारित किया गया हो और जिस पर लोकसभा में चर्चा हुई हो बशर्ते कि उसी विषय पर कोई विधेयक लोकसभा से पारित किया जा चुका हो।

जैसा कि इस विधेयक पर लोक सभा में अंशतः चर्चा हुई है, इसलिए लोक सभा अकेले इस विधेयक के संदर्भ में की जाने वाली कार्रवाई पर निर्णय ले सकती है। मेरा मानना है कि इस व्याख्या के तीसरे भाग के साथ पठित नियम 112 के उप-नियम (2) में प्रतिपादित उपबंध को देखते हुए हमें राज्य सभा से यथा पारित इस गैर सरकारी विधेयक को लेकर और आगे नहीं जाना चाहिए। इसलिए, यदि सदन की अनुमति हो, तो इस विधेयक को लम्बित विधेयक के रजिस्टर से हटाया जा सकता है क्योंकि उसी विषय को लेकर एक सरकारी विधेयक के पारित हो जाने के साथ इसका उद्देश्य हासिल हो चुका है।

श्री एन.के. प्रेमचंदन (कोल्लम): महोदय, मैं लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 112क खंड 2 के संबंध में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई टिप्पणियों से पूरी तरह से सहमत हूं।

महोदय, यह एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि भारतीय संसद के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ कि राज्य सभा से पारित लोक सभा में भेजे गए किसी विधेयक पर अंशतः चर्चा हुई हो और फिर वह सरकारी विधेयक के रूप में पारित किया हो। अतः, यह वही कारण है जिसकी वजह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की है कि 112(2) में इस विधेयक पर आगे और चर्चा करना निषिद्ध किया गया है।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय की व्यवस्था/टिप्पणी को निश्चित रूप से स्वीकार करता हूं और उसका अनुसरण भी करता हूं, पर साथ ही इस नियम के बारे में, मैं अपनी ओर से भी टिप्पणी करना चाहता हूं। कई बार मैंने खुद इस सदन में काफी हद तक मिलते-जुलते विधेयकों को लेकर इस नियम को उद्धृत किया है।

महोदय, कृपया आप नियम 112(2) देखें जिसमें यह बताया गया है कि:

'सदन में लम्बित किसी विधेयक को उस सदन के लम्बित विधेयकों के रजिस्टर से उस स्थिति में हटाया जाएगा जब उस विधेयक से काफी हद तक मिलता-जुलता कोई विधेयक उस सदन से पारित किया गया हो या नियम 110 के तहत उस विधेयक को वापस ले लिया गया हो।'

यहां मूल तथ्य जो नोट करने योग्य है वह है

"महत्वपूर्ण रूप से अभिन्न विधेयक।' यदि ऐसा है, तो इसे विधेयकों के रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा और लोकसभा सचिवालय भी इसे भलिभांति कर सकता है। यहां यह सुस्थापित व स्वीकृत व्यवस्था है। व्याख्या खंड (3) में यह बताया गया है कि:

'परिषद से उद्धृत व सदन में भेजा गया और नियम 114 या 122 के तहत सभा पटल पर रखा गया विधेयक; और'

यहां इस सदन में जो उद्धृत घटना हुई है वह यह है कि विधेयक भेजा गया है; इसे सदन के पटल पर रखा गया है; और इस पर अंशत: चर्चा हुई है। यही है अद्यतन स्थिति। इसीलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय के निर्णय से एक नई मिसाल कायम की जानी चाहिए।

मैं जिस बात को साबित करना चाहता हूं एक मात्र यही है। मैंने विधेयक की चर्चा में भाग नहीं लिया था। श्री पांडा ने जिन्होंने मुख्यत: इस विधेयक का प्रस्ताव रखा है, संसद सदस्य की सदयस्ता से इस्तीफा दे दिया है। इसलिए, अंततोगत्वा मुझे इस विधेयक को पारित कराने के लिए इसका प्रस्ताव रखने का अवसर मिला। इसलिए, जो बात मैं बताना चाहता हूं वह 'अभिन्न विधेयक' के संबंध में है।

मैं इस विधेयक की केवल खास बातों को उद्धृत कर रहा हूं जिसे राज्य सभा से पारित किया गया है। पहला यह है कि उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्र व राज्य स्तर के आयोग का गठन किया जा सके जिन्हें दी गई शक्तियों व सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करना है। इसलिए, इस विधेयक के अनुसार, एक राष्ट्र स्तर का और एक राज्य स्तर के आयोग का गठन दिया जाएगा। मैं इन दोनों ही विधेयकों के बीच अंतर विभेद करने की बस खास बातों का केवल उल्लेख कर रहा हूं, न कि मैं इस विधेयक की मेरिट में जा रहा हूं।

दूसरी खास बात उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित अदालते हैं। यह वही विधेयक है जो राज्य सभा से पारित हो चुका है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक अनुमंडल, प्रत्येक मंडल में उभयलिंगी व्यक्तियों के मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाएगा और 10 लाख से अधिक की आबादी वाले प्रत्येक शहर में विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा।

अन्य खास बातें जो हैं वे हैं: प्राथमिक विद्यालयों में आरक्षण; रोजगार में अरक्षण; स्वास्थ्य परिचर्चा में सामाजिक सुरक्षा; कौशल विकास व रोजगार और शिक्षा के अधिकार की रक्षा। इससे बढ़कर जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि इस मूल विधेयकों में जो राज्य सभा से पारित किया जा चुका है, हमारे देश के सबसे कमजोर व वंचित वर्गों को सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी पहचान दी जा रही है। यही कारण है कि इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है और इसे पारित किया गया है।

अत: मेरा निवेदन है कि 'महत्वपूर्ण रूप से अभिन्न' विधेयक नहीं है। सरकार ने जिस विधेयक को पारित किया है उससे उद्देश्य की पूर्ण रूपेण पूर्ति नहीं हो रही है। मैं सरकार के रवैये की पूरी तरह सराहना करता हूं कि कम-से-कम संसद से एक कानून बनाया गया है, पर इससे उद्देश्य की पूर्णरूपेण पूर्ति नहीं हो रही है। यह "महत्वपूर्ण रूप से अभिन्न" विधेयक नहीं हैं जिसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। मैं यही बात कहना चाहता था। धन्यवाद महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष: फिर भी उद्देश्य और प्रत्येक बात समान है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, माननीय मंत्री श्री थावर चंद गहलोत इस विशेष मुद्दे पर कुछ बोलना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* वास्तव में यह एक अभिन्न विधेयक है और इस सभा द्वारा पारित किया गया है...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: क्योंकि सभा द्वारा इस उद्देश्य को पारित किया गया है।

...*(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है कि राज्य सभा से जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक पास होकर यहां पर आया था, लोक सभा ने 17 दिसंबर को उसी आशय का एक सरकारी विधेयक इसी सदन ने पारित किया है। उस पर

खूब चर्चा हो चुकी है। राज्य सभा से जो विधेयक पारित होकर आया था, वह अब अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि जिन उद्देश्यों को लेकर वहां से बिल पास होकर यहां आया था, उन्हीं उद्देश्यों को लेकर इस सदन ने भी शासन का जो विधेयक था, उसको पारित कर दिया है।

इसलिए अब उस विधेयक को चर्चा में लेना या उस पर निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सोचता हूं कि सदन सहमत हो तो अच्छा है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: यदि सभा सहमत हो तो विधेयक को विधेयक पंजिका में से हटा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

[अनुवाद]

अपराह्नं 16.25 बजे

संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015*

माननीय उपाध्यक्ष: अब, हम मद संख्या 173 लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल - उपस्थित नहीं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले, इस महत्वपूर्ण संवैधानिक (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने और इसका प्रस्ताव करने के लिए मैं माननीय सदस्य, और मेरे मित्र, श्री विंसेंट पाला जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा। मैं सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं। जिन्होंने पूरी चर्चा में भाग लिया था।

अपराह्न 4.26 बजे

(**श्री कलराज मिश्र** *पीठासीन हुये*)

सर, आप कुर्सी पर आ गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे संसदीय इतिहास में यह किसी बिल पर चलने वाली सबसे लंबी चर्चा है। एक तरह से रिकॉर्ड है कि सन् 2015 का संविधान संशोधन विधेयक, विन्सेंट पाला जी के बिल पर चर्चा चल रही है और आज इसका अंतिम जवाब देने का मौका मुझे मिला है। हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, क्योंकि इसमें इतने सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं कि सबका इश्यु भी इतने व्यापक रूप से हुआ है कि अगर मैं एक-एक बात का जवाब दूंगा तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी और जवाब बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 20-25 मिनट में समेट कर इसको खत्म करना चाहता हूं। सर, इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, वह मैं फिर से सदन के सामने दोहराना चाहता हूं। ऑटोनॉमस काउंसिल्स देश में बनी हुई हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में कुल मिला कर दस ऑटोनॉमस काउंसिल बनी हुई हैं, उनसे लोगों की आशाएं और आकाक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए और अधिकार मिलने चाहिए। यह माननीय सदस्य का कहना है।

[अनुवाद]

अगर मैं संविधान (संशोधन) विधेयक का पूरा उद्देश्य बताऊं तो मैं इसे तीन भागों में वर्गीकृत कर सकता हूं। पहला जैसा कि भारत के संविधान में मूल रूप से परिकल्पित किया गया जिला परिषद में सदस्यों की संख्या 30 से बढ़ाकर 40 की जाए। दूसरा, खानों और खनिजों से संबंधित आदिवासियों के पारंपरिक कब्जे को जिला परिषद की विधायी क्षमता के तहत लाना है।

तीसरा, आदिवासियों की रूढ़िगत प्रथाओं और हितों की रक्षा करना है। ये माननीय सदस्य द्वारा की गई तीन व्यापक मांगें हैं।

[हिन्दी]

सर, आपने तो देखा है, आप तो वरिष्ठ हैं, आपने पूर्वोत्तर में भी बहुत दौरे किए हैं। आपने देखा है कि वहां की जितनी भी ऑटोनॉमस काउंसिल हैं, वहां पर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हम लोग जब से सरकार में आए है। कोई हिसाब नहीं है, मैं खुद हर ऑटोनॉमस काउंसिल के डेलिगेशन से लगातार मिल रहा हूं और मैं आपके माध्यम से इस सदन को एक अच्छी खबर देना चाहता हूं कि ऑटोनॉमस काउंसिल में जो भी कमियां हैं, उनको पूरा करने के लिए कैबिनेट नोट भी तैयार हो गया है और मैं इस सदन को आश्वासन देता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, ऑटोनॉमस काउंसिल का जो अमेंडमेंड प्रपोजल है, उसको ले कर हम सदन में आएंगे।

कुछ बातें हैं, मैं आपको अभी बताना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले उन्होंने जो कहा है कि नम्बर्स बढ़ना चाहिए। ऑटोनॉमस काउंसिल में जो इलेक्टेड मैम्बर्स होते हैं, उस संख्या में इजाफा होना चाहिए। खासकर मेघालय और असम,

---

5 अगस्त, 2016 को श्री विन्सेंट एच. पाला द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी।

इन दो राज्यों में इसकी डिमांड भी चल रही है। मैं बताना चाहूंगा कि मैं पूरे फिगर्स यहां सदन में नहीं बता सकता हूं क्योंकि कैबिनेट नोट तैयार हो गया है, उसका अभी फाइनल डिसिजन नहीं हुआ है। जब तक कैबिनेट का फैसला नहीं होता है, तब तक मैं संख्या बता नहीं सकता हूं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि असम के अंदर दो ऑटोनॉमस काउंसिल है। एक है-कार्बी एंग्लोंग ऑटोनॉमस काउंसिल। दूसरा है- दीमा हसो ऑटोनॉमस टैरिटोरियल काउंसिल, इन दोनों का नम्बर इंक्रीज करने के लिए हमने एग्री किया है। इसको जल्दी से जल्दी हम फिर से पार्लियामेंट में लाएंगे।

दूसरा, मेघालय से हमारे सदस्य आते हैं। मेघालय में गारो हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल है, खासी हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल है, जैंतिया हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल है, तीनों के प्रस्ताव को हमने मंजूरी दी है और तीनों ऑटोनॉमस काउंसिल में भी मैम्बर्स को बढ़ा करके पार्लियामेंट में इसका कॉस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आने वाले हैं।

सर दूसरा इम्पोर्टेंट बिल उन्होंने कहा है कि जो माइन्स एंड मिनरल्स है, उनका कहना है कि माइन्स एंड मिनरल्स की जो अरेंजमेंट अथॉरिटी है, वह ऑटोनॉमस बॉडी को देनी चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संविधान में स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कनकरंट लिस्ट बनी हुई हैं। माइन्स एंड मिनरल्स को अगर हम ऑटोनॉमस काउंसिल को दे देंगे तो यह संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। संविधान का जो मुख्य ढांचा है, उससे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आप सूची देखेंगे, जो छोटे-छोटे रिसोर्सेज हैं, फोरेस्ट प्रोड्यूसेज वगैरह उसकी अथॉरिटी आपके पास है, लेकिन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, ये बड़े-बड़े जो आइटम्स हैं, जिनको देश के बहुत बड़े रिसोर्सेज मानते हैं, वह संविधान के मुताबिक उनको ऑटोनॉमस काउंसिल को नहीं दिया जा सकता है। मैंने माननीय सदस्य से अलग से भी बात की है कि कुछ चीज़ है, हम नहीं मान सकते हैं क्योंकि हमको संवैधानिक प्रक्रिया को मानना पड़ेगा।

सर, तीसरा प्वाइंट, जो उन्होंने कहा है कि *[अनुवाद]* आदिवासियों की रूढ़िगत प्रथाएं और हित *[हिन्दी]* इसकी लगभग हमने मंजूरी दी हुई है कि जो कस्टमरी लॉस है, कस्टमरी प्रेक्टिसेस हैं, जो कई सालों से पूर्वोत्तर के लोगों का, आदिवासी लोगों का अपना जीने का तरीका है, उससे सरकार ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करती है। उसके लिए छूट दी हुई है और जैसे जीना चाहे अपने तरीके से वे जी सकते हैं। इससे सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है। जो मुख्य बिंदु है, कॉन्स्टीट्यूशन को अमेंडमेंट करने का हमारा प्रस्ताव है, मैं दो तीन बातें आपको बताऊंगा। एक जितनी ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं, उसमें महिलाओं के प्रतिनिधि को सुरक्षित करने के लिए हमने कुछ प्रावधान रखने का निर्णय किया है। *[अनुवाद]* कतिपय आरक्षण हैं जो आपको पता चल जायेंगे। हम नामनिर्देशन में महिलाओं के लिए आरक्षण करने जा रहे हैं। *[हिन्दी]* जहां इलेक्शन होता है, उसमें कोई भी चुन कर आ सकते हैं, लेकिन जहां सरकार की ओर से नॉमिनेट करते हैं, उस नॉमिनेशन में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है हम चाहते हैं कि महिलाओं को परिषद में पूरा प्रतिनिधित्व मिले। उसके बाद में जो विलेज काउंसिल का प्रोविजन होगा, म्यूनिसिपल काउंसिल का है, दोनों में रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा गया है। जब हम इसको पारित करेंगे तो ऑटोनॉमस काउंसिल का जो चुनाव होगा, वह स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से होगा। अभी तक जो हो रहे थे, डिप्टी कमिश्नर की देख-रेख में चलते थे। अब हम इसको प्रोपर संवैधानिक दर्जा देने जा रहे हैं। कुछ नाम चेंज का भी इश्यू है, वह आपको मैं बाद में बता दूंगा। अभी बताने की आवश्यकता नहीं है। स्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए डिसक्वालिफिकेशन के प्रोविजन को रखा है कि आज आपने ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन किया, कल को आपने उसी को गिरा दिया। हॉर्स वगैरह होती है, उसको रोकने के लिए हमने डिसक्वालिफिकेशन का प्रोविजन प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में रखा है।

अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं और मैं मानता हूं कि उससे माननीय सदस्यगण को संतुष्टि मिलेगी। वह महत्वपूर्ण बात स्पेशल फाइनेन्शियल प्रोविजन है। अभी तक ऐसा होता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है तो वह आपका फंड रोक देती है। कोठ-कोई ऑटोनोमस काउन्सिल पूरी मरी पड़ी है, उसके पास पैसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट उसे टाइम से फंड रिलीज नहीं करती है। वे अपने स्टॉफ की सैलरी भी नहीं दे पाते हैं। उनके विकास के कई प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। उसे ठीक करने के लिए अभी हम जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, वह भारत के संविधान का आर्टिकल 280 है। *[अनुवाद]* स्वायत परिषद के लिए विशेष बजटीय आवंटन का प्रावधान था। राज्य वित्त आयोग बताएगा कि जिला स्वायत्त परिषद को कितना धन आवंटित किया जाए, जैसे पंचायत को, म्युनिसिपल

बॉडीज को फंड देते हैं, अब ऑटोनोमस काउन्सिल्स को भी फंड दिया जायेगा। यह उसमें मेंशन है।

माननीय सदस्यों ने काफी बातें उठायी थीं, मैं संक्षेप में उनका जवाब देना चाहता हूं। आपने हमारी सरकार से बहुत सारी चीजों की डिमांड की है। आपने हमारी सरकार से कहा कि पूर्वोत्तर में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से देखे तो मैं नॉर्थ-ईस्ट, जम्मू-कश्मीर और लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज्म एरियाज को आज इंडिया के तीन बड़े चैलेंजिंग एरियाज मानता हूं। ये तीन एरिया आज हमारे हिन्दुस्तान के लिए सबसे बड़े सिक्युरिटी चैलेंज हैं। हिन्दुस्तान की अखंडता को बनाये रखने के लिए इन तीन चैलेंज को हमें सही तरह से हैंडिल करना होगा। आज हम नॉर्थ-ईस्ट की बात करते हैं, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम हमारी इस 16वीं लोक सभा में बहुत से लोग नॉर्थ-ईस्ट की चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, आपको मालूम है कि एक समय ऐसा था, जब हम नये-नये चुनकर आये थे, यहां के बहुत सारे एम.पीज. को 8 नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स का नाम तक मालूम नहीं था। देश भर में, हिन्दुस्तान के अंदर कितने नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, बहुत से लोगों को इन राज्यों का नाम तक भी पता नहीं है। उसे समय ऐसी नौबत थी। आज उत्तर प्रदेश का सांसद, दक्षिण का सांसद भी यहां उठकर कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर पर ध्यान देना चाहिए। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। देश में अगर मैं कश्मीर की बात करता हूं, गोवा की बात करता हूं तो केरल वाला एम.पी. भी असम की बात कर सकता है, क्योंकि हम एक देश के नागरिक हैं और इस देश की संसद में हम सब सदस्य हैं तो एक-एक दूसरे के प्रति जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। जब नॉर्थ-ईस्ट के बारे में बात करते हैं तो मैं यह बताना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर के अंदर जितनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दुनिया में इतनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहीं नहीं हैं। आज भी वहां लोग पीड़ित हैं। वहां सिक्युरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है। एक-एक राज्य में बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप ऑर्गनाइजेशंस हैं। 16-17 साल के बच्चे हथियार लेकर जंगल चले जाते हैं। उन्हें स्कूल, कॉलेज जाना चाहिए, लेकिन वे बंदूक लेकर, बम लेकर, ए.के.47 लेकर जंगल में घूम रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आयी? जिस माननीय सदस्य ने इसे मूव किया है, वे कांग्रेस के सदस्य हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इसका इतिहास है। ऐसा नहीं है कि वर्ष 2014 से सारी समस्या खड़ी हो गई। नॉर्थ-ईस्ट में मैं खुद बहुत साल से राजनीति कर रहा हूं। मैं आज भी ऐसी-ऐसी जगह जाता हूं, जहां मुझे पता चलता है कि वहां से लोग अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आते हैं। सरकार के दरवाजे उसके लिए खुले नहीं हैं।

महोदय, मैं पिछले 4.5 साल की बात आपको बताना चाहता हूं। वहां ऐसे-ऐसे समुदाय हैं, जिनकी संख्या 10 हजार, 15 हजार, एक लाख या दो लाख होती है। वहां ऐसे हजारों समुदाय हैं। वे दिल्ली आकर भटकते रहते हैं। होम मिनिस्ट्री इतना बड़ा मंत्रालय है, हमारे यहां ज्वाइंट सेक्रेटरी से मिलने के लिए भी वे महीनों भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपाइंटमेंट नहीं मिलता है। वे वापस जाकर हथियार उठा लेते हैं। लोगों को इसे समझना चाहिए। समस्या की जड़ कहां है, समस्या क्यों पैदा होती है? हमारे यहां एक-एक समुदाय पूरा अंडरग्राउंड क्यों चले गये? इसका कारण है? क्या दिल्ली में उन लोगों के दर्द को सुनने के लिए किसी के पास समय है? इस हालत में देश चल रहा था। वर्ष 2014 पहली बार जब हमारी सरकार बनी और प्रधान मंत्री जी ने मुझे गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया, मैंने पहले दिन से ही यह सुनिश्चित किया कि पूर्वोत्तर का कोई एक भी आदमी हो या कोई संगठन हो, अगर वह दिल्ली आयेगा तो वह सरकार के प्रतिनिधि से बिना मिले वापस नहीं जाएगा। हमने यह निर्णय किया। हम ऐसा करके लोगों के दिलों को जोड़ते हैं। अब नॉर्थ-ईस्ट में अधिकारी लोग भी जाते हैं। प्रधान मंत्री जी से लेकर सारे सीनियर मिनिस्टर, जूनियर मिनिस्टर सभी लोग लगातार नॉर्थ-ईस्ट जा रहे हैं।

इससे एक ब्रिज बनता है, आपस में तालमेल बनता है। इसकी वजह से ही आज पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। वह ऐसे नहीं हुआ है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके लिए हमने ठोस कदम उठाया है और वहां के लोगों का दिल जीता है। वहां जो विकास की धारा बह रही है, वह निरंतर आगे बहती रहेगी, ऐसा मैं मानता हूं।

मैं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही पूर्वोत्तर में गया। पहली बार मैंने पूर्वोत्तर के लोगों से कहा कि आपने हथियार उठाया है, लेकिन किसी जमाने में उठाया है। पहले की केन्द्र सरकार ने आपकी उपेक्षा की है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। आपने हमारी गलती से हथियार नहीं उठाया, बल्कि किसी और सरकार की वजह से हथियार उठाया। हम आपसे बातचीत करने के

लिए तैयार हैं। हमने बातचीत करने की प्रक्रिया के दायरे को और बढ़ाया है। हम सभी से बात कर रहे हैं, चाहे वह छोटा गुट हो या बड़ा गुट हो। हमने दोनों तरीके अपनाये हैं, पहला यह है कि हम सभी से बात करेंगे और खुले दिल से बात करेंगे। दूसरे, खुले दिल तथा सही तरीके से बात करने के बावजूद भी अगर कोई देश के खिलाफ काम करता है, तो हम ठोस कदम भी उठाएंगे।

हम अंग्रेजी में कहते हैं कि 'आयरन फिस्ट इन ए वेलवेट ग्लोव' हम शॉफ्ट एप्रोज भी अपनाते हैं और हार्ड एप्रोच भी अपनाते हैं। जहां ऑपरेशन करना है, जहां इनोसेंट लोगों को मारा जाएगा, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, हम इसकी निगरानी कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* इसका नतीजा अभी मिल रहा है। श्री भर्तृहरि महताब जी ने जो कहा, वह सही है। हम लोग आपस में मिलते-जुलते रहते हैं। यह मेरी मन की बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया।

हम लोग जोर से कदम उठाने की बात नहीं कहते हैं। हम पहले मौका देते हैं, इसके बावजूद भी यदि कोई बाहरी ताकतें हैं, जो देश के खिलाफ काम करती हैं और उनके साथ जो मिले-जुले लोग हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हमने सही तरीके से काम करना शुरू किया।

महोदय, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, नॉर्थ-ईस्ट के अंदर इतनी डायवर्सिटी है, यहां बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं हैं। हमारे गृह मंत्रालय में जो नॉर्थ-ईस्ट डिवीजन है, वहां हमारे जो भी अधिकारी है, हम सभी सेंसिटाइज़ किए हुए लोग हैं। पूरे नॉर्थ-ईस्ट के बारे में सब को मालूम है कि क्या करना चाहिए और वहां के लोग क्या चाहते हैं। जिनके पास ज्ञान है, वही अधिकारी हमारे यहां काम कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पहले सरकार ने अपनी पॉलिसी में कुछ गलतियां की हैं, मैं ऐसा मानता हूं। हमारी ड्यूटी है कि जो गलतियां पहले हुई है, उनको कैसे सुधारा जाए? यह हमारा दायित्व है। वहां क्या नई चीज जुड़ सकती है, उसे भी हम कर सकते हैं।

जैसे कि अभी नॉर्थ-ईस्ट में आठ राज्य हैं। देश में हमारी जो मेन लेन है, उसके साथ दो परसेंट लोग जुड़े हुए हैं और 98 परसेंट पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्वोत्तर के लोगों को अच्छा काम मिले, उनको अच्छी तरह से मदद मिले, उनके विकास के लिए सही कदम उठाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 'लुक ईस्ट नीति' को बदल कर 'एक्ट ईस्ट नीति' बनायी है। 'एक्ट ईस्ट नीति' बनाने के बाद जो कार्य शुरू किया गया है, अभी प्रधानमंत्री जी लगातार नॉर्थ-ईस्ट जा रहे हैं। हमारे जितने भी मंत्रिगण हैं, वे लगातार वहां जा रहे हैं। अभी वहां सभी कोनों से लोगों को जोड़ने का काम शुरू हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछले साढ़े चार सालों में जो काम हुआ है, अगर वह 70 या 80 के दशक में हो जाता, तो वहां जो भी उग्रवादी घटनाएं तथा गड़बड़ी हो रही हैं, वे बंद हो जाती। अब जाकर यह धीरे-धीरे कम हुआ है।

महोदय, आपको मालूम है और जब आप पिछले साल की रिपोर्ट देखेंगे, हमने पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट रखी है। वहां जितनी भी घटनाएं हुईं हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस तथा सिविलियन का मारा जाना भी शामिल है। इनकी संख्या में लगभग 75 परसेंट की कमी आई है। यह कोई मामूली बात नहीं है।

हमारे आर्मी चीफ जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह बैठे हैं। जब वह थल सेना अध्यक्ष थे, उनको सारी चीजें पता है। आप उनसे पूछिए। नॉर्थ-ईस्ट में आर्मी तथा सिक्योरिटी फोर्सेस के सिर्फ ऑपरेशन होते रहते थे। वहां विकास की तो कोई बात ही नहीं करता था। अब हमने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा है, होम मिनिस्ट्री की जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, वहां इंडियन आर्मी के भी लोग हैं। अब वे बैरक में हैं और देश को डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग विकास को प्राथमिकता से आगे रखकर चल रहे हैं।

एक समय नॉर्थ-ईस्ट जाने के लिए लोग हमसे पूछते थे कि मैं नॉर्थ-ईस्ट जा रहा हूं, वहां सेफ है क्या, वहां जाने पर कोई मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, कोई बम नहीं फटेगा, कोई गोली नहीं चलेगी, जाना सही है क्या? लोग ऐसे डरते थे। आज टूरिज्म के सेक्टर में लोग भर-भर कर जा रहे हैं, कितना इजाफा हुआ है। पूरे माहौल में परिवर्तन हुआ है।

कांग्रेस के दोस्तों को मैं कहना चाहता हूं कि हम राजनीति की दृष्टि से ये सब चीजें नहीं देखते हैं। आपने जितनी बातें कहीं, मैं आपको सिर्फ उनका जवाब दे रहा हूं। हमारे काफी मेंबर्स ने, बी.जे.पी. के काफी मेंबर्स ने इस चर्चा में भाग लिया, कम्युनिस्ट के सदस्यों ने, कांग्रेस के सदस्यों ने, सब ने इसमें अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं।

इन सुझावों को हम गवर्नमेंट की पॉलिसी में इंक्ल्यूड करेंगे। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हमारी सरकार ने जो किया है, पुरानी कांग्रेस सरकार के जमाने में जो गलतियां हुई हैं, उसमें सुधार करते हुए हम आगे चल रहे हैं।

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए विनसेंट एच.पाला जी से अनुरोध करता हूं कि आपने जो-जो डिमांड्स की है, लगभग हमने उनको एग्री किया है। हमारा कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तैयार है, कैबिनेट नोट बन चुका है, हम उसे लेकर यहां आने वाले हैं। आपके दिल में कोई संशय होने या आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका जो प्राइवेट मेंबर बिल है, कांस्टीट्यूशनल अमेंडममेंट बिल है, आप उसको वापस ले लीजिए। हम सब मिलकर नॉर्थ-ईस्ट को हिंदुस्तान की मुख्यधारा में जोड़े और आप भी इसमें हमारा साथ दीजिए। हो सके तो आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, हमारे साथ आइए। यही हमारा फ्यूचर है।

श्री विनसेंट एच. पाला (शिलौंग): धन्यवाद महोदय।

माननीय मंत्री जी इतना शानदार उत्तर देने के लिए धन्यवाद। मैं उन सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया है। अपने लोगों की ओर से यह कहने में मुझे गर्व है कि गैर सरकारी सदस्य के किसी विधेयक पर यह अब तक हुई सबसे लंबी चर्चा है। मैंने यह दर्शाने वाली, सी.डी. इकट्ठे किए हैं कि उन्होंने विधेयक का समर्थन किया है और किन्होंने इसका विरोध किया है।

माननीय सभापति: आपने इतिहास रचा है।

श्री विनसेंट एच. पाला: मुझे इतिहास बनाने में सहायता करने के लिए धन्यवाद।

मैं मंत्री जी का आभारी हूं। उन्होंने कहा है कि केबिनेट नोट तैयार कर दिया गया है और हमारे द्वारा दिए गए अधिकांश प्रस्ताव, न केवल मेरे द्वारा अपितु अन्य सदस्य, जो बोले हैं, और इनमें श्री भर्तृहरि महताब भी शामिल हैं, उन्होंने काफी कुछ कहा है, द्वारा दिए गए प्रस्ताव भी शामिल किए जाएंगे। मैं नहीं जानता कि विधेयक कब लाया जाएगा परंतु मेघालय के लोगों को उम्मीद है कि विधेयक इसी सत्र में लाया जाएगा। परिषद के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है और यह फरवरी में आयोजित किए जाएंगे। यदि हम विधेयक को इसी सत्र में पारित कर देते हैं तो नए कानून के अनुसार, चुनाव लड़े जा सकते हैं जिनमें इतनी सारी चीजें शामिल की जाएंगी।

सर्वप्रथम, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि छठी अनुसूची में खानों के मुद्दे पर भूमि अवधि प्रणाली (लैंड टैन्योट सिस्टम) के कारण कुछ मतभेद हैं। भूमि जनजाति के लोगों की है। सरकार न इसे खरीद सकती है न नीलाम कर सकती है। यह मामला है तो जब आप संशोधन के लिए विधेयक लाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाए। वर्तमान भूमि अवधि प्रणाली के अंतर्गत, सभी मुख्य खनिज, कोयला, चूना पत्थर यूरेनियम की नीलामी सरकार द्वारा की जाएगी। उच्चतम न्यायालय के नवीनतम विनिर्णय के अनुसार, भूमि जनजातीय लोगों की है। अब खानें भी जनजातीय लोगों की है। इसलिए कानून इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि कोई विवाद न हो। इसकी समुचित रूप से जांच की जाए।

दूसरी बात, माननीय मंत्री जी ने परंपरागत कानूनों के बारे में बोला है। उदाहरण के लिए खासी और जयंतिया समुदाय के अधिकांश लोग हस्तशिल्प में काफी अच्छे हैं और कपड़ा उद्योग में कुशल हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार को कोलकाता या मुंबई में ऐसे केंद्र जहां पूर्वोत्तर के लोग जाकर काम करेंगे, स्थापित करने के बजाय यहीं एक स्वायत्त अनुसंधान केंद्र स्थापित करना चाहिए। यदि वे पूर्वोत्तर में एक कपड़ा उद्योग अनुसंधान केंद्र स्थापित करते हैं, तो वहां के लोगों को रोजगार मिल सकता है। यदि इसे नए कानून में, विधेयक या नियमों में भी शामिल किया जाता है, तो पूर्वोत्तर के लोगों को बहुत लाभ होगा।

महादेय, चूंकि पूर्वोत्तर का 90 प्रतिशत भाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है, सीमा के साथ भूमि कस्टम स्टेशनों पर काम किया जा सकता है। सभी भूमि कस्टम स्टेशन जो पहले से ही निर्माणाधीन हैं, अलग-अलग कारणों से उनके निर्माण में विलम्ब हुआ है। उदाहरण के लिए, हमने दाऊकी लैंड कस्टम स्टेशन के लिए आधारशिला रखी थी, लेकिन इस पर काम बहुत धीमा है। मुझे बताया गया है कि कंपनी दिवालिया हो गई है। मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय को इसकी समीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कुछ किया जा सकता है। इस संबंध में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि मात्र एक या दो स्टेशनों को ही कार्यात्मक नहीं बनाया जा सके, लेकिन कई और स्टेशन बनाने का मार्ग भी खोला जा सके ताकि जनजातीय और लैंडलॉक क्षेत्रों को विकसित किया जा सके।

हमारा संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि पैरा 12 (क) (ख) संविधान के भीतर एक संविधान की तरह है जो सरकार को अधिकार देता है कि वह भारत के राष्ट्रपति

को सिफारिश करे कि जिला परिषद के पक्ष में अधिसूचना दी जाये। मुझे लगता है कि इस पैरा 12 (क) (ख) को खानों और अन्य नियमों के लिए भी लागू किया जा सकता है।

आपके द्वारा दिए गए सभी उत्तरों से मैं खुश हूं। ज्यादातर सदस्य, विशेष रूप से भा.ज.पा. के सदस्यों जिन्होंने बोला है, ने विधेयक का समर्थन किया है और कुछ सुझाव भी दिए हैं। जैसा कि आपने आश्वासन दिया है कि इस विधेयक को पारित करने जा रहे हैं, मुझे विधेयक को वापस लेने में कोई समस्या नहीं है। मैं जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों की शक्तियों के गठन के लिए लागू करने में भारत के संविधान की छठी अनुसूची में और संशोधन करने के लिए विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है

"कि जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों की शक्तियों और जिला परिषदों के गठन के लिए इसे लागू करने में भारत के संविधान की छठी अनुसूची में और संशोधन करने के लिए विधेयक को वापस लेने के लिए अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री विनसेंट एच. पाला: मैं विधेयक वापस लेता हूं।

माननीय सभापति: माननीय सदस्यों, मद संख्या 175 और 176 के संबंध में राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, सभा अब मद संख्या 177 पर विचार करेगी।

अपराह्न 4.52 बजे

टेलीविजन प्रसारण कंपनी (विनियमन) विधेयक, 2015

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों द्वारा ब्रॉडकास्टिंग चैनलों को बंद किए जाने तथा उससे संबंधित विषयों का विनियमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, इस घटना से पहले मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। यहां व्हिप जारी होने के कारण मैं घर नहीं जा सका, कल मेरे गुरुदेव का जन्म दिन था। मुझे उन्हीं की बात इस बिल के संदर्भ में याद आई। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि सूचना और सोचना, अगर ये दोनों चीजें साथ होंगी तो निश्चित रूप से परिणाम भी ठीक होंगे और निर्णय भी सही होगा। जब मैं इस बिल की बात करता हूं, जिन ब्रॉडकॉस्टिंग कंपनियों के बारे में सदन में चर्चा कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि सदन इस पर गंभीरता से विचार करेगा। पहली चीज आती है, जितनी भी ब्रॉडकॉस्टिंग कंपनियां हैं, वह काम क्यों करती हैं? वह व्यापार के लिए करती है या परोपकार के लिए करती हैं। मैं मानता हूं कि जब कभी कोई जागरण का काम होगा तो वह व्यापार नहीं हो सकता है, वह परोपकार ही हो सकता है। जब कभी देश में कोई न्यूज चैनल चलता है, जब यह चर्चा मेरे मन में आई थी, उस समय किसी भी न्यूज चैनल का रजिस्ट्रेशन भारत मे नहीं होता था बल्कि बाहर के देशों से रजिस्ट्रेशन कराना होता था और हम उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाते थे। उस समय सेट-टॉप बॉक्स का बिल इसी सदन के भीतर आया था, उस समय भी मैंने यही बात कही थी। पिछले दो वर्ष पहले अचानक कोई चैनल बंद हो गया, उसके भीतर जितने वरिष्ठ पत्रकार, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को चलता कर दिया गया। यह पता चला कि सरकार को उनको कुछ देना है, केवल एक करोड़ रुपये जो पड़ा हुआ है उसको राजसात कर देना है।

सभापति महोदय, मुझे उसी दिन लगा कि कहीं-न-कहीं इस पर अंकुश की जरूरत है। सदन इस पर चर्चा करे। सरकार कानून लेकर आएगी, सरकार के बहुत-सारे कानून हैं। जब वे कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, तो कंपनी एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु अक्सर ऐसा नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि जो टेलीविजन कंपनियां हैं, उन उसके सामाजिक सरोकार इतने बड़े हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र इतने बड़े हैं कि कोई भी उन पर बहुत आसानी के साथ उनके खिलाफ जाना नहीं चाहता, उन पर हाथ नहीं डालना चाहता। मैं सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि हम किस दृष्टिकोण से इन पर चर्चा करें। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो मैं उनके खिलाफ खड़ा हूं, ऐसा नहीं है।

मैं मजदूरों के बीच काम करता था, तब भी मैं यह बात महसूस करता था कि कभी कोई फोटोग्राफर या वीडियोग्रॉफर अगर किसी एक्सीडेंट में मारा जाए, तो उसके प्रभाव के कारण उसको कोई मदद मिल जाए तो मिल जाए अन्यथा उसकी कोई सोशल सिक्योरिटी की गारंटी

नहीं है। अगर उस मीडिया ग्रुप का कोई रेग्युलर इम्पलाई है, तब तो उसकी पेमेंट के साथ में उसकी इंश्योरेंस होगी, लेकिन अगर वह परमानेंट इम्पलाई नहीं है, तो चाहे वह कितनी ही वर्षो से काम कर रहा हो उसकी सोशल सिक्योरिटी की गारंटी ऑन पेपर कहीं पर एक नम्बर पर नहीं है, यह बात बिल्कुल साफ है। मुझे लगता है कि जब कभी चैनल बंद होता है, तो उसकी कानूनी बाध्यता कुछ है कि नहीं? उससे जुड़े हुए समूह में लगे हुए लोग जो लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी मदद करते हैं, उसके लिए कामकाज करते हैं। क्या उनके जीवन के, उनके बच्चों के, उनके परिवारों के भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए? मेरा इस विधेयक को लाने के पीछे अगर कोई मकसद है तो मकसद सिर्फ इसी घंटना के कारण है। इसलिए सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जागरण के इस पवित्र उद्देश्य से जो काम शुरू हो रहा है, आज देश में दुर्भाग्य से वह कहीं-न-कहीं सिर्फ व्यापारिक और निजी हितों तक ही सीमित रह गया है। इसलिए मुझे लगता है कि कभी इस सदन को निश्चित रूप से इन तमाम कंपनियों को जो टेलीविजन की ब्रॉड कॉस्टिंग कंपनियां हैं, इनका एक बार आबजर्वेशन होना चाहिए। लोग कह सकते हैं कि उनका कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन है, तो कंपनी एक्ट के तहत कार्रवाई हो।

दूसरी बात यह है कि ये कंपनियां जब काम करती हैं, तो उनके काम करने के तरीकों पर, लोग कहेंगे कि यह प्रसार भारती है, कोई कुछ और कहेंगे। लेकिन, मुझे लगता है कि अभी भी उस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस सदन में तमाम वरिष्ठ लोग है, जो इस पर अपनी बात कहेंगे। लेकिन, प्रसार भारती हो या अन्य कोई प्लेटफार्म्स हों, वे कभी बहुत आसानी के साथ इन पर कार्रवाई करने की क्षमता नहीं रखते हैं, वह अधिकार उनके पास नहीं है। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि कहीं-न-कहीं यह किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, किसी समूह की ताकत का सवाल नहीं है कि वह किसकी विचारधारा के साथ जाता है, किसके साथ नहीं जाता है। मेरे जैसा व्यक्ति यह बात मानता है कि हम जब कभी किसी को मौखिक रूप से कोई बात कहते हैं, सुना देते हैं या वह पढ़ लेता है, वह उतनी प्रभावशाली नहीं होती है और ज्यादा मारक भी होती है। प्रभाव का मतलब यह नहीं है कि वह नुकसान नहीं करेगी। दूसरी बात आती है कि जब वह इतना प्रभावी तंत्र है, इतना प्रभावी प्लेटफार्म है कि आसानी के साथ कोई सरकारें इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होती, तो आम आदमी की क्या हैसियत है, उसके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी की क्या सामर्थ्य है कि वह जाकर उनके खिलाफ लड़ेगा या उनके सामने जाएगा या उनके खिलाफ न्यायालय में जाए। यह सब इतना आसान नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनना चाहिए, जब यह इतनी जवाबदेही का सिस्टम है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया है। आखिर यह भी मीडिया का ही हिस्सा है। जब इतनी बड़ी जवाबदेही का तंत्र है, जो सबकी समीक्षा का अधिकार रखता है, जो सबके बारे में जब मर्जी आए अपनी बात बेवाक तरीके से कहता है। इस देश में आजादी है, बाकी देश में होगी या नहीं होगी। इसका मतलब है कि समाज के एक बड़े वर्ग को निश्चित रूप से प्रभावित करता है, यह बात बड़ी साफ है। जब इतना प्रभावशाली तंत्र अपने आप में सामने खडा है और उसके बाद उसके भीतर ही इतनी सारी विसंगतियां हों, उदाहरण के लिए वे हमारे बारे में या सरकार की नीतियों के बारे में, राज्य सरकार की नीतियों के बारे में, मजदूर संघों के बारे में, जब इस बात की वह समीक्षा करता है, कोई भी इलेक्ट्रानिक चैनल या कोई भी मीडिया ग्रुप जब यह बात डिस्कशन करता है कि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है?

अपराह्न 5.00 बजे

सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के जितने पैमाने, नियम और कानून हैं, वे ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तब जरूर उंगली उन पर भी उठती है कि जब आप चैनल बंद करते हैं तो आपके अधीनस्थ काम करने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? वे भी देश के उस कानून के तहत आते हैं, उन तमाम कानूनों और मर्यादाओं से बंधे हुए लोग हैं। आप तमाम लोगों की समीक्षा करेंगे, आप कानून की समीक्षा करेंगे, उन कानूनों का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी समुदाय की समीक्षा करेंगे, कानून बनाने वाले राजनेताओं की समीक्षा करेंगे, राजनीतिक दलों की समीक्षा करेंगे, लेकिन जब आप पर गुजरती है, आपके लोगों पर गुजरती है और आपके द्वारा गुजरती है, तब उसकी समीक्षा कौन करेगा? मेरे इस बिल को लाने के पीछे यही दर्द था। इसलिए मैं कहता हूं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बिना किसी बंदिश के या बिना ऐसे किसी फ्रेमवर्क के हो तो मुझे लगता है कि यह देश के

भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इस नाते मैं यह बिल आज सदन में लेकर आया हूं। उनकी जवाबदेही है और वे नैतिक रूप से ज्यादा जवाबदेही हैं। जब आप कोई चीज दिखाते हैं, खासकर उस क्षण जब लाइव टेलीकास्ट होता है, ऐसी विसंगतियां सामने आती हैं कि असंसदीय शब्द है 'झूठ', लेकिन यह बात है कि कुछ 'झूठी' खबरें निकल जाती हैं, कुछ गलत बातें निकल जाती हैं। कुछ त्रुटिपूर्ण बातें रिले हो जाती हैं, भ्रामक सूचनाएं भी उसके साथ में जाती हैं। तीसरी बात यह होती है कि विवेक के आधार पर इस बात को तय करना कि क्या चीज प्रसारित होनी चाहिए और क्या चीज प्रसारित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास एक तंत्र है, आप कहते हैं कि यह हमारे ग्रुप एडिटर हैं, एडिटर हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नीचे तक और भी तमाम पद हैं। फिर गलतियां कैसे हो सकती है? अगर गलतियां हुई हैं तो उन जवाबदेही लोगों का एक बड़ा चैनल है, उसके बाद भी अगर गलती होती है तो उसकी जवाबदेही किस पर जाएगी? क्यां इस प्रकार की गलतियों पर कोई अंकुश लगाने का कानून देश में है? यह जवाबदेही क्या सिर्फ नैतिक रह जाएगी? क्या कानूनी रूप से जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए?

मेरे इस बिल की दूसरी मंशा यह है कि जब इतना प्रभावशाली मंच है और अगर उससे कोई गलती हो गई है तो स्वाभाविक है कि वह बड़ी जगह पर बड़ा नुकसान करेगी, क्या ऐसी जगह पर कानून नहीं होना चाहिए? क्या तात्कालिक रूप से जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? यह मेरा दूसरा आशय है। तीसरी बात मैं यह कहता हूं कि हम सरकार के सरोकारों की बात करते है। समाज के सरोकारों की बात करते हैं, हम बाकी समूहों के सरोकारों की बात करते हैं तो क्या मीडिया समूहों के सरोकारों की बात नहीं होनी चाहिए? यह मेरा तीसरा बिंदु है। मैं चाहता हूं कि निश्चित रूप से इनके सरोकारों के बारे में विचार होना चाहिए।

यह दौर अब सिर्फ इतना सीमित नहीं रहा है कि भारत का कोई मीडिया ग्रुप या मीडिया कंपनी काम कर रही है। अब अन्य तमाम देशों के बड़े ग्रुप आकर, हमारे इन ग्रुपों में शामिल होकर उस अभियान को और तेज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह परिस्थिति हमारे सामने आ चुकी है, जब हमने एफ.डी.आई. का रास्ता खोला और बाहर से दूसरे मीडिया ग्रुप्स उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करने लगे और यहां पर मीडिया ग्रुप या कंपनीज चलाने का काम कर रहे हैं। तब मुझे लगता है कि इस सदन को बहुत जल्दी इस पर भी विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि बातों को हम तय करते हैं, जो लोग हमारे प्रति या हमारे देश के प्रति अच्छा भाव नहीं रखने वाले हैं, कहीं वे इसे अपने दुष्प्रचार का माध्यम तो नहीं बना लेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि हम किसी पर शंका न करें। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि उस समूह में कौन लाभ कमाता है, लेकिन कुछ चीजें हैं, जिनके बारे में निश्चित रूप से कानून की शक्ल होनी चाहिए या ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके भीतर इनकी समीक्षा हो सके।

मैं सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करता हूं कि मीडिया सेक्टर में जो कंपनीज होती हैं, उनमें कुछ चीजें तय होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे किसी डॉक्टर के बारे में समाचार आया, हमने समाचार में सुना या पढ़ा कि ऑपरेशन हुआ और मरीज के पेट में एक तौलिया रह गया। सबको पता है कि तौलिया पेट में नहीं रह सकता, कोई ब्लड सोखने का कॉटन या कोई छोटी-मोटी चीज हो सकती है, लेकिन अगर हम उसे तौलिया कहेंगे तो जो आम आदमी उसे देख रहा है या सुन रहा है, उसे लगता है कि पांच-छ: फीट का कोई तौलिया पेट में रह गया होगा। मुझे लगता है कि जब कभी ऐसी बातें चलती हैं तो क्या जवादेही तय नहीं होनी चाहिए? आखिर हम इतनी अतिरंजना के साथ किसी बात को कहकर समाज में कौन सा भला करने वाले हैं?

क्या समाज में एकता नहीं होनी चाहिए? हम पर तो बहुत-सी नैतिक जिम्मेदारियां डाली जाती हैं। हर जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी है भी कि उसके द्वारा भूल से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या यह जवाबदेही चौथे स्तंभ पर नहीं होनी चाहिए, क्या ऐसी कंपनियों की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब हम इस बिल पर चर्चा कर रहें हैं, तो हमें एक-एक चीज पर बात करनी चाहिए। यह ठीक है, वह प्रभावशाली तंत्र है, प्रभावशाली मंच है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि इस बात की आज़ादी मिल जानी चाहिए कि उसकी जो मर्ज़ी आए, वह करता रहे। एक छोटी-सी बात का असर हुआ कि उसके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों के साथ ऐसा हुआ।

मैं जबलपुर की एक घटना से प्रभावित था। एक पत्रकार की उसके घर के सामने...उसी दिन उसके बच्चे

का जन्म हुआ था। विधवा पत्नी थी, वह नौज़वान थी, उसके आगे-पीछे कोई नहीं था। जब उसकी लड़ाई शुरू हुई, चूंकि वह कहीं पर एनरोल नहीं था, वह किसी का एम्प्लाई नहीं था। अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं होती, तो उसको दस लाख रुपये की भी राहत नहीं मिल पाती। ऐसी दो-तीन घटनाओं ने मेरे जैसे व्यक्ति को उद्वेलित किया। एक तरफ हम सामान्य मज़दूर के लिए कानून बनाने की बात करते हैं। लेकिन ये पढ़े-लिखे लोग हैं, समाज के सरोकारों के लिए काम करने वाले मीडिया-पर्सनल्स हैं, क्या उनकी ज़िन्दगी में इस प्रकार की राहत नहीं होनी चाहिए, इस बात का संरक्षण नहीं होना चाहिए?

जो मैं बिल लेकर आया हूं, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसी एक कंपनी भर के बारे में विचार किया जाए, बल्कि कंपनियों के कामकाज पर भी विचार किया जाना चाहिए कि वे कैसे काम करती हैं। अपने गठन के समय वे जिन उद्देश्यों को पूरा करने की बात करती हैं, वे उनके विपरीत तो नहीं जा रही हैं। हम कई बार यह सोचते हैं कि यह लीज़ है, स्कूल बनाने के लिए, लेकिन जब हम स्कूल नहीं बनाते है, तो उसकी लीज़ कैंसिल हो जाती है। हम कहते हैं कि आपने जिस काम के लिए यह भूमि ली थी, अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया, आपने उसकी लैंड यूज़ बदलने की कोशिश की है, तो आपकी लीज़ समाप्त हो जाएगी।

जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां हैं, वे जिन उद्देश्यों के लिए पंजीकृत होती हैं और अपना काम शुरू करती हैं, जब वे अपने उद्देश्यों के खिलाफ जाती हैं, तो कहीं-न-कहीं उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं।

जब मैं यह बात कहता हूं कि वे पैसे कमाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए विज्ञापन जगत है। सरकार के पास नियम हैं, उनके अपने रेट्स हैं। सरकार जब विज्ञापन देती है, तो उसके अपने रेट्स हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसी कोई पारदर्शी व्यवस्था है, जिसके तहत सरकार के लिए जो रेट्स हैं, सरकार उसी के आधार पर भुगतान करेगी, लेकिन प्राइवेट एजेंसीज़ के लिए अलग व्यवस्था है। लेकिन वह कभी स्पष्ट नहीं होता है कि हम उसे किस सीमा तक ले सकते हैं। यह कोई ऐसा व्यापार नहीं है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसमें मनमर्ज़ी करने की छूट होगी। यह ठीक है कि सरकार को दस रुपये लगेंगे क्योंकि सरकार समाज के लिए काम कर रही है। वह टैक्स पेयर्स का पैसा है, लेकिन यदि आपको लगता है कि यह कमर्शियल है, यह भी कमाएगा, तो आप उसमें रेट तय कर दें। क्या इसके लिए भी कोई कानून है? इसके लिए भी कोई सीमाएं हैं? जब आप एक तरफ पूरे समूह के लिए लाभ कमाने का काम करते हैं, तो आपको उसकी भी चिंता करनी चाहिए, जो समूह में पैसे कमाने के लिए आपका सहयोगी था, चाहे वह कैमरामैन हो, पत्रकार हो, संपादक हो। क्या रैशनलाइज़ेशन तरीके से उनको उसका लाभांश मिलता है? ऐसी कोई व्यवस्था मुझे नहीं दिखती है। यदि ऐसी कोई व्यवस्था होगी, तो शायद मुझे मालूम चलेगा, मेरी जानकारी बढ़ेगी। लेकिन अभी मैं भाषण कर रहा हूं और अब तक मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किसी फॉर्मेट के भीतर कोई अपने निचले कर्मचारियों-सहयोगियों को लाभ देता है। यह बात मेरे ध्यान में नहीं है।

मुझे एक बात और लगती है कि जब कभी मैं कहता हूं कि समाचारों को गलत ढंग से प्रसारित न किया जाए, तो मेरे जैसे व्यक्ति की यह अपेक्षा है कि इस कानून के तहत यह भी प्रावधान होना चाहिए कि चाहे कोई एंकर हो, प्रबंधक हो, ग्रुप एडिटर हो, कहीं पर तो योग्यता की बात होनी चाहिए। मैं उनको अयोग्य नहीं कह रहा हूं। मेरा मतलब है कि विषय का जानकार होना चाहिए। यदि हम देखें, तो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे न्यूज़ चैनल्स चलते हैं, एक ही बातें रिपीट होती रहती है। लेकिन कहीं पर जवाबदेही तो होनी चाहिए कि हम समाज को क्या परोस रहे हैं, हम समाज को क्या देना चाहते हैं?

सभापति महोदय, इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ न्यूज़ नहीं, बल्कि बाकी चीज़े भी तो ये कंपनियां चलाती हैं। उसमें सीरियल्स होते हैं। क्या इनके लिए कोई जवाबदेही नहीं है? समाज में आप जो परोस रहे हैं, क्या वह हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप है? वह हमारी सामाजिक व्यवस्था को मज़बूत करेगा या कमज़ोर करेगा? वह हमारे मूल्यों को घटाएगा या मूल्यों को बढ़ाएगा? क्या वह मूल्यों को प्रेरित करने का काम करेगा? आने वाली पीढ़ी को वह जानकारी तो दे, दुनिया की जानकारी दे, लेकिन कम से कम इस ज़मीन की जानकारी भी दे, ताकि उसका रास्ता न भटके।

सभापति जी, मुझे लगता है कि जब कभी मैं यह बात कहता हूं, तो कुछ तो तय होना चाहिए कि वास्तव

में हम कहा से कहां जा रहे हैं। यह मेरा उद्देश्य था, इस बिल को लाने का। आगे, मैं यह भी अपेक्षा करता हूं कि जब कभी देश के लिए ये मीडिया ग्रुप्स बनते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत की थी, कि पहले जब कभी न्यूज़ चैनलों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए, तो भारत की ज़मीन से बाहर कराए। इसी सदन में जब मैंने पूछा था, तो यह बात सच साबित हुई थी। लेकिन ठीक है, आज हमारे देश में रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं। हम देश के लिए काम कर रहे हैं। हम देश की मज़बूती के लिए काम कर रहे हैं। क्या देश का चित्र समाज के सामने परोसने का काम हम कर रहे हैं? क्या वे चीज़े, जो हम बनाएं, जो हम बांटें, जो हम बताएं, क्या वे देश की संस्कृति को मज़बूत करने वाली हैं?

सभापति जी, क्या कभी इस आधार पर भी सरकारें इसे तय करेंगी? लोग कह सकते हैं कि मीडिया स्वतंत्र है, उसको सरकार बांध नहीं सकती है, लेकिन सरकार की और समाज की अपेक्षा तो है। जो अपेक्षा आप न्यायपालिका से करते हैं, जो अपेक्षा आप कार्यपालिका से करते हैं, जो अपेक्षा आप व्यवस्थापिका से करते हैं, वही अपेक्षा इस चौथे स्तंभ से करना क्या गलत है? इसलिए मुझे लगता है कि वह जवाबदेही वहां पर भी होनी चाहिए। डिस्कशन उस पर भी होना चाहिए। मैं उस नाते ही इस सदन में इस बात को रख रहा हूं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बात को कहता हूं। मैं दत्तोपंत थेंगड़ी की थर्ड-वे, तीसरा रास्ता किताब पढ़ रहा था। उन्होंने कहा था कि संस्कृति में भी हम बदलाव को स्वीकर करते रहे। हमने कभी इस बात पर हठ नहीं किया। धर्म ऐसी चीज़ है, जिसको बदला नहीं जा सकता। उसके सिद्धांतों को नहीं बदला जा सकता। लेकिन उन तमाम समयकाल परिस्थितियों के आधार पर संस्कृति में परिवर्तन स्वीकार होता है।

सभापति जी, हम देखते है कि जब कुंभ लगता है, तो हम बहुत सारी बातों को कालग्राही मानकर अलग करते हैं और नई बातों को अपने साथ में, सरोकार के साथ में जोड़ते हैं। लेकिन मीडिया कभी उन बातों को नहीं बताता है। अगर मीडिया बताए, कि कोई दिगम्बर साधु है, जो खड़ा हुआ है और चिलम पी रहा है, उसको तो वह प्रचलित करेगा, लेकिन 12 बरसो के एक युग के बाद में जो सामाजिक सरोकारों में होने वाले परिवर्तन है, उस पर जो गंभीर मंत्रणाएं होती हैं, जो हमारी श्रुतियों और स्मृतियों के आधार पर उनमें परिवर्तन होते हैं, उनका कभी उल्लेख नहीं होता है। क्या वह प्रमुखता के साथ नहीं होना चाहिए? यू.एन.ओ. ने भी मान लिया है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई समूह नहीं हो सकता, जिसमें कोई आमंत्रण नहीं बंटता, जिसकी बाकी कोई व्यवस्थाएं नहीं होतीं, जिसकी कोई सूचना नहीं होती, कलेंडर में पता नहीं ढूंढने पर एक छोटी सी लाइन मिल जाती है और अनपढ़ आदमी से लेकर पढ़ा-लिखा आदमी उस कुंभ में जाता है। वह उसमें अपनी व्यवस्था से जाता है और चला आता है। करोड़ों लोग जब इस व्यवस्था का पालन करते हैं, तो मुझे लगता है कि क्या ये चीज़ें इस समाज को और दुनिया को बताने के लिए नहीं है? यह सिर्फ देश का सम्मान नहीं है। यह सिर्फ देश का काम नहीं है, बल्कि दुनिया को बताने लायक चीज़ें हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है।

सभापति महोदय, मैं तीसरी बात शिक्षा के बारे में कहता हूं। हम शिक्षा को सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं मानते हैं। हम शिक्षा को सिर्फ स्कूल और कॉलेजों की पढ़ाई से नहीं जोड़ते हैं। हम कहते है कि समाज को भी पढ़ो और पुस्तकों को भी पढ़ो। जब दोनों को कोई पढ़ता है, तो वह शायद बहुत श्रेष्ठ नागरिक बनता है। जब कभी इन बातों पर चर्चा होती है, तो हमारी आलोचना हो। हमारी कमियां है, तो हमारी आलोचना है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या तुलना के आधार पर इन बातों पर इन मीडियों समूहों में कभी बातचीत होती है? जब मैं इन विषयों की बात करता हूं, यदि कोई रिसर्च की बात करेगा, तो उसी योग्यता के आधार पर जब वहां पर एंकर होगा, तब ही तो वह अपनी बात कह पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी विषय हों, उन विषयों का जानकार वहां पर हो। पुरातत्व की हमारे पास बहुत समृद्ध विरासत है, लेकिन जब हम को पढ़ाया जाता है और उससे यह कहा जाता है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जो हमसे ज्यादा पुरातन और प्राचीन हैं। बाद में धीरे-धीरे पता चलता है कि डॉक्युमेंटेशन करने में हमने कोई गलती कर दी होगी, लेकिन उसके बाद भी हम ज्यादा पुराने हैं। ऐसे अनेक मामले अब हमारे सामने आ गए हैं। इसके बावजूद भी क्या हम कभी इन कंपनियों से यह अपेक्षा नहीं कर सकते? क्या इन पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? हम भारत के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। हम भारत के हितों के लिए काम कर रहे हैं। हम भारत से ही कमा रहे हैं और भारत के लिए ही हम उसको देना चाहते हैं। जब आपका इतना बड़ा उद्देश्य है,

तो ऐसी बातों से दुनिया के सामने जो चित्र उभरकर सामने आता है, उसको साफ करने का काम कौन करेगा?

जब हम इस बात पर गर्व करते हैं कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी यू.एन. गए थे, तो वह पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने हिन्दी में भाषण दिया था। आज दुनिया भी उनका लोहा मानती है और हम भी गर्व के साथ अपना सिर ऊपर करते हैं। मीडिया ग्रुप्स के साथ में हमारी भी यह अपेक्षा होती है कि दुनिया में ये चीजें होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति: ये प्राइवेट मैम्बर्स रिजॉल्यूशन है, जो इनिशियेट करता है, उसको समय मिलता है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि जब कभी हम अपनी ऐसी चर्चाओं की अपेक्षा करते हैं तो इलैक्ट्रोनिक मीडिया, जो इतना बड़ा प्लेटफार्म है, यदि उस पर कोई अच्छा डिस्कसन होगा, कोई बेहतर बात उस पर होगी तो निश्चित रूप से दुनिया में हमारी अच्छाइयां भी जाएंगी। ये देश कभी भी आलोचना से नहीं घबराया है, संवाद और विमर्श से नहीं घबराया है। हमेशा हमने माना है कि विमर्श अच्छा हो, विमर्श हितकारी हो, विमर्श सकारात्मक हो, विमर्श आगे बढ़ने वाला हो। इसलिए मैं मानता हूं कि यह बेहतर प्लेटफार्म है, लेकिन इसकी सीमाएं निश्चित रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए कि वास्तव में उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं, उसके दायित्व क्या हैं?

सभापति जी, मेरा चौथा पॉइंट नदियों का है। हमारे पास में नदियां रही हैं। एक समय हम कहते थे कि हमारे यहां दूध की नदियां बहती थीं। अभी मैं एक जनसंख्या के कार्यक्रम से आया हूं, जो सौ करोड़ वीं बेटी थी, वह उस कार्यक्रम में आई थी। उसने जो बात कही थी, उसी को मैं दोहरा रहा हूं। उसने कहा था कि इस देश में एक समय दूध की नदियां बहती थीं, लेकिन अब तो नदियों में जल भी नहीं बहता है। नदियां भी सूखने लगी हैं। क्या यह चिंता का विषय नहीं है?

सभापति महादेय, मैं इस सदन को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अटल जी राज्य सभा के सदस्य थे। मैं वर्ष 1989 में पहली बार इस सदन में आया था। उस समय चंद्रशेखर जी देश के प्रधान मंत्री थे। अटल जी का वह भाषण मैंने राज्य सभा की दर्शक दीर्घा से सुना था। बात तो कुछ और थी। बात यह थी कि चंद्रशेखर जी को 'देशद्रोही' कहा गया था, लेकिन मूल्य स्थापित करने के बाद अटल जी ने राज्य सभा में कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध पीने के पानी के लिए होगा। देश में आबादी बढ़ रही है, देश की आबादी का घनत्व तेजी के साथ बढ़ रहा है। हमारी बारहमासी नदियां सूख रही हैं। जल का भीषण संकट है। इसके बाद भी यदि हम इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तो मुझे लगता है यह देश के हित में नहीं होगा। जल संकट है, जल का संकट दिख रहा है। हमारे मनीषियों में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोगों ने कहा है, यह सच भी है कि यह देव भूमि है। हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर के सोर्सेज़ दुनिया में सबसे ज्यादा है, मीठे पानी के सोर्सेज़ ज्यादा हैं, बहते हुए पानी में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ पीने के लायक है। मोदी जी के नेतृत्व में आज सरकार पीने के पानी के लिए बांध बनाकर बाकायदा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर रही है।

मैं अटल जी का जिक्र कर रहा था। अटल जी ने कितनी दृढ़ता के साथ वर्ष 1989 में जब मैं पहली बार संसद में आया था, तब उन्होंने यह बात कही थी कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पीने के पानी के लिए होगा। क्या सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि आने वाले 30-40 साल के लिए आगे तक सोचें? इसी मंशा से किसी की आलोचना के लिए यह बिल लेकर नहीं आए हैं, किसी के खिलाफ इस बिल को लेकर नहीं आए हैं। मीडिया की ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों का निर्वहन यदि ठीक तरीके से नहीं होगा और समाज में एक बार भ्रम फैल गया तो जो नुकसान वह करेगा, वह बहुत भयानक होगा। एक समय ऐसा था, उस समय पंचवर्षीय योजनाएं थीं। चुनाव हो हम जागरण का अभियान मानते थे, पर्व मानते थे। लोग भी पांच साल में चुनाव के समय सजगता के साथ सुनने के लिए जाते थे। बीच के काल खंड में मूर्धन्य लोगों को सुनने जाते थे, अटल जी जैसे लोगों को सुनने जाते थे।

तमाम पार्टियों के लोग, कर्मचारी और अधिकारी उनको सुनने के लिए जाते थे। अन्यथा ऐसे कार्यक्रमों में कार्यकर्ता के अलावा कोई भाग नहीं लेता था, कोई संख्यात्मक कार्यक्रम नहीं होते थे। यह बात मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि एक समय जागरण का एकमात्र अधिकार हुआ करता था, जब चुनाव का पर्व आता था, तब लोग मानते थे कि हमे नेताओं की सुननी चाहिए। उसके बाद हम अपने वोट का फैसला करेंगे। लेकिन आज मीडिया है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां हैं, चाहे वे न्यूज के माध्यम से अपनी बात कहें, चाहे डिबेट के माध्यम से

अपनी बात कहें या चाहे किसी सीरियल के माध्यम से अपनी बात कहें, ये निश्चित रूप से समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही हैं। उससे हम जैसे लोगों की अपेक्षा है कि हां, वे संस्कृति के बारे में बात करें, वे शिक्षा के बारे में बात करें, वे पुरातत्व के बारे में बात करें, वे नदियों के बारे में बात करें, वे वन के बारे में बात करें। आज अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं और वनीकरण की बात करते हैं, एक आंकड़ा शायद जिसे बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, मैं स्टैण्डिंग कमेटी में था। एक बार एक आंकड़ा आया कि डेन्सिटी ऑफ फारेस्ट इन-इन हिस्सों में बंट गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि डेन्सिटी ऑफ फारेस्ट आज से बीस साल पहले उन क्षेत्रों में बढ़ा था, जहां इनसर्जेन्सी थी। क्या डेन्सिटी ऑफ फारेस्ट यानी वन के घनत्व को बढ़ाने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया जाएगा? ये जो विसंगतियां आंकड़ों के रूप में बताई जाती है और मुझे लगता है कि जब कभी ऐसी चीजें सामने आती हैं, तब हम सबके जागना होगा और सबको विचार करना होगा। मैं उस नाते ही इस गंभीरता को कहता हूं कि जब कभी मीडिया तंत्र की बात आती है, किसी इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की बात आती है, तो उसी उद्देश्य से, उसी पवित्र भाव से मेरी अपेक्षा यह है कि मेरी बात सौ लोग सुनेंगे, हजार लोग सुनेंगे, पांच हजार लोग सुनेंगे। लेकिन आपकी बात तो लाखों-करोड़ों लोग एक बार में सुन रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी, तो वह कितने गुना नुकसान करेगी। मैं इस गंभीरता के कारण इस बिल को लेकर आया हूं कि हमको कहीं न कहीं तो तय करना ही पड़ेगा कि गलती होने के दुष्परिणाम क्या होंगे? उन दुष्परिणामों के बारे में जिम्मेदार कौन होगा? उन परिणामों की जिम्मेदारी तय करने के लिए क्या कानून होगा?

सभापति महोदय, मैं नार्थ-ईस्ट में अभी कुछ समय पहले पार्टी के काम से गया था। वहां पर सब जगह मीडिया नहीं है। लेकिन उसके बाद में ऐसी-ऐसी घटनाएं घटीं कि एक नौजवान खत्म हो गया, 56 दिनों तक उसकी लाश रखी रही थी, कभी मीडिया में नहीं दिखाया गया। मैंने इसी सदन में उसको उठाया था। यानी एक-एक साल से ज्यादा 11-11 लोगों की लाशें, वहां पर उन्होंने फ्रीजर में बर्फ के साथ रख दीं और कहते हैं कि एक साल से भी ज्यादा की घटना उस मणिपुर की धरती पर घटी है। अगर वही चीज मीडिया के किसी केंद्रबिंदु पर होती, तो मैं पूछता हूं कि क्या संभव था? मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं उसकी कोई वकालत नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि क्या ये अंतर समाज को ठीक करेगा, क्या समाज में यह एक-जुटता लेकर आएगा, क्या नुकसान नहीं करेगा? ये जो चीजें हैं, वे प्रश्न बनकर खड़ी हैं और जिनके उत्तर निश्चित रूप से हमें कानून की परिधि में खोजने पड़ेंगे। मेरा यह कहना है कि खनिज है, अनुसंधान है, खनिज की भी यही स्थिति है। मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा कि मैं हमेशा मानता हूं कि लेकिन हो सकता है कि लोग मेरी बात से सहमत न हों। ईश्वर ने किसी के साथ में अन्याय नहीं किया है। किसी को जमीन के ऊपर दिया है और किसी को जमीन के नीचे दिया है। लेकिन उन बातों को अगर हम सामने नहीं रखेंगे, तुलना नहीं करेंगे, तो यह निराशा बढ़ती जाएगी और हम उपभोक्तावाद की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, इन्डिविजूअल बेनिफिट पालिटिक्स की भी तरफ आगे बढ़ेंगे, हम प्रलोभन की भी बात करेंगे, हम लालच की भी बात करेंगे, हम ऐसा कर देंगे। मुझे लगता है कि यह सब प्रकार से नुकसानदेह होगा। मैं इस नाते मानता हूं कि इसकी जवाबदेही सबकी है, सदन की भी है, सरकार की भी है, इस मीडिया समूह की भी है और इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं, राजनीतिक विचारधाराओं पर, राजनीतिक चिंतकों पर, धर्मों पर, धर्म के तौर-तरीकों पर, उनकी पूजा-पद्धतियों पर, उनके नुकसान पर, उनके फायदे पर, इन सब पर भी बात हो सकती है। ज्वलंत प्रश्न बहुत से हैं। जनसंख्या है, पीने का पानी है, आतंकवाद है, ऐसा तमाम सवाल हैं, जिन पर समय की मर्यादा के साथ कहीं न कहीं चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मैं बिल ड्राफ्ट कर रहा था, तब मेरे मन में यही बात थी कि उन तमाम जुड़े हुए लोगों की सोशल सिक्योरिटी की गारंटी का क्या होगी, जिनके चैनल बंद हो जाते हैं, मेरा फोकस उसी बात पर था कि कहीं न कहीं उन ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों के बारे में हमें तय करना चाहिए कि उनके रजिस्ट्रेशन के समय आप जो भी उनसे सिक्योरिटी लेते हैं, उस सिक्योरिटी से सामाजिक सुरक्षा को पूरा नहीं किया जा सकता है। आपके रजिस्ट्रेशन की शुल्क अलग हो सकती है, लेकिन जो कर्मचारी उससे जुड़ते हैं, उनकी जवाबदेहियां भी किसी न किसी खाने में सुनिश्चित होनी चाहिए।

फिर तीसरी बात आती है कि आपने अपने कर्मचारियों के हितों के बारे में जरूर चिंता कर ली, उनके परिवार के बारे में कर ली। लेकिन उससे आगे इस देश के बारे

में भी तो सोचिए कि कम से कम आपके प्लेटफार्म से तो ऐसी गलती न हो जो देश को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा दे। यदि हमने एक भ्रम भी इस समाज के भीतर खड़ा कर दिया और जो खतरनाक साबित हुआ तो वह देश और समाज के लिए हितकारी नहीं होगा और उसके लिए जवाबदेही किस पर जाएगी, यह कानून के फ्रेमवर्क में कहीं न कहीं आना चाहिए। चौथी और अंतिम बात मैं कहूंगा कि जब कभी ऐसे अवसरों पर, यह हमारा काम नहीं है, यह सरकार का काम नहीं है, यह उसी संस्था का काम है, जो अपने उस ऑर्गनाइजेशन को खड़ा करती है, उसको यह तय करना होगा कि वास्तव में वह जिस विषय को सामने रख रहा है, उसका योग्य व्यक्ति उसके पास है कि नहीं, आखिर वे ढूंढते हैं, लेकिन जब कोई नहीं मिलता है तो किसी को भी पकड़ पर बिठा लेना और बाद में वह जो कहे और वह लाइव पूरा देश देखे, हो सकता है कि लोग उससे असहमत हों, नाराज़ हो जाएं, उसकी आलोचना कर दें, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे, जो साफ-स्वच्छ बच्चों का जो मानस होता है, उसको वे प्रभावित कर गए, तो वह नुकसान करेगा।

सभापति महोदय, जनसंख्या के इन्हीं कारणों से मेरे जैसा व्यक्ति चिन्तित होता है और मानता है कि इन सबमें हमको एकजुट होना चाहिए कि जनसंख्या में हम अटल जी की उस बात को तो ध्यान में रखते हैं कि वोट के लिए तो सिर गिने जाते हैं और काम के लिए हाथ गिने जाएंगे। अगर वे सही दिशा में है तो वे लाभ देंगे, लेकिन अगर एक प्रतिशत हाथों में हथियार चले जाएंगे तो देश और समाज का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए ऐसा कहना कि थ्योरी एक सी हो सकती है, सबका अपना मानस हो सकता है, सबका अपने सोचने का तरीका हो सकता है। मुझे लगा कि यह सदन में रखना चाहिए, इस नाते मैं इस विधेयक को लेकर आया हूं।

सभापति महोदय, मैं अपेक्षा करता हूं कि लोग इस पर चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से कोई रास्ता निकलेगा और मेरे जैसे लोगों के मन में जो छोटी-मोटी शंकाएं हैं, उनका समाधान करेगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सर, एक बड़ी बात है कि आज गतिरोध दूर हुआ है। जो गतिरोध कई दिनों से लोक सभा में चल रहा था, किसी भी कारण हो, आज गतिरोध दूर हुआ है, और गतिरोध इस प्राइवेट मेंबर्स बिज़नस में भी दूर हुआ है। दो सालों से एक गतिरोध चल रहा था, वह गतिरोध आज दूर हुआ है। प्रहलाद जी का यह जो विधेयक है, जब हमने देखा और सुना कि यही बिल आज आने वाला है, तो मैंने सोचा कि अच्छी बात है कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज़ रैग्युलेशन बिल, 2015 पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहली दृष्टि में तो मुझे लगा कि यह तो कंपनीज एक्ट के जरिए हो सकता है और यह रैग्युलेशन की आवश्यकता क्या है। जैसे कंपनी बनती है और कंपनी बंद होती है, उसका एक कायदा है। उस हिसाब से कंपनी एक्ट के अनुसार यह रैग्युलेशन होना चाहिए। जो चीज़ अपने वक्तव्य में प्रहलाद जी ने एक-एक कर के जो बिंदुएं रखे हैं, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर और भी गौर करने की जरूरत है। क्योंकि इन्होंने इस विधेयक में रैग्युलेटर मैकेनिज्म बनाने के लिए कहा है, रैग्युलेशन शब्द व्यवहार किया है, यह सिर्फ कंपनी के जरिए ही हो सकता है कि नहीं, इसका उत्तर हम मंत्री जी की तरफ से सुनना चाहेंगे। कंपनी एक्ट के जरिए यह होगा या इसके लिए अलग रैग्युलेटरी बॉडी बनाने के लिए एक प्रस्ताव इस विधेयक में है। उसके हिसाब से आज सुनने के लिए मिलेगा। *[अनुवाद]* लेकिन मुझे लगता है कि बिल में मुश्किल से 42 लाइनें हैं। सामने वाले पेज पर छह लाइनें और दूसरे पेज पर 36 लाइनें हैं। ये मुश्किल से 42 लाइनें हैं। इन 42 लाइनों में, जब कोई बिल के विवरण देखता है या जब कोई लाइनें पढ़ता है, तो मेरे दिमाग में मूल विचार यह उत्पन्न होता है कि क्या वह एक लाइसेंसिंग निकाय के लिए पूछ रहा है?

अगर किसी को कंपनी बनानी है, वह कंपनी एक्ट के ज़रिये कंपनी बनेगी। अगर किसी को बंद करना है तो वही रेग्युलेटरी बॉडी के जरिये पहले परमिशन लेगी, अप्लाई करेगी, उसके बाद अगर किसी को वह परमिशन मिलती है, तो उस हिसाब से उसको बंद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने क्लॉज 4 में रखा है। *[अनुवाद]* "इस अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर केंद्र सरकार एक समिति का गठन करेगी, जिसे विनियामक समिति के रूप में जाना जाएगा।

विनियामक समिति में टेलीविजन प्रसारण कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति शामिल होंगे।" *[हिन्दी]* जिसका एक्सपर्टाइज है। इन्होंने नहीं लिखा कि मैनेजरियल होगा या नहीं और इससे जो विधेयक का मूल भाव इन्होंने

रखा है। *[अनुवाद]* "टेलीविजन प्रसारण चैनलों के कर्मचारियों का सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति।"

[हिन्दी]

"अपनी बात कहने के लिए और स्टेकहोल्डर्स के इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यह एक प्रोविजन इन्होंने प्रस्तावित रेग्युलेटरी कमेटी में रखा है। पर क्लॉज 5 में जो लिखा है।" *[अनुवाद]* "जो कंपनी अपने प्रसारण चैनल के संचालन को बंद करने का इरादा रखती है, वह विनियामक समिति के पास इस प्रकार और तरीके से आवेदन करेगी जैसा कि विहित किया गया है।" *[अनुवाद]* इसका अभिप्राय, यह नियमों के द्वारा किया जाएगा। *[हिन्दी]* इनका प्रस्ताव है, जो-जो रूल बनेगा, जब भी बनेगा, यह सारे पार्लियामेंट में प्रस्थापित होगा। *[अनुवाद]* "इसलिए, निजी चैनलों या सरकारी चैनलों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, इस विधेयक की पहली और महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। विनियामक समिति को किसी टेलीविजन प्रसारण चैनल को बंद करने के बारे में निर्णय लेने से पहले, उस चैनल के कर्मचारियों को सुनने का अवसर देना चाहिए।"

[अनुवाद]

लेकिन कर्मचारियों को उलझन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यही उन्होंने कहा है, और शायद, वह जानता है।

[हिन्दी]

जिस तरह कई कंपनियां बनीं *[अनुवाद]* यह मध्य प्रदेश में हुआ होगा। देश के कई हिस्सों में ऐसा हुआ होगा। यह नॉर्थ-ईस्ट में भी हुआ है। कई चैनल उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ आए, जो पिछली शताब्दी के अंत में, शुरू हुआ और हमारे बाजार के उद्घाटन के साथ, निवेश किए गए। लेकिन बाद में, शुरू हुआ और हमारे बाजार के उद्घाटन के साथ, निवेश किए गए। लेकिन बाद में, जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति का नियम हमेशा प्रबल होता है, प्रकृति का कानून का अर्थ है जो फिट है, जो फिटेस्ट है, जिसको हम कहते हैं वही जीता है। फिटेस्ट की जो डेफिनेशन है, वह अपने-अपने विचारों में अलग-अलग मायने रखते हैं। आज के जमाने में जो स्मार्ट है, जो कनिंग है, जो सराउंडिंग्स में एडेप्ट कर सकते हैं, वह बच सकते हैं, वह सरवाइव कर सकते हैं और लॉ ऑफ नेचर वही है कि जो सराउंडिंग्स में एडेप्ट कर सकते हैं, वही सरवाइव करते हैं। मैं कहता हूं कि विनियामक समिति 3 माह के भीतर निर्णय लेगी। यह एक अच्छी बात है कि इसे समयबद्ध रूप में किया गया है। यह ओपन एंडिड प्रावधान नहीं है कि एक ऐप्लिकेशन आ गई, तभी आप निर्णय ले सकते हैं। *[अनुवाद]* इस विधेयक का मूल उद्देश्य बंद कंपनी के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। जब एक चैनल बंद हो जाता है, तो प्रबंधन को कम से कम अपने कर्मचारियों के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। *[हिन्दी]* दो चीज़ें उन्होंने इस विधेयक में रखी हैं कि यह रेग्युलेटरी कमेटी के सामने अपने वक्तव्य रखेंगे और अपने एम्प्लॉइज का वर्जन सुनने के लिए भी एक मौका मिलेगा। *[अनुवाद]* आमतौर पर, हमारे कंपनी अधिनियम में, यह प्रावधान नहीं है और हमारे पास फ्लाई-बाय-नाइट कंपनियां हैं, जो संचालित होती हैं, लेकिन अगली सुबह अचानक हमें पता नहीं चलता है कि वह कंपनी मौजूद है या नहीं। या, उन कंपनियों की कोई जवाबदेही है या नहीं? हमने इस सरकार के दौरान भी देखा है कि किस तरह उन्होंने शेल कंपनियों के खिलाफ जबरदस्त काम किया है। विमुद्रीकरण के बाद हजारों शेल कंपनियां पकड़ी गईं और कड़ी कार्रवाई की गई।

[अनुवाद]

परंतु देश और पूरे विश्व में भी आज क्या स्थिति है? सूचना विस्फोट हो रहा है। अनुराग की इस सभा में उपस्थित है। वह सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। वह हमारे देश और बाहर भी विभिन्न चैनलों के प्रचालन से अवगत हैं। हमारे आसपास हो रहे सूचना विस्फोट की मात्रा के कारण यह बहुत कठिन हो गया है कि क्या समझा जाए और किसकी उपेक्षा की जाए।

बहुत से चैनल हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं। समाचार चैनल, मनोरंजन चैनल, योग और औषधि संबंधी चैनल आदि हैं। विभिन्न प्रकार के चैनल हैं जैसे एक बाजार में विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं। यदि मैं बाजार जाता हूं और यदि मुझे कतिपय चीज़े खरीदनी होती हैं तो मुझे केवल उस दुकान विशेष में जाना होता है।

अब ये चैनल अपने क्लाइंट रखने का भी प्रयास करते हैं। परंतु एक नया शब्द 'इनफोटेनमेंट' आ गया है। यह सूचना और मनोरंजन का जोड़ है। शायद यही आज का मंत्र है और इसी प्रकार चैनल जीवित हैं। कुछ वर्ष पूर्व न कि हाल में, एक नोटिस उन चैनलों को भेजा गया था जिसमें यह पूछा गया था कि उनके चैनल समाचार चैनल के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं और वे मनोरंजन संबंधी सामग्री क्यों प्रसारित कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि बाद में उस नोटिस का क्या हुआ। परंतु इन 'इनफोटेनमेंट'

आज का नियम बन चुका है और हम बहुत से समाचार चैनलों में विशेष रूप से, दोपहर के भोजन के समय के दौरान और उसके पश्चात् मनोरंजन संबंधी विषय-वस्तु पाते हैं।

यह कहूंगा कि किसी चैनल का प्रबंधन करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री की उपस्थिति को देखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे एक कैमरामैन की याद आती है जो कुछ माह पूर्व छत्तीसगढ़ के माओवादी क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों को कवर कर रहा था। वह कैमरामैन ओडिशा से था। वह कटक में बीजू पटनायक फिल्म अकादमी में प्रशिक्षित था। उस कैमरामैन ने सशस्त्र बलों में भी सेवा की। वी.आर.एस. लेने के पश्चात वह वापस आया और एक चुनौतीपूर्ण कार्य करना चाहता था। उसने स्वयं ही कार्य किया। मेरा ख्याल है कि मंत्री को उसके परिवार के बारे में जानकारी है। वह वहां गया और माओवादियों की गोलियों का निशाना बना। तीन अन्य लोग बच गए परंतु यहां एक युवा माओवादियों की गोलियों का निशाना बना वह आदमी एक जवान व्यक्ति था जैसा कि मैंने कहा है, परंतु यहां मेरी चिंता यह है कि वह ड्यूटी पर मरा। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह प्रसार भारती का कर्मचारी था और सरकार को परिवार के लिए कुछ करना होगा, परंतु समाज की भी उस परिवार के लिए जिम्मेदारी है। उसने उस कार्य को चुनौती के रूप में लिया। यद्यपि उसके साथ कुछ सशस्त्र कर्मी थे वह उस क्षेत्र में जाते समय वहां गए जहां कोई भी जाने का इच्छुक नहीं था। परंतु मैं यह समझना चाहूंगा कि उसके परिवार, पत्नी और बच्चे को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले संसद सदस्य को भी यह कहना चाहूंगा कि निजी और सरकारी चैनलों दोनों में कार्यरत अस्थायी कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए इस विधेयक का दायरा क्यों न बढ़ाया जाए। उनको विभिन्न नाम दिए गए हैं जैसे नैमित्तिक आकस्मिक श्रमिक मैं केवल "अस्थायी" शब्द रख रहा हूं। इसलिए, विभिन्न प्रकार के लोग हैं। बड़ी संख्या में नौजवान लड़के और लड़कियां भी उन कंपनियों में कार्य करते हैं और उनका भविष्य दाव पर लगा है। उन्हें प्रतिस्पर्धा का सामना करके नौकरी मिली और वे उस कंपनी में कार्य कर रहे हैं। यदि वह कंपनी बन नहीं पाती है तो हमें कुछ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी होगी ताकि उनके लिए कुछ किया जा सके।

इसे देखने के अन्य तरीके हैं। कंपनियां सरकारी धन से बनती हैं। उस कंपनी के सर्जक को जिम्मेदारी लेनी होती है। बैंकों और बाजार द्वारा धन दिया जाता है। धन केवल स्वामियों का ही नहीं होता है। अतः जब कंपनियां बनती हैं तो कंपनी निधि द्वारा विनियमित होती है। यही प्रहलाद सिंह पटेल चाहते हैं कि जब उन्हें बंद करने के लिए बाध्य किया जाता है तो कर्मचारियों के हित की रक्षा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए।

विषय-वस्तु वास्तव में यह निर्धारित करती है कि चैनल किस प्रकार का है। मैंने बाजार के बारे में उल्लेख किया था परंतु यह एक जंगल जैसा अधिक है। प्रकृति की ही तरह इस मीडिया की दुनिया में भी, व्यवहार कुशल और परिस्थिति तथा वातावरण के अनुकूल स्वयं को ढालने वाले लोग सफल हो पाते हैं। कई मर भी जाते हैं। एक बार भी राजिन्द्र माथुर, जो उन दिनों तब भारत, इंदौर के संपादक थे, हमारे ग्राहकों और लोगों को संबोधित करने के लिए हमारे समाचार-पत्र कार्यालय में आए। उन्होंने कहा, "एक बाघ जंगल में जहां घास हो, में ही जीवित रह सकता है।" आम प्रतिक्रिया यह थी कि बाघ को घास का क्या करना है। बाघ घास नहीं खाता है। बाघ एक मांसाहारी पशु है। इसका घास से क्या लेना-देना है। फिर उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बाघ घास खाने वाले पशुओं के शिकार द्वारा जीवित रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि बाघ घास खाने वाली गायों, हिरनों आदि पर जीवित रहते हैं। इसलिए, जंगल जहां घास नहीं है, में बाघ भी नहीं हो सकते हैं।

मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले संसद सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि बहुत से नए चैनल आएंगे परंतु उसके साथ बहुत से चैनल समाप्त भी हो जाएंगे। परंतु एक जिम्मेदार समाज के रूप में हमारी सरकार को इनमें नियोजित लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए भी कदम उठाने होंगे ताकि वे असहाय न रह जाएं। यह इस विधेयक का प्रयोजन है। श्री प्रहलाद पटेल ने इस सभा का ध्यान ऐसी परिस्थिति की ओर खींचा है, जिस पर पटेल ध्यान नहीं दिया गया था। मैं आशा करता हूं कि सभा इस विधेयक का समर्थन करेगी।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय सभापति जी, श्री प्रहलाद पटेल जी द्वारा जो बिल प्रस्तुत किया गया है, उस पर आज चर्चा हो रही है। मैं टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां (विनियमन) विधेयक, 2015 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

निश्चित तौर से यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा जाता है कि जो कंपनियां अपने चैनल को प्रसारित करती हैं, वे खुलती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। आज कंपनियों की भरमार हो गई हैं। इतनी कंपनियां तथा चैनल्स बने हैं, जिनके विनियमन का कोई कानून नहीं होने से निश्चित तौर पर उन पर कोई अंकुश नहीं रह पाता है। आज तरह-तरह के समाचार प्रसारित होते हैं, अश्लील चैनल्स दिखाए जाते हैं, अश्लील सीरियल्स दिखाए जाते हैं, इनसे बच्चों तथा आम आदमी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उनको आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। निश्चित तौर से यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बिल पर विचार करके, जैसे यहां चर्चा हो रही है, उनके नियंत्रण के लिए कोई न कोई कानून निश्चित तौर से बनना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है।

आज भी देखा जाता है कि जो कंपनियां बंद हो जाती हैं, उनमें जो कर्मचारी हैं, वे घूमते रहते हैं और वेतन भी बाकी रह जाता है। चैनल जो विषय प्रसारित करते हैं, उन विषयों की भी इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। कर्मचारियों के विषय में कहना चाहूंगा कि उनको कोई मिनिमम वेतन निर्धारित नहीं है। वे दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहते हैं। निश्चित तौर से इस पर विचार होना चाहिए। जैसा मैंने कहा है, हिंसा वाली फिल्में और सीरियल दिखा कर समाज पर कुप्रभाव डालने का काम हो रहा है। उस पर काफी कुछ यहां पर सरकार ने कानून भी बनाया, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। इस पर भी निश्चित तौर से विचार होना चाहिए। ये जो चैनल्स हैं, ये ग्रुप बना करके किसी विषय को ले करके, जिसके पीछे पड़ गए, वहीं विषय चला-चला करके निगेटिव बातों को प्रसारित करके एक तरह से लोगों को ब्लैकमेल करने का भी काम करते हैं। इस पर अंकुश होना चाहिए। यह देखा गया है कि कोई विषय आ गया, सब लोग ग्रुप बनाकर काम करते हैं। चुनावों तक में देखा जाता है कि आप इतना करिए, इतना आप सबको पैकेज देना पड़ेगा, नहीं तो हम ये चीज प्रसारित करेंगे, इस तरह की बातें कह कर भी लोगों को ब्लैकमेल करने का काम होता है। इस पर विचार करके इनको नियंत्रित करने का काम होना चाहिए। इसी तरह से यहां पर छोटी-छोटी शुभकामनाएं दीजिए। अब दीवाली आ रही है, हर एक की एक सीमा होती है, उसका एक आर्थिक स्टैटस होता है। वह एक सीमा तक ही तो कर सकता है। अगर किसी ने नहीं किया, तो फिर उसको निगेटिव रूप से प्रसारित करने के लिए ढूंढते रहते हैं, जो स्थानीय स्तर पर लोग होते हैं, वे ढूंढते हैं कि किस तरह से इनको डीफेस किया जाए।

ऐसे तमाम उदाहरण हैं। महोबा के हमारे साथी सांसद बैठे थे और चर्चा कर रहे थे। उनके खिलाफ उन्होंने झूठी खबर प्रसारित कर दी। वहां पर उनको सफाई देनी पड़ी, अपनी पीड़ा को बताना पड़ा इसी लोक सभा में, माननीय पुष्पेन्द्र चंदेल जी अभी यहां बैठे थे। इस तरह के तमाम प्रकरण होते रहते हैं। इसको भी देखने की जरूरत है।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। जो सामूहिक डिबेट प्रसारित करते हैं, उसमें कभी-कभी युद्ध की नौबत आ जाती है। उसमें कोई न कोई आचार-व्यवहार तय होना चाहिए कि जो लोग डिबेट में जाएं, वे किस तरह से बात करें। इसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहते हैं, बात करते हैं, तो उसे डिबेट में भी वहां पर आचार-व्यवहार का पालन कराने का भी प्रयास होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं, उसमें चार-छह लोग बैठ गए, जो अपने-अपने पक्ष की बात रख रहे हैं। वहीं डिबेट स्तर पर उनका युद्ध होने लगता है। इन सब चीजों को देखने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए कोई न कोई प्रयास होना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि चैनल के जो निचले स्तर के कर्मचारीगण हैं, उनकी कोई न कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। अभी तक कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है। जिसको भी चाहें, उसको बैठा दिया, माइक पकड़ा दिया, वे जाकर काम कर रहे हैं, उनकी कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है। उनके पास कम से कम कोई डिप्लोमा या डिग्री उस स्तर की होनी चाहिए, जिससे वे ठीक से काम कर सकें। उनको प्रेस-मीडिया लाइन का अनुभव भी होना चाहिए। यह भी देखने की जरूरत है।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि ज्यादातर ऐसे जो चैनल्स हैं, उनमें बड़े-बड़े व्यापारिक घरानों का कब्जा है, क्योंकि वे ही चैनल चला सकते हैं, जिसके पास काफी पैसा होगा, बड़े व्यापारिक घराने होंगे,। कुछ इस पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से बड़े व्यापारिक घरानों के नियंत्रण से इसको मुक्त किया जाए। अधिकतर देखा जा रहा है कि जितने भी चैनल्स हैं, किसी न किसी बड़े व्यापारिक घराने से संबंधित हैं और उसका उस

पर नियंत्रण हैं। उसमें वे अपने हित चिंतन भी करते हैं और इसी के अनुसार सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का भी काम करते हैं। इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

अभी माननीय प्रहलाद जी ने कहा, वास्तव में यह विषय गंभीर है। ज्यादातर चैनल्स निगेटिव बातों की ओर ज्यादा ध्यान देने का काम करते हैं। हमारी सरकार ने कितने अच्छे काम किए, साढ़े चार साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कितनी प्रगति की, कितनी योजनाएं लागू कीं, उनका कितना लाभ लोगों को मिला है, इन सब बातों को भी उनको सार्थक रूप से रखने का काम करना चाहिए। यह देखा जाता है कि ज्यादातर निगेटिव बातें प्रसारित होने से देश से एक निराशा का भाव पैदा होता है।

मैं कहना चाहता हूं कि उनको पॉजिटिव चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए, विशेष तौर से पॉजिटिव बातो को भी प्रसारित करने का काम करना चाहिए। विशेषकर, हमारी सरकार ने जो काम किया है या जो अन्य अच्छे काम होते हैं, उन सभी की प्रशंसा करने का काम करना चाहिए, जो मैडल लेकर आ रहे हैं, सेना ने जो बहादुरी का काम किया है, ऐसी चीजों को प्राथमिकता देने का काम उन सबको करना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की बातों को हमारे चैनल प्रसारित करने का काम बहुत कम करते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कोई छोटी घटना भी हो जाती है तो उस घटना को बड़े ढंग से प्रसारित किया जाता है, लेकिन ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अगर कोई बड़ी घटना भी हो जाती है तो वह उस चैनल पर नहीं आ पाती है।

जब कोई अच्छा काम हो जाता है, उस चैनल पर नहीं आ पाता है, वहां की समस्याएं होती हैं, वह नहीं आ पाती है, उस तरफ भी इन चैनलों को ध्यान देना चाहिए और इसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं।

आपने देखा होगा कि चैनलों में लगातार 'सूत्र' कहते हैं, यह सूत्रों की खबर है, भ्रामक प्रचार करने का काम किया जाता है। इस पर निश्चित तौर से अंकुश होना चाहिए। इस विधेयक से अंकुश लगेगा, इसमें ऐसी व्यवस्था करने का काम होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, उस न्यूज में कुछ नहीं रहता है लेकिन आ गया ब्रेकिंग न्यूज, वहां से सनसनी पैदा करने का काम होता है। इस पर अंकुश लगाना चाहिए। यही बात कह कर पुनः पटेल जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): सभापति महोदय, मैं माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी द्वारा जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज इस बिल पर गहन चर्चा हुई। मैं अपनी बात बहुत कम समय में रखना चाहता हूं। पिछले सत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा चल रही थी, उस समय में मतदान में उपस्थित था।

इन्हीं चैनलों की जिनकी आज बात हो रही है, उस समय मतदान के समय सदन में उपस्थित था, उसी समय हमारे यहां कुछ टेलीविजन चैनलों द्वारा चलाया जा रहा था कि हमीरपुर के सांसद पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल पत्रकारों पर फायरिंग कर रहे हैं।

मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यह है कि इस बिल पर महत्वपूर्ण बात रखने की आवश्यकता है कि अनेक लोग जो एक्सपर्ट नहीं है, आपने अनेक बार समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि फलां साधु ने गलत काम कर दिया, जिनको यह नहीं पता कि जो गलत काम कर रहा है, वह साधु नहीं है, वह साधु वेशधारी हो सकता है, लेकिन ऐसे कुछ कम पत्रकार हैं, जो कम पढ़े-लिखे हैं, उनकी आई.डी. लेकर और आई. कार्ड बना कर जो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, वहीं उनके कारण अच्छे समाचार पत्र चैनलों को अपमानित करने का काम करते हैं। हम लोगों को यह बात जरूर करनी चाहिए। दूसरी तरफ, युद्ध में अपने यहां इस तरह से लोग रिपोर्टिंग करते हैं, उनको गोली लगती हैं, अभी छत्तीसगढ़ में बस्तर में चुनाव हुए। एक कैमरामैन ने जिस तरह से कवर कर रहे थे, उनको गोली लगी, वे कैमरामैन को अपनी तरफ घुमा कर कहा कि हो सकता है मैं न बचूं, लेकिन रिपोर्टिंग करना मेरा धर्म है, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, उनकी जान चली गई। मैं आपके माध्यम से यह बात रखना चाहता हूं कि जो सकारात्मक पत्रकारिता करते हैं, एक सामाजिक उत्तरदायित्व के नाते जो प्राइवेट लोग हैं, उन सभी चैनलों और सभी समाचार पत्रों के माध्यम से उनको रेग्युलर करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री [कर्नल राज्यवर्धन राठौर

(सेवानिवृत्त)]: सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सदस्य प्रहलाद सिंह जी ने जो प्राइवेट मेंबर बिल रखा है, मैं उनकी भावना की सराहना करना चाहता हूं। देश में तकरीबन 800 से ज्यादा चैनल हैं। हमारे कुछ कायदे-कानून होते हैं। आज सदन में काफी बातें हुई हैं, उसकी देख-रेख हो जाती हैं, अप-लिंकिंग की परमिशन मिलती है, डाऊन-लिंकिंग की परमिशन मिलती है, जिस तरह का कन्टेंट टी.वी. चैनल पर चलाएंगे, उसे केबल टेलीविजन एक्ट के तहत निर्धारित किया हुआ है।

उसमें गाइडलाइन्स दी हुई हैं कि वे किस तरह की खबरें चला सकते हैं, कहां गलत है। पहला चैनल लेने के लिए कितनी नेट वर्थ होनी चाहिए और दूसरा चैनल लेने के लिए कितनी नेट वर्थ होनी चाहिए। इसकी परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ती है। उनको हम एक लंबे समय के लिए लाइसेंस देते हैं। हम उनको दस वर्ष के लिए लाइसेंस देते हैं। उन्हें सिर्फ हम से नहीं, बल्कि डब्ल्यू.पी.सी. से भी परमिशन लेनी पड़ी है, सेटेलाइट की परमिशन लेनी पड़ती है। इन सभी को करने के बाद जो भी मीडिया हाऊस या चैनल को चलाने आता है, उनको कंटेंट इस तरह का चलाना होता है, जिसको व्यूअर्स पसंद करें। उनको कहीं न कहीं एक विश्वसनीयता बनानी पड़ती है। अपने कंटेंट के ऊपर एक फेथ डेवलप करना पड़ता है। किस क्वालिटी के उनके एंकर्स तथा कॉरेसपॉन्डेट्स हैं, किसी तरह का एनालिसिस हो रहा है, जनता द्वारा कहीं न कहीं उनको परखा जाता है।

आज सिर्फ टेलीविजन चैनल्स ही नहीं, बल्कि अब तो ओवर द टॉप ट्रांसमिशन हो रहा है। इंटरनेट द्वारा सीधे-सीधे मोबाइल फोन या डिवाइसेस पर आ रहा है। अब सीरियल्स बहुत बड़े पैमाने पर ओवर द टॉप आ रहे हैं। उसी के साथ आजकल खबरें ओवर द टॉप आ रहे हैं। यह एक तरह से एक एक्स्प्लोज़न हो रहा है, जो बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा। इन सब के अंदर जो लोग आते हैं, उनमें अपने आप एक नेचुरल सेंस ऑफ कम्प्टीशन आता है। जिस तरह से महताब साहब ने कहा था, उन्होंने एक शेर का उदाहरण दिया। वहां सर्वाइवल की बात आती है, जो हर तरह से सबसे बेहतर होगा, वहीं आगे बढ़ पाएगा।

एक बात यह भी हुई कि चैनल्स की जवाबदेही होनी चाहिए। श्री प्रहलाद सिंह जी ने यह बात रखी थी। हमने कई लेवल्स के ऊपर इसको एन्श्योर किया हुआ है। सबसे पहला लेवल है, खुद मीडिया चैनल्स या जर्नलिस्ट जवाबदेही है, उसके बाद दूसरा आता है, जहां मीडिया हाऊस से बाहर निकल कर उनकी जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है। इसमें तीन-चार तरह की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है। अगर विज्ञापन आता है, तो उसके लिए आस्की (ए.एस.सी.आई.) है। अगर एंटरटेंमेंट संबंधित कोई कंटेंट है तो उसमें बी-ट्रिपल सी है। उनकी इंडस्ट्री की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है। अगर खबरें है, तो एन.डी.एस.ए. है। ये इंडस्ट्री की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी हैं। इनके अलावा एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वह इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी (आई.एम.सी.) है। एक इडिपेंडेंट अथॉरिटी भी है, वह है आई.एम.सी. इंटर मिनिस्ट्रीरेल कमेटी। कहीं पर भी किसी भी देखने वाले को यह लगता है कि कहीं भी वायलेशन हो रहा है किसी भी चीज का, उसको लगता है कि यह परिवार के लायक नहीं है या गलत है, तो इन सभी एजेंसीज़ को सीधे-सीधे लिख सकता है, मीडिया हाउस को भी लिख सकता है। उसके अंदर कानून बने हुए हैं। उसी प्रकार अधिकारियों के जो कर्मचारी हैं, उनकी देख-रेख की बात की है, मैं भावना को समझता हूं और उसको सराहता भी हूं। लेकिन, वह जितनी भी कर्मचारियों की देख-रेख की बातें हैं, वह बस कंपनी एक्ट के अंदर पहले से ही है। हर कंपनी सिर्फ मीडिया की कंपनी नहीं हर एक कंपनी जब कोई चलाता है, तो उन्हें एक एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। उसके अंदर से कायदे-कानून दिये हुए हैं। उनको हर तरह से फॉलो करना पड़ता है। हर कंपनी के अंदर लोग मेहनत वाले होते हैं और मेहनत वाला ही आगे बढ़ पाता है। यह तो पूरी दुनिया का एक नियम है। उसके अंदर जो सोशल सिक्योरिटी होती है, वह भी जो कंपनी के लॉज होते हैं, उसमें दी हुई होती है। भर्तृहरि साहब ने कहा कि ये कंपनियां बंद होती है, अगर मीडिया हाउसेज बंद होते हैं, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। टाइट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकता है, लैक ऑफ व्यूअरशिप, अगर फेथ नहीं है तो आपका कंटेंट नहीं चलेगा, क्वालिटी ऑफ कंटेंट अगर ठीक नहीं है तो नहीं चलेगा। प्ररंतु ये मार्केट प्रेरित हैं, मार्केट शक्तियां हैं। यानी मार्केट उसको डिसाइड करेगा कि यह आगे चलना चाहिए या यह लायक नहीं है इस देश के अंदर चलने के लिए। जैसा मैंने कहा कि 800 से ज्यादा चैनल्स हैं। उनमें से कुछ सर्वाइव करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन, हो सकता है जो सर्वाइव न करें, उनमें से कुछ अच्छे लोग कहीं दूसरी जगह चैनल्स में जाकर काम कर सकते हैं। इसलिए, यह पूर्णतया

एक सवाल प्रक्रिया है। जो देश के अंदर चलता रहता है। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हमारे कैमरामैन थे छोटा नंद शाहु, जो ओडिशा के रहने वाले थे। उनके अंदर एक कमिटमेंट था। उसी तरह बहुत-सारे ऐसे मीडिया के कर्मचारी हैं, सिर्फ मीडिया ही नहीं, और भी देश के सेक्टर हैं।

सायं 6.00 बजे

जब ये कमिटेड लोग काम करते हैं तो अपने आप न केवल उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे लोगों का ध्यान रखे, बल्कि सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है। यह हमारे देश की संस्कृति रही है कि हम अपने से ज्यादा अपनों के लिए काम करते हैं। इसलिए कहीं न कहीं वह अपनापन दिखता है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास ओर गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघालय): सभापति जी, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस आज चार-पांच मिनट लेट शुरू हुआ था, इसलिए सदन का समय पांच-सांत मिनट बढ़ा दिया जाए।

माननीय सभापति: अगर सदन की अनुमति हो तो सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): सभापति जी, श्री भैरो प्रसाद मिश्र ने फिल्मों के बारे में कहा कि फिल्में किस तरह से चलती हैं, एक ही बात को बार-बार दिखाना, चैनल्स के अंदर पैनल में युद्ध की स्थिति बन जाती है और चैनल्स को या मीडिया हाउसेज को पॉजिटिव बातें दिखानी चाहिए। इन सभी बातों के लिए हमारे पास रूल्स बने हुए हैं। फिल्में 'यू.' या 'यू.ए.' सर्टिफिकेशन आ सकता है, उसके लिए सी.बी.एफ.सी. जिम्मेदार है। उसी तरह से मॉडरेटर्स होते हैं, जो अपने आप उसे नियंत्रित रखते हैं। फिर उसके बाद दर्शक होते हैं, जब किसी चैनल के बारे में शोर मचता है तो उसके दर्शक अपने आप कम हो जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि न केवल दूरदर्शन, बल्कि काफी मीडिया हाउसेज पॉजिटिव न्यूज को दिखा रहे हैं। पुष्पेन्द्र सिंह ने भी इस बात को इम्फेसाइज किया कि गलत खबरें चलती हैं।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य ने जो बात कही है, बहुत जेनुइन बात कही है। वह चीज कुछ नहीं थी, लेकिन खबर चल रही थी।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): सभापति जी, जो गलत खबरों की बात उन्होंने की, मैं इससे सहमत हूं कि अगर कभी ऐसी खबर आती है, जैसा मैंने पहले बताया है, इनकी सेल्फ-रेगुलेटिंग बॉडी की कोई कमी नहीं है। वे अलग-अलग लेवल्स पर काम कर रही हैं। उसके बाद सरकार की इंटरमिनिस्टीरियल कमेटी है। अगर आपको कहीं कुछ गलत लगता है और तुरंत उसकी कम्प्लेंट की जाए तो उसके ऊपर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए काफी सीवेयर पनिशमेंट्स हैं। हम कई बार उन्हीं की सेल्फ-रेगुलेटिंग बॉडी को बताते हैं और वे उसके ऊपर एक्शन भी लेती हैं। साथ ही, अगर इंटर-मिनिस्टीरियल कमेटी उस पर एक्शन ले तो बड़े सिवियर पनिशमेंट्स हो सकते हैं, उदाहरण के लिए एक महीने, दो महीने के लिए या उसका पूरा लाइसेंस विदड्रॉ कर सकते हैं।

मोटे तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि आज सदन में तो बातें उठाई गई हैं, वे कभी कहीं न कहीं, चाहे हमारे मंत्रालय के जो नियम-कायदे हैं, उनमें कवर होती हैं या दूसरे मंत्रालय के रूल्स-रेगुलेशन्स में कवर होती हैं। पूरी तरह से, पहले से इसके लिए अंदर शामिल हैं और फिर एक तरह से मार्केट फोर्सेज डिसाइड करती है कि कौन से मीडिया हाउसेज कितना आगे बढ़ पाएंगे और किस तरह के पत्रकार आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि मंत्रालय इसको सपोर्ट नहीं करता है और मैं इस विधेयक को वापस लेने के लिए आपसे आग्रह करता हूं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): आपने सपोर्ट किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सभापति जी, मैं इसको गंभीरता से इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आप खुद मानते हैं कि कंपनी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कंपनी बंद करने के साथ, उनके इम्प्लाइज के बारे में सोचा जाएगा। मैंने अपने भाषण में यह बात भी कही थी कि जो आदमी उनका रेगुलर एम्प्लाई नहीं, जिसे कार्ड नहीं मिला है, उसके लिए न तो पी.एफ. की व्यवस्था है, न कभी इसे इसका रास्ता मिल सकता है। मैं अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करता था, मेरे मन में यह भाव उसके कारण ही आया था। इसके लिए कोई फोरम नहीं है। मुझे मालूम है कि अगर मेरे खिलाफ प्रिंट मीडिया में कुछ होगा तो मैं उसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जा सकता हूं। प्रसार भारती बना है, अगर मेरे खिलाफ कोई बात आती है तो मैं वहां जा सकता हूं, लेकिन वह एम्प्लाई नहीं जा सकता है। इसके बाद ही मैंने कमेटी की

बात कही है। मैं जानता हूं कि कंपनी एक्ट के द्वारा किस सीमा तक राहते देते हैं। ये चीजें आपको भी पता हैं। आप भी मानते हैं कि वह मामला कंपनी एक्ट में जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे मीडिया हाउसेज में काम करने वाले छोटे कर्मचारी से लेकर, अगर कोई फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है जो वहां रेगुलर एम्प्लाई के रूप में नहीं है, जिसका वहां पी.एफ. नहीं कटता है, ऐसे लोग भी वहां पर हैं। जिनको वे कांट्रेक्ट बेसिस पर इंगेज करते हैं और अगर उनके साथ कोई हादसा होता है तो वे किसके दरवाजे पर जाएंगे। मैं किसी मीडिया हाउस का नाम लेकर यहां नहीं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिन लोगों को बाहर निकाला गया, उनको आठ-दस महीने तक वेतन नहीं मिला, आज भी नहीं मिला और उसके बाद उनको कहा गया कि आप थोक पैसा ले लीजिए। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं लेबर लॉ भी जानता हूं, मैंने उसमें भी काम किया है। इस नाते मैंने कहा था कि किसी काउंसिल की व्यवस्था हो।

माननीय सभापति: मंत्री जी इसको संज्ञान में लेंगे, इसलिए आप इसको देख लें। आपकी मंशा को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने कहा है कि इसके अनुसार विचार करें।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: मुझे लगता है कि मंत्री महोदय एक्टिव हैं, वे खुद इस बारे में सोचते भी हैं, लेकिन मेरी मंशा केवल इतनी थी कि कम से कम उन अन-ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्टर्स के लिए कोई व्यवस्था के बारे में जरूर सोचें। यह मेरा आग्रह है।

आपने जो मंशा व्यक्त की है, उसके अनुसार मैं विधेयक वापस लेता हूं।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि टेलीविजन प्रसारण कंपनियों द्वारा प्रसारण चैनलों को बंद किए जाने को विनियमित करने और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

माननीय सभापति: अगला विधेयक आइटम नंबर-178, श्री गजेन्द्र अग्रवाल - उपस्थित नहीं।

सायं 6.05 बजे

भारतीय पर्यटन संवर्धन निगम विधेयक, 2015

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश पर्यटन का संवर्धन और विकास करने के लिए भारतीय पर्यटन संवर्धन निगम की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

माननीय सभापति: आपने प्रस्ताव पेश कर दिया है, यह अगली बार जारी रहेगा।

सभा सोमवार, 31 दिसम्बर, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 31 दिसम्बर, 2018/10 पौष, 1940 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री कीर्ति आजाद डॉ. भारतीबेन डी. श्याल	241
2.	श्री आनंदराव अडसुल श्री अशोक शंकरराव चव्हाण	242
3.	डॉ. संजीव बालियान	243
4.	श्री प्रसुन बनर्जी	244
5.	श्री पिनाकी मिश्रा	245
6.	श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा	246
7.	श्रीमती मीनाक्षी लेखी	247
8.	श्री मानशंकर निनामा	248
9.	श्री आर. ध्रुवनारायण	249
10.	श्री रामटहल चौधरी	250
11.	श्री मल्लिकार्जुन खड़गे	251
12.	श्री जितेन्द्र चौधरी	252
13.	श्री जैदेव गल्ला	253
14.	श्री प्रहलाद जोशी	254
15.	श्री विजय कुमार हांसदाक श्री लक्ष्मण गिलुवा	255
16.	श्री तेज प्रताप सिंह यादव श्रीमती अंजू बाला	256
17.	श्रीमती नीलम सोनकर	257
18.	श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	258
19.	श्री सतीश चंद्र दुबे	259
20.	श्री एम. उयदयकुमार	260

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	अतारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री दिव्येन्दु अधिकारी	2780,
2.	श्रीमती तबस्सुम बेगम	2909,
3.	डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'	2865,
4.	डॉ. फारुक अब्दुल्ला	2884,
5.	श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव	2872, 2902, 2940, 2945, 2957
6.	श्री शिशिर कुमार अधिकारी	2846,
7.	श्री आनन्दराव अडसुल	2872, 2940, 2945, 2957
8.	श्रीमती संतोष अहलावत	2906, 2922,
9.	श्री बदरुद्दीन अजमल	2762,
10.	श्री सिराजुद्दीन अजमल	2837,
11.	श्री एंटो एन्टोनी	2946, 2968,
12.	श्री ए. अरुणमणिदेवन	2839,
13.	श्री के. अशोक कुमार	2839,
14.	श्री कीर्ति आजाद	2911, 2984
15.	श्री बी. सेनगुट्टुवन	2813,
16.	श्री जार्ज बेकर	2895,
17.	श्रीमती अंजू बाला	2954
18.	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	2872, 2920, 2945,
19.	श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	2867,
20.	श्री आर.के. भारती मोहन	2763, 2978,
21.	श्रीमती रंजनबेन भट्ट	2780, 2849,
22.	श्री रमेश बिधूडी	2886,

1	2	3
23.	श्री पी.के. बिजू	2847, 2960
24.	श्री ओम बिरला	2859,
25.	श्री राधेश्याम बिश्वास	2819,
26.	श्री बोधसिंह भगत	2894,
27.	श्री राम चरण बोहरा	2849,
28.	श्री सी. गोपालकृष्णन	2862, 2908,
29.	श्री निहाल चन्द	2762,2956
30.	कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल	2897, 2940
31.	श्री एम. चन्द्राकाशी	2776, 2990,
32.	श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	2851,2890
33.	श्री पंकज चौधरी	2910,
34.	श्री जितेन्द्र चौधरी	2977,
35.	श्री देवुसिंह चौहान	2812,
36.	श्री दुष्यंत चौटाला	2929,
37.	श्री अशोक शंकरराव चव्हाण	2848, 2964, 2965,
38.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	2833, 2892, 2959
39.	श्री राम टहल चौधरी	2959, 2980
40.	श्री अधीर रंजन चौधरी	2789, 2953
41.	श्री राजेशभाई चूडासमा	2800,
42.	श्री कलिकेश एन. सिंह देव	2802, 2892
43.	कुमारी सुष्मिता देव	2872,
44.	श्रीमती रमा देवी	2833, 2892,
45.	श्रीमती वीणा देवी	2870,
46.	श्री संजय धोत्रे	2829, 2880, 2927,
47.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2958, 2963,
48.	श्री राजेश कुमार दिवाकर	2908, 2963
49.	श्री निशिकांत दुबे	2958, 2969

1	2	3
50.	श्री निनोंग इरिंग	2904,
51.	प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़	2943,
52.	श्री सुनील बलिराम गायकवाड़	2890, 2970, 2971
53.	श्री गजानन कीर्तिकर	2841,
54.	श्री जैदेव गल्ला	2969,
55.	श्री फिरोज वरुण गांधी	2975,
56.	श्री गोकाराजू गंगा राजू	2799,
57.	डॉ. हिना विजयकुमार गावीत	2787, 2891, 2952, 2961
58.	श्री राजेन्द्र धेड्या गावीत	2898,
59.	एडवोकेट जोएस जॉर्ज	2855,
60.	श्री शेर सिंह गुबाया	2949,
61.	श्री लक्ष्मण गिलुवा	2959,
62.	श्री गौरव गोगोई	2803, 2860, 2972,
63.	डॉ. के. गोपाल	2928,
64.	श्री आर. गोपालकृष्णन	2921,
65.	डॉ. बूरा नरसैय्या गौड़	2827,
66.	श्री एल.आर. शिवराम गौड़ा	2954,
67.	श्री सुधीरं गुप्ता	2964, 2965, 2848,
68.	श्री विजय कुमार हांसदाक	2980,
69.	श्री जी. हरि	2792,
70.	डॉ. कंभमपति हरिबाबू	2934,
71.	श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी	2809, 2876, 2883
72.	डॉ. अनुपम हाजरा	2767,
73.	श्री संजय हरिभाऊ जाधव	2935, 2984,
74.	डॉ. संजय जायसवाल	2923,
75.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	2938,

1	2	3
76.	श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया	2930,
77.	श्री सी.एन. जयदेवन	2968,
78.	श्री जे. जयवर्धन	2787, 2891, 2952, 2961,
79.	श्री रवीन्द्र कुमार जेना	2803,
80.	श्री चन्द्र प्रकाश जोशी	2779, 2790, 2949, 2950,
81.	श्री नारणभाई काछड़िया	2779, 2790, 2949, 2950,
82.	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	2784, 2951, 2983,
83.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	2954, 2956
84.	श्री रत्न लाल कटारिया	2857,
85.	श्री नलीन् कुमार कटील	2815,
86.	श्री कौशल किशोर	2824,
87.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	2856, 2960,
88.	श्री रमेश चन्द्र कौशिक	2973,
89.	श्रीमती रक्षाताई खाडसे	2834,
90.	श्री चन्द्रकान्त खैरे	2791,
91.	मो. बदरुद्दोजा खान	2874, 2912,
92.	श्री सोमित्र खान	2840,
93.	श्रीमती किरन खेर	2793,
94.	श्री राम मोहन नायडु किंजरापु	2858,
95.	श्री जुगल किशोर	2917, 2962,
96.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	2911, 2931,
97.	श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी	2818,
98.	श्री बी. विनोद कुमार	2860,
99.	श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया	2860, 2970,
100.	श्री पी.के. कुन्हालीकुट्टी	2830,
101.	कुंवर भारतेन्द्र सिंह	2861, 2975,
102.	श्री सदाशिव लोखंडे	2896,

1	2	3
103.	श्रीमती पूनमबेन माडम	2939, 2805,
104.	श्री धनंजय महाडीक	2787, 2891, 2952, 2961,
105.	श्रीमती पूनम महाजन	2811,
106.	डॉ. बंशीलाल महतो	2823, 2934,
107.	श्री विद्युत वरण महतो	2779, 2949, 2950,
108.	श्री सी. महेन्द्रन	2798,
109.	श्री भर्तृहरि महताब	2880, 2927,
110.	श्री बलभद्र मांझी	2859, 2899,
111.	श्री हरि मांझी	2933,
112.	श्रीमती के. मरगथम	2844,
113.	श्री आर.पी. मरुदराजा	2879, 2960,
114.	श्री अर्जुन लाल मीणा	2966,
115.	डॉ. थोकचोम मेन्या	2881,
116.	श्री भैरों प्रसाद मिश्र	2771, 2928,
117.	श्री पी.सी. मोहन	2797,
118.	श्री एम. मुरली मोहन	2947,
119.	श्री. मोहम्मद सलीम	2874,
120.	श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौडा	2810, 2824,
121.	श्री अभिजीत मुखर्जी	2873, 2874, 2961, 2977
122.	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	2768, 2960,
123.	डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे	2872, 2820, 2945,
124.	श्री रोड़मल नागर	2906, 2974,
125.	श्री पी. नागराजन	2908, 2974,
126.	श्री बी.वी. नाईक	2810, 2976,
127.	श्री कमल नाथ	2900,
128.	श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी	2785,
129.	श्री अशोक महादेव राव नेते	2942,

1	2	3
130.	श्री अजय निषाद	2915, 2961,
131.	श्री राम चरित्र निषाद	2778
132.	श्रीमती मौसम नूर	2875, 2963,
133.	श्री असादुद्दीन औवेसी	2794, 2986,
134.	श्रीमती कमला पाटले	2836,
135.	श्री जगदम्बिका पाल	2919, 2976,
136.	श्री विनसेंट एच. पाला	2838,
137.	श्री हरि ओम पाण्डेय	2878,2967,
138.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	2958, 2969,
139.	श्री राजेश पाण्डेय	2958, 2969
140.	श्री पन्नीसेलवम वी.	2890, 2970, 2971,
141.	श्री के. परसुरमन	2850,
142.	श्री आर. पार्थिपन	2831,
143.	श्री देवजी एम. पटेल	2833,
144.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2761,
145.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	2764,
146.	श्रीमती रीती पाठक	2873, 2917, 2962,
147.	श्रीमती भावना पुण्डलीकराव गावली	2888,
148.	श्री संजय काका पाटील	2770,
149.	श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	2877, 2966,
150.	श्री के.आर.पी. प्रभाकरन	2777,
151.	श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान	2859,
152.	श्री नारामल्ली शिवप्रसाद	2783, 2982,
153.	श्री एन.के. प्रेमचद्रंन	2926,
154.	श्री टी. राधाकृष्णन	2848, 2964, 2965,
155.	श्री राघव लखनपाल	2802,
156.	श्री एम.के. राघवन	2879,

1	2	3
157.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	2977,
158.	श्री प्रेम दास राई	2701,
159.	डॉ. उदित राज	2853,
160.	श्री राजन विचारे	2796, 2989,
161.	श्री हरिनारायन राजभर	2887,
162.	श्री एस. राजेन्द्रन	2848, 2964, 2965,
163.	श्री एम.बी. राजेश	2788, 2968, 2984,
164.	डॉ. मनोज राजोरिया	2808,
165.	श्री जनक राम	2864,
166.	श्री विष्णु दयाल राम	2883, 2897,
167.	श्री के.एन. रामचन्द्रन	2807,
168.	श्री राजेश रंजन	2936,
169.	श्री कोनाकल्ला नारायण राव	2985, 2769,
170.	श्री मुथमसेटटी श्रीनिवास राव (अवंती)	2908, 2932,
171.	श्री एम. वेंकटेश्वर राव	2817, 2904,
172.	श्री हरिओम सिंह राठौर	2820,
173.	श्री रामसिंह राठवा	2765, 2967,
174.	डॉ. रत्ना डे (नाग)	2878, 2967,
175.	श्री विनायक भाऊराव राऊत	2866, 2872, 2940,
176.	श्री रवीन्द्र कुमार राय	2772, 2949,
177.	श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी	2911, 2937,
178.	श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी	2869, 2935,
179.	श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी	2885,
180.	श्री जे. सी. दिवाकर रेड्डी	2914,
181.	प्रो. सौगत राय	2889, 2969,
182.	श्री राजीव प्रताप रुडी	2918,

1	2	3
183.	श्री लखन लाल साहू	2809, 2872, 2981,
184.	डॉ. कुलमणि सामल	2939,
185.	श्री सुमेधानन्द सरस्वती	2779, 2949, 2950,
186.	श्री राजीव सातव	2826, 2891, 2952,
187.	एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर	2857, 2944,
188.	श्री अरविंद सावंत	2774, 2961, 2975,
189.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	2900, 2972
190.	श्री पी.आर. सेनथिलनाथन	2763, 2978,
191.	श्री मोहिते पाटिल विजय सिंह शंकरराव	2787, 2891, 2952, 2961
192.	श्री राम कुमार शर्मा	2925,
193.	श्री राजू शेट्टी	2903,
194.	गोपाल शेट्टी	2883,
195.	श्री राहुल शेवाले	2880, 2927,
196.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे	2920, 2940, 2957,
197..	श्री अनिल शिरोले	2895,
198.	डॉ. भारतीबेन डी. श्याल	2973,
199.	श्री जी.एम. सिद्देश्वरा	2773,
200.	श्री प्रताप सिम्हा	2784, 2951, 2983,
201.	श्री गणेश सिंह	2864, 2917,
202.	श्री राकेश सिंह	2835,
203.	श्री भरत सिंह	2916,
204.	श्री भोला सिंह	2890, 2970, 2971,
205.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह	2852, 2908,

1	2	3
206.	कुंवर हरिवंश सिंह	2848, 2964, 2965,
207.	श्री लल्लू सिंह	2868, 2901, 2961,
208.	श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा	2905, 2851,
209.	श्री रवनीत सिंह	2786,
210.	श्री सत्यपाल सिंह	2854,
211.	श्री सुशील कुमार सिंह	2863, 2963,
212.	श्रीमती प्रत्युशा राजेश्वरी सिंह	2913,
213.	श्री सुनील कुमार सिंह	2906, 2922
214.	श्री उदय प्रताप सिंह	2913,
215.	डॉ. किरिट पी. सोलकीं	2832,
216.	डॉ. किरीट सोमैया	2821, 2873,
217.	श्रीमती नीलम सोनकर	2960,
218.	श्री मलयाद्रि श्रीराम	2931, 2941,
219.	श्रीमती सुप्रिया सुले	2787, 2891, 2952, 2961,
220.	श्री पी.आर. सुन्दरम	2787, 2891, 2952,2961,
221.	श्री डी.के. सुरेश	2828, 2954,
222.	श्री रामदास सी. तडस	2779, 2859, 2949,
223.	श्री कंवर सिंह तंवर	2775, 2980,
224.	श्रीमती रीता तराई	2822, 2859,
225.	श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर	2766, 2987,
226.	श्री अजय मिश्रा टेनी	2781,
227.	श्रीमती सावित्री ठाकुर	2845, 2898, 2962,
228.	प्रो. के.वी. थॉमस	2867, 2897,

1	2	3
229.	श्री मनोज तिवारी	2807, 2967,
230.	श्री शरद त्रिपाठी	2871,
231.	श्री दिनेश त्रिवेदी	2880,902,
232.	श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे	2814,
233.	श्री कृपाल बालाजी तुमाने	2910,
234.	श्री शिवकुमार उदासि	2953,
235.	श्री वी. एलुमलाई	2782, 2968,
236.	श्रीमती वी. सत्यबामा	2763, 2978,
237.	श्रीमती आर. वनरोजा	2978,
238.	श्रीमती एम. वसन्ती	2816, 2955,

1	2	3
239.	श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा	2895,
240.	श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	2900,
241.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	2806, 2955,
242.	श्री भानू प्रताप सिंह वर्मा	2882,
243.	श्रीमती रेखा वर्मा	2868, 2901,
244.	श्री एस.आर. विजय कुमार	2848, 2964, 2965,
245.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2920, 2957,
246.	श्री जय प्रकाश नारायण यादव	2893,
247.	श्री ओम प्रकाश सिंह यादव	2809, 2876,
248.	श्री तेज प्रताप सिंह यादव	2954,
249.	श्री लक्ष्मी नारायण यादव	2800, 2948,

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	:	
कॉर्पोरेट कार्य	:	247
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	:	248, 251, 255, 260
वित्त	:	244, 245, 249, 250
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	241, 243, 253, 254, 257, 259
महिला और बाल विकास	:	242, 246, 252, 256, 258

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	:	2773, 2775, 2777, 2779, 2787, 2807, 2809, 2814, 2818, 2829, 2830, 2848, 2877, 2890, 2895, 2901, 2921, 2927, 2930, 2936, 2944, 2967, 2985
कॉर्पोरेट कार्य	:	2802, 2856, 2878, 2903, 2914, 2978
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	:	2762, 2771, 2776, 2785, 2786, 2797, 2799, 2813, 2815, 2816, 2817, 2819, 2822, 2825, 2836, 2840, 2844, 2851, 2852, 2859, 2879, 2881, 2884, 2887, 2897, 2899, 2900, 2904, 2913, 2918, 2920, 2923, 2926, 2929, 2932, 2937, 2941, 2943, 2948, 2952, 2953, 2973, 2983, 2988
वित्त	:	2761, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2774, 2783, 2788, 2790, 2791, 2794, 2795, 2796, 2804, 2806, 2808, 2810, 2820, 2821, 2823, 2827, 2828, 2832, 2833, 2835, 2837, 2838, 2839, 2845, 2846, 2850, 2853, 2855, 2857, 2858, 2860, 2861, 2862, 2863, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2880, 2889, 2896, 2902, 2905, 2909, 2910, 2925, 2928, 2931, 2933, 2934, 2942, 2946, 2949, 2954, 2956, 2957, 2959, 2960, 2964, 2968, 2972, 2974, 2975, 2977, 2981, 2986, 2989,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	2772, 2780, 2781, 2784, 2789, 2792, 2801, 2803, 2805, 2811, 2812, 2824, 2826, 2831, 2841, 2842, 2843, 2849, 2854, 2865, 2866, 2873, 2875, 2876, 2883, 2885, 2886, 2891, 2892, 2893, 2894, 2906, 2907, 2908, 2911, 2915, 2916, 2938, 2939, 2945, 2947, 2950, 2951, 2955, 2961, 2962, 2965, 2966, 2969, 2970, 2979, 2982, 2990
महिला और बाल विकास	:	2782, 2793, 2798, 2800, 2834, 2847, 2864, 2872, 2874, 2882, 2888, 2898, 2912, 2917, 2919, 2922, 2924, 2935, 2940, 2958, 2963, 2971, 2976, 2980, 2984, 2987

66,992 km roads worth Rs. 46,572 crore have been sanctioned under various interventions/ verticals of PMGSY, and 52,077 km have been completed at an expenditure of Rs. 37,526 crore (including state share).

iv. Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) aims to reduce poverty by organizing the rural poor women into Self Help Groups (SHGs), and continuously nurturing and supporting them to take economic activities till they attain appreciable increase in income over a period of time. During the FY 2020-21, the loan disbursed to SHGs had been Rs. 84,143 crores. During the current FY 2021-22 (till September 2021), a total of 21.65 lakh SHGs have been credit linked with an amount of Rs 43093 crores.

v. There are two skill development programmes for rural poor youth under DAY-NRLM, namely, Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY), and Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs). Both these schemes are aimed at increasing employability of rural poor youth either for wage or self-employment. Under DDU-GKY a total of 38289 candidates had been trained and 49563 candidates had been placed in jobs during FY 2020-21 and during the current FY 2021-22 (till Oct'21), a total of 14,568 candidates have been trained and 21,369 candidates have been placed in jobs. Under RSETI a total of 207712 candidates had been trained and 138537 candidates had been settled during the Financial Year 2020-21 and during the current FY 2021-22 (as on 30.10.2021), a total of 114640 candidates have been trained and 61546 candidates have been settled.

दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के वाद-विवाद का शुद्धिपत्र

क्रम सं.	कॉलम/ प्रश्न	के स्थान पर	पढ़िए
1	कॉलम 86, पंक्ति 20	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री	संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री
2	कॉलम 173, पंक्ति 7	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक,	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा,
3	कॉलम 391, पंक्ति 3	श्री राजेन्द्र थेड़या गावीत	श्री राजेन्द्र धेड़या गावीत
4	कॉलम 476, पंक्ति 8	श्री रोजश रंजन	श्री राजेश रंजन
5	कॉलम 833, पंक्ति 4	2018*	2017*

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2018 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।